अष्टम माला, खंड 16, अंक 34

मंगलवार, 15 अप्रैल, 1986
25 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 16 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 16, पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 34, मंगलवार, 15 अप्रैल, 1986/25 चैत्र, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	1—3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	3—27
*तारांकित प्रश्न संख्या : 679, 686, 680, 682, 684, 687, 690, 691, 694, 696 और 697	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	27—249
तारांकित प्रश्न संख्या : 681, 683, 685, 688, 689, 692, 693, 698 और 699	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6509 से 6514, 6516 से 6545, 6547 से 6587, 6589 से 6594, 6596 से 6646, 6648 से 6722, और 6724 से 6742	
अमरीकी विमानों द्वारा त्रिपोली और बेंगाजी नगरों पर हाल ही में की गई बमबारी के बारे में वक्तव्य	249—252
श्री बी० आर० भगत	249

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ... 252—253

विधेयक—पुरःस्थापित ... ... 253—254

(एक) चाय (संशोधन) विधेयक 253

(दो) कोयला-खान श्रम कल्याण निधि (निरसन) विधेयक 254

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 254—258

(एक) जोधपुर और अहमदाबाद के बीच सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की मांग

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 254

(दो) नौवहन उद्योग को संरक्षण देने हेतु उपाय करने की आवश्यकता

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह 255

(तीन) नागपुर में होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को मोड़कर नगर के बाहर से ले जाने की आवश्यकता

श्री बनवारी लाल पुरोहित 255

(चार) बंगलादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की और चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता

श्री गुलाम याजदानी 256

(पांच) पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में अधिक बैंक शाखायें खोलने की आवश्यकता

श्रीमती गीता मुखर्जी 256

(छः) बिहार में पर्यटक महत्व के स्थल

श्री सी० पी० ठाकुर 257

(सात) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित कानपुर गंगा बांध परियोजना का कार्यान्वयन करने की आवश्यकता

श्री जगदीश अवस्थी 258

विषय		पृष्ठ
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87		258—410
गृह मंत्रालय		
	श्री जैनुल बशर	258
	श्री चिंगवांग कोनयक	263
	श्री अताउर्रहमान	265
	श्री असलम शेर खां	267
	श्री टी० बशीर	269
	श्री मनोरंजन भक्त	272
	श्री बिपिन पाल दास	275
	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	280
	श्रीमती चन्द्रेश कुमारी	285
	श्री शरद दिघे	289
	श्री राम निवास मिर्धा	291
	प्रो० के० के० तिवारी	297
	श्री अब्दुल रशीद काबुली	309
	श्री संतोष मोहन देव	317
	श्रीमती कृष्णा साही	321
	श्री श्याम लाल यादव	323
	श्री मानिक रेड्डी	327
	श्री रामेश्वर नीखरा	331
	श्री वांगफा लोवांग	337
	श्री शान्ताराम नायक	339
	श्री पीयूष तिरकी	341
	चौधरी राम प्रकाश	343
	डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	346
	चौधरी सुन्दर सिंह	348
	श्री सी० जंगा रेड्डी	351
	श्री उमाकान्त मिश्र	356

श्री पी० एम० सईद 358
श्री चिन्तामणि जेना 360
श्री जी० एम० बनातवाला 363
श्री वीरेन सिंह ऐंगती 377
श्री चिरंजी लाल शर्मा 380
श्री सी० के० कुप्पुस्वामी 385
डा० दत्ता सामन्त 386
श्री एन० डेनिस 389
श्री वृद्धि चन्द्र जैन 391
श्री पी० नामग्याल 394
श्री गदाधर साहा 396
श्री दिलीप सिंह भूरिया 398
डा० गुलाम याजदानी 400
श्री अनादि चरण दास 402
श्री एस० बी० सिदनाल 403
श्री बनवारी लाल पुरोहित 407

लोक सभा

मंगलवार, 15 अप्रैल, 1986/25 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी विशेष अनुमति से प्राप्त एक अत्यन्त गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं। विश्व में गम्भीर संकट पैदा हो गया है। आप कृपया अनुमति···
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका एक मिनट···

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, लीबिया पर हमला किया गया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। मैं एक मिनट का समय लूंगा। मुझे कुछ कहना है। मैं आपको अनुमति दूंगा, गुप्त जी।

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हरिद्वार में कुंभ मेले में हुई त्रासदी पर, जिसमें देश के विभिन्न भागों से आये हुए अनेक लोगों की जानें गईं और अन्य अनेक घायल हो गए, सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करता है।

अब सभा इस दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों की स्मृति में थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी होगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

———

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, अमेरिका द्वारा लीबिया पर थल, हवाई तथा समुद्री हमला कर दिया गया है। नौसेना तथा वायु सेना, दोनों द्वारा त्रिपोली तथा बेंगाजी पर बम गिराने का समाचार मिला है। अब यदि स्थिति और बिगड़ी तो पूरे विश्व में संकट उत्पन्न हो जायेगा। हम चाहते हैं कि सरकार उपलब्ध जानकारी के आधार पर वक्तव्य दे। इस सभा को अमरीकियों की आलोचना करनी चाहिए··· (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : सरकार को वक्तव्य देना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ···न केवल आलोचना करनी चाहिए बल्कि यहां चर्चा करनी चाहिए। क्या आप सरकार से अद्यतन स्थिति की जानकारी देने का अनुरोध करेंगे··· (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हमें इस हमले की निन्दा करनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दिल्ली में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की ब्यूरो की बैठक हो रही है। इसी समय यह अकारण हमला हुआ है। यह अत्यन्त गम्भीर स्थिति है··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, अभी-अभी आपने कुंभ त्रासदी में मारे गये व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। यह उससे कहीं अधिक बड़ी त्रासदी हुई है और हम युद्ध के कगार पर खड़े हैं केवल कुछ राजनीतिज्ञों की मूर्खता के कारण पूरा विश्व युद्ध के कगार पर है। इसलिए आपको इस मामले पर विचार करना चाहिए और इसका उल्लेख करना चाहिए तथा चर्चा की अनुमति देनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि सरकार इस मामले में उपलब्ध नवीनतम जानकारी के आधार पर सभा को जानकारी दे कि क्या स्थिति है और इस गम्भीर मामले में हम क्या करना चाहते हैं··· (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : सभा को अमरीकी हमले की स्पष्ट शब्दों में कड़ी आलोचना करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी माननीय सदस्यों की बात सुनी है और उनकी चिन्ता में मैं भी शामिल हूं। पूरा विश्व, विशेषकर गुट-निरपेक्ष राष्ट्र तथा हमारे छह देश शांति की इच्छा रखते रहे हैं। हमने अभी मैक्सिको में एक अन्तर्संसदीय संघ सम्मेलन में भाग लिया जिसमें शांति को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार किया। किंतु इसके बावजूद यह विनाशकारी घटना घटी है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को समझता हूं किंतु मैं चाहता हूं कि पहले विदेश मन्त्री 12 बजे एक वक्तव्य

दें, हम देखेंगे कि वे सभा को क्या जानकारी दे सकते हैं तत्पश्चात् पूरा सदन आगे की कार्यवाही के बारे में निर्णय करेगा।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : और हम इस हमले की निन्दा करेंगे···(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे आशा है कि आप चर्चा की अनुमति देंगे क्योंकि मेरे विचार में इस मसले पर सदन एकमत है। जो कुछ हो रहा है हमें उसका विरोध करना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन की इच्छानुरूप काम करूंगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। जो आप निर्णय करेंगे, मैं वैसा ही करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हमने सोचा कि आप शांति से वापस आ जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा सोचा था, मेरे विचार में मैंने वहां पर जो भी कहा उससे स्पष्ट होता है कि मैं उन लोगों के बारे में क्या सोचता हूं जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं।

———

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० चार्ल्स।

श्री ए० चार्ल्स : प्रश्न संख्या 679

श्री सोमनाथ रथ : महोदय, प्रश्न 686 भी इस प्रश्न से मिलता-जुलता है। उसका उत्तर भी इसके साथ ही दे दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : विधि मन्त्री जी, क्या आप इसके लिए तैयार हैं ?

विधि तथा न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : जी हां, महोदय हम तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम दोनों प्रश्न साथ-साथ लेंगे।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राज्यों की राजधानियां, जहां उच्च न्यायालय अथवा न्यायपीठ नहीं हैं

*679. श्री ए० चार्ल्स : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिनकी राजधानी में न तो उच्च न्यायालय हैं और न ही उच्च न्यायालय की न्यायपीठ;

(ख) क्या उच्च न्यायालयों की नई न्यायपीठें स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : (क) गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में उनके राज्य की राजधानियों में न तो उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान हैं और न ही उच्च न्यायालयों की कोई न्यायपीठ ही अवस्थित है। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में उनकी अपनी-अपनी राजधानियों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठें हैं।

(ख) और (ग) सम्बद्ध राज्य सरकारों से अपने-अपने उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे :—

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	वे स्थान जहां न्यायपीठें स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है
1.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में न्यायपीठ स्थापित करने के लिए स्थान तय करने का विषय केन्द्रीय सरकार पर छोड़ दिया गया है।
2.	गुवाहाटी	इम्फाल, अगरतला, कोहिमा और शिलांग
3.	कर्नाटक	हुबली-धारवाड़
4.	मध्य प्रदेश	रायपुर और भोपाल
5.	मद्रास	मदुरै

बरहामपुर में उड़ीसा उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करना

*686. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बरहामपुर, जिला गंजम में उड़ीसा उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए दक्षिण उड़ीसा के लोगों द्वारा निरन्तर की जा रही मांग की जानकारी है;

(ख) क्या उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायपीठ की बरहामपुर में स्थापना से कलाहांडी और

बलांगीर जिलों के साथ-साथ गंजम, फूलबनी को भी लाभ पहुंचेगा, जो दक्षिण उड़ीसा के आपस में साथ जुड़े हुए और अविकसित जिले हैं तथा जहां अधिकतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोग रहते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार बरहामपुर में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना संभव न होने की स्थिति में वहां उड़ीसा उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठ की स्थापना करने का है ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि वह बरहामपुर में उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना के लिए दक्षिण उड़ीसा के लोगों की मांग से अवगत है और ऐसे न्यायालय की स्थापना से गंजम, फूलबनी, कलाहांडी और बलांगीर जिलों के लोगों को सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने कहा है कि इस समय किसी स्थायी न्यायपीठ की स्थापना, आवश्यक आधारभूत संरचना और अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण संभव नहीं है और बरहामपुर में सर्किट न्यायालय की स्थापना भी न्यायालय कार्यालय और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही भारत सरकार उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना के मामले में कार्रवाई करती है। इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, मंत्री जी द्वारा इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर से यह स्पष्ट है कि गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में न तो उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान हैं और न ही राजधानियों में उच्च न्यायालय की कोई न्यायपीठ अवस्थित है। केरल में राज्य सरकार को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है क्योंकि वहां की राजधानी में भी उच्च न्यायालय की कोई पीठ नहीं है। इस दूरी के कारण उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों के संबंध में मांगी गई जानकारी सही समय पर दी जा सकती। इसमें अनेक प्रशासकीय कठिनाइयां हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यदि संबंधित राज्य सरकारें उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने का आश्वासन दें तो क्या केन्द्र सरकार उन राज्यों की राजधानियों में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की नीति अपनाएगी ?

श्री ए० के० सेन : यदि यह प्रस्ताव केरल सरकार की ओर से आये तो इस पर अवश्य ही विचार किया जायेगा।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मेरे विचार में मेरे प्रश्न के भाग (ख) और (ग) का उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कुछ वर्ष पहले केरल सरकार ने त्रिवेंद्रम में उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था। वर्ष 1957 में राज्य की राजधानी में हुए भारी आंदोलन के कारण इसी मुद्दे पर श्री ईश्वर अय्यर त्रिवेंद्रम निर्वाचन क्षेत्र से एक दिग्गज श्री पट्टम तनु पिल्लई को हराकर इस सदन में आये थे। मैं जानता हूं कि राजनीति में हमेशा सच बोलना बुद्धिमता नहीं होती। किंतु यहां पर मैं सच्चाई

कहने पर मजबूर हूं···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए। मैं प्रश्न के बारे में जानना चाहता हूं, सच्चाई नहीं।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, 1957 से आज तक संसद के जिस सदस्य ने भी बाद में यहां से चुनाव लड़ा उसे इसी कारण हार मिली। इसलिए मेरी मुख्य चिंता यही है।

अध्यक्ष महोदय : तो यह आपके संसद सदस्य बने रहने का प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : मुझे आशा है कि आप नहीं चाहते कि इनकी पराजय हो।

श्री ए० के० सेन : मैं त्रिवेंद्रम के प्रतिनिधियों की पराजय पर माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं। जहां तक मुझे मालूम है केवल 8 सरकारों ने वर्तमान पीठ के अलावा अन्य स्थानों पर भी उच्च न्यायालय की पीठ के लिए अनुरोध किया है। वे हैं उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु। अन्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध की मुझे जानकारी नहीं है। किंतु मैं अवश्य ही जांच करूंगा कि क्या कोई अनुरोध किया गया है।

श्री सोमनाथ रथ : महोदय, उत्तर में यह बताया गया है कि बरहामपुर स्थित सर्किट कोर्ट 4 जिलों के लिए काम करेगा किंतु वास्तव में यह उड़ीसा के 13 जिलों में से कोरापुट सहित 5 जिलों के लिए काम करेगा। बरहामपुर पीठ में 5 जिलों का काम होगा और स्थायी सर्किट न होने के कारण इस समय डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, बरहामपुर में सर्किट कोर्ट की सुविधा है। क्या केन्द्र सरकार उड़ीसा सरकार को इस मामले पर विचार करने के लिए और इस समय एक सर्किट कोर्ट बनाने के लिए कहेगी और बाद में बरहामपुर में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना की जायेगी ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, मंत्रालय में यह प्रश्न प्राप्त होने के बाद हमने राज्य सरकार से सम्पर्क किया था। उनका अभी भी यह विचार है कि बरहामपुर में न्यायपीठ की स्थापना के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं इसलिए उन्होंने इसकी सिफारिश नहीं की।

श्री सोमनाथ रथ : क्या इस पर पुनः विचार किया जायेगा ? जैसा कि मैंने कहा है कि चूंकि सरकार की इच्छा आम आदमी तक न्याय पहुंचाने की है। और बरहामपुर के डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में 'कोर्ट रूम' जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो क्या वहां पर एक सर्किट कोर्ट बनाया जाएगा जब तक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना नहीं हो जाती।

श्री ए० के० सेन : मैं माननीय सदस्य को परामर्श देता हूं कि वे इस मामले में आवश्यक अनुरोध करने के लिए उड़ीसा सरकार को राजी करें और उड़ीसा सरकार ऐसे स्थानों का नाम भी बताये जहां पर इसे बनाया जा सकता हो।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : मैं भी अपने साथी श्री चार्ल्स से सहमत हूं कि मंत्री जी की जानकारी सही नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल की विधान

सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है जिसमें उन्होंने भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों से त्रिवेंद्रम में केरल उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया था। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं।

श्री ए० के० सेन : महोदय, जहां तक मुझे मालूम है केवल 1971 में केरल सरकार द्वारा त्रिवेंद्रम में एक खण्डपीठ की स्थापना के लिए अनुरोध किया था। यह अनुरोध सितम्बर 1971 में किया गया था। उनसे 1973 तक सरकार विचार-विमर्श पूरा करने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार ने जून, 1978 में बताया वे इस पर विचार कर रहे हैं। उसके बाद उनसे इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, उत्तर-पूर्वी राज्यों में गोहाटी में प्रधान उच्च न्यायालय है और शेष जगह सर्किट कोर्ट हैं। किंतु क्या सरकार को यह जानकारी है कि वादकारियों को सर्किट कोर्ट के कारण दोगुना खर्च करना पड़ता है क्योंकि याचिका दायर करते समय उन्हें मुख्य न्यायालय में भी वकील को पैसा देना पड़ता है और फिर मामला सर्किट कोर्ट में भेज दिया जाता है और सुना नहीं जाता ? इसलिए क्या सरकार ने सर्किट कोर्ट के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है और उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने सर्किट कोर्ट के बारे में क्या नीति अपनाई है ?

श्री ए० के० सेन : सर्किट कोर्ट बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। किंतु पूर्वी राज्यों के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की मांग स्वयं प्रधान मन्त्री द्वारा मान ली गई है और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये गए हैं। संबंधित राज्य सरकारों को यह निदेश दे दिए गए हैं कि चूंकि प्रत्येक राज्य के लिए न्यायालय बनाए जाने हैं, इसलिए इनमें से प्रत्येक राज्य में स्थायी खण्डपीठ की स्थापना की जाए।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, कुछ द्वीप ऐसे हैं जो अधिक पिछड़े हुए इलाके हैं और जब भारत सरकार पिछड़े इलाकों के विकास के लिए तथा उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए चिंतित है तो क्या माननीय न्याय मंत्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सदस्यीय न्यायपीठ स्थापित करने पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह इससे संबंधित नहीं है। यह बिल्कुल अलग प्रश्न है।

स्वरोजगार योजना के मूल्यांकन सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

*680. **श्री एस० जी० घोलप :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1983-84 की स्व-रोजगार योजना का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) समिति के निष्कर्ष क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार दिलाने की योजना के मूल्यांकन हेतु वर्ष 1983-84 के संदर्भ में भारत सरकार ने कोई समिति नियुक्त नहीं की है। किन्तु योजना के अन्तर्गत दिया गया धन लाभग्राहियों द्वारा क्या वास्तव में उस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया है अथवा नहीं जिसके लिए उन्हें ऋण दिये गये थे, यह पता लगाने के उद्देश्य से जून 1985 में योजना का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि इस मूल्यांकन कार्य का दायित्व राज्य सरकारों को सौंपा जाए और वे अपने राज्य के एक चुने हुए जिले में मूल्यांकन कराने के लिए उत्तरदायी हों। यह भी निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक राज्य के मूल्यांकन दल में उद्योग निदेशालय के एक प्रतिनिधि लघु उद्योग सेवा संस्थान के एक प्रतिनिधि, भारतीय रिजर्व बैंक के एक प्रतिनिधि और जिले के लीड बैंक के एक प्रतिनिधि को सम्मिलित किया जाए। चुने हुए जिले में यह मूल्यांकन 31-3-84 तक स्वीकृत किये गये ऐसे शत-प्रतिशत मामलों के संबंध में किया जाना था जिनके संबंध में ऋण वितरण का कार्य पूरा हो चुका था।

मूल्यांकन हेतु जिलों का चयन विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा किया गया था और उन जिलों के नाम राज्य सरकारों को बता दिये गये थे। सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों के मूल्यांकन दल की रिपोर्ट मिल गई थीं और विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय में उनका संकलन कर लिया गया था। मूल्यांकन से पता चला कि योजना के पहले वर्ष में भी इसका प्रभाव पड़ा था और अधिकांश लाभग्राहियो ने ऋण का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया है जिस उद्देश्य हेतु उन्हें यह ऋण दिये गये थे।

श्री एस० जी० घोलप : महोदय, मुझे अपने प्रश्न के उत्तर में उद्योग विभाग से नोट प्राप्त हुआ है जिसमें यह देखना है कि क्या योजना का लाभ उन समूहों को प्राप्त हो रहा है जिनके लिए यह योजना बनाई गई है और क्या योजना को इसके लक्ष्यों के अनुसार लागू किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि यह केवल ऋण के उपयोग तक ही सीमित नहीं है अपितु इसका संबंध लागू करने से भी है। अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या समाज का अपेक्षाकृत समृद्ध वर्ग इस योजना के लाभों को कठिनाई में तो नहीं डालते हैं।

डी० आई० सी० स्तर पर कार्यदल लाभ-भोगियों का पता लगायेगा। और बैंक उसी के अनुसार ऋणों का वितरण करेगा। और फिर संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों की एक सलाहकार समिति होगी। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस योजना को तदनुसार लागू किया जा रहा है।

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, जहां तक कार्य दल का संबंध है, यह सारे भारतवर्ष में प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहा है और वे लाभ-भोगियों का चयन कर रहे हैं। ऐसे भी मामले हैं जहां समृद्ध लोग भी अपनी ओर से प्रयत्न करके आगे आ रहे हैं और उन्हें भी लाभ प्राप्त हो रहा है।

मूल्यांकन दल ने इस प्रकार की शिकायतों के बारे में भी सिफारिश की। हम यह मामला उठा रहे हैं और सरकार आय सीमाएं निर्धारित करने के संबंध में विचार कर रही है।

जहां तक सलाहकार समिति का संबंध है, हम राज्य सरकार को यह परामर्श देते हैं कि कम से कम महीने में एक बार बैठक बुलाएं।

श्री एस० जी० घोलप : इस योजना के सम्बन्ध में जो मुख्य शिकायत है वह यह है कि बैंक अधिकारियों के स्वविवेक पर बहुत कुछ निर्भर है और इसमें भ्रष्टाचार है। सलाहकार समिति में इस मामले पर चर्चा हुई थी और मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कार्य दल ऐसे मामलों की सिफारिश करे जो बैंक को दिए गए लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक हो। कृतिक बल द्वारा सिफारिश किए गए मामले लक्ष्य से केवल 10% अधिक होंगे ताकि वे अपनी मर्जी से केवल 10% मामलों में ही, निर्णय ले सकें और कम से कम 90% सिफारिशें स्वीकार की जाएं। क्या बैंकों और कृतिक बल को यह आदेश दिए गए हैं ?

श्री एम० अरुणाचलम : हमने सभी बैंकों को आदेश दिए हैं। हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं और हमने शिकायतें बैंकिंग विभाग को भेज दी हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एजूकेटिड-अनएम्पलायड परसंस को तो कर्जा मिलता ही नहीं और इस सम्बन्ध में हमारे पास सैकड़ों शिकायतें आती रहती हैं। यदि हम कुछ केस बैंकों को रिकमैंड करके भेजते भी हैं तो उनमें से एक-दो मामलों में कर्जा किसी को मिल भी जाए तो हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। यहां प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम जिनको कर्जा दे रहे हैं, उसका उपयोग वे ठीक ढंग से कर रहे हैं लेकिन मेरा उनसे कहना है कि उनकी मांग को देखते हुए उन्हें जो धन उपलब्ध कराया जाता है, वह बहुत कम है। क्या उसका कोटा बढ़ाकर और लिबरल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहायता मिल सके, इसके ऊपर सरकार विचार कर रही है और क्या माननीय मंत्री जी बैंकों को इस आशय की इसट्रक्शंस देंगे।

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, राशि का जहां तक संबंध है, सरकार औद्योगिक कार्यों के लिए राशि जुटाने के बारे में विचार कर रही है।

श्री आनन्द गजपति राजू : महोदय, आजकल स्वतः रोजगार योजना को बिना सोचे समझे चलाया जा रहा है और जो धन इसके लिए दिया जाता है। वह भी अपर्याप्त है। मैं मंत्री जी से पूछना

चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में एक प्रयोगात्मक उपाय के तौर पर क्या वह स्व रोजगार योजनाओं के लिए विपणन केन्द्र खोलेंगे ताकि इनकी बिक्री का आश्वासन हो। साथ ही क्या वह आंध्र प्रदेश में प्रयोगात्मक उपाय के तौर पर स्व-रोजगार उपलब्ध करने के लिए कुछ कामों को उप-ठेकों पर देने के लिए विचार करेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार यह योजना की ओर जो अगस्त, 1983 में शुरू की गई थी, आमतौर पर शिक्षित बेरोजगारों का ध्यान आकृष्ट हुआ है और इसके परिणाम भी देखे जा सकते हैं। यदि हमें याद हो कि अभी तक 942 करोड़ और 71 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है और 5,54,000 बेरोजगारों में बांटे गए हैं और 183 करोड़ 53 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी बांटी गई है। और मूल्यांकन रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि जो राशि वास्तव में बांट दी गई उसमें से 71% वास्तव में परियोजना में लगा दिया गया है। अतः माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि यह सोचा समझा नहीं है।

जहां तक विपणन का संबंध है, राज्यों के लघु उद्योग निगम भी इसकी ओर ध्यान दे सकते हैं। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह विस्तार से अपनी योजना के विषय में बतायें, जिससे हम उन से और चर्चा कर सकें इसके लिए मैं उनका आभारी रहूंगा।

[हिन्दी]

सुरेन्द्र नगर जिले में कोयला निकालना

*682. डा० ऐ० के० पटेल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने सुरेन्द्र नगर जिले में कोयला निकालने के लिए गुजरात खनिज विकास निगम को खनन का पट्टा देने के लिए फरवरी, 1980 में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान इस कार्य में कितनी प्रगति हुई ?

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) फरवरी, 1980 में गुजरात की राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया था कि सुरेन्द्र नगर जिले के कुछ गांवों में कोयले के दोहन के लिए गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० को खनन-पट्टे की स्वीकृति दी जाए। अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने यह अनुमति देने का

अनुरोध भी किया कि उपर्युक्त राज्य उपक्रम जो कोयला निकाले उसको लागत जमा लाभ आधार पर बेचने की अनुमति उसे दी जाए। केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति है कि राज्यों में अलग-थलग छोटे-छोटे कोयला भंडारों का राज्य सरकारों के उपक्रमों के जरिए दोहन के लिए, राज्य सरकारों को खनन पट्टा देने पर विचार किया जाए और इस नीति के अनुसार गुजरात सरकार के उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया किन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया है।

डा० ए० के० पटेल : महोदय, गुजरात सरकार द्वारा फरवरी, 1980 को निवेदन किया गया। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस विचाराधीन विषय के संबंध में क्या गुजरात सरकार को उत्तर कब भेजा गया था ?

श्री वसंत साठे : महोदय, हमने 1983 में राज्य सरकार को यह उत्तर दिया है कि उन्हें पालन करना है···सारा अन्तर इस कारण था कि वह कोयले के लिए अपनी ही दर मांगना चाहते थे और चूंकि ऐसे प्रशासनिक मूल्य देश भर में निर्धारित किए जाते हैं इसलिए इन पर सहमति नहीं हो सकती और यदि कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है, तो हम इसकी जांच करेंगे।

डा० ए० के० पटेल : सुरेन्द्रनगर जिले में तथा मेरे जिले मेहसाना में जो मेरा चुनाव-क्षेत्र है और जहां पर्याप्त कोयला उपलब्ध है, कोयला निकालने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री वसन्त साठे : हम यह चाहते हैं कि राज्य सरकार अपने विभाग द्वारा इन कोयला खानों का गवेषण करे और कोयला निकाल ले और इसीलिए हमने कहा है कि वे ऐसा कर सकते हैं। फर्क केवल इतना है कि वह क्या मूल्य लेंगे। यदि वह मूल्य स्वीकार करेंगे जो राष्ट्र में सभी जगह एक जैसा है तो इसमें कोई समस्या नहीं है।

मेहसाना में भी वह ऐसा कर सकते हैं।

श्री हरू भाई मेहता : क्या माननीय मंत्री यह बताएंगे जब जी० एम० डी० सी० अथवा राज्य सरकार को अनुमति नहीं दी जाती है, तो क्या कोल इंडिया लिमिटेड को मेहसाना जिले और सुरेन्द्र नगर जिले में कोयला निकालने के लिए कहा जाएगा ?

श्री वसन्त साठे : कोल इण्डिया केवल तब परियोजना आरम्भ करता है जब कोयला गवेषण की वस्तुत संभावना हो। छोटे और अलग-थलग क्षेत्रों के संबंध में नीति यह है कि यह काम राज्य सरकार द्वारा ही हो जाए और यही हम पश्चिम बंगाल और असम और अन्य भागों में भी करते रहे हैं। कोल इंडिया के लिए बहुत छोटी कोयला खानों के लिए काम करना घाटे का काम होगा।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में स्थिति यह है कि गत दस वर्षों में खनिज भण्डारों के दोहन से राज्य या केन्द्र सरकार को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। यह एक व्यापक चोरी है जिससे चोरी द्वारा कोयला चुरा लिया जा रहा है और इसमें से किसी को भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। क्या राज्य और केन्द्रीय सरकार आपस में मिल बैठकर एक ऐसी योजना नहीं बना सकती कि यह नियमित तथा वैध बन जाए ?

श्री वसन्त साठे : हम चोरियों को वैध कसे कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि राज्य सरकार समान राष्ट्रीय मूल्य स्वीकार करें और इससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा।

औद्योगिक, कृषि और घरेलू क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत

*684. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक, कृषि और घरेलू क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत करने के लिए उपाए किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) ऊर्जा का गहन मात्रा में उपयोग करने वाले उद्योगों में उपयोग की मानीटरिंग करने की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा की खपत के लिए मानदण्ड निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अन्य उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं : विद्युत के अनुपात में सुधार लाने के जिए केपेसिटरों की प्रतिष्ठापना, उन्नत कर्षण प्रणालियों के जरिए कोयले के साधनों के संरक्षण के लिए स्कीमें शुरू करना तथा उद्योगों द्वारा ईंधन तेल के उपयोग के सम्बन्ध में परामर्शी सेवाएं देना ताकि सोपानबद्ध रूप से खपत को कम किया जा सके।

ऊर्जा की दृष्टि से कुशल विद्युत और डीजल पम्पसेटों की प्रतिष्ठापना के सम्बन्ध में किसानों को परामर्श सेवाएं देने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में अकुशल पम्प सेटों को सुधारने का कार्य शुरू किया गया है।

घरेलू क्षेत्र में उन्नत किस्म के धुएं रहित चूल्हों के बारे में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है जो तापीय दृष्टि से अधिक कुशल है, लकड़ी की खपत, धुएं और कठिन परिश्रम में काफी राहत देते हैं।

(ग) सभी क्षेत्रों में ऊर्जा के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में तेजी से जागरूकता लाई जा रही है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे ऊर्जा नुकसान से और ऊर्जा को सुरक्षित करने की आवश्यकता से अवगत है। बहुत सारी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, औद्योगिक क्षेत्र में अकुशल मशीनों और कृषि क्षेत्र में अकुशल पम्पसेटों के कारण नष्ट हो गई

है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या आपने विभिन्न क्षेत्रों में इस ऊर्जा की प्रतिशत हानि के विषय में किसी प्रकार का अध्ययन करवाया है और अन्य विकसित देशों की प्रतिशतता की तुलना में इसकी क्या स्थिति है।

श्री वसंत साठे : प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा की हानि की प्रतिशतता बताना कठिन है। परन्तु, कुल मिलाकर यह एक अनुमान है कि देश में 10 प्रतिशत हानि हुई है और यदि उद्योग में ऊर्जा की बचत के विभिन्न तरीकों को अपनाया जाए विशेषकर जहां बिजली का अधिकतम प्रयोग होता है—जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा कि 80 प्रतिशत—तब तो हम बिजली के पर्याप्त खर्च को बचा सकते हैं। किंतु इसके लिए दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा क्योंकि सभी क्षेत्रों जहां तक कि हमारे अपने राजनैतिक क्षेत्र में भी ऊर्जा की क्षति हो रही है। अत: मूलत: ऊर्जा को बचाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं।

जैसा कि मैंने कहा जहां तक पारेषण हानियों का संबंध है, उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हम एक ऐसा केन्द्रीय कानून भी बना रहे हैं जिसके अन्तर्गत इसे दण्डनीय तथा संज्ञेय अपराध करार दिया जाए क्योंकि पारेषण क्षति वास्तव में विद्युत की चोरी का दूसरा नाम है। इसे अभियोज्य तथा दण्डनीय बनाया जाना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको ऐसा करने में क्या कठिनाई है ?

श्री वसंत साठे : हम इस सत्र में ही एक विधेयक ला रहे हैं।

मैं इसे इस सब में पुर:स्थापित कर रहा हूं···(**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा : पारेषण क्षतियां रोकना मुश्किल है···(**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे : इस पर आप व्यापक रूप से विचार-विमर्श कर सकते हैं। यह एक वृहत् प्रश्न है।···(**व्यवधान**) मैंने इस पर एक पुस्तक लिखी है। सदस्य-गण, यदि इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं कि ऊर्जा को कैसे संरक्षित किया जाये।

एक माननीय सदस्य : कृपया इसे सदन में यह सुझाव देने का कष्ट करें। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया यह कार्य प्रत्येक का नहीं है।

श्री वसंत साठे : बहुत-बहुत धन्यवाद,

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरा विचार है कि मंत्रालय राजनीतिक ऊर्जा के संरक्षण के संबंध में भी जानता है। मैं आशा करता हूं कि वह इस दिशा में कदम उठाएंगे।

मेरा प्रश्न कुछ भिन्न था। विकसित देशों से तुलना करने पर पारेषण तथा घटिया उपस्करों के कारण हमारे देश में ऊर्जा क्षति का प्रतिशत अधिक है अथवा अनुमत क्षति से तुलना करने पर

क्या हमारे देश में अनुमत-क्षति अधिक है ? मेरा प्रश्न इनसे सम्बन्धित था। यह मेरा पहला प्रश्न था जिसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया।

इस ऊर्जा क्षति को दृष्टि में रखते हुए, मैं अपने दूसरे पूरक प्रश्न के माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि आप गैर-परम्परागत ऊर्जा खासकर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं ? इस ऊर्जा के प्रयोग के प्रचार-प्रसार के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री वसन्त साठे : हमारे देश में पारेषण-क्षति अत्यधिक है। जैसा कि मैं अनुदान की मांगों के दौरान कह चुका हूं कि यह दूसरे देशों के अधिकतम 8 से 10 प्रतिशत औसत की तुलना में 21 प्रतिशत है।

आपने प्रश्न पूछे थे कि क्षेत्रवार क्षति कितनी है और क्या इसका अध्ययन किया गया है। अतएव मैं इसका उत्तर दे रहा था।

इसलिए इस कार्य को करने के लिए पारेषण क्षति को बचाना ही उत्तम मार्ग है। वह केवल एक पक्ष है। औद्योगिक इस्तेमाल में, वस्तुतः व्यावहारिक इस्तेमाल में, घटिया उपकरणों और विद्युत के अकुशल प्रबोगों के कारण बहुत अधिक हानि होती है। उदाहरणार्थ, पम्प सेट आदि। मेरा कहना है कि अच्छे पम्प सेटों का प्रयोग करके समग्रतः 10 प्रतिशत विद्युत की बचत की जा सकती है।

जहां तक ऊर्जा गैर-परम्परागत स्रोतों का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, ग्राम्य क्षेत्रों को ऊर्जा सम्पन्न बनाने एवं उन्हें गति प्रदान करने का सर्वोत्तम उपाय है कि ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के प्रयोग से सम्बन्धित समन्वित ऊर्जा संकल्पना का आश्रय लिया जाए और इसीलिए हमने गैर-परम्परागत ऊर्जा साधनों यथा बादोगैस बादोमास, सौर तथा वायु ऊर्जा आदि आदि पर आधारित ऊर्जा ग्राम की संकल्पना प्रदान की है।

श्री पी० कुलनदई वेलू : ऐसा सामान्यतः कहा जाता है कि विद्युत लाइन क्षतियां, विद्युत चोरी के कारण अधिक होती है, ये बढ़ती जा रही है। एक समस्या राजनीतिक शक्ति चोरी भी है। जहां तक विद्युत का संबंध है, शक्ति की चोरियां अधिक होती हैं। यदि हम शक्ति चोरियां और विद्युत लाइन क्षतियां रोकने में समर्थ हो जाते हैं तो हम ग्रामीण किसानों को निःशुल्क विद्युत प्रदान कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी योजना कार्यान्वित की जा सकती है और क्या भारत सरकार इसी अनुरूप कार्य करते हुए विद्युत लाइन क्षतियों एवं शक्ति चोरियों को नियंत्रित करके किसानों को निःशुल्क विद्युत की पूर्ति करेगी।

श्री वसन्त साठे : जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि विद्युत लाइन क्षतियां पारेषण क्षतियों की तरह है। उन्हें नियंत्रित करना है और वे स्थानीय स्तर पर ही नियंत्रित की जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए कदम उठाना मुख्यतः राज्यों का ही कार्य है, क्योंकि उत्पादन एवं वितरण का एक बड़ा हिस्सा राज्य क्षेत्र में हो रहा हैं। इसलिए, जहां तक निःशुल्क बिजली का संबंध है, यदि वे उन मान-

दण्डों को सामने रखते हैं, यह राज्यों को निर्णय करना है कि शक्ति पर बचत करते हुए क्या उन्हें सस्ती या निशुल्क बिजली प्रदान कर सकते हैं। मैं मुफ्त में कोई चीज प्रदान करने के विचार को खासकर पसंद नहीं करता।

श्री पी० कुलनदई वेलू : गरीब किसानों के लिए। कृषि के लिए यह एक बड़ा आदान है।

श्री वसन्त साठे : मनुष्य को मुफ्त में कोई भी चीज प्रदान करना नैतिक रूप से निरुत्साहित करना है।

जहां तक राजनीतिक शक्ति का सवाल है, वहीं भी चोरी की घटनाएं हो रही हैं और इस विषय में आपको अच्छी तरह जानना चाहिए कि क्या उपाय किये जाने चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : शक्ति छीनने में आप उनके सहयोगी हैं।

दवाइयों के विकास के लिए पश्चिमी जर्मनी से जानकारी

*687. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दवाइयों के विकास और इस क्षेत्र में नवीनतम जानकारी प्राप्त करने हेतु पश्चिम जर्मनी से एक समझौता करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) मेरे मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि इस मंत्रालय में पश्चिम जर्मनी के साथ न सही; क्या किसी अन्य विदेशी राष्ट्र के साथ सहयोग का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। इसी तरह मैं यह भी जानना चाहूंगा, यदि इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, क्या आपकी जानकारी में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो स्वास्थ्य मंत्रालय में विचाराधीन है।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : रसायन और पेट्रो-रसायन मंत्रालय में विदेशी सहयोग के लिए दो प्रस्ताव हैं, प्रथम, एम० बी० एण्ड कम्पनी अहमदाबाद नामक एक प्राइवेट कम्पनी ने पश्चिम जर्मनी की मेसर्स वोल्फ वर्कमाइर के साथ कीटाणु रहित शल्यटॉकों के उत्पादन के लिए अनुमति मांगी है; द्वितीय, मेसर्स पेफको फाउन्ड्री एण्ड केमिकल्स लिमिटेड पुणे ने पश्चिम जर्मनी की डायनामाइट नोबेल जो कि इथोक्सी मिथाईलेन मेलोनिक ईस्टर का निर्माण करती है जिसे EMME के नाम से जाना चाहता है के साथ विदेशी सहयोग के लिए प्रस्ताव किया है। दोनों ही मामलों में अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन हमने विदेशी सहयोग करने के लिए अनुमति दे रखी है।

दूसरा मामला जो सरकार के ध्यान में लाया गया है, उद्योग मंत्रालय से संबंध नहीं रखता। पश्चिम जर्मनी में डाक्टरों और वैज्ञानिकों से बनी एक प्राइवेट कम्पनी ए० एम० सी० अयूर मेड़िका की ओर से एक प्रस्ताव है, उसने आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन में सहयोग करने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया गया है कि वे तमिलनाडु, केरल तथा हिमालयी ढलानों में अग्रगामी परियोजनाएं शुरू करना चाहेंगे। इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : माननीय मंत्री जी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि होम्योपैथी बहुत ही लोकप्रिय हो रही है विशेषकर पश्चिम जर्मनी में। क्या सरकार या मंत्रालय पश्चिम जर्मनी के साथ होम्योपैथिक दवाओं के विकास के लिए सहयोग करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : प्रथमत : इसका उत्तर स्वास्थ्य मंत्रालय को देना पड़ेगा। दूसरे, जैसा कि मैंने कहा, सरकार के स्तर से कुछ नहीं हुआ है, यह केवल निजी क्षेत्र से संबंधित है।

श्री सी० पी० ठाकुर : टीके हारमोन्स तथा निदानशास्त्र में प्रयुक्त बहुत सी दवाओं के निर्माण क्षेत्र में जैव-तकनीक आधुनिकतम है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वह भारत में किसी दूसरे राष्ट्र के साथ दवाओं के निर्माण में जैव-तकनीक के इस क्षेत्र में सहयोग करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं ?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं।

त्रिवेन्द्रम में टेलीफोन कनेक्शन

*690. **श्री टी० बशीर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम टेलीफोन जिले में आज की तारीख में कितने टेलीफोन केन्द्र हैं;

(ख) प्रत्येक टेलीफोन केन्द्र में कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं;

(ग) प्रत्येक टेलीफोन केन्द्र में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं;

(घ) प्रत्येक टेलीफोन केन्द्र में उन में से कितने व्यक्ति तीन वर्ष से अधिक समय से टेलीफोन की प्रतीक्षा में हैं; और

(ङ) आगामी वित्तीय वर्ष में कितने टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) त्रिवेन्द्रम टेलीफोन जिले में 31-3-1986 की स्थिति के अनुसार 3 टेलीफोन एक्सचेंज हैं।

(ख) से (घ)

टेलीफोन एक्सचेंज	31-3-86 को चालू कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या	3 वर्ष से अधिक पुराने आवेदक
1. सेंट्रल क्रासबार	7,632	1,271	शून्य
2. कैथामुक्कु-सी-400	8,163	1,513	शून्य
3. श्रीकृयम एम० ए० एक्स-II	1,201	679	300

(ङ) 1986-87 के दौरान एक्सचेंजों में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री टी० बशीर : महोदय, 11 मार्च, 1986 को इस सदन में तारांकित प्रश्न के माध्यम से मुझे पूर्व दिये गये एक उत्तर में मंत्री जी ने कहा था।

सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में निम्न रूप से दूरभाष पद्धति के विस्तार की योजना बनाई गयी है···

उसमें त्रिवेन्द्रम विस्तार योजना 4400 लाइनों की है। यह बड़ी खेदजनक बात है कि वर्तमान उत्तर में 1986-87 के दौरान टेलीफोन केन्द्रों के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यदि यही वस्तु स्थिति है तो वे कैसे इस परियोजना को पूरा करने जा रहे हैं जैसा कि वे पूर्व वक्तव्य में कह चुके हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन, 5000 लाइनों वाले लैथा मुक्कू टेलीफोन-केन्द्र का अभी हाल में 1.3.1986 को जापानी एक्सचेंज द्वारा आयातित दूसरी 5000 लाइनों द्वारा विस्तार किया गया था। इसीलिए मैंने कहा कि हमने अभी इसका विस्तार किया है। इसके अग्रिम विस्तार की कोई शीघ्र आशा नहीं है।

श्री टी० बशीर : 25 मार्च, 1986 को दूसरे अतारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था :

> "टेलीफोन कनेक्शनों की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्विचिंग उपकरण तथा केबिल्स उपलब्ध नहीं है।"

अतः मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इन मांगों को पूरा करने के लिए केरल राज्य को पर्याप्त मात्रा में स्विचिंग उपकरण तथा केबिल्स उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन् 1985-86 के दौरान हमने 983 कनेक्शन दिए और चालू

वर्ष में 1200 कनेक्शन देने के लिए हम पर्याप्त केबिल्स तथा सामग्री प्राप्त करने की कोशिश कर रहे है।

आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को बिजली की सप्लाई

*691. श्री बृजमोहन महन्ती : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली की कमी वाले राज्यों को सरकार द्वारा सप्लाई की जाने वाली बिजली की मात्रा किस आधार पर निर्धारित की जाती है; और

(ख) क्या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों को उनके आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय स्रोतों से बिजली की सप्लाई करने के मामले में कोई प्राथमिकता दी जाती है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) किसी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से राज्यों को विद्युत की सप्लाई सम्बन्धित राज्य प्राधिकारियों के साथ परामर्श करने के बाद हुए मतैक्य के आधार पर की जाती है। तदनुसार क्षेत्र मे समय-समय पर राज्यों की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 15% विद्युत केन्द्र के नियंत्रण में रखी जाती है, 10 से 12% विद्युत उन राज्यों के लिए आबंटित की जाती है जिनमें विद्युत केन्द्र स्थित होते हैं तथा शेष विद्युत क्षेत्र के सभी राज्यों के बीच प्रत्येक राज्य द्वारा की गई ऊर्जा की खपत तथा पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सम्बन्धित राज्यों को दी गई केन्द्रीय योजना सहायता के अनुसार वितरित की जाती है।

श्री बृजमोहन महन्ती : श्रीमान, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि बिजली की कमी वाले राज्यों को सरकार द्वारा सप्लाई की जाने वाली बिजली की मात्रा किस आधार पर निर्धारित की जाती है। लेकिन उत्तर में इस सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं किया गया है। जो दूसरी बात मैंने पूछी थी वह यह है कि क्या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों को केन्द्रीय स्रोतों से बिजली की सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर दी जाती है। इसका भी उत्तर नहीं दिया गया है। मान लो उड़ीसा 500 मैगावाट बिजली की मांग करता है तो क्या केन्द्रीय नियन्त्रित संस्थाओं से बिजली की सप्लाई के लिए, अत्यधिक कमी को ध्यान में रखा जाता है ? क्या एक पिछड़े हुए राज्य के लिये किसी प्राथमिकता का प्रावधान है ? उत्तर में यह कहा गया है कि :

> "किसी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से राज्यों को विद्युत की सप्लाई सम्बन्धित राज्य प्राधिकारियों के साथ परामर्श करने के बाद हुए मतैक्य के आधार पर की जाती है।"

मैं नहीं जानता कि राज्यों के किन प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है और किन सिद्धान्तों तथा आधार पर इसे निर्धारित किया जाता है।

श्री वसन्त साठे : ऊर्जा और बिजली का तथाकथित आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर वितरण नहीं किया जाता है क्योंकि इस तरह से जहां तक ऊर्जा की कमी का सम्बन्ध है लगभग समस्त देश इस श्रेणी में आ जायेगा। केन्द्रीय परियोजना के सम्बन्ध में योजना क्षेत्रीय है। हम समस्त क्षेत्र को लेते हुए विचार करते हैं और राज्यों को उस क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। जो नीति बनायी गयी है वह यह है कि किसी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से राज्यों को विद्युत की सप्लाई सम्बन्धित राज्य प्राधिकारियों के साथ परामर्श करने के बाद हुए मतैक्य के आधार पर की जाती है। विद्युत वितरण का यह सबसे उत्तम तरीका है। तदनुसार क्षेत्र में समय-समय पर राज्यों की अत्यावश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 15 प्रतिशत विद्युत केन्द्र के नियन्त्रण में रखी जाती है। 10 से 12 प्रतिशत विद्युत उन राज्यों को मिलती है जिन में विद्युत केन्द्र स्थित होते हैं तथा शेष विद्युत अर्थात 75% सभी राज्यों में आबंटित कर दी जाती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि 10 से 12 प्रतिशत विद्युत उस राज्य को हक के रूप में मिलती है जहां विद्युत केन्द्र स्थित है। शेष लगभग 75 प्रतिशत विद्युत किसी क्षेत्र में राज्यों में आबंटित कर दी जाती है तथा 15 प्रतिशत विद्युत राज्यों की आकस्मिक आवश्यकता के लिए उनकी जरूरतों के अनुसार केन्द्र के पास रखी जाती है। जहां तक उड़ीसा की जरूरतों का सम्बन्ध है, मैंने स्वयं यह सुनिश्चित करने में रुचि ली है कि उसे आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी विद्युत मिले। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उनके तलचर प्लांट की उपलब्धता में सुधार करने के लिए राज्य सरकार की मदद भी कर रहे हैं तथा तलचर में एक नया सुपर पावर थर्मल स्टेशन स्थापित करने के बारे में भी आगे बढ़ रहे हैं, इससे भी उड़ीसा को सहायता मिलेगी।

श्री बृजमोहन महन्ती : आपके इस कथन का क्या मतलब है कि "तलचर में एक नये सुपर पावर स्टेशन के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है"? क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसको मंजूरी दी जा रही है? अगर इसका यह मतलब है तो मुझे बड़ी खुशी है। अब, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री विद्युत की कमी के संबंध में किये गये विश्लेषण या अध्ययन के बारे में हमें बतायेंगे। सातवीं योजना में उपलब्धि पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या विद्युत की कमी का उत्पादन और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर उड़ीसा में? उड़ीसा में विद्युत की आवश्यकता 800 मैगावाट की है, जबकि हमारे पास सिर्फ 300 मैगावाट विद्युत है। इस प्रकार वहां 500 मैगावाट विद्युत की कमी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसका अर्थ यह है उड़ीसा में सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधियां ठप्प हो जायेंगी और क्या इस बात पर गौर की गयी है?

श्री वसंत साठे : हां, उस बात पर विचार किया गया है। इसीलिए मैंने कहा है कि हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में संस्थापित क्षमता की इस 500 मैगावाट विद्युत के अन्तर को दूर करने के लिए परियोजनाएं तैयार करने की योजना बना रहे हैं। राज्य की मदद करने के लिए हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जहां तक तलचर सुपर पॉवर स्टेशन के बारे में आपके प्रश्न के दूसरे पहलू का सम्बन्ध है, "हां, तलचर सुपर पॉवर थर्मल स्टेशन पर कार्य जारी है"।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष जी, राजस्थान एक बैकवर्ड स्टेट है। राजस्थान को एटामिक एनर्जी के जरिए से आप जो बिजली देते हैं उसकी दोनों यूनिट्स बराबर बन्द पड़ी रहती हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपने जो हमको पावर प्रोजेक्ट दिए हैं वह पांच साल के बाद ही बनकर तैयार होंगे तो इस दर्मियान में आप किस तरह से राजस्थान की बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे ? क्या आप सेन्ट्रल प्रोजेक्ट्स से ज्यादा से ज्यादा बिजली देकर राजस्थान की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे ?

श्री बसन्त साठे : राजस्थान की भी पूरी मदद करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह धीरे से कहने वाली बात कुछ जची नहीं। जोर से कहना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र समस्त भारत में विद्युत की दर के बारे में एक समान नीति अपनायी जायेगी।

श्री बसंत साठे : विद्युत दरों के विषय में हम एक समान नीति नहीं रख सकते क्योंकि विद्युत आबंटन राज्य का विषय है। राज्यों के विद्युत बोर्ड बिजली उत्पादन की लागत के हिसाब से दरों का निर्धारण करते हैं। मेरे विचार में मैंने पहले ही कह दिया है कि ये बोर्ड घाटे में चल रहे हैं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब राज्यों को केन्द्रीय कोटा दिया जायेगा तो क्या केन्द्र एक समान विद्युत की दर लागू करने की नीति अपनायेगा।

श्री बसन्त साठे : यह लागत पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

फरवरी, 1985 में हुए मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

*694. श्रीसी० अंगा रेड्डी
श्री के० कुन्जम्बु } : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1985 में नई दिल्ली में हुए मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान किन-किन सिफारिशों पर कार्यवाही की गई; और

(ग) किन-किन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया और इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर०भारद्वाज) : (क) फरवरी, 1985 में नई दिल्ली में हुए मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन के कार्यवृत्त उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने सरकार को भेज दिए थे, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं :

(i) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन।

(ii) सम्बन्धित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के अनन्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन सतर्कता सेलों की स्थापना।

(iii) मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के लिए अनुभव।

(iv) उच्च न्यायालय की न्यायपीठें।

(v) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—

1. न्यायाधीशों की शासकीय प्रास्थिति और स्थिति।
2. मुख्य न्यायमूर्तियों की वित्तीय शक्तियां।
3. पेंशन और कुटुम्ब पेंशन।
4. यातायात भत्ता, सत्कार भत्ता, दैनिक भत्ता, विद्युत भत्ता और स्थानान्तरण भत्ता।
5. चिकित्सक फीसों और प्राइवेट डाक्टरों पर हुए व्यय के संबंध में चिकित्सीय प्रतिपूर्ति।
6. यात्रा सुविधा।
7. आतिथ्य।
8. सुरक्षा।
9. उनकी कारों पर झण्डा फहराना।
10. छुट्टी को अग्रणीत करना।

(ख) और (ग) मुख्य न्यायमूर्तियों को बाहर से लाने संबंधी नीति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, बनाई गई थी और इसे चरणबद्ध रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें स्थापित करने के बारे में मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचारों को सरकार ने नोट कर लिया है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रश्न विधि आयोग को विस्तृत अध्ययन करने और उनके संबंध में सिफारिश करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। सतर्कता सेलों को स्थापित करना उच्च न्यायालयों का कार्य है और उनसे समुचित कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है। सरकार ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में सुधार लाने के लिए विनिश्चय कर लिया है। इन विनिश्चयों को प्रभावी बनाने के लिए सदन में आवश्यक विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे सदन के पटल पर रख सकते थे।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट की बैंचेज सैटअप करने के रिकमैंडेशन को सरकार ने नोट कर लिया हैं। मैं जानना चाहता हूं, किस-किस हाई कोर्ट के जज या राज्य सरकारों ने इसके बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखकर भेजा है और क्या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गन्टूर और कर्नूल में हाईकोर्ट की बेंच सैट अप करने के लिए आपके पास कोई प्रपोजल भेजी है या नहीं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : श्रीमान जी, पहले क्वैश्चन के आन्सर में बताया जा चुका है कि अभी हमारे पास आंध्र प्रदेश से कोई ऐसी रिक्वैस्ट, नहीं आई है, जिस पर विचार किया जा सके। दूसरे हाईकोर्ट्स के बारे में पहले बताया जा चुका है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष जी, विजिलेंस सेल बनाने के लिए चीफ जस्टिसेस ने सिफारिश की है, इस बात को भी नोट किया गया है। मैं जानना चाहता हूं, विजिलेंस सेल बनाने के लिए राज्य सरकार या राज्य हाईकोर्ट्स को आपने किस तरह से सुझाव दिया है, और किस-किस हाईकोर्ट ने सुझाव का पालन करते हुए, विजिलैंस सेल बनाया है तथा विजिलैंस सेल में अब तक कितने केसेज देखे हैं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : श्रीमन, जैसा मैंने बताया कि विजिलैंस सैल हाई कोर्ट के अन्दर ही बन सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आफ जुडिशियरी हाईकोर्ट के नीचे है। जिन हाईकोर्ट्स में विजिलेंस सेल बन चुके हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं—कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कलकत्ता, इलाहाबाद, उड़ीसा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। पंजाब और हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट जज को मुकर्रिर किया है, जो विजिलैंस का काम देखेंगे। आंध्र प्रदेश में कमेटी आन जुडिशियरी बनी है, जिसको डिसिप्लिनरी कमेटी कहते हैं, जो इस काम को देख रही है। जम्मू और कश्मीर में विजिलैंस कमीशनरी की पोस्ट बनाई है, जो सबोर्डिनेट जुडिशियरी के करप्शन के खिलाफ कंप्लेंट्स जो आती हैं, उनको देखती हैं। दूसरी जगहों पर होना अभी बाकी है। लेकिन इस बारे में यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सरकार न राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार इनके खिलाफ विजिलेंस बैठा

सकते हैं। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सबोर्डिनेट कोर्ट का और सपुरवीजन कान्स्टीचूशन के मुताबिक हाईकोर्ट के नीचे होते हैं। हाईकोर्ट्स इसमें काफी सक्रिय हैं और इसमें काफी स्टैप्स लिए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय की दूसरी खण्ड पीठ स्थापित करवाने के लिए वकीलों तथा उच्च न्यायालय द्वारा काफी अरसे से की जा रही मांग से अवगत है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : सरकारी तौर पर तो ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, किंतु देश भर में दौरे करते रहने के कारण मैं जानता हूं कि प्रत्येक राज्य से ऐसी मांग है। हालांकि, सदन को यह पता होना चाहिए कि इस सम्बन्ध में अलग-अलग दृष्टिकोण हैं।

अलग-अलग क्षेत्र में भिन्न-भिन्न विचार हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि पश्चिमी उत्तरप्रदेश के लोग पश्चिमी जिले किसी स्थान पर एक न्यायपीठ चाहते हैं, किन्तु अगर आप इलाहाबाद की तरफ जायें तो वहां आप वकील समुदाय को हड़ताल पर पर पायेंगे क्योंकि वे पश्चिमी क्षेत्र में न्यायपीठ नहीं चाहते। आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही रवैया है। अगर न्यायाधीश वर्ग और वकील समुदाय सर्वसम्मति से फैसला करते हैं तो यह आसान हो जाता है। अगर हैदराबाद न्यायालय को कहीं और जगह स्थानान्तरित किया जाएगा तो आपको उच्च न्यायालय में प्रेक्टिस कर रहे वकीलों को विश्वास में लेना पड़ेगा। न्यायाधीशों, वकीलों, राजनीतिज्ञों और उस क्षेत्र के संसद-सदस्यों के विचारों में मतभेद होने के कारण, वे न्यायालय का स्थानान्तरण नहीं होने देना चाहते हैं। और नाम भोगी दूसरी तरफ हैं। वे चाहते हैं कि क्षेत्रग (सरकिट) न्यायालय दौरा करे। यह एक उलझी हुई समस्या है। जसवन्त सिंह आयोग कि रिपोर्ट आ गई है। हम भिन्न-भिन्न वकील समुदायों और समितियों से इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। जल्दबाजी में इसका फैसला नहीं किया जा सकता और सम्बन्धित लोगों से परामर्श करके समस्त देश के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्याम लाल यादव : उत्तर प्रदेश का जो यह प्रश्न उठता है, तो उत्तर प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश के वकील और पब्लिक यह चाहती है कि हाईकोर्ट की बैंच वहां पर स्थापित हो और इलाहाबाद हाईकोर्ट और उधर के तमाम वकील और पब्लिक चाहती है कि बैंच पर वहां पर स्थापित हो। इस को लेकर उत्तरप्रदेश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू है, जिसका परिणाम यह है कि हाईकोर्ट हफ्तों से बन्द है और सारे प्रदेश की पब्लिक का अहित हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में महीनों से बराबर हड़ताल चल रही है और जसवन्त सिंह कमीशन की रिपोर्ट लगभग एक वर्ष से आपके सामने पड़ी हुई है और सरकार के मंत्री ने सदन के बाहर बयान दिया है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बैंच स्थापित करने का फैसला कर लिया गया है जैसे श्री राजेश पाइलट का बयान अखबारों में छपा। तो मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट तौर से जानना चाहता हूं कि हाईकोर्ट की बैंच के बारे में क्या सिद्धांत आपने स्वीकार किया है और उन सिद्धांतों को देखते हुए, जनता की राय को देखते हुए,

वकीलों की राय को देखते हुए और जन आंदोलन को देखते हुए क्या कोई निर्णय उत्तर प्रदेश के संबंध में किया है या नहीं किया है। सरकार के मंत्री सदन के बाहर अनावश्यक रूप से बयान देकर जनता में आंदोलन और कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : इस बारे में कोई कन्फ्यूजन की या कोई आंदोलन की गुंजाइश नहीं है। यह जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील स्ट्राइक पर जा रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि किस बात के लिए वे स्ट्राइक पर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे पास सुझाव भेजा है कि वेस्टर्न यू० पी० में बैंच देनी है और उसके लिए जगह लोकेट करके दीजिए। वह जगह लोकेट करने में यह आंदोलन शुरू हुआ है। तो उन्होंने अपना ही काम जो होना था, उसको रोक दिया है। वेस्टर्न यू०पी० के वकील मेरे घर के बाहर धरना दिये बैठे हैं। धरने से काम रुक जाता है अगर आप लोग, यू०पी० के लोग आपस में डिवाइडेड हैं, पालीटिशियन्स और एम०पीज डिवाइडेड हैं और इससे समस्या और कठिन बन जाती है। इलाहाबाद हाइकोर्ट के वकील स्ट्राइक पर हैं। जनता को जो परेशानी है, उसको उन वकीलों को देखना चाहिए। आखिर वकील किसके लिए बने हैं। लोगों की सेवा के लिए वे हैं और खामखाह वे स्ट्राइक पर बैठे हैं। तो आप जैसे महापुरुषों को जाकर उनको समझाना चाहिए कि इस चीज को बन्द किया जाए।

[अनुवाद]

दिल्ली में बिजली संयंत्रों द्वारा होने वाला प्रदूषण

*696. श्री मानिक रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के एककों और बदरपुर ताप-बिजली घर द्वारा फैलाये गए भारी प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हाल ही में अत्यधिक धन राशि खर्च की गई थी, और यदि हां, तो अब तक इसमें कितना सुधार हुआ है, और क्या उसे सन्तोष प्रद पाया गया है; और

(ख) क्या सभी चालू एककों और स्थापित किये जा रहे एककों के लिए अधिकतम प्रदूषण स्तर निर्धारित किये गए हैं और संयुक्त राज्य अमरीका की तुलना में ये मानक कैसे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) राजघाट ताप विद्युत केन्द्रों में 1.26 करोड़ रुपये की लागत से एक नया इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। ताप विद्युत केन्द्रों की नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत इन्द्रप्रस्थ केन्द्र की यूनिट 2,3 व 4 तथा बदरपुर केन्द्र की यूनिट 1, 2 व 3 के इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर की क्षमताओं में क्रमश: 9 करोड़ रुपये और 12.75 करोड़ रुपये की

लागत से वृद्धि की जा रही है। इन उपस्करों के प्रतिष्ठापित हो जाने के बाद उपर्युक्त यूनिटों से होने वाले प्रदूषण में पर्याप्त रूप से कमी आ जाएगी क्योंकि प्रिसिपिटेटरों का डिजाइन कार्यकुशलता के 25.5% से अधिक स्तर पर कार्य करने के लिए बनाया गया है।

(ख) केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण बोर्ड ने प्रदूषण नियन्त्रण के लिए मानक निर्धारित किए है। यूनाइटिड स्टेट के मानक सामान्यतः अधिक कड़े हैं।

[हिन्दी]

श्री मानिक रेड्डी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पोल्यूशन से अब तक कितने लोग इफैक्टेड हुए हैं। मैं उनकी संख्या जानना चाह रहा हूं और इफैक्टेड लोगों को गवर्नमेंट ने क्या कम्पेंसेशन दिया है और दिया है, तो कितना कम्पेंसेशन दिया है।

श्री वसन्त साठे : थर्मल पावर स्टेशन जो दिल्ली में है, उससे कितने लोग इफैक्टेड हुए हैं, ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है, ऐसी कोई कम्पलेंट न तो हैल्थ डिपार्टमेंट से आई है और न इन्डिविजुअल से आई है। इसलिए इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है और हम इसको नहीं बता सकते हैं पर जनरल पोल्यूशन खराब है, यह मैं बता सकता हूं।

श्री मानिक रेड्डी : जनरल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय किये हैं।

श्री वसन्त साठे : जी, हां उसको कंट्रोल करने के लिए उपाय कर रहे हैं और जबर्दस्त उपाय कर रहे हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपीटेटर्स लगाए हैं और उसके लिए एक, दो और तीन जो स्टेजेज हैं, बदरपुर स्टेशन में और इन्द्रप्रस्थ स्टेशन में, उसमें 9 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपये एक-एक में लगाये हैं। और एक दो साल इनको लगाने में लगेंगे। क्योंकि बी०एच० ई० एल० बनायेगा और उसको बनाने में एक-दो साल लगेंगे। जब ये लग जाएंगे तो करीबन 95 परसेंट पोल्यूशन कंट्रोल हो जायेगा।

बस्ती (उत्तर प्रदेश) में मुख्य डाकघर में आग लगने की घटना

*697. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मुख्य डाकघर में दिसम्बर, 1985 में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे और आग में जले माल तथा अभिलेखों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस मामले की जांच कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो जांच कब की जायेगी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) विस्तृत जांच करने से पता चला है कि आग बिजली सार्ट सर्किट से लगी थी। इसमें निम्नलिखित रिकॉर्ड जल गये थे।

81 उप-डाकघर आवर्ती जमा बाइंडर, अंतरण के जरिए प्राप्त उप डाकघर, आवर्ती जमा खातों के रजिस्टर, अंतरण द्वारा अदा किए गए खातों के रजिस्टर, पत्राचार के रजिस्टर, दस्तावेजों की सूची, आवर्ती जमा खातों के तालिका रजिस्टर तथा खाता बंद करने के लिए प्राप्त लगभग 200 आवर्ती जमा पास बुकें।

(ग) इस मामले की पहले ही विस्तृत जांच की जा चुकी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी : श्रीमन् मंत्री जी ने यह बताया कि आग लगने का कारण इलेक्ट्रिक सर्किट में शार्ट होना था। वहां डाकखाना जलता रहा, सुपरिन्टेन्डेंट आफ पोस्ट आफिसिज और पोस्ट मास्टर मौजूद रहे लेकिन फायर ब्रिगेड को कोई इत्तिला नहीं दी गई। क्या मंत्री जी ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही करेंगे जिन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया और आग बुझाने के लिए फायर बिगेड को इत्तिला नहीं दी।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, 8-12-85 जो रविवार था, उस दिन साढ़े आठ बजे रात को जो वहां के चौकीदार थे, उन्होंने कुछ कागज जलने की स्थिति देखी। उनमें से एक जन भागकर पोस्ट मास्टर के घर, जो कि वहां से दो फर्लांग पर रहते थे, गया और उनको बुलाकर लाया। उन्होंने आग पर काबू पाने की बहुत कोशिश की और रिकार्ड को बचाने की जितना बचाया जा सके, उसको बचाने की कोशिश की। उन्होंने यह भी देखा कि स्विच बोर्ड से वहां स्पार्क्स निकल रहे थे। उसी वजह से आग बढ़ी।

श्रीमन् हमने जांच की और एक दो कमियां पाईं। जब आग लग जाये तो उसको किस प्रकार से रोका जाए, इसके लिए वहां पर जो उपकरण थे, उनको समय पर चैक नहीं किया गया। ये एक-दो खामियां हैं। जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध जांच की जा रही है।

श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी : मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में पुन: तथ्य को छिपाने का प्रयत्न किया

है। पोस्ट मास्टर के घर से कम दूरी पर ही, बस्ती में फायर ब्रिगेड है। उसे समय पर क्यों नहीं बुलाया गया ? दूसरे इस तरह की सैंकड़ों शिकायतें हैं जिनमें से एक के बारे में मैं नाम लेना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राममूरत सिंह की पास बुक से पांच हजार रुपये का फर्जी भुगतान करा लिया गया। ऐसी सैंकड़ों-सैंकड़ों शिकायतें हैं, ऐसे सैंकड़ों केसिज हैं जिनको छिपाने के लिए जानबूझ कर आग लगा दी गई। अगर यह बात सही हो तो क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन् जो दस्तावेज जले थे उनको वापस तरतीब से बना लिया गया है। हमें कोई भी जानकारी ऐसी नहीं मिली है जिससे पता लगे कि किसी चीज को छिपाने के लिए आग लगाई गई है। फिर भी माननीय सदस्य ने जैसी शंका व्यक्त की है इस दृष्टिकोण से हम पुनः इस बारे में जांच कराएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री के० डी० सुल्तानपुरी पूछेंगे—वह यहां नहीं हैं। प्रश्न सं० 699—डा० प्रभात कुमार मिश्र भी यहां नहीं हैं। प्रश्न काल अब समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सेल्युलर टेलीफोन में परिष्कृत प्रणाली

*681. डा० टी० कल्पना देवी
डा० जी० विजय रामाराव } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में चल रेडियो टेलीफोन सेवा सफल हो जाने के कारण, अब सेल्यूलर टेलीफोन में अधिक परिष्कृत प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण विभाग तथा प्रत्येक ग्राहक को कितनी लागत वहन करनी पड़ेगी और इसका सम्भावित मासिक किराया कितना होगा; और

(ग) क्या सरकार का भूमिगत केबल प्रणाली समाप्त करने के लिए माइक्रोवेव (सूक्ष्म तरंग) प्रणाली लागू करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क)

बम्बई में सेल्यूलर टेलीफोन चालू करने के लिए एक प्रमुख योजना तैयार की गई है। यह एक प्रायोगिक योजना होगी।

(ख) बम्बई में प्रायोगिक परियोजना पर लगभग 7 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रत्येक उपभोक्ता के बारे में लागत अभी निकाली जानी है।

(ग) दिल्ली टेलीफोन प्रणाली के लिए 12 हॉप्स माइक्रोवेव प्रणालियों की योजना बनाई गई है। एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में जंक्शन सर्किट प्रदान करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंजों के बीच इन्हें स्थापित किया जा रहा है और ये टेलीफोन केबिलों के अतिरिक्त होंगे।

[हिन्दी]

बिहार शरीफ, बिहार में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

*683. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के नालन्दा जिले में बिहार शरीफ में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1986 में अपना कार्य करना प्रारम्भ कर देगा;

(ख) क्या इस केन्द्र के लिए भवन के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है;

(ग) क्या मशीनें लगाने का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो नये भवन में मशीनें लगाने का कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रारम्भ में इस एक्सचेंज को 1985-86 में चालू करने की योजना थी। तथापि, उपस्कर न मिलने के कारण, अब इसे 1986-87 में चालू करने की योजना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपस्कर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) एक्सचेंज का संस्थापन कार्य 1986-87 के दौरान शुरू होने की संभावना है बशर्ते कि सभी साज-सामान प्राप्त हो जाए।

[अनुवाद]

विद्युत के सम्बन्ध में भारत-रूस द्वि-पक्षीय करार

*685. श्री गुरुदास कामत
श्री मुरलीधर माने } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस के साथ विद्युत के क्षेत्र में एक द्वि-पक्षीय करार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस करार का ब्यौरा क्या है और सोवियत रूस द्वारा कितनी सहायता दी जायेगी; और

(ग) क्या इस द्वि-पक्षीय करार के अन्तर्गत महाराष्ट्र में कोई विद्युत उपकरण मरम्मत कर्मशाला स्थापित करने का भी विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) भारत और यू०एस०एस०आर० के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग के बारे में 22 मई, 1985 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस समझौते के अन्तर्गत यू०एस०एस०आर० सरकार भारत सरकार को एक बिलियन रूबल की राशि की सहायता प्रदान करेगी। विद्युत क्षेत्र में सोवियत सहायता से प्रतिष्ठापित किये जाने के लिए कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना का निर्धारण किया गया है।

(ग) सोवियत सहायता से नागपुर में एक भारी विद्युत उपस्कर मरम्मत कार्यशाला स्थापित किए जाने के बारे में सैद्धान्तिक रूप से सहमति हो गई है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई न किए जाने के कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रिगों का आयात

*688. श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इंडिया लिमिटेड को तेल निकालने के लिए रिगों की सप्लाई नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रिगों का आयात करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो कितने रिगों के लिए क्रयादेश दिया गया है, कितने रिग प्राप्त हुए तथा उनकी कीमत कितनी है; और

(ङ) रिगों की सप्लाई में विलम्ब होने के कारण तेल निकालने का कार्य किस सीमा तक कुप्रभावित हुआ ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण इस प्रकार है :—

आशय पत्र/आदेश की तारीख	रिगों की संख्या	संविदा के अनुसार डिलिवरी की तारीख	आरम्भ करना (चलाना)
ओ०एन०जी०सी०			
मई/अक्तूबर 1978	7	मार्च, 1983 से फरवरी, 1984 के दौरान	सितम्बर, 1984 से मार्च, 1985 के दौरान
फरवरी, 1983	8	अक्तूबर, 1984 से मार्च, 1985	अप्रैल, 1985 से सितम्बर, 198[illegible] (3 रिगों को अभी लगाना है)
जुलाई, 1984	10	अगस्त, 1985 से जनवरी, 1987	एक रिग फरवरी, 1986 में लगाया गया। बाकी की अभी सुपुर्दगी की जानी है।
आयल इण्डिया			
फरवरी, 1983	4	जून, 1983 से मार्च, 1985 के बीच	जून, 1984 से अगस्त, 1985 के बीच। एक रिग को अभी चालू किया जाना है।

बी०एच०ई०एल० द्वारा इस देरी का मुख्य कारण उनके अपने सप्लायरों द्वारा देरी से सप्लाई किया जाना बताया है।

(ग) जी, हां।

(घ) 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग नं० 46.30 करोड़ रुपए की लागत पर 13 ड्रिलिंग रिगों के आयात के लिए आदेश दिए हैं। ऑयल इंडिया

लिमिटेड ने आयात के लिए अभी कोई आदेश नहीं दिये हैं।

(ङ) रिगों की सप्लाई में देरी होने के कारण ओ०एन०जी०सी०/ओ०आई०एल० के ड्रिलिंग मीटरेज के कार्यक्रम में कमी हुई है।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का समापन

*689. श्री मूल चन्द डागा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड का समापन करने के बारे में अगस्त, 1985 में कोई निर्णय लिया गया था, क्योंकि इसका संचयी घाटा 93 करोड़ रुपये का हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) उक्त प्रोजेक्ट कब से घाटे में चल रहा है और इसे लाभ की स्थिति में लाने के लिये उठाये गये कदम अधिक प्रभावी क्यों नहीं हो पाये हैं;

(घ) इस प्रोजेक्ट के रुग्ण होने के पश्चात इसको कितना घाटा हुआ है; और

(ङ) इस समय उक्त प्रोजेक्ट का मासिक व्यय कितना है और इसको बन्द करने की बातचीत चलने के पश्चात इसके कर्मचारियों की सेवाओं का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ई०पी०आई० में लगातार घाटा हो रहा है, कम्पनी के पुनर्गठन के लिए कुछ प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। पुनर्गठन के पहलुओं और कठिनाइयों का अध्ययन किया जा रहा है। कम्पनी 1972-73 से 1977-78 तक लाभ अर्जित कर रही थी। 1978-79 से इसमें घाटा हो रहा है। 31-3-1985 तक कुल घाटा लगभग 108 करोड रुपये का है। कम्पनी घाटे को कम करने के लिए और अधिक कार्यादेश प्राप्त करने के उपाय कर रही है।

(ङ) वेतन तथा अन्य प्रबन्ध खर्चों के रूप में मासिक व्यय लगभग 47 लाख रुपये है। ई०पी०आई० के कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं पर किया जा रहा है।

केरल में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

*692. डा० के० जी० अदियोडी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में आंशिक रूप से चालू निर्माणाधीन जल-विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है, उनकी वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है और उनके पूरा होने पर उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी और उनको पूर्ण करने के लिये क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : इस समय केरल में निर्माणाधीन दो जल-विद्युत परियोजनाएं आंशिक रूप से चालू कर दी गई हैं। इडुक्की चरण-दो परियोजना में कुल 260 मेगावाट क्षमता की दो यूनिटें चालू कर दी गई हैं। 130 मेगावाट की तीसरी यूनिट को अक्तूबर, 1986 में चालू करने की संभावना है, जिससे इस चरण की प्रतिष्ठापित क्षमता बढ़कर 390 मेगावाट हो जाएगी।

इदमलयार परियोजना में 37.5 मेगावाट की पहली यूनिट रोटेट कर दी गई है। दूसरी यूनिट को सितम्बर, 1986 में चालू करने की आशा है, जिससे परियोजना की प्रतिष्ठापित क्षमता बढ़कर 75 मेगावाट हो जाएगी।

सेमी-सिन्थेटिक (अर्ध संश्लिष्ट) पैनिसिलिन एन्टिबायोटिक के मूल्यों में वृद्धि

*693. **श्री बलराम सिंह यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने सभी प्रकार के सेमी-सिन्थेटिक (अर्ध-संश्लिष्ट) पैनिसिलिन एन्टीबायोटिक के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक औषधि का मूल्य पहले क्या था और अब संशोधित मूल्य क्या है; और

(ग) प्रत्येक औषधि के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एम्पीसीलिन ट्राइहाइड्रेट, एम्पीसीलिन एनीहाइड्रस तथा एमोक्सीलिन ट्राइहाइड्रेट जिनका देशी रूप से उत्पादन किया जाता है, के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अंतर्गत हाल ही में संशोधित किए गये हैं।

(ख) और (ग) पूर्व मूल्य, संशोधित मूल्य तथा प्रतिशत वृद्धि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	प्रयुंज औषध का नाम	पूर्व मूल्य (रु०/कि० ग्राम)	संशोधित मूल्य (रु०/कि० ग्राम)	प्रतिशत वृद्धि
1.	एम्पीसिलिन ट्राइहाइड्रेट	1677.00	1859.00	10.85 प्रतिशत
2.	एम्पीसिलिन एनहाइड्रस	2107.00	2368.00	12.39 प्रतिशत
3.	अमोक्सीसिलिन ट्राइहाइड्रेट	2229.00	2495.00	11.93 प्रतिशत

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा आवंटितियों को आवंटन-पत्र भेजने में विलम्ब

*698. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारुति उद्योग लिमिटेड ने "फ्लैट रूफ वेन" के आवंटन की प्रतीक्षा सूची में से 1 मार्च, 1986 को क्रम संख्या 7000 तक बैनों का आवंटन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो आवेदकों को अब तक आवंटन पत्र न भेजे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। दिल्ली में 1983 की बुकिंग पर 7000 ग्राहकों को डिलीवरी दी जा चुकी है।

(ख) कम्पनी ने बताया है कि सभी ग्राहकों को उनकी आवंटन संख्या के बारे में अलग से सूचित किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा बल्क औषधियों के उत्पादन के लिये ड्रग इन्टरमीजिएट्स का आयात

699. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या उद्योग मंत्री पांच रुग्ण एककों को पुनः चालू करने के बारे में 4 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1228 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन बल्क औषधियों के निर्माण के लिये जिनका इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा मूल स्तर से उत्पादन किया जा रहा है, ड्रग्स इंटरमीजिएट्स का मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति दी जाती है;

(ख) क्या अनेक गैर-सरकारी कम्पनियां पैनल्टीमैट्स और इन्टरमीजियेट्स का आयात कर रही है; और

(ग) उन गैर-सरकारी कम्पनियों के नाम क्या हैं जो पैनल्टीमैट्स/इंटरमीजिएट्स का आयात कर रही है तथा उन बल्क औषधियों के नाम क्या हैं जिनके लिये इनमें से प्रत्येक का इस्तेमाल किया जाता है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। आयात नीति के प्रावधानों के अनुसार औषध मध्यवर्तियों का आयात अनुमेय किया जाता है। उत्पाद की मांग की

तुलना में उसके स्वदेशी उत्पादन और अन्य संबद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सीमित और प्रति बंधित मदों के लिए प्रतिपूरक लाइसेंस दिये जाते हैं।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा कम्पनीवार आयातों की निगरानी नहीं की जाती।

[अनुवाद]

आयातित टेलीफोन उपकरणों का अनुरक्षण तथा मरम्मत

6509. **श्री श्रीहरि राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग अतिरिक्त सुविधाओं वाले आयातित-टेलीफोन उपकरणों के रख-रखाव तथा मरम्मत का काम करता है;

(ख) यदि नहीं, तो एक बार लिये जाने वाले प्रारम्भिक जांच शुल्क के अतिरिक्त वार्षिक लाइसेंस शुल्क लेने का क्या औचित्य है;

(ग) इनमें से प्रत्येक टेलीफोन की तुलनात्मक लागत तथा वार्षिक लाइसेंस शुल्क कितना है; और

(घ) क्या सरकार का विचार वीडियो कैसेट रिकार्डर पर लाइसेंस शुल्क समाप्त करने का है क्योंकि विभाग उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गये उपकरणों के रख-रखाव तथा मरम्मत का काम नहीं करता ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दूर-संचार विभाग अतिरिक्त सुविधाओं से युक्त आयातित टेलीफोनों की मरम्मत करने का काम नहीं करता है।

(ख) और (ग) उपभोक्ताओं के टेलीफोन पर अतिरिक्त उपकरणों के रूप में पुश बटन और डायल किस्म के टेलीफोनों के इस्तेमाल के लिए कोई लाइसेंस शुल्क या परीक्षण शुल्क वसूल नहीं किया जाता है। वे टेलीफोन उपकरण उपभोक्ताओं के अपने होते हैं। इसे देखते हुए टेलीफोन उपकरण की कीमत बताना संभव नहीं है।

(घ) इस समय कोई लाइसेंस शुल्क वसूल नहीं किया जाता है।

पुन: प्रयोग में लाए जा सकने वाले और पुन: प्रयोग में न लाए जा सकने वाले ऊर्जा स्रोत

6510. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रत्येक भारतीय के लिए न्यूनतम आवश्यकता के रूप में प्रति दिन कम से कम 620 किलो कैलोरी निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इतनी ऊर्जा उपलब्ध है;

(ग) इस समय पुन: प्रयोग में लाए जा सकने वाले और पुन: प्रयोग में न लाये जा सकने वाले ऊर्जा स्रोतों से कितनी प्रतिशत ऊर्जा उपलब्ध होती है; और

(घ) क्या भाग (क), (ख) और (ग) की स्थिति में कमजोर वर्गों के लिए तथा पुन: प्रयोग न किये जा सकने वाले ऊर्जा स्रोतों के सम्बन्ध में सुधार होने की संभावना है और इस सम्बन्ध में योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनके लिए क्या समय निर्धारित किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने घरेलू क्षेत्र के लिए प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 680 किलो कैलोरीज उपयोगी उष्मा की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों की उपलब्धता की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने बताया है कि घरेलू खपत के लिए औसत भारतीय द्वारा उपयोग की जाने वाली वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशतता क्रमश: 22.5% और 77.5% है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों सहित, जहां अधिकांश कमजोर वर्गों के लोग रहते हैं, देश में ऊर्जा की उपलब्धता में सुधार लाने के लिये अनेक उपाय किये जा रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :—

1. आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के गांवों और हरिजन बस्तियों सहित गांवों को विद्युतीकृत करने के लिये एक त्वरित कार्यक्रम।

2. विद्युत तथा डीजल पम्पसेटों के ऊर्जन का एक त्वरित कार्यक्रम।

3. वनरोपण कार्यक्रमों के जरिए जलाऊ लकड़ी की सप्लाई में वृद्धि।

4. तापीय दृष्टि से कुशल और धुंए रहित चूल्हे तैयार करना।

5. गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने का वृहत कार्यक्रम।

6. सौर, वायु और गोबर गैस पर आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देकर ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि।

राजस्थान के झालावाड़ और कोटा जिलों में दोषपूर्ण दूर-संचार व्यवस्था

6511. **श्री जुझार सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें झालावाड और कोटा जिलों में झालावाड़, झालरापाटन, भवानीमण्डी, मनोहरथाना, रामगंज मण्डी आदि जैसे स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण में अकुशलता के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो कार्यकरण दक्षता को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या पुराने तथा अप्रचलित एक्सचेंज उपकरणों के कारण कम दूरी की कॉल भी नहीं मिल पाती है; और

(घ) यदि हां, तो जिन स्थानों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं सरकार वहां कैसे और कब तक नये उपकरण स्थापित करेगी ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) इन शिकायतों की जांच की गई है और इन एक्सचेंजों के कार्य में सुधार लाने के लिए उपचारी कार्रवाई की गई।

(ग) कोटा और झालवाड़ा जिलों में स्थित एक्सचेंजों की ट्रंक कार्यकुशलता उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए आमतौर पर संतोषजनक रही है। क्योंकि इस समय ये एक्सचेंज मुख्य रूप से ऊपरी खुली तार लाइनों पर कार्य कर रही कैरियर प्रणाली से जुड़े हैं। इन लाइनों पर मौसम का प्रभाव पड़ता है और दोष आना स्वभाविक है।

(घ) इन ऑपन वायर ट्रंक लाइनों के बदले यू० एच० एफ० (अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी सिस्टम) स्थापित करके उत्तरोत्तर विश्वसनीय एवं उच्च क्षमता का संचार माध्यम प्रदान करने की योजना तैयार की गई है।

[हिन्दी]

प्रयोग के लिए उपयुक्त प्राकृतिक गैस बनाने के लिए रसायनों के उत्पादन में लगे रसायन एकक

6512. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां प्राकृतिक गैसों/रसायनों आदि के मिलने की संभावना का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) राजस्थान में प्रयोग में लाये जाने योग्य प्राकृतिक गैस बनाने के लिए अपेक्षित रसायनों के उत्पादन में लगे रसायन एककों की संख्या कितनी है और उनके विस्तार की कितनी गुंजाइश है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में तेल की खोज के लिए भौकम्पिक सर्वेक्षण किए हैं। भौकम्पिक सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों की छानबीन की जा रही है और तेल तथा गैस की संभावनाओं के लिये उनकी व्याख्या की जा रही है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने जैसलमेर क्षेत्र में 8 विभिन्न ढांचों पर 19 कुएं भी खोदे हैं, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

संरचना	खोदे गये कुयें
मन्हेरा टिब्बा	8
शुमारवाली तलाई	2
भाखड़ी टिब्बा	2
खारोतर	2
बिखरान नई	1
भुवाना	1
घोटारु	1
साडेवाला	2
	19

इनमें से, मन्हेरा टिब्बा में खोदे गये चार कुंओं पर घोटारु में खोदे गये एक कुएं में गैस मिलने के प्रमाण मिले हैं।

(ख) राजस्थान राज्य में ऐसा कोई पैट्रो-रसायन एकक स्थापित नहीं किया गया है जिसे प्राकृतिक गैस की कच्चे माल के रूप में जरूरत हो। किन्तु, एक उर्वरक काम्पलेक्स के लिए राजस्थान के एवीजे पाइपलाइन में आ रहीं कुछ प्राकृतिक गैस को सवाई माधोपुर की ओर दिशांतरित कर दिए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कलकत्ता में सरकारी क्षेत्र की औषध कम्पनी में कथित अनियमिततायें

6513. प्रो० मधु दण्डवते : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के कलकत्ता स्थित एक औषध उपक्रम के कर्मचारी संघ से गंभीर अनियमितताओं और कदाचारों की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या संघ के प्रतिनिधि उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री से मिले थे और उन्होंने उनसे कार्यवाही करने का निवेदन किया था;

(घ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या उक्त कम्पनी को, जिसे वर्ष 1984-85 में थोड़ा लाभ हुआ था, वर्ष 1985-86 के दौरान अब तक भारी हानि हुई है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि कोई उपचारात्मक कार्यवाही की गई है तो क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि० (एस० एस० पी० एल०), कलकत्ता के कामगार संघों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन्हें आवश्यकता अनुसार उचित कार्यवाही हेतु प्रबंध को भेज दिया गया था क्योंकि ये मामले कम्पनी के दैनिक कार्यकरण से संबंधित थे।

(ग) जी हां।

(घ) से (च) कम्पनी के निष्पादन को जिसने 1984-85 में थोड़ा लाभ कमाया था, 1985-86 के दौरान हानि हुई जिसका मुख्य कारण उनके निवेश लागतों में भारी वृद्धि तथा राज्य सरकारों की तरफ काफी बकाया होने के परिणामस्वरूप उनकी कार्यकारी पूंजी का अवरुद्ध होना था।

अवरोधों तथा अवसरों को निर्दिष्ट करने तथा निष्पादन में सुधार लाने के उपायों सहित पुनर्वास एवं पुनरोद्धार के लिए सुदृढ़ योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए कम्पनी द्वारा दिसम्बर, 1985 में इन हाउस कार्यदल गठित किये गये थे। इसके कार्यकरण को प्रेषित करने के लिए कम्पनी द्वारा कार्य-दलों के साथ दो परामर्शदाता अंशकालीन आधार पर संबद्ध किये गये। कार्यदलों ने अभी अपना अध्ययन पूर्ण नहीं किया है।

डाक विभाग द्वारा टेलीफोन सेवाओं के लिए महानगरीय टेलीफोन निगम द्वारा शुल्क दिया जाना

6514. श्री के० प्रधानी
श्री शरद दिघे } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूर-संचार विभाग में से नए महानगरीय टेलीफोन निगम के बनने से पूर्व भी डाक विभाग ने यह नोटिस जारी किया था कि टेलीफोन निगम कोई मुफ्त सेवा प्राप्त नहीं कर सकता जैसाकि पहले दूर-संचार विभाग को प्राप्त होती थी और इसे सेवाएं प्राप्त करने के लिए भुगतान करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इस भेद-भाव को किस प्रकार दूर किया जाएगा; और

(ग) डाक और दूर-संचार सेवाओं के अलग होने का विशेषकर देश के विभिन्न भागों में स्थित सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जहां डाक और तार का संयुक्त कार्यालय है, कार्यक्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।

(ग) दोनों विभागों के अलग हो जाने से देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में संयुक्त डाकतार घरों के कुशल कार्यकरण पर किसी प्रकार की दिक्कत आने की संभावना नहीं है।

मशीनों और संयंत्रों के निर्माताओं की सूची

6516. श्री अनादि चरण दास : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या मशीनरी तथा संयंत्रों के निर्माताओं के नाम दर्शाने वाली एक पूरी सूची उपलब्ध है और/अथवा लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा (परियोजना प्रोफाइलों के अतिरिक्त) प्रकाशित की जाती है, जो प्रत्याशित लघु उद्यमियों के लिए उपयोगी हो सकती है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में कई लघु उद्योगों द्वारा ऐसी मशीनों और संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है जो प्रत्याशित लघु उद्यमियों के लिए उपयोगी हैं और कई उत्पादों का निर्माण करने में काम आती हैं; और

(ग) उक्त नामों को उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित सूची और प्रोफाइलों में शामिल करने के लिए क्या प्रयास किये गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा प्रकाशित प्रोजेक्ट प्रोफाइल में, जैसाकि इस कार्यालय में उपलब्ध थे, मशीनों के कुछ बड़े तथा छोटे निर्माताओं और आपूर्तिकारों के नाम व पते, केवल उद्यमियों के मार्गदर्शन हेतु दिए गये हैं।

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, केरल में आयातित लुगदी का गलत भंडारण

6517. श्री सुरेश कुरूप : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, केरल में गलत भण्डारण सुविधाओं के कारण लाखों रुपये की आयातित लुगदी का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण अब तक अनुमानत: कितने मूल्य की लुगदी का नुकसान हुआ है; और

(ग) आयातित लुगदी के लिए पर्याप्त भण्डारण सुविधाएं उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नवम्बर, 1981 से दिसम्बर, 1984 तक की अवधि के दौरान, बड़ी मात्रा में लुगदी का आयात किया गया था। लुगदी का भंडारण कोचीन पत्तन क्षेत्र में किराये पर लिए गए गोदामों में किया गया और उसका बीमा कराया गया था। मिल के स्थान पर लुगदी का लाना-लेजाना उत्पादन की आवश्यकता के अनुरूप था। यांत्रिकी लुगदी का आयात वास्तव में दिसम्बर, 1984 से उस समय बन्द कर दिया गया था जब रसायन-यांत्रिकी लुगदी संयंत्र सुदृढ़ हो गया था और केवल थोड़ी ही मात्रा में आयातित लुगदी को उत्पादन स्तर को बनाए रखने को सुनिश्चित करने के हेतु आपात स्थिति के लिए रखा जा रहा है।

मिट्टी तेल के एजेंट/वितरक

6518. श्री जी० एस० मिश्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा नियुक्त किये गये मिट्टी तेल के एजेंटों/वितरकों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक को मिट्टी के तेल का कितना वार्षिक कोटा तय किया गया

है तथा कितना मिट्टी का तेल सप्लाई किया गया है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान मिट्टी के तेल के कुछ एजेंटों को पेट्रोल तथा डीजल तेल का कोटा भी आबंटित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि जिनके लिए ऐसी एजेंसियों के आबंटन हेतु ऐसे मानदंड निर्धारित हैं, श्रेणियों में हकदार अन्य उम्मीदवारों की उपेक्षा कर एक ही व्यक्ति को मिट्टी के तेल, डीजल तथा पेट्रोल का कोटा आबंटित करने के क्या कारण हैं ? और

(ङ) क्या सरकार का विचार मिट्टी के तेल और डीजल/पेट्रोल के लिए अलग-अलग एजेन्ट नियुक्त करने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जबकि तेल विपणन कम्पनियों द्वारा 1984-85 और 1985-86 के दौरान नियुक्त किए गए एस०के०ओ०/एल०डी०ओ० वितरकों की संख्या क्रमश: 135 और 139 थी। डीलरों को एस० के० ओ० के निर्धारित आबंटन और इसकी सप्लाई के सम्बन्ध में सूचना का संकलन करने में निहित प्रयास प्रयोजन के अनुरूप नहीं होंगे अर्थात सूचना के संकलन में प्रयास अधिक करने पड़ेंगे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) मौजूदा नीति के अनुसार एस० के० ओ०-एल० डी० ओ० की डीलरशिपों के लिए और मोटर स्पिरिट और एच० एस० डी० के फुटकर बिक्री केन्द्रों के लिए अलग-अलग डीलरों की नियुक्ति की जाती है।

आंध्र में कम्प्यूटरीकृत टेलीफोन एक्सचेंज

6519. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में और आन्ध्र प्रदेश में कम्प्यूटरीकृत टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुड्डप्पा मदनापल्ली और राजमपेट में इलैक्ट्रानिक/कम्प्यूटरीकृत टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारत में इस समय 52 (बावन) कम्प्यूटरीकृत (इलेक्ट्रानिक) स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। इनमें से दो एक्सचेंज आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किए गए हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सभी औषधियों के जिनसीय नामों का प्रयोग

6520. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई नीति (राष्ट्रीय औषध नीति) में नीतिपूरक विपणन के सिद्धांतों की व्यवस्था किये जाने की संभावना है जिसमें ब्रांड नाम समाप्त करके सभी औषधियों के जिनसीय नाम शुरू करने हैं ताकि भ्रम में डालने की वर्तमान स्थिति पर नियंत्रण किया जा सके;

(ख) क्या नई औषध नीति में चिकित्सा कार्मिकों और उपभोक्ताओं के लिए सूचना प्रणाली सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) नई औषध नीति को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

न्यायालयों में राजभाषा का प्रयोग

6521. श्री आर० एम० भोये : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की संख्या और नाम जिनमें विधि की शिक्षा राजभाषा के माध्यम से दी जाती है और न्यायाधीश भी अपने निर्णय राजभाषा में देते हैं;

(ख) क्या सरकार और अधिक न्यायालयों में राजभाषा के प्रयोग, प्रोन्नति और प्रचार को बढ़ावा दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के प्रयत्नों और इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) चार राज्य ऐसे हैं जिनमें विश्वविद्यालयों में विधि के प्रथम डिग्री स्तर पर शिक्षण का माध्यम, अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी भी है और वहां के उच्च न्यायालयों को भी, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी में कार्यवाही

करने तथा निर्णय देने का प्राधिकार दिया गया है। ये राज्य निम्नलिखित हैं :—

(1) बिहार;

(2) मध्य प्रदेश;

(3) राजस्थान; और

(4) उत्तर प्रदेश।

(ख) और (ग) जी हां। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 343 में उपबंधित है, संघ की राजभाषा हिन्दी है। राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर बल दिया गया है और विधि और न्याय मंत्रालय, राजभाषा से संबंधित संविधान के भाग 17, राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों और इस बाबत राजभाषा विभाग द्वारा, समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों, के अनुसार कार्रवाई करने का पूरा प्रयत्न करता है।

संविधान के अनुच्छेद 348 (2) और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन, उच्च न्यायालयों द्वारा हिन्दी या राज्य की राजभाषा के प्रयोग के लिए, संबंधित राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व संहमति से, प्राधिकार दे सकता है। इस प्रकार ऐसे राज्य के उच्च न्यायालय में हिन्दी या राज्य की राजभाषा के प्रयोग के लिए पहल करने का कार्य सम्बद्ध राज्य सरकार का है।

बढ़िया किस्म के कोयले के उत्पादन में गिरावट

6522. श्री मोहन भाई पटेल
श्री चिन्तामणि जेना
श्री अनादि चरण दास } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बढ़िया किस्म के कोयले का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या बढ़िया किस्म के कोयले के उत्पादन में विशेषकर उड़ीसा में वर्ष प्रति वर्ष गिरावट आ रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में बढ़िया किस्म के कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने और उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 (दिसम्बर, 1985 तक) के दौरान अच्छे ग्रेड के कोयले का उत्पादन निम्नलिखित रहा :—

(आंकड़े लाख टनों में)

1983-84	1984-85	1985-86 (दिसम्बर, 1985 तक)
961.22	994.16	687.98

जहां तक उड़ीसा के तालचेर क्षेत्र में उत्पादन का प्रश्न है, जगन्नाथ कोलियरी को छोड़कर अन्य सभी कोलियरियों में अच्छे ग्रेड के कोयले का उत्पादन हो रहा है। अच्छे ग्रेड के कोयले का उत्पादन करने वाली अन्य कोलियरियों में उत्पादन संतोषजनक है किन्तु तालचेर कोलियरी की तालचेर सीम नं० I में उत्पादन घट रहा है। देश में अच्छे ग्रेड के कोयले के भंडार सीमित हैं और पुरानी खानें दिन-प्रति-दिन खाली हो रही हैं। जहां कहीं भी साध्य है वहां अच्छे ग्रेड के कोयले के उत्पादन के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन और पूंजी निवेश का मूल्यांकन

6523. **श्री एन० डेनिस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये उत्पादन के बारे में रुपयों में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन पहले पांच सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं जिन्होंने उत्पादन में वृद्धि की है और उन पांच एककों के नाम क्या हैं जिन्होंने सबसे कम उत्पादन किया है; और

(ग) इन औद्योगिक एककों में पूंजी निवेश के लिए लाभ दर क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वित्त वर्ष 1983-84 और 1984-85 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जो पहले औद्योगिक विकास विभाग के अधीन थे का कुछ उत्पादन क्रमश: 544.53 करोड़ रुपये और 586.42 रुपये मूल्य का था।

(ख) सरकारी क्षेत्र के पांच एककों जिन्होंने 1981-82 की तुलना में 1984-85 में उत्पादन में अधिकतम वृद्धि की है निम्नलिखित हैं :—

1. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
2. सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया
3. एण्ड्यू यूल एण्ड कम्पनी
4. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
5. भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड

सरकारी क्षेत्र के पांच उपक्रम जिन्होंने पिछले सभी तीन वित्त वर्षों में लक्ष्यों की तुलना में

उत्पादन में गिरावट दिखाई है नीचे दिए जाते हैं :—

1. भारत आप्थैलिमक ग्लास लिमिटेड;

2. टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड;

3. नेशनल बाईसिकिल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड;

4. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड; और

5. साइकिल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड;

(ग) सरकारी क्षेत्र के लाभ कमाने वाले निर्माणकारी उपक्रमों जो पहले औद्योगिक विकास विभाग के अधीन थे में वित्त वर्ष 1984-85 में लगाई गई पूंजी पर लाभ की दर 4 प्रतिशत से 18.5 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न थी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का यांत्रिकीकरण

6524. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 और 1985 के बीच ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० के यांत्रिकीकरण पर कितनी धनराशि खर्च की गई और तत्सम्बन्धी वर्षवार अलग-अलग ब्योरा क्या है ?

(ख) उक्त अवधि के ही दौरान खरीदी गई प्रत्येक प्रमुख मशीन की क्षमता का वर्षवार अलग-अलग कितना उपयोग किया गया;

(ग) उक्त अवधि के ही दौरान यांत्रिकीकृत खानों से कोयले के उत्पादन की वर्षवार अलग-अलग, लागत कितनी थी;

(घ) क्या अधिकांश मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं और उत्पादन लागत बढ़ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो यांत्रिकीकरण से लागत में वृद्धि होने का क्या औचित्य है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

6525. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में विशेषकर

पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोलियम उत्पाद अत्यधिक ऊंचे मूल्य पर बेचे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने लोगों को पेट्रोलियम उत्पाद उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराकर लोगों की आवश्यकता पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त संघ राज्य क्षेत्र का लोक निर्माण विभाग लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से कहीं अधिक मूल्यों पर पेट्रोलियम उत्पाद देता है; और

(घ) यदि हां, तो अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह की प्रत्येक तहसील में पेट्रोल किस मूल्य पर बेचा जाता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आपटिकल फाइबर का आयात

6526. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ट्रांसमिशन प्रौद्योगिक में आधुनिकतम उपकरण, आपटिकल फाइबर अथवा फाइबर आपटिक का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इनका कितनी संख्या में आयात किया जायेगा और कहां से किया जायेगा;

(ग) क्या भारत में विदेशी प्रौद्योगिकी की सहायता से उक्त फाइबर विकसित करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और

(घ) कलकत्ता टेलीफोन्स की कार्य प्रणाली में शीघ्र सुधार करने के लिए और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) आप्टिकल फाइबर केबिल उपस्कर की देशवार आर्डर दी गई मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र० सं०	देश का नाम	उपस्कर की एफ० ओ० बी० लागत
1	2	3
1.	जापान	जे० येन 126,762221
2.	डेनमार्क	डी क्राउन 11,83,044

1	2	3
3.	फ्रांस	एफ० फ्रैंक 75,9573
4.	जर्मनी जनवादी गणराज्य	डी० एम० 276468
5.	हालैंड	एच० एफ० एल० 646007
6.	ब्रिटेन	पौंड स्टर्लिंग 71,296

(ग) टैक्नालाजी का आयात करके भारत में आप्टिकल फाइबर का निर्माण करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए गए हैं। मैसर्स मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम और मैसर्स हिन्दुस्तान केबिल दो प्रमुख एजेंसियां हैं जो टैक्नालाजी का अन्तरण करके इन आप्टिकल फाइबर केबिलों का विनिर्माण करेंगे। टैक्नालाजी का अन्तरण करने सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तिम रूप दिये जाने की अग्रिम अवस्था में हैं और आशा है कि प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिये जाने की तारीख से लगभग 18 से 24 महीनों में फाइबर केबिलों का विनिर्माण कर लिया जायेगा।

(घ) कलकत्ता टेलीफोन्स के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :--

फोन्स में कार्य अवधि समाप्त उपस्करों को बदलना तथा इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज चालू करना।

भूमिगत केबिलों को डक्टों में बिछाना ताकि केबिलों को बार-बार क्षति न पहुंचने पाए।

मुख्य केबिलों का दाबीकरण ताकि उनमें पानी प्रवेश न कर पाए।

वितरण नेटवर्क में जेली भरी केबिलों का प्रयोग जिसमें केबिलों में पानी को रोका जा सके।

केबिल नेटवर्क में अधिक केबिनेट और पिल्लर स्थापित करना ताकि उनके दोषों को शीघ्र जांच करके उन्हें दूर किया जा सके।

पुरानी और क्षतिग्रस्त केबिलों को नई केबिलों में बदलना।

अन्तर एक्सचेंज संचालन कार्य प्रणाली में माइक्रोवेव और पल्स कोड मॉड्यूलेशन प्रणाली चालू करना।

पश्चिम बंगाल सरकार और कानून व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखना ताकि केबिलों की चोरी को रोका जा सके।

उद्योग रहित जिलों सम्बन्धी नीति

6527. **श्री दिनेश सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उद्योग रहित जिलों सम्बन्धी अपनी नीति पर पुनर्विचार कर रही है;

(ख) उद्योग रहित जिलों के सम्बन्ध में दी जाने वाली रियायतें कब समाप्त कर दी जायेंगी; और

(ग) कितने जिलों में इन रियायतों को समाप्त कर दिया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) पिछड़े क्षेत्रों/"उद्योग रहित जिलों" के औद्योगिकीकरण के लिए विद्यमान योजनाओं की समीक्षा और संशोधन करने हेतु एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट जून, 1986 के अन्त तक प्रस्तुत कर देने की आशा है। इस बीच "उद्योग रहित जिलों" के लिए रियायतों/प्रोत्साहनों की विद्यमान योजना 31-3-1987 तक जारी रहेगी। अभी तक पता लगाए गए किसी उद्योग रहित जिलों में इन रियायतों को समाप्त नहीं किया गया है।

मैसर्स लोहिया मशीन द्वारा अधिक प्रचार के कारण स्कूटरों की कीमतों में वृद्धि

6528. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स लोहिया मशीन, कानपुर द्वारा वेस्पा स्कूटरों के लिए अत्याधिक विज्ञापन दिये जाने के कारण स्कूटरों की कीमतों में काफी वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी द्वारा प्रचार के लिए किये गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक कितने स्कूटर आवंटित किये गये हैं; और

(घ) उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए प्रतिदिन अभ्यार्थियों के लिए दैनिक आवंटन करते समय मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 28-2-1986 तक 64 हजार से अधिक स्कूटर बेचे गए थे।

(घ) कम्पनी ने सूचना दी है कि बुकिंग के समय कम्पनी द्वारा विशेषरूप से तैयार की गयी पद्धति के अनुसार स्कूटरों की डिलीवरी की जाती है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है।

व्यापक संवर्ग समीक्षा

6529. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक अथवा दो दशकों के दौरान डाक विभाग में कोई व्यापक संवर्ग समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा पर की गई कार्रवाई की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में इस प्रकार की समीक्षा की जायेगी और इसके कब किए जाने की संभावना है तथा इसके अभी तक न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। संघटित भारतीय डाक सेवा श्रेणी-I के संवर्ग की पुनरीक्षा 3 वर्ष में एक बार की जाती है। अभी तक इस संवर्ग की दो बार पुनरीक्षा की गई है। पहली पुनरीक्षा 1982 में पूरी हुई थी।

(ख) 1982-84 की पुनरीक्षा को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। अधिकारियों के चयन के बाद, जिसे बहुत जल्दी अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है, संवर्ग पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों को तुरन्त लागू किया जाएगा।

(ग) जी नहीं।

आंध्र प्रदेश में प्रकाशम जिले में तेल की खोज

6530. **श्री सी० सम्बु :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आंध्र प्रदेश में तटदूर तेल की खोज शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने प्रकाशम जिले में भी तेल की कोई खोज शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक खोदे गए 28 अपतट कुओं में से 6 में तेल/गैस होने का पता लगा है। एक कूएं

की इस समय ड्रिलिंग की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। किए गए सर्वेक्षण से तेल के न होने की सम्भावना का पता लगा है।

पेट्रोल/मिट्टी के तेल, डीजल और गैस का उत्पादन/आयात

6531. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में पेट्रोल, मिट्टी के तेल, डीजल और गैस का कुल कितना उत्पादन हुआ है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त मदों का कितना तथा कितने मूल्य का आयात किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

मात्रा : मिलियन टनों में

मूल्य : करोड़ रुपये

	1983-84 मात्रा	1984-85 मात्रा	1985-86* मात्रा (अप्रैल, दिसम्बर)
देशीय उत्पादन			
पेट्रोल (मोगास)	1.94	2.14	1.68
मिट्टी का तेल	3.53	3.36	2.88
डीजल (एच० एस० डी०)	10.86	11.09	10.72
गैस (एल० पी० जी०)	0.74	0.87	0.88

*अस्थायी — अप्रैल-दिसम्बर 1985 से सम्बन्धित

	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कुल आयात						
पेट्रोल (मोगास)	—	—	—	—	—	—
मिट्टी का तेल (एस० के० ओ०)	2.03	603.64	2 61	844.77	1.88	618.64
डीजल (एच० एस० डी०)	1.81	489.85	2.57	763.56	0.63	189.75
गैस (एल० पी० जी०)	0.01	7.04	0.10	32.76	0.03	11.08

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए आरक्षित कोटा

6532· **श्री साइमन तिग्गा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए आरक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसमें कुछ पिछला बकाया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) पिछले बकाया कोटे को किस तारीख तक भर दिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) विशेष पदों की कुछ श्रेणी के पदों में कुछ बकाया है क्योंकि इस क्षेत्र में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। निगम द्वारा बकाया को कम करने के लिए उठाये गए कदमों में ये शामिल हैं – अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्त पदों का विज्ञापन देना, औद्योगिक प्रशिक्षण तथा इंजीनियरी संस्थाओं में विशेष भर्ती दल की प्रतिनियुक्ति करना, प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करना, इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे छात्रों को एच० ई० सी० द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करना। बकाया की यथासंभव शीघ्र कम करने के लिए एच० ई० सी० द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

(क) एच० ई० सी० के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए नियुक्तियों के आरक्षण में निम्नलिखित प्रतिशत लागू किया है :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(I) खुली प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती	15%	$7\frac{1}{2}$%
(II) उपर्युक्त (I) के अलावा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती	$16\frac{2}{3}$%	$7\frac{1}{2}$%
(III) ग्रुप 'सी" और "डी" पदों की सीधी भर्ती	15%	9%

(ख) पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं प्रदान किया जा रहा है क्योंकि एच० ई० सी० में पदोन्नति समयबद्ध नीति द्वारा की जा रही है।

महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां

6533. श्री आर० एस० माने : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में कितनी गैस एजेन्सियां हैं;

(ख) इस क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए कितनी एजेन्सियों की जरूरत है; और

(ग) इस जिले के सभी तालुकों के लिए खाना पकाने की गैस की एजेन्सियां कब तक मंजूर करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1-2-1986 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में 10 एल० पी० जी० वितरक काम कर रहे थे।

(ख) और (ग) हालांकि मौजूदा वितरणशिपें वर्तमान उपभोक्ताओं की सेवा के लिए पर्याप्त हैं फिर भी नई वितरणशिपें खोलने के लिए तेल उद्योग ने कार्यवाही आरम्भ की है। ये सामान्यतः मांग तत्व और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर खोली जाती हैं।

केरल के बायनाड जिले के माननथोडी में एस० टी० डी० सुविधा

6534. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल के बायनाड जिले के माननथोडी में एस० टी० डी० सुविधा शुरू करने की कोई योजना है; और

(ख) क्या सरकार ग्रुप डायलिंग प्रणाली के अन्तर्गत माननथोडी को पानामरम वेल्लामुंडा और झालापुजा एक्सचेंजों से जोड़ने पर विचार करेगी ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। मीडियम उपलब्ध हो जाने के बाद बेल्लामुंडा और तालपुझा एक्सचेंजों को ग्रुप डायलिंग के उद्देश्य से मनानतोडी के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है। जहां तक पनामराम का संबंध है, पनामराम और कालपेट्टा के बीच, इस मार्ग के लिए प्रस्तावित चैनल प्रणाली स्थापित होने के बाद, इंटर डायलिंग प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है।

आन्ध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

6535. **श्री बेजावाडा पपी रेड्डी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन रिक्त पदों को भरने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) 10.4.1986 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के 6 पद और अपर न्यायाधीशों के 2 पद रिक्त थे।

(ख) और (ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए, राज्य सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन पर सरकार विचार कर रही है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा अजोमाइसिन का उत्पादन

6536. **श्री हरिकृष्ण शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को प्राथमिक चरण से अर्थोमाइसिन का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया गया है;

(ख) अर्थोमाइसिन के उत्पादन के लिए इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा कितने मूल्य के संयंत्र और मशीनें लगाई गई हैं;

(ग) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने कोई प्रौद्योगिकी खरीदी है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अर्थोमाइसिन का प्रति-वर्ष कितना उत्पादन हुआ ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इरिथ्रोमाइसिन के उत्पादन के लिये आई० डी० पी० एल० द्वारा स्थापित किये गये संयंत्र और मशीनरी (सकल ब्लाक) का मूल्य दिनांक 31.3.1985 को 205.48 लाख रु० था।

(ग) जी हां।

(घ) 1982-83 और 1984-85 के दौरान इरिथ्रोमाइसिन का उत्पादन शून्य था तथा 1983-84 के दौरान 1.1 मी० टन था।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा पोटाशियम पेन्सिलन के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी की खरीद

6537. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने पोटाशियम पेनिसिलिन का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी खरीदी थी;

(ख) क्या यह सच है कि यह प्रौद्योगिकी सफल सिद्ध नहीं हुई है;

(ग) क्या इस औषध का उत्पादन कम हो गया है; और

(घ) देश की आवश्यकता के बराबर उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) पेनिसिलिन्स का उत्पादन करने वाली कम्पनियों से अपने उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कहा गया है।

उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में माइक्रोवेव उपग्रह सम्पर्क केन्द्र

6538. **श्री राजकुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में माइक्रोवेव उपग्रह संपर्क केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथापि आजमगढ़-माऊ-गाजीपुर मार्ग के लिए एक अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी लिंक की मंजूरी दी गई है।

मारुति कारों का निर्माण और उनका वितरण

6539. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985 के दौरान प्रति मास कितनी मारुति कारों और वैनों का निर्माण किया गया और 1986 तथा 1987 में कितनी कारों और वैनों आदि का निर्माण किये जाने का अनुमान है;

(ख) प्रत्येक राज्य तथा चार महानगरों में वाहनों, कारों और वैनों की कितनी बुकिंग हुई है और कितनी राशि जमा हुई है;

(ग) क्या फेज I, II और III के सभी नगरों में डीलर नियुक्त कर दिये गये हैं और शो-रूम खोल दिये गये हैं तथा उन पर क्या शर्तें लागू की गई हैं;

(घ) फेज I, II और III के नगरों में कारों के वितरण की वर्तमान प्रणाली क्या है; और

(ङ) अनुमानित मांग को पूरा करने के सम्बन्ध में क्या योजना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) वित्त वर्ष 1985-86 का माह-वार उत्पादन विवरण-I में दिया जाता है। वर्ष 1986-87 के दौरान कम्पनी की 53,000 कारों और 25,000 वैनों सहित 85,000 वाहनों का उत्पादन करने की योजना है।

(ख) विवरण-II संलग्न है।

(ग) मारुति उद्योग लिमिटेड और डीलरों के बीच किये गये करार के अनुसार सभी चरण 1 और 2 शहरों में डीलरों की नियुक्ति कर दी गई है। चरण-3 डीलरशिप के लिए आवेदनों की कम्पनी द्वारा जांच की जा रही है।

(घ) यह मुख्यत: संबंधित शहरों में विद्यमान बुकिंगों के अनुपात में है।

(ङ) मांगों को पूरा करने के लिए कम्पनी अपने उत्पादन में वृद्धि कर रही है।

विवरण-I

विषय :—1985-86 में मासिक उत्पादन

माह	कारें	वैन	योग
अप्रैल	3114	1210	4324
मई	3332	1290	4622
जून	3265	1155	4420
जुलाई	2947	1592	4539
अगस्त	3751	1374	5125
सितम्बर	2158	1462	4420
अक्तूबर	1930	1116	3046
नवम्बर	2493	1647	4140
दिसम्बर	1855	1141	2996
जनवरी, 1986	3432	2185	5617
फरवरी	2598	1584	4182
मार्च	1587	760	2347
योग	33262	16516	49778

विवरण-II

राज्य		1983				1985		
		कार	वैन	पिकअप	योग	वैन	जिप्सी	योग
1		2	3	4	5	6	7	8
असम	वा०	737	42	6	785	1357	126	2483
	वि०	73.7	4.2	0.3	78.2	135.7	112.6	248.3
आन्ध्र प्रदेश	वा०	5117	408	58	5583	3543	510	4053
	वि०	511.7	40.8	2.9	555.4	354.3	51.0	405.3
बिहार	वा०	2624	170	17	2811	3149	579	3728
	वि०	262.4	17.0	0.85	280.25	314.9	57.9	372.8
गुजरात	वा०	3893	321	47	4261	4604	754	5358
	वि०	389.3	32.1	2.35	423.75	460.4	75.4	535.8
हरियाणा	वा०	223	22	—	245	1671	182	1853
	वि०	22.3	2.2	—	24.5	167.1	18.2	185.3

1		2	3	4	5	6	7	8
हिमाचल प्रदेश	वा०	—	—	—	—	—	—	—
	वि०	—	—	—	—	—	—	—
जम्मू तथा कश्मीर	वा०	1229	134	10	1373	3370	651	4021
	वि०	122.9	13.4	0.5	136.8	337.0	65.1	402.1
कर्नाटक	वा०	5031	777	82	5890	3520	510	4030
	वि०	503.1	77.7	4.1	584.9	352.0	51.0	403.0
केरल	वा०	3405	340	65	3810	1512	637	2149
	वि०	340.5	34.0	3.25	377.75	151.2	63.7	214.9
मध्य प्रदेश	वा०	2553	308	23	2884	3775	395	4170
	वि०	255.3	30.8	1.75	287.25	377.5	39.5	417.0
महाराष्ट्र	वा०	22295	3237	276	25808	17955	4350	22305
	वि०	2229.5	323.7	13.8	2569.8	1795.5	435.0	2230.5
उड़ीसा	वा०	1095	158	7	1260	948	171	1119
	वि०	109.5	15.8	0.35	125.65	94.8	17.1	111.0
पंजाब	वा०	689	41	3	733	4345	294	4639
	वि०	68.9	4.1	0.15	73.15	434.5	29.4	436.9

1		2	3	4	5	6	7	8
राजस्थान	वा०	2814	180	18	3012	1955	762	2717
	वि०	281.4	18.0	0.9	300.3	195.5	76.2	271.7
तमिलनाडु	वा०	4894	785	72	5751	3373	481	3854
	वि०	489.4	78.5	3.6	571.5	337.3	48.1	385.4
उत्तर प्रदेश	वा०	3618	442	35	4145	6321	880	7201
	वि०	366.8	44.2	1.75	412.75	632.1	88.0	720.1
पश्चिम बंगाल	वा०	7963	923	76	8962	4401	891	5292
	वि०	796.3	92.3	3.8	892.4	440.1	89.1	529.2
दिल्ली	वा०	45098	3563	442	49103	50917	6417	57334
	वि०	4509.8	356.3	22.1	4888.2	5091.7	641.7	5733.4
चंडीगढ़	वा०	7807	413	41	8261	5173	583	5756
	वि०	780.7	41.3	2.05	824.05	517.3	58.3	575.6
गोआ	वा०	286	35	6	327	441	58	499
	वि०	28.6	3.5	0.3	32.4	44.1	5.8	49.9
योग	वा०	121421	12299	1284	135004	122330	20231	142561
	वि०	12142.1	1229.9	64.2	13436.2	12233.0	2023.1	14256.1

1		2	3	4	5	6	7	8
चार महानगरों में बुकिंग								
दिल्ली	वा०	45098	3563	442	49103	50917	6417	57334
	वि०	4509.8	356.3	22.1	4888.2	5091.7	641.7	5733.4
बम्बई	वा०	20825	3030	256	24111	13216	3490	16706
	वि०	2082.5	303.0	12.8	2398.3	1321.6	349.0	1670.6
कलकत्ता	वा०	7817	913	76	8806	3454	683	4137
	वि०	781.7	91.3	3.8	876.8	345.4	68.3	413.7
मद्रास	वा०	4544	722	65	5331	2668	375	3043
	वि०	454.4	72.2	3.25	529.85	266.8	37.5	304.3

वा० = वास्तविक संख्या

वि० = वित्तीय (लाख रुपये में)

मारुति कारों के नये माडल का आवंटन

6540. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1986 की स्थिति के अनुसार मारुति कारों, वाहनों तथा जिप्सी कारों की प्रतीक्षा सूची में श्रेणीवार कितने व्यक्ति हैं;

(ख) प्रतीक्षा सूची में नाम दर्ज कराने के लिए उनसे कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या मई मास में निकाले जाने वाला नया माडल उन व्यक्तियों को आवंटित किया जाएगा, जो मारुति 800 माडल के लिए अपना नाम दर्ज करा चुके हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वाहन की किस्म	संख्या
कारें	63,181
वैन	1,18,184
जिप्सी	18,638
योग	2,00,003

(ख) उनसे प्राप्त की गई कुल राशि 20,000.30 लाख रुपये है।

(ग) जी, हां।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड में पोलिएस्टर मेडिकल एक्सरे फिल्म विस्तार परियोजना को मंजूरी

6541. **श्री एम० महालिंगम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ऊटकमण्ड में पोलिएस्टर मेडिकल एक्सरे फिल्मों के निर्माण के लिए 170 करोड़ रुपये की लागत की विस्तार परियोजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को मंजूरी कब दी गई थी; और

(ग) यदि अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि० ऊटकमंड में पोलिएस्टर बेस्ड एक्स-रे इंडस्ट्रियल एक्स-रे और ग्राफिक आर्ट फिल्म के निर्माण के लिए 168.12 करोड़ रु० की कुल लागत के एक संयंत्र की स्थापना के लिए 27 मार्च, 1986 को सरकार की मंजूरी दे दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विस्फोटक विभाग के कार्य की समीक्षा करने के लिए समिति

6542. **श्री के० मोहन दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विस्फोटक विभाग के कार्य का अध्ययन/समीक्षा करने के लिए एक समिति अथवा कार्यकारी दल नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति अथवा दल के सदस्यों की संख्या और निदेश पद क्या हैं; और

(ग) इस समिति अथवा दल के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) क्या विभिन्न अन्य अधिनियमों के अधीन गठित कानूनी निरीक्षणकारी अभिकरण विस्फोटक सामग्री विभाग के किसी कानूनी निरीक्षण कार्य में हाथ बंटा सकते हैं, इसकी जांच करने के लिए कार्यदल का गठन किया गया है।

(ख) गठित किए गए कार्यदल के सदस्यों की एक सूची दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विचारार्थ विषय :

(1) विस्फोटक सामग्री विभाग के समग्र विनियमनकारी कार्यों की जांच करना और उन उत्तरदायित्वों का वर्गीकरण करना जिनका प्रत्यायोजन विभाग द्वारा अन्य कानूनों के अधीन स्थापित किये गये अन्य निरीक्षणकारी अभिकरणों तथा जिला प्राधिकारियों (जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस) को सुगमता से किया जा सके; और

(2) इस बात का पता लगाना/विचार करना कि कुछ विनियमनकारी कार्यों को प्राथमिक उत्पादकों के उपभोक्ता उत्पादकों के माध्यम से स्वयं ही किया जा सकता है।

(ग) कार्य दल का कार्य अपनी अंतिम अवस्था में है और आशा की जाती है कि सरकार को इसकी रिपोर्ट अप्रैल, 1986 के अंत तक प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विवरण

विस्फोटक सामग्री सम्बन्धी कार्यदल

ब. क्र०सं०	सदस्य का नाम	पद नाम	प्रतिनिधि कार्यालय	
1	2	3	4	5
1.	डा० एस० एस० बैजल	अध्यक्ष	आई०ई०एल० लिमिटेट	संयोजक
2.	श्री जाहर सेन गुप्ता	—वही—	क्लोराइड इंडिया	सदस्य
3.	श्री ए० पी० सवरन	संयुक्त सचिव	औद्योगिक विकास विभाग	,,
4.	श्री अशोक गुप्ता	—वही—	श्रम विभाग	,,
5.	श्री डी० के० विश्वास	निदेशक	पर्यावरण विभाग	,,
6.	डा० जी० जयरामाराॅव	सलाहकार (रिफाइनरी)	पैट्रोलियम मंत्रालय	,,
7.	डा० ए० वी० रामाराॅव	निदेशक	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद	,,
8.	डा० पी० वी० कृष्णा	सलाहकार	रसायन तथा पैट्रोलियम विभाग	,,
9.	श्री एस० सी० डे०	परामर्शदाता (बॉयलर)	उद्योग मंत्रालय	,,
10.	श्री एम० विश्वास	उप महा-निदेशक	तकनीकी विकास का महानिदेशालय	,,
11.	श्री बी० दास गुप्ता	निदेशक	खान मंत्रालय	,,
12.	श्री सनत कौल	उप-सचिव (एस० पी०)	गृह कार्य विभाग	,,
13.	डा० आर० ए० मश्केलकर	उप-निदेशक	राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना	,,

1	2	3	4	5
14.	श्री के० के० मल्होत्रा	परामर्शदाता पैट्रोलियम मंत्रालय	पैट्रोलियम मंत्रालय	सदस्य
15.	डा० एच० मुखर्जी	विस्फोटक सामग्री के महानियंत्रक	विस्फोटक सामग्री विभाग	,, सचिव

मुख्य न्यायमूर्तियों, मुख्य मन्त्रियों, विधि मन्त्रियों के सम्मेलन में किये गये विनिश्चयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

6543. **श्री अताउर्रहमान :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1985 और 1 सितम्बर, 1985 को आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों, मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों के सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के आधार पर मामलों के शीघ्र विचारण के लिये क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ख) 19 नवम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 350 के उत्तर के साथ संलग्न सिफारिश की मद संख्या 10 और 11 के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) सम्मेलन के संकल्प, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को सितम्बर, 1985 में कार्रवाई करने और अपने विचार तथा टीका-टिप्पणियां भेजने के लिए भी, भेजे गए थे। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्याय प्रशासन मूल रूप से राज्य सरकारों का विषय है और उनसे फरवरी, 1986 में विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि वे मामलों के शीघ्र विचारण के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, अतिरिक्त न्यायालयों के सृजन के सम्बन्ध में कार्रवाई करें। जहां तक उच्च न्यायालयों का सम्बन्ध है, स्वीकृत पद संख्या का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है और यह सितम्बर, 1985 में 428 थी जो अप्रैल, 1986 में बढ़ाकर 431 कर दी गई है। उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत पद संख्या में जो इस समय 18 है, वृद्धि करने का प्रस्ताव भी सरकार के ध्यान में है। मद 10 के बारे में उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। मद 11 के सम्बन्ध में राज्यों और उच्च न्यायालयों ने अपने विचार/टीका टिप्पणियां नहीं भेजे हैं।

आंध्र प्रदेश : सरकार ने हैदराबाद और सिकंदराबाद के संयुक्त नगरों के लिए 30 अवैतनिक महानगर मजिस्ट्रेटों के पद का अनुमोदन किया है इनमें से 1985-86 के प्रति वर्ष 10 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे और तदनुसार ऐसे 10 न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं।

हरियाणा : उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।

महाराष्ट्र : वृहत्तर मुंबई में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 18 के अधीन 85 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन नियुक्त 35 अवैतनिक महानगर मजिस्ट्रेट भी हैं। मुफस्सिल क्षेत्रों में प्रत्येक तालुका के लिए एक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है।

पंजाब : उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार का अनुरोध अस्वीकार कर दिया है।

सिक्किम : विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है।

कर्नाटक : राज्य सरकार नियमित मजिस्ट्रेटों की और न कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति पर विचार कर रही है।

मेघालय : न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक् नहीं है। जहां तक संभव हो, अनन्य रूप से न्यायिक कार्य करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अधीन नियम बनाने के विषय में उच्च न्यायालय कार्रवाई कर रहा है।

नागालैंड : दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 सम्पूर्ण राज्य में लागू नहीं हैं और इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अधीन विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। सरकार ने अनन्य रूप से न्यायिक कार्य करने के लिए अपर उपायुक्त नियुक्त किए हैं।

तमिलनाडु : उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 13 और 18 विखंडित कर दी है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के लिए पुनरीक्षित प्रारूप नियम तैयार किए जा रहे हैं।

फूलबनी उड़ीसा स्थित दूरसंचार कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

6544. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फूलबनी, उड़ीसा स्थित दूर-संचार कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की कमी है;

(ख) क्या उड़ीसा दूरसंचार सर्किल ने दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के लिए फूलबनी में कुछ क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो फूलबनी में प्रत्येक टाइप के कितने क्वार्टरों के निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(घ) उन क्वार्टरों के निर्माण हेतु कितनी राशि मंजूर की गई है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) टाइप-I के 8, टाइप-II के 24 तथा टाइप-III के 8 क्वार्टरों का निर्माण हो रहा है।

(घ) 33 लाख रुपये।

आंध्र प्रदेश में एस० टी० डी० सुविधाएं

6545. **श्री टी० बाल गौड** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कितने शहरों और कस्बों में एस० टी० डी० कनैक्शनों की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1986-87 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के कुछ और कस्बों में एस० टी० डी० सुविधा की व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1984-85 एवं 1985-86 के दौरान आंध्र प्रदेश के 8 नगरों व कस्बों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) 1986-87 के दौरान सात और स्टेशनों जैसे (I) एलरु (II) लुनी (III) कोव्वुर (IV) कवाली (V) रावुलापलम (VI) बोब्बिली तथा (VII) कोट्टागुडम में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराये जाने की संभावना है जिनमें से अंतिम तीन स्थानों पर प्वाइंट टू प्वाइंट आधार पर एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

बेनजायल प्रोकेन पैनिसिलिन का उत्पादन

6547. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेनजायल प्रोकेन पैनिसिलिन का उत्पादन बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उन औषध कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्हें यह औषध तैयार करने के लिए लाइसेंस दिये गये थे; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इस औषध का प्रति वर्ष कुल कितना उत्पादन हुआ ?

रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय केवल बल्क पेनिसिलिन के उत्पादन पर निगरानी रखता है। मांगे गये ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

		उत्पादन (एम०एम०यू०)	
क्र० सं०	कम्पनी का नाम	1983-84	1984-85
1.	आई० डी० पी० एल०	55.60	34.20
2.	एच० ए० एल०	69.02	69.94
3.	एलेमबिक	84.60	52.53
4.	स्टेन्डर्ड फार्मास्यूटिकल्स	107.52	65.01

मध्यवर्ती स्तर से पायरेजीनेमाइड औषध का उत्पादन

6548. श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मध्यवर्ती स्तर से क्षयरोगी निरोधी औषध पायरेजीनेमाइड का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस औषध पर आधारित दवाइयों पर अधिकतम वर्द्धित मूल्य की अनुमति दी है;

(ग) अधिक वर्द्धित मूल्य की अनुमति देने का औचित्य क्या है और क्या उचित वर्द्धित मूल्य की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) पाइराजिनामाइड की मध्यवर्ती अवस्था से तथा मूल अवस्था से उत्पादन की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) पाइराजिनामाइड पर आधारित फार्मूलेशनों को कारखाने से बाहर लागत पर 100 प्रतिशत तक का मार्क अप स्वीकृत किया जाता है।

(ग) और (घ) फार्मूलेशनों पर मार्क अप औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के उपबन्धों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है।

[हिन्दी]

बाइसिकल के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की योजना

6549. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाइसिकल प्रौद्योगिकी में गत तीन वर्षों के दौरान क्या मुख्य सुधार हुए हैं;

(ख) क्या पेट्रोल/डीजल बचाने और प्रदूषण की रोकथाम के लिये सरकार ने बाइसिकल के प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस दिशा में कोई विशेष कदम उठाने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) परम्परागत रोडस्टार मॉडल के अलावा, इंडियन बाइसिकल इण्डस्ट्री इस समय एस०एल०आर० बाइसिकल, बच्चों के बी०एम०एक्स० मॉडल बाइसिकल्स, एक्सरसाइजर्स आदि का निर्माण कर रही है।

(ख) से (घ) वर्ष 1984-85 के दौरान उत्पादित साइकिलों की संख्या 6,877,00 थी जबकि उसी वर्ष के दौरान उत्पादित मोटर साइकिलों सहित मोपेडों और स्कूटरों की कुल संख्या 896,000 अर्थात् बाइसिकलों के कुल उत्पादन का लगभग 1/7 थी। बाइसिकलों का मूल्य 450-700 रु० के बीच था जबकि मोपेड स्कूटरों और मोटरसाइकिलों का मूल्य 3500 रु० से लेकर 22,000 रु० से अधिक के बीच था। इस प्रकार सस्ती से सस्ती साइकिल की कीमत सस्ती से सस्ती मोपेड का लगभग 1/8 होता है। इसलिये भारत में सामान्य आदमी के लिए साइकिल परिवहन का प्रमुख साधन बन रहा है। इस प्रकार बाइसिकलों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष उपायों की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के माध्यम से गांवों का विद्युतीकरण

6550. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों से कहा है कि वे अपने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के अंग के रूप में गैर-परम्परागत स्रोतों के माध्यम से गांवों के विद्युतीकरण के सुझाव पर विचार करें;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य विद्युत बोर्डों से कोई समयबद्ध रिपोर्ट मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार के सुझावों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) राज्यों और अन्य संगठनों को सूचित किया जा चुका है कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण शामिल होगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, राज्य विद्युत बोर्डों और कुछ राज्य नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों के माध्यम से अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में सौर प्रकाशवोल्टीय गली रोशनी एककों के प्रावधान के माध्यम से प्रारम्भिक विद्युतीकरण का एक कार्यक्रम शुरू किया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने राज्य विद्युत बोर्डों को सूचित किया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रकाशवोल्टीय युक्तियों और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा दिये गये ऋणों की तुलना में लागत के भाग के लिए व्यय प्रतिभार के कारण वे दूर-दराज के गांवों के विद्युतीकरण को शुरू कर सकते हैं। अब तक 200 से अधिक गांवों को गली रोशनियां प्रदान की जा चुकी हैं तथा कुछ मामलों में सामुदायिक प्रयोग के लिए प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां प्रदान की जा चुकी हैं। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करते हुए दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों के गांवों के विद्युतीकरण को भी सातवीं योजना के प्रलेख में शामिल किया जा चुका है। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एक उचित कार्यक्रम बना रहे हैं। इस कार्यक्रम की सामा वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगी जोकि इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान अतिरिक्त गांवों में सौर प्रकाशवोल्टीय गली रोशनियों की स्थापना जारी है।

घाटे में चल रही सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं

6551. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में अनेक सरकारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार की ओर से विलम्ब, दोषपूर्ण आयोजन तथा आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं की कमी के कारण राष्ट्र को 18,000 करोड़ रुपये की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निरन्तर घाटे में चल रही सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यकरण में घाटा न्यूनतम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) अनुमान है कि माननीय सदस्य का आशय कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं सम्बन्धी केवल लागत में

हुई वृद्धि से ही है, न कि चालू उद्यमों के प्रचालन सम्बन्धी घाटे से। सरकारी क्षेत्र की 108 परियोजनाओं के बारे में अनेक कारणों से हुई अनुमानित लागत वृद्धि लगभग 18,000 करोड़ रुपये की है।

(ग) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में न्यूनतम विलम्ब तथा लागत वृद्धि में कमी करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

1. यथार्थवादी परियोजना अनुमान तथा कार्यान्वयन योजनाएं तैयार करना।

2. ताजी मासिक रिपोर्ट तथा तिमाही स्थिति रिपोर्ट, परिवीक्षण प्रणाली के माध्यम से कारगर परिवीक्षण करना।

3. शीघ्र-समापन के लिए परियोजना प्राधिकारियों पर निरन्तर जोर देना।

4. अन्तर-मंत्रालयीन समन्वय तथा परस्पर कार्रवाई करना।

5. सम्बद्ध मंत्रालयों एवं परियोजना प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकारों, उपस्कर संभरकों, परामर्शदाताओं तथा अन्य सम्बद्ध अभिकरणों के साथ गहन अनुवर्ती कार्रवाई करना ताकि विलम्ब कम से कम हो।

गुजरात में उप-डाक घर खोलना

6552. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक घर अधीक्षक, मुख्य डाकघर, डाक गोंडल (जिला राजकोट) गुजरात को अति विशिष्ट व्यक्तियों संसद सदस्यों आदि से गोंडल के विभिन्न स्थानों में उप-डाकघर खोलने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। गुजरात के गोंडाल जिले में उप-डाकघर खोलने के बारे में किसी संसद सदस्य अतिविशिष्ट व्यक्ति से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन प्रयोक्ताओं के लिए निगरानी कक्ष की स्थापना

6553. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में टेलीफोन प्रयोक्ताओं में व्यापक असंतोष और निराशा व्याप्त है और क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या शीघ्र उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए सीधे मंत्री के अन्तर्गत एक नया उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी कक्ष स्थापित करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि टेलीफोन कर्मचारियों द्वारा प्रयोक्ताओं को परेशान न किया जाये तथा बिना अतिरिक्त शुल्क के अथवा औपचारिकताओं के कार्डलेस फोन सहित विभिन्न उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देने का है, जैसा कि विद्युत उपकरणों के मामले में किया जाता है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दूरसंचार नेटवर्क की स्थिति तथा उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही सेवा की गुणवत्ता की आवधिक जांच अनेक प्रकार के चुनिन्दे मानदंडों द्वारा की जाती है जिसके अनुसार देश की टेलीफोन प्रणाली का कार्यकरण सामान्यतया संतोषजनक है। तथापि इसमें सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है और इस सम्बन्ध में कार्रवाई की गई है। मानदंडों के जरिये कार्य निष्पादन के मानीटर करने तथा मापने के अतिरिक्त अन्य नियोजित सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं। इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) उपभोक्ताओं को टेलीफोनों के अन्य अनुमोदित उपकरण के इस्तेमाल के लिए लाइसेंस अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। पुश बटन और डायल टाइप के टेलीफोनों सहित अनुमोदित उपकरणों के इस्तेमाल के लिए कोई लाइसेंस शुल्क अथवा परीक्षण शुल्क वसूल नहीं किया जाता।

तथापि फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन पहलू को ध्यान में रखते हुए कार्डलेस टेलीफोन के प्रयोग के लिए लाइसेंस के साथ अनुमति दी जाती है।

रामगुंडम बिजलीघर को कोयले की सप्लाई करने के लिए सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी के बिलों का भुगतान

6554. **श्री एस० एम० गुरुडी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोयला खान कंपनी लिमिटेड के पास कोई उचित तोल प्रणाली नहीं है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बिजली घरों को कोयले की सप्लाई करने के लिए सिंगरेनी कोयला खान कंपनी के बिलों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम स्वीकार कर रहा है;

(ग) क्या रामगुंडम बिजली घर को सिंगरेनी कोयला खान कंपनी द्वारा सप्लाई किए गए कायले के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा 2 करोड़ रुपये के एक ऐसे बिल को भुगतान बिना सत्यापन किये कर दिया गया;

(घ) क्या रामगुंडम बिजली घर को लगभग 12,000 टन कोयले की सप्लाई के लिए 3 करोड़ रुपये का बिल प्राप्त हुआ है;

(ङ) क्या रामगुंडम बिजली घर ने इस बात को मानने से इन्कार कर दिया है कि उसने इतनी मात्रा में कोयला प्राप्त किया था; और

(च) यदि हां, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा सिंगरेनी कोयला खान कंपनी को 3 करोड़ रुपयों के भुगतान करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड ने रेल तथा सड़क दोनों के लिए कोयला लदान स्थलों पर यांत्रिक तोलसेतु प्रतिष्ठापित किये हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के रामगुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की सप्लाई के लिए कोयले के भार-मापन के लिए एक इलैक्ट्रानिक भारमापक बेल्ट प्रतिष्ठापित की है।

(ख) जी, हां। तथापि, इलैक्ट्रानिक भारमापक बेल्ट द्वारा रिकार्ड किए गए कोयले के भार में पाई गई कुछ विसंगतियां राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा मैसर्ज सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० के ध्यान में लाई गई थीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) भारमापक बेल्ट में गलती के कारण, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को कोयले की कुछ मात्रा कम प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए निगम ने कम्पनी द्वारा बनाए गए बिलों में कुछ कटौतियां कर दी गई थी। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम आवश्यक समायोजन के लिए भारमापक बेल्ट के भार और यांत्रिक भार-मापक के भार की परस्पर जांच पड़ताल करने के लिए सहमत हो गए हैं।

उप निर्वाचन के दौरान बांका निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन बूथों पर कब्जा करना

6555. **श्री थम्पन थामस** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1985 में हुए लोकसभा उप निर्वाचन के दौरान बिहार में बांका निर्वाचन क्षेत्र में अनेक निर्वाचन बूथों पर कब्जा किया गया था;

(ख) क्या निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने इन मामलों की मौके पर जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) बिहार में बांका निर्वाचन-क्षेत्र में लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन के दौरान, निर्वाचन आयोग को दो मतदान केन्द्रों में पुनर्मतदान का आदेश देना पड़ा था। ये निम्नलिखित थे :—

1. 175-बेलहर सभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदान केन्द्र सं० 137-वेलदिहा प्राइमरी स्कूल; और
2. 176-कटोरिया सभा निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर मतदान केन्द्र सं० 57-फुलवरिया प्राइमरी स्कूल (सुवाह्य बूथ)।

पश्चात कथित मतदान केन्द्र में पुनर्मतदान का आदेश मतपत्रों के छीन लेने के प्रयत्न के संबंध में जानकारी के आधार पर दिया गया था। पूर्वकथित मतदान केन्द्र में पुनः मतदान के बारे में पूर्ण जानकारी और इस बारे में जानकारी कि क्या ऐसा पुनः मतदान बूथ पर कब्जे के कारण किया गया था, निर्वाचन आयोग द्वारा अभिनिश्चित की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी। इनके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग के समक्ष उप-निर्वाचन में बूथ पर कब्जा करने का कोई मामला नहीं आया है।

विधि आयोग द्वारा न्यायिक प्रणाली के सम्बन्ध में आयोजित कार्यशाला

6556. **श्री अमर राय प्रधान**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया } : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 मार्च, 1986 को विधि आयोग द्वारा आयोजित "पार्टिसिपेटरी जस्टिस एट ग्रासरूट लेवल" विषय पर एक कार्यशाला में बोलते हुए विधि आयोग के अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि वर्तमान न्यायिक प्रणाली का विकल्प ढूंढने के लिए जनता की व्यापक सहभागिता की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में न्यायिक प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) विधि आयोग इस विषय का गहराई से अध्ययन कर रहा है और यह सम्भावना है कि वह इस विषय पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर और कार्यशालाएं आयोजित करेगा। सरकार को आयोग से सिफारिशें प्राप्त हो जाने के पश्चात इस विषय पर विचार किया जायेगा।

(ग) सरकार ने न्यायिक प्रणाली में सुधार करने के विषय पर अध्ययन करने का कार्य विद्यमान विधि आयोग को हाल ही में सौंपा है।

[हिन्दी]

ताजमहल के इर्द-गिर्द उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध

6557. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल शोधक कारखाने से होने वाले प्रदूषण से ताजमहल पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखकर आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और भरतपुर जिलों में उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध, जिसके परिणामस्वरूप इन जिलों का विकास रुक गया है और बेरोजगारी बढ़ी है, इससे उत्पन्न कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने और औद्योगिक विकास करने की दृष्टि से इन क्षेत्रों में प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता देने का है; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो योजना के अन्तर्गत कार्य कब तक शुरू किया जायेगा और इस मामले में कौन से तथा किस किस्म के उद्योगों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) पारिस्थितकीय दृष्टि से शीघ्र प्रभावित होने वाले दूनघाटी और ताजमहल को आस-पास समलम्ब (ट्रैपेजियम) में आने वाले आगरा-मथुरा जैसे क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक उत्पादों, वैज्ञानिक यंत्रों, घड़ियों आदि को असेम्बल करने वाले अप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि ये एकक कोई फॉसिल ईंधन या ऐसे अन्य पदार्थ का इस्तेमाल न करते हों, जो एस० ओ० 2, एन० ओ० एक्स०, सी० ओ० पैदा करता हो और इनके कणों की निकासी करता हो। सभी संबंधित को इस बारे में आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गए हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्वीकृत जमाराशि पर आय कर से छूट

6558. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कतिपय सरकारी उपक्रमों को 14 प्रतिशत ब्याज पर जमाराशि स्वीकार करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन जमाराशियों पर आय कर से छूट दी जाएगी, जैसे राष्ट्रीय बचत पत्रों पर दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्हें दीर्घकालीन जमाराशि स्वीकार करने की अनुमति दी गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को $11\frac{1}{2}$ प्रतिशत से $14\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की भिन्न-भिन्न दरों पर एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष तक की अवधि के लिए जमा राशियां स्वीकार करने की अनुमति दे दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(घ) उपक्रमों के नाम विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम संख्या	उन उद्यमों के नाम जिन्हें दीर्घावधिक जमा राशियां स्वीकार करने की अनुमति दी गई है
1	2
1.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०
2.	हिन्दुस्तान जिंक लि०
3.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०
5.	भारतीय तेल निगम लि०
6.	मद्रास रिफायनरीज लि०
7.	भारतीय सीमेंट निगम लि०

1	2
8.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि०
9.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०
10.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०
11.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लि०
12.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०
13.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०
14.	एण्ड्रयू यूले कम्पनी लि०
15.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०
16.	मास्गांव डाक लि०
17.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०
18.	बानरहाट टी कम्पनी लि०
19.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०
20.	बामेर लारी कम्पनी लि०

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की दर

6559. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली द्वारा अर्जित लाभों में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े क्षेत्र को दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर कम कर उसे सहायता न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां। पिछले वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा अर्जित लाभों में मामूली वृद्धि हुई है।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम एक विकासात्मक वित्तीय संस्थान के रूप में, आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों

को निम्न ब्याज की दर पर सहायता दिया जाना शामिल है। आदिवासी क्षेत्रों तथा हरिजन बस्तियों सहित पिछड़े क्षेत्रों के मामले में निगम राज्य बिजली बोर्डों को, इस दर से कम दर पर जिस निगम द्वारा निधियां उधार ली जाती हैं, ऋण वितरित करता है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के यूनिटों में आरक्षित पदों को भरना

6560. **श्री हरूभाई मेहता** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के यूनिटों में श्रेणी-एक और दो वरिष्ठ प्रबन्धक, मध्यम स्तर प्रबन्धक और कनिष्ठ प्रबन्धक संवर्ग में इस समय कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत क्या है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के किन उपक्रमों में उपर्युक्त संवर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का अनुपात सरकार द्वारा निर्धारित कोटा से कम है;

(ग) उपर्युक्त संवर्गों में आरक्षण कोटा न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार का उपर्युक्त संवर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के अपेक्षित कोटे का भरा जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1-1-85 को सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत के निर्धारित प्रतिशत की तुलना में कर्मचारियों के वास्तविक प्रतिशत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

समूह	अनुसूचित जातियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत
"क"	4.12	0.89
"ख"	5.50	1.57
"ग"	18.34	8.61
"घ"	27.20	15.12
(सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)		
"घ" (सफाई वाले)	75.30	3.31

(ख) से (घ) उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि निम्न श्रेणी के अन्तर्गत समूह "ग" और "घ"

पदों में निर्धारित कोटा से प्रतिशत बढ़ गया है। किन्तु अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की, विशेषकर तकनीकी विषयों में अनुपलब्धता के कारण समूह "क" तथा "ख" के अन्तर्गत उच्चतर श्रेणी में कमियां हैं। सरकार इन आदेशों के कार्यान्वयन का निरन्तर परिवीक्षण कर रही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों की भर्ती में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) आयु सीमा में छूट, शुल्क में रियायत तथा साक्षात्कारों के लिए यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

(2) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के साक्षात्कार अलग से किए जाएं तथा इन समुदायों के हित संरक्षण के लिए चयन मण्डल/विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य आवश्यक रूप से शामिल किया जाये।

(3) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों को अनुदेश दिए गए हैं कि आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को कड़ाई से कार्यान्वित किया जाये।

(4) भारतीय प्रबन्ध संस्थानों ने समूह "क" और "ख" पदों के लिए उम्मीदवार उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ इन संस्थानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती में वृद्धि करने के लिए उपाय किए हैं।

(5) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सलाह दी गई है कि वे इंजीनियरी के ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करें, जिन्हें अन्ततः सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों द्वारा ही खपा लिया जायेगा तथा कनिष्ठ स्तरीय पदों पर भर्ती के लिए प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति-योजना लागू करें।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा गुड़गांव स्टाक यार्ड में कारों को रोके रखना

6561. श्री डी० बी० पाटिल
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल
डा० बी० वेंकटेश } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारुति उद्योग लिमिटेड ने मारुति कारों के मूल्य बढ़ाने के लिए अपने गुड़गांव स्टाक यार्ड मे लगभग 3000 कारें रोक रखी थीं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कारों के मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है और इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा गाड़ियों की बिक्री कम्पनी द्वारा विकसित की गई वाणिज्यिक प्रक्रिया के अनुसार है।

(ग) कारखाने से निकलते समय के मूल्य में स्टेन्डर्ड कारों के मामले में 7,150 रुपये और डीलक्स माडलों के मामले में 5,550 रुपये की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि येन के दृढ़ीकरण और उत्पादन शुल्क आदि में वृद्धि के कारण है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का उपभोक्ताओं पर प्रभाव

6562. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने के परिणामस्वरूप विदेश व्यापार में लाभ होगा; -

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को इसका लाभ देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल मूल्यों में हाल में हुई कमी के कारण हमारे विदेशी व्यापार पर पड़े संक्षिप्त प्रभाव को मोटे तौर पर भी बताना कठिन है।

तथापि, ऐसी सम्भावना है कि कच्चे तेल के मूल्यों में कमी के कारण आयात में कमी होगी।

यह भी सम्भव है कि पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में तेल उत्पादक दोनों में विशेषज्ञों को धक्का लगे।

(ख) और (ग) यद्यपि इस समय तेल बाजार में नर्मी-गर्मी है, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विश्लेषकों की आम राय यह है कि आने वाले वर्षों में यह उत्तरोत्तर सख्त हो जायेगी और तेल सप्लाई/मांग सन्तुलन को इस तरीके से व्यवस्था की जानी होगी जिससे अन्त में राष्ट्रीय हित की रक्षा हो सके।

खाना पकाने की गैस के खराब तथा क्षतिग्रस्त सिलेंडरों का मूल्य लौटाना

6563. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस के क्षतिग्रस्त सिलेंडर विभाग को लौटाने तथा उनका मूल्य वापस लेने में समय लगता है, जिसके परिणामस्वरूप वितरकों तथा उपभोक्ताओं, दोनों को ही अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ख) क्या उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ प्रभावशाली कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने का सरकार का विचार है कि क्षतिग्रस्त और खराब सिलेंडर सप्लाई ही न किए जाएं और उनका मूल्य तत्काल लौटाया जाये ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जांच और लेखों की औपचारिकताओं में लगने वाले आवश्यक समय के अलावा त्रुटिपूर्ण सिलेंडरों को प्रचालन से हटाने और डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ वित्तीय समायोजन करने में सामान्यत: अनुचित देरी नहीं की जाती है।

(ख) स्थिति में और सुधार करने के लिए किए जाने वाले निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में फील्ड फोर्स को सुदृढ़ करना और प्रक्रियाओं और लेखा प्रणाली में सुधार किये गये हैं।

[अनुवाद]

अल्कोहल का ऊर्जा के स्रोतों के रूप में प्रयोग

6564. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 प्रतिशत अल्कोहल का इस्तेमाल आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रयुक्त किए गए 20 प्रतिशत अल्कोहल से भी कम होगा और यह ऊर्जा का पुन: प्रयोग करने वाले साधनों के इस्तेमाल की दिशा में एक ठोस कदम होगा; और

(ख) क्या यह सच है कि पिछली सूचना के विपरीत विभाग का अब यह मत है कि अल्कोहल (मद्यसार) के इस्तेमाल से ऊर्जा के क्षेत्र में निश्चित रूप से सन्तुलन आयेगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) आटोमोबाइल के लिए, विशेषकर ऊर्जा के स्रोत के रूप में, अल्कोहल के प्रयोग की सम्भावना की विभिन्न समितियों द्वारा जांच की जा चुकी है। यह निर्णय किया जा चुका है कि रासायनिक उद्योगों के लिए भरण स्टॉक के रूप में अल्कोहल बहुत अच्छी सामग्री है तथा उत्पादित सारी अल्कोहल इन उद्योगों की मांग को पूरा करेगी। मोटर ईंधन के साथ इथाइल अल्कोहल के मिश्रण के प्रस्ताव को तभी जारी रखा जा सकता है यदि केवल नये प्रौद्यो-

गिकीय विकास के माध्यम से घरेलू स्रोतों द्वारा अल्कोहल की उपलब्धता को काफी बढ़ाया जा सके। इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य चल रहे हैं।

अल्कोहल पर आधारित उद्योगों में संकट

6565. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को अल्कोहल की कमी के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) देश में अल्कोहल की आपूर्ति, अल्कोहल पर आधारित उद्योगों की मांग सहित विभिन्न प्रयोजनार्थ मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

(ख) (औद्योगिक) की उपलब्धता में सुधार करने के लिए वास्तविक प्रयोगकर्ताओं डिबेचर्ड अल्कोहल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है।

गुजरात में संचार की सुविधाएं

6566. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के विभिन्न शहरों अर्थात अहमदाबाद, सूरत, भडौच आदि में संचार की सुविधाएं विशेषकर "ट्रंक-काल" सम्बन्धी सुविधा संतोषजनक नहीं है;

(ख) क्या जनता संस्थाओं, वाणिज्य मंडलों आदि ने पर्याप्त संचार सुविधा न होने के बारे में सरकार से शिकायतें की हैं;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) वहां पर विलम्ब रहित और दोषमुक्त तथा कब तक उपलब्ध कराये जाने की सरकार को आशा है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। कुछ हद तक।

(ख) जी, हां। ऐसी कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ग) ट्रंक सेवाओं को सुधारने के लिए विभिन्न मार्गों पर, जहां कहीं औचित्य बने, ट्रंक सर्किट और ट्रंक बोर्ड बढ़ाने के लिए यथा समय कार्रवाई की जाती है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्वचलीकरण, एस० टी० डी०/ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज मार्गों, अतिरिक्त ट्रंक बोर्डों की व्यवस्था करना तथा स्थिर संचारण माध्यम पर ट्रंक सर्किट और डिजिटल माइक्रोवेव से सम्बन्धित विभिन्न गत्यवरोध प्रदान किये जाएंगे। तत्पश्चात् ट्रंक सेवाओं में पर्याप्त सुधार होगा।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० की द्वितीय खान विस्तार परियोजना का निष्पादन करना

6567. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि०, नेवेली तमिलनाडु की द्वितीय खान विस्तार परियोजना के लिए कुछ निर्णय लेने में विलम्ब होने से विद्युत उत्पादन दर में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु राज्य और इसके विद्युत बोर्ड केन्द्रीय सरकार से दक्षिणी क्षेत्र की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन हेतु परियोजनाओं को शीघ्र निष्पादित करने के लिये आग्रह कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जून, 1984 में तमिलनाडु सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को तीसरा ताप बिजलीघर (3×500 मे० वा०) स्थापित करने की स्वीकृति शीघ्र ही दी जाए। संसाधनों की कमी के कारण इस परियोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया जा सका।

मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले को "उद्योग विहीन जिला" घोषित करने की मांग

6568 **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले को "उद्योग विहीन जिला" घोषित करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाना पकाने की गैस की एजेन्सियों आदि के आबंटन करने संबंधी चयन बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति

6569. **श्री बी० के० गढवी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों और अन्य संगठनों की ओर से इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि निहित स्वार्थ वाले तत्व बेनामी और अवांछित तरीकों से खाना पकाने की गैस की एजेंसियां और खुदरा दुकानें प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में आइ सलेक्शन बोर्ड द्वारा किये गये निर्णय की जांच करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें दूर करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को चयन बोर्डों के सदस्य चुनने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इस संबंध में संसद सदस्यों और अन्यों द्वारा सामान्य उल्लेख किया जाता रहा है। किसी विशिष्ट मामले की जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (घ) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बल्क औषधों के उत्पादन में कमी

6570. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के लिए बल्क औषधों के उत्पादन हेतु मूल लक्ष्य क्या थे;

(ख) क्या लक्ष्य में संशोधन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो संशोधित किया गया था;

(घ) समाप्त होने वाले वर्ष में वास्तविक उत्पादन कितना था;

(ङ) क्या यह सच है कि उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण बल्क औषधों के आयात को उदार बनाना है; और

(च) यदि हां, तो उस वर्ष के दौरान मूल लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन के बीच कितनी गिरावट आई है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात 1984-85 के लिए प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिए मूल रूप से 665 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1984-85 के लिए प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिए संशोधित लक्ष्य 500 करोड़ रुपये था।

(घ) और (च) अनुमान है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान प्रपुंज औषधों का उत्पादन 377 करोड़ रुपये के लगभग का होगा।

(ङ) जी नहीं। उत्पादन में कमी मुख्यत: मांग में वांछित वृद्धि न होने के कारण हुई।

हरियाणा में मारुति कारों के डीलर

6571. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में किन्हीं कार डीलरों को मारुति कारों की बिक्री के लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम और पते क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स माडर्न आटोमोबाइल्स,
जी० टी० रोड,
अम्बाला-134003
(हरियाणा)

एच० एम० टी० के बल्ब डिवीजन में उत्पादन

6572. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० का बल्ब डिवीजन लाभ कमा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि बाजार में एच० एम० टी० के बल्बों की कोई मांग नहीं है;

(ग) क्या ऐसा प्रचार के अभाव के कारण है; और

(घ) क्या सरकार का विचार डीलरों को अधिक प्रोत्साहन देने और उत्पादन बढ़ाने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।
(ख) यह तथ्य नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। कम्पनी द्वारा डीलरों को प्रोत्साहन उनके वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार दिया जाता है।

दक्षिणी क्षेत्र में लघु उद्योग सेवा संस्थानों को बन्द किया जाना

6573. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी क्षेत्र में लघु उद्योग सेवा संस्थानों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में मद्रास के लघु उद्योगों और व्यापार उद्यमियों के अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि सरकार लघु उद्योग सेवा संस्थानों की देश में भूमिका का पुन: मूल्यांकन कर रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बिजली के लिये अतिरिक्त यूनिट स्थापित करना

6574. **श्री राज करन सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की बिजली की मांग को पूरा करने के

लिए बिजली सप्लाई की जाती है;

(ख) उत्तर प्रदेश के अलावा देश के उन अन्य राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर बिजली की कमी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त यूनिटें स्थापित करने का है; यदि हां, तो इन यूनिटों को कहां-कहां पर स्थापित किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान, उत्तर प्रदेश ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश, भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड प्रणाली, बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र, केन्द्रीय क्षेत्र के सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र, बिहार और मध्य प्रदेश से सहायता प्राप्त की।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान उत्तर प्रदेश के अलावा जिन राज्यों में ऊर्जा की 10% से अधिक की कमी थी वे हैं; हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार तथा उड़ीसा।

(ग) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित निर्माणाधीन/स्वीकृत परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में है। इनमें से सातवीं योजना के दौरान 1794 मेगावाट क्षमता तथा शेष आठवीं योजना में चालू होने की संभावना है :—

क्रम सं०	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1.	विष्णु प्रयाग (जल विद्युत)	$4 \times 120 = 480$
2.	टिहरी (जल विद्युत)	$4 \times 250 = 1000$
3.	लकवा व्यासी बहुद्देश्यीय (जल विद्युत)	$3 \times 100 + 2 \times 60 = 420$
4.	मानेरी दो (जल विद्युत)	$4 \times 76 = 304$
5.	खारा (जल विद्युत)	$3 \times 24 = 72$
6.	अन्पारा "क" (ताप विद्युत)	$3 \times 210 = 630$*
7.	अन्पारा "ख" (ताप विद्युत)	$2 \times 500 = 1000$
8.	टाण्डा (ताप विद्युत)	$4 \times 110 = 440$
9.	ऊंचाहार (ताप विद्युत)	$2 \times 210 = 420$
		$= 4766$

* अनपारा "क" ताप विद्युत केन्द्र में 210 मेगावाट की एक यूनिट पहले ही चालू कर दी गई है।

उपर्युक्त के अलावा, केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश स्थित निम्नलिखित निर्माणाधीन/स्वीकृत स्कीमें भी निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश को अपना हिस्सा प्राप्त होगा :—

1. सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-दो	2×500 मेगावाट
2. रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र	2×500 मेगावाट
3. टनकपुर (जल विद्युत)	3×40 मेगावाट
4. नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र	2×235 मेगावाट

[अनुवाद]

होन्डा कार के लिये आवेदन पत्र

6575. श्री पी० आर० कुमारमंगलम
श्री मानिक रेड्डी } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईंधन की बचत और अन्य सम्बन्धित कारणों के आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों पर खर्च में कटौती करने के मामले में होन्डा जैसी कार बहुत किफायती रहेगी;

(ख) क्या होन्डा के प्रचलन के बारे में विचार हो रहा है; और

(ग) क्या कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) यह भारतीय चालन परिस्थितियों के अन्तर्गत गाड़ी के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

(ख) तथा (ग) टेल्को-होंडा सहित कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

मिट्टी के तेल का उत्पादन और पूर्ति

6576. श्री चिन्तामणि जेना
श्री अमर सिंह राठवा
श्री डी० बी० पाटिल } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान मिट्टी के तेल का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन हुआ है और कितने तेल का आयात किया गया है;

(ख) प्रत्येक राज्य ने वर्ष 1984-85 और वर्ष 1985-86 के दौरान कितने मिट्टी के तेल की मांग की और प्रत्येक राज्य का वास्तव में कितना मिट्टी का तेल प्रतिवर्ष दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य को सप्लाई किया गया मिट्टी का तेल उनकी मांग से बहुत कम है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में कुछ भागों में मिट्टी के तेल की कमी के कारण मिट्टी का तेल काले बाजार में बेचा जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार प्रत्येक राज्य की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1982-83 से 1985 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान केरोसीन का उत्पादन और आयात निम्नलिखित हैं :—

मात्रा : मिलियन मी० टन में

मूल्य : करोड़ रु०

अवधि	केरोसीन का उत्पादन	सकल आयात	
		मात्रा	मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1982-83	3.39	1.88	595.89
1983-84	3.53	2.03	603.64
1984-85	3.36	2.61	844.77
1985* (अप्रैल-दिस०)	2.88	1.88	618.64

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों की केरोसीन की मांग का निर्धारण चार माह के ब्लाक के आधार पर गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान किए गए आबंटन पर 5 प्रतिशत की वृद्धि देकर किया जाता है। नियमित आबंटनों के अलावा बाढ़, सूखा, तूफान, एल० पी० जी० और सापट कोक की कमी आदि जैसी विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए अतिरिक्त तदर्थ रिलीजें भी की जाती हैं। सर्दियों के महीनों (नवम्बर 85 से फरवरी 86) और गर्मियों के वर्तमान महीनों

* अस्थायी

मार्च-जून, 1986) के लिए क्रमश: 7-1/2 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की वृद्धि देकर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए आबंटन किया गया है।

वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान केरोसीन के आबंटन/सप्लाई को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है। दिए गए आंकड़ों से विदित होता है कि सप्लाई लगभग आबंटन के बराबर रही है।

(घ) और (ङ) केरोसीन का पूर्ण रूप से आबंटन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, इसका आगे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों द्वारा किया जाता है। इन्हें वितरण को स्वच्छ और समान रूप से करने और कालाबाजारी, जमाखोरी आदि को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए समय-समय पर सलाह दी गई है तथा संबंधित नियमों के अनुसार यथावश्यक कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है।

विवरण

केरोसीन का आबंटन और बिक्री

आंकड़े मी० टनों में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1984-85		1985-86	
	आबंटन	बिक्री (अनंतिम)	आबंटन	बिक्री (अनंतिम) (अप्रैल, 85 फरवरी, 86)
1 2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	418150	418831	434968	394244
2. अरुणाचल प्रदेश	6430	6778	7030	7437
3. अंडमान व निकोबार	2090	1804	2310	2309
4. आसाम	174460	177995	195390	181222
5. बिहार	306120	306321	327200	302184
6. चंडीगढ़	14828	14870	15580	14546
7. दादर व नगर हवेली	2090	4533*	2230	4032*

1 2	3	4	5	6
8. दिल्ली	166220	164110	176000	160000
9. गुजरात	546500	545084	575520	529673
10. गोवा, दमन व द्वीप	21410	18895**	22300	17818**
11. हरियाणा	114270	114730	116180	105061
12. हिमाचल प्रदेश	24810	24036	26225	24455
13. जम्मू-कश्मीर	48230	48534	49910	47260
14. कर्नाटक	314050	306419	332050	294682
15. केरल	176130	174440	186400	168708
16. मध्य प्रदेश	263720	259423	272360	244273
17. महाराष्ट्र	1041640	1035790	1096030	1001365
18. मणिपुर	15040	15265	15220	14616
19. मेघालय	10520	11183	12110	11715
20. मिजोरम	4200	4037	4390	4136
21. नागालैंड	6990	7227	7400	7545
22. उड़ीसा	102700	101873	108850	99863
23. पंजाब	225060	225330	236430	216922
24. पाण्डेचेरी	10440	10035	11280	9878
25. राजस्थान	179000	177450	185110	168988
26. सिक्किम	5140	3015	5440	5940
27. तमिलनाडु	466420	460479	490360	440443
28. त्रिपुरा	15390	12509	16680	13158

1	2	3	4	5	6
29.	उत्तर प्रदेश	655220	655809	681460	625980
30.	पश्चिम बंगाल	5 0300	539822	558230	516646
3	लक्षद्वीप	610	उ०न०	640	उ०न०
	जोड़	5878178	5846627	6171283	5635099

* दमन और द्वीव में की गई बिक्री सहित

** दमन और द्वीप में की गई बिक्री को छोड़कर

उ० न०—उपलब्ध नहीं।

कोयले का आयात

6577. श्री अमर सिंह राठवा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984-85 और 1985-86 के दौरान बड़ी मात्रा में कोयले का आयात किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा का और किस देश से आयात किया गया और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 1985-86 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० द्वारा आयातित कोककर कोयले की मात्रा, आयातित कोयले की लागत और भाड़ा और वह देश जहां से आयात किया गया है, निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	मात्रा (मि० टन में)	लगभग लागत और भाड़ा (रु० करोड़ में)	उस देश का नाम जहां से आयात किया गया है
1984-85	0.665	55.80	आस्ट्रेलिया
1985-86	2.034	161.80	आस्ट्रेलिया और पोलैंड

वर्ष 1985-86 के दौरान तमिलनाडु विद्युत बोर्ड ने भी आस्ट्रेलिया से 0.1 मि० टन अकोक-

कर कोयले (राख का अंश 18% से कम) का आयात किया है। इसमें लगभग रु० 5.00 करोड़ की विदेशी मुद्रा लगी।

[हिन्दी]

रायपुर में उच्च न्यायालय की खंड-पीठ

6578. श्री केयूर भूषण : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 618**

(क) क्या रायपुर (मध्य प्रदेश) के लोगों ने वहां उच्च न्यायालय की खण्ड-पीठ स्थापित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए एक आयोग का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके अनुसरण में रायपुर में उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ स्थापित करने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने रायपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना का प्रस्ताव किया है। जैसाकि पहले राज्य सरकार ने सुझाव दिया था, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना की मांग को, केन्द्रीय सरकार ने जसवंत सिंह आयोग को निर्देशित कर दिया था। उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना के प्रश्न पर साधारणत: और कुछ उच्च न्यायालयों (जिसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भी है) की न्यायपीठों की स्थापना के प्रश्न पर विनिर्दिष्टतया जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और केन्द्रीय सरकार उस पर विचार कर रही है। इस विषय पर अभी तक कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

पुरानी संचार प्रणाली को आधुनिक कम्प्यूटरीकृत प्रौद्योगिकी से बदलना

6579. श्री हुसैन दलवाई : क्या संचार मन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षों पुरानी संचार प्रणाली को आधुनिक कम्प्यूटरीकृत प्रौद्योगिकी से बदलने के संबंध में उनके मंत्रालय की भावी योजना क्या है;

(ख) संचार प्रणाली के लिए नई प्रौद्योगिकी के आयात के संबंध में सरकार किस देश के साथ बातचीत कर रही है;

(ग) क्या जापान से आयात की गई इलैक्ट्रानिक टेलीफोन प्रणाली से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारत सरकार संचार के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी उपयोग करने के लिये कुछ ठोस कदम उठा रही है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पुरानी स्ट्रोजर और क्रास-बार प्रणालियों को चरणबद्ध ढंग से डिजिटल टेक्नालॉजी में बदलने की योजना बनाई गई है जो इस बात पर निर्भर करता है कि विभाग को कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ख) विभाग ने सी० आई० टी० अल्कातेल, फ्रांस के साथ ई-- 10 बी० डिजिटल स्विचन उपस्कर का देश में ही विनिर्माण करने के लिए एक समझौता किया है।

(ग) जी नहीं। जापान से जो इलेक्ट्रानिक टेलीफोन स्विचिंग आयात किया गया था वह चालू हो गया है और संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

(घ) जी हां। नेटवर्क में डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचन, फाइबर ऑप्टिक, डिजिटल माइक्रो-वेव उपग्रह तथा अन्य उपस्करों के रूप में अद्यतन टेक्नालॉजी शामिल करने का प्रस्ताव है। इन प्रणालियों को कितनी जल्दी शामिल किया जा सकेगा वह दूरसंचार क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई धनराशि पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्यों को सहायता

6580. श्री हरीश रावत : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभिन्न राज्यों को ऋण अथवा सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि दी है और प्रत्येक राज्य में उसकी प्रति व्यक्ति औसत क्या है ?

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में विद्युतीकृत गांवों की प्रतिशतता में काफी अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो इस अन्तर को दूर करने हेतु सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या कदम उठाने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) ग्राम विद्युतीकरण के लिए राज्य बिजली बोर्डों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु ग्राम विद्युतीकरण निगम 1969 में स्थापित किया गया था। फरवरी 1986 के अन्त तक ग्राम विद्युतीकरण निगम ने ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों को ऋण सहायता के रूप में लगभग 2192 करोड रुपये वितरित किए हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों को ऋण सहायता का राज्यवार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा दी गई प्रति व्यक्ति ऋण सहायता 50.01 रुपये बैठती है। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 28.2.1986 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जिन राज्यों में विद्युतीकरण का स्तर नीचा है, उनमें ग्राम विद्युतीकरण की गति में तेजी लाने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम पिछड़े और विकासशील क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता उदार शर्तों पर देता है, जिसमें व्यवहार्यता के मानदण्डों में छूट, ब्याज की कम दर तथा अदायगी की अपेक्षाकृत लम्बी अवधियां शामिल हैं।

विवरण

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अधीन वितरित की गई ऋण राशि तथा वितरित की गई प्रति व्यक्ति ऋण राशि और विभिन्न राज्यों में ग्रामों के विद्युतीकरण की प्रतिशतता

क्र० सं०	राज्य	चौथी योजना (67-74)	5वीं योजना (74-78)	वार्षिक योजना (78-80)	छठी योजना (80-85)	31.3.85 तक जोड़	85-86 के दौरान (फर०86 तक)	फरवरी 86 तक जोड़	ग्रामीण जनसंख्या को वितरित प्रति व्यक्ति ऋणराशि	प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण (28.286 तक)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	15.94	26.38	22.91	80.52	145.75	20.92	166.67	47.48	85
2.	असम	1.91	10.17	9.12	68.99	90.19	14.92	105.13	78.83	58
3.	बिहार	13.12	35.75	24.18	89.93	162.98	14.15	177.14	34.93	52
4.	गुजरात	6.93	12.68	16.48	46.86	82.95	9.94	92.88	48.37	92
5.	हरियाणा	5.29	8.51	7.49	28.80	50.09	4.92	55.00	66.55	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	हिमांचल प्रदेश	3.57	7.64	6.18	33.40	50.49	6.88	57.36	178.19	89
7.	जम्मू व कश्मीर	2.48	12.33	6.98	17.62	39.4	0.87	40.28	107.15	88
8.	कर्नाटक	7.42	12.33	9.40	46.37	75.52	10.81	86.34	38.93	86
9.	केरल	3.84	5.46	2.62	16.28	28.20	6-41	34.62	29.36	100
10.	मध्य प्रदेश	15.14	44.47	42.24	157.93	259.78	23.98	283.77	81.38	60
11.	महाराष्ट्र	20.06	22.86	27.99	74.36	145.27	18.96	164-25	47.33	94
12.	मणिपुर	—	00.17	1.71	4.19	6.07	—	6.06	65.09	34
13.	मेघालय	0.16	4.26	4.16	12.76	21.34	0.38	21.73	251.21	28
14.	नागालैंड	—	1.54	1.66	7.57	10.77	2.24	11.00	279.57	75
15.	उड़ीसा	8.07	25.00	26.46	55.37	114.90	7.31	122.20	60.80	52
16.	पंजाब	8.71	15.76	15.62	56.20	96.29	10.32	106.60	103.14	100
17.	राजस्थान	12.24	32.66	25·80	78.82	149..52	8.93	158.86	74.67	61
18.	तमिलनाडु	8.68	12.77	14.94	40.37	76.76	11.76	88.53	30.81	99.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	त्रिपुरा	—	1.92	1.70	9.88	13.50	1.53	15.03	107.82	42
20.	उत्तर प्रदेश	19.61	28.05	32.91	129.91	210.48	37.74	248.21	32.68	58
21.	पश्चिम बंगाल	11.36	27.98	20.80	68.13	128.27	7.07	135.24	40.59	51
22.	सिक्किम	—	—	—	4.09	4.09	1.79	5.88	309.47	51
	जोड़	164.33	348.59	321.35	1128.35	1962.62	221.73	2184.38*	50.01**	66**

*1985.86 के दौरान (फरवरी 1986 तक) विभिन्न ग्राम विद्युतीकरण सहकारी समितियों को वितरित किए गए 7.38 करोड़ रुपये इसमें शामिल नहीं हैं।

**राज्यों का औसत

[अनुवाद]

बागलकोट उद्योग लिमिटेड, बीजापुर द्वारा प्रदूषण

6581. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीजापुर जिले के बागलकोट शहर में एक सीमेंट उत्पादक यूनिट बागलकोट उद्योग लिमिटेड द्वारा अत्यन्त प्रदूषित धूल और धुआं छोड़े जाने के कारण वहां पर स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, बागलकोट उद्योग लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1955 से चालू एक विद्यमान सीमेंट संयंत्र ने अपने संयंत्र के धूल तथा धुएं को नियंत्रण में रखने के लिए अपने विद्यमान किलन में पहले से ही इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसीपीटेटर्स (ई० एस० पी०) लगा लिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कलकत्ता प्रधान डाकघर के उपभवन का निर्माण

6582. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता प्रधान डाक्टर के उपभवन के प्रस्तावित निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) संशोधित ड्राइंग तैयार की जा रही है और स्थानीय अधिकारियों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के लिए उन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) स्थानीय अधिकारियों, इंडियन हैरिटेज सोसाइटी के सुझावों तथा अन्य पर्यावरणीय कारणों को मद्देनजर रखते हुए ड्राइंग संशोधित की जा रही हैं।

मोटर वाहनों में अल्कोहल का इस्तेमाल

6583. **श्री सुभाष यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मार्च, 1986 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि ब्राजील में गन्ने से निकाले गए अल्कोहल का छः लाख से अधिक मोटरवाहन इस्तेमाल कर रहे हैं;

(ख) क्या ब्राजील इस अल्कोहल का अमरीका तथा इस्राइल को निर्यात कर रहा है।

(ग) क्या सरकार का विचार गन्ने से अल्कोहल बनाने और भारत में मोटर वाहनों में इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रयोग करने का है ताकि विदेशी मुद्रा की बचत की जाये तथा देश में पेट्रोलियम की मांग पूरी की जाए; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) यद्यपि पावर अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर आटोमोटिव ईंधन के रूप में प्रयोग में लाने की तकनीक स्थापित हो चुकी है, फिर भी भारत में अल्कोहल का व्यापारिक प्रयोग व्यवहार्य नहीं पाया गया है क्योंकि औद्योगिक अल्कोहल की देशीय मांग आयातित डेन्डचर्ड अल्कोहल द्वारा पूरी की जा रही है। इसके अतिरिक्त अल्कोहल को ईंधन के रूप में प्रयोग में लाने से उस औद्योगिक कच्चे माल का इष्टतम उपयोग नहीं माना जाएगा जिस देश में अधिक मूल्य के रसायनों में अधिकतर प्रयोग में लाया जा सकता है। देश में वर्तमान में पेट्रोल का उत्पादन इसकी मांग की तुलना में पर्याप्त है। अतः सरकार का अल्कोहल को पेट्रोल के स्थान पर ईंधन के रूप में प्रयोग में लाने का कोई विचार नहीं है।

आशय पत्र

6584. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 और 1985 में कुल कितने आशय पत्र जारी किए गए और उनका राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने विदेशी सहयोग किए गए हैं;

(ग) पिछड़े क्षेत्रों और उद्योग विहीन जिलों को कुल कितने आशय-पत्र जारी किए गए; और

(घ) किस किस्म के उद्योगों के लिए सर्वाधिक आशय-पत्र दिये गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान जारी किए गए आशयपत्रों की कुल संख्या 2521 थी। इनका राज्यवार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1984 और 1985 में विदेशी सहयोग के 1776 मामले स्वीकृत किए गए थे।

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान, केन्द्रीय रूप से घोषित पिछड़े क्षेत्रों में एककों की स्थापना करने के लिए कुल 1401 आशयपत्र जारी किए गए थे। इनमें से 198 आशयपत्र "उद्योग रहित जिलों" के लिए थे।

(घ) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान स्वीकृत आशयपत्रों की संख्या का अनुसूचित उद्योग-वार ब्यौरा बताने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण-1

वर्ष 1984 और 1985 के दौरान जारी किए गए आशयपत्रों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	1984-1985 के दौरान जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या	
		1984	1985
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	92	127
2.	अण्डमान तथा निकोबार	2	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	1
4.	असम	14	12
5.	बिहार	21	22
6.	चण्डीगढ़	3	3

1	2	3	4
7.	दादरा तथा नगर हवेली	—	5
8.	दिल्ली	6	23
9.	गोवा, दमन तथा दिव	9	15
10.	गुजरात	107	151
11.	हरियाणा	53	97
12.	हिमाचल प्रदेश	18	29
13.	जम्मू और काश्मीर	9	18
14.	कर्नाटक	63	92
15.	केरल	7	25
16.	लक्षद्वीप	—	—
17.	मध्य प्रदेश	77	89
18.	महाराष्ट्र	194	211
19.	मणिपुर	—	1
20.	मिजोरम	—	—
21.	मेघालय	2	1
22.	नागालैंड	1	—
23.	उड़ीसा	20	39
24.	पांडिचेरी	11	13
25.	पंजाब	44	57
26.	राजस्थान	38	41
27.	सिक्किम	2	—
28.	तमिलनाडु	89	110
29.	त्रिपुरा	—	—
30.	उत्तर प्रदेश	132	194

1	2	3	4
31.	पश्चिम बंगाल	35	68
32.	राज्य नहीं बताया गया/ एक से अधिक राज्य	73	11
	योग :	1064	1457

विवरण-दो

वर्ष 1984 और 1985 के दौरान जारी किए गए आशयपत्रों का उद्योगवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	अनुसूचित उद्योग	1984-85 के दौरान जारी किए गए आशय पत्र	
		1984	1985
1	2	3	4
1.	धातुकर्मी उद्योग	126	244
2.	इंधन	1	3
3.	बायलर और भाप बनाने वाले संयंत्र	—	1
4.	प्राइम मूवर्स	5	4
5.	विद्युत उपकरण	227	295
6.	दूर संचार	62	175
7.	परिवहन	58	73
8.	औद्योगिक मशीनरी	69	53
9.	मशीनरी औजार	14	14
10.	कृषि मशीनरी	2	—

1	2	3	4
11.	मिट्टी हटाने वाली मशीनरी	1	3
12.	विविध यांत्रिक और इंजीनियरी मशीनरी	21	63
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण	18	21
14.	चिकित्सकीय और शल्य उपकरण	4	3
15.	औद्योगिक औजार	11	23
16.	वैज्ञानिक उपकरण	3	2
17.	गणितीय (मैथेमेटीकल) सर्वेक्षण और आरेखन (ड्राइंग) उपकरण	1	—
18.	उर्वरक	20	15
19.	रसायन (उर्वरकों के अलावा)	159	180
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म एण्ड पेपर	—	—
21.	रंजक प्रदर्थ (डाई स्टफ)	1	—
22.	औषधियां और भेषज	27	48
23.	वस्त्र (इनमें रंगे, छपे अथवा अन्यथा तैयार किए गए शामिल हैं)	46	87
24.	कागज और लुगदी कागज उत्पादों सहित	18	20
25.	चीनी	25	2
26.	किण्वन उद्योग	4	2
27.	खाद्य परिष्करण उद्योग	22	20
28.	वनस्पति तेल और वनस्पति	21	16
29.	साबुन, प्रसाधन और नहाने से सम्बन्धित तैयार वस्तुएं	6	3
30.	रबड़ की वस्तुएं	17	18
31.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और परिष्कारक (पिक्करस)	7	18

1	2	3	4
32.	ग्लू और जिलेटिन	1	1
33.	काच	15	9
34.	चीनी मिट्टी (सिरेमिक)	15	11
35.	सीमेंट और जिपसम उत्पाद	26	17
36.	लकड़ी की बनी वस्तुएं (उत्पाद)	8	8
37.	रक्षा उद्योग	—	—
38.	विविध उद्योग	3	5
	योग :	1064	1457

ऊर्जा की बचत को विनियमित करने के लिये विशेष विभाग

6585. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऊर्जा की बचत संबंधी प्रस्तावों को विनियमित और क्रियान्वित करने के लिए विशेष विभाग स्थापित करने का है;

(ख) क्या इस प्रकार के विभाग के अधिक कारगर ढंग से काम करने की संभावना है और क्या वह एक स्वायत्तशाली निकाय होगा; और

(ग) क्या ऐसा कोई अध्ययन कराया गया है कि इन दूसरे देशों में इस प्रकार के अभिकरण किस तरह कार्य करते हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) ऊर्जा सलाहकार बोर्ड और ऊर्जा के समुपयोजन और संरक्षण के संबंध में अन्तः मन्त्रालयीय कार्यकारी दल ने विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की कार्यकुशलता में सुधार लाने में विद्यमान पर्याप्त गुंजाइश तथा ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के समन्वित कार्यनिष्पादन किए जाने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। इस संदर्भ में, ऊर्जा के उत्पादन और समुपयोजन से संबंधित विद्यमान एजेंसियों और मंत्रालयों/विभागों के जरिए सूचना एकत्र करने/सूचना का आदान-प्रदान करने, नीति और क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रमों को तैयार करने के लिये एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करने हेतु विद्युत विभाग, ऊर्जा मंत्रालय में हाल ही में एक ऊर्जा संरक्षण स्कंध स्थापित किया गया है। सरकार अन्य विकसित देशों में प्रचलित प्रणालियों का भी अध्ययन कर रही है। विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित विस्तृत कार्यवाही की योजना तैयार की जा रही है तथा विचाराधीन उपायों में संगठनात्मक पहलू एक है।

पेनिसिलिन जी की कमी

6586. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेनिसिलिन जी की कमी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान देश में इस औषध का कितना उत्पादन हुआ और वर्ष 1985-86 में इसकी कितनी मांग का अनुमान है;

(ग) क्या उनके विभाग ने इसके कुछ आयात की अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में नीति क्या है ?

रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : (क) पेनिसिलिन की कोई कमी नहीं है।

(ख) गत 2 वर्षों के दौरान पेनिसिलिन का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

1983-84	316.74 एम०एम०यू०
1984-85	221.68 एम०एम०यू०

तथा औषध मध्यवर्तियों के फार्मूलेशनों के निर्माण के लिये वर्ष 1985-86 की कुल अनुमानित मांग 1320 एम०एम०यू० है।

(ग) और (घ) अप्रैल, 1985 से मार्च, 1988 की अवधि के लिए पेनिसिलिन का आयात एवं निर्यात नीति के अंतर्गत निषिद्ध है। समय-समय पर वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा दिये गये प्रतिपूरक लाइसेंसों पर आयात अनुमेय किये गये हैं क्योंकि पेनिसिलिन का स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं था।

हंगरी के सहयोग से चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिये एकक स्थापित करना

6587. **श्री पी० एम० सईद** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के साथ उन्नत चिकित्सा उपकरणों और यन्त्रों का निर्माण करने के लिए औद्योगिक एकक स्थापित करने हेतु किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सहयोग में शामिल गैर-सरकारी और सरकारी कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) करार के अंतर्गत निर्मित किये जाने वाले मुख्य चिकित्सा उपकरणों और यन्त्रों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) हंगरी को अभी तक अनुमोदित कम्पनियों के साथ विदेशी सहयोग में उन्नत चिकित्सा उपकरणों तथा यन्त्रों का निर्माण शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

फेरा और भूतपूर्व फेरा औषध कंपनियों द्वारा मूल स्तरों से बल्क औषधों का उत्पादन

6589. **श्री सरफराज अहमद** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन फेरा और भूतपूर्व फेरा कम्पनियों के नाम क्या हैं जो इन्टरमीडिएट्स और पेनल्टीमेट्स स्तरों से बल्क औषधों का उत्पादन कर रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि ये कम्पनियां अपने देशों में इन औषधों का मूल स्तरों से निर्माण कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन कम्पनियों द्वारा मूल स्तरों से इन औषधों का उत्पादन करने के लिए क्यों नहीं कहा गया है ?

रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : (क) जहां तक विवरण उपलब्ध है उपान्तिम/मध्यवर्ती तथा मूल अवस्था से प्रपुंज औषधों का उत्पादन कर रही फेरा एवं भूतपूर्व फेरा कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) ये विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) ये कम्पनियां उनके द्वारा धारित औद्योगिक अनुमोदनों के अनुसार प्रपुंज औषधों का उत्पादन कर रही है।

विवरण

मध्यवर्ती/मूल अवस्थाओं से प्रपुंज औषधों का उत्पादन कर रही फेरा और भूतपूर्व फेरा कम्पनियों की सूची

1. बेयर
2. फाइजर
3. रोचे
4. मे एण्ड बेकर

5. सीबा गेगी
6. पार्क डेविस
7. सेन्डोज
8. ए०सी०सी०आई० (आई०ई०एल०)
9. यूनी सेंक्यो
10. बुरोज बेलकम
11. मेरिन्ड
12. इन्फार
13. एस० जी० कैमिकल्स
14. ज्योफरी मैनर्स

नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन की द्वितीय ताप विद्युत केंद्र विस्तार योजना

6590. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि०, तमिलनाडु की द्वितीय खान और द्वितीय ताप विद्युत केन्द्र विस्तार योजनाओं के सम्बन्ध में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है;

(ख) क्या परियोजना की लागत वर्ष 1983 के बाद से अब तक काफी बढ़ गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और वित्तीय स्रोत सहित इन विस्तार योजनाओं के वर्तमान प्राक्कलन क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) दूसरी खान विस्तार परियोजना के लिए अपेक्षित प्रमुख विशिष्ट खनन उपकरणों की खरीद की कार्रवाई चल रही है। द्वितीय ताप बिजली घर विस्तार योजना से संबंधित मुख्य उपकरणों के बारे में दिनांक 28-2-1986 को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० को लघु आशय-पत्र जारी कर दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1983 से परियोजनाओं की लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। संशोधित लागत अनुमानों की मंजूरी के लिए आवश्यक कार्रवाई चल रही है अनुमान के अनुसार, द्वितीय बिजली घर विस्तार योजना की संशोधित लागत रु० 1080 करोड़ तक और दूसरी खान विस्तार योजना की संशोधित लागत रु० 760 करोड़ तक जा सकती है। यह दोनों लागतें दिसम्बर, 1985 की कीमतों के आधार पर हैं।

के०एफ०डब्लू० ने सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है कि वह पश्चिम जर्मनी से उपकरणों/कलपुर्जों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता देगा। रुपए वाला भाग नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन पूरा करेगा और यह अंशत: सरकार की बजट-सहायता से और बाकी कार्पोरेशन के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जायेगा।

गांवों में संचार सुविधायें

6591. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण डाकघरों के सम्बन्ध में क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार देश में सभी गांवों में संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने में समर्थ है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार देश में सभी गांवों को संचार प्रणाली के मानचित्र में कब तक शामिल करेगी; और

(घ) क्या ग्रामीण डाकघरों में विभागेत्तर सहायकों को पर्याप्त संख्या में नियुक्त किया जाता है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए 1978-79 में निर्धारित मानदंड विवरण में दिये गये हैं फिर भी पहले से स्थापित व्यापक ग्रामीण नेटवर्क को देखते हुए तथा संसाधनों की कमी तथा पदों के सृजन पर लगी रोक के परिणामस्वरूप इन मानदंडों के अनुसार नए डाकघर नहीं खोले जा रहे है।

(ख) जी हां। देश में ग्रामीण डाक प्रणाली के अंतर्गत सभी गांव आते हैं। कुछेक मामलों को छोड़कर, सभी गांवों में प्रतिदिन डाक वितरण होता है। ग्रामीण डाकिया/अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट जो गांवों में डाक वितरण और मनिआर्डर का भुगतान करने के लिए जाते रहते हैं, को डाक टिकट और स्टेशनरी तथा प्रेषण के लिए डाक एकत्र करने का कार्य भी करना होता है। अधिकांश मामलों में इन कर्मचारियों को पंजीकृत डाक वस्तुएं भी बुक करनी होती है। अब तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,28,609 डाकघर खोले गए हैं तथा 4,18,037 पत्र पेटियां स्थापित की गई हैं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) ग्रामीण डाकघरों में डाक वाहन, वितरण पत्र पेटियों की निकासी तथा काउंटरों पर लेन-देन पर आधारित कार्यभार के अनुसार कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है। कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं जबकि कुछ अन्य मामलों में, कार्य के आधार पर विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न कर्मचारी नियुक्त किए जा सकते हैं। समग्र रूप से, यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण डाकघरों में पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है।

विवरण

देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिये मानदंड

ग्रामीण इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :—

(1) सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर और

(2) आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर

1. सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर :

(I) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गावों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की सम्भावना हो।

(II) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर-ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं —

(क) उस गांव की आबादी 2000 या इससे अधिक होनी चाहिए

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

2. आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर :

(I) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गावों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(II) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर-ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) उस गांव (या 1½ किलोमीटर के घेरे में ग्रामों के समूह) की आबादी 1000 या इससे अधिक होनी चाहिए।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर नहीं होना चाहिए; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

केरल में समुद्र ताप विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करना

6592. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं योजना अवधि के दौरान केरल में एक समुद्र ताप ऊर्जा उत्पादन संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी नहीं। फिर भी भारत सरकार समुद्रतट पर आधारित, लक्षदीप में एक मेगावाट क्षमता वाले ओ०टी०ई०सी० संयंत्र की स्थापना करने की तकनीकी-आर्थिक सम्भावना पर विचार कर रही है।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय औद्योगिक क्षेत्र के अधीन परियोजनाएं/योजनाएं

6593. **श्रीमती शीला दीक्षित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय औद्योगिक क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं/योजनाओं के नाम क्या हैं तथा (एक) उनके नाम क्या हैं (दो) वे कहां-कहां पर चल रही हैं (तीन) ऐसी परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है (चार) वे कब शुरू की गई थीं (पांच) उनकी कुल अनुमानित लागत कितनी है (छः) उनका वार्षिक व्यय कितना है (सात) राज्य सरकार को यदि कोई सुविधाएं दी गई हैं तो वे क्या हैं और (आठ) इन परियोजनाओं/योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसकी प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और उसका विवरण सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

पाइप लाइन बिछाने का कार्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सौंपना

6594. श्री कुंवर राम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मन्त्रालय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पाइप लाइन बिछाने का कार्य सौंपने में संकोच कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है; और

(ग) इस समय देश में कितने उपक्रमों को यह कार्य सौंपा गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) पाइप लाइन बिछाने का कार्य खुली निविदाओं के माध्यम से दिया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त प्राथमिकता दी जाती है। एच०बी०जे० गैस पाइपलाइन के मामले में गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा विज्ञापित विश्वव्यापी निविदाओं के प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रस्तावों में केथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम के सम्बन्ध में भले (बी०एच०ई०एल०) भी शामिल है, जो अमेरिका की ह्यारको (एच०ए०आर०सी०ओ०) के साथ सहयोग कर रहा है और इसे मंजूरी दे दी गई है।

(ग) ओ०एन०जी०सी० के पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्राप्त निविदाओं के आधार पर घरेलू प्राइवेट कम्पनियों में से मैसर्स डोडसाल प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ईसर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को सौंपा गया है।

राज्यों में सरकारी क्षेत्रों में केन्द्र के यूनिटों में निवेश

6596. श्री गदाधर साहा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार सरकारी क्षेत्र में केन्द्र के यूनिटों की संख्या कितनी है;

(ख) 1981 से 1985 तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस क्षेत्र में संघ राज्य क्षेत्र-वार और राज्यवार और यूनिटवार कितना औद्योगिक निवेश किया गया है; और

(ग) 1981 से 1985 के बीच राज्यों में इन यूनिटों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार और यूनिटवार कितना निवेश किया गया, कितने धन का आवं-टन किया गया अनुदान/सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) चूंकि अनेक केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का प्रचालन क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए 31-3-1985 को केन्द्रीय सरकार के 217 औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों तथा उनके पंजीकृत कार्यालयों की अवस्थिति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रत्येक उद्यम में केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा सामान्य शेयर पूंजी के रूप में किये गये पूंजीनिवेश तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में किये गये (सकल परिसम्पत्ति के मूल्य के रूप में) राज्यवार कुल पूंजीनिवेश का विवरण सभा पटल पर रखे गये सम्बन्धित वर्षों के लोक उद्यम सर्वेक्षणों में उपलब्ध है। ऋणों तथा सामान्य शेयर पूंजी के अलावा, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए कोई अनुदान या सहायता नहीं दी जाती है।

विवरण

31-3-1985 को केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के पंजीकृत कार्यालयों की अवस्थिति का ब्यौरा

1.	आन्ध्र प्रदेश	12
2.	असम	4
3.	बिहार	12
4.	गुजरात	3
5.	हरियाणा	1
6.	कर्नाटक	14
7.	केरल	6
8.	महाराष्ट्र	26
9.	मध्य प्रदेश	2
10.	नागालैण्ड	1
11.	उड़ीसा	3
12.	पंजाब	2
13.	राजस्थान	6

14.	तमिलनाडु	6
15.	उत्तर प्रदेश	15
16.	दिल्ली	56
17.	अन्य	3
18.	पश्चिम बंगाल	45
	जोड़ :	217

आन्ध्र प्रदेश की विचाराधीन औद्योगिक परियोजनाएं

6597. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश की औद्योगिक परियोजनाएं विचाराधीन पड़ी हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक मन्जूरी मिलने अथवा इनका निपटान किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अधीन आशय पत्र दिये जाने हेतु 9-4-1986 तक प्राप्त 80 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन थे। इनमें से 51 आवेदन, 1986 में प्राप्त हुए थे। सरकार का यह सतत प्रयास रहता है कि सभी औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों को यथाशीघ्र निपटाया जाए। इसका सुनिश्चय करने के लिए प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया गया है।

मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

6598. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए प्रस्तावित स्थान कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या भिंड और दतिया को भी ऐसे एक्सचेंज स्थापित करने की योजना में शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले स्थानीय इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के बारे में जानकारी विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) ब्यौरा उपर्युक्त भाग (ख) में दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	स्टेशन का नाम	इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की प्रस्तावित क्षमता	संस्थापित करने का संभावित वर्ष बशर्ते कि इसके लिए संसाधन प्राप्त हो जाएं
1	2	3	4
1.	भिन्ड	600 लाइनें	1986-87
2.	दतिया	400 लाइनें	—वही—
3.	धार	400 लाइनें	—वही —
4.	बेबूल	400 लाइनें	—वही—
5.	खारगांव	400 लाइनें	—वही—
6.	मन्दीसा	400 लाइनें	—वही—
7.	शाहजापुर	400 लाइनें	—वही—
8.	टिकमगढ़	400 लाइनें	—वही—
9.	अम्बिकापुर	600 लाइनें	—वही—
10.	बालाघाट	600 लाइनें	—वही—

1	2	3	4
11.	गुआ	600 लाइनें	1986-87
12.	शिवपुरी	600 लाइनें	—वही—
13.	भोपाल	4000 लाइनें	1987-88
14.	जबलपुर	4000 लाइनें	1989-90
15.	इन्दौर	10,000 लाइनें	1989-90

सौर फोटोवोल्टीय पंपिंग सेटों की स्थापना

6599. डा० फूलरेणु गुहा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कोई सौर फोटोवोल्टीय पंपिंग सेट स्थापित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां तो उनकी संख्या कितनी है और ये किन क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में स्थापना के लिए अब तक ग्यारह सौर प्रकाश-वोल्टीय पंपिंग सेट प्रदान किए जा चुके हैं।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, के समुद्र तटीय तेल शोधक कारखानों का विस्तार

6600. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने समुद्र तटीय तेल शोधक कारखानों का और आगे विस्तार करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो विस्तार के लिए चुने गए तेल शोधक कारखानों के नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक मामले में विस्तार की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम कतिपय परिभाषाओं में संशोधन करने का प्रस्ताव

6601. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम में निकट धारित कम्पनियों, समूह तथा अन्तर-निगम शेयर धृतियों जैसे शब्दों की परिभाषा में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम और कम्पनी विधि निकट धारित कम्पनियों और अन्तर-निगम शेयर धृतियों को परिभाषित नहीं करते हैं। "समूह" शब्द, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 2 (ङ च) में परिभाषित किया गया है और कम्पनी विधि में नहीं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में "समूह" की परिभाषा में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिलेण्डरों के फट जाने से होने वाली मौतों के लिए खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य बीमा

6602. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां**
प्रो० राम कृष्ण मोरे } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस के डीलरों/वितरकों के लिए सिलेण्डरों के फट जाने से होने वाली मौतों के लिए गैस उपभोक्ताओं का बीमा करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाना पकाने की गैस का कनेक्शन देते समय वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को बीमे के सम्बन्ध में जानकारी देना सुनिश्चित करने हेतु यदि कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई हो तो वह क्या है और यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है और सख्ती से पालन किया जाता ताकि खाना पकाने की गैस का सिलेण्डर फटने से कोई किसी दुर्घटना होने पर वितरक द्वारा किसी प्रकार के दुरुपयोग को रोका जा सके ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरों को प्रत्येक दुर्घटना के लिए 10 लाख रुपये तक का अन्य पार्टी दायित्व का बीमा कराना अनिवार्य है।

(ग) उपभोक्ता को इंश्योरेंस कवर की उपलब्धता के बाबत सलाह देने के लिए कोई प्रणाली निर्धारित नहीं की है। बीमा कम्पनियां बीमा के दावों पर अपनी प्रक्रिया के अनुसार कार्य करती है।

कोल इण्डिया लि० द्वारा गैर सरकारी परामर्शदाताओं की नियुक्ति

6603. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने अपने और अपनी सहायक कम्पनियों का कार्य संचालन अधिक सक्षम से करने में सहायता करने के लिए अनेक गैर-सरकारी परामर्शदाता नियुक्त किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों में जहां अपेक्षित विशेषज्ञता वाले स्थायी पदधारी उपलब्ध नहीं हैं, अथवा जहां कुछ विशिष्ट समस्याओं को व्यवहार्य तथा साध्य उपायों से सुलझाया जाना है और व्यक्तियों को नियमित आधार पर नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, उनमें कोल इंडिया लि० ने सुरक्षा, परिवहन, लागत नियन्त्रण, प्रबन्ध विकास तथा वित्तीय प्रबन्ध आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 12 परामर्शदाता नियुक्त किये हैं। इन विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं का कार्यकाल 3 माह से एक वर्ष के लिए अलग-अलग है। इनकी मासिक प्रतिधारण फीस रु० 1000/- से रु० 2500/- के बीच अलग-अलग है तथा दैनिक फीस रु० 150/- से रु० 500/- के बीच इस शर्त के साथ है कि मासिक प्रतिधारण फीस तथा दैनिक फीस परामर्शदाता की नियमित सेवा से सेवानिवृत्ति के समय उसके अन्तिम वेतन (जिसमें महंगाई भत्ता तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ता शामिल है) से अधिक नहीं हो।

बहुराष्ट्रीय फर्मों को दूरसंचार प्रौद्योगिकी के लिए ठेके

6604. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20,000 डिजिटल स्विचों के विकास के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु फ्रांस, जापान और बेल्जियम की नीति बहु-राष्ट्रीय फर्मों को ठेके दिये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि डिजिटल स्विचों के विकास की प्रौद्योगिकी देश में ही उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति में बहु-राष्ट्रीय फर्मों को ठेके देने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) फरवरी, 1985 में सरकार द्वारा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों को प्रौद्योगिक हस्तांतरण हेतु इलेक्ट्रानिक पी० ए० बी० एक्स० उपस्कर से संबंधित तीन प्रौद्योगिकी स्वीकृत की गई है। ये हैं :—

(i) जेयूमंट स्वनीडर फ्रांस,

(ii) जीटीई, बेल्जियम तथा

(iii) ओकी, जापान।

इन प्रौद्योगिक के अन्तर्गत 6 लाइनों से 2000 लाइनों तक की एक्सचेंज आती हैं। सरकार ने फील्ड परीक्षण के लिए इन फर्मों को 20,000 ई० पी० ए० बी० एक्स० लाइनों का क्रय आदेश दिया है।

(ख) करार के समय, स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं थी। बाद में टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र ने एक बृहद् क्षमता डिजिटल इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज को विकसित करने के सम्बन्ध में मुख्य विकास कार्यक्रम के एक उपोत्पादन के बतौर 128 लाइन ई० पी० ए० बी० एक्स० विकसित किया है। विदेश से प्रौद्योगिकी के क्रय के अन्तर्गत टेलीमेटिक विकास केन्द्र द्वारा विकसित 128 लाइन ई० पी० ए० बी० एक्स० की तुलना में 6 लाइन से 2000 लाइनों तक की क्षमता वाली एक्सचेंजें आती हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए "पैकेज" कार्यक्रम

6605. श्री हरिहर सोरन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए किसी पैकेज कार्यक्रम की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर इस प्रकार का पैकेज कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये गये नये प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रेस टिप्पण सं० 4/1/81-बी० ए० डी० (खंड-3) दिनांक 7-9-83 तथा प्रेस टिप्पण सं० 14/2/83-डी० बी० ए०-1 दिनांक 9-4-85 के साथ पठित "इन्सेन्टिव्स फॉर इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज" (पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए प्रोत्साहन) नामक पुस्तिका में औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों/क्षेत्रों की सूची तथा उनमें उपलब्ध प्रोत्साहनों/रियायतों का विवरण दिया है। जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका से अद्यतन दूरसंचार प्रौद्योगिकी का भारत को अंतरण

6606. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत में कारगर तथा कुशल दूरसंचार प्रणाली का विकास करने हेतु अद्यतन प्रौद्योगिकी का अंतरण करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपनी इच्छा भारत को सूचित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने अमरीका की पेशकश का स्वागत किया है; और

(ग) क्या कोई अन्तिम समझौता हो गया है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका से अद्यतन प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश को मिट्टी के तेल का आबंटन

6607. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पूल से आन्ध्र प्रदेश को किया गया मिट्टी के तेल का आबंटन पर्याप्त नहीं है;

(ख) वर्ष 1985 के दौरान आन्ध्र प्रदेश को कुल कितनी मात्रा में मिट्टी का तेल आबंटित किया गया;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 1986 में मिट्टी के तेल के आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का अनुमान, पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में किए गए आबंटन पर 5 प्रतिशत की वृद्धि जोड़कर चार महीने के ब्लाक के आधार पर लगाया जाता है और इसी प्रकार से आबंटन किया जाता है। बाढ़, सूखा, चक्रवात तथा एल० पी० जी०/साफ्ट कोक आदि की कमी जैसी विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के लिए निर्धारित आबंटन के अतिरिक्त तदर्थ आधार पर भी और आबंटन किया जाता है। बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए विंटर ब्लाक, जिसमें नवम्बर, 1985 से फरवरी 1986 के महीने शामिल हैं तथा समर ब्लाक जिसमें मार्च-जून 1986 के महीने शामिल हैं, आबंटन में क्रमशः 7½ प्रतिशत और 7 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी गई है। किया गया आबंटन सही मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

वर्ष 1985 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के कुल 4,28,480 मी० टन मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया। 1986 की शेष अवधि में आबंटन उपर्युक्त नीति के अनुसार ही किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश के नगरों और शहरों में एस० टी० डी० सुविधाएं

6608. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितने नगरों में नई दिल्ली और अन्य विभिन्न शहरों और नगरों के साथ एस० टी० डी० सुविधाएं हैं;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश के कुड्डापाह जिले के राजयपेट, राय चोटी, मदन पल्ली, और कोडूर से विभिन्न शहरों और नगरों के लिए एस० टी० डी० सुविधा शुरू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) आंध्र प्रदेश के 42 नगर, एस० टी० डी० सुविधा के माध्यम से नई दिल्ली तथा अन्य नगरों व कस्बों से जुड़े हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सीमित संसाधनों के कारण केवल जिला मुख्यालयों को ही प्राथमिकता दी जाती है तथा 1.4.1985 की स्थिति के अनुसार 1000 तथा इससे अधिक लाइनों की क्षमता के टेलीफोन एक्सचेंजों को एस० टी० डी० सुविधा के साथ अभी जोड़ा जाना है।

जनजातीय क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों को विकसित करने का कार्यक्रम

6609. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के लिए त्वरित निदेश द्वारा कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोई कार्यक्रम/योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में अन्य बातों के अलावा गरीबी निवारक कार्यक्रमों को बेहतर तरीकों से चलाने के लिये आवश्यक उपायों पर भी बल दिया गया है, कृषि आधारित उद्योगों का विकास इस कार्यक्रम के साथ-साथ चलने वाला इसका एक अभिन्न अंग है । जन जातीय क्षेत्रों के विकास के संबंध में जैसा कि सातवीं योजना में उल्लेख किया गया है, योजना और परियोजना रिपोर्टें तैयार करते समय लाभग्राहियों से परामर्श किया जाएगा और प्राकृतिक संसाधन सम्पन्नता, लोगों के पारम्परिक व्यवसायों तथा दक्षताओं और ठीक तरह से बनाई गई विकास की रूपरेखा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तट-दूर प्लेटफार्म प्राप्त करने में रुकावट

6610. **श्री के० प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तट-दूर प्लेटफार्मों को प्राप्त करने के कार्यक्रम संबंध में विभिन्न भारतीय तथा विदेशी दोनों यार्डों को प्राप्ति आदेश देने में विलम्ब के कारण रुकावट आने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में तेजी लाने तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की योजना में संभावित रुकावट को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) ओ० एन० जी० सी० के निवेश और वसूली प्रस्तावों के अनुमोदन पर तेजी से उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है ताकि इसकी परियोजनाओं का सुचारू रूप से चलाया जाना सुनिश्चित हो सके ।

महानदी बेसिन में तेल के लिए ड्रिलिंग

6611. **श्री के० प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड महानदी बेसिन में नवां कुआं खोद रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तेल मिलने के संबंध में क्या संभावनाएं हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तेल मिलने की संभावना के बारे में इतनी जल्दी कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की कोयला परियोजनाओं को विश्व बैंक से सहायता

6612. श्री के० प्रधानी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (सोनपुर बाजेर) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (गोवा) से संबंधित दो कोयला परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई थी; और

(ग) इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय इन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक इनका मूल्यांकन कर रहा है। सहायता 1.40 मिलियन अमरीकी डालर हो सकती है।

औद्योगिक प्रयोक्ताओं के लिए एल० पी० जी० के मूल्य में वृद्धि

6613. श्री मोहन भाई पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा औद्योगिक प्रयोक्ताओं को किस दर पर गैस सप्लाई की जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग औद्योगिक प्रयोक्ताओं को सप्लाई की जाने वाली गैस के मूल्यों में प्राय: वृद्धि करता रहा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान देशों में कितनी बार संशोधन किया गया, 1980 में क्या दर थी और इस समय क्या दर है और बार-बार मूल्य बढ़ाने के क्या कारण हैं; और

(घ) औद्योगिक प्रयोक्ताओं को उचित दर पर गैस उपलब्ध कराने और सप्लाई विनिमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) ओ० एन० जी० सी० द्वारा सप्लाई की गई प्राकृतिक गैस की कीमत उस ईंधन/फीड-स्टाक की स्थानापन्न लागत पर आधारित होती है जिसके बदले में गैस दी जाती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यदि प्रतिस्थापना अर्थात नैप्था, फर्नेस ऑयल, कोयला आदि की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है तो उसी प्रकार से प्राकृतिक गैस की कीमतों में भी संशोधन किया जाता है। इस प्रकार पिछले तीन वर्षों (1.11.1983 से 31.3.1986) के दौरान उपभोक्ताओं को सप्लाई की गई गैस की कीमतों में इस प्रकार संशोधन किया गया :—

(1) नेप्था/फर्नेस ऑयल के प्रतिस्थापन पर आधारित मूल्य—13.7.85 से प्रभावी।

(2) कोयले के प्रतिस्थापन पर आधारित मूल्य—8.1.84 से प्रभावी।

(घ) प्राकृतिक गैस का प्रयोग अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर फीड स्टाक अथवा ईंधन के रूप में किया जा रहा है; अतः लिया जा रहा मूल्य उस फीड स्टाक/ईंधन पर आधारित है जिसका प्रतिस्थापन गैस ने किया है। इसलिए प्रयोग करने वाले उद्योग अन्य फीड स्टाक/ईंधन के मूल्य के बराबर ही गैस का मूल्य देंगे।

तमिलनाडु में विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता

6614. श्री एन० डेनिस : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु राज्य में विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) राज्य में इस समय स्थापित की जा रही विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने पर कुल कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा, और

(ग) इन विद्युत परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) तमिलनाडु में राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं की प्रतिष्ठापित क्षमता इस समय लगभग 2529 मेगावाट है।

(ख) और (ग) राज्य में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं, उनकी क्षमता और चालू करने

का प्रत्याशित कार्यक्रम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम		क्षमता (मेगावाट)	चालू करने का प्रत्याशित कार्यक्रम
1	2		3	4
ताप विद्युत				
क. राज्य क्षेत्र				
1.	मैत्तूर चरण-एक	यूनिट-1	210	12/86
		यूनिट-2	210	87-88
2.	मैत्तूर चरण-दो	यूनिट-3	210	88-89
			210	89-90
3.	तूतीकोरिन चरण-तीन	यूनिट-4	210	*
		यूनिट-5	210	*
4.	नार्थ मद्रास	यूनिट-1	210	*
		यूनिट-2	210	*
		यूनिट-3	210	*
ख. केन्द्रीय क्षेत्र				
नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन				
1.	नैवेली दूसरा माइन कट चरण-एक	यूनिट-2	210	2-3/87
		यूनिट-1	210	87-88
2.	नेवेली दूसरा माइन कट चरण-दो	यूनिट-4	210	89-90
		यूनिट-5	210	सातवीं योजना के बाद
		यूनिट-6	210	—वही—
		यूनिट-7	210	—वही—

1	2	3	4
	जल-विद्युत		
1.	कदमपराई पम्प जलाशय स्कीम	4 × 100	पहली यूनिट 87-88 अन्तिम यूनिट 88-89
2.	लोअर मैत्तूर	4 × 2 × 15	पहली यूनिट 12/86 अंतिम यूनिट 88-89
3.	कुन्डाह-पांच अतिरिक्त	1 × 20	87-88
4.	पिकारा	1 × 2	87-88
5.	लोअर भवानी	4 × 2	87-88
6.	वैगाई बांध-दो	2 × 3	87-88

*चूंकि मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आर्डर दिया जाना है, अतः चालू करने के कार्यक्रम का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

कार तथा जीप निर्माताओं द्वारा मशीन औजारों का आयात

6615. **डा० ए० के० पटेल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री कार तथा जीप गाड़ी बनाने वाले कितने निर्माताओं ने अपने विस्तार तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के मशीन औजारों का इस्तेमाल किया है तथा कितने ऐसे निर्माताओं ने विदेशों में बनी मशीन औजारों का आयात किया है; और

(ख) इन मशीन औजारों के आयात करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) अपने संयंत्रों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण हेतु लगभग सभी निर्माताओं ने एच० एम० टी० तथा आयातित मशीनी औजारों का प्रयोग किया है। आयातित मशीनी औजारों का प्रयोग आवश्यकता तथा स्वदेशी उपलब्धता के बीच प्रौद्योगिकी अन्तराल को पूरा करने के लिये किया जाता है।

[हिन्दी]

राज्यों को डीजल का आबंटन

6616. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार उनकी मांग की तुलना में डीजल का कितना कोटा की कितनी मात्रा सप्लाई की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार को उसकी मांग की तुलना में डीजल की कम सप्लाई की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सप्लाई किये गये हाईस्पीड डीजल की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

हाई-स्पीड डीजल फ्री सेल का उत्पाद है तथा बिहार सहित सभी राज्यों को उनकी वास्तविक मांगों के अनुसार दिया जाता है। इस उत्पाद की मांग को यथासम्भव पूरा करने के लिए तेल कम्पनियों को स्थाई अनुदेश हैं।

विवरण

1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान हाई-स्पीड डीजल की खपत का राज्यवार, वर्षवार ब्यौरे

(आंकड़े "000" मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एच० एस० डी० की खपत		
		1982-83	1983-84	1984-85 (अस्थाई)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	921	978	1087
2.	आसाम	191	204	240
3.	बिहार	661	703	745
4.	गुजरात	851	865	966
5.	हरियाणा	433	424	512
6.	हिमाचल प्रदेश	51	53	60
7.	जम्मू-कश्मीर	84	85	8[illegible]

1	2	3	4	5
8.	कर्नाटक	590	646	723
9.	केरल	391	428	458
10.	मध्य प्रदेश	692	751	783
11.	महाराष्ट्र	1555	1636	1677
12.	मणिपुर	14	14	14
13.	मेघालय	16	24	30
14.	नागालैण्ड	11	12	12
15.	उड़ीसा	220	231	256
16.	पंजाब	750	799	892
17.	राजस्थान	675	668	775
18.	सिक्किम	3	3	3
19.	तमिलनाडु	1242	1325	1274
20.	त्रिपुरा	14	15	16
21.	उत्तर प्रदेश	1267	1315	1530
22.	पश्चिम बंगाल	801	782	848
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	16	17	19
24.	अरूणाचल प्रदेश	8	10	11
25.	चण्डीगढ़	21	22	24
26.	दिल्ली	401	448	483
27.	दादरा व नगर हवेली	3	4	2
28.	गोवा, दमन व द्वीप	77	81	84

1	2	3	4	5
29.	लक्षद्वीप	1	1	1
30.	मिजोरम	8	9	12
31.	पाण्डेचेरी	33	35	41
	जोड़ :	12001	12588	13661

विभिन्न राज्यों को पेट्रोल की सप्लाई

6617. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को वर्ष-वार कुल कितना पेट्रोल आबंटित किया गया है;

(ख) देश में प्रत्येक राज्य में कितने पेट्रोल पम्प हैं;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार को सप्लाई किये जा रहे पेट्रोल की मात्रा उसकी मांग से कम है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) और (घ) पेट्रोल एक फ्री-सेल उत्पाद है और इसकी बिहार सहित अन्य राज्यों को इसकी आपूर्ति वास्तविक मांग के अनुसार की जाती है । तेल कम्पनियों को स्थायी निर्देश दिए गए हैं कि इस उत्पाद की मांग को जहां तक सम्भव हो, पूरी की जाए ।

विवरण

रिटेल-आउटलेटों की संख्या और वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान पेट्रोल (एम०एस०) की राज्यवार बिक्री/खपत

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बिक्री "000" टन			1-1-86 को पेट्रोल रिटेल आउटलेटों की संख्या
	1982-83	1983-84 (अस्थायी)	1984-85	
1 2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	89	99	124	910
2. असम	32	35	39	232
3. बिहार	67	74	80	679
4. गुजरात	138	157	176	776
5. हरियाणा	39	42	48	368
6. हिमाचल प्रदेश	6	7	8	52
7. जम्मू और कश्मीर	15	17	18	84
8. कर्नाटक	110	120	130	748
9. केरल	99	106	1 0	610
10. मध्य प्रदेश	61	69	78	648
11. महाराष्ट्र	318	350	385	1250
12. मणिपुर	6	6	6	14
13. मेघालय	7	7	8	32
14. नागालैंड	6	6	7	18
15. उड़ीसा	25	26	29	249
16. पंजाब	98	109	117	741

1	2	3	4	5	6
17.	राजस्थान	55	58	68	580
18.	सिक्किम	2	2	2	6
19.	तमिलनाडु	123	128	140	1135
20.	त्रिपुरा	3	3	3	23
21.	उत्तर प्रदेश	129	148	165	1349
22.	पश्चिम बंगाल	108	113	117	796
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1	1	1	1
24.	अरूणाचल प्रदेश	2	2	2	16
25.	चण्डीगढ़	11	11	12	17
26.	दिल्ली	152	171	186	222
27.	दादर व नागर हवेली	—	1	—	2
28.	गोवा, दमन व दीप	10	11	12	62
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
30.	मिजोरम	3	3	4	7
31.	पाण्डेचेरी	5	5	6	21
	जोड़ :	1720	1887	2091	11648

विभिन्न राज्यों में खाना पकाने की गैस के कनैक्शन

6618. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए गैस के कनेक्शनों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) इसके लिए अनिर्णित पड़े आवेदन-पत्रों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में दिये गये कनेक्शनों की संख्या कम है; और

(ङ) यदि हां, तो इस राज्य की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये जा रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य का नाम	31-12-1985 को कुल कनेक्शनों की संख्या	रिलीज किये गये कनेक्शनों की सं०			प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या (31-12-85)
			1983-84 के दौरान	1984-85 के दौरान	1985-86 के दौरान (अस्थायी)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	8,71,786	1,10,106	1,73,658	1,81,000	1,91,461
2.	असम	1,71,220	44,736	24,951	39,000	4,276
3.	बिहार	2,93,429	66,625	46,924	52,800	64,062
4.	गुजरात	10,07,294	1,79,959	1,63,096	1,86,000	5,46,726
5.	हरियाणा	2,16,070	40,895	31,224	35,200	1,84,897
6.	हिमाचल प्रदेश	43,476	4,93	10,004	11,000	8,728
7.	जम्मू और कश्मीर	62,928	6,331	11,675	18,600	49,068
8.	कर्नाटक	5,41,100	87,158	78,032	74,500	21,281
9.	मध्य प्रदेश	5,90,517	1,30,145	85,336	1,25,000	1,74,689
10.	केरल	2,79,292	52,221	57,865	66,000	10,618

1	2	3	4	5	6	7
11.	महाराष्ट्र	21,09,289	2,22,150	2,58,121	3,00,200	7,08,350
12.	मणिपुर	7,300	803	1,059	1,000	400
13.	मेघालय	5,200	13	(—)217	1,000	1,616
14.	नागालैंड	5,250	127	259	1,000	—
15.	उड़ीसा	1,04,921	18,370	6,508	30,500	50,701
16.	पंजाब	3,28,030	66,672	54,770	48,000	2,17,996
17.	राजस्थान	2,85,069	59,630	32,916	40,200	1,08,445
18.	सिक्किम	3,178	251	395	1,000	160
19.	तमिलनाडु	9,74,631	2,30,974	1,71,096	1,48,000	32,158
20.	त्रिपुरा	5,250	626	816	4,000	1,532
21.	उत्तर प्रदेश	9,57,650	1,62,324	1,45,808	1,21,000	6,58,193
22.	पश्चिम बंगाल	5,49,413	1,02,688	30,279	81,300	79,371
संघ राज्य						
23.	अरुणाचल प्रदेश	1,569	383	193	1,000	50
24.	चण्डीगढ़	76,499	12,162	12,509	8,200	65,371
25.	दिल्ली	6,51,763	95,928	1,01,403	65,000	4,94,349
26.	मिजोरम	3,665	812	187	1,000	1,050
27.	पाण्डिचेरी	20,044	2,854	3,443	2,500	—
28.	गोआ	69,373	18,999	12,130	14,000	29,920
29.	दादर और नगर हवेली	3,060	500	306	2,000	500

बिहार में उप-मण्डलीय मुख्यालयों में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां

6619. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में उप-मण्डलीय मुख्यालयों तक में खाना पकाने की गैस के लिए एजेंसियां नहीं हैं; यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या इन स्थानों की खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों की मांग का मूल्यांकन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां खोलने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) तेल विपणन कम्पनियां बिहार में 76 उप-मण्डलीय नगरों के मुख्यालय में से इस समय 39 में एल०पी०जी० का विपणन कर रही है। 19 और उप-मण्डलीय मुख्यालयों में विभिन्न वार्षिक विपणन योजनाओं के अन्तर्गत एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें देने की योजना बनाई गई है परन्तु शर्त यह है कि उस क्षेत्र में बाटलिंग क्षमता उपलब्ध हो, शेष स्थानों पर एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चरणबद्ध तरीके से खोले जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

पन-बिजली परियोजनाओं को पूरा करना

6620. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी पन-बिजली परियोजनाओं में आंशिक रूप से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है, उनकी वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है, पूरा होने पर अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी तथा उनके पूरा होने की निर्धारित समय-सीमा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : जो परियोजनाएं आंशिक रूप से चालू की जा चुकी हैं उनकी संख्या तथा उनकी वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता, उनके पूरा हो जाने पर पूर्ण प्रतिष्ठापित क्षमता तथा उनको पूरा करने का कार्यक्रम दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

जो जल विद्युत परियोजनाएं आंशिक रूप से चालू कर दी गई हैं उनकी सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	कुल प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	चालू की जा चुकी क्षमता (मेगावाट)	शेष क्षमता को चालू करने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
1.	माही बजाज सागर सोपान 1 और 2	2×25+2×45=140	2×25=50	1989—90 (सोपान-दो)
2.	पश्चिमी यमुना नहर	3×2×8=48	1×8=8*	1987-88
3.	मुकेरियां	2×3×15+2×3×19.5=207	3×15=45	1988-89
4.	मानेरी भाली चरण 1 और 2	3×30+4×76=394	3×30=90 (चरण-एक)	1989-90 (चरण-दो)
5.	भण्डारधारा	1×10+1×35=45 (सोपान-एक)	1×10=10	आठवीं योजना (सोपान-दो)

1	2	3	4	5
6.	श्रीसैलम चरण एक और दो	4×110+3×110=770	4×110+1×110=550	1986-87
7.	नागार्जुनसागर दायां तट नहर	2×30+1×30=90	2×30=60	1987-88
8.	कालीनदी चरण 1 और में	6×135+2×50+2×30 +3×40+3×40=1210	6×135+2×50 =910 (चरण-1)	आठवीं योजना (चरण-दो)
9.	इदुक्की चरण 1 और 2	3×130+3×130=780	3×130+2×130=650	1986-87
10.	इदमलयार	2×37.5	1×37.5=37.5*	1986-87
11.	कुन्डाह	555	535	1987-88
12.	रेंगाली चरण 1 और 2	2×50+3×50=250	2×50=100 (चरण-1)	आठवीं योजना
13.	हीरा कुंड	270+37.5=307.5	270	1987-88
14.	पंचेत हिल	40+40	40	1987-88
15.	अपर बारी दोआब नहर चरण एक और दो	45+45	45 (चरण-एक)	1988-89 (चरण-दो)
16.	अपर सिंध	22.0×2×35=92.0	22.0	1989-90
17.	कोपिली चरण एक और दो	2×25+2×50=150	50 (चरण-एक) (खण्डोंग)	1986-87 (चरण-दो)
18.	पेंच	2×80	1×80=80*	1986-87

*यूनिट रोटेट कर दी गई है।

अण्डमान में गहरे समुद्र में तेल छिद्रण के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका की पाइनियर मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ करार

6621. डा० बी० एल० शैलेश : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने अण्डमान में तेल छिद्रण के लिए उत्तरवर्ती परामर्श के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की पाइनियर मैनेजमेंट सर्विसेज इंक के साथ करार किया है;

(ख) यदि हां, तो आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा अण्डमान के गहरे समुद्र में कितने कुओं का छिद्रण करने का प्रस्ताव है और यह कार्य कब शुरू करने का विचार है;

(ग) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 1985-86 के लिए अपने तटदूर उत्पादन लक्ष्य में कटौती की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे वर्ष 1986-87 के दौरान तेल की खोज के लिए उनके मन्त्रालय के कार्यक्रम पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) आयल इण्डिया लिमिटेड का अण्डमान अपतट बेसिन में गहरे समुद्र में 2 कुओं की खुदाई करने का प्रस्ताव है। मई, 1986 से खुदाई शुरू करने का कार्यक्रम है।

(ग) और (घ) आयल इण्डिया लिमिटेड के लिए अपतटीय उत्पादन के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपतटीय क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बनों की व्यापारिक खोज अभी तक नहीं हो पाई है। इससे 1986-87 के तेल अन्वेषी कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आवश्यक औषधों की कमी

6622. डा० बी० एल० शैलेश : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 21 मार्च, 1986 के इकानामिक टाइम्स नई दिल्ली में "स्केरसिटी आफ वाइटल ड्रग्स फियर्ड" शीर्षक से प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है; और

(ग) स्थिति से निपटने और बल्क औषध उपलब्ध कराने के लिए, जिनकी 28 फरवरी, 1986 से कमी होने के समाचार हैं क्या विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण किया है कि प्रपुंज औषधों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाना है।

ग्रामीण-क्षेत्रों में लेवी सीमेंट की कमी

6623. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए लेवी बाध्यता का एक श्रेणीकृत फार्मूला लागू किया है जो इसके क्षमता उपयोग से सम्बद्ध है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या उन्हें लेवी सीमेंट की विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक कमी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि सीमेंट निर्माताओं द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला लेवी सीमेंट का कोटा बनाये रखा जाये और लेवी सीमेंट निर्धनों तथा जरूरतमंद लोगों को सुगमता से मिल सके ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सीमेंट उद्योग के क्षमता उपयोग और उसकी उत्पादकता में सुधार को बढ़ावा देने की दृष्टि से 1-3-86 से लाइसेंस प्राप्त क्षमता के 100% के बाद और 125% तक के उत्पादन पर लेवी दायित्व कम कर दिया गया है। पुरानी एककों (वे एकक जिन्होंने 1-1-82 से पूर्व उत्पादन प्रारम्भ कर दिया था) के संबंध में, लाइसेंस प्राप्त क्षमता के 100% तक के वास्तविक उत्पादन का 60% लेवी दायित्व होगा और 100% के बाद और 125% तक के वास्तविक उत्पादन का 45% लेवी दायित्व होगा। नए एककों (वे एकक जिन्होंने 1-2 82 के पश्चात उत्पादन प्रारम्भ किया है) और रुग्ण एककों के मामले में, लाइसेंस प्राप्त क्षमता के 100% तक के वास्तविक उत्पादन का 40% लेवी दायित्व होगा और 100% के बाद और 125% तक के वास्तविक उत्पादन का 30% लेवी दायित्व होगा।

(ग) यद्यपि कुछ राज्यों से आबंटन के मुकाबले लेवी सीमेंट की कम आपूर्ति के सम्बन्ध में सामान्य सूचनाएं मिली हैं तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में कमी के सम्बन्ध में कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लेवी सीमेंट की आपूर्ति के ग्रामीण क्षेत्रों सहित जिलावार आंकड़े आदि राज्य सरकारों द्वारा मानीटर किए जाते हैं।

(घ) जबकि प्रत्येक राज्य को लेवी सीमेंट का तिमाही बल्क आबंटन किया जाता है, उसके

बाद विभिन्न वर्गों को पुनः आबंटन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। दायित्व के अनुसार लेवी सीमेंट की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सीमेंट उत्पादक एककों पर निगाह रखी जाती है।

मशीन औजार उद्योग का आधुनिकीकरण

6624. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपाक रेंगे कि गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र दोनों में मशीन औजार उद्योग के आधुनिकीकरण की योजना का क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मशीन औजार उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसकी पनपने की अवधि लम्बी होती है। अतः हाल ही में प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन प्रदान की गई सुविधाओं का स्पष्ट प्रभाव आने वाले वर्षों में ही दिखाई पड़ेगा। इस अवस्था में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बता पाना कठिन है।

कच्चे तेल/गैस का उत्पादन और तेल की खुदाई के लिए आबंटन

6625. **श्री सी० जंगा रेड्डी**
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान द्वीप, कावेरी बेसिन और अन्य सभी क्षेत्रों से, जहां तेल की खुदाई चल रही है, आगामी तीन वर्ष के दौरान कितना कच्चा तेल/गैस का उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) आगामी तीन वर्षों में देश के विभिन्न भागों में तेल की खुदाई और उत्पादन के लिए कितना पूंजीनिवेश किए जाने का अनुमान है; और

(ग) देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनुमानित मांगों की तुलना में वास्तव में कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चंद्रशेखर सिंह) : (क) कावेरी बेसिन के एक कुएं में परीक्षण उत्पादन आरम्भ हो गया है तथा वाणिज्यिक उत्पादन इसके परिणाम के विश्लेषण पर निर्भर करेगा। अण्डमान से इस अवधि के दौरान किसी वाणिज्यिक उत्पादन की आशा नहीं है। देश में तीन वर्षों की अवधि (1986-87) से 1988-89) में कच्चे तेल का उत्पादन 91.61 मिलियन मी० टन तथा गैस का उत्पादन 27.81 बिलियन घन मीटर होने की आशा है।

(ख) लगभग 5900 करोड़ रुपये।

(ग) सातवीं योजना में सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के 180,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले अन्वेषण और उत्पादन के लिए 9702.67 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है।

घड़ियों की मांग और पूर्ति तथा एच० एम० टी० के सहायक एककों के स्थान

6626. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार की घड़ियों की कितनी मांग है और इसमें से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और अन्य कम्पनियों द्वारा कितनी-कितनी घड़ियों की पूर्ति की जाती है;

(ख) इस समय कितनी घड़ियां आयात की जाती हैं; और

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कितने कारखाने और कितने सहायक एकक हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं अथवा स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) देश में 9 मिलियन यांत्रिक घड़ियों की वार्षिक मांग होने का अनुमान लगाया गया है इसमें से एच० एम० टी० तथा संगठित क्षेत्र के अन्य एकक क्रमश: लगभग 4.5 मिलियन और 2 मिलियन की मांग को पूरा करते हैं।

(ख) सामान्यत: समूची घड़ी के आयात की अनुमति नहीं है। फर्मों द्वारा उनके निर्माण कार्यक्रमों से सम्बन्धित खुली हालत में ही हिस्से-पुर्जों का आयात किया जाता है।

(ग) एच० एम० टी० के पांच घड़ी कारखाने हैं जिसमें से दो बंगलौर (कर्नाटक), तथा एक-एक श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), तुंकुर (कर्नाटक) तथा रानीबाग (उत्तर प्रदेश) में हैं। एच० एम० टी० की 13 वाच एसेम्बली एंसिलरीज हैं जिनके स्थापना स्थल संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

एच० एम टी० के घड़ी संयोजन सहायक एकक:—

1. केसर गाड (केरल)
2. ऊटी (तमिलनाडु)
3. कुर्दा (उड़ीसा)
4. रांची (बिहार)
5. गंगटोक (सिक्किम)

6. दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)

7. शिलांग (मेघालय)

8. भवाली (उ० प्र०)

9. अजमेर (राजस्थान)

10. मोहाली (पंजाब)

11. बैतूल (मध्य प्रदेश)

12. कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

13. मपुका (गोवा)

5 किलोमीटर के प्रत्येक षटभुज में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

6627. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मन्त्री सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 किलोमीटर के प्रत्येक षटभुज में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के बारे में 19 नवम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 307 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर दूरसंचार सर्किलों में पृथक-पृथक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए क्रमश: 2023 और 3308 क्षेत्रों में स्थापित किये गए षटभुजाकार क्षेत्रों की कुल संख्या संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ख) उन षटभुजाकार क्षेत्रों की वास्तविक संख्या कितनी है जिनमें उपर दिए गए दोनों सर्किलों के लिए वर्ष 1985-86 के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित कराए गए हैं और इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक चुनाव क्षेत्र सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में वर्ष 1985-86 में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में इस वर्ष कितनी कमी हुई और वर्ष 1986-87 के लिए प्रत्येक प्रशासनिक एकक के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व सर्किल के आबादी वाले षटभुजाकार क्षेत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबादी वाले षटभुजाकार क्षेत्रों की संख्या
1	2
उत्तर पश्चिम	
हिमाचल प्रदेश	568
हरियाणा	710
पंजाब	745

1	2
उत्तर-पूर्व	
अरूणाचल प्रदेश	105
असम	1715
मणिपुर	390
मेघालय	461
मिजोरम	159
नागालैंड	337
त्रिपुरा	141

(ख) 1985-86 के दौरान उत्तर पश्चिम दूरसंचार सर्किल के 85 और उत्तर पूर्व दूरसंचार सर्किल के 10 षटभुजाकार क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान कर दिए गए हैं। निर्वाचन/क्षेत्र वार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 1985-86 में हुई कमी तथा 1986-87 के लक्ष्य भी संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उत्तर पश्चिम सर्किल राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निर्वाचन क्षेत्र	1985-86 के दौरान समस्थलित षटभुजाकार	कमी 1985-86	लक्ष्य 1986-87
1	2	3	4	5
पंजाब	लुधियाना	1	29	20
	भटिण्डा	3		
	संगरूर	2		
हरियाणा	सोनीपत	8	+ 16 (अधिक)	30
	करनाल	8		
	रोहतक	2		
	भिवानी	2		
	फरीदाबाद	4		
	महेन्द्रगढ़	3		
	हिसार	23		
	सिरसा	5		
	अम्बाला	11		

1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश	सोलन	1		
	शिमला	1		
	कांगड़ा	4	22	20
	मण्डी	3		
	हमारपुर	4		
उत्तर पूर्व सर्किल				
आसाम	डिबरूगढ़	2		
	मंगल डोई	1	12	14
	उत्तर लखीमपुर	1		
	दूबरी	1		
	तेजपुर	1		
	करीमगंज	3	12	14
	सिल्चर	2		
	जोरहाट	2		
अरूणाचल प्रदेश		शून्य	3	6
मणीपुर	मणिपुर का भीतरी हिस्सा	1	5	6
मेघालय	शिलांग	1	1	6
त्रिपुरा	त्रिपुरा उत्तर	3	2	6
	त्रिपुरा दक्षिण	1	2	6
मिजोरम		शून्य	6	6
नागालैंड		शून्य		

तार निर्देशिका के नवीनतम संस्करण का प्रकाशन

6628. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघरों में तार निर्देशिका (दोनों खण्ड) का नवीनतम संस्करण कब तक उपलब्ध है तथा उसमें किस तारीख तक के तार घरों के नाम (मोर्स कोड और फोन-कम बेसिस दोनों) शामिल किए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इससे दोनों श्रेणियों के कई नए तार घरों के नाम अभी शामिल करने बाकी हैं और इस संबंध में जनता को भारी असुविधा हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो 31 मार्च, 1986 तक खोले गए ऐसे सभी तार घरों के नामों को शामिल करने और तार निर्देशिका के नए संस्करण के किस तारीख तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(क) तार-नियम पुस्तक खण्ड I

प्रकाशन तिथि—जनवरी, 1982
संशोधित—जुलाई, 1979

तार नियम पुस्तक खण्ड II

प्रकाशन तिथि—जुलाई, 1983
संशोधित—अप्रैल, 1979.

(ख) तारघरों में उपलब्ध तार नियम पुस्तक खण्ड II के नए संस्करण के पूरक में खोले गए नए तारघरों के नामों की अतिरिक्त सूची देवनागरी सेवाएं शुरू करने, कार्य घण्टों में फेरबदल आदि का ब्यौरा तिमाही तार परिपत्रों द्वारा दिया जाता है।

(ग) नियम पुस्तक को अद्यतन बनाने की दिशा में प्रगति हो रही है। आगामी संस्करण (दिसम्बर 1985 तक संशोधित) इस वर्ष के मध्य तक छपाई के लिए तैयार होने की संभावना है।

खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के रिसने से मृत्यु के मामले

6629. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस के सिलैंडरों के रिसने से आग लगने के कुछ मामले गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिलैंडरों में खराबी के कारण गैस का रिसाव हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख)

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
1982-83	78
1983-84	153
1984-85	130

इस समय राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) दुर्घटनाओं के विश्लेषणों से पता लगा है कि अधिकतर दुर्घटनाएं उपभोक्ताओं द्वारा उपस्करों को असावधानी/गलत ढंग से इस्तेमाल करने के कारण हुई है। उपस्करों के गलत काम करने से हुई दुर्घटनाओं का प्रतिशत बहुत कम है।

एल० पी० जी० वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को केवल अनुमोदित उपकरण ही सप्लाई करने के अनुदेश हैं। एल० पी० जी० स्टोवों, रबड़ ट्यूबों, सिलिण्डरों, वाल्वों तथा रेगुलेटरों के सम्बन्ध में आई० एस० आई० विशिष्टताएं उपलब्ध हैं। नया एल० पी० जी० कनेक्शन जारी करते समय तेल उद्योग का आई० एस० आई० अनुमोदित रबड़ ट्यूबों का ही प्रयोग करने के लिए उपभोक्ता पर जोर डालने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में और डाक-घर खोलना

6630. **श्री आर० एस० माने** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का छठी योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में तार-घर और डाक-घर खोलने का क्या लक्ष्य है;

(ख) क्या पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोल्हापुर के लिए सातवीं योजना अवधि के लिए क्या लक्ष्य है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) छठी योजना के दौरान कोल्हापुर जिले में 48 डाकघरों का लक्ष्य था। तारघर केवल तार परियात के लिए मानदण्डों के आधार पर ही खोले जाते हैं। इन मानदण्डों के अनुसार छठी योजना में कोल्हापुर जिले के डाकघरों में 11 तारघर खोले गए।

(ख) पदों के सृजन पर लगी पाबंदी के कारण 3 डाकघर खोले नहीं जा सके। तारघर खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) डाकघरों के लिए लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में खाने की गैस के कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची

6631. **श्री आर० एस० माने** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल्हापुर जिले में इस समय खाना पकाने की गैस के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची के इन व्यक्तियों को कब तक खाना पकाने की गैस के कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 20,100

(ख) जिला कोल्हापुर सहित देश में नए एल० पी० जी० कनैक्शनों की रिलीज तेल उद्योग के वार्षिक पंजीयन कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाती है और इसका निर्धारण एल० पी० जी० की उपलब्धता, बाटलिंग क्षमता, परिवहन व्यवस्था और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर में होने वाली वृद्धि के अनुसार किया जाता है।

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची

6632. **श्री आर० एस० माने** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में टेलीफोन के कनेक्शनों के लिए कितने लोगों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान कितने कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे और वर्ष 1985-86 के दौरान कितने कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे;

(ग) क्या छठी योजना अवधि में टेलीफोन कनेक्शन का लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31-3-86 की स्थिति के अनुसार कोल्हापुर जिले में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदनों की संख्या 4960 है।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 5000 टेलीफोन कनेक्शन देने का कार्यक्रम है जिसमें से 1986-87 के दौरान 700 कनेक्शन देने की संभावना है।

(ग) जी, हां।

(घ) उक्त (ग) में उल्लिखित टिप्पणी के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

6633. **श्री आर० एस० माने** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है;

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान राज्य में कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे और वर्ष 1986-87 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सातवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में 523 नए टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है।

(ख) 1986-87 के दौरान महाराष्ट्र में लगभग 100 नए टेलीफोन एक्सचेंज लगाये जाने की योजना है।

(ग) सातवीं योजना अवधि में कोल्हापुर जिले में 34 (चौंतीस) नए टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जाने का प्रस्ताव है। इनमें से, निम्नलिखित छः एक्सचेंजों को 1986-87 में लगाने की योजना है :

1. केरली
2. हेरली
3. अवालवुद्रक
4. बाजारभोगांव
5. पिम्पलगांव
6. खेडगांव

एक्रिलिक फाइबर के निर्माण के लिये आशय-पत्र जारी करने सम्बन्धी लंबित पड़े आवेदन

6634. **श्री जुझार सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्रिलिक फाइबर के निर्माण के लिए आशय पत्र जारी करने संबंधी कुछ मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है;

(ग) इस फाइबर की अनुमानित मांग कितनी है;

(घ) वर्ष 1985 में कितने एक्रिलिक फाइबर का आयात किया गया;

(ङ) क्या सरकार की नीति आशय पत्रों के निःशुल्क हस्तांतरण करने की है;

(च) यदि नहीं, तो औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वयन में विलंब करने के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(छ) आशय-पत्र की वैधता की अवधि बढ़ाने के क्या कारण हैं और वैधता की अवधि कितनी बार बढ़ाई जा सकती है?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) लम्बित आवेदनपत्रों के ब्यौरे तब तक प्रकाशित नहीं किए जाते जब तक सरकार उन पर विचार न कर ले।

(ग) 1989-90 तक एक्रिलिक फाइबर के लिए अनुमानित मांग 80,000 टन/वर्ष है।

(घ) 1985 के दौरान एक्रिलिक फाइबर के वास्तविक आयात से सम्बन्धित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 1984 के दौरान एक्रिलिक स्टेपल फाइबर के लगभग 1070 टन के आयात की सूचना दी गई है।

(ङ) आशय-पत्र के स्थानान्तरण के लिए किसी भी अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

(च) सामान्यतः अपेक्षित अनुमोदन के पश्चात एक एक्रिलिक फाइबर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 3 से 4 वर्षों का समय लगता है। यदि यह समझा जाता है कि प्रभावी उपाय नहीं किये गये हैं तो और समय वृद्धि प्रदान नहीं की जाती।

(छ) आशयपत्र की वैधता अवधि में वृद्धि पर, आशयपत्र के कार्यान्वयन के सम्बन्ध मे पूंजीगत मालों के आयात के लिए आवेदनपत्रों को भरना, विदेशी सहयोग आदि जैसी प्रगति को ध्यान में रखते हुए गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

लकड़ी के फर्नीचर पर पालिश करने के लिये अल्कोहल के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

6635. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अल्कोहल और शीरा दोनों का निर्यात किया गया क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं से अधिक मात्रा में उपलब्ध थे;

(ख) क्या विद्युतीकृत और परिशोधित स्पिरिट की भारी कमी है, जैसाकि 27 फरवरी, 1986 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या तमिलनाडु की कुछ फर्मों ने अल्कोहल का प्रयोग किए बिना लकड़ी के फर्नीचर की पालिश करने की विधि विकसित की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन दावों का मूल्यांकन किया गया है; और

(च) क्या सरकार का विचार लकड़ी की वस्तुओं पर पालिश करने के लिए अल्कोहल के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का है क्योंकि उक्त भाग (घ) में उल्लिखित विधि भी उपर्युक्त है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पेय और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में अलकोहल की आपूर्ति अपर्याप्त है जो मुख्यत: चीनी का एक उप उत्पाद, शीरे की कम उपलब्धि के कारण है।

(घ) तमिलनाडु सरकार ने भी इसकी पुष्टि की है।

(ङ) जी नहीं।

(च) राज्य के अन्दर अलकोहल का वितरण सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

इटली और जापान की फर्मों से वित्तीय और प्रौद्योगिकी सहायता

6636. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान इटली और जापान की फर्मों से प्राप्त वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सहायता का ब्योरा क्या है;

(ख) जिन कार्यों के लिए यह सहायता ली गई है उसका ब्योरा क्या है—कृषि, उद्योग, प्रबंध व्यवस्था संबंधी ब्योरा; और

(ग) क्या वर्तमान स्थिति में सुधार होने की संभावना है?

औद्योगिक विकास विभाग मे राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में सांख्यिकीय सूचना कैलेण्डर वर्ष-वार रखी जाती है। वर्ष 1984 और 1985 के दौरान सरकार द्वारा इटली की फर्मों के साथ क्रमश: 38 और 56 तथा जापान की फर्मों के साथ क्रमश: 78 और 108 विदेशी सहयोग के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई थी। सभी स्वीकृत विदेशी सहयोगों के ब्योरे अर्थात् भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम, उत्पादन की वस्तु एवम् सहयोग

का प्रकार, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उसके मंथली न्यूज लेटर के परिशिष्ट के रूप में तिमाही आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ग) चूंकि स्वीकृतियां प्रस्तावों के प्रत्युत्तर मे दी जाती हैं अतः कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय विधि संस्थान का कार्यकरण

6637. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विधि संस्थान के कार्य तथा उद्देश्य क्या हैं; और

(ख) भारतीय विधि संस्थान ने गत वर्ष कितनी धनराशि खर्च की और इसकी उपलब्धियां क्या हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) इंडियन ला इंस्टीट्यूट के कार्य और लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

(i) विधि-विज्ञान का सृजन और विधि और उसके प्रशासन में उच्च अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना;

(ii) न्याय प्रशासन और विधि में सुधार को और जनता की सामाजिक, आर्थिक और अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप उसके स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करना;

(iii) विधि के स्पष्टीकरण, सरलीकरण और सुव्यवस्थीकरण को प्रोत्साहित करना;

(iv) विधिक और सहबद्ध क्षेत्रों में अन्वेषणों को प्रोत्साहित करना और उनका संचालन करना;

(v) विधि के ज्ञान, उसके प्रशासन तथा उन सिद्धांतों के, जिन पर वह आधारित है, प्रसार को प्रोत्साहित करना;

(vi) विधि-शिक्षा में सुधार को प्रोत्साहित करना और विधि तथा सहबद्ध क्षेत्रों में शिक्षण देना;

(vii) विधि तथा सहबद्ध सामग्री से संबंधित अध्ययनों, ग्रंथों, पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, रिपोर्टों और अन्य साहित्य को प्रकाशित करना;

(viii) महत्वपूर्ण विधिक और सहबद्ध सामग्री का दस्तावेजीकरण;

(ix) पुस्तकालयों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना;

(x) उपर्युक्त सभी या किन्हीं विषयों के अनुगमन में लगी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय अन्य सोसाइटियों, संस्थाओं और संगठनों से सहयोग करना;

(xi) इंस्टीट्यूट के क्रियाकलाप की अभिवृद्धि के लिए भारत के सुविधाजनक स्थानों में प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करना या करवाना;

(xii) ऐसी सभी बातें और ऐसे सभी कार्य करना, जो उपर्युक्त किसी या सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक या उचित हों;

(ख) गत वर्ष के दौरान, अर्थात जुलाई, 1984 से जून, 1985 तक, ला इंस्टीट्यूट द्वारा उपगत व्यय 18,64,724.47 रुपए था। इस अवधि के दौरान इंस्टीट्यूट ने अनेक विधि-विषयों पर अध्ययन किया। उनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

प्रकाशित अध्ययन :

1. वायलेशन आफ जर्नलिस्टिक एथिक्स एंड पब्लिक टेस्ट (भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा किए गए अभिनिर्णयों का संक्षेप)
2. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया।
3. ला आफ डिफेमेशन : सम आस्पेक्ट्स।
4. बेल : कंसेप्ट, ला एंड प्रैक्टिस इन इंडिया।
5. इंडैक्स एंड टेबल आफ स्टेचुटरी आर्डर्स (1982)।

अध्ययन, जो प्रेस में हैं :

1. गवर्नमेंट रेगुलेशन आफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट आफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन इंडिया।
2. कंज्यूमर प्रोटेक्शन ला इन इंडिया।
3. वायलेशन आफ फीडम आफ प्रैस।
4. केस बुक आन लेबर लाज एंड रिलेशंस।
5. लिटिगेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया।

अध्ययन, जो पूरे हो गये हैं :

1. लेजिस्लेटिव प्रासेस इन इंडिया ।
2. सेक्शंस फार प्रासिक्यूशन आफ पब्लिक सर्वेन्ट्स ।
3. कम्पेन्सेशन फार एक्सीडेन्ट्स काज्ड बाई मोटर व्हीकल्स ।
4. लीगल पालिसी फार वेस्टेलैंड डेवलपमेंट ।
5. दि लैंड सिस्टम आफ अरुणाचल प्रदेश ।
6. केसेज अगेन्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (रिवाइज्ड) ।
7. एन इन-डैप्थ स्टडी आफ दि ग्रांट आफ स्टे आर्डर्स इन दी रिट जूरिस्डिक्शन आफ दी दिल्ली हाई कोर्ट फार दि पीरियड 1971 टू 1975

अध्ययन जिन पर कार्य चल रहा है :

1. सोशल सिक्योरिटी : प्राब्लैम्स एंड प्रास्पैक्ट्स ।
2. इंडियन लीगल सिस्टम्स (रिवाइज्ड एडीशन) ।
3. कम्परेटिव फैडरलिज्म ।
4. दि लैंड सिस्टम आफ असम ।
5. इंडैक्स एंड टेबल आफ स्टेचुटरी आर्डर्स (1983) ।
6. डाइवोर्स : ए सोशियोलीगल स्टडी ।
7. चैंजिंग पैटर्न आफ कारपोरेट मैनेजमेंट ।

एनुअल सर्वे आफ इंडियन ला और इंडैक्स टू इंडियन लीगल पीरियोडिकल्स इस इंस्टीट्यूट के शृंखलाबद्ध प्रकाशन हैं ।

[अनुवाद]

"कैंकिंग केटालिस्ट" के निर्माण हेतु लाइसेंस जारी करना

6638. श्री अमर राय प्रधान
श्री चित्त महाता } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने क्रैकिंग केटालिस्ट के निर्माण के लिए हल्दिया में 5000 टन वार्षिक की क्षमता वाले एक संयंत्र की स्थापना हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फर्म को लाइसेंस देने का प्रस्ताव अपनी सिफारिशों सहित केन्द्रीय सरकार को भेजा था;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय में भूतपूर्व राज्य मंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को आश्वासन दिया था कि "क्रैकिंग केटालिस्ट के निर्माण के लिए या तो गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी संगठन को अथवा सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम को लाइसेंस दिया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं और सरकार का मामले को कब तक अन्तिम रूप देने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को आश्वासन दिया गया था कि क्रैकिंग केटोलिस्ट के निर्माण के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड से प्राप्त हुए प्रस्ताव की गुण-दोष के आधार पर जांच की जायेगी।

(ङ) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का उक्त प्रस्ताव प्रत्यक्षत क्षमता बाधाओं के आधार पर रद्द कर दिया गया था। तथापि, प्रत्यक्षत: रद्द करने के विरुद्ध उन्होंने, सरकार को अन्तिम निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु अतिरिक्त सूचना देते हुए अभ्यावेदन किया है।

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड केरल द्वारा बुझा चूना-पत्थर के लिए ठेका

6639. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, नई दिल्ली ने बड़ी मात्रा में बुझा चूना-पत्थर खरीदने के लिए मध्य प्रदेश में कटनी क्षेत्र में बुझा पत्थर चूने के अनेक आपूर्तिकर्त्ताओं से करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्थानीय रूप से उपलब्ध बुझा सीपी चूना "हायोप" बनाने के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है; और

(घ) यदि हां, तो कटनी से बुझा पत्थर चूना खरीदने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश में हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं को दिये गये क्रयादेशों के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) बराबर शुद्धता का बुझा चूना पत्थर और बुझा खोल पत्थर दोनों उपयुक्त हैं।

(घ) चालू कैलेंडर वर्ष में, बुझा चूना पत्थर की आपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश के कटनी क्षेत्र के किसी आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। फिर भी, पहले कम्पनी ने इन आपूर्तिकर्त्ताओं को क्रयादेश दिए थे क्योंकि स्थानीय चूना (बुझा खोल) आपूर्तिकर्त्ताओं ने सहमत दरों पर अकस्मात आपूर्तियां कम कर दी थीं और बाद में बन्द कर दी थीं और मूल्यों में अनुचित वृद्धि की मांग की थी।

विवरण

मध्य प्रदेश में बुझा चूना पत्थर के आपूर्तिकर्त्ताओं को हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड द्वारा दिए गए क्रयादेशों का ब्यौरा

क्र०सं०	क्रयादेश संख्या और तिथि		आपूर्तिकर्त्ता का नाम	प्रति मी० टन	क्रयादेश मात्रा
1.	8612	14-6-1985	सतीश लाइम इंडस्ट्रीज, कटनी	रुपये 515/-	50 मी० टन
2.	8613	14-6-1985	प्रभात इंडस्ट्रीज, कटनी	—वही—	125 मी० टन
3.	8614	14-6-1985	अरविन्द लाइम वर्क्स	—वही—	125 मी० टन
4.	8615	14-6-1985	गुप्त लाइम इंडस्ट्रीज	—वही—	125 मी० टन
5.	8616	14-6-1985	देवपाद लाइम इंडस्ट्रीज	—वही—	125 मी० टन
6.	7939	20-2-1985	दयाल लाइम एण्ड कैमिकल्स, बम्बई	—वही—	5000 मी० टन
7.	7940	20-2-1985	ईश्वानी प्रसाद सन्स, बम्बई	—वही—	5000 मी० टन
8.		16-9-1985	सितना लाइम	रुपये 510/-	1200 मी० टन
					11,750 मी० टन

नोट : क्रम संख्या 1 से 8 के क्रयादेशों के विरुद्ध शेष मात्राओं को मात्रा प्राप्त होने पर बाद में समाप्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में कोयले की ढुलाई के कारण खराब हुई सड़कों को सुदृढ़ बनाना और चौड़ा करना

6640. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1982 में मध्य प्रदेश सरकार से कोयले की ढुलाई के काम आने वाली सड़कों को सुदृढ़ बनाने और चौड़ा करने के सम्बन्ध में वित्तीय मंजूरी के लिए प्राक्कलन प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन प्रस्तावों के लिए वित्तीय मंजूरी दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं और वित्तीय मंजूरी कब तक दी जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रस्ताव की प्रारम्भिक जांच पूरी कर ली गई है। फिर भी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सड़कों का निर्माण करना मूलत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, प्रस्ताव पर अगली कार्रवाई परियोजना के लिए धनराशि का प्रबन्ध करने के उपाय तथा साधन ढूंढ़ने पर निर्भर होगी। राज्य सरकार से अद्यतन अनुमान और आंकड़े प्राप्त नहीं होने के कारण भी मामले में अगली कार्रवाई रुकी हुई है।

[अनुवाद]

औषधों और औषध इन्टरमीडिएट्स के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी नीति

6641. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 24 फरवरी, 1986 के "बिजनैस स्टैंडर्ड" के स्माल कम्पनी मैक्स 6 ए० पी० ए० विद ओन नौ-हाउ शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि औषधों और औषध इन्टरमीडिएट्स के उत्पादन संबंधी प्रौद्योगिकी नीति बचतपूर्ण नहीं है और इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं या उठाये जाने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) औषधों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के आयात पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा की गई जांच

6642. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा अप्रैल, 1985 से 15 फरवरी, 1986 तक कितने मामलों में जांच की गई है; और

(ख) प्रत्येक जांच के क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने, 1-4-1985 से 15-2-1986 तक की अवधि में 206 जांचें संस्थापित की है।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने, इस अवधि में 29 मामलों में अन्तिम आदेश पारित किये हैं। इन मामलों का विवरण और उन पर आयोग द्वारा पारित आदेशों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	प्रतिवादी का नाम	जांच की विषय-वस्तु	जांच का परिणाम
1	2	3	4
1.	मैं० सिप्पी फिल्म्स, बम्बई	प्रतिवादी ने फिल्म 'सागर' के कैसेट की बिक्री बढ़ाने के लिए इनामी प्रतियोगिता की घोषणा की।	जांच बन्द कर दी गई, क्योंकि प्रतिवादी ने योजना वापिस ले ली।
2.	मैं० वलिंगटन्स, बम्बई	प्रतिवादी ने टाप-लाइन फैशन वस्त्रों की बिक्री-छूट की घोषणा की।	जांच बन्द कर दी गई क्योंकि ऐसा प्रमाण नहीं था जो साबित कर सके कि जिन वस्तुओं के लिए छूट दी गई थी उनकी किस्म घटिया थी या बिक्री अवधि के दौरान माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था।
3.	मैं० सुपर कैसेट्स इण्ड० प्रा० लि०, नई दिल्ली	प्रतिवादी कम्पनी ने फिल्म 'मास्टर जी' के गीतों के कैसटों और रिकार्डों की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता की घोषणा की।	जांच बन्द कर दी गई क्योंकि आयोग ने पाया कि प्रतियोगिता की अवधि के दौरान कैसेटों की बिक्री में वृद्धि के लिए प्रतियोगिता योजना के अधीन इनामों के प्रलोभन के अलावा, अन्य कारण दिये जा सकते थे।

1	2	3	4
4.	मै० अमृतांजन लि०, मद्रास	प्रतिवादी ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता की घोषणा की।	प्रतिवादी के इस प्रकार जिम्मेदारी लेने पर कि व्यापार प्रथा की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी, आयोग द्वारा जांच बन्द कर दी गई।
5.	मै० बंगाल लैम्प्स लि०	प्रतिवादी ने अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए "प्राइज कूपन स्कीम" की घोषणा की।	प्रतिवादी द्वारा जिम्मेदारी लेने पर कि वह अनुचित व्यापार प्रथा में आसक्त नहीं होगा, जांच बन्द कर दी गई।
6.	राजेश खुराना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हाल, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।	प्रतिवादी ने विभिन्न किस्म के वस्त्रों, शर्टिंग आदि पर ग्राहकों को व्यापक छूट प्रदान करते हुए बिक्री छूट की घोषणा की।	जांच बन्द कर दी गई, क्योंकि प्रारम्भिक रिपोर्ट से पता चला कि संयोजक ने अपनी वास्तविक पहचान नहीं प्रकट की थी और वास्तविक प्रतिवादी का पता नहीं लगाया जा सका।
7.	हिन्द सेल्स कार्पोरेशन, नई दिल्ली।	प्रतिवादी ने विभिन्न इनामों को प्रदान करती हुई कड़ीबद्ध योजना की घोषणा की।	जांच बन्द कर दी गई क्योंकि प्रतिवादी ने इस बात से इन्कार किया कि उसने कोई ऐसा विज्ञापन जारी किया।
8.	मै० जगदीश स्टोर्स, मै० ट्रांस एशिया कार्पेट्स, नई दिल्ली।	प्रतिवादी ने कारपेट की बिक्री बढ़ाने के लिए बिक्री छूट की घोषणा की।	प्रतिवादी द्वारा ऐसी जिम्मेदारी लेने पर जांच बन्द कर दी गई, कि जब भी निकासी बिक्री आयोजित की जायेगी वे विशेष रूप से सूचित करेंगे कि बिक्री निकासी-बिक्री है और उसकी समयावधि क्या है।

1	2	3	4
9.	मैं० कैमरा वर्क्स प्रा० लिमिटेड	प्रतिवादी ने फिल्म की प्रमोशन डवलपिंग और प्रिंटिंग के लिए इनामी प्रतियोगिता की घोषणा की।	जांच बन्द कर दी गई क्योंकि यह पाया गया कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत योजना, अनुचित व्यापार प्रथा की परिभाषा के अन्दर नहीं आती थी।
10.	मैं० विम्को लि०, बम्बई।	कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी जयपुर ने शिकायत की कि प्रतिवादी माचिस की तीलियों के लिए शिप सुपर डीलक्स या शिप सुपर सेफ्टी माचिसों जैसे ब्रांड नाम के उपयोग कर उपभोक्ताओं की आंखों में धूल झोंक रहा था जबकि ये घटिया किस्म की थी। प्रतिवादी के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश की प्रार्थना की गई।	आयोग ने अन्तरिम व्यादेश जारी नहीं किया और निर्देश दिया है कि शिकायत में उल्लिखित आरोपों के सम्बन्ध में जांच के अलग नोटिस पर विचार किया जायेगा।
11.	दी एडिटर एंड पब्लिशर्स आफ राजस्थान, पत्रिका, जयपुर	कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी, जयपुर ने शिकायत की कि प्रतिवादी अपने समाचार पत्रों को दूसरों की ओर से विज्ञापन प्रकाशन के लिए उपयोग की अनुमति दे रहे थे।	प्रतिवादी के विरुद्ध लगाये गये आरोप स्थापित नहीं हुए क्योंकि होजरी माल की बिक्री के व्यापार से वह सम्बन्धित नहीं था जैसा कि विज्ञापित किया गया था।

1	2	3	4
12.	मै० गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लि०, नई दिल्ली	कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी, जयपुर ने सिगरेटों के ब्रांड के विषय में भ्रामक प्रचार की शिकायत थी।	आवेदन को निरस्त कर दिया गया क्योंकि इसे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग विनियमन में दी गई प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणित नहीं किया गया था।
13.	मै० केल्वीनेटर आफ इंडिया लि०, फरीदाबाद	कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी, जयपुर ने प्रतिवादियों के विरुद्ध अपेक्षित ब्यौरा दिये बिना रेफ्रीजेटरों पर छूट प्रदान करने की अनुचित व्यापार प्रथा का आरोप लगाते हुए शिकायत की।	आयोग ने आवेदन पर विचार किया और वापिस लेने के कारण रद्द कर दिया।
14.	राजस्थान पत्रिका के सम्पादक	कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी, जयपुर ने प्रतिवादी के समाचार पत्रों में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन करने को अवरुद्ध करने के लिए आवेदन दायर किया।	आवेदन वापिस लेने के कारण रद्द कर दिया।
15.	मै० ओरियन्टल पावर केबिल कोटा तथा 6 अन्य	बन्दी विनियम और कपट युक्त निविदाएं।	आरोप सिद्ध न होने पर कार्यवाही बन्द कर दी।
16.	मै० सलेम डिस्ट्रिक्ट स्टार्च एंड सागो मैन्युफैक्चर्स सर्विसेज इंडस्ट्रीयल को-आ० सोसायटी लि०	पुर्नबिक्री मूल्य का रख-रखाव	प्रतिवादी द्वारा भविष्य में ऐसे व्यापार व्यवहार की पुनरावृत्ति न करने का वचन देने पर जांच बन्द कर दी गई।

1	2	3	4
17.	मै० उत्तम गैस सर्विस, बम्बई	गैस स्टोव/हाट प्लेट की बन्धित बिक्री	अवरोधक व्यापार व्यवहार के न पाये जाने पर जांच बन्द कर दी गई।
18.	मै० भीमावारम गैस कम्पनी भीमावारम्	—यथोपरि—	शिकायतकर्ता से सम्बन्ध स्थापित न किया जा सका तथा उसने मामले को आगे बढ़ाने की परवाह न की। जांच समाप्त की गई।
19.	मै० इंडियन मिल्स स्टोर सप्लाई, कलकत्ता तथा अन्य	कपटयुक्त निविदायें	अवरोधक व्यापार व्यवहार के सम्बन्ध में साक्ष्य न मिलने पर जांच बन्द कर दी गई।
20.	मै० रामा गैस सर्विस, बम्बई	गैस स्टोव/हाट प्लेट की बन्धित बिक्री	—यथोपरि—
21.	सुप्रीम इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई	एकमात्र व्यापार/प्रतिबन्धित बिक्री	प्रतिवादी को करार की शर्तों में संशोधन का निर्देश दिया गया।
22.	मै० अकुर गैस एजेन्सी, देहरादून	गैस स्टोव/हाट प्लेट की बन्धित बिक्री।	अवरोधक व्यापार व्यवहार के संबंध में साक्ष्य न मिलने के कारण जांच समाप्त की गई।
23.	मै० मोनिका इलेक्ट्रोनिक्स प्रा० लिमिटेड, नई दिल्ली	व्यापार से इन्कार करना	अवरोधक व्यापार व्यवहार के सम्बन्ध में साक्ष्य न मिलने के कारण जांच समाप्त की गई।

1	2	3	4
24.	तुशार गैस ऐजेन्सी, बिहार	गैस स्टोव/हाट प्लेट की बन्धित बिक्री	—यथोपरि—
25.	मै० मोटर इंडस्ट्रीज कम्पनी	मरम्मत के लिए उचित सेवा प्रदान न करना।	शिकायतकर्ता के संतुष्ट हो जाने पर कार्यवाही समाप्त की गई।
26.	मै० लालसंस ट्रेडिंग कार्पोरेशन, कालीकट	टी० वी० सेटों के साथ सहायक वस्तुओं की बन्धित बिक्री।	अवरोधक व्यापार व्यवहार के सम्बन्ध में साक्ष्य न मिलने पर जांच समाप्त कर दी गई।
27.	मै० कोहली इलेक्ट्रानिक्स, नई दिल्ली	टी० वी० सेटों की बिक्री पर अधिक मूल्य वसूलना।	—यथोपरि—
28.	मै० प्रीमियर गैस सर्विस, बम्बई	गैस स्टोव/हाट प्लेट की बन्धित बिक्री।	अवरोधक व्यापार व्यवहार के संबंध में साक्ष्य न मिलने पर जांच समाप्त कर दी गई।
29.	मै० सैनिक गैस सर्विस, बम्बई	—यथोपरि—	—यथोपरि—

विद्युत उत्पादन उपकरणों के लिए विश्वजनीन निविदाएं आमंत्रित करना

6643. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन उपकरणों की खरीद के लिए कितनी विश्व-जनीन निविदाएं आमंत्रित की गई;

(ख) क्या स्वदेशी निर्माताओं ने इसके लिए निविदायें दी थीं;

(ग) यदि हां, तो उन स्वदेशी निर्माताओं के नाम क्या हैं; और

(घ) इस प्रकार के कितने मामलों में स्वदेशी निर्माताओं की निविदायें स्वीकार की गईं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के एककों की क्षमता का उपयोग

6644. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी एककों की क्षमता का औसत उपयोग कितना किया जा रहा है;

(ख) क्या इन एककों को घाटे होने का मुख्य कारण यह है कि इन उद्योगों की क्षमता का कम उपयोग किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान उनकी पूरी क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और इन उपायों के क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ग) 27 फरवरी, 1986 को सभा पटल पर रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 1984-85 के खण्ड-1 के अध्याय 19 (पृष्ठ 243 – 275 पर) में वांछित ब्यौरा उपलब्ध है।

घाटे वाले सरकारी उपक्रमों के बारे में नीति

6645. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घाटे वाले सरकारी उपक्रमों के बारे में कोई नीति तैयार की है;

(ख) क्या इस नीति का एक पहलू यह भी है कि जो उद्योग अपना घाटा पूरा नहीं कर सकते, उन्हें बन्द कर दिया जाये;

(ग) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं, जिन्हें बन्द किये जाने का विचार है; और

(घ) ऐसे उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) ऐसी कोई विशेष नीति नहीं है, जो केवल घाटा उठाने वाले उपक्रमों पर ही लागू हो।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विद्युत उत्पादन एककों की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करना

6646. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन एककों की अधिष्ठापित क्षमता में कितने प्रतिशत वृद्धि किये जाने का अनुमान है;

(ख) अधिष्ठापित क्षमता में की जाने वाली वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितने धन की आवश्यकता है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस हेतु कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) देश में छठी योजना के अन्त में यूटिलिटीज में प्रतिष्ठापित क्षमता में सातवीं योजना अवधि के अन्त तक लगभग 52% वृद्धि हो जाने की आशा है।

(ख) सातवीं योजना के अन्त में सम्भावित प्रतिष्ठापित क्षमता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सातवीं योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए अनुमोदित परिव्यय लगभग 34273 करोड़ रु० है। अतिरिक्त क्षमता के विकास के लिए सातवीं योजना का आबंटन अपरिवर्तनीय मूल्यों पर लगभग 22,200 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता अधिष्ठापित किए जाने के अनुरूप है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	सातवीं योजना के अन्त में प्रत्याशित प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4018.93
2.	असम	716.19

1	2	3
3.	बिहार	1859.38
4.	गुजरात	4191.20
5.	हरियाणा	1754.45
6.	हिमाचल प्रदेश	277.52
7.	जम्मू और कश्मीर	282.18
8.	कर्नाटक	2813.05
9.	केरल	1541.50
10.	मध्य प्रदेश	3627.50
11.	महाराष्ट्र	7743.80
12.	मणिपुर	29.69
13.	मेघालय	133.66
14.	नागालैंड	6.12
15.	उड़ीसा	1618.18
16.	पंजाब	3015·51
17.	राजस्थान	1552.55
18.	सिक्किम	20.56
19.	तमिलनाडु	3925.00
20.	त्रिपुरा	42.34
21.	उत्तर प्रदेश	5941.77
22.	पश्चिम बंगाल	3200.68

चुनींदा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ दल

6648. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विकास महानिदेशक ने चुनींदा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के लिए

विशेषज्ञ दल गठित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन दलों के कृत्य क्या हैं और इन दलों द्वारा क्या कार्य किया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अपनाने के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए, भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1986 से एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित 8 तकनीकी विकास परामर्शी दलों का गठन किया है :—

(1) कृषि मशीनरी के लिए तकनीकी विकास परामर्शी दल।

(2) इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रो-यांत्रिकी उपकरणों के लिए तकनीकी विकास परामर्शी दल।

(3) ऊर्जा प्रभावी विद्युत पारेषण और विद्युत उपकरणों से सम्बन्धित तकनीकी विकास परामर्शी दल।

(4) सूचना प्रौद्योगिकी के लिए तकनीकी विकास परामर्शी दल।

(5) कार्बाइड, सिरेमिक और डायमण्ड औजारों से सम्बन्धित तकनीकी विकास परामर्शी दल।

(6) नई ढलाई व गढ़ाई (फोर्जिंग और कास्टिंग) से सम्बन्धित तकनीकी विकास परामर्शी दल।

(7) प्लास्टिक/सिंथेटिक फाइबर उद्योग के लिए अनवरत पोली संघनन जैसे पेटेंटिड कार्य-संचालनों के लिए तकनीकी विकास परामर्शी दल।

(8) किण्वन प्रौद्योगिकी औद्योगिक उपयोगों के लिए तकनीकी विकास परामर्शी दल।

उपर्युक्त (1) से (7) तक तकनीकी विकास परामर्शी दलों के सामान्य विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :—

(1) अभिकल्प और विनिर्माण तकनीक की गुणवत्ता और समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी की स्थिति के रूप में भारत में विद्यमान प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना।

(2) प्रौद्योगिकी के अंतरों का निर्धारण करना।

(3) विद्यमान प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने हेतु दीर्घावधि और अल्पावधि तकनीकी लक्ष्यों को अंतिम रूप देना ताकि उसे उपयुक्त और समकालीन बनाया जा सके।

(4) विशिष्ट कार्य और उन अभिकरणों/संगठन का पता लगाना, जिन्हें निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए यह कार्य सौंपा जाना है।

(5) इंजीनियरी और प्रबन्ध परामर्शदाताओं का पता लगाना, जो विद्यमान प्रौद्योगिकियों के नए उपयोगों को संस्थापित करने और/या उनके उन्नयन तथा प्रौद्योगिकीय सेवाओं और उत्पादों का निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

(6) प्रमुख/महत्वपूर्ण संगठन का पता लगाना, जो घरेलू/आंतरिक आवश्यकताओं तथा अन्य आवश्यकताओं और अन्य सम्बद्ध दशाओं के अनुसार अनुसंधान, अभिकल्प (डिजाइन) और विकास का कार्य करेंगे।

(7) उपर्युक्त कार्यक्रम की मॉनीटरी करने के लिए उपयुक्त कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में सिफारिशें करना।

उपर्युक्त किण्वन प्रौद्योगिकी औद्योगिक उपयोगों (क्रम सं० 8) के लिए तकनीकी विकास परामर्शी दल के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :—

(1) विभिन्न अनुसंधान विकास प्रयोगशालाओं में शुरू किए गए अनुसंधान और विकास कार्यों सहित भारत में किण्वन प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।

(2) अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में किण्वन प्रौद्योगिकी में हाल ही में हुई प्रगति और वाणिज्यीकृत की जा रही किण्वन प्रौद्योगिकी के विभिन्न उत्पादों का पता लगाना।

(3) प्रौद्योगिकी के अंतरों का निर्धारण करना।

(4) दीर्घावधि और अल्पावधि लक्ष्यों को अंतिम रूप देना तथा देश में प्रौद्योगिकी को शुरू करने और उसका उन्नयन करने के लिए अगले 5 वर्षों में किए जाने वाले विशिष्ट उपाय निश्चित करना।

(5) विभिन्न संगठनों का पता लगाना जो अनुसंधान और विकास सहित विकास के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम शुरू कर सकें।

(6) संसाधनों की आवश्यकताओं का अभल करना।

(7) उपर्युक्त अनुसार कार्यक्रम की मॉनीटरी करने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में सिफारिशें करना।

उपर्युक्त के अलावा, लुगदी और कागज उद्योग के लिए प्रौद्योगिकियों से सम्बन्धित एक उप-समिति का गठन 31-3-1987 तक एक वर्ष की अवधि के लिए किया गया है जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) लुगदी और कागज के उत्पादन के लिए वांछनीय औद्योगिक प्रौद्योगिकियों का पता लगाना।

(2) उपर्युक्त में कम लागत, अधिक क्षमता, ऊर्जा दक्षता और न्यूनतम प्रदूषण करने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं।

(3) इन प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के स्रोतों का पता लगाना।

(4) भारतीय लुगदी और कागज उद्योगों द्वारा इन प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन की सम्भाव्यता।

(5) विभिन्न प्रौद्योगिकियों में सम्बद्धता, व्यवहार्यता, प्रभावकारिता की लागत और अन्य पैरामीटरों जैसे ऊर्जा की खपत, प्रदूषण भार, कोटि आदि के रूप में तुलना।

(6) उद्योग में उत्पादन एककों द्वारा इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाना।

(7) उपर्युक्त के संदर्भ में कोई अन्य मदें।

सभी तकनीकी विकास परामर्शी दलों (संयुक्त) की पहली बैठक 25 अप्रैल, 1986 को होगी।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिये खाना पकाने की गैस सिलेंडरों की सप्लाई का समय बढ़ाना

6649. श्री मूल चन्द डागा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी दम्पत्तियों की सुविधा के लिए, जो दिन में घर पर नहीं रहते, खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों के वितरण का समय आगे बढ़ाने की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के कार्य के घंटे अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों की तरह संबंधित क्षेत्र में लागू "शाप्स एण्ड कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट अधिनियम/नियमों के अनुसार नियंत्रित होते हैं।

खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की सील को मजबूत करना ताकि उनका दुरुपयोग न हो सके

6650. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की सील को और अधिक मजबूत करने का है ताकि उनके सही वजन की गारंटी हो सके और मार्ग में सिलेंडरों के आंशिक प्रयोग को रोका जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कैसे और कब तक किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) तेल उद्योग ने देश भर में मौजूदा पेपर सीलों के स्थान पर पिलफर-प्रूफ, हीट शंक पी०वी०सी० सीलों को लगाने का निर्णय लिया है। ऐसी सीलें अन्य बाजारों में चरणबद्ध रूप में आरम्भ करने से पूर्व पहले से ही कई बाजारों में प्रयोगात्मक आधार पर प्रारम्भ की गई हैं।

[हिन्दी]

विधि आयोग की नियुक्ति में विलम्ब

6651. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 1980 को समाप्त हो गया था और उसका नया कार्यकाल 14 दिसम्बर, 1981 से आरम्भ हुआ ;

(ख) यदि हां, तो क्या विधि आयोग के कर्मचारी/अधिकारी अंतरवर्ती अवधि के दौरान कार्यालय आये थे, यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उन पर कितना प्रशासनिक व्यय हुआ तथा इस अवधि में उन्होंने क्या काम किया ; और

(ग) नए विधि आयोग की नियुक्ति में इतनी विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) 31 अगस्त, 1980 से 14 दिसम्बर, 1981 तक की अन्तरिम अवधि के दौरान, पूर्व

अपर सचिव/सदस्य-सचिव और कर्मचारीवृन्द सहित कुल मिलाकर 47 व्यक्ति विधि आयोग के सांचिवालय में सेवारत थे। इस अवधि के दौरान उन पर उपगत प्रशासनिक व्यय 8,45,277.10 रु० था। वे पुनर्गठित आयोग द्वारा कतिपय विषयों के अध्ययन को सुकर बनाने के लिए सामग्री संग्रहण और अनुसंधान कार्य जैसे आवश्यक प्रारम्भिक कार्य में लगे हुए थे।

(ग) नए विधि आयोग के गठन में विलम्ब, मुख्यतः आयोग के विचारार्थ विषयों को और पुनर्गठित आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों को अंतिम रूप देने के कारण हुआ है।

[अनुवाद]

"न्यू पोस्टल सिस्टम कासिंग इनकनवीनिएंस" शीर्षक समाचार

6652. श्री टी० बशीर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जनवरी, 1986 के "हिन्दू" में न्यू पोस्टल सिस्टम कासिंग इनकनवीनिएंस शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस असुविधा को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) 12 मार्च, 1986 को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि प्रेषिती के घर पर पहले दिन जब रजिस्टर्ड पत्र का वितरण करने के लिए ले जाया जाता है और प्रेषिती घर पर न मिले, तो वहां इसकी सूचना छोड़ देने के बाद इस रजिस्टर्ड पत्र को अगले दिन पुनः वितरण के लिए ले जाया जाए ताकि प्रेषिती या तो स्वयं घर पर रह सके या फिर रजिस्टर्ड पत्र पाने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर दे।

वर्काला (त्रिवेन्द्रम) में एस०टी०डी० सुविधा

6653. श्री टी० बशीर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम जिला में वर्काला टेलीफोन केन्द्र की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्ति प्रतीक्षा-सूची में दर्ज हैं;

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति तीन वर्षों से अधिक अवधि से टेलीफोन की प्रतीक्षा-सूची में हैं;

(घ) क्या वर्कला के एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थान होने के कारण वहां एस०टी०डी० की सुविधा देने का सरकार का विचार है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त टेलीफोन केन्द्र के लिए उसका अपना भवन बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) त्रिवेन्द्रम जिले के वर्कला टेलीफोन एक्सचेंज की मौजूदा क्षमता 400 लाइनों की है।

(ख) 31 मार्च, 1986 को प्रतीक्षा-सूची में 192 आवेदक थे।

(ग) प्रतीक्षा सूची में 31 व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्हें आवेदन किए 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) टेलीफोन एक्सचेंज भवन के लिए भूमि उपलब्ध है। भवन निर्माण का कार्य 1987-88 के दौरान शुरू किए जाने की सम्भावना है जो धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यपालक अधिकारियों के वेतन, परिलब्धियों तथा अन्य लाभों सम्बन्धी मार्गदर्शी-सिद्धान्त

6654. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम कार्यालय ने प्रबन्ध कार्मिकों (कार्यपालक अधिकारियों) के वेतन, परिलब्धियों तथा अन्य लाभों और उनकी पदोन्नति की नीति के सम्बन्ध में भी सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय सरकारी उपक्रम उक्त मार्गदर्शी-सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं और प्रबन्ध कार्मिकों तथा कार्यपालक अधिकारियों को ये लाभ नहीं मिल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं, जो सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी-सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख)

सरकारी उद्यमों में प्रबन्धकीय कार्मिकों (कार्यपालकों) को अनुमत्य वेतन, परिलब्धियां तथा अन्य अनुलाभ प्रबन्धकों द्वारा आवधिक अन्तरालों पर निर्धारित किये जाते हैं। किन्तु वेतन तथा परिलब्धियों का ढांचा तैयार करते समय, मुख्य प्राचल, जो पिछले 10-15 वर्षों के दौरान उभर कर सामने आए हैं तथा जिन्हें सरकार द्वारा वेतन/परिलब्धियों के ढांचे के अनिवार्य आधार के रूप में भी स्वीकार किया गया है, को ध्यान में रखा जाता है। उद्यम की वित्तीय सक्षमता तथा अवस्थिति जैसे कारणों को भी ध्यान में रखा जाता है। पदोन्नति नीति के सम्बन्ध में भी वही बातें लागू होती हैं। योग्यता तथा वरिष्ठता के सिद्धांत का सामान्यतः अनुपालन किया जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में प्रबन्धकीय (कार्मिक) तथा कार्यपालक प्रत्येक सरकारी उद्यम द्वारा तैयार किये गये तथा सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये परिलब्धियों के ढांचे के अनुसार अनुलाभ प्राप्त कर रहे हैं। सरकारी उद्यमों के प्रबंधकों द्वारा भुगतान रोके जाने के बारे में शिकायतें सरकारी उद्यम कार्यालय की जानकारी में नहीं आई हैं?

एमपिसिलिन ट्राइहाइड्रेट और एमोक्सिलिन के मूल्यों में वृद्धि

6655. **श्री बलराम सिंह यादव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने दो प्रमुख जीवन रक्षक दवाइयों, एमपिसिलिन ट्राइहाइड्रेट और एमोक्सिलिन के मूल्यों में वृद्धि की है; और

(ख) उनके गत मूल्य क्या थे और संशोधित मूल्य क्या हैं; और

(ग) मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह): (क) जी हां।

(ख) एमपिसिलिन ट्राइहाड्रेट का मूल्य 1677 रुपए प्रति कि०ग्रा० से बढ़ाकर 1859 रुपए प्रति कि०ग्रा० कर दिया गया है तथा एमोक्सिलिन ट्राइहाइड्रेट का मूल्य 2229 रुपए प्रति कि०ग्रा० से बढ़ाकर 2495 रुपए प्रति कि०ग्रा० कर दिया गया है।

(ग) दो औषधों का पूर्व मूल्य 6-ए०पी०ए० के पूल्ड मूल्य पर आधारित था जो 1230 रुपए प्रति कि०ग्रा० था। यह मूल्य इस धारणा पर निर्धारित किया गया था कि 6 ए०पी०ए० के आयात तथा देशी उत्पादन 2.5 × 1 के अनुपात में होगा तथा सस्ते आयात देशी उत्पादन को 870 रुपए प्रति कि०ग्रा० की दर से आर्थिक सहायता देंगे। चूंकि स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त रूप से बढ़ गया अतः स्वदेशी उत्पादन को सहायता प्रदान करने में आयात पर्याप्त नहीं है। अतः 6 ए०पी०ए० के मूल्य निर्धारण में संशोधन करना पड़ा 6 ए० पी० ए० पर आर्थिक सहायता हटा ली गई है तथा पूल्ड मूल्य तथा स्वदेशी

मूल्य अब 1778 रुपए प्रति कि०ग्रा० निर्धारित किया गया है। 6ए०पी०ए० के पूल्ड मूल्य में संशोधन के आधार पर दो प्रपुंज औषधों के मूल्य संशोधित किये गये हैं।

बेसिक स्टेज से पैनिसिलीन का उत्पादन करने का प्रस्ताव

6656. **श्री बलराम सिंह यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पेनिसिलीन का उत्पादन पर्याप्त नहीं है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इसका आयात करने के बारे में सिफारिश की है;

(ग) क्या कुछ कम्पनियों ने बेसिक स्टेज से पेनिसिलीन का उत्पादन करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(घ) क्या उनके प्रस्ताव रद्द कर दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में नीति क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) 1978 की औषध नीति विवरण पत्र के अनुसार पेनिसिलिन का उत्पादन सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित है।

आन्ध्र प्रदेश रेयंज लिमिटेड का बन्द होना

6657. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रवर्तित आन्ध्र प्रदेश रेयंज लिमिटेड सितम्बर, 1985 से बन्द है, क्योंकि रेयन ग्रेड गूदा के आयात को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया था;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान रेयन ग्रेड गूदा का कितनी मात्रा में आयात किया गया तथा उसके मूल्य के भुगतान में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में प्रवर्तित आंध्र प्रदेश रेयंज को 45 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस एकक को फिर से चलाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मैसर्स आंध्र प्रदेश, रेयन लिमिटेड ने सूचित किया है कि बिक्री की समस्या के कारण इसने 24 सितम्बर, 1985 से रेयन ग्रेड लुग्दी का उत्पादन बन्द कर दिया गया है।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान आयातित रेयन ग्रेड लुग्दी की सही-सही मात्रा और मूल्य अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ग) कम्पनी ने सूचित किया है कि 30-6-1985 तक उसे 45 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

(घ) उद्योग में देशी अधिष्ठापित क्षमता के अल्प-उपयोग को रोकने की दृष्टि से, रेयन ग्रेड लुग्दी का आयात, जो आयात और निर्यात नीति (1985—88) के अनुसार खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात के लिए अनुमत मदों की सूची में था, को 10 सितम्बर, 1985 से सीमित अनुमेय मदों की सूची में अन्तरित कर दिया गया है। रेयन ग्रेड लकड़ी लुग्दी के आयात के लिए लाइसेंसों की मंजूरी तदनुसार निम्न प्रकार से विनियमित की जा रही है :—

(1) रेयन टायरकोर्ड उद्योग और उच्च नमी परिवर्तक रेशा उद्योग (हाईवेट मोड्यूलस फाइबर इण्डस्ट्री) की समग्र आवश्यकता की मात्रात्मक प्रतिबंध के बिना अनुमति दी जाती है।

(2) विस्कोस फिलामेंट यार्न और विस्कोस स्टेपल फाइबर उद्योग के मामले में, रेयन ग्रेड लकड़ी लुग्दी की कलैंडर वर्ष में कुल आवश्यकता का एक-तिहाई आयात करने की अनुमति दी जाती है और शेष आवश्यकता को देशीय उत्पादकों से प्राप्त करना होता है।

कम्पनी के पुनर्स्थापन में सहायता करने के लिए, दिनांक 23-7-1985 को लुग्दी और कागज के निर्माण के लिए एक आशय पत्र 52,000 मी०टन की वार्षिक क्षमता के लिए मंजूर किया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सरकारी उपक्रमों द्वारा लघु तथा अनुषंगी उद्योगों से की गई खरीद

6658. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक सरकारी उपक्रम द्वारा अपनी आवश्यकता

(कच्चा माल छोड़कर) की कुल खरीद का कितना प्रतिशत माल लघु तथा अनुषंगी उद्योगों से खरीदा गया; और

(ख) क्या इन उपक्रमों ने प्रत्येक वर्ष नए अनुषंगी उद्योग स्थापित करने हेतु कुछ विशिष्ट तथा दीर्घकालीन प्रबन्ध किए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के औषध उपक्रमों के ड्रग फार्मूलेशनों और बल्क ड्रगों की क्षमता का उपयोग

6659. डा० प्रभात कुमार मिश्र : क्या उद्योग मन्त्री ऋण लाइसेंस आधार पर औषधियों के निर्माण के बारे में 4 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1220 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक औषध उपक्रम की ड्रग फार्मूलेशनों और बल्क ड्रगों की क्षमताओं का कितना प्रतिशत उपयोग हो रहा है;

(ख) विभिन्न प्रकार के ड्रग फार्मूलेशनों के उत्पादन में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक औषध उपक्रम को किस प्रकार की श्रमिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान के कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों में सीमेंट के कारखानों की स्थापना

6660. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों में सम्पूर्ण क्षेत्र के चूना पत्थर के भण्डार विद्यमान हैं, जहां सीमेंट के कारखाने अच्छी तरह चल सकते हैं; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस क्षेत्र में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अलग-अलग कितने उद्योग स्थापित किये जाने की सम्भावना है और प्रत्येक उद्योग की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के कोटा नामक स्थान में चूना पत्थर के काफी भण्डार हैं। यहां पर 19 4 लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता वाले 3 बड़े गैर-सरकारी सीमेंट कारखाने पहले से ही उत्पादनरत हैं, इनके अलावा 33 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता और अनुमोदित की गई है, जिसमें से निम्नलिखित क्षमता सातवीं योजनावधि में स्थापित हो जाने की सम्भावना है :—

	एकक का नाम	स्थापना स्थल	लाइसेंसीकृत क्षमता (मी०टन प्रति वर्ष)
1.	श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (नया एकक)	लदपुरा, जिला कोटा	2.00 लाख
2.	बिड़ला सीमेंट वर्क्स (पर्याप्त विस्तार)	चित्तौड़ जिला चित्तौड़गढ़	5.00 लाख
		योग :	7.00 लाख मी० टन प्रति वर्ष

राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले का "उद्योग विहीन जिला" योजना में शामिल किया जाना

6661. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किन-किन जिलों को इस वर्ष "उद्योग विहीन जिला" योजना में शामिल करने का विचार है;

(ख) क्या चित्तौड़गढ़ जिले को, जो औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला है, इस वर्ष उपर्युक्त योजना में शामिल करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने के इच्छुक व्यक्तियों को क्या सुविधायें प्रदान करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) इस

समय राजस्थान में बाड़मेर, चुरू, जैसलमेर और सिरोही के जिले "उद्योग विहीन जिलों" की सूची में शामिल हैं। पिछड़े क्षेत्रों/"उद्योग रहित जिलों" के औद्योगीकरण के लिए प्रोत्साहनों की सम्पूर्ण योजना अंतर-मंत्रालयीय समिति के समीक्षाधीन है जिसके द्वारा जून 1986 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है। इस समय "उद्योग विहीन जिलों" की सूची में चित्तौड़गढ़ जिले को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

किण्वन प्रक्रिया के द्वारा मद्यसार तैयार करना

6662. **श्रीमती डी० के० भंडारी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीरे के प्रयोग के अलावा किण्वन और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा भी मद्यसार तैयार किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा किया जा रहा है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) अल्कोहल का निर्माण फर्मेन्टेशन अथवा रसायन प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। तथापि, भारत में अल्कोहल का निर्माण केवल फर्मेन्टेशन प्रक्रिया द्वारा किया जा रहा है।

जिला उद्योग केन्द्रों का कार्यकरण

6663. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार जिला उद्योग केन्द्रों के समुचित कार्यकरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट मांग रही है;

(ख) यदि हां, तो सकल केन्द्रों की संख्या कितनी है और किन-किन राज्यों में इस दिशा में संतोषजनक प्रगति हुई है; और

(ग) कौन-कौन से राज्य इस मामले में पिछड़े हुए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जिला उद्योग केन्द्रों की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट केन्द्र सरकार को नियमित रूप से मिलती रहती हैं।

(ख) और (ग) सफलता प्राप्त करने और पिछड़े जाने वाले केन्द्रो/राज्यों का नाम जानने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई गहन अध्ययन नहीं किया जाता।

दूरसंचार प्रणाली के विकास के लिए विदेशों से धनराशि

6664. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "मांगने पर टेलीफोन देना" (टेलीफोन आन डिमांड) की व्यवस्था करने के लिए कौन सा वर्ष लक्ष्य वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है; और

(ख) क्या हमारी दूरसंचार प्रणाली के विकास के लिए विदेशों ने धनराशि देने की पेशकश की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दूर-संचार के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा संचार पर गठित कार्यकारी दल ने मांग पर टेलीफोन कनेक्शन सुलभ कराने के लिए 1990 का लक्ष्य रखा गया था इसमें लगभग 46 लाख नए कनेक्शन देने की व्यवस्था होनी थी। इस कार्यक्रम के लिए 13768 करोड़ रुपए के परिव्यय की आवश्यकता थी। सातवीं योजना अवधि के लिए दूरसंचार के लिए केवल 4 10 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। अत: मांग पर टेलीफोन सुलभ कराने के संबंध में पूर्व निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना संभव नहीं होगा।

(ख) जी हां। वित्तीय सहायता के रूप में 5 प्रतिशत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें सरकारों के बीच वाणिज्यिक ऋण एवं द्विपक्षी क्रेडिट शामिल हैं। और विशेष रूप से महानगरीय प्रणाली में ये प्रस्ताव सामान्य रूप से दूरसंचार नेटवर्क और विशेष रूप से महानगरीय प्रणालियों के विस्तार और स्तर को बढ़ाने के लिए उपस्कर सेवाएं और तकनीकी जानकारी देने के बारे में है।

नये डाकघर खोलना

6665. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या कस्बों और शहरों में कुछ वर्तमान डाक-घरों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) केरल में वर्ष 1986-87 में कितने नए डाक-घर खोले जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने हेतु मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं ये मानदंड क्रमश: 1978-79 व 1979-80 में निर्धारित किए गए थे। तथापि, पहले से ही संस्थापित विस्तृत डाक जाबकार्य की व्यापकता तथा संसाधनों की कमी तथा नए पदों के सृजन पर लगे मौजूदा प्रतिबंध को मद्देनजर रखते हुए इन मानदंडों के अनुसार नए डाकघर नहीं खोले जा रहे हैं।

(ख) जी हां। शहरी क्षेत्रों के डाकघरों की इस दृष्टि से पुनरीक्षा की जाती है कि क्या उनका वर्तमान कार्यभार डाकघर के लिए पर्याप्त है और उस डाकघर से प्राप्त राजस्व क्या उसकी लागत की तुलना में पर्याप्त है। आर्थिक तौर पर व्यवहार्य अल्प उपयोगी डाकघरों को या तो बन्द कर दिया जाता है अथवा उस क्षेत्र के अन्य डाकघरों के साथ उन्हें संयुक्त कर दिया जा सकता है।

(ग) 1986-87 के दौरान केरल में नए डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने हेतु मानदंड :

शहरी क्षेत्रों में डाकघर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर खोले जा सकते हैं :—

(i) डाकघर को आत्म निर्भर होना चाहिए।

(ii) 20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर होनी चाहिए। अन्य शहरों में, दो डाकघरों के बीच कम से कम दूरी 1.5. कि० मी० होनी चाहिए।

(iii) पोस्टमास्टर जनरल प्रतिवर्ष 10% मामलों में दूरी की शर्तों में छूट दे सकते हैं।

(iv) शहरी क्षेत्रों में विभागेतर शाखा डाकघर केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही खोले जा सकते हैं।

देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिये मानदंड

ग्रामीण इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :—

(1) सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर और

(2) आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर

1. **सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर :**

(I) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो।

(II) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर ग्राम पंचायत वाले गावों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) उस गांव की आबादी 2000 या इससे अधिक होनी चाहिए

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

2. आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर :

(I) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गावों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(II) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर पंचायत वाले गावों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) उस गांव (या 1-1/2 किलोमीटर के घेरे में ग्रामों के समूह) की आबादी 1000 या इससे अधिक होनी चाहिए।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर नहीं होना चाहिए; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

3. उपर्युक्त के बावजूद भी पोस्टमास्टर जनरलों को उक्त मानदंडों में से किसी के भी हर वर्ष डाकघर खोलने के 10 प्रतिशत मामलों में छूट देने का अधिकार है। (वित्तीय सलाहकार के परामर्श से)।

वर्ष 1986-87 के दौरान केरल को औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय सहायता

6666. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 के दौरान केरल में औद्योगिक क्षेत्र के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दिये जाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : राज्यों को केन्द्रीय सहायता, विकास के किसी क्षेत्र जैसे उदाहरण के लिए उद्योग को निर्धारित करने के आधार पर नहीं दी जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक के पदों को अलग-अलग करना

6667. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक के पदों को अलग-अलग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या चेयरमैन के पद पर सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं। सरकार की सामान्य नीति यह है कि सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल का अध्यक्ष सामान्यत: अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक होना चाहिए। इसके साथ ही अंशकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कोई रोक नहीं है, यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ऐसा करना वांछनीय प्रतीत हो।

(ख) सार्वजनिक जीवन में ख्याति-प्राप्त व्यक्तियों को भी सरकारी उद्यमों का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा "रिग" किराये पर लेना

6668. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक कितने "रिग" किराए पर लिए हैं और इन "रिग्स" को किराए पर लेने की शर्तें क्या हैं और यह रिग किन देशों से प्राप्त किए गए हैं;

(ख) "रिग" किराए पर लेने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कितने "रिग" खरीदे हैं और यह कैसा कार्य कर रहे हैं; और

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा देश में तेल हेतु ड्रिलिंग के कार्य में उपयोग के लिए अधिक "रिग" प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अभी तक 20 रिग किराए पर लिए हैं। इस समय 12 रिग काम कर रहे हैं जिन्हें किराए के आधार पर लिया गया है। रिगों को दैनिक दर के आधार पर किराए पर लिया गया है।

(ख) रिगों को किराये पर लेने का मुख्य मानदंड संसाधनों की उपलब्धता, परिचालनात्मक आवश्यकताएं, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियां और अपना स्वामित्व और किराए पर लेने जैसे दोनों ही तरीके हैं।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अभी तक 106 रिग खरीदे हैं। इस समय 67 रिग कार्य में लगे हुए हैं। 35 रिग अस्थायी रूप से छंटनी/रद्द कर दिए गए हैं, 3 रिगों की मरम्मत की जा रही है और 1 को अर्ली प्रोडेक्शन सिस्टम में अंतरण किया जा रहा है।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अपेक्षित अतिरिक्त रिगों की प्राप्ति/किराये पर लेने सम्बन्धी कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

उत्पादन की अधिकतम सीमा के बारे में "ओपेक" समझौता

6669. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मार्च, 1986 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "ओपेक मीक्स एकार्ड ऑन आउटपुट सीलिंग" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के समझौते पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा तेल बाजार पर निरंतर नजर रखी जा रही है।

बल्क औषधियों के आयात सम्बन्धी नीति

6670. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फार्मूलेशनों के नाम क्या हैं, जिनको गोलियों और कैप्सूलों की शक्ल में ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति है;

(ख) इन फार्मूलेशनों के उत्पादन में काम आने वाली बल्क औषधियों के आयात सम्बन्धी नीति क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इन बल्क औषधियों के निर्माण के लिए अनुमति प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जिन तैयार औषध सम्पाकों का आयात खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमेय है। उनके 1985—88 के लिए आयात एवं निर्यात नीति (वाल्यूम-I) के परिशिष्ट 6 के अन्तर्गत सूची 3 में उल्लिखित है।

(ख) तैयार प्रपुंज संपाकों के उत्पादन में प्रयुक्त प्रपुंज औषधों की आयात नीति 1985—88 के लिए आयात एवं निर्यात नीति पर भी लागू नहीं होती है।

(ग) और (घ) खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाले फार्मूलेशनों उदाहरण स्वरूप पोलिमिक्सन बी, सल्फेट, आम्फोटोरियसिन, विंक्रिस्टीन, विन्ब्लास्टिन इत्यादि के निर्माण में प्रयोग होने वाले के निर्माण हेतु औद्योगिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं इन अनुमोदनों के ब्यौरे समय-समय पर इण्डिया इन्वेस्टमेंट सेंटर के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

एक ही बीमारी के लिए विभिन्न औषधों के मूल्य वृद्धि में अन्तर

6671. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय आयातित रिफेम्पिसिन और कुष्ठ रोधी औषधों पर आधारित फार्मूलेशनों पर 100 प्रतिशत मूल्य वृद्धि की अनुमति दी गई है।

(ख) क्या यह भी सच है कि कुष्ठ रोग के उपचार के लिए आवश्यक डेप्सोने, जिसका निर्माण देश में किया जा रहा है, पर 40 प्रतिशत मूल्य वृद्धि की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो एक ही बीमारी के लिए विभिन्न औषधों के लिए मूल्य वृद्धि में अन्तर होने

के क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) रिफेम्पिसिन पर आधारित फार्मूलेशनों पर कारखाने से बाहर 100 प्रतिशत तक का मार्क अप स्वीकृत किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के उपबन्धों के अनुसार विभिन्न फार्मूलेशनों पर मार्क अप स्वीकृत किये जाते हैं।

भारतीय कम्पनियों को रिफेम्पिसिन के निर्माण की अनुमति

6672. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक कम्पनियों को देश में स्वदेशी रूप से रेफैम्पसीन के निर्माण की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक कम्पनी को कब से अनुमति दी गई है;

(ग) कुल कितनी मात्रा का उत्पादन करने के लाइसेंस दिये गये हैं;

(घ) क्या किसी कम्पनी द्वारा अब तक इस सम्बन्ध में कोई प्रगति की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जिन कम्पनियों को रिफेम्पिसिन के निर्माण के लिए समय-समय पर औद्योगिक अनुमोदन प्राप्त किये गये हैं, उनके ब्यौरे इंडिया इन्वेस्टमेंट सेंटर द्वारा अपने मासिक समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) मैसर्स लुपिन लैब्स, सिंथोरिफा लिमिटेड और आंध्रा साइट्रेट्स नामक कुछ एककों में हाल में रिफाम्पिसिन बल्क औषध के उत्पादन की सूचना दी है।

मध्य प्रदेश में नये डाकघर बचत बैंक खोलना

6673. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश में कितने डाकघर बचत बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या वर्ष 1986-87 में सरकार का विचार ऐसे डाकघर बचत बैंकों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 में मध्य प्रदेश में कितने नये डाकघर बचत बैंक खोलने का विचार है; और

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक डाकघर बचत बैंक खोलने के प्रयास किए जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 10482 डाकघर बचत बैंक सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

(ख) से (घ) डाकघर बचत बैंक डाकघर का ही एक हिस्सा है और पदों के सृजन पर लगी रोक के कारण नये डाकघर खोलने पर विचार नहीं किया जा सकता।

गुजरात में दुग्ध डेरियों वाले जिलों को "उद्योग रहित" जिलों में शामिल किया जाना

6674. श्री बी० के० गढवी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा गुजरात के कितने जिलों को उद्योग रहित जिले घोषित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ जिलों में सहकारी दुग्ध डेरी को उद्योग के रूप में माना जाता है और इसलिए ऐसे जिलों को "उद्योग रहित" जिलों का दर्जा नहीं दिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दुग्ध डेरियों द्वारा केवल कृषि उत्पादों का परिष्करण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इन सहकारी डेरियों को उद्योग न मानने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उन जिलों को "उद्योग रहित" जिले घोषित करने का है जिनमें केवल डेरियां हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) गुजरात सरकार ने चार जिले अर्थात् अमरेली, सांसकंठा, गांधीनगर और सावरकंठा को "उद्योग रहित" जिलों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) से (घ) दुग्ध डेरी, यदि दूध खाद्यों के उत्पादन में संलग्न है तो उसे औद्योगिक एकक

माना जाएगा। यदि निवेश के आधार पर ऐसी दुग्ध डेरी को मझौले अथवा बड़े उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो ऐसी दुग्ध डेरी के कारण जिले को "उद्योग रहित जिले" के रूप में नहीं माना जाएगा।

(ङ) पिछड़े क्षेत्रों/"उद्योग रहित जिलों" के औद्योगिकीकरण के लिए विद्यमान योजनाओं की समीक्षा और संशोधन करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है।

गैर-लाइसेंस शुदा औषधियों की सूची में शामिल न की गई औषधियां

6675. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बल्क औषधियों के नाम क्या हैं जिनका देश में उत्पादन नहीं होता है और जिनका पूर्णत: आयात किया जाता है; और

(ख) उनमें से ऐसी औषधियों के नाम क्या हैं जिन्हें नाम और लाइसेंस शुदा औषधियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) फार्मूलेशनों के उत्पादन के लिए देश में 500 प्रपुंज औषधों का प्रयोग किया जा रहा है। इनमें से लगभग 250 का उत्पादन देश में ही किया जा रहा है। शेष का आयात किया जा रहा है। इस प्रकार आयात किये जा रहे प्रपुंज औषधों में से प्राइमाक्विन नारगेस्ट्रल, ग्लाइसिरल ट्राइनाइट्रेट, इपिनफ्रिन, ग्रीसोफुल्विन, वेरापामिल, नियोमाईसिन, बेसिट्रेसिन, पिलोकापाईन, होमाट्रोपाईन, नियोस्टिगमाईन, पेंटोथेन्टेट्स तथा सिफालोरिडाईन आदि को अब तक लाइसेंस मुक्त करने की योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

हरियाणा में स्वतन्त्रता सेनानियों को एल० पी० जी० एजेंसियों का आबंटन

6676. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में स्वतन्त्रता सेनानी श्रेणी के अन्तर्गत कुल कितनी एल० पी० जी० एजेंसियां आबंटित की गई हैं; और

(ख) वर्ष 198 -87 के दौरान ऐसी कुल कितनी एजेंसियां स्वतन्त्रता सेनानियों को आबंटित की जाएंगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और

(ख) हरियाणा में स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए आरक्षित 5 एल० पी० जी० एजेंसियों में से दो को आरम्भ कर दिया गया है। बाकी 30 में से आशा है, दो 1986-87 में आरम्भ हो जाएंगी और तीसरी के लिए अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है।

मच्छर भगाने की कॉयल

6677. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में विभिन्न ब्रांडों के मच्छर भगाने वाली कॉयलों की भरमार है;

(ख) क्या इन मच्छर भगाने वाले कॉयलों के लिए आई० एस० आई० प्रमाणन अनिवार्य बनाये गये हैं;

(ग) क्या वाष्पों का विश्लेषण करने और छाती आदि पर उनके दीर्घावधि प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का जल्द ऐसा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। बाजार में कुछ ब्रांडों के मच्छर भगाने वाले कॉयल उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई परीक्षण नहीं किए गए हैं।

(घ) यदि आवश्यकता हुई तो इस मामले को स्वास्थ्य मंत्रालय के पास भेजा जा सकता है।

"एच० एम० टी०" की जनानी घड़ियों की मांग

6678. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1985 के अन्त में देश में "एच० एम० टी०" की जनानी घड़ियों की मांग कितनी थी;

(ख) सारे देश में "एच० एम० टी०" के एककों द्वारा कितनी जनानी घड़ियां बनाई जाती हैं;

(ग) मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या बंगलौर एकक में जनानी घड़ियां बनाने के लिए किसी विस्तार कार्यक्रम का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एच०एम०टी० की जनानी घड़ियों की वार्षिक मांग अनुमानतः 15 लाख है।

(ख) एच० एम० टी० एककों द्वारा निर्मित जनानी घड़ियों की संख्या 3.5 लाख प्रति वर्ष है।

(ग) और (घ) अपने विस्तार तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने बंगलौर एकक में एच० एम० टी० जनानी घड़ियों के उत्पादन को बढ़ा रहा है।

कर्नाटक में टेलेक्स एक्सचेंज खोलना

6679. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितने टेलेक्स एक्सचेंज हैं;

(ख) क्या वे पर्याप्त हैं; और

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान कर्नाटक में कितने टेलेक्स एक्सचेंज खोले जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कर्नाटक में अप्रैल, 1986 के प्रथम सप्ताह में चालू किए गए 2 टेलेक्स एक्सचेंजों सहित 12 टेलेक्स एक्सचेंज हैं।

(ख) ये टेलेक्स एक्सचेंज पर्याप्त नहीं हैं। नये टेलेक्स एक्सचेंज खोलने तथा मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है बशर्ते कि इसके लिए निश्चित मांग दर्ज हो।

(ग) दो टेलेक्स एक्सचेंज पहले ही खोल दिये गये हैं तथा एक अन्य टेलेक्स एक्सचेंज के 1986-87 के दौरान खोलने का कार्यक्रम हैं।

केरल में विधिक सहायता से लाभान्वित व्यक्ति

6680. श्री सुरेश कुरूप : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1985-86 में निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ख) केरल को उक्त प्रयोजन के लिये वर्ष 1985-86 में कितनी रकम आबंटित की गई है; और

(ग) केरल द्वारा वास्तव में कितनी रकम का उपयोग किया गया है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार :—

(क) केरल में 1985-86 में, निर्धनों को नि:शुल्क विधिक सहायता और सलाह से लाभान्वित व्यक्तियों की वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं है। तथापि, केरल विधिक सहायता और सलाह बोर्ड ने, वर्ष 1985-86 के दौरान, 37 मामलों में विधिक सलाह दी है। केरल में, उत्तरी परूर में, 5 और 6 जनवरी, 1985 को विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति की सहायता से और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर के मार्गदर्शन से, केरल चैप्टर आफ इंडियन एसोसिएशन आफ लायर्स द्वारा एक नीति मेला (विधिक सहायता शिविर) आयोजित किया गया था, जिसमें 1300 से अधिक भूमि सुधार और मोटर दुर्घटना सम्बन्धी दावे आदि निपटाये गये।

(ख) वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये केरल सरकार ने बजट में, केरल राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड के लिए 5,88,000/- रुपये की व्यवस्था की थी। विधिक सहायता कार्यक्रम के लिए न्यायाधीश श्री कृष्ण अय्यर के पर्यवेक्षण में, विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा खर्च किये जाने के लिए भी 1,00,000/- रुपये की सहायता की गई थी।

(ग) केरल राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड ने 31 अगस्त, 1985 तक 1,32,291.25 रुपये की रकम खर्च कर ली है।

कोचीन तेल शोधक कारखाने में आग लगने की दुर्घटनायें

6681. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984, 1985 और 1986 में कोचीन तेल शोधक कारखाने में आग लगने की कितनी दुर्घटनायें हुई; और

(ख) आग लगने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1984 में आग लगने की दो और प्रत्येक 1985 तथा 1986 में एक-एक दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) अग्निकांड का कारण हाइड्रोकार्बनों के निस्राव होना और उसके बाद उनमें आग लग जाना था।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में उपग्रह संचार केन्द्र

6682 **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कुछ उपग्रह संचार केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं, उन्हें कब स्वीकृत किया गया था तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और यदि विलम्ब होने की संभावना है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार का विचार उक्त उपग्रह संचार केन्द्रों की स्थापना में कब तेजी लाने का है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी हां।

पोर्ट ब्लेयर और कार निकोबार के मौजूदा भू-केन्द्रों के अलावा, अनेक छोटे भू-केन्द्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना मंजूर की गई थी जिनमें 3 अतिरिक्त स्टेशन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए तथा एक-एक कैम्पबैल के, मायावन्दर और डिगलीपुर शामिल हैं। यह परियोजना नवम्बर, 1984 में की गई थी। परियोजना का कार्य चल रहा है। इन स्टेशनों में कार्य पूरा करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं हुआ है। इनके 1987 में तैयार हो जाने की संभावना है। अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में अतिरिक्त उपग्रह भू-केन्द्र स्थापित करने के मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इन प्रस्तावों को 1986 के अन्त तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है।

मोबाइल रेडियो टेलीफोनों की मांग

6683. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2000 रुपये प्रतिमाह के किराये पर मोबाइल रेडियो टेलीफोन काफी सफल सिद्ध हुए हैं और क्या इनका विस्तार किया जा रहा है;

(ख) प्रत्येक कार में लगाये जाने वाले इस उपकरण की लागत क्या है और क्या इसका देश में ही विकास किया गया है अथवा निकट भविष्य में इसका देश में निर्माण करने का विचार है और इस सेवा के लिए विभाग द्वारा लगाये गये उपकरणों की लागत क्या है; और

(ग) क्या इस सेवा की काफी मांग है और यदि हां, तो अगले पांच वर्षों में सारे देश में इसकी मांग और पूर्ति के संबंध में क्या अनुमान हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिल्ली में मोबाइल रेडियो टेलीफोन 31-12-85 से प्रचलन में हैं जिसका प्रतिमास किराया 2000 रुपये है। यह योजना प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ की गई है और इसकी सफलता के बारे में छह महीने के बाद ही पता चल सकेगा।

(ख) हर कार में स्थापित विभिन्न उपस्करों का कुल परिव्यय लगभग 40,000 रुपये बैठता

है। यह उपस्कर पूर्णरूपेण आयातित है। स्वदेशी उत्पादन शुरू नहीं किया गया है। उपस्कर का कुल परिव्यय लगभग 1.25 करोड़ रुपये है।

(ग) दिल्ली में किए गए प्रयोग के बाद इसकी पर्याप्त मांग है। 70 कनेक्शनों के लिए 242 लोगों ने आवेदन किया हुआ है। अनुमानित मांग का अभी आकलन नहीं किया गया है।

पंचायत न्यायाधीशों की नियुक्ति

6684. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग द्वारा निम्न स्तर पर न्यायपालिका का पुनर्गठन करने और स्थानीय रूप से प्रशिक्षित न्यायिक काडर से "पंचायत न्यायाधीशों" के नए काडर की नियुक्ति करने के बारे में कोई सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं। किन्तु विधि आयोग ने जिसमें हितबद्ध व्यक्तियों और निकायों के दृष्टिकोण/राय आमंत्रित करने के लिए "निचले स्तर पर विवादों के निपटारे के लिए वैकल्पिक मंच" पर कार्य पत्र परिचालित किया है। दृष्टिकोण/रायों को संसूचित करने के लिए मूलतः अन्तिम तारीख 1 दिसंबर, 1985 नियत की गई थी जिसे आयोग ने बढ़ाकर 31.3.1986 कर दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्योगों में प्रदूषण को रोकने तथा समाप्त करने के लिए सात सूत्री नीति

6685. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए इंडियन चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने एक 7-सूत्री नीति अपनाने का सुझाव दिया है जिसके अंतर्गत औद्योगिक नीति सम्बन्धी ढांचे में परिवर्तन, आधारभूत ढांचे में सुधार, ऊर्जा की बचत, संसाधन के अन्तर को कम करना, प्रौद्योगिकी को आधुनिक तथा उन्नत बनाना, मांग बढ़ाना तथा पर्यावरण संरक्षण शामिल है; और

(ख) यदि हां, तो उद्योगों में प्रदूषण को रोकने तथा दूर करने हेतु सुझाये गये इस 7-सूत्री नीति का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल द्वारा उसके 59वें वार्षिक सत्र (मार्च 22-23, 1986) के अवसर पर निकाली गई "प्रोग्राम आफ मीटिंग एण्ड रेजोलूशन्स" शीर्षक पुस्तिका में औद्योगिक विकास की

गति को तीव्र करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया गया है। ये हैं :—

(1) उद्योग नीति और प्रक्रिया में और उदारीकरण करना,

(2) आधारिक संरचना सुविधाओं में सुधार करना,

(3) ऊर्जा संरक्षण में सुधार के लिए उपाय करना,

(4) राजकोषीय और वित्तीय नीतियों में संशोधन करना,

(5) प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना,

(6) शुल्कों में चयनात्मक कमी करके घरेलू बाजार और निर्यातों में मांग उत्पन्न करना, और

(7) संयंत्र के रख-रखाव, बढ़िया किस्म के प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के उत्पादन, पारिस्थितिक संतुलन और मानव निवास आदि के लिए अनिवार्य प्रावधान करके पर्यावरण का परिरक्षण करना।

केरल में उत्पादन केन्द्र

6686. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने उत्पादन केन्द्र चलाएं जा रहे हैं;

(ख) ये उत्पादन केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या ये केन्द्र घाटे में चल रहे हैं अथवा लाभ कमा रहे हैं, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक उत्पादन केन्द्र में कितने प्रशिक्षार्थी काम कर रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केरल में लघु उद्योग विकास संगठन के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जाने वाले उत्पादन/विस्तार केन्द्रों की संख्या चार है।

(ख) ये केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं :—

(1) एट्टुमानूर

(2) तीरूवल्ला

(3) अट्टिंगल

(4) मुवात्तुपुझा

(ग) पिछले पांच वर्षों के लिए हानियों/लाभों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

केन्द्र	हानि रुपयों में				
	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
एट्टुमानूर	8,69,171	7,68,031	8,95,000	13,04,00	12,43,000
तीरूवल्ला	3,44,150	5,25,665	2,25,000	3,05,000	4,22,000
अट्टिंगल	45,968	10,058	1,20,000	1,60,000	3,60,000
		(लाभ)			
मुवात्तुपुझा	49,626	81,628	1,66,000	1,72,000	3,65,000

(घ) प्रत्येक केन्द्र में प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षार्थियों की संख्या इस प्रकार है :—

स्थान	निम्नांकित वर्षों के दौरान प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षार्थियों की संख्या				
	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
एट्टुमानूर	118	113	119	114	158
तीरूवल्ला	90	89	95	104	97
अट्टिंगल	21	14	21	20	30
मुवात्तुपुझा	16	15	16	17	19

उड़ीसा में कोयले पर रायल्टी की दर का पुनरीक्षण

6687. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कोयले पर रायल्टी अन्तिम बार कब नियत की गई थी और उड़ीसा को कोयले पर दी जा रही रायल्टी का ब्यौरा क्या है;

(ख) कोयले पर रायल्टी नियत करने के लिए सरकार ने क्या मानदण्ड अपनाया है;

(ग) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले के मूल्य कितनी बार बढ़ाए गए हैं और कोयले पर रायल्टी की दर में कितनी बार संशोधन किया गया है; और

(घ) उड़ीसा में कोयले पर रायल्टी की दर में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके किसी भी खनिज के स्वामित्व की दर बढ़ा अथवा घटा सकती है। परन्तु, किसी खनिज के लिए स्वामित्व की दरों में कोई भी वृद्धि चार वर्ष की किसी अवधि में एक बार ही हो सकती है।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से अब तक कोयले की कीमतों में संशोधन सात बार किया गया है। परन्तु, कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से स्वामित्व की दरों में संशोधन दो बार किया गया है—एक बार दिनांक 1-8-1975 से और दूसरी बार 3-2-1981 से। इस समय, कोयले पर स्वामित्व की दरें रु० 3.50 प्रति टन से लेकर रु० 7.00 प्रति टन के बीच में है। यह दर उस वर्ग पर निर्भर करती है जिसमें ग्रेड विशेष के कोयले को वर्गीकृत किया जाता है। कोयले पर स्वामित्व का निर्धारण राज्य-वार नहीं किया जाता है।

कोयले पर स्वामित्व की दर में अगले संशोधन के प्रश्न पर विचार करने के लिए नवम्बर, 1984 में एक अध्ययन-दल का गठन किया गया था। इस अध्ययन-दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। केन्द्रीय सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की चालू योजनाएं

6688. श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की चालू योजनाएं कौन सी हैं और उनमें कितने प्रतिशत प्रगति हुई है;

(ख) क्या स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से दोषपूर्ण सप्लाई के कारण कुछ परियोजनाएं अपने लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० की चालू योजनाओं

और उनकी प्रगति के प्रतिशत का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

परियोजना	प्रगति (प्रतिशत)
खान II (चरण I) प्रतिवर्ष 4.7 मि० टन लिग्नाइट क्षमता	100%
ताप बिजली घर II (चरण II) 630 मे० वा० का (3 : 210 मे० वा०)	
I एकक	100%
II एकक	70%
III एकक	45%
खान II (चरण-II) प्रति वर्ष 5.8 मि० टन लिग्नाइट की क्षमता (4.7 मि० टन से 10.5 मि० टन)	कार्यान्वयन का प्रारम्भिक चरण
ताप बिजली घर II (चरण II) 840 मे० वा० का (4×210 मे० वा०) 630 मे० वा० से 1470 मे० वा० तक विस्तार	कार्यान्वयन का प्रारम्भिक चरण

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल और गैस की खोज में लगी एजेंसियों द्वारा हेलीकोप्टर का प्रयोग

6689. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा गैस की खोज और सप्लाई में लगी अनेक एजेंसियों द्वारा अपने कार्यों को सरल बनाने के लिए हेलीकाप्टरों का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इन एजेंसियों और उपक्रमों को हेलीकाप्टर की आवश्यकता और क्षमता के बारे में कोई मूल्यांकन किया है ताकि उनकी खरीद के लिए कोई व्यवस्था की जा सके ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) इस समय ऑयल इण्डिया लिमिटेड और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग हेलीकाप्टरों का प्रयोग कर रहे हैं।

(ग) जी, हां। हेलीकाप्टर कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा।

उड़ीसा में बिजली के उत्पादन के लिए परियोजनाओं की क्रियान्विति

6690. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में बिजली उत्पादन के लिए निर्धारित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उड़ीसा में कितनी परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी और उनकी कुल लागत कितनी है तथा प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और वे कब तक पूरी होंगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सातवीं योजना अवधि के दौरान युटिलिटीज में 22,245 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि किए जाने की संकल्पना है। 100 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की परियोजनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) निम्नलिखित परियोजनाओं से सातवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में 483.5 मेगावाट क्षमता जोड़े जाने की सम्भावना है :—

क्रम सं०	परियोजना	सातवीं योजना के अन्त में क्षमता में वृद्धि (मेगावाट)	सातवीं योजना में अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रुपये)
1	2	3	4
1.	अपर कोलाब (जल विद्युत)	240	44.00
2.	हीराकुण्ड चरण-तीन (जल विद्युत)	37.5	15.81

1	2	3	4
3.	रेंगाली (जल विद्युत)	100	7.56
4.	पोट्टेस (जल विद्युत)	6	5.46
5.	रेंगाली विस्तार	100	39.39

विवरण

क्रम सं०	स्कीम	लाभ (मेगावाट)
1	2	3
1.	पानीपत ताप विद्युत केन्द्र चरण-दो	220
2.	पानीपत ताप विद्युत केन्द्र चरण-तीन	210
3.	भाभा जल विद्युत स्कीम	120
4.	मुकेरियां जल विद्युत स्कीम	162
5.	रोपड़ ताप विद्युत केन्द्र चरण-दो	420
6.	आनन्दपुर साहिब जल विद्युत स्कीम	134
7.	कोटा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
8.	माही जल विद्युत स्कीम	140
9.	मनेरी भाली जल विद्युत स्कीम चरण-दो	304
10.	अनपारा "क" ताप विद्युत केन्द्र	630
11.	टांडा ताप विद्युत केन्द्र	440
12.	ऊंचाहार ताप विद्युत केन्द्र	420
13.	सलाल जल विद्युत स्कीम	345
14.	चमेरा जल विद्युत स्कीम	180
15.	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र, चरण-एक, फेज-दो	1000
16.	रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र	1000

1	2	3
17.	नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना	470
18.	कडाना पम्पड स्टोरेज जल विद्युत स्कीम	120
19.	वानकबोरी ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	630
20.	सिक्का ताप विद्युत केन्द्र	120
21.	गांधीनगर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
22.	हासदेव जल विद्युत स्कीम	120
23.	कोरबा पश्चिम ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
24.	संजय गांधी (बीरसिंहपुर) ताप विद्युत केन्द्र	210
25.	बाणसागर जल विद्युत स्कीम	210
26.	चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	420
27.	उरान गैस स्टेशन विस्तार	324
28.	खापरखेडा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	420
29.	पारली ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
30.	उरान गैस टर्बाइन स्टेशन यूनिट सं० 8	108
31.	पेंच जल विद्युत स्कीम	160
32.	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र	500
33.	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	1000
34.	विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र	1260
35.	नागार्जुनसागर जल विद्युत स्कीम चरण-दो	100
36.	श्रीसेलम जल विद्युत स्कीम चरण-दो	330
37.	विजयवाडा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
38.	वराही नहर जल विद्युत स्कीम	239
39.	सूपा बांध जल विद्युत स्कीम	100
40.	रायचूर ताप विद्युत केन्द्र	210

1	2	3
41.	इदुक्की जल विद्युत स्कीम चरण-दो	390
42.	कदमपराई जल विद्युत स्कीम	400
43.	लोअर मेट्टूर जल विद्युत स्कीम	120
44.	मेट्टूर ताप विद्युत केन्द्र	420
45.	मेट्टूर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
46.	तूतिकोरिन ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
47.	रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	1000
48.	नेवेली दूसरा माइन कट ताप विद्युत केन्द्र	630
49.	नेवेली दूसरा माइन कट ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
50.	कलपक्कम परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-दो	235
51.	फतरातू ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-दस	110
52.	मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-दो	110
53.	तेनुघाट ताप विद्युत केन्द्र	210
54.	अपर कोलाब जल विद्युत स्कीम	240
55.	रेंगाली, जल विद्युत स्कीम	100
56.	रेंगाली, जल विद्युत स्कीम विस्तार	100
57.	कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र	420
58.	कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
59.	दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	110
60.	बोकारो "ख" ताप विद्युत केन्द्र	210
61.	बोकारो "ख" ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	420
62.	फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-एक	630
63.	लोअर बोरपानी जल विद्युत स्कीम	100
64.	कोपिली जल विद्युत स्कीम	100

स्वतन्त्र इलेक्ट्रानिक/कार्डलेस टेलीफोन संगठन की स्थापना

6691. **श्री अनादि चरण दास** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रानिक प्रणाली/कार्डलेस टेलीफोन प्रणाली कितनी प्रभावकारी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से व्यावहारिक है और वर्तमान टेलीफोन प्रणाली के साथ इसका तुलनात्मक विश्लेषण क्या है;

(ख) लागत की दृष्टि से किफायती/आर्थिक सक्षमता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार की एक स्वतन्त्र इलेक्ट्रानिकी/कार्डलेस टेलीफोन संगठन स्थापित करने अथवा प्रत्येक सब-डिवीजन (ग्रामीण क्षेत्रों के राजस्व सब डिवीजन) में नई प्रणाली की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने हेतु वर्तमान संगठनों का उपयोग करने की कोई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं; और

(ग) यदि प्रत्येक राज्य की राजधानी में कम से कम ऐसी एक प्रणाली स्थापित करने हेतु सरकार की कोई योजनाएं हैं तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिल्ली में हाल ही में मोबाइल टेलीफोन प्रणाली प्रायोगिक आधार पर प्रारम्भ की गई है। इसके बारे में अभी फील्ड परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होनी है। यह प्रणाली, हालांकि, मोबाइल उपकरण के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके लिए 40,000 रुपए की अग्रिम राशि जमा करनी होती है तथा इसका किराया 2000 रुपया प्रतिमास है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इसे वर्तमान टेलीफोन प्रणाली के स्थान पर प्रारम्भ करने पर विचार नहीं किया जाना है अपितु नए प्रयोग के लिए नई सेवा है।

(ख) अत्याधिक लागत को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में प्रारम्भ की गई मोबाइल प्रणाली का ग्रामीण उप-मण्डलों में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) अन्य शहरों में मोबाइल प्रणाली के विस्तार की कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है। परन्तु फील्ड परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

केल्ट्रान द्वारा एक प्रक्रिया का विकास और एक "मैसेज स्विचिंग" प्रणाली का निर्माण का कार्य

6692. **श्री अनादि चरण दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र ने केल्ट्रान को एक प्रक्रिया के विकास और एक मैसेज स्विचिंग प्रणाली के निर्माण का काम सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस फर्म का चयन किस आधार पर किया गया है;

(ग) क्या प्रक्रिया का विकास दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र या केल्ट्रान द्वारा किया गया है और क्या उसे यह कार्य सौंपने से पहले अन्य समानान्तर कम्पनियों (सरकारी क्षेत्र) से आवेदन प्राप्त किए गए थे/मांगे गए थे; और

(घ) अन्य कम्पनियों/सरकारी कम्पनियों को दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र के कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) 64 लाइनों वाली एक स्टोर एण्ड फारवर्ड मैसेज स्विचन प्रणाली विकसित करने का कार्य मैसर्स केल्ट्रान को सौंपा गया है। विवरण इस प्रकार है :—

(i) विकास एवं उपस्कर की लागत : 43.5 लाख रुपए

(ii) उपस्कर सौंपने की अवधि (डिलीवरी पीरियड) 9 महीने

(iii) प्रणाली का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय प्रयोग का स्थान : केन्द्रीय तारघर, बेंगलूर

(iv) फर्म के चयन का तरीका : दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र ने मैसेज स्विचन प्रणाली के विनिर्देशन का प्रारूप तैयार किया और उसे इस क्षेत्र के सम्भावित विनिर्माताओं को भेजा ताकि उनसे बजट सम्बन्धी कोटेशन प्राप्त हो सकें और यह पता चल सके कि क्या वे इस विकास कार्य को करने में सक्षम हैं। जितने प्रस्ताव प्राप्त हुए उनका प्रतियोगी आधार पर व तकनीकी आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करने पर यह निर्णय लिया गया कि 64 लाइनों की मैसेज स्विचन प्रणाली के विकास का कार्य मैसर्स केल्ट्रान को दे दिया जाए।

(ग) (i) विकास के लिए तकनीकी विनिर्देशन दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र द्वारा तैयार किया गया। जिस प्रणाली से इस विनिर्देशन को पूरा करना है, उसे मैसर्स केल्ट्रान द्वारा दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र के साथ समन्वय और परामर्श करके विकसित किया जाना है।

(ii) विनिर्देशन निम्नलिखित को भी भेजा गया था :—

मैसर्स ई०सी०आई०एल०, हैदराबाद, मैसर्स कम्प्यूटर मैन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन (सी०एम०सी०) मैसर्स कैल्ट्रान, त्रिवेन्द्रम, मैसर्स आई०टी०आई०, बेंगलूर, मैसर्स हिन्दुस्तान कम्प्यूटर लि०, (एच० सी० एल०) नई दिल्ली, मैसर्स आई०सी०आई०एम० नई दिल्ली।

बजट सम्बन्धी कोटेशन के साथ तकनीकी प्रस्ताव निम्नलिखित से प्राप्त हुए थे—

मैसर्स ई०सी०आई०एल०, मैसर्स केल्ट्रान, मैसर्स सी०एम०सी० और मैसर्स आई०टी०आई०।

तकनीकी आर्थिक अध्ययन तथा तार नेटवर्क की अपेक्षाओं के आधार पर (i) 64 लाइनों की मैसेज स्विचन प्रणाली को विकसित करने का कार्य मैसर्स केल्ट्रान को और (ii) 128 लाइनों की मैसेज स्विचन प्रणाली के विकास का कार्य मैसर्स ई०सी०आई०एल० को सौंपने का निर्णय लिया गया।

(घ) दूरसंचार उपस्कर के विकास से सम्बन्धित दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र का अनुसंधान कार्य या तो दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र में ही होता है या फिर सरकारी/अर्ध सरकारी अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है जो उपस्कर की किस्म व जटिलता पर निर्भर करता है। वे कुछ दूरसंचार परियोजनाएं इस प्रकार हैं, जिन पर बाहरी एजेंसियां काम कर रही हैं :—

(i) केल्ट्रान-पेपरलेस ट्रंक प्रणाली (पोस्टेक्स)
64 लाइनों की स्टोर एवं फारवर्ड मैसेज स्विच, पी०सी० एम० उपस्कर।

(ii) ई०सी०आई०एल०—डायरेक्टरी इनक्वारी, फॉल्ट एनेलिसिस, 128 लाइनों की स्टोर एण्ड फारवर्ड मैसेज स्विच प्रणाली।

(iii) जी०सी०ई०एल०—पी०सी०एम० उपस्कर।

(iv) बी०ई०एल०—120 चैनल डिजिटल यू०एच०एफ०।

(v) एस०सी०एल०—पी०सी०एम० उपस्कर।

जेंटेक्स पर विभिन्न अन्य परियोजनाओं के अलावा, डाटा संचार उपस्कर, डिजिटल माइक्रोवेव प्रणालियां, मैसर्स इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि० और हिन्दुस्तान केबिल लि० के साथ संयुक्त रूप से विकसित की जा रही है।

टेंडर आमंत्रित करके कच्चे तेल की ढुलाई

6693. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल की खोज में लगी विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा कच्चे तेल की ढुलाई के लिए सार्वजनिक रूप से टेंडर आमंत्रित कर इसकी ढुलाई नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड अपना अधिकतर कच्चा तेल पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से भेजते हैं। टेंकरों से सड़क से भेजने का काम खुले टेंडर मंगा कर किया जाता है।

महाराष्ट्र में कोयला जल विद्युत परियोजना से बिजली का उत्पादन

6694. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कोयला जल विद्युत परियोजना में इस समय कितने जनरेटर काम कर रहे हैं;

(ख) इन सभी जनरेटरों की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) इस समय इस परियोजना में कितनी बिजली पैदा होती है; और

(घ) सम्भावित ऊर्जा के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) 920 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 14 जेनरेटरों में से 855 मेगावाट क्षमता के 13 जेनरेटर प्रचालन में हैं।

(ग) वर्तमान में, कोयला जल-विद्युत केन्द्र में 9 से 11.5 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है।

(घ) जल-वर्ष 1985-86 के दौरान विद्युत उत्पादन में किसी प्रकार की कमी होने की सम्भावना नहीं है।

बिना तार वाले टेलीफोनों के माध्यम से टेलीफोन प्रणाली का विकास

6695. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में माइक्रोवेव प्रणाली का नेटवर्क पूरा कर लिया है;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या निश्चित परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या बिना तार वाले टेलीफोनों के माध्यम से टेलीफोन प्रणाली का विकास करने का विचार है; और

(घ) क्या यह नई प्रौद्योगिकी अनेक देशों में पहले ही लागू की जा चुकी है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। माइक्रोवेव नेटवर्क का निरन्तर विस्तार किया जा रहा है।

(ख) देश में अब तक माइक्रोवेव प्रणाली के लगभग 23000 मार्ग कि० मी० चालू कर दिए गए हैं।

(ग) दिल्ली में एक मोबाइल टेलीफोन प्रणाली (कार्डलेस) स्थापित कर दी गई है।

(घ) जी, हां।

[हिन्दी]

धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना में अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी

6696. श्री हरीश रावत : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे स्थानीय अस्थायी कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें यह भी मालूम है कि इससे इस सीमावर्ती क्षेत्र में भारी असंतोष है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संबंधित अधिकारियों को इस परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों की छटनी न करने और छटनी किए गए कर्मचारियों को पुनः काम पर रखने के लिए आदेश जारी करने का है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना के किसी नियमित अथवा वर्कचार्ज कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है। तथापि, अल्पावधि के विशिष्ट कार्यों के लिए परियोजना पर लगाए गए कुछ नैमित्तिक/दैनिक दर के कर्मचारियों की सेवाएं उन कार्यों के पूरा हो जाने पर, जिनके लिए उन्हें काम पर लगाया गया था, समाप्त कर दी गई थी। जब कभी परियोजना पर अतिरिक्त कामगारों की आवश्यकता होगी, उन कामगारों को वरीयता दी जाएगी जिनकी

सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय-क्षेत्रों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा सहायक एककों की स्थापना

6697. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानी बाग में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की फैक्ट्री के उद्घाटन के समय प्रधान मन्त्री द्वारा दी गई सलाह के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उत्तर प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा सहायक एककों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रधान मन्त्री की सलाह पर कार्यवाही करने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा अन्य क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सहायक सामान बनाने वाले दो एकक, एक घड़ियों के संयोजन के लिए तथा दूसरा घड़ियों के खोल बनाने के लिए पहले ही उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, मोवाली में स्थित हैं। रानीबाग में घड़ी कारखाने के लिए कुछेक हिस्से-पुर्जों के अनुषंगी कार्यसंचालन हेतु दो अन्य एककों को एच०एम०टी० ने उप-ठेके भी दिये हैं और इस कारखाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छः लघु एककों से निर्मित सामान खरीद रहा है। इसके अलावा, रानीबाग घड़ी कारखाने की जरूरत के लिए वस्तुओं के निर्माण हेतु बारह लघु एककों की स्थापना की सम्भावना का पता लगाया गया है।

उत्तर प्रदेश के रानीखेत में एक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

6698. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 में उत्तर प्रदेश में रानीखेत में कोई इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या रक्षा मंत्रालय ने इस एक्सचेंज के निर्माण हेतु दूरसंचार विभाग को भूमि अंतरित की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) इस वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 34.74 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से भूमि अंतरण की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में जिलों को टेलीप्रिंटर सेवा से जोड़ना

6699. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिले टेलीप्रिंटर सेवा द्वारा आपस में जोड़े हुए हैं; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन जिलों तथा शहरों को टेलीप्रिंटर सेवा से जोड़ने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उत्तर प्रदेश के उन जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं, जो टेलीप्रिंटर सेवा द्वारा जोड़े हुए हैं।

(ख) जिन स्थानों पर टेलीप्रिंटर प्रणाली कार्य कर रही है, उन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के मेकैनाइज्ड टेलीग्राफ नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने (एक्सशन प्लान) का प्रस्ताव है।

विवरण

क्रम सं०	जिलों का नाम	उन स्टेशनों का नाम जिनको टेलीप्रिंटर सेवा से जोड़ा गया
1	2	3
1.	आगरा	इलाहाबाद, अलीगढ़, बरेली, देहरादून, एटा, इटावा, फरूखाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी
2.	अलीगढ़	आगरा, लखनऊ।
3.	इलाहाबाद	लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, बांदा, आगरा, प्रतापगढ़।

1	2	3
4.	अल्मोड़ा	नैनीताल
5.	आजमगढ़	वाराणसी
6.	बहराइच	लखनऊ
7.	बलिया	वाराणसी
8.	बांदा	इलाहाबाद
9.	बाराबंकी	लखनऊ
10.	बरेली	लखनऊ, नैनीताल, आगरा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, रामपुर।
11.	बस्ती	लखनऊ
12.	बिजनौर	मुरादाबाद
13.	बदायूं	बरेली
14.	देहरादून	लखनऊ, आगरा, सहारनपुर
15.	देवरिया	वाराणसी, गोरखपुर
16.	एटा	आगरा
17.	इटावा	आगरा
18.	फैजाबाद	लखनऊ
19.	फरूखाबाद	कानपुर, आगरा
20.	गाजीपुर	वाराणसी
21.	गोंडा	लखनऊ
22.	गोरखपुर	वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद
23.	हरदोई	लखनऊ
24.	जालौन	कानपुर
25.	जौनपुर	वाराणसी
26	झांसी	आगरा, कानपुर, लखनऊ

1	2	3
27.	कानपुर	आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद
28.	लखीमपुर-खीरी	लखनऊ
29.	लखनऊ	सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बहराइच, बस्ती, बाराबंकी, देहरादून, फैजाबाद, गोरखपुर, गोंडा, हरदोई, झांसी, कानपुर, मेरठ, नैनीताल, मुरादाबाद, रामपुर।
30.	मैनपुरी	आगरा
31.	मथुरा	आगरा
32.	मेरठ	लखनऊ, आगरा
33.	मिर्जापुर	इलाहाबाद
34.	मुरादाबाद	आगरा, लखनऊ, बरेली, बिजनौर
35.	नैनीताल	लखनऊ, बरेली, अल्मोड़ा
36.	पीलीभीत	बरेली
37.	पिथौरागढ़	बरेली
38.	प्रतापगढ़	इलाहाबाद
39.	रायबरेली	लखनऊ
40.	रामपुर (उत्तर प्रदेश)	बरेली, लखनऊ
41.	सहारनपुर	देहरादून, लखनऊ
42.	शाहजहांपुर	बरेली, लखनऊ
43.	सुल्तानपुर	लखनऊ
44.	वाराणसी	लखनऊ, गोरखपुर, जौनपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, इलाहाबाद, आगरा।
45.	सीतापुर	लखनऊ।

[अनुवाद]

राज्यों में पनबिजली परियोजनाओं की कार्यान्विति

6700. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में कितनी पनबिजली परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में कार्यान्विति की जाने वाले प्रस्तावित पनबिजली परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) इसके लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) छठी योजनावधि में 23 जल विद्युत परियोजनाओं से कुल 2873 मेगावाट की क्षमता जोड़ी गई थी।

(ख) से (घ) सातवीं योजनावधि के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं से लगभग 5541 मेगावाट की क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना	सातवीं योजना में क्षमता में वृद्धि की परिकल्पना (मेगावाट)	सातवीं योजना में आवंटित राशि (करोड़ रुपये)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
जम्मू और कश्मीर			
1.	सतकना	2×2 = 4	5.00
2.	कर्नाह	2×1 = 2	6.00
3.	अपर सिंध	2×35= 70	80.00
	उप-जोड़ :	76	91.00

1	2	3	4
हरियाणा			
1.	पश्चिमी यमुना नहर	3×2×8= 48	21.50
2.	दादूपुर	4×2.5= 10	14.68
	उप-जोड़ :	58	36.18
हिमाचल प्रदेश			
1.	संजय	3×40=120	75.37
2.	आन्ध्र	3×5.65=16.95	13.26
3.	थिरोट	3×1.5= 4.5	3.91
4.	रोंगटोंग	4×0.5= 2.00	6.96
	उप-जोड़ :	143.45	99.5
राजस्थान			
1.	माही बजाज सागर सोपान-1	2×15+	
	सोपान-2	2×45= 140	70.00
2.	अनूपगढ़	2×3×1.5= 9.0	7.05
3.	सूरतगढ़	2×2 = 4.0	5.02
4.	चारनवाला;	1×2 = 2.0	2.71
5.	मंगरोल आर० एम० सी०	3×2 = 6.00	5.81
6.	जाखम	2×4.5= 9·00	12.83
7.	पुगाल	1×1.5+	
		1×0.65= 2.15	4.43
	उप-जोड़ :	172.15	107.75

1	2	3		4
पंजाब				
1.	आनन्दपुर साहिब	4×33.5=	134.0	2.33
2.	मुकेरिया (1×3×15 मे० वा०)	1×3×15+ 2×3×19.5=	162.0	142.08
3.	यू०बी०डी०सी० चरण-2	3×1×15=	45	53.42
4.	मिनी और माइक्रो		7	15.00
	उप-जोड़		348	212.83
उत्तर प्रदेश				
1.	मानेरी भाली चरण-2	4×76=	304.0	140.00
2.	मिनी और माइक्रो	1.1	1.1	10.00
	उप-जोड़ :		305.1	150.00
केन्द्रीय				
1.	सलाल	3×115=	345.0	117.00
2.	चमेरा	180	180.0	518.00
	उप-जोड़ :		525.0	735·00

1	2	3	4
	पश्चिमी क्षेत्र		
	गुजरात		
1.	उकई बांया तट नहर	2×2.5= 5.0	2.20
2.	कडाना पम्प स्टोरेज स्कीम	2×60 =120.0	41.75
	उप-जोड़ :	125.0	43.95
	मध्य प्रदेश		
1.	बारगी	2×45 = 90	25.83
2.	बाणसागर	2×105= 210	225.00
3.	हसदेव बांग'	3×40 = 120	38.00
	कुल जोड़ :	420	288.83
	महाराष्ट्र		
1.	टिल्लरी	1×60 = 60	6.57
2.	भीरा टेल रेस	2×40 = 80	22.45
3.	भण्डारधारा	10 = 10	30.57
4.	खड़गवासला	1×8+1×8= 16	13.30
5.	पवाना	1×10 = 10	6.09
6.	भत्सा	1×15 = 15	11.40
7.	वैतरना बांध दो	1×1.5 = 1.5	1.60
8.	उज्जैनी पम्प स्टोरेज	1×12 = 12	15.76
	उप-जोड़ :	204.5	107.74

1	2	3		4
सांझा (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र)				
1.	पेंच	2×80	= 160	5.71
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश				
1.	नागार्जुन सागर पम्प स्टोरेज स्कीम चरण-दो	100	100	9.15
2.	श्रीसेलम-दो	3×110	= 330	14.43
3.	बलिमेला में ए० पी० बिजलीघर	2×30	= 60	11.01
4.	पाचम्पाद	3×9	= 27	23.27
5.	पेन्ना आहोबिलम	2×10	= 20	20.06
6.	नागार्जुनसागर बायां तट नहर	2×30	= 60	43.96
7.	नागार्जुनसागर दायां तट नहर विस्तार	1×30	= 30	14.16
8.	मिनी और माइक्रो	1.5	1.5	18.82
	उप-जोड़ :		628.5	154.86
कर्नाटक				
1.	कालीनदी चरण-1 (सूपा)	2×50	= 100	28.41
2.	वराही	2×115+2×4.5	= 239	91.38
3.	घाटप्रभा	2×16	= 32	26.16
4.	मल्लारपुर	2×4.5	= 9	10.87
5.	मिनी और माइक्रो	3.25	= 3.25	3.06 (लगभग)
	उप-जोड़ :		383.25	159.88

1	2	3	4
केरल			
1.	इडुक्की-दो	3×130 = 390	25.47
2.	इदामलयार	2×37.5= 75	(शून्य)
3.	कलाडा	2×7.5= 15	10.81
4.	कक्कड़	2×25= 50	28.22
	उप-जोड़ :	530	64.50
तमिलनाडु			
1.	सेरवलार	1×20 = 20	2.75
2.	कदमपराई पम्प स्टोरेज स्कीम	4×100 = 400	35.77
3.	लोअर मैत्तुर	4×2×15 = 120	43.23
4.	कुन्डाह-पांच	1×20 = 20	5.94
5.	पिकारा	1×2 = 2	2.05
6.	वगई	2×3 = 6	4.87
7.	लोअर भवानी	4×2 = 8	7.74
	उप-जोड़ :	576	102.35
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार			
1.	उत्तरी कोयल	2×12 = 24	23.64
2.	पूर्वी गंडक नहर	3×5 = 15	20.96

1	2	3		4
3.	सोन पूर्वी नहर	2×1.65=	3.3	8.19
4.	सोन पश्चिमी नहर	4×1.65=	6.6	17.25
	उप-जोड़ :		48.9	70.04
उड़ीसा				
1.	रेंगाली	2×50 =	100	7.56
2.	रेंगाली विस्तार	2×50 =	100	39.39
3.	अपर कोलाब	3×80 =	240	44.00
4.	पोत्तेरु	2×3 =	6	5.46
5.	हीराकुंड विस्तार (7वीं यूनिट)	1×37.5=	37.5	15.81
	उप-जोड़ :		483.5	112.22
सिक्किम				
1.	मिनी और माइक्रो	3.5 =	3.5	5.22
पश्चिम बंगाल				
1.	रम्मन चरण-दो	4×12.5=	50	33.00
2.	तीस्ता प्रपात	3×7.5=	22.5	45.00
3.	मिनी और माइक्रो	2 =	2	5.55
	उप-जोड़ :		74.5	83.55
दामोदर घाटी निगम				
1.	पंचेत हिल	1×40=	40	40.87

1	2	3		4
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र				
असम				
1.	मोअर बोरपानी	2×50 =	100	25.06
2.	धानसिरी	5×3×1.33=	19.95	15.40
	उप-जोड़ :		119.95	40.46
मणिपुर				
1.	मिनी और माइक्रो	4.3	4.3	4.91
नागलैण्ड				
1.	मिनी और माइक्रो	1.0	1.0	1.15
त्रिपुरा				
1.	मिनी और माइक्रो	1.0	1.0	0.70
मेघालय				
1.	कोपिली	2×50=	100	31.00
अरुणाचल प्रदेश				
1.	मिनी और माइक्रो	8.7	8.7	4.44
मिजोरम				
1.	मिनी और माइक्रो	0.85=	0.85	0.81
	अखिल भारत जोड़ :		5541.15	2755.45

स्व-नियोजन योजना के अन्तर्गत आवंटन

6701. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में स्व-नियोजन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है तथा उसमें से कितनी अब तक खर्च की जा चुकी है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इस योजना के अन्तर्गत दी गई राशि ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार व्यक्तियों तक नहीं पहुंची है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे बढ़ाने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, परंतु प्रत्येक राज्य के लिए लाभ ग्राहियों की संख्या से सम्बन्धित लक्ष्य तय किए गए हैं तथा जो भी ऋण राशियां राज्य में मंजूर की जाती हैं, उसमें से 25 प्रतिशत राशि राजसहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

(ख) और (ग) जब भी ऐसे मामले सरकार के ध्यान में लाये जाते हैं, उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को भेज दिया जाता है।

मनीआर्डर और टेलीग्राम फार्मों का कन्नड़ भाषा में छापा जाना

6702. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि कर्नाटक में वहां की क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ में छपे मनीआर्डर फार्म तथा टेलीग्राम फार्म आदि उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ये फार्म केवल अंग्रेजी, हिन्दी तथा तेलगू में ही उपलब्ध हैं, जिसके कारण कर्नाटक के लोगों को काफी असुविधा होती है; और

(ग) यदि हां, तो इन फार्मों को कन्नड़ भाषा में छपवाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मनीआर्डर फार्म कर्नाटक की क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ में उपलब्ध हैं, यद्यपि, तार फार्म अंग्रेजी और हिन्दी में उपलब्ध हैं।

(ख) यह सच नहीं है कि फार्म केवल अंग्रेजी, हिन्दी और तेलगु में ही उपलब्ध हैं। मनीआर्डर

फार्मों की कमी को पूरा करने के लिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से केवल थोड़े से समय के लिए कर्नाटक को अल्प मात्रा में मनीआर्डर फार्म भेजे गए थे जो अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा तमिल और तेलगु में थे। जैसे ही इस बात का पता चला इन फार्मों को तुरंत हटा दिया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी कन्नड़ भाषा में और अधिक फार्म छापने के लिए कार्रवाई की गई है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा मैसूर इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड का प्रबन्ध-ग्रहण

6703. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, जो इस समय एक सरकारी कम्पनी है, का भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा प्रबन्ध-ग्रहण किये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बी० एच० ई० एल० ने मैसूर इलेक्ट्रिकल्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा इस समय निर्मित किये जा रहे विभिन्न उत्पादों के निर्माण की पर्याप्त क्षमता पहले ही प्राप्त कर ली है। इसको तथा बी० एच० ई० एल० के अन्य वायदों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के लिए मैसूर इलेक्ट्रिकल्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को अधिकार में लेना सम्भव नहीं है।

कर्नाटक में उद्योग रहित जिले

6704. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में कुछ और जिलों को "उद्योग रहित जिले" घोषित करने के लिए कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने अनुरोध किया है कि हासन और कोडगु जिलों को "उद्योग रहित जिला" घोषित किया जाए।

अल्कोहल का मूल्य निर्धारण

6705. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्कोहल (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश के अन्तर्गत दिनांक 25 अगस्त, 1980 को अल्कोहल का मूल्य 1.97 रुपये प्रति लिटर निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने अल्कोहल के उत्पादन पर होने वाले व्यय का पुनः मूल्यांकन किया और वर्ष 1983 में इसका मूल्य 1.85 रुपये प्रति लिटर निर्धारित करने की सिफारिश की थी;

(ग) क्या आल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें उसने इसका मूल्य बढ़ाकर 4.00 रुपये प्रति लिटर करने की सिफारिश की थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार कब तक इस पर अन्तिम निर्णय लेगी ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) इथाइल अल्कोहल (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश 1970 के अनुसार आई० एस० आई० मानक संख्या 323-1959 नेक्ड के स्तर की परिशोधित स्प्रिट का आधार मूल्य, 94.68 प्रतिशत वी०/वी० शक्ति पर समान वाल्यूम के लिए 826.90 रुपये प्रति कि० लि० निर्धारित किया गया है।

(ख) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने अगस्त, 1983 में औद्योगिक अल्कोहल पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें विभिन्न ग्रेड के अल्कोहल के लिए भिन्न-भिन्न मूल्यों की सिफारिश की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) शीरा और अल्कोहल पर नई नीति, जिसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है, में मूल्यों पर निर्णय भी शामिल होंगे।

दिन के समय "स्ट्रीट लाइटों" के बन्द न किये जाने पर नियंत्रण

6706. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या नियंत्रण रखे जाते हैं कि नई दिल्ली में दिन के समय "स्ट्रीट लाइटें" बन्द रहें;

(ख) क्या ऐसी अनेक शिकायतें की गई हैं कि दिन के समय "स्ट्रीट लाइटें" बन्द नहीं की जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) सामान्यतः, दिन के समय सड़क रोशनी बंद रहती है तथा एक सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार स्वचालित टाइम स्विचों और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान तथा नई दिल्ली नगर पालिका के बिजली स्कंध के कर्मचारियों द्वारा हाथ द्वारा प्रचालित स्विचों के द्वारा जलाई और बुझाई जाती हैं। कभी-कभी किसी विशेष क्षेत्र में दिन के समय सड़क रोशनी को जलाए रखा जाता है जबकि सड़क रोशनी के अनुरक्षण के कार्य के सम्बन्ध में ऐसा करना अपेक्षित होता है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और नई दिल्ली नगर पालिका को इस सम्बन्ध में बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

सीमेंट की बोरियों की गुणवत्ता तथा उनके वजन के बारे में शिकायतें

6707. श्री मुरली धर माने : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को सीमेंट की बोरियों की गुणवत्ता तथा उनके वजन के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों का ब्योरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) पहली जनवरी, 1985 से आज की तारीख तक विकास आयुक्त, सीमेंट उद्योग को सीमेंट बोरियो के कम भार के बारे में 5 शिकायतें और घटिया सीमेंट दिए जाने के बारे में 14 शिकायतें प्राप्त हुई हैं; उन्होंने सुधारात्मक उपाय करने हेतु ये मामले तत्काल सम्बन्धित सीमेंट कारखानों/एजेंसियो के साथ उठाए थे। चूंकि वजन और माप सम्बन्धी कानून लागू करना राज्य सरकार का काम है अतः सम्भव है कि उन्हें भी कुछ शिकायतें मिली हों। हालांकि सीमेंट की बोरियों में वजन ठीक होने का सुनिश्चय अपेक्षा करने की राज्य सरकारों से ही की जाती है फिर भी सीमेंट कारखानों द्वारा सीमेंट की बोरियों में उचित मात्रा है अथवा नहीं इस बात की जांच करने के लिए सीमेंट उद्योग विकास आयुक्त, सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद और भारतीय मानक संस्थान के अधिकारी भी सीमेंट कारखानों के आकस्मिक दौरे करते रहते हैं।

सीमेंट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी, जुलाई 1983 में यथा संशोधित सीमेंट क्वालिटी कन्ट्रोल आदेश, 1962 के अनुसार यह अनिवार्य है कि देश में उत्पादित, भण्डारित अथवा बेचा जाने वाला सीमेंट भारतीय मानक संस्थान के मानकों के अनुरूप हो और उस पर आई० एस० आई० प्रमाणीकरण का चिन्ह हो। भारतीय मानक संस्थान देश भर में फैले हुए अपने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के माध्यम से सीमेंट कारखानों,

गोदामों और स्टाकों आदि से नियमित रूप से सैम्पल लेकर उनकी जांच करता है। यदि इन नमूनों से ऐसा पता लगे कि सीमेंट घटिया किस्म का था अथवा मिलावटी था, तब आई० एस० आई० प्रमाणीकरण चिन्ह/लाइसेंस निलम्बित अथवा रद्द किया जा सकता है और साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन कार्रवाई भी की जा सकती है। इस सम्बन्ध में शक्तियों का हस्तांतरण राज्य सरकार को कर दिया गया है।

[हिन्दी]

बोकारों ताप विद्युत संयंत्र के दूसरे चरण का पूरा किया जाना

6708. **श्री सरफराज अहमद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा बोकारो ताप विद्युत संयंत्र के दूसरे यूनिट का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब पूरा होना था और अब इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ग) इसके निर्माण कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं और विलम्ब के कारण निर्माण लागत में कितनी वृद्धि हो गई है; और

(घ) इस विलम्ब के लिए किसे उत्तरदायी पाया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) बोकारों "ख" की यूनिट-2 को मूल कार्यक्रम के अनुसार 1985-86 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम था। अद्यतन मूल्यांकन के अनुसार अब इसे सितम्बर, 1987 तक चालू किए जाने की उम्मीद है।

(ग) और (घ) चालू करने में विलम्ब के मुख्य कारण ये हैं:—

1. ठेकेदार द्वारा संरचनात्मक इस्पात का उत्पादन कार्य धीमी गति से करना।

2. ठेकेदारों के श्रमिकों के बीच अशांति, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों द्वारा तालेबन्दी की घोषणा।

3. ठेकेदार द्वारा बायलर उत्थापन का कार्य धीमी गति से करना।

4. इस्पात की महत्वपूर्ण (क्रिटीकल) मदों का समय पर प्राप्त न होना।

बोकारों "ख" चरण-दो की यूनिट-2 और 3 की मूल अनुमानित परियोजना लागत में लग-

भग 56%की वृद्धि हुई है। केवल यूनिट-2 की लागत में वृद्धि के भाग को सविभाजित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

मूल-स्तर के निर्मित बल्क औषध

6709. **श्री सरफराज अहमद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मूल-स्तर से निर्माण किये जाने वाले बल्क औषधों के नाम क्या हैं; और

(ख) वर्तमान आयात नियंत्रण नीति के अनुसार कितने बल्क औषधों का आयात करने की अनुमति दी गई है।

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) इस मंत्रालय द्वारा निगरानी रखे जाने वाले 87 प्रपुंज औषधों के उत्पादन में से कई प्रपुंज औषधों का उत्पादन मूल अवस्थाओं से किया जा रहा है जैसे कि डेपसोन, इंसुलिन, एस्प्रिन, आई एन एच, पी ए एस और इसके लवण, क्लोरमफेनिकोल फुसेमाइड प्रेडनिसोलोन, विटामीन ए, डायजेपाम, डोक्सीसाइक्लीन आदि।

(ख) वर्तमान आयात नियंत्रण नीति के अंतर्गत आयात के लिए अनुमत प्रपुंज औषधों के ब्यौरे समय-समय पर आयात और निर्यात नीति में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद ग्रंथागार में उपलब्ध हैं।

खाना पकाने की गैस के सिलैण्डरों में गैस भरने वाले संयंत्रों की क्षमता बढ़ाना

6710. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों में गैस भरने वाले संयंत्रों की क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त क्षमता बढ़ाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) मांग को पूरा करने के लिए सिलेंडरों में गैस भरने वाले संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिए वास्तव में कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) इस समय बाटलिंग क्षमता लगभग 1.3 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) एल पी जी चरण-3 परियोजना के अन्तर्गत 474 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर नए बाटलिंग संयंत्रों की स्थापना करके तथा मौजूदा संयंत्रों का विस्तार करके 0.7 मि० मी० टन प्रतिवर्ष की और क्षमता बढ़ाई जा रही है।

सातवीं योजना की अवधि में बाटलिंग संयंत्रों की वित्तीय आवश्यकतायें तेल विपणन कम्पनियों के आन्तरिक साधनों से पूरी की जाएंगी।

एल०पी० जी०/मिट्टी के तेल का आबंटन करने वाले अभिकरणों की चयन-प्रणाली

6711. **श्री वी०एस० विजयराघवन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल० पी० जी० तथा मिट्टी के तेल की डीलरशिप के लिए योग्य प्रत्याशियों का चुनाव करने के लिए चयन मंडल की वर्तमान प्रणाली सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही है;

(ख) क्या प्रणाली के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करके उसे सुधारने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रणाली की तात्कालिक आलोचना होती रही है।

(ग) वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऐन्टि आर० एच० इम्यूनोग्लोब्यलिन्स इंजेक्शनों के भारी दाम

6712. **श्री हरिकृष्ण शास्त्री :** क्या उद्योग मंत्री नवजात शिशुओं की मृत्यु रोकने के उपाय के बारे में 25 फरवरी, 1986 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 355 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐन्टि आर० एच० इम्यनोग्लोब्यूलिन्स इन्जेक्शन भारी दामों पर पर बेचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इस इंजेक्शन के क्या दाम निर्धारित किये हैं;

(ग) इस इंजेक्शन के आयातकों के नाम क्या हैं और बाजार में प्रत्येक इंजेक्शन किस दाम पर बिक रहा है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के इंजेक्शनों का आयात किया गया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) उपलब्धि की सीमा तक सूचना एकत्र की जाएगी और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

"सैकेन्डरी स्विचिंग एरिया" की संकल्पना आरम्भ करना

6713. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी०वी०एन०एम०/सी०बी०एम० तथा स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों से टेलीफोन काल के लिए स्थानीय क्षेत्र की परिभाषा और उसके आधार क्या हैं;

(ख) क्या "सेकेण्डरी स्विचिंग एरिया" की संकल्पना आरम्भ किये जाने से इसमें कोई सुधार/संशोधन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये जा रहे प्रस्तावित संशोधित की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और क्या सम्बन्धित टेलीफोन एक्सचेंज के आकार और स्वरूप पर ध्यान दिये बिना स्थानीय कालों के लिए एक समान आधार की व्यवस्था करने का विचार है और यह काम कब तक किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) किसी एक्सचेंज का स्थानीय क्षेत्र टेलीफोन एक्सचेंज की किस्म अथवा सी०बी०एन०एम०/सी०बी०एम० तथा स्वचल पर आधारित नहीं होता है। कतिपय महानगरीय क्षेत्रों को छोड़कर, किसी एक्सचेंज प्रणाली के स्थान पर क्षेत्र का निर्धारण संलग्न विवरण में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

(ख) सेकेंडरी स्विचन क्षेत्र की धारणा का अभिप्राय है। मैनुअल तथा आटोमेटिक ट्रंक कालों का मार्ग निर्धारण करना। किसी टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र का निर्धारण इसके अंतर्गत नहीं आता है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) किसी टेलीफोन प्रणाली के सेकेंडरी स्विचन क्षेत्र तथा स्थानीय क्षेत्र सम्बन्धी धारण परस्पर सम्बन्धित नहीं हैं।

विवरण

1. एकल एक्सचेंज क्षेत्र :

एकल एक्सचेंज टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में वे सभी इलाके आएंगे जो एक्सचेंज से 5 कि०मी० की अरीय दूरी के भीतर पड़ेंगे। यदि टाइप में निर्धारित सीमाओं वाली नगर पालिका/निगम है और यदि इस नगर पालिका/निगम द्वारा सेवित क्षेत्र इस एक्सचेंज से 5 कि०मी० की दूरी पर हैं तो ऐसे क्षेत्रों को भी स्थानीय क्षेत्र में शामिल कर लिया जाएगा। फिर भी, स्थानीय क्षेत्र के भीतर किन्हीं इलाकों में ऊंची पहाड़ियों, झील आदि के कारण टेलीफोन सेवा देने में असाधारण दिक्कतें आती हों तो उन्हें विशेष तथा स्थानीय क्षेत्र से बाहर कर दिया जाएगा।

2. बहु-एक्सचेंज टेलीफोन प्रणाली :

ऐसे शहर जहां एक से अधिक टेलीफोन एक्सचेंज कार्य करती हों वहां सम्भवत: सुव्यवस्थित नगरपालिका अथवा निगम होगा। इस प्रकार की नगरपालिका/निगम की सीमाओं के भीतर सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को स्थानीय क्षेत्र एक्सचेंजों के बतौर समझा जाएगा। वे सभी उपभोक्ता जो नगर-पालिका/निगम सीमा के भीतर हों अथवा वे जो किसी स्थानीय क्षेत्र के एक्सचेंजों से 5 कि०मी० अरीय दूरी के भीतर पड़ते हैं, उन्हें स्थानीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बतौर माना जाएगा। जो उप-भोक्ता इस स्थानीय क्षेत्र के बाहर हैं, उन्हें भी लम्बी दूरी के उपभोक्ताओं के बतौर बहु-एक्सचेंज प्रणाली से जोड़ा जा सकता है यदि किसी अन्य एक्सचेंज से यहां सेवा नहीं सुलभ की जा रही हो, नगरपालिका सीमाओं से बाहर, लेकिन किसी स्थानीय क्षेत्र एक्सचेंज से जुड़े हुए ऐसे सभी उपभोक्ता उस स्थानीय क्षेत्र से हटाए जा सकते हैं और एक नए एक्सचेंज से जोड़े जा सकते हैं। जब कभी इस प्रकार के नए एक्सचेंज उस क्षेत्र में सेवा सुलभ कराने के लिए नगरपालिका के बाहर खोले जाएं। स्थानीय क्षेत्र में ऐसे सभी क्षेत्र जो टेलीफोन सेवा सुलभ कराने में असाधारण दिक्कत पेश करते हैं जैसे ऊंची पहाड़ियां, झील आदि, को विशेष रूप से निकाल दिया जाएगा।

नई टेलीफोन निर्देशिकाओं का प्रकाशन

6714. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दूरसंचार प्रशासनिक एककों के नाम क्या हैं जिनकी टेलीफोन निर्देशिकाएं (एक) 5 वर्ष (दो) तीन वर्ष और (तीन) 2 वर्ष से प्रकाशित नहीं की गई हैं;

(ख) इन एककों की नई टेलीफोन निर्देशिकाओं के प्रकाशन में विलम्ब के क्या कारण हैं और निर्देशिकाओं का प्रकाशन कब तक किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में से किन-किन भाषाओं में टेलीफोन निर्देशिकाएं प्रकाशित की जाती हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विंध्याचल स्थित विद्युत केन्द्र से मध्य प्रदेश को बिजली सप्लाई करने के लिए प्रेषण प्रणाली

6715. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र में विंध्याचल में स्थित विद्युत केन्द्र से मध्य प्रदेश राज्य को बिजली सप्लाई करने के लिए प्रेषण प्रणाली की योजना बनाते समय, मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श नहीं किया गया था;

(ख) क्या मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा राज्य के लिए स्थापित की जा रही प्रेषण लाइनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार सहमत है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए भविष्य में क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली को अन्तिम रूप देने से पूर्व मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के साथ परामर्श किया गया था ।

(ख) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के साथ परामर्श करने के बाद मामूली रूप से संशोधित विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए अनुमोदित पारेषण प्रस्तावों पर मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड सहमत हो गया है ।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के इस प्रकार के प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में भविष्य में और अधिक पारस्परिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक स्थाई समिति गठित की है जिसमें राज्य बिजली बोर्डों आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

[हिन्दी]

राजस्थान द्वारा अतिरिक्त बिजली के लिये हुए खर्चे का हिस्सा मध्य प्रदेश को न दिया जाना

6716. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतपुड़ा, गांधीसागर, राणाप्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजनाएं मध्य

प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं;

(ख) क्या राजस्थान द्वारा इन संयुक्त परियोजनाओं के संचालन पर होने वाले व्यय में से अपने अंश की अदायगी नहीं की जा रही है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के संचालन पर हुए व्यय के अपने अंश के रूप में राजस्थान को 41.7 करोड़ रुपए की भारी धनराशि तथा संयुक्त बिजली घरों से ली गई अतिरिक्त बिजली के मूल्य की अदायगी मध्य प्रदेश सरकार को करनी है;

(घ) क्या राजस्थान द्वारा धनराशि की अदायगी न किए जाने का मामला मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार के साथ उठाया था और इस सम्बन्ध में सहायता मांगी थी; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार राजस्थान सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को धनराशि की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) मार्च, 1986 में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि 31-9-1985 की स्थिति के अनुसार चम्बल-सतपुड़ा काम्पलैक्स में इसके हिस्से के फलस्वरूप राजस्थान द्वारा मध्य प्रदेश को 40 करोड़ रुपए की राशि देय थी। चूंकि मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले को सीधे राजस्थान सरकार के साथ ही उठाया था, अतः मध्य प्रदेश सरकार को द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा मामला तय करने की सलाह दी गई थी।

राउरकेला, इस्पात संयंत्र, उड़ीसा के लिये उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को सप्लाई की गई बिजली के लिये मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को भुगतान

6717. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने बिहार होकर राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा को आगे बिजली सप्लाई करने के लिए मई-जून, 1984 के दौरान उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड को बिजली सप्लाई की थी;

(ख) क्या उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को लगभग 1.4 करोड़ रुपए मूल्य की 20 मिलियन यूनिट बिजली सप्लाई की थी और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को इसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को उक्त

राशि का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को 19.92 मिलियन यूनिट विद्युत की सप्लाई की गई है और इसकी कीमत के रूप में 137.59 लाख रुपयों का दावा किया गया है।

विद्युत की इस सप्लाई के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किए गए भुगतान की अद्यतन स्थिति का पता लगाया जा रहा है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली में वितरण के दौरान बिजली की हानि

6718. श्री कुंवर राम : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वितरण के दौरान कितने प्रतिशत बिजली हानि हो जाती है;

(ख) बिजली की कितने प्रतिशत की बर्बादी की सामान्यतः अनुमति है;

(ग) निर्धारित सीमा से अधिक बिजली बर्बाद होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) बिक्री के लिए उपलब्ध ऊर्जा और जिस ऊर्जा के लिए बिल बनाया जाता है उसके बीच अन्तर सामान्यतः पारेषण और वितरण हानियां होती हैं, जो लगभग 18% बैठती हैं। पारेषण और वितरण हानियों में निम्नलिखित शामिल होती हैं; (1) तकनीकी हानियां, जिनका कारण पारेषण और लाइन हानियां होती हैं; और (2) वाणिज्यिक हानियां, जिसका कारण चोरी होती है। कुल पारेषण हानियों में से ऊर्जा की चोरी को अलग करना सम्भव नहीं है, यद्यपि पारेषण और वितरण हानियों में तकनीकी हानियों की मात्रा काफी अधिक होती है। अखिल भारतीय पारेषण और वितरण की अनुमानित हानियों से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की पारेषण और वितरण हानियां लगभग 3% कम हैं।

(घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं; प्रणाली का विस्तार और सुधार करना, उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठानों की गहन जांच करना, बेहतर किस्म के मीटर प्रतिष्ठापित करना, वास्तविक भार के अनुसार अस्थाई कनेक्शन स्वीकृत करना, जब शन्ट केपेसिटर प्रतिष्ठापित करना आवश्यक हो उस समय ऐसा न करने पर उपभोक्ताओं पर 10% अधिभार लागू करना।

[अनुवाद]

गोवा, दमन और दीव का औद्योगिक सर्वेक्षण

6719. **श्री शांताराम नायक : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव का औद्योगिक सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) 1984 में लघु उद्योग सेवा संस्थान, मारगांव द्वारा गोवा जिले का एक औद्योगिक सम्भावना सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें गोवा, दमन और दीव के संघ शासित क्षेत्र का 97% भौगोलिक क्षेत्र सम्मिलित था।

(ख) प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों तथा अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता एवं औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान मांग प्रवृत्ति और विकास प्रवृत्ति के अनुमानों के आधार पर इस अध्याय द्वारा ऐसे उद्योगों की पहचान की गई है जिनका विकास लघु उद्योग क्षेत्र में किया जा सकता है।

गोवा, दमन और दीव में जिला उद्योग केन्द्र

6720. **श्री शांता राम नायक : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा, दमन और द्वीव संघ राज्य क्षेत्र में कितने जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये गयेहैं; और

(ख) उनके क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) गोवा, दमन और दीव में एक जिला उद्योग केन्द्र है।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र जिला स्तर का एक संस्थान है जो सभी सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराता है जैसे कि उत्पादन के लिए वस्तु का चयन उद्यमियों को लघु, छोटे (टाइनी) और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण, कच्चा माल, बिजली, भूमि और भवन जैसी निविष्टियां आदि।

गोवा में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

6721. **श्री शांताराम नायक : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में कितने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं/स्थापित करने का विचार है; और

(ख) उनकी क्षमता और अन्य विवरणों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दो।

(ख) (1) मरगांव में 3000 लाइनों का एक आयातित कंटेनराइज्ड इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज 22-3-86 को चालू किया गया था। इसके अलावा 1987-88 में इस एक्सचेंज का 1000 लाइनों में विस्तार करके इसकी क्षमता को 4000 लाइनों तक बढ़ाने की योजना है।

(2) बिचोलिया में 1986-87 के दौरान 300 लाइनों के आयातित इलेक्ट्रानिक एक्सचेज को चालू करने की योजना है।

ग्रामीण डाकघरों में विभागेतर कर्मचारियों की सेवायें

6722. श्री गदाधर साहा
श्री सत्यगोपाल मिश्र } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक घरों में कुल कितने विभागेतर कर्मचारी हैं;

(ख) ऐसे ग्रामीण डाकघरों की कुल संख्या कितनी है जहां विभागेतर कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ग) क्या अनेक वर्षों से सेवारत डाक विभागेतर कर्मचारियों को नियमित करने और उन्हें नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन देने, वेतनवृद्धि, अवकाश भत्ते और अन्य सुविधाएं देने के लिए उचित कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(घ) वर्ष 1982 से 1985 की अवधि के दौरान राज्यवार और वर्षवार कुल कितने ग्रामीण डाकघर बंद किये गये और कितने डाक विभागेतर कर्मचारियों की छटनी की गई है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) 31-3-85 को अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की कुल संख्या 3,00,851 थी। 28-2-86 को

ग्रामीण डाकघरों की कुल संख्या 1,28669 थी।

(ग) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। एक अतिरिक्त विभागीय एजेंट, जो विभाग के लिए अंशकालिक तौर पर निश्चित घंटे कार्य करता है और जिसे इस काम के लिए समेकित मासिक भत्ता दिया जाता है, उसके कार्य को देखते हुए उसे पूर्ण कालिक सरकारी कर्मचारियों के बराबर नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, अपनी आय को बढ़ाने के लिए वे अन्य कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं जबकि नियमित सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकते। अत: नियमित विभागीय पदों पर अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवाओं को नियमित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी, अतिरिक्त विभागीय एजेंट पोस्टमैन/ग्रुप "डी" संवर्ग आदि में पदोन्नति के लिए अर्हकारी विभागीय परीक्षा में बैठ सकते हैं, बशर्ते कि वे तत्सम्बन्धी अन्य शर्तें पूरी करते हों। डाक विभाग में अतिरिक्त विभागीय प्रणाली की कार्य-पद्धति और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के पारिश्रमिक के मौजूदा आधार व उनके भत्तों के आवधिक समीक्षा के साथ-साथ अर्थव्यवस्था से सामंजस्य रखने वाली एक कुशल कार्यप्रणाली बनाने के लिए आवश्यक संशोधन और उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने, डाकघर की कार्यप्रणाली को देखते हुए अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को दी जाने वाली सुविधाओं का व्यापक रूप से जांच करने के लिए एक सदस्यीय एक समिति नियुक्त की गई है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य	बन्द किए गए ग्रामीण डाकघरों की संख्या				सेवा से हटाए गए अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या			
	1982	1983	1984	1985	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	शून्य	4	1	14	शून्य	शून्य	2	271
बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य	1
जम्मू कश्मीर	2	शून्य	1	शून्य	4	शून्य	2	शून्य
गुजरात	1	2	शून्य	35	11	15	8	69
केरल	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर्नाटक	4	9	9	2	5	9	9	2
मध्य प्रदेश	शून्य	1	शून्य	2	शून्य	2	शून्य	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरपूर्व	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य
उत्तर पश्चिम	5	1	3	9	शून्य	1	8	64
उड़ीसा	शून्य	5	3	2	शून्य	शून्य	9	10
राजस्थान	शून्य	1	5	1	शून्य	शून्य	5	2
महाराष्ट्र	1	2	3	11	2	4	6	21
उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	5	शून्य	शून्य	शून्य	5
पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	शून्य	2	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाएं

6724. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 1985-86 के दौरान कितनी परियोजनाएं आरम्भ की हैं; और

(ख) उनके नाम क्या हैं और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों ने वर्ष 1985-86 के दौरान विकास के लिए 8 नई कोयला परियोजनाएं शुरू की हैं।

(ख) इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1985-86 के दौरान शुरू की गई कोयला परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं०	परियोजना/कंपनी का नाम	लक्ष्य क्षमता (मि० टन प्रतिवर्ष)	पूंजी लागत (रु० करोड़ में)
1.	बंगवार भूमिगत खान (वे को लि)	0.65	25.14
2.	दिपका ओपनकास्ट (वे को लि)	2.00	56.05
3.	सोनपुर बाजारी "ए" ओपनकास्ट (ई को लि)	3.00	192.96
4.	तांड़सी भूमिगत चरण-I (वे को लि)	0.90	51.58
5.	खंडिया ओपनकास्ट (से को लि)	4.00	400.00
6.	गेवरा ओपेनकास्ट (विस्तार) (वे को लि)	10.00	224.39
7.	सेन्ट्रल वर्कशाप, चन्द्रपुर (वे को लि)	गैर-खनन परियोजना	23.87
8.	पीपरवार ओपनकास्ट के लिए अग्रिम कार्रवाई (से को लि)	—	10.54

कोचीन तेल शोधक कारखाने में सुरक्षा उपायों के लिए प्रौद्योगिकी का आयात

6725. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कोचीन तेल शोधक कारखाने में अपनाये जा रहे व्यापक सुरक्षापायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन सुरक्षापायों को पूरा करने पर कितना अनुमानित व्यय होगा;

(ग) क्या इस संबंध में किसी विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) केरल में कोचीन आयल रिफाइनरी में अपनाये जा रहे सुरक्षात्मक उपायों में इन्स्ट्रूमेंटेशन कन्ट्रोल सिस्टम में सुधार, परिचालन कर्मियों के लिए न्यूनतम अर्हताएं बढ़ाने, प्रशिक्षण देने, उच्च स्तरीय संरक्षा समिति का गठन, अग्नि शमन सुविधाओं में सुधार और गैस मानीटरों की प्रतिस्थापना शामिल है।

(ख) करीब 10.75 करोड़ रुपये।

(ग) और (घ) यू० एस० ए० की फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें भी उपर्युक्त सुरक्षात्मक उपायों के कार्यान्वयन के समय विचार में ली गई थी।

औद्योगिक एककों में मांग में कमी

6726. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट, कागज, इस्पात और मूल रसायन एककों की मांग में कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप क्षमता के उपयोग में कमी आई है; और

(ग) मांग में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता कि सीमेंट, कागज इस्पात और मूल रसायन उद्योग कोई सामान्य मांग में कमी का सामना कर रहे हैं।

यदि आधारिक संरचना और कच्चे माल की बाधाएं विपरीत औद्योगिक संबंध, अपर्याप्त

प्रौद्योगिकीय उन्नयन, आदि जैसे कुछ कारक न होते तो इन उद्योगों में क्षमता उपयोग अधिक रहा होता।

उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

6727. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या क्या है;

(ख) उनमें से महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां महिला न्यायाधीश नहीं है; और

(घ) क्या सरकार का विचार राहत दिलाने के लिए महिलाओं से संबंधित दहेज और अन्य मामलों की सुनवाई के लिए सभी उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों को नियुक्त करने से संबंधित मामलों के लिए उपयुक्त निदेश जारी करने का है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) तारीख 1-4-1986 को, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 364 न्यायाधीश पदासीन थे। उनमें से निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में 10 महिला न्यायाधीश थीं : —

आंध्र प्रदेश	1
मुम्बई	1
कलकत्ता	3
दिल्ली	2
केरल	1
राजस्थान	2
	10

(घ) सरकार ने हाल ही में मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को पुनः लिखा है कि वे उन महिला वकीलों का पता लगाएं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त है, और उनसे अनुरोध किया है कि वे उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के

लिए सिफारिश करते समय इस बात को ध्यान में रखे जिससे कि न्यायपीठ में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके।

मल्टी-विटामिनों के मूल्यों में वृद्धि

6728. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिजरसेंडोज एक्ट लेबोरेट्रीज पार्क डेविस और कुछ अन्य उत्पादकों द्वारा बनाए गए मल्टी-विटामिनों के मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दे दी गई है।

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार वृद्धि किए जाने के क्या कारण हैं जबकि नई औषध नीति की घोषणा शीघ्र की जानी है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) अभ्यावेदनों की पुनरीक्षा करने पर मै० फाइजर लि० सैण्डोज इंडिया लि० और मै० अबोट लैब्स द्वारा उत्पादित बहु विटामिन फार्मूलेशनों के 52 पैकों के मूल्य हाल ही में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन संशोधित किये गये हैं।

(ख) इस संशोधन के परिणामस्वरूप सात पैकों के मूल्यों में वृद्धि हो गई है, एक पैक के मामले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और शेष 44 पैकों के मूल्य विगत में तीन निर्माताओं द्वारा लिए जा रहे मूल्यों की तुलना में कम हो गए हैं।

(ग) तीन निर्माताओं के अभ्यावेदनों की जांच औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के प्रावधानों और बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार की जानी अपेक्षित हैं।

कोयले पर रायल्टी बढ़ाने के लिए उड़ीसा से प्राप्त प्रस्ताव

6729. **श्री अनादि चरण दास :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के मूल्य बढ़ाते समय राज्यों को देय रायल्टी में वृद्धि करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता; और

(ख) क्या सरकार कोयले के मूल्यों में परिवर्तन करते समय कोयले पर मूल्यानुसार रायल्टी निर्धारित/वृद्धि करने पर विचार कर रही है और राज्यों से, विशेषकर उड़ीसा से, यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार लागत-अध्ययन के आधार पर समय-समय पर कोयले की कीमतों में संशोधन करती है। यह लागत अध्ययन उत्पादन-सामग्रियों

की लागत में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि, मूल्य-ह्रास और ब्याज के प्रसार में वृद्धि आदि विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह संशोधित कीमतें अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 16 द्वारा सतत जारी कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के अधीन अधिसूचित की जाती हैं। कोयले पर स्वामित्व में संशोधन केन्द्रीय सरकार द्वारा "खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957" के प्रावधानों के अधीन किया जाता है। परन्तु, वर्तमान प्रावधानों के अधीन किसी भी खनिज (जिसमें कोयला शामिल है) के स्वामित्व की दरों में वृद्धि चार वर्षों की किसी अवधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं की जा सकती।

कोयले पर स्वामित्व की दरों में अगले संशोधन के प्रश्न पर विचार करने के लिए नवम्बर, 1984 में एक अध्ययन-दल बनाया गया था। इस दल ने विभिन्न राज्यों (जिनमें उड़ीसा शामिल है) के विचारों/प्रस्तावों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट दे दी है। केन्द्रीय सरकार ने इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड को एम० ए० एन०, पश्चिम जर्मनी द्वारा "एक्सकेवेटर" सप्लाई किया जाना

6730. डा० वी० वेंकटेश : क्या ऊर्जा मंत्री नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड को पश्चिम जर्मनी की एम० ए० एन० द्वारा खराब "बक्केट व्हील एक्सकेवेटर" सप्लाई किए जाने के बारे में दिनांक 1 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4645 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं जिसने एक "बक्केट व्हील" की दुर्घटना की जांच की थी और उसकी रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को "एक्सकेवेटर" की डिलीवरी की वास्तविक तारीख क्या है और संविदा के अनुसार इसकी डिलीवरी कब की गई थी;

(ग) क्या संविदा में निर्धारित तिथि के बाद भी उपकरणों की सप्लाई में काफी विलम्ब हुआ है;

(घ) परियोजना को कुल कितनी धनराशि और समय की हानि हुई तथा क्या इस हानि को पश्चिम जर्मनी की एम० ए० एन० द्वारा पूरा किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, पश्चिम जर्मनी की एम० ए० एन० के विरुद्ध और आगे क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन समिति में निम्नलिखित लोग हैं :—

निदेशक (खान)

महाप्रबंधक (खान II)

प्रमुख सुरक्षा अधिकारी

परामर्शदाता (औद्योगिक संबंध)

रिपोर्ट की प्रमुख बात यह थी कि "बकेट व्हील एक्सकेवेटर" की थ्रस्ट प्लेटों में से एक प्लेट पर से बेल्ड हटाने से पहले पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई थी।

(ख) से (च) मैसर्स एम० ए० एन० पश्चिम जर्मनी के साथ हुई संविदा के अनुसार, बकेट व्हील एक्सकेवेटर I और II क्रमशः नवम्बर, 1981 तथा जून, 1982 में सुपुर्द किए जाने थे परन्तु वास्तविक सुपुर्दगी अप्रैल, 1983 और फरवरी, 1984 में हुई जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः 17 माह और 20 माह की देरी हुई।

सप्लाई और स्थापना पर्यवेक्षण में निर्णीत क्षति की पूर्ति के लिए मैसर्स एम० ए० एन० से बैंक गारंटी ले ली गई थी। इसी प्रकार मैसर्ज एम० ए० एन० के भारतीय सहयोगी से भी बैंक गारंटी ले ली गई थी। परियोजना को हुए वास्तविक घाटे, यदि कोई हो, का हिसाब अभी लगाया जाना है और हिसाब लगा लेने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

नेवेली-सेलम और नेवेली लाल पहाड़ियों के बीच लाइनों का निर्माण

6731. श्री जी० एस० बसवराजू : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे ताप विद्युत घर से पैदा की जा रही बिजली के दक्षिणी ग्रिड ले जाने के लिए नेवेली-सेलम और नेवेली-लाल पहाड़ियों के बीच वर्ष 1983 में स्विचिंग स्टेशनों सहित 400 किलो-वाट क्षमता की लाइन डालने का कार्य शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है, और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि इतनी अधिक क्षमता की विद्युत पारेषण की योजना दूसरी खान और दूसरे ताप बिजली घर के विस्तार कार्यक्रम के साथ बनाई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष 1984-1985 के दौरान और वर्ष 1986 में अब तक कुल कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) नेवेली में दूसरा माइन कट से सम्बद्ध विद्युत घर नं० 2 के चरण - एक से विद्युत सप्लाई करने के लिए नेवेली-सैलम और नेवेली-श्रीपैरम्बुदूर सिंगल सर्किट लाइनों के साथ-साथ इनसे सम्बद्ध स्वीचिंग केन्द्रों के निर्माण कार्य को फरवरी, 1983 में अनुमोदित कर दिया गया था। नेवेली-सैलम लाइन को दिसम्बर, 1986 और नेवेली-श्रीपैरम्बुदूर लाइन को मार्च, 1987 तक पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

नेवेली-सैलम लाइन से सम्बन्धित 484 टावरों में से 274 टावरों का उत्थापन सम्बन्धी कार्य और 175 किलोमीटर में से 30 किलोमीटर तक का तार कसने का कार्य फरवरी, 1986 तक पूरा हो गया था। नेवेली-पैरम्बुदूर लाइन के 515 टावरों में से 105 टावरों का उत्थापन संबंधी कार्य फरवरी, 1986 तक पूरा हो गया था। इस लाइन से संबंधित तार कसने का कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है।

तथापि नियंत्रण कक्ष भवन और श्री पैरम्बुदूर स्वीचिंग केन्द्र से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं तथा सैलम स्वीचिंग केन्द्र के बारे में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से संबंधित कार्य भी चल रहा है। दोनों केन्द्रों के लिए स्विच गीयर्स, कंट्रोल और रिले पैनल, लाइन रीएक्टर्स हेतु आर्डर पहले ही दे दिए गए हैं।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में महिला कर्मचारियों को तंग किया जाना

6732. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में वर्ष 1975, 1980 और 1985 में कितनी महिला कर्मचारी थी और तत्सम्बन्धी तथ्यों का क्षेत्र-वार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) यद्यपि खान अधिनियम में महिला कर्मचारियों के लिए भूमि पर और खुले मुहाने की खानों में काम करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है; फिर भी क्या कोयला कंपनियों द्वारा संविधान का उल्लंघन करके महिला कर्मचारियों के साथ स्पष्ट रूप से भेदभाव किया जाता है;

(ग) क्या प्रबंधकों द्वारा तंग किए जाने के कारण ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में महिला कर्मचारियों की संख्या तेजी से कम हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के संबंध में सूचना अगले पृष्ठ पर दी गई है : —

एरिया	1975	1980	1985
पांडेश्वर	921	813	912
बंकोला	1007	710	808
केंडा	802	528	582
काजोरा	--	1006	893
कुनुस्टोरिया	1806	1177	1049
सतग्राम	801	1845	1771
श्रीपुर	2250	1709	1441
सीतारामपुर			1311
सोदेपुर	3810	1908	557
सालनपुर		2051	1820
निशी			1918
कापासरा		3906	1460
राजमहल	4637		12
एस० पी० खानें		329	227
झंझरा	—	--	3
मुख्यालय	45	111	194
कुल :	16079	16093	14958

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) महिला कामगारों की संख्या में कमी का कारण है—निवर्तन की आयु प्राप्त हो जाना, मृत्यु और ऐच्छिक-सेवा-निवृत्ति।

भारत कोकिंग कोल लि० के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मारुति कार के माडल में परिवर्तन करने हेतु उत्पादन का बन्द किया जाना

6733. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह**
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग ने मार्च, 1986 के मध्य से छह सप्ताह के लिए उत्पादन बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कार के माडल में परिवर्तन करने के लिए किया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। यह विद्यमान 40,0000 गाड़ियों से 100,000 गाड़ियों तक उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए है।

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, केरल में भ्रष्टाचार की शिकायतें

6734. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, केरल की यूनियन से वहां के वाणिज्यिक विभाग में संविदाएं देने के बारे में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कदाचार आदि के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड की चौदह यूनियनें हैं। इनमें से कोई भी यूनियन कंपनी के प्रबन्ध द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इन यूनियनों से समय-समय पर विभिन्न मामलों संबंधी अभ्यावेदन और शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

इनमें से एक यूनियन से कंपनी के वाणिज्यिक विभाग द्वारा सरकण्डे और बांस की पूर्ति के लिए संविदाएं देने और इनवेंटरी कंट्रोल सिस्टम के लिए आर्डर देने में अनियमितताएं, कदाचार तथा नियमों और विनियमों का पालन न किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वर्ष 1984-85 के दौरान एक यूनियन से शिकायत मिली थी जिसमें लुग्दी का आयात करने की अनिवार्यता के संबंध में आपत्ति की गई थी और आरोप लगाया गया था कि लुग्दी बहुत घटिया किस्म की थी और कीमतें भी अधिक थी। इस मामले की जांच की गई थी और यह पाया गया कि लुग्दी का आयात किया जाना

उचित था और शिकायत में कोई सच्चाई नहीं थी।

ऐसी सभी शिकायतों की कम्पनी के सतर्कता अनुभाग/प्रबंध लेखा परीक्षा विभाग द्वारा सरकारी कार्यविधि के अनुसार जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

मारुति कार के मूल्य स्थिर करना और उसके माडलों को आधुनिक बनाना

6735. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारुति कारों के पुर्जों के आयात पर अधिक विदेशी मुद्रा खर्च होने के कारण मारुति उद्योग लिमिटेड कारों के मॉडलों में परिवर्तन करने और/अथवा उनको आधुनिक रूप देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मूल्य कम करने अथवा उसे आज की स्थिति के अनुरूप स्थिर रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड सैलून कार का एक अद्यतन माडल 1986 के मध्य में निकाल रहा है जो वर्तमान माडल की तुलना में अधिक ईंधनक्षम तथा बेहतर प्रौद्योगिकी वाला होगा।

(ग) कम्पनी उत्पादन लागत को कम करने के प्रयास कर रही है।

थीन बांध परियोजना के लिए विश्व व्यापी संविदाएं आमंत्रित करना

6736. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में थीन बांध परियोजना के लिए विश्वव्यापी संविदायें आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संविदायें कब तक आमंत्रित करने और उन पर कब तक निर्णय लेने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) इस परियोजना के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित करने के लिए इस समय केन्द्र सरकार तथा पंजाब सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस परियोजना के सम्बन्ध में प्राप्त सहायता के कुछ प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

स्वदेशी अखबारी कागज के सम्बन्ध में इण्डियन एंड ईस्टर्न न्यजपेपर्स सोसाइटी की मांगें

6737. **श्री पी० एम० सईद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 17 मार्च, 1986 को इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी की प्रधान मंत्री से हुई भेंट के परिणामस्वरूप उनकी मांगों के संबंध में प्रधान मंत्री से कोई दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उनकी मांगें, विशेषकर स्वदेशी अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि पर रोक लगाने और उस पर उत्पाद शुल्क समाप्त करने की मांगें, स्वीकार कर ली गई हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) इन्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसायटी का एक प्रतिनिधि मंडल 17 मार्च, 1986 को प्रधानमंत्री जी से मिला था और उसने समाचारपत्र उद्योग के सामने आने वाली विभिन्न कठिनाइयों के बारे में उन्हें एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में दी गई मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) समाचार पत्र उद्योग को निश्चित सामाजिक उद्देश्यपरक सेवा उद्योग के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और पूंजी पर मिलने वाले प्रतिफल या लाभों जैसी वाणिज्यिक धारणाओं को प्रधानता नहीं दी जानी चाहिए।

(2) अखबारी कागज के स्वदेशी उत्पादों के उत्पादन की लागत कम करने के लिए अर्थोपायों को अपनाया जाना चाहिए।

(3) अल्पकालिक नीति के रूप में पनपने की अवधि के दौरान अखबारी कागज एककों की ओर से केन्द्र सरकार को देय ब्याज के भुगतान और ऋणों की अदायगी के लिए सरकार को उन्हें मोहलत दी जानी चाहिए।

(4) उस स्थिति में जब विशेषरूप से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अखबारी कागज के मूल्य कम हों, तब अखबारी कागज का अधिक मात्रा में आयात किया जाना चाहिए।

(5) आयातित अखबारी कागज पर लगने वाले सीमाशुल्क को समाप्त किया जाना चाहिए।

(6) प्रो-सेन्सीटाइज्डेड नेगेटिव ऑफ सैट प्लेटों, आर० सी० पेपर, ग्राफिक आर्ट फिल्म आदि जैसी दैनिक उपयोग की आयातित वस्तुओं पर लगने वाला शुल्क कम किया जाना चाहिए।

(7) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित और मजदूरी-ढांचे में होने वाले विकार से बचने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मजदूरी सम्बन्धी सभी बोर्डों के लिए उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए जाने चाहिए।

(8) तैयार किए जा रहे दीर्घकालीन अखबारी कागज विषयक नीति के मसौदे को इन्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसायटी को सक्रिय रूप से विचार करने हेतु बहुत पहले से ही दे दिया जाना चाहिए।

(9) समाचार पत्र प्रतिष्ठान स्थापित हो जाने के कारण शेष अखबारी कागज का आयात करने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा का आबंटन किया जाना चाहिए।

(10) अखबारी कागज के आयात को प्रणालीकरण से मुक्त किया जाना चाहिए।

(11) वित्तीय संस्थानों द्वारा समाचार पत्र प्रतिष्ठानों को आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त वित्त दिया जाना चाहिए।

(12) डी० ए० वी० पी० की विज्ञापन दर में संशोधन किया जाना चाहिए। इनकी जांच की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अन्तर्गत नई परियोजनायें

6738. **श्री गदाधर साहा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार से ग्रामीण औद्योगिक विकास केन्द्रों के विकास के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (विशेष परियोजना उद्योग) के अन्तर्गत 17 नई परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इनके लिए अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1985 के दौरान 25.993 लाख रुपये की ऋण सहायता के लिए एक विशेष परियोजना उद्योग नामक स्कीम पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से ग्राम विद्युतीकरण निगम में प्राप्त हुई थी। ग्राम विद्युतीकरण निगम के मूल्यांकन दल की टिप्पणियों के आधार पर पश्चिम राज्य बिजली बोर्ड द्वारा स्कीम में संशोधन किया गया था तथा इसे मार्च, 1986 में ग्राम विद्युतीकरण निगम को पुन: प्रस्तुत किया गया था जिस पर स्वीकृति के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

ग्रीष्मकाल में घड़ी को आगे करने का प्रस्ताव

6739. **श्री एन० टोम्बी सिंह**
श्री एन० डेनिस } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रीष्म काल के दौरान घड़ी को आगे करने का है ताकि अधिकांश कार्य दिन के समय में किया जा सके और ऊर्जा की बचत हो सके;

(ख) क्या इस बात का पता लगाया गया है कि इस प्रक्रिया के अपनाने से कितनी मात्रा में ऊर्जा की बचत होगी; और

(ग) यह योजना कब से लागू की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) वाणिज्यिक ऊर्जा में संभावित बचत के आधार पर घड़ियों को आगे करने के संबंध में एक सुझाव प्राप्त हुआ है। सुझाव विचाराधीन है।

कारोबार प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा सरकारी उपक्रमों का काम चलाया जाना

6740. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को चलाने के लिए कारोबार प्रबन्ध में प्रशिक्षित अधिकारियों का एक पृथक संवर्ग बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : जी, नहीं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में वूल बैंक खोला

6741. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में धारचूला, मुंस्यारी और डिडीहाट विकास खण्डों में ऊनी वस्त्रों के बुनकरों के लाभ के लिए वूल बैंक खोलने हेतु अनेक बार सभा में आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां तो क्या यह प्रस्तावित 'वूल बैंक' इस बीच खोल दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो यह कब खोला गया है तथा इसकी कुल कार्यक्षमता क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह "वूल बैंक" कब तक खोले जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड क्षेत्र में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के प्रयासों में योगदान देने के लिए एक ऊन बैंक स्थापित करने की इच्छा जाहिर की थी। इस प्रयोजन के लिए, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश को मार्च, 1985 में स्थानीय संस्थानों और कारीगरों को वितरित करने हेतु अपेक्षित मात्रा में कच्ची ऊन खरीदने के लिए 20 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी गई थी। इसके अलावा, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, हल्द्वानी के निदेशक को जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ की अध्यक्षता में गठित एक समिति के माध्यम से नेपाल के ऊन व्यापारियों से नेपाली (तिब्बती ऊन) खरीदने के लिए 25 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी गई थी। खरीदी गई ऊन को लागत के आधार पर निविदाकर्ताओं को वितरित कर दिया गया। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने वितरण के लिए वर्ष 1985-86 के दौरान जम्मू तथा कश्मीर से 27 लाख रुपए की ऊन खरीदी थी। इस स्थिति को वर्ष 1986-87 में भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

आटोमोबाइल उद्योग के कारण विदेशी मुद्रा का देश से बाहर जाना

6742. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आटोमोबाइल उद्योग में निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत 1980 से अब तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर गई है : (एक) कुल कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष देश से बाहर गई, (दो) वाहनों की श्रेणी के अनुसार कुल कितनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर गई, और (तीन) मशीनों, संघटकों, कच्चे माल, रायल्टी के भुगतान और तकनीकी फीस के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर गई; और

(ख) आटोमोबाइलों और अनुषंगी वस्तुओं के उत्पादन के लिए किए गये सहयोग करारों पर करार लागू रहने की अवधि तक कितनी विदेशी मुद्रा के देश से बाहर जाने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मोटर गाड़ियों तथा उनके पुर्जों सहित विभिन्न वस्तुओं के आयात की मात्रा तथा मूल्य "भारत के विदेश व्यापार के सांख्यिकी मासिक आंकड़े भाग-2-आयात" में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद की लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं।

(ख) वर्तमान स्थिति में जबकि मोटरगाड़ी उद्योग तेजी से प्रौद्योगिकी उन्नयन के चरण से गुजर रहा है और मांग में तेजी से परिवर्तन आ रहा है इसलिए विदेशी मुद्रा के निर्गम का सही अनुमान लगाना मुश्किल है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव को प्राथमिकता अवश्य मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय के निदेशों के अनुसार, स्थगन प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। मैंने किसी प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी है।

प्रो० मधु दंडवते : गत समय में जो किया गया है उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान) 1954 में जब कुंभ दुर्घटना हुई थी तो आचार्य कृपलानी तथा अन्य छः सदस्यों को अपनी बात कहने की अनुमति दी गई थी, और आधे घंटे तक 1954 में छः सदस्यों ने कुंभ दुर्घटना के बारे में अपनी बातें कही थीं।

अध्यक्ष महोदय : एक न्यायिक जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं। मैंने इस पर पूरी तरह से विचार किया है ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : सभा को लीबिया पर खुले तौर किए गये आक्रमण की स्पष्ट शब्दों में निन्दा करनी चाहिए।

हम इस वक्तव्य के बाद एक चर्चा की भी मांग करते हैं। इसके बाद वाद-विवाद किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बाद में देखेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसके बाद चर्चा की जानी चाहिए। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। (व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : पहले यह एक वक्तव्य दिया जायेगा और उसके बाद आप चर्चा के लिए कह सकते हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : सभा को भी एक संकल्प पारित करना चाहिए··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा में शान्ति हो। मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना है, जैसाकि हम सहमत हुए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हो गया, मुझे समझ में नहीं आता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं आप लोग, आई डोंट नो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए पहले ही कह चुका हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। कृपया तिवारी जी को बताइये कि मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद 11 बजे आपने इस पर एक चर्चा किया जाना स्वीकार कर लिया है। वह ऐसे कह रहे हैं जैसे कि हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं; हम पूरी तरह से आपके साथ हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे गलत रूप से उद्धृत न करें। मैंने सभा में स्पष्ट रूप से कहा है कि मंत्री जी को वक्तव्य देने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे से जबर्दस्ती क्यों कहलवाना चाहते हैं, आचार्य जी ? मैंने अभी-अभी कहा कि मैं सभा की बात मानूंगा। अगर संपूर्ण सभा अभी या बाद में सहमत होती है, और जो

भी सभा फैसला करेगी, उसके अनुसार कार्य किया जायेगा। इतनी सीधी सी बात है। मुझे गलत रूप से उद्धृत न करें। यह छूट न लें।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप पुन: कुंभ दुर्घटना की बात पर आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहिब, आप मेरी बात नहीं सुनते। पहले ही इस पर एक न्यायिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं। अब इस पर और आगे मुझे कुछ नहीं करना है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। यह मेरा विनिर्णय है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नामंजूर।

(व्यवधान)**

12.04 म०प०

अमरीकी विमानों द्वारा त्रिपोली और बेंगाजी नगरों पर हाल ही में की गई बमबारी के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : त्रिपोली और बेंगाजी पर अमरीकी विमानों द्वारा हाल ही में जो बम वर्षा की गई है उससे भारत सरकार को बहुत दुख हुआ है। यह कार्रवाई जिसकी हम स्पष्ट शब्दों में भर्त्सना करते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय कानून की पूर्ण रूप से अवहेलना है और इसे इस बात के सिवाय कुछ और नहीं समझा जा सकता कि यह कार्रवाई लिबिया की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता के खिलाफ खुल्लम खुल्ला आक्रमण है। इसके अलावा, इस कार्रवाई ने क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को भी गम्भीर खतरे में डाल दिया है।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री बी० आर० भगत]

हमने त्रिपोली स्थित अपने राजदूत से सम्पर्क किया है और उनसे यह जानकारी मिली है कि त्रिपोली में हवाई हमला लिबियायी समय के अनुसार रात के 2.00 बजे हुआ था। अमरीकी हमलावर विमानों ने बेंघाई, बेनिना तथा सिबी विलाल नामक तीन अन्य केन्द्रों पर भी साथ-साथ हमले किए थे। त्रिपोली में पुराने अमरीकी माइतीगा हवाई अड्डे के साथ ही वहां के महल पर भी हमला किया गया है। कुछ दूसरी जगहों पर भी बम गिराए गए हैं और खबर है कि इसमें हताहत लोगों में कुछ विदेशी भी शामिल हैं। महल पर किए गए हमले में राष्ट्रपति गद्दाफी के परिवार का एक सदस्य भी जख्मी हुआ है।

जहां तक पता चला है वहां भारतीय समुदाय के लोगों में कोई हताहत नहीं हुआ और राजदूतावास के सभी कार्मिक सुरक्षित हैं। त्रिपोली शहर में शांति है और लोग आम दिनों की तरह अपने काम काज पर जा रहे हैं।

नौसेना मुख्यालय के अनुसार अमरीकी नौसैनिक बल में जिसने लिबिया के विरुद्ध कार्रवाई में हिस्सा लिया दो विमानवाहक थे जिनके बारे में यह समझा जाता है कि वे कोरल सी और सराटोगा नामक विमानवाहक थे। इसके अलावा, 16 जंगी जहाज और और कुछ नाभिकीय पनडुब्बियां भी थीं। इस कार्रवाई में 18 एफ० बी० 111 बमवर्षक/हमलावर विमानों का इस्तेमाल किया गया जो यू० के० अमरीकी अड्डे से चले थे और उनके साथ ही नौसैनिक टास्क फोर्स के विमान भी थे। इन्हें लिबिया तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ता तय करना पड़ा क्योंकि फ्रांस और स्पेन ने उन्हें अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी थी। बमवर्षा की कार्रवाई 15 मिनट चली। लिबियायियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने अमरीका के तीन विमान गिराए हैं। अमरीकी प्रशासन ने यह स्वीकार किया है कि उसका एक विमान अब भी लापता है।

जैसा कि आपको याद होगा पिछले 3 महीनों में सरकार बराबर यह अनुरोध करती आई है कि कोई गंभीर स्थिति नहीं आने देनी चाहिए और इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उन्हें बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, न कि दबाव डालकर। यह अत्यन्त खेदजनक बात है कि इन अपीलों की अनदेखी कर दी गई और सरकार इस बात को निन्दनीय समझती है कि सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य ने जिसका प्रमुख उत्तरदायित्व अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखना है, कानून को अपने हाथ में ले लिया है ऐसे उपायों को करने पर उतारू हो गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के सभी मानदण्डों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं।

जैसाकि सरकार द्वारा कल जारी किए गए वक्तव्य में कहा गया है, यह अत्यन्त आवश्यक है कि तनाव को और नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए और विश्व शांति के हित में स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए सभी संबंधित देशों को ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के मानदण्डों तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के प्रतिकूल हो।

अध्यक्ष महोदय, गुट निरपेक्ष आन्दोलन की हैसियत से प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी किया

है जिसे अखबारों तक पहुंचने से पहले मैं यहां सदन में पढ़ना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह बयान पढ़ रहा हूं।

प्रधानमंत्री का वक्तव्य

भारत और गुट निरपेक्ष आन्दोलन को जबरदस्त धक्का लगा है और वह लिबियायी अरब जमहूरिया के कुछ शहरों पर अमरीका की बम वर्षा की कठोर शब्दों में निन्दा करता है। इन कार्रवाईयों को उन आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में की गई कार्रवाई कहकर इन्हें न्यायोचित ठहराने की कोशिश की गई है जो लिबिया द्वारा की गई बताई जाती हैं।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने आतंकवाद के सभी रूपों की हमेशा निन्दा की है चाहे वह किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया हो या राज्यों द्वारा। इन विशिष्ट मामलों में लिबिया ने यह घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने जो दावे किए हैं और उसने इसे हाल के आतंकवादी आक्रमणों से जोड़ा है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। साथ ही लिबिया में यह घोषणा की है कि वह हर प्रकार की आतंकवादी कार्रवाई के विरुद्ध है, चाहे वह विमानों का अपहरण हो अथवा निर्दोष व्यक्तियों की हत्या। इसे देखते हुए लिबिया की राजधानी पर अमरीका का हमला जिसमें त्रिपोली स्थित राष्ट्रपति के महल पर किया गया हमला भी शामिल है, और अधिक अनुचित ठहरता है तथा इस लायक है कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सभी सदस्य इसकी भर्त्सना करें।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष के रूप में मैं अमरीका और अन्य सभी से ये अनुरोध करता हूं कि वे पूरे संयम से काम लें और ऐसा कोई काम न करें कि जिससे इस क्षेत्र में पहले ही से व्याप्त तनावपूर्ण स्थिति और अधिक भड़क जाए। गुट निरपेक्ष आन्दोलन इस नाजुक घड़ी में लिबिया के साथ अपना दृढ़ समर्थन और एकजुटता व्यक्त करता है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : हम चर्चा करना चाहेंगे। आप सभा की राय ले सकते हैं। सभा सहमत होगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम सब सहमत हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मेरे विचार से चर्चा कराने में सरकार को कोई एतराज नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : हम सब सहमत हैं। कोई एतराज नहीं होना चाहिए

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : चर्चा कराने पर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। आपसी सहमति से कोई उपयुक्त समय निश्चित किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : आज कार्यमंत्रणा समिति द्वारा।

श्री एच० के० एल० भगत : इस दौरान हम कुछ और तथ्यों का पता लगा सकेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इसे यथाशीघ्र निश्चित कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर उसी प्रकार चर्चा करेंगे जैसे आप चाहेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्योंकि उस अमरीकी छठे बेड़े को जो लीबिया के समुद्री तट से दूर है वापस बुलाना होगा।

प्रो० मधु दंडवते : स्थिति और बिगड़ने से पहले चर्चा की जानी चाहिए।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : आप आज सलाह कर लेना, मेरे पास बैठकर।

श्री बसुदेव आचार्य : ठीक है। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे गये पत्र लिये जाएंगे।

12.08 **म०प०**

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय तार संशोधन अधिनियम, 1986

[**अनुवाद**]

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1985 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (संशोधन) निगम, 1986, जो 27 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 553 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा पटल पर रखता हूं।

[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—2496/86**]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सा०का०नि० 569(अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 2 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 69/86—सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(2) सा०का०नि० 570(अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 2 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 के अधिसूचना संख्या 82/86—सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(3) सा०का०नि० 577(अ) और 578(अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 3 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अंगूरों की पैकिंग में प्रयोग के लिए भारत में आयात किये जाने वाले "अंगूर रक्षक सामग्री" को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, उपसंगी तथा अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—2497/86]

12.09 म०प०

विधेयक

(एक) चाय (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : मैं श्री पी० शिवशंकर की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि चाय अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए० के० पंजा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 15-4-86 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

(दो) कोयला खान श्रम कल्याण निधि निरसन विधेयक*

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 का निरसन करने और उसके आनुषंगिक कतिपय विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोयला-खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 का निरसन करने और उसके आनुषंगिक कतिपय विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वसंत साठे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

12.10 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) जोधपुर और अहमदाबाद के बीच सांधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की मांग

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जोधपुर से अहमदाबाद वाया भीलड़ी एक्सप्रेस ट्रेन बाड़मेर एवं जालौर जिला के महत्वपूर्ण घनी आबादी के नगरों एवं ग्रामों के बीच होती हुई चलती है। उक्त दोनों जिलों के मुसाफिरों के लिए यह एक ही एक्सप्रेस ट्रेन है, जो गुजरात के अनेक नगरों एवं अहमदाबाद को मिलाती है। उक्त गाड़ी में बड़ी भीड़ रहती है। उक्त गाड़ी में जोधपुर से सात कोच चलते हैं, जो अपर्याप्त हैं। भीलड़ी पर भुज की गाड़ी के कोच भी इस गाड़ी से मिल जाते हैं और वहीं जोधपुर, बाड़मेर एवं जालौर जिले के मुसाफिरों का कष्ट शुरू हो जाता है।

इस बारे में मैंने कई बार रेलवे विभाग का ध्यान लोक सभा रेलवे सलाहकार समिति और

---

*दिनांक 15-4-86 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया।

उत्तरी-रेलवे जोन की सलाहकार समिति में उठाया परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला।

अत: रेलवे मंत्री से निवेदन है कि जोधपुर से अहमदाबाद वाया भीलड़ी को स्वतन्त्र ट्रेन के रूप में चलाया जाये और उसमें 11 कोचेज की व्यवस्था की जाए और उसका कोई सम्बन्ध भुज ट्रेन से न हो ताकि मुसाफिरों को यात्रा करने में असुविधा न हो।

12.11 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

(दो) नौवहन उद्योग को संरक्षण देने हेतु उपाय करने की आवश्यकता

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : बैंकों द्वारा जलपोतों के लिए ऋण बन्द करने के प्रस्ताव से विचित्र स्थिति पैदा हो गई है जिससे पूरे भारतीय नौवहन उद्योग के बन्द होने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि जहाजों को पूरी क्षमतानुसार माल नहीं मिल पाता। यदि बैंक गिरवी रखकर ऋण देना बन्द कर देते हैं तो नौवहन विकास निधि समिति को धन देना पड़ेगा जिसने कि शिपिंग कम्पनियों द्वारा लिये गये ऋणों की गारंटी दी थी। उस स्थिति में पोतों का स्वामित्व समिति को फिर से मिल जाता है। समिति इतना ही कर सकती है कि स्वामित्व को सरकारी क्षेत्र के भारतीय नौवहन निगम को स्थानान्तरित कर सकती है, जोकि पहले से रोगग्रस्त उपक्रम है। सरकार को इसका समाधान ढूंढने के लिए एक उच्च-स्तरीय सम्मेलन बुलाना चाहिए उसके लिए वांछनीय होगा कि नौवहन कम्पनियों के ऋण की वापसी की मियाद पुन: निर्धारित की जाये और यह अनिवार्य कर दिया जाये कि भारत में आने वाला या भारत से जाने वाला कम से कम 40% माल भारतीय पोतों से भेजा या लाया जाये।

(तीन) नागपुर में होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को मोड़कर नगर के बाहर से ले जाने की आवश्यकता

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : नागपुर नगर (महाराष्ट्र राज्य) से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति अत्यन्त खराब तथा चिन्ताजनक है। नागपुर देश का केन्द्र है तथा मद्रास, दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर, बम्बई और कलकत्ता आने-जाने वाले वाहन उधर से गुजरते हैं हर महीने कितने ही लोग तथा स्कूल जाने वाले बच्चे इस सड़क पर मोटर दुर्घटना का शिकार होते हैं।

नागपुर की जनता की चिरकाल से यह इच्छा रही है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग को, जोकि नागपुर नगर से गुजरता है, नगर के दूसरे भाग की तरफ बदला जाये। इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से कई बार निवेदन किये गये हैं परन्तु उनका कुछ फल नहीं निकला। देश में राजपथों के निर्माण का पूरा दायित्व केन्द्रीय सरकार का है तथा धनाभाव के कारण महाराष्ट्र

[श्री बनवारी लाल पुरोहित]

सरकार ऐसा करने की स्थिति में नहीं है।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि निर्दोष लोगों तथा स्कूल जाने वाले बच्चों की जानें बचाने के लिए नागपुर नगर के राष्ट्रीय राजपथ को नागपुर नगर के दूसरे छोर की ओर बदला जाये।

(चार) बंगलादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की और चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता

डा० गुलाम याजदानी (रायगंज) : महोदय, पश्चिम बंगाल में चोपरा पुलिस थाना, इस्लामपुर पुलिस थाना तथा गोआलपुकुर खण्ड-1 तथा रायगंज और कालीगंज पुलिस थाना जो पश्चिम दिनाजपुर जिले में आते हैं, बंगलादेश सीमा पर स्थित हैं तथा बड़े संवेदनशील क्षेत्र हैं, क्योंकि बंगलादेश से लोग रात को सीमा पार करके यहां पर भारतीय ग्रामवासियों के घरों में चोरी-डकैती करके उनका सामान और पशुओं को प्राय: सीमा पार करके ले जाते रहते हैं। सीमा सुरक्षा बल की चौकियां सीमा पर दूर-दूर स्थित हैं तथा उनके द्वारा रात को की जाने वाली गश्त पर्याप्त नहीं है। सीमा पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बंगलादेशी आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। बंगलादेश से ये दल भारतीय सीमा के 3-4 किलोमीटर भीतर आकर पशुओं को तथा अन्य वस्तुओं को लूटकर ले जाते हैं। वहां के लोग विवश हैं क्योंकि उनका जीवन, सम्पत्ति तथा पशुओं के लिए सुरक्षा नहीं है। ऐसी गैर-सामाजिक कार्यवाहियों को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल की अधिक चौकियां स्थापित की जानी चाहिए। उन चौकियों पर कार्मिकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए तथा पूरी सीमा पर रात भर गश्त लगाई जानी चाहिए।

मैं इस महत्वपूर्ण मामले की ओर गृह मन्त्री का ध्यान आकृष्ट कराता हूं तथा शीघ्र उचित कार्यवाही करने के लिए उनसे निवेदन करता हूं।

(पांच) पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में अधिक बैंक शाखायें खोलने की आवश्यकता

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मिदनापुर जिले में नई बैंक शाखाओं के खोलने में देरी किये जाने के कारण लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर बैंकों की संख्या बैंकों के लिए किये गये लाइसेंसों से बहुत कम है। इसके अतिरिक्त यहां पर एक अधिकारी वाली बैंक शाखाओं की संख्या की अधिकता के कारण समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में रुकावट पैदा हो रही है।

1982 से 85 के बीच रिजर्व बैंक ने ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों की 188 नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस जारी किये। परन्तु दिसम्बर, 1985 तक वाणिज्यिक बैंक केवल 104

शाखाएं ही खोल पाये।

लीड बैंक ने जिले में 47 लाइसेंसों की तुलना में केवल 18 शाखाएं खोलीं। भारतीय स्टेट बैंक ने 28 लाइसेंसों की तुलना में 16 शाखाएं खोलीं। मयूराक्षी ग्रामीण बैंक ने 18 के स्थान पर आठ शाखायं खोलीं।

शाखाएं खोलने में असाधारण विलम्ब के कारण नई शाखाएं खोले जाने के कार्य की प्रगति रुक गई है।

ऐसी 106 बैंक शाखाएं हैं जिनमें केवल एक अधिकारी होता है (कोई तकनीकी अधिकारी नहीं होता)। स्पष्ट तौर पर ऐसी शाखाओं का कार्य संतोषजनक नहीं रहता। ऐसी शाखाओं के अधिकारियों के लिए आई०आर०डी०पी० उप समिति की बैठक में जाने तथा लाभार्थियों का पता लगाने का अवसर नहीं मिलता। सम्बद्ध बैंक के अधिकारियों को बैंकों की सभी शाखाओं में कम से कम एक ग्रामीण विकास अधिकारी तुरन्त नियुक्त करना चाहिए ताकि जिले की वार्षिक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमों को जारी रखा जा सके।

मेरा वित्त मन्त्री से अनुरोध है कि स्थिति में सुधार के लिए पर्याप्त कदम उठाये जाएं। संबंधित बैंकों के अधिकारियों को जिला की वार्षिक कार्यवाही योजना में प्रस्तावित कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए सभी शाखाओं में कम से कम एक ग्रामीण विकास अधिकारी मुहैय्या करवाने के लिए शीघ्र उपाय करने चाहिए।

मैं वित्त मन्त्री से स्थिति सुधारने के लिए उपयुक्त उपाय करने का अनुरोध करती हूं।

(छः) बिहार में पर्यटक महत्व के स्थल

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : बिहार में कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थान हैं क्योंकि किसी समय यह भारतीय साम्राज्य की राजधानी थी। बिहार दो मुख्य धर्मों जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म स्थान भी है। पटना, महान् राजा अशोक की राजधानी थी और इसलिए बिहार में कई ऐसे स्थान हैं, जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं। बिहार में कई स्थान ऐसे हैं जो मुस्लिम काल के प्राचीन इतिहास को बताते हैं। उचित देखभाल की कमी के कारण शेरशाह मीनार क्षीयमान हो रही है। पटना के पास, मनेर का स्थान विकसित करके मुख्य पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। खुबरार में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम के माध्यम से, प्राचीन भारत के इतिहास को दिखाया जा सकता है जो सम्भवत: महान अशोक की राजधानी थी। राजगिर और बोधगया अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आकर्षण स्थल है। यहां भगवान बुद्ध और महावीर की शिक्षा को प्रकाश व ध्वनि कार्यक्रम की व्यवस्था करके दिखाया जा सकता है। बिहार के मुख्य पर्यटन स्थलों का व्यापक सर्वेक्षण होना चाहिए और केन्द्र को महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के उचित विकास के लिए पर्याप्त धन देना चाहिए। ये उपाय राष्ट्रीय पर्यटन को ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे।

[हिन्दी]

(सात) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित कानपुर गंगाबांध परियोजना का कार्यान्वयन करने की आवश्यकता

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर महानगर, उत्तर प्रदेश का एक विशाल जनसंख्या वाला औद्योगिक नगर है। यद्यपि यह नगर गंगा के किनारे स्थित है, फिर भी यहां की जनता को पेय जल के भीषण संकट का प्रतिवर्ष सामना करना पड़ता है। यह समस्या लगभग 30 सालों से चली आ रही है। इसके निराकरण के लिए केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से एक "गंगा बांध" बनाने की योजना सिद्धांतत: तय की है। इस संबंध में एक केन्द्रीय टीम ने सर्वेक्षण भी किया, जिसके अनुसार बांध के स्थान का भी चयन हो चुका है। यदि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये प्रमुखता नहीं दी गई तो पेय जल की समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी और भीषण असंतोष की लहर जनता में फैलेगी। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कानपुर गंगा बांध परियोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया जाये।

12.21 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87

गृह मंत्रालय [—जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन गृह मंत्रालय के अधीन विभागों की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगा।

—अब श्री जैनुल बशर

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज गृह मंत्रालय के सामने जितनी बड़ी चुनौतियां हैं, उतनी बड़ी और गम्भीर चुनौतियां शायद पहले कभी नहीं थीं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे मित्र श्री अरुण नेहरू जी, जो कि आन्तरिक सुरक्षा के सम्माननीय मंत्री हैं, इस काम को देख रहे हैं और चुनौतियों भरे काम उनको अधिक पसन्द हैं और इसमें उनको काफी सफलता मिल चुकी है।

पिछले दिन उन्होंने इस चर्चा में इंटरवेंशन करके जो बातें बताईं, उससे बहुत हद तक इस सदन को और इसके माध्यम से पूरे देश को संतोष होना चाहिए, लेकिन स्थिति वाकई गम्भीर है।

आज दो ऐसी शक्तियां बहुत तेजी के साथ सिर उठा रही हैं जो हमारी राष्ट्रीय एकता के लिये गम्भीर खतरा पैदा कर सकती हैं। आतंकवाद और सम्प्रदायवाद, दो ऐसी शक्तियां हैं जो लगभग एक साथ आज सिर उठाने पर उतारू हैं।

पिछले दिनों जब पंजाब में घटनाएं हो रही थीं, तो 1984 में हम केवल आतंकवाद के खतरे को देख रहे थे, हालांकि उस आतंकवाद के पीछे भी सम्प्रदायवाद था, लेकिन वह आतंकवाद का खतरा हमारे सामने साफ दिखाई पड़ रहा था। आज ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब में आतंकवाद पहले से काफी अधिक जोर पकड़ गया है और सम्प्रदायवाद, कौमुनलिज्म देश के दूसरे हिस्सों में भी सिर उठा रहा है।

कुछ दिनों हमने संतोष की सांस ली थी कि सरकार की कार्यवाही से सम्प्रदायवाद कुछ दब चला है और साम्प्रदायिक दंगों की संख्या पहले के मुकाबले में कम हो गई है, लेकिन इधर कुछ महीनों मे ऐसा प्रतीत होता है कि देश कई खेमों में धीरे-धीरे बंटने जा रहा है। यह एक बहुत गम्भीर खतरा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे गुणात्मक दृष्टि से हमारे देश के सभी वर्ग के कुछ लोगों में आज एक दूसरे पर से विश्वास उठ सा गया है। हमें ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के प्रति विश्वास जगाने में इतने दिनों के प्रयत्न के बाद भी काफी सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। ये घटनायें जो घट रही हैं जैसे कभी-कभी हिन्दू-सिख के झगड़े, कभी-कभी हिन्दू-मुसलमान के झगड़े, कभी-कभी हिन्दू-ईसाई के झगड़े और कभी-कभी मुसलमान-ईसाई के झगड़े, ये जो देश के कई भागों में उठ रहे हैं, यह इसी तरफ इशारा करते हैं।

उपाध्यक्ष जी, पहले हमारा दक्षिण भारत इन झगड़ों से दूर था और अब इस प्रकार का साम्प्रदायिक वातावरण दक्षिण-भारत में नहीं गया था, लेकिन आज कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि यह जहर दक्षिण-भारत में भी जा चुका है। देश के कई भागों से साम्प्रदायिक घटनाओं के झगड़े की बात हमारे सामने आ रही है। सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, वह इन झगड़ों को दबाने का काम करती है और देखती है कि लोग मारे न जायें और लोगों की सम्पत्ति नष्ट न होने पाये, लेकिन इस प्रकार के झगड़े और इस प्रकार का जो अविश्वास लोगों के दिलों में पैदा हो गया है, यह पुलिस की बन्दूकों से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिये एक दूसरे के भीतर विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। जब तक एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा और राष्ट्रीय एकता की बात हमारे दिलो-दिमाग में नहीं घुस जायेगी तब तक हम इस खतरे से छुटकारा नहीं पा सकते।

मुझे दुख है कि राष्ट्रीय एकता के मामले में जितनी तेजी के साथ हमारे देश में काम होना चाहिए था उतनी तेजी के साथ नहीं हुआ है। जब कभी कोई गम्भीर घटना घटती है तो राष्ट्रीय एकता की जो कौंसिल है, उसको बुला लिया जाता है। उसकी एक-आध मीटिंग हो जाती है, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। जब फिर कोई घटना होती है तो फिर नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें विचार किया जाता है। अभी हाल ही में नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल की मीटिंग बुलाई गई थी और माननीय जगजीवन राम जी की अध्यक्षता में एक सब-कमेटी भी बनी है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल एक ऐसी

[श्री जैनुल बशर]

आचार-संहिता तैयार करे, एक ऐसी रूपरेखा तैयार करे जिससे कि भारत के सभी वर्ग के लोगों में आपसी विश्वास पैदा करने के लिये, राष्ट्रीय एकता की भावना जगाने के लिये कोई ठोस और रचनात्मक काम किया जा सके।

यह सच है कि सी० आर० पी०, बी० एस० एफ०, पी० ए० सी०, बी० एम० पी० आदि भेज देने से कुछ शांति स्थापित हो जायेगी, लेकिन लोगों के दिलों को कैसे भरा जा सकता है, लोगों के दिलों में जो भी जख्म हो गये हैं और अविश्वास की जो भावना पैदा हो गई है, उसको कैसे भरा जा सकता है, यह देखने की बात है। इसके लिए सरकार और सभी विरोधी दल के लोग मिलकर एक ऐसा वातावरण इस देश में तैयार करें कि जिससे लोगों में फिर से एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न हो सके। मैं एक मामूली सी मिसाल देना चाहता हूं।

यहां मुस्लिम महिलाओं के मामले में एक बिल पेश किया गया। 99 फीसदी मुसलमान उस बिल का समर्थन करते हैं। मगर समाचार पत्रों में बड़े-बड़े कुछ नेताओं ने उस बिल को लेकर एक बावेला मचा दिया है। आज मुसलमान यह पूछता है कि हम अपने मजहब के मुताबिक शादी करना चाहते हैं, अपने मजहब के मुताबिक रहना चाहते हैं, अपने मजहब के मुताबिक अपनी जमीन-जायदाद का बंटवारा करना चाहते हैं, अपनी शरीयत के मुताबिक तलाक देना चाहते हैं। तो क्या हम फण्डामेंटलिस्ट हैं? यह सवाल पूछता है मुसलमान और 99 फीसदी मुसलमानों को यह कह देना कि वे फंडामेंटलिस्ट हैं, वे रूढ़िवादी हैं, इससे बड़ा अविश्वास और क्या हो सकता है? मैं उन 99 फीसदी व्यक्तियों में से एक हूं जो इस बिल में विश्वास करते हैं। उन लोगों के कहने के मुताबिक मैं भी फंडामेंटलिस्ट हूं? मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं उस क्षेत्र में 15 फीसदी से अधिक मुसलमान नहीं हैं और आज तक कभी भी मेरे ऊपर साम्प्रदायिकता का इल्जाम नहीं लगा। मैं हमेशा हिन्दू बहुमत के आधार पर जीत कर आता हूं। लेकिन उन लोगों के कहने के मुताबिक आज मैं भी फंडामेंटलिस्ट हूं। इस प्रकार की बात आज लोगों के मन में उठती है।

दूसरी तरफ हिन्दू यह सोचता है कि सिख तो पंजाब में खालिस्तान बना रहे हैं और मुसलमान भी फंडामेंटलिज्म की बात करके कहीं दूसरा देश बनाने की बात न शुरू कर दें···

एक माननीय सदस्य : नहीं बनेगा।

श्री जैनुल बशर : नहीं बनेगा, यह बात मैं भी जानता हूं। लेकिन यह जो अविश्वास पैदा हो रहा है जो छोटी-मोटी घटनाएं करा देता है, इसको कौन रोकेगा? अभी कम लोगों में यह अविश्वास पैदा हुआ है, यह अभी संतोष की बात है कि हमारी बहुत बड़ी संख्या और खासकर गांवों में रहने वाली संख्या एक दूसरे पर विश्वास करती है, एक दूसरे से मिलकर रहती है और वह कोई झगड़ा करना नहीं चाहती। लेकिन शहरों में जो खासकर एक अविश्वास का वातावरण पैदा हो रहा है उसको रोकने के लिए सभी राजनैतिक दलों का, सभी सोचने वाले लोगों का, विरोधी दलों और सरकारी नेताओं का, सभी का यह कर्त्तव्य होता है कि वे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे एक दूसरे

में विश्वास पैदा किया जा सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी हमें जो मिली यह बहुत मुश्किल से मिली है। इसके लिए लोगों ने बहुत त्याग और बलिदान किया है, बड़ी शहादत हुई है, लोगों का खून बहा है। सौभाग्य की बात है कि मैं एक ऐसे इलाके से चुनकर आता हूं जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन आज जो स्वतंत्रता संग्राम पेंशन है, उसको पाने के लिए उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जगह-जगह दौड़ना पड़ रहा है और जगह-जगह उनको बेइज्जती उठानी पड़ रही है। आज कई-कई वर्षों से, चार, पांच, छः सालों से पेंशन के लिए उन लोगों की दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं। केन्द्र सरकार मंजूरी नहीं दे रही है। जब भी चिट्ठी लिखी जाती है तो उत्तर यह मिलता है कि मामला, प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश या बिहार सरकार को भेजा गया है, उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। उनकी रिपोर्ट आने पर विचार किया जायेगा। कई-कई बार ऐसा होता है। न राज्य सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट आती है और न उस रिपोर्ट को वहां से मंगाने के लिए केन्द्र सरकार कोई विशेष प्रयास करती है। आज हजारों-हजार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की दरख्वास्त गृह मंत्रालय में पड़ी हुई हैं और उनको सम्मान-पेंशन स्वीकृत नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मिर्धा जी से निवेदन करूंगा जो इस मामले को देख रहे हैं कि आप कोई प्रणाली ऐसी निकालिए कि जिससे राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त करने में जल्दी हो सके। यदि आवश्यक हो तो आप अपना कोई प्रतिनिधि या कोई अफसर प्रदेश सरकारों के पास भेजिए और जल्दी से जल्दी उनको इकट्ठा कीजिए। आखिरकार जो स्वतंत्रता सेनानी अपने जीवन के सायंकाल में प्रवेश कर चुके हैं—इस प्रकार के स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की संख्या बहुत बड़ी है—वे यदि जाते-जाते भी यह सम्मान-पेंशन नहीं पा सकेंगे तो फिर इस पेंशन का लाभ ही क्या होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस कार्य को युद्ध-स्तर पर किये जाने की आवश्यकता है।

तीसरी बात यह है कि हिन्दी के मामले में हमारी सरकार जितनी बात कहती है करने के लिए, उतना कर नहीं रही है। आज देश में हिन्दी गैर-सरकारी तौर पर देश की सम्पर्क भाषा बन चुकी है परन्तु सरकारी तौर पर अंग्रेजी वालों के निहित स्वार्थ के कारण हिन्दी सम्पर्क भाषा नहीं बनती है। अभी पिछले दिनों ही मैं देख रहा था टी० वी० पर कि हमारे प्रधान मन्त्री जब कर्नाटक के दौरे पर गए तो सूखा पीड़ित इलाकों में वे गरीब आदिवासी लोगों से हिन्दी में बात कर रहे थे और हिन्दी में ही उनको जवाब मिल रहे थे। कर्नाटक के दूर-दराज के इलाकों में गांव वालों, आदिवासियों से प्रधान मन्त्री जी हिन्दी में बोल रहे थे और उनको वे लोग हिन्दी में ही जवाब दे रहे थे। आप दक्षिण भारत के किसी भी शहर या कस्बे में चले जाइये जोकि गैर-हिन्दी भाषी इलाके हैं, वहां पर आप उन लोगों से हिन्दी में बात कर सकते हैं। वहां पर आप रिक्शे वालों से, दूकानदारों से, टैक्सी वालों से, तांगे वालों से हिन्दी में बात कर सकते हैं। वे सभी हिन्दी समझते हैं। तो गैर-सरकारी तौर पर जब यह भाषा आज देश की सम्पर्क भाषा बन चुकी है, तो सरकारी तौर पर भी सम्पर्क भाषा क्यों नहीं बन सकती है। आज हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने इसको भावना का सवाल बना लिया है, नौकरियों से इसको जोड़ लिया है। लेकिन मैं समझता हूं सरकार कोई ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिससे हिन्दी जानने वालों को कोई बहुत अधिक वेटेज न मिले। सरकार कोई व्यवस्था इस प्रकार की कर सकती है जिससे हिन्दी भाषी और गैर-हिन्दी भाषी बराबर खड़े हों, हिन्दी जानने वालों को कोई ज्यादा वेटेज

[श्री जैनुल बशर]

नौकरियों में न मिले। ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई इम्तहान, ऐसी कोई प्रणाली सरकार निकाल सकती है। अगर यह डर दूर हो जाए कि हिन्दी सम्पर्क भाषा बन जाने से हिन्दी भाषी लोगों को नौकरियों में ज्यादा जगहें मिलेंगी और गैर-हिन्दी भाषी लोगों को कम जगहें मिलेंगी —यदि यह डर निकल जाए तो मैं समझता हूं कि हिन्दी को सरकारी तौर पर भी सम्पर्क भाषा बनने में देश नहीं लगेगी। अभी जो अपने देश की भाषा है उसकी हम अपने देश में ही उपेक्षा कर रहे हैं, उसको हम वह स्थान नहीं दे रहे हैं जोकि संविधान निर्माताओं ने, हमारे पूर्वजों ने, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने दिया है।

मैं इसी सदन की बात करता हूं। यहां पर बहुत से माननीय सदस्य जोकि गैर-हिन्दी इलाकों से यहां पर आते हैं वे अपनी बात बहुत अच्छी हिन्दी में कहते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि ऐसे बहुत से माननीय सदस्य यदि हिन्दी में बोलें तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बोलने की वजह से उनका आधा समय आ, आ, आ में ही निकल जाता है और वे अपनी पूरी बात यहां पर नहीं कह पाते हैं। यदि वे अपनी बात हिन्दी में या अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही कहने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी लोग मधु दण्डवते या इन्द्रजीत गुप्त नहीं हो सकते। (व्यवधान) मैं जानता हूं दण्डवते जी बहुत अच्छी हिन्दी बोलते हैं और इन्द्रजीत गुप्त जी भी बहुत अच्छी हिन्दी बोल सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आप उर्दू बोलिए।

श्री जैनुल बशर : मेरी मातृभाषा हिन्दी और उर्दू दोनों हैं। दोनों ही एक ही चीज हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप यू० पी० में उर्दू के हक के लिए लड़िए।

श्री जैनुल बशर : यू० पी० में उर्दू को अपना हक मिल रहा है। जो भी कुछ कमी है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। बहुत हद तक तो हमने हासिल कर लिया है।

मैं चाहता हूं सरकार हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाने के लिए ऐसी नीति अपनाये जिससे गैर-हिन्दी भाषी लोगों को तकलीफ न हो तथा हिन्दी एक सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित हो सके।

एक बात और कहना चाहूंगा जोकि कहना भूल गया हूं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता का भी एक मंत्रालय बनाया जाए। मिनिस्ट्री फार नेशनल यूनिटी एण्ड नेशनल सिक्योरिटी—इस प्रकार का मंत्रालय बनाया जाए। नेशनल यूनिटी और इन्टीग्रिटी का काम युद्धस्तर पर देखे। एक तरफ पुलिस का डण्डा हो और दूसरी तरफ लोगों को समझाने-बुझाने का काम हो। देश प्रेम और देश एकता की भावना भरने का काम भी हो। तब जाकर मैं समझता हूं कि देश में जो खतरा है, उसको हम आसानी से टालने में सफल हो जाएंगे। केवल पुलिस और बन्दूक इस काम को नहीं कर सकती है। देश एकता की भावना हमको देश के लोगों में पैदा करनी होगी।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री चिंगवांग कोनयक (नागालैंड) : गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मैं केवल दो मुख्य मुद्दों पर बोलना चाहूंगा। पिछले तीन चार वर्षों के दौरान नागालैंड में गुप्त कार्यवाहियां काफी बढ़ गई हैं। कई युवाओं को गुप्त संगठनों में भर्ती किया गया है और नौ बैंकों को लूटा जा चुका है और एक को लूटने की कोशिश की गई है। परिणामस्वरूप गृह मंत्रालय ने अपनी 18 अक्तूबर, 1985 की अधिसूचना के अनुसार भारत बर्मा सीमा के साथ-साथ विक्षुब्ध क्षेत्र को 20 कि० मी० तक बढ़ा दिया है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं कि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। इस विक्षुब्ध क्षेत्र को 20कि०मी०बढ़ाने के बाद मैंने सीमा पर रहने वाले कई लोगों से शिकायतें प्राप्त की हैं कि उन्हें सुरक्षा सेनाओं द्वारा तंग किया जाता है और उन्हें बहुत असुविधा होती है। इसलिए अगर यह जारी रहा तो मुझे डर है कि जो ईमानदार व्यक्ति सरकार का समर्थन करते रहे हैं वे भी हमारे विरुद्ध हो जायेंगे और गुप्त संगठनों का समर्थन करेंगे। विक्षुब्ध क्षेत्रों की सीमा बढ़ाने के बजाय भारत सरकार राज्य सरकार से इन भूमिगत उग्रवादियों से मजबूती से निपटने के लिए क्यों नहीं कहती ? नागालैंड में पिछले 7 व 8 वर्षों से गुप्त संगठन का अस्तित्व लगभग न के बराबर था। अब इस गुप्त संगठन को अपनी गतिविधियां क्यों बढ़ाने दी गई हैं ? इसको देखना पड़ेगा। शिलोंग समझौते के बाद नागालैंड में बहुत शान्ति थी और गुप्त संगठनों की गतिविधियां लगभग दिखायी नहीं देती थीं। लेकिन सात व आठ वर्षों के बाद फिर से गुप्त संगठनों की गतिविधियां क्यों दिखायी दे रही हैं ? ऐसा क्यों होने दिया गया ? आज क्या हो रहा है मैंने नागालैंड में देखा है कि गुप्त संगठनों की गतिविधियों को केवल सैनिक और सुरक्षा बलों पर छोड़ा हुआ है। मैं नहीं सोचता कि स्थानीय लोगों व स्थानीय प्रशासन के समर्थन एवं सहयोग के बिना सुरक्षा सेनाएं इस समस्या को सुलझाने में प्रभावी रूप से समर्थ नहीं होंगी। इस समय राज्य सरकार की स्थानीय प्रशासन के साथ कोई स्पष्ट व सीधी नीति नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने सन 1960 के दशक में स्वयं काम किया है। उस समय प्रशासन में स्थानीय अधिकारियों तथा स्थानीय नेताओं को शामिल किया गया था। हमने कड़ा परिश्रम किया और हमने चीनी गुप्त संगठनों को भी उजागर किया। लेकिन आज जब गांव में युवकों को गुप्त संगठनों में कार्य करने के लिए भर्ती किया जा रहा है, तो स्थानीय प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन को स्पष्ट निर्देश नहीं दे रही है। इसलिए सात व आठ वर्षों के पश्चात् गुप्त संगठनों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसलिए मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह राज्य सरकार की इस समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कहें। उन्हें स्थानीय प्रशासन को निर्देश देने चाहिए और उन्हें सुरक्षा सेनाओं के साथ आपसी समझ व सहयोग के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

दूसरा मुद्दा यह है। हमारे पास नागालैण्ड सशस्त्र पुलिस और उसकी बटालियनें हैं। हम नागालैंड सशस्त्र की छः बटालियनों पर अधिक से अधिक धन खर्च कर रहे हैं। हम एन० ए० पी० क्वार्टरों के निर्माण की सामग्री और दूसरी चीजों आदि पर भारी खर्च कर रहे हैं लेकिन उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं किया गया है। केवल आसाम राइफल सेना या सी० आर० पी० का उपयोग किया

[श्री चिंगवांग कोनयक]

गया है। इस विद्रोह की समस्या के लिए एन० ए० पी० की सेवाओं का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि उनमें अधिकतर स्थानीय क्षेत्र से है। अतः मुझे विश्वास है कि वे यह पता करने में समर्थ हो सकेंगे कि कौन लोग वास्तविक गांव वाले है और कौन भूमिगत संगठनों से सम्बन्धित है और वह इस खतरे से कारगर ढंग से निपट सकते हैं। लोग यह शिकायत कर रहे हैं कि गांव वालों को सताया जा रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा है कि भूमिगत संगठनों से निपटने का काम सुरक्षा सेनाओं पर छोड़ दिया गया है। केवल सुरक्षा सेनाएं गुप्त संगठनों का पता नहीं लगा सकते कि कौन निर्दोष ग्रामीण है और कौन भूमिगत संगठनों से सम्बन्धित है इसलिए मैं महसूस करता हूं कि इस विद्रोह की समस्या को सुलझाने के लिए नागालैंड पुलिस का भी उपयोग करना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात स्थानीय लोगों को संतुष्ट करने एवं उन्हें विश्वास में लेने की है। इसलिए सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिये जाने चाहिए कि वे ऐसे स्थानीय लोगों का विश्वास प्राप्त करें और गांव वालों की समझ-बूझ के साथ कार्य करें जिससे युवाओं को भूमिगत लोगों में जाने से बचाया जा सके और जो पहले से ही उनमें शामिल हैं, उन्हें वापस लाया जा सके। तब समस्या का समाधान हो सकता है।

मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम को जारी रखने के बजाय इसे समाप्त करें और राज्य सरकार से मजबूती से निपटने के लिए कहे और गांव वालों का विश्वास प्राप्त करें और सुरक्षा सेनाओं के सहयोग के साथ पूर्ण तालमेल सहित कार्य करें।

दूसरा मुद्दा मैं गृह मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि वह चीनी हथियार जो गुप्त संगठनों से पकड़े गये थे या जो हथियार डाले गये हैं जैसे सब मशीन, बन्दूकें स्टेन-गन, रिवाल्वर और बन्दूकें आदि के सम्बन्ध में है। जो भी हथियार गुप्त संगठनों द्वारा सौंपे जाते हैं, इन्हें पुलिस हिरासत में रखने के बजाय, राज्य सरकार की विशेष आज्ञानुसार मंत्रियों राजनीतिक लोगों व उच्च अधिकारियों में बांट दिये जाते हैं। एक व्यक्ति सब मशीन बन्दूक कैसे रख सकता है -- चाहे वह कोई उच्च अधिकारी हो या निम्न। अधिकतर जब कहीं किसी पर आक्रमण होता है या कोई मारा जाता है तो पहला प्रश्न सरकार पूछती है कि किस प्रकार का हथियार प्रयोग किया गया था अगर यह एक चीनी-हथियार है तो वे कहते हैं कि यह गुप्त संगठन का काम है। इसलिए प्रत्येक घटना के लिए भूमिगत लोगों पर आरोप लगाया जाता है। लेकिन जब इतने लोगों के पास चीनी-हथियार हैं तो वह यह हथियार अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रत्येक घटना के लिए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह भूमिगत लोगों का काम है।

यह बहुत ही गम्भीर और खतरनाक बात है। मैं गृह मंत्री को इसका ध्यान रखने के लिए अनुरोध करूंगा। पकड़े गये चीनी हथियारों को चाहे पुलिस हिरासत में रखा जाये या इनको अर्ध सैनिक बलों को दे दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री अताउर्रहमान (बारापेट) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मुझे मौका मिला है — मुझे यह अवसर गृह मंत्रालय की मांगों के बारे में बोलने के लिए पिछली बार मिलना चाहिए था। शुरू में ही मुझे अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक भूतपूर्व पुलिस कर्मचारी को इस सदन में भेजा और एक ऐसे विषय पर बोलने का अवसर दिया जो हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परन्तु इससे पहले कि मैं बोलूं मुझे यह उल्लेख करना है कि जिस निरुत्साही तरीके से असम समझौते को अब तक कार्यान्वित किया गया है उससे हमें बहुत धक्का लगा है और आश्चर्य हुआ है। यह समझौता लगभग आठ माह पुराना हो चुका है। इस मन्त्रालय ने पिछले दिसम्बर से कार्य शुरू किया है जो कुछ वे कर सकते थे उन्होंने किया है। उन्होंने समझौते के कार्यान्वयन से सम्बन्धित एक विभाग भी केन्द्र में प्रारम्भ किया है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने इस समझौते को अभी तक गंभीरता से लिया है। बहुत से वायदे समझौते में शामिल हैं। यही पूरे नहीं किये गये हैं। उदाहरण के लिए जोगी-गोपा-कागज कारखाने को शुरू करने के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। तीसरे तेल शोधक कारखाने के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है, यद्यपि इस सभा में बहुत कुछ कहा जा रहा है। सांस्कृतिक संस्थाओं, जिनको शुरू करने का वादा किया गया था, के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है और अनाधिकृत रूप से रह रहे नागरिकों का पता लगाने और उनके निर्वासन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को भी गंभीरता से नहीं लिया गया है। इसमें केन्द्रीय सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है साथ ही साथ यह भी केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि वह समझौते की विभिन्न शर्तों को कार्यान्वित करे। असम समझौता भारत के प्रधान मन्त्री द्वारा एक राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रूप में दिया गया है और प्रत्येक व्यक्ति इस बारे में सजग है कि क्या यह राष्ट्रीय प्रतिज्ञा कार्यान्वित की जायेगी। समझौते दो हैं, पंजाब समझौता और असम समझौता। यदि लोगों को यह पता लग जाये कि असम समझौता कार्यान्वित नहीं किया गया है तब यह वर्तमान सरकार के लिए कलंक बन जायेगा और यह हमारे प्रधान मन्त्री की छवि को गिरायेगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों, जिन्होंने कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों और कुछ निगमों में कार्य किया है, को बहाल करने का एक अन्य वादा भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है और यह एक अप्रिय विषय बन गया है।

मैं अब कानून और व्यवस्था के विषय पर आऊंगा। चूंकि सभी मुद्दों पर विचार करना संभव नहीं है इसलिए मैं उनमें से कुछ मुद्दों का उल्लेख करूंगा। पुलिस एक सांविधानिक निकाय है। यह मूलत: एक समाजसेवी संगठन के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था परन्तु इस संगठन ने सामन्तवादी समाज के बढ़ने के साथ-साथ इसमें विभिन्न स्वार्थों के आने के कारण एक दमनात्मक बल का रूप धारण कर लिया है। पुलिस को एक सामाजिक चिकित्सक के रूप में होना है, उसे स्वामी न होकर एक दोस्त के रूप में कार्य करना है। यहां ये सेना के विपरीत उनके शत्रु हैं तथा पुलिस सेवा के विपरीत उनके वे दोस्त हैं जो कि पथभ्रष्ट हैं। यही पुलिस और सेना के बीच अन्तर है। पुलिस का कार्य एक असैनिक पुलिस से बदलकर लगभग अर्ध सैनिक पुलिस का रह गया है और असैनिक पुलिस के कार्य के पहलू की काफी हद तक अवहेलना की गयी है। अपराध और दण्ड की मूल संकल्पना को ध्यान में रखते हुए पुलिस को प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। यह सच है कि राजनैतिक जागरूकता जनसंख्या वृद्धि, वाणिज्य और उद्योगों में बढ़ोत्तरी और राज्य की विभिन्न दूसरी गतिविधियों के कारण पुलिस में परिवर्तन आया है और उसमें जटिलता भी आयी है। परन्तु अपराध से बचाव और

[श्री अताउर्रहमान]

उसका पता लगाने से सम्बन्धित कार्य को भी भूल नहीं जाना चाहिए क्योंकि लोगों को फिर पुलिस पर विश्वास नहीं रहेगा। स्थिति यह है कि वर्तमान संदर्भ में पुलिस और न्यायपालिका मामलों के भारी संख्या में इकट्ठे होने, जांच के लम्बित रहने और मुकदमों के लम्बित पड़े रहने के कारण उतना काम नहीं कर सकी है जितना कि उन्हें करना चाहिए था।

1.00 म० प०

उच्च न्यायालय सब-न्यायालयों और जिला न्यायालयों में मुकदमें जमा हो गये हैं और यह सर्वविदित है कि ये मुकदमें समय पर नहीं निपटाये जाते हैं। यदि न्याय में देरी होती है तो इसका अर्थ है कि न्याय नहीं दिया जा रहा है और इससे लोग कानून और व्यवस्था प्रणाली और न्यायपालिका में विश्वास खो देंगे। परन्तु हमें सरकार की निष्क्रियता को समाप्त करना है। हमें इसके लिए मार्गोपाय ढूंढने हैं।

इस संदर्भ में मैं वरिष्ठ अधिकारियों तथा नेताओं द्वारा विभिन्न विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों, में दिये गये भाषणों सहित मन्त्री और गृह मन्त्री द्वारा बजट सत्र, जो एक अनुष्ठान मात्र रह गया है, के प्रमुख अवसर पर दिये गये भाषणों का उल्लेख करूंगा जिनमें पुलिस बल के पुनर्गठन करने के बारे में वादे किए गए हैं। मैंने अपने सैंतीस वर्ष के पुलिस अधिकारी के रूप में किये गये सेवा कार्य के दौरान कोई भी अधिक सुधार आते नहीं देखा है। वास्तव में, इस सेवा में शुरू से अन्त तक गिरावट आयी है और इन विषयों को उलझाया गया है।

1.01 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री अताउर्रहमान : मैं अपने बहुत से मुद्दों को छोड़ दूंगा और केवल कुछ का ही और जिक्र करूंगा।

आवश्यक यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की निष्पादन क्षमता और कुशलता का सर्वेक्षण किया जाये। जब मैं प्रत्येक अधिकारी की बात करता हूं तो मेरा आशय प्रत्येक दण्डाधिकारी और न्यायाधीशों से भी है क्योंकि उनके द्वारा निष्पादित कार्य अच्छा नहीं है। वे मामलों की जांच और मुकदमों की सुनवाई से सम्बन्धित मसलों पर अपने कर्त्तव्य के प्रति ध्यान देने में असमर्थ हैं। इस संदर्भ में बोलने के लिए यदि मेरे पास समय होता तो मैंने इस विषय पर, जो कुछ ब्रिटेन में देखा था, एक लम्बा भाषण दिया होता। मैं वहां एक या दो थानों में गया था। वे मामलों की जांच और मुकदमों के बकाया मामलों के बारे में जानते हैं। वे अधिकारियों की सूची का उनके अनुभवों सहित उल्लेख करते हैं। यह सूची अनुभवी अधिकारियों और उन अनुभवी वकीलों, जो कि मुकदमों की सुनवाई का काम कर सकते हैं, के नामों को दर्शाती है। यह ऐसी विधि है जिसके बारे में यहां सोचा ही नहीं गया है।

इसी आधार पर आप आज सभापति के रूप में बैठे हैं और लोक सभा का कार्य अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी चल रहा है। क्यों नहीं यहां भी ब्रिटेन की तरह अनुभवी लोगों को जांच और मुकदमों के बकाया मामलों को निपटाने के काम में लगाया जाये। इस पर विचार करने की यहां आवश्यकता है।

न्याय का रथ दो पहियों पर चलता है—एक कार्यपालिका और दूसरा न्याय पालिका जब तक कि दोनों पहिए एक साथ कार्य न करें तब तक न्याय का निपटारा नहीं हो सकता है।

पुलिस का उपयोग और दुरुपयोग किया गया है और मैं इस विषय को और अधिक बढ़ाना नहीं चाहता हूं। जितनी जल्दी राजनैतिक नेताओं का मानसिक दृष्टिकोण बदलेगा पुलिस के लिए यह उतना ही अच्छा होगा।

दूसरी बात जो पनप रही है वह पी० एस० की है जिसका अर्थ है कि जीने के लिए चापलूसी, और जो हो रहा है, वह यह है कि वरिष्ठ अधिकारियों के पदों को बढ़ाया जा रहा है आई० ए० एस० अधिकारियों के साथ यह शुरू हुआ है। उनके हाथों में फाइलें होती हैं और वे सचिवालय में निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। विगत काल में एक आयुक्त होता था परन्तु अब उनके बहुत से आयुक्त है। पुलिस अधिकारी भी शान्त नहीं बैठ सकते और वे भी इसी प्रकार हिस्सा चाहते हैं वे वरिष्ठ पदों में वृद्धि चाहते हैं जैसे आई० जी० पी० और डी० जी०, आदि। आदेश और नियन्त्रण के मामले में यह बहुत घातक बात है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अताउर्रहमान : तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यह साम्प्रदायिक भावना के बारे में है जिसे समय-समय पर उठाया गया है। बहुत साल पहले पंडित नेहरू जी ने एक पत्र जारी किया था कि उचित सर्वेक्षण के बाद देश के विभिन्न भागों में सभी तनाव सम्बन्धी बातों का व सदमे की बातों का उचित रिकार्ड रखना चाहिए। मैं सुझाव देता हूं कि अब भी गृह-मंत्रालय को सभी तनाव की बातों का और साम्प्रदायिक बातों का एक अभिलेख रखना चाहिए। उन्हें सारी प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण कर देना चाहिए, ताकि वे इन तनाव की बातों को जान सके व उनका पता लगा सके।

सभापति महोदय : कृपया अब बैठ जाइये। अब किसी बात को कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री अताउर्रहमान : मैं खेद के साथ कहता हूं कि मुझे पर्याप्त समय नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री असलम शेर खां (बेतुल) : सभापति जी, मैं गृह मंत्रालय की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस जगह से आज से पहले कई लोगों ने अपनी राय रखी और अपने ख्यालात इस सदन में

[श्री असलम शेर खां]

रखे हैं। मैं इस सदन का एक जूनियर मेम्बर होने के नाते इस अहम् सब्जेक्ट के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं।

सबसे बड़ी बात हम सब लोग देखते हैं कि जो सिपाही डंडा लिए सड़कों पर घूमते हैं उनके बारे में आम सोसाइटी की, आम जनता की क्या भावनाएं हैं, जबकि वह अपने कन्धों के ऊपर देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए घूमते हैं। लेकिन हम लोग उनको वह मान-सम्मान नहीं दे पाते जो उनको मिलना चाहिए।

दूसरी बात उनके वेलफेयर के लिए, उनका मापदण्ड हम उनकी तनख्वाह उनके परिवार में जिस तरह से वह रहते हैं, उस तरह से लगाते हैं। जिसकी वजह से एक सिपाही अपना जो कर्त्तव्य करता है उसके ऊपर हमें दोष भी नहीं देना चाहिए। अगर हम अपने सिपाही को लन्दन के बॉबी से मिलाएं तो यह ठीक नहीं होगा। हमें उनके लिए बहुत कुछ करना है जो हमारी सरकार का सड़कों पर प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हीं से एक आम आदमी सरकार को नापता है।

दूसरी बात, जब शोभराज दिल्ली से भागा और उसको महाराष्ट्र पुलिस ने गोवा में पकड़ा। उस वक्त अखबारों में यह बात आई कि महाराष्ट्र की पुलिस ने शोभराज को पकड़ा, दिल्ली की पुलिस शोभराज को नहीं पकड़ पाई। जबकि पुलिस की जहां तक बात है वह भारतीय पुलिस है, उस पुलिस के अन्दर यह बात चलेगी कि महाराष्ट्र की पुलिस अलग है, दिल्ली की पुलिस अलग है, पंजाब की पुलिस अलग है तो हम जो देश की एकता की बात करते हैं वह भी ठीक नहीं हैं।

आज जब हमारे सामने पंजाब की बात आती है तो ऐसा महसूस होता है कि ला एण्ड आर्डर टूट-सा रहा है···आये दिन अखबारों में हमें यह सुनने को मिलता है कि आज टैररिस्ट ने अमुक स्थान पर इतने लोगों को मारा, आज यह किया, वह किया। इससे हमें अहसास होता है कि पंजाब में हमारी लॉ एण्ड-आर्डर की मशीनरी ठीक काम नहीं कर रही है। फिर भी, इस सदन में हमारे इन्टरनल सीक्योरिटी मिनिस्टर, श्री अरुण नेहरू, ने जो कुछ कहा कि हम पंजाब की पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, उनको आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है ताकि वे पंजाब में लॉ-एण्ड-आर्डर को कंट्रोल कर सकें, लेकिन मैं समझता हूं कि आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके ही पंजाब की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, वहां हमें पुलिस को पौपूलर सपोर्ट देनी होगी। जब तक हम पंजाब पुलिस के हर एक सिपाही को पौपूलर सपोर्ट की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक हम वहां मुश्किल में रहेंगे क्योंकि पंजाब में जो टैररिस्ट्स सक्रिय हैं, वे काफी ट्रेंड हैं और इसलिए वहां कोई आम लॉ-एण्ड-आर्डर की प्रौब्लम नहीं है। वे गुरिल्ला-वार जैसी लड़ाई लड़ने में माहिर हैं, अपने अड्डों से निकलते हैं और गोलियां चलाकर फिर वहीं जाकर छिप जाते हैं। जब तक हमारी जनता की पौपूलर सपोर्ट पंजाब पुलिस को नहीं मिलेगी तब तक हम वहां लॉ-एण्ड-आर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।

जब पंजाब पुलिस को पौपूलर सपोर्ट देने की बात आती है तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी धर्मों के लोग, सभी तरफ के लोग और सभी जातियों के लोग पुलिस में भर्ती किए जाएं

जिससे हम ठीक तरह से उसे पौपूलर सपोर्ट दे सकें। आज हमारे देश में कई ताकतें सर उठा रही हैं और कम्यूनल भावनाएं पैदा की जा रही हैं और सरकार के सामने, इस तरह, कई तरह के सवाल खड़े करने की कोशिशें हो रही हैं। उन सब में सबसे पहले हमारी पुलिस और गृह विभाग को ही निशाना बनाया जाता है। मैं समझता हूं कि इस मंत्रालय को आवश्यकतानुसार ज्यादा-से-ज्यादा धन उपलब्ध करा कर हमें पुलिस बल का मनोबल ऊंचा करने का प्रयत्न करना चाहिए। उनकी सैलरीज अच्छी की जाएं, उनके बच्चों की पढ़ाई का प्रबन्ध किया जाए और ऐसे कदम उठाकर ही हम देश के सामने आई इस खतरनाक चुनौती का सामना सफलतापूर्वक कर सकते हैं।

जब हम पौपूलर सपोर्ट की बात करते हैं, तो जैसा हमने फिलिपाइन्स में देखा, वहां पुलिस को जनता की पौपूलर सपोर्ट प्राप्त नहीं थी और उसी के परिणामस्वरूप वहां ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ कि मार्कोस को भी फिलिपाइन्स छोड़ना पड़ा। इससे सारी दुनिया अवगत है और हमें भी बहुत कोशिश करके देश में ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि वहां की जनता पुलिस को पूरा सपोर्ट दे सके, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

मेरा, आपका और हम सब का यह कर्त्तव्य है कि देश की एकता और अखण्डता के लिए हमें देश में एक नई जागरुकता लाने की दिशा में प्रयत्नशील होना है। हमारा हर सिपाही हमारी और आपकी तरह देश का एक नागरिक है। उसने हमारी आपकी रक्षा के लिए यूनीफार्म पहनी है इसलिए उसकी जिम्मेदारी को पूरा करने में हमें उसका हाथ बंटाना चाहिए। पुलिस फोर्स को इस बात का सख्ती से अहसास दिलाना चाहिए कि हर नागरिक लुच्चा, लफंगा या बदमाश नहीं होता, वह भी देश का एक सिपाही है जो देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने फ्रन्ट पर अपनी किस्म की लड़ाई में लगा हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं और आपको समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : मैं गृह मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। विशेषकर देश की वर्तमान स्थिति व घटनाओं को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि अस्थिरता पैदा करने वाली शक्तियां देश के अन्दर और बाहर कार्य कर रही है। ये शक्तियां दूसरे देशों से आर्थिक सहायता व हथियार आदि प्राप्त कर रही है। हमने बहुत बार इसकी चर्चा की है इसलिए अब मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु मैं दो महत्वपूर्ण पहलुओं, दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कहना चाहूंगा। वे हैं देश के अन्दर साम्प्रदायिक उपद्रव और हमारे सीमावर्ती राज्यों की घटनाएं इस प्रकार गृह-मंत्रालय को विशेषकर इन दो क्षेत्रों में गम्भीरता व सतर्कता के साथ कदम उठाने चाहिए।

हमारे देश में बहुत से धर्म हैं, बहुत सी भाषाएं और बहुत सी संस्कृतियां आदि हैं। हमारे देश की विभिन्नता हमारे देश की सुन्दरता है। परन्तु जब इस देश की अखण्डता और एकता खतरे में पड़ जाती है तो हमारे लोग हमेशा अपनी आवाज बुलन्द करते हैं। मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं परन्तु

[श्री टी० बशीर]

मैं समयाभाव के कारण विस्तार में नहीं जाना चाहता।

पिछले दिन आन्तरिक सुरक्षा मंत्री श्री अरुण नेहरू ने इस सदन में कहा कि इस देश में विदेशों से धन आता है। विदेशी धन के रूप में 200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आता रहा है। यह धन राशि प्राप्त करने वाली कुछ एजेन्सियां इस धन का उपयोग देश में साम्प्रदायिक समस्याएं उत्पन्न करने के लिए करती हैं। मैंने हाल ही में कुछ रिपोर्ट देखी हैं। इनमें भारत के मुसलमानों पर अत्याचार के बारे में कहा गया है। यह चिन्ता भारत के मुसलमानों की नहीं है अपितु इसे विदेशों ने व्यक्त किया है। मैं इन रिपोर्टों का उल्लेख नहीं करना चाहता। मैं उन देशों व उन पत्रिकाओं के नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता यद्यपि मेरे पास ये पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत शरारतपूर्ण चाल है।

इण्डोनेशिया के बाद भारत मुसलमानों की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। मैं इस देश की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का स्मरण करने की कोशिश कर रहा हूं। जिन्ना का द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त था। भारत की स्वतंत्रता के साथ विभाजन हो गया और धर्म के आधार पर दूसरा देश अस्तित्व में आया। करोड़ों मुसलमान इस देश में रहते हैं। वे इस देश में रहना चाहते हैं। हमारे राष्ट्र ने धर्म निरपेक्षता को अपनी राष्ट्रीय नीतियों के एक मुख्य आधार के रूप में अपनाया है। इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय नेताओं, विशेषकर पं० जवाहर लाल नेहरू व उनके बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने संवैधानिक रूप से या अन्य किसी प्रकार से इस देश में अल्प संख्यकों को पूरी सुरक्षा प्रदान की। स्वतंत्रता प्राप्ति के 38 वर्षों के बाद मुझे यहां यह कहते हुए खुशी होता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हैं और हमारे नेताओं द्वारा देश की धर्म निरपेक्षता का स्वरूप सुरक्षित रखा गया है। यह न केवल संवैधानिक उपचारों के कारण ही नहीं है अपितु यह इस देश में बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों के प्रति धर्म निरपेक्षता के दृष्टिकोण व भाई चारे की भावना के कारण भी है। इसे कार्यवाही में सम्मिलित किया जाना चाहिए। हमारे लोग विभिन्न धर्मों में विश्वास करते हैं। हमारे अधिकांश लोग शान्ति व सदभाव के साथ रहना चाहते हैं। कुछ थोड़े से ही लोग हैं जो इन सब बातों के विरुद्ध है और वे सभी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ये थोड़े से ही लोग हैं। वे अपने हितों के लिए धर्म से लाभ उठाना चाहते हैं। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। महोदय, साम्प्रदायवाद चाहे वह अल्पसंख्यक सम्प्रदायवाद हो या बहुसंख्यक, चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सिख या कोई अन्य सम्प्रदायवाद हो, एक बहुत खतरनाक बात है। जब व्यक्तियों या समूहों से यह प्रवृत्ति राजनैतिक दलों तक बढ़ती है तब यह देश के लिए बहुत खतरनाक होती है। कुछ दल इस सम्प्रदायवाद और रूढ़िवाद के प्रवक्ता के रूप में व्यवहार करते हैं। वे उनके हितों के प्रवक्ता होने का दावा करते हैं। यदि वे ऐसे दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हैं तो मैं दुख के साथ कहता हूं कि भारत वह भारत नहीं रहेगा जो आज है। मैं उन दलों को दोष नहीं दे रहा हूं। हमने इस देश के लिए खून बहाया है इस देश के लिए हमने महान जीवन दे दिए हैं। यहां तक कि गांधी जी का जीवन भी न्यौछावर हो गया, यहां तक कि हमारी इन्दिरा जी का जीवन भी न्यौछावर हो गया। इस प्रकार मैं इन दलों को दोष नहीं दे रहा हूं। उन दलों के लिए इन पहलुओं पर विचार करने के लिए यह उचित समय है। इस संदर्भ में मैं यह सुझाव

देता हूं कि राजनैतिक दलों के लिए आचारसंहिता होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि यह एक नया सिद्धांत नहीं है। इस पर पहले भी बहुत चर्चा हुई थी परन्तु हुआ कुछ नहीं। सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सरकार को सभी राजनैतिक दलों के साथ बातचीत करनी चाहिए और एक आचारसंहिता का विकास करना चाहिए। वास्तव में सम्प्रदायवाद से लड़ने के लिए प्रशासनिक उपायों की आवश्यकता है परन्तु राजनैतिक तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों बातें साथ-साथ होनी चाहिये। हमें एक आचार-संहिता विकसित करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जन आन्दोलन सभी राजनैतिक दलों को बनाना चाहिए। उन्हें लोगों के पास जाना चाहिये। उन्हें एक आन्दोलन तैयार करना चाहिए। उन्हें लोगों को समझाना चाहिये।

महोदय, मुझे यह जानकर खुशी है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया गया है। उन्होंने कुछ कार्यक्रम बनाये हैं। परन्तु बात यह है कि हम कैसे उन्हें प्रभावशाली रूप से लागू कर सकते हैं। सम्प्रदायवाद और रूढ़िवाद के विरोध में जन-आन्दोलन के सिद्धांत को लागू करने का यह उचित समय है। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में कदम उठाने के लिये माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

अब मैं पुलिस के बारे में कहता हूं। अपराधों का पता लगाने व उन्हें रोकने के लिए व कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल जिम्मेदार हैं। जब मैं यहां खड़ा होता हूं --मुझे याद है कि कुछ महीने पहले, 31 जुलाई, 1985 को इस सदन के एक सदस्य श्री ललित माकन की निर्दयतापूर्ण ढंग से हत्या कर दी गयी थी। उससे अगले दिन हमारे नेता और हम उनकी मृत्यु पर भावुक होकर बोले। मेरी जानकारी के अनुसार पुलिस को उनकी मृत्यु के बारे में जानकारी भी नहीं थी। मुझे तो ठीक नहीं मालूम है परन्तु यह मेरी जानकारी है। यदि ऐसे हालात हैं तो कैसे पुलिस लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न कर सकती है। महोदय, भगवान अदृश्य है। यह हमारा विश्वास है कि वह अदृश्य है। परन्तु भगवान की उपस्थिति हर जगह अनुभव की जाती है। सरकार के साथ भी ऐसी ही बात है। सरकार अदृश्य हैं परन्तु लोग इसकी उपस्थिति हर जगह अनुभव करते हैं। सरकारी संस्थायें जैसे संसद, पुलिस कलेक्ट्रेट इत्यादि उस अदृश्य सरकार के मुख हैं। यह मेरा अनुभव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सरकार को थानों व पुलिस वालों में ही मुख्यतः देखते हैं। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सार्वजनिक शान्ति बनाए रखने के लिए व उनका हौसला बनाये रखने के लिए पुलिस-बल उत्तरदायी हैं। इस प्रकार व्यवहार में इन लोगों के लिये सरकार इन्हीं संस्थाओं में हैं। यदि दिखाई देने वाला चेहरा भद्दा या छिपा हुआ है तो इन लोगों के लिए सरकार भी भद्दी होगी। इस प्रकार सरकार के लिए यह बहुत जरूरी है कि इन संस्थाओं को अच्छा व प्रभावशाली बनाया जाए।

महोदय मुझे रिपोर्ट से यह जानकर खुशी है कि इस दिशा में सरकार बहुत से कदम उठा रही है।

समापति महोदय : कृपया करके समाप्त कीजिये।

श्री टी० बशीर : महोदय दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

[श्री टी० बशीर]

है और दूसरा पुलिस को उचित व प्रभावशाली प्रशिक्षण है।

महोदय, पिछले दिन माननीय मंत्री जी ने इस सदन में, विवाद में हस्तक्षेप करते समय कहा था कि राज्य सरकारें कम्प्यूटरीकृत अपराध, अभिलेख ब्यूरो का पूरा उपयोग नहीं कर रही है। मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? कुछ सप्ताह पूर्व इस अधिवेशन से पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी जिसमें यह लिखा हुआ था कि पांच राज्यों ने अपने प्रस्ताव नहीं भेजे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री श्री अरुण नेहरू ने यह कहा था। चालू वर्ष के लिए पुलिस बल के आधुनिकीकरण की केन्द्रीय योजना पर पांच राज्यों ने अपने सुझाव नहीं भेजे। कुछ अन्य राज्यों द्वारा भेजे गये सुझाव अधूरे थे। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां राज्य पीछे हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

दूसरी बात कल्याण कार्यों की है। मेरे साथी उनका जिक्र कर चुके हैं और इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। हमारा पुलिस बल कड़ी मेहनत कर रहा है। इसको सौंपा जाने वाला कार्य इतना कठिन है कि कम से कम उनके लिए बहुत कल्याण कार्य तैयार किये जायें और वे उनके लिए लागू किये जायें।

जनजाति क्षेत्र में हुई गड़बड़ी के बारे में मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है। जून 1985 के प्रथम सप्ताह में आसाम और नागालैंड के पुलिस बलों के बीच मेरापानी सीमावर्ती क्षेत्र में भिड़न्त हुई। यह हमारे दो बलों के मध्य संघर्ष है। यह बहुत क्षुब्ध कर देने वाली बात है। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस सम्बन्ध में सभी महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: कांग्रेस दल की ओर से काफी लोग बोल रहे हैं। श्री मनोरंजन भक्त। कृपा करके अपने भाषण को सीमित रखिये और 5 से 7 मिनट से अधिक समय मत लीजिये।

श्री मनोरंजन भक्त (अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह): सभापति महोदय यदि आप मुझे कुछ अधिक समय नहीं देते हैं तो मैं बैठा रहना ही अधिक पसन्द करूंगा। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह से मैं अकेला ही प्रतिनिधि हूं। वहां कोई विधान सभा नहीं है।

सभापति महोदय: ये हिदायतें कांग्रेस दल की ओर से दी गई हैं। अपना समय मत गंवाइये।

श्री मनोरंजन भक्त: सभापति महोदय, मैं गृह मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस मन्त्रालय द्वारा निपटाये जाने वाले विषयों की एक लम्बी सूची है। परन्तु मैं अपने आपको केन्द्रशासित प्रदेशों तक ही और विशेष तौर पर अण्डमान

निकोबार द्वीप समूह तक ही सीमित रखूंगा जो प्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा शासित है।

प्रथम बात यह है कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए शासन प्रणाली में एकरूपता नहीं है। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभायें हैं और वे विकास कार्यों की देखभाल कर रही हैं और वे संघ राज्य क्षेत्रों के नित्यप्रति के प्रशासन की देखभाल कर रही हैं। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन एक प्रशासक द्वारा चलाया जाता है जिसकी नियुक्ति गृह मन्त्रालय या केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। देश के उन हिस्सों में प्रशासक एक बादशाह की भांति होता है। पहली बात यह है कि संविधान की धारा 240 के अनुसार राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी पसन्द की एक अच्छी सरकार प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इस संदर्भ में मैं कुछ बातों का जिक्र करूंगा जिनसे ज्ञात होगा कि अण्डमान निकोबार द्वीप समूह को कितनी अच्छी सरकार प्रदान की गई है ?

यहां बहुत सी रिपोर्टें हैं और आपको, उनके विषय में बिना अधिक विवरण के हमेशा मिलती जुलती रिपोर्ट मिलती हैं। यद्यपि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाने व उनके विकास की समस्त जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। अनुदान स्वीकृत करने के लिए गृह मन्त्रालय है जो विभिन्न मन्त्रालयों के लिए सभी समेकित आंकड़ों सहित संसद के समक्ष आता है। एक बहुत बड़ी कमी है जिसका उल्लेख मुझे अवश्य करना चाहिए। इन वर्षों के दौरान मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह रहा है—मैंने यह देखा है कि प्रमुख मन्त्रालय ऐसे हैं कि जब हम किसी विकास परियोजना के लिए उनके पास जाते हैं तो वे कहते हैं, "आप गृह मन्त्रालय के पास जाइये, क्योंकि इस कार्य के लिए यह जिम्मेदार है।" गृह मंत्रालय कहेगा, "नहीं, नही। यह कार्य वे कर रहे हैं। हम केवल आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं और उन्हें संसद को दे रहे हैं।" इस प्रकार हम प्रमुख मन्त्रालय के पास जाते हैं, फिर गृह मन्त्रालय के पास जाते हैं और फिर प्रशासन के पास जाते हैं। इसका कोई भी अभिभावक नहीं है। यह संघ राज्य क्षेत्र किसके संरक्षण में है ? अन्ततः लोग कष्ट झेल रहे हैं और समस्त प्रशासन कष्ट उठा रहा है। आखिरकार एक संसद सदस्य के तौर पर—क्योंकि मैं अकेला सदस्य हूं तथा वहां कोई विधान सभा नहीं है—देश के उस हिस्से में लोगों के कष्ट निवारण में मैं कठिनाई महसूस कर रहा हूं।

मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस योजना अवधि के दौरान संघ राज्य क्षेत्रों के लिए धनराशि बढ़ा दी गई है। पिछली योजना के दौरान यह 96 करोड़ रुपये थी और इस योजना अवधि के लिए यह 285 करोड़ रुपए कर दी गई है। परन्तु हम देखते हैं कि केन्द्र सरकार ने कैसे एक रोक लगा दी है कि केन्द्र सरकार की इजाजत के बिना किसी भी पद का सृजन नहीं किया जा सकेगा। राज्यों के मामले में अपनी इच्छानुसार एक परियोजना बनाने के लिए और इसे चालू करने के लिए उनके पास स्वतंत्र अधिकार हैं। परन्तु अण्डमान जैसे संघ राज्य क्षेत्र की क्या हालत है ? वहां प्रत्येक कार्य के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। पहले प्रमुख मन्त्रालय में इस पर चर्चा होगी फिर योजना आयोग में इस पर चर्चा होगी। फिर इसे वित्त मन्त्रालय की सहमति चाहिए और फिर बजट का आबंटन किया जाएगा और उसके बाद भी एक योजना विशेष में पैसा खर्च करने के लिए एक बार फिर स्वीकृति की आवश्यकता है और कभी कभी 31 मार्च से पहले अर्थात् 27 या 28 या 29 मार्च को इसे स्वीकृति मिलेगी। "आपको राशि स्वीकृत कर दी गई है। आप इसे खर्च कीजिये।" इसका अर्थ है कि आप ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि संघ

[श्री मनोरंजन भक्त]

राज्य क्षेत्र का प्रशासन पैसे खर्च करने की स्थिति में नहीं रहेगा। आप यह दिखाएंगे कि बजट में इनके लिए काफी धनराशि निर्धारित की गई है। परन्तु आखिरकार आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस धनराशि को खर्च करने के योग्य नहीं रहेंगे और अन्ततः श्रेय आपको मिलेगा तथा लोगों के कष्टों का निवारण नहीं होगा।

जहां तक अधिकारियों की स्थिति का सम्बन्ध है, इसके लिए एक संवर्ग है जिसका नाम संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग है। अन्डमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग, फिर लक्षद्वीप संवर्ग, फिर पांडिचेरी संवर्ग, अरुणाचल प्रदेश संवर्ग, मिजोरम संवर्ग और देहली संवर्ग इन सभी को मिलाकर संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग बनता है और इस संवर्ग से अन्डमान निकोबार द्वीप समूह को अधिकारी भेजे जाते हैं। वहां स्थिति क्या है। यदि दिल्ली में किसी अधिकारी को पसन्द नहीं किया जाता है, कोई अधिकारी किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और यदि कोई अधिकारी कुशलतापूर्वक व उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तब ऐसे अधिकारियों को सजा के तौर पर अन्डमान या लक्षद्वीप या किसी अन्य स्थान पर भेजा जाता है। परन्तु अन्ततः आप वहां के लोगों को सजा दे रहे हैं, उन लोगों को जो उन क्षेत्रों में रह रहे हैं और वहां विकास गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न होता है।

सरकार को इस तरह के दूरस्थ तथा अलग-थलग क्षेत्रों के लिए, जहां लोग बहुत अधिक कष्ट भोग रहे हैं और जहां विकास कुछ वर्ष पहले ही शुरू हुआ है, अच्छे अधिकारी उपलब्ध कराने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। वे यह नहीं कह रहे हैं। केन्द्र सरकार देश के उस हिस्से के साथ भेदभाव बरत रही है और जब कभी आप संघ राज्य क्षेत्रों के विकास के लिए कहते हैं और आंसू बहाते हैं, इसका कोई असर नहीं होगा।

नौवहन हमारे जीवन-यापन के साधनों में से एक है। आज नौवहन की क्या स्थिति है? आप देख सकते हैं कि यह एक रिपोर्ट है जो वर्ष 1983-84 में प्रकाशित हुई थी। बीसवें पृष्ठ पर उन्होंने कहा है :

> "मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक पत्तन प्रबन्ध बोर्ड का गठन किया गया है और इसके जल्दी ही कार्य कर देने की आशा है।"

सभापति महोदय : कृपा करके अब समाप्त कीजिये।

श्री मनोरंजन भक्त : आपने घण्टी बजा दी है। यह क्या है? यदि आप चाहते हैं तो मैं बैठ जाऊंगा। परन्तु केवल यही एक मंच है जहां मैं बोल सकता हूं।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड का गठन किया गया है और "शीघ्र ही इसके कार्य शुरू कर देने की आशा है।" "शीघ्र ही" शब्द की परिभाषा क्या है? मैं नहीं जानता कि शब्द कोष में इसका अर्थ क्या है क्या है क्योंकि, यद्यपि इसका गठन 1983 में हो गया था, इसने अपना कार्य अभी

तक शुरू नहीं किया है तथा इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है।

इसी तरह से, अण्डमान मुख्य भूमि में नौवहन की दशा इतनी बुरी है कि लोगों को कई महीनों तक या तो कलकत्ता बन्दरगाह पर या मद्रास बन्दरगाह पर या पोर्ट ब्लेयर पर असहाय पड़ा रहना पड़ता है और यह बड़ी भयानक स्थिति है। इस बीच क्या हुआ है हमारी अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए हमारे पास एक हर्षवर्धन' नामक जल पोत था। अब इस पोत का स्थानान्तरण रक्षा कार्यों के लिए कर दिया गया है और लोगों को कष्ट उठाना पड़ रहा है।

अन्तर द्वीपीय नौवहन प्रश्न के सम्बन्ध में···

सभापति महोदय : गृह मन्त्रालय में इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री मनोरंजन भक्त : इसका सम्बन्ध है। मैं ऐसे एक भी शब्द का जिक्र नहीं कर रहा हूं जो मन्त्रालय की रिपोर्ट में नहीं है। यदि कोई बात रिपोर्ट में है तो इसके बारे में बोलने का मुझे अधिकार है।

सभापति महोदय : आप नौवहन के बारे में बोल रहे हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : यह मन्त्रालय की रिपोर्ट में है। मैं क्या कर सकता हूं ? यह वह विषय है जो गृह मन्त्रालय द्वारा देखा जाता है। उन्होंने इसका जिक्र रिपोर्ट में किया है।

अन्तर द्वीपीय परिवहन सेवा ऐसी जीर्ण-शीर्ण दशा में है कि यह कुप्रबन्ध के कारण कभी भी नष्ट हो सकती है। जहाज नहीं चल रहे हैं।

सभापति महोदय : यह विषय गृह मन्त्रालय में कैसे आता है ?

श्री विपिन पाल दास (तेजपुर) : अण्डमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन गृह मन्त्रालय के अधीन है।

श्री मनोरंजन भक्त : फिर क्या हो गया है ? गृह मन्त्री की एक सलाहकार समिति थी और शर्तों के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र की समस्याओं का पता लगाने के लिए हर साल दो बैठकें होनी चाहिएं। अन्तिम बैठक 11 या 13 मार्च, 1985 को हुई थी। उसके बाद समस्याओं का पता लगाने के लिए आज तक कोई बैठक नहीं की गई। परिवहन तथा अन्य अन्तर-मन्त्रालय सम्बन्धी समस्याओं की देख-रेख के लिए गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया गया था। दुर्भाग्यवश, पिछले एक साल से अथवा इससे भी अधिक समय से कोई बैठक नहीं हुई है जिससे कि समस्याओं का पता लगाया जा सके। संघ राज्य क्षेत्र की यह दशा है।

सभापति महोदय : कृपा करके अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री मनोरंजन भक्त : आप मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं।

सभापति महोदय : यह आपके दल की हिदायत है कि किसी भी सदस्य को 5 से 7 मिनट से अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास विद्यालय है। हमने विद्यालयों का दर्जा बढ़ा दिया है परन्तु हम अध्यापकों के पदों का सृजन नहीं कर सके। चिकित्सा के क्षेत्र में हम एम्बुलैंस तो खरीद सकते हैं परन्तु एम्बुलैंस को चलाने के लिए हम ड्राइवर नियुक्त नहीं कर सकते। अन्य विभागों में भी हम सामान तो खरीद सकते हैं परन्तु हम उनका संचालन नहीं कर सकते। वास्तव में हम किसी भी कर्मचारी को नियुक्त नहीं कर सकते। संघ शासित क्षेत्र में यह स्थिति है। मैं माननीय मन्त्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विधान सभा की स्थापना उसी प्रकार से की जाए जिस प्रकार आपने अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और पांडिचेरी में की है ताकि संघ शासित क्षेत्र के लोगों को विकास कार्यों और अपने विकास की देख-रेख में सम्मिलित किया जा सके। मैं दूसरा अनुरोध भी करना चाहता हूं और यह उन अधिकारियों के बारे में जिन्हें आप वहां भेजते हैं। मेरा अनुरोध यह है कि आप कृपया अच्छे अधिकारियों को वहां भेजें तथा ऐसे अधिकारियों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में न भेजें जिनको आप नहीं चाहते।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री विपिन पाल दास (तेजपुर) : महोदय मैं सबसे पहले माननीय गृह मन्त्री को बधाई देना चाहता हूं···

एक माननीय सदस्य : मन्त्रियों को।

श्री विपिन पाल दास : मैं गृह मन्त्रालय को चार्ल्स शोभराज और डेविड हाल के विरुद्ध सफल कार्रवाई के लिए बधाई देना चाहता हूं।

गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत पुनरीक्षणाधीन वर्ष के दौरान देश में जो दो बहुत ही प्रमुख घटनाएं हुई वे हैं पंजाब समझौता और असम समझौता। 1984 के चुनाव के दौरान और इसके बाद प्रधान मन्त्री ने जनता को जो आश्वासन दिये थे, इन समझौतों से उनकी पूर्ति हुई है। इन समझौतों से न केवल श्री राजीव गांधी की निष्ठा, निश्चय और दूरदर्शिता प्रमाणित हुई है बल्कि वह एक उच्च राजनेता के रूप में भी उभर कर एक नेता के रूप में उनकी दूसरी खूबियां भी सामने आई हैं। उन्होंने राष्ट्रीय हित को अपने दल के हित से ऊपर रखा है।

मैं पंजाब समझौते की चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इस सदन में एक अन्य दिन इस विषय पर पूरी चर्चा की गई थी।

असम समझौते के बारे में केन्द्रीय सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं : श्री अरुण नेहरू ने हमें उठाये गये कदमों के बारे में कुछ बताया था। असम समझौते के कुछ खण्डों को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं। असम समझौते का उद्देश्य न केवल विदेशियों की समस्या का

समाधान करना है बल्कि असम राज्य में शांति और सौहार्द लाना भी है। मुझे आशा है कि केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारें समझौते की शेष खण्डों को लागू करने के लिए तुरन्त कदम उठाएंगी।

इस समझौते में सबसे महत्वपूर्ण और मूल खण्ड ये हैं: (क) उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से, जिसके लिए न्यायाधिकरण नियुक्त किए जाने हैं, 1966-67 में आये घुसपैठियों का पता लगाना; (ख) उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से 1971 के बाद आये घुसपैठियों का पता लगाना तथा उन्हें निर्वासित करना; और (ग) भारतीय बंगलादेश की सीमा की रक्षा के लिए समुचित उपाय करना ताकि और आगे घुसपैठ को पूर्णतः रोका जा सके। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि तीनों मामलों में क्या प्रगति हुई है।

जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है, मुझे समाचार पत्र से पता चला है कि असम के मुख्य मन्त्री ने कहा है—मैं केवल शीर्षक पढ़ रहा हूं:

"ए० जी०पी० सरकार न्यायाधिकरणों की स्थापना पर विचार कर रही है।"

इसका अर्थ यह हुआ कि इस मामले में असम सरकार ने कुछ नहीं किया है मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि केन्द्र और राज्य भी दोनों के द्वारा समझौते के विभिन्न खंडों को लागू करने में क्या प्रगति हुई है। समझौते के कुछ खण्डों को लागू करने के मामले में राज्य सरकार भी जिम्मेवार है। वे केवल केन्द्र पर उत्तरदायित्व डालकर बच नहीं सकते क्योंकि वे बार-बार कह रहे हैं कि यह केन्द्र की जिम्मेदारी है। मैं गृह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस मामले पर क्या कदम उठाए हैं?

असम समझौते के खण्ड 7 के सम्बन्ध में पारिणामिक कदमों के रूप में रखे गए तीन प्रस्तावों के बारे में मुझे विशेषरूप से बताने की अनुमति दी जाए। ये हैं, एक नए तेल शोधक कारखाने की स्थापना और एक आई०आई०टी० और केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना मैं समझता हूं कि जहां तक नए तेलशोधक कारखाने की स्थापना का सम्बन्ध है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जहां तक आई०आई०टी०और केन्द्रीय विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है असम सरकार ने घोषणा की है कि उसने इन दोनों संस्थानों के लिए उचित स्थानों के चयन के लिए एक समिति नियुक्त कर दी है। आई०आई०टी० जो कि एक उच्च स्तर का प्रौद्योगिक संस्थान है, पूरे देश में अभी तक केवल पांच हैं। ये सामान्यरूप से औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थापित किया जाता है। मुझे आशा है कि असम तथा केन्द्रीय सरकारें दोनों जब असम में आई०आई०टी० की स्थापना के बारे में विचार करेंगी तो इस बात को ध्यान मे रखेगी। परन्तु केन्द्रीय विश्वविद्यालय के मामले में मेरे पास एक निश्चित प्रस्ताव है।

ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर तीन विश्वविद्यालय हैं और गुवाहाटी से 63 मील के फासले पर शिलांग में उत्तरपूर्व पहाड़ी विश्वविद्यालय है परन्तु ब्रह्मपुत्र नदी के पूरे उत्तरी किनारे में उस कोटि का कोई शिक्षा संस्थान नहीं है। इसलिए उस क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग है वहां पर विश्वविद्यालय कोटि का संस्थान होना चाहिए। अतः मैं जोरदार शब्दों में सुझाव देता हूं कि असम में प्रस्तावित केन्द्रीय विश्वविद्यालय को ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर स्थापित किया जाना चाहिए।

[श्री विपिन पाल दास]

इस पूरे क्षेत्र में सोनितपुर जिला बीच में होगा। इससे न केवल असम के सात जिलों की भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी होंगी बल्कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी होंगी। महोदय, सोनितपुर जिले में इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जो मानव संसाधन विकास के मंत्री भी हैं, ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे के लोगों के वैध प्रस्ताव पर उचित ध्यान देंगे।

महोदय, राष्ट्र बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। क्षेत्रीयतावाद, कट्टरवाद, पृथकतावाद, साम्प्रदायिकता और आतंकवाद सभी जगह सक्रिय है तथा देश के कुछ भागों में खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। इन समस्याओं की गंभीरता पर चर्चा करके समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। यह उचित समय है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम नीतियां और कार्यक्रम बनाएं।

महोदय, आतंकवाद का किसी धर्म, भाषा और सम्प्रदाय से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका केवल एक सम्प्रदाय है और वह आतंकवादियों का सम्प्रदाय है। इसका आधार कट्टरपन है यह लोकतंत्र विरोधी, समाजवाद विरोधी, धर्मनिरपेक्ष विरोधी और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के विरुद्ध है। यह उन सभी बुनियादी मूल्यों को अस्वीकारता है। जिसका भारत अपनी पांच हजार वर्षों की सभ्यता में सदा समर्थन करता रहा है। इस प्रकार के रवैया या गतिविधि के लिए किसी भी धर्म में कोई स्थान नहीं है।

महोदय, आतंकवाद से अकेले नहीं लड़ा जा सकता क्योंकि यह विश्वव्यापी है। इसका अपना दर्शन है अर्थात वर्तमान शांतिपूर्ण, लोकतंत्रीय और धर्मनिरपेक्ष सामाजिक व्यवस्था को अव्यवस्थित करना है। आज यह एक देश तक ही सीमित नहीं है बल्कि विभिन्न स्थितियों में विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय है। यह साम्राज्यवादी शक्तियों और उनके दलालों तथा तीसरी दुनियां के एजेंटों के भी षड़यंत्रों का अनिवार्य अंग है। पंजाब और भारत के कुछ भागों में जो कुछ हो रहा है वह निश्चित रूप से आन्तरिक मामला है परन्तु इसकी अन्तर्राष्ट्रीय शाखाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यू०एस०ए०, यू०के० कनाडा और पाकिस्तान से प्रोत्साहन, प्रेरणा तथा सीधी सहायता के बिना पंजाब में आतंकवादी उस सीमा तक नहीं जा सकते थे जहां तक वे गए। त्रिपुरा और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों में आतंकवाद को प्रोत्साहन देने के लिए बंगलादेश के नाम का भी पता चलता है।

अतः इस संकट से सामना करने के लिए मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं : (क) लोगों की जायज और उचित मांगों को पूरा करे, आतंकवादियों को अलग-थलग किया जाए; (ख) देश में सभी राजनैतिक दलों को और शांतिपूर्ण तथा लोकतंत्रीय ताकतों को मिलकर समस्याओं के लिए शांति, साम्प्रदायिक सामंजस्य और शांतिपूर्ण समाधान के लिए शक्तिशाली और संयुक्त अभियान करना चाहिए। (ग) आतंकवादियों को अलग-थलग करने के बाद ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जैसे कि राष्ट्र विरोधी, पृथकतावादी और राजद्रोहवादी ताकतों के साथ किया जाता है। (घ) सरकार को उन

ताकतों के साथ जो हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं सख्ती से निपटना चाहिए। हमें उन्हें यह भी बता देना चाहिए कि यदि वे इसे नहीं रोकते हैं तो हम इसे अमित्रतापूर्ण रवैया कहेंगे और कूटनीतिक भाषा में सब जानते हैं कि अमित्रतापूर्ण रवैया का क्या अर्थ होता है।

महोदय, मैं असम में भाषा की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूं लेकिन समय नहीं है। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार शांतिपूर्ण बातचीत और सौहार्दपूर्ण समाधान के माध्यम से उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करेगी। महोदय, कछार जिले में कुछ भाषा की समस्या है। मैं आशा करता हूं कि कछार के छात्र विरोध का रास्ता छोड़ देंगे और इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत के लिए आगे आएंगे।

अन्त में, असम में कानून और व्यवस्था के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह पंजाब की तरह खराब नहीं है। परन्तु वह उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी की कोई इच्छा या आशा करता है। मैं, एक समाचार पत्र की कतरन के कुछ भाग को पढ़ूंगा। यह समाचार 17 मार्च, 1986 के टाइम्स आफ इंडिया दिल्ली संस्करण के पृष्ठ 9 पर छपा था। यह इस तरह है :

"कांग्रेस के मात्र सहानुभूति रखने के लिए शिवसागर में श्री लंकेश्वर दिहिगीया और नाजिरा में श्रीमती कुंती कंवर तथा उनकी युवा पुत्री रूपलेखा कवंर की हत्या की बात समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी है परन्तु राजनैतिक दल के सदस्यों और उनके सहयोगियों पर प्रतिदिन होने वाले आक्रमण तथा उनके अपमान की बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

उदाहरण के लिए 5 जनवरी को जोरहाट में एक युवा कांग्रेस कार्यकर्त्ता श्री अनिलदास की कथित ए०पी०जी० समर्थक ने उसके हथियार से बाजू काट दी। 26 फरवरी को एम० एफ० आई० कार्यकर्त्ता को नालाबाड़ी से उसके आवास से अपहरण किया गया था और उसका अभी तक पता नहीं लगा है। युवा कांग्रेस और सी०पी०एम० के कार्यकर्त्ता निरंतर मुख्य निशाने बने हुए हैं। कई भीतरी क्षेत्रों में ए०पी०जी० समर्थकों द्वारा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की सफाई की जाती है। उनका अपमान किया जाता है, उनके दल की निष्ठा पर थूका जाता है, सामाजिक बहिष्कार किया जाता है और उनसे कांग्रेस दल के साथ अपने सम्बन्धों को तोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है।"

ऐसा वहां हुआ है और असम सरकार को देखना चाहिए कि इस प्रकार की चीज फिर से दोबारा न हो ताकि असम में वास्तविक शांति स्थापित की जाए और राजनैतिक दल अपना काम शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक ढंग से और स्वतन्त्रता से कर सके तथा असम राज्य में एक सफल राजनैतिक व्यवस्था लाई जा सकें। में आशा करता हूं कि गृह मन्त्रालय असम में पूर्ण शांति लाने के लिए राज्य सरकार पर अपना दबाव डालेगी।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, कई दिनों से गृह-विभाग की मांगों पर बहस चल रही है। इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि जो मांग सदन से खर्च करने की स्वीकृति मांगी जा रही है, जो गृह विभाग को नहीं मिलनी चाहिए और वह इसलिए नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि गृह विभाग का जो काम है वह काम गृह विभाग नहीं कर रहा है। आज हमारे देश में जंगल का राज बन गया है। इसको कोई माने या न माने, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, चाहे इस तरफ से या उस तरफ से, इससे यही साबित होता है कि हमारा जनजीवन आज खतरे में है। जंगल का राज इसलिए कह रहा हूं कि आज देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अपराधकर्मियों का राज है, आतंकवादियों का राज है और उग्रवादियों का राज है, आपका राज नहीं है, जबकि देश के गृह विभाग का मुख्य काम है अपने देश की सुरक्षा, चाहे आंतरिक हो या बाहरी हो, देश के नागरिकों के जनजीवन की सुरक्षा उसका मुख्य कर्त्तव्य होता है और उसके लिए ही राशि ली जाती है, लेकिन इन्होंने अभी तक जो कुछ किया है, उसका फल लोगों को भुगतान पड़ रहा है।

2.00 म० प०

आंकड़े इनके सामने हैं। सच्चाई यह है कि ऐसा क्यों है, इस पर सोचने की जरूरत है, बहस की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है। एक खास कारण यह है कि इतने वर्षों में इन्होंने जातीय और उप-जातीय प्रथा को मजबूत किया है और जिस मजबूती के चलते हमारे देश में प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। देश और समाज विघटन की ओर जा रहे हैं। इसी जातीय और उप-जातीय प्रथा के कारण ये सब चीजें हो रही हैं। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि जबसे हम स्वतंत्र हुए हैं और किसी भी स्तर का हम जो चुनाव कर रहे हैं, वह उम्मीदवारों का चयन जातीय आधार पर ही कर रहे हैं। साथ ही साथ जन नाम जातीय में आधार पर अपील करना आम बात हो गई है। जिसकी निन्दा करनी चाहिए।

2.01 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, वह इन्हीं की पार्टी के द्वारा हैं और हरेक पार्टी में देखी जा रही हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप यानि कांग्रेस पार्टी की है। क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है और सत्ताधारी पार्टी है। इस तरह के हालात कर दिये हैं जिनके चलते हम यह समझते हैं कि आज उग्रवाद में बहुत तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। इसलिए, इस बात पर गौर करना होगा या यह कह दीजिए कि इस तरह के मामलों पर काबू नहीं पाया जा सकता। इनकी नीति अच्छी है लेकिन नीयत खराब है। अच्छी नीति तभी लागू की जा सकती है अगर लागू करने वाले की नीयत ठीक हो। नीति पर हमारी चोट नहीं है, इनकी नीयत पर हमारी चोट है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में करोड़ों लोग जन्म ले रहे हैं। जो बीसवीं

सदी के मध्य में जन्मे हैं, वे सामाजिक दृष्टिकोण से उपेक्षित, शोषित और पिछड़ी जाति के कहे जाते हैं। हमारे देश में जो भू-स्वामी हैं और महाजन हैं वे तथाकथित रूप से ऊंची जाति के हैं। यह समस्या सामाजिक और आर्थिक रूप से जुटी हुई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप इस प्रथा को कैसे समाप्त करेंगे। आपने बीस सूत्री कार्यक्रम बनाया हुआ है जिसमें लैंड रिफार्म भी रखा है। जब तक आप लैंड रिफार्म नहीं करेंगे तब तक आप इस प्रथा का उन्मूलन नहीं कर सकते हैं। आपकी नीयत खराब है। बड़े-बड़े लैंड-लार्ड ऐसे हैं जिनके पास पांच हजार एकड़ जमीन है। वे आपके मंत्रिमण्डल में हैं चाहे राज्यों में हों या यहां पर हों। ऐसा क्यों हो रहा है। लोगों में आज बहुत गुस्सा है। जो राजनीति करने वाले लोग हैं और जो आफिसर्स भ्रष्ट हैं, उन्होंने देश को लूटा है। टाटा, बिरला की बात की जाती थी। उन्होंने तो बड़ी लम्बी अवधि के बाद धन जुटाया है। जो राजनीति करने वाले लोग हैं चाहे किसी भी पार्टी में हों, उन्होंने चन्द दिनों में ही दौलत का पहाड़ खजाना बना लिया है। जो पिछड़ी जाति और दलित जाति के लोग हैं, उनके लिए आपने क्या किया है। ईमानदारी के साथ यह आपको देखनी होगी। लिबरेशन मूवमेंट भी हमारे तंत्र में चल रहा है। धर्म-निरपेक्षता की बात भी की जाती है। लेकिन उसके साथ आपने विश्वासघात किया है। अगर विश्वासघात न किया होता तो आज चालीस वर्षों में सबकी रग-रग में धर्म निरपेक्षता आ जाती और तरह-तरह के साम्प्रदायिक दंगे समाप्त हो जाते। आपने क्षणिक लाभ के लिए इससे फायदा उठाया। शाहबानो का मामला आप ले लीजिए, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। काश्मीर का मामला आप ले लीजिए। चुनाव में आपने क्या किया। चुनाव में जनसंघ एवं त्रिपुरा उपजाति को साथ लिया। तथा जम्मू-कश्मीर में हिन्दू वोट प्राप्त करने के लिए हिन्दू धर्म का सहारा लेकर भा० ज० पा० से सारी सीटें छीन लीं। प्रेस वालों ने वाजपेयी जी से पूछा कि साहब, जम्मू-कश्मीर से तो आप साथ हो गए, कहीं सिख न साथ हो जाएं। लेकिन सिद्धांत की जीत हुई। जिस सिद्धांत को लेकर हिन्दू वोट लिए थे, आज उन्हीं सिद्धान्तों को चलाकर वहां के प्रशासक ने, प्रधान मन्त्री ने खूब वोट ले लिए, इसलिए सिद्धान्त पर हमारी जीत हुई। पंजाब में आपने क्या किया। डबल आपरेशन वहां पर आपने किया। भिंडरावाले को किसने कहा था कि वह धार्मिक संत है और किसने पैर छुए थे, गृह मंत्री ने पैर छुए थे लेकिन उसी भिंडरावाले के साथ लड़ना पड़ा। आपको यह सब चीजें देखनी होंगी कि आपने धर्म-निरपेक्षता के साथ गलत काम किए हैं और आज देश में धर्म-निरपेक्षता नहीं रहने दी। धर्म निरपेक्षता हमारे यहां नहीं रही। सैंकड़ों, लाखों, करोड़ों को काट दिया गया। सब निर्धन हो गए आज गली-गली में वह मारे जा रहे हैं। भ्रष्ट राजनीतिज्ञ और भ्रष्ट अधिकारी बड़े-बड़े मालदार हो गये हैं। लाखों-लाख रुपया महीनों ले रहे हैं। इसकी जांच करिये। मैं आपको सुझाव नहीं दूंगा आप मानें या न मानें। उनकी सम्पत्ति को जब्त कर गरीबों, भूमिहीनों में बांट दें।

एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। बिहार की हालत क्या हो रही है। मैं अभी अभी वहां से आया हूं, स्नान भी नहीं किया सिर्फ आपको कहने के लिए आया हूं कि बिहार के अन्दर स्थिति बड़ी खराब है। कल आपके एस० पी० डी०, आई० जी० समाहर्ता और कमिश्नर सबसे मेरी भेंट हुई, मैंने उनको कहा कि आपको वर्दी उतार कर रख देनी चाहिए। अब कोई आदमी जिन्दा नहीं रह सकता। परसों रात को चार मजदूर·····**·····यह अपना प्रतिदिन का काम करके घर जा रहे थे, चारों

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

को रास्ते में मार दिया। 13-4-86 रात को ही छः आदमी एक परिवार के, कोई सात बरस का है, कोई दस बरस का, कोई बारह बरस का। यह सब साये हुए थे सभी को साफ कर दिया गया। मैं आंखों से वह सब देखकर आ रहा हूं, अब राज कहां है। अगर कोई कहता है कि बिहार में राज है, चाहे वह आपकी तरफ के रहने वाले हों, अगर वह कहते हैं तो सरासर आपको धोखा दे रहे हैं। आप खाली कागजों में कहते हैं कि हमारे बिहार में राज है। हमसे सम्बन्धित नहीं है। पंजाब से सम्बन्धित भले ही न हो, लेकिन बिहार की चर्चा नहीं कर रहे हैं, जबकि बिहार में पंजाब से बदतर हालत हो रही है। आज स्थिति यह है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिना पोस्ट मार्टम के लाश दफनाने दी जाये। उन चारों मजदूरों का पोस्ट मार्टम नहीं हुआ। लोग लाश छीनकर ले गये और गाड़ दी। जनता के गुस्से का इजहार है। आपसे कहना चाहता हूं इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपके यहां अच्छे अफसरों की इज्जत नहीं है। मैं आपको और उदाहरण देना चाहता हूं हमारे यहां हालत बहुत खराब है···

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है···

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : भाई आप घबराइये मत। बिहार में जो हालात हैं उनको खत्म करना चाहिए।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : बिहार की हालत क्या हो रही है···

(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। यह राज्य का विषय है···

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : बिहार में सन् 1985 के सितम्बर तक 3175 आदमी काटे गये हैं तेंतीस घटनाएं दंगों की घटीं 1985 में, 13 हजार आदमी···

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : वे इस घटना का उल्लेख किस तरह कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : यह आपके सरकारी आंकड़े हैं। आपके अफसरों का यह हाल है···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है। आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जायें।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त को देखूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि यह राज्य का विषय है जो यह बता रहे हैं वह उनके गांव की छोटी-सी घटना है, उसको यहां ला रहे हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : यह छोटी-सी घटना है, शर्म आनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : आपको शर्म होनी चाहिए। कुर्था थाना में, घोसी थाना में तमाम सब-डिविजन में, भोजपुर जिले में हालत खराब है···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : एक मिनट और कहना चाहता हूं कांग्रेस के एक महामंत्री ने नालन्दा जिले के 64 लाख···

(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही : यह आपके राज्य का मामला है। उपाध्यक्ष महोदय, आप ध्यान दीजिए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : 64 लाख कारतूस कांग्रेस के महामन्त्री नालन्दा जिले के जो हैं, उनकी दुकान से पकड़े गये। जब एस० पी० नालन्दा ने उनको गिरफ्तार किया और सजा दी जाने लगी तो मिनिस्टर साहब ने उसको बचाने की कोशिश की और बात न मानने के कारण उस अफसर

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

को तुरन्त बदल दिया गया, उस अफसर का नाम था*******उस ईमानदार अफसर को सेक किया गया***

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया किसी का नाम मत लीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : 5 लाख के कारतूस नालन्दा जिले में पकड़े हैं*** **(व्यवधान)**

ऐसे हालात में 6 एस० पीज० को भेजा***

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नाम मत लीजिए। कार्यवाही में नाम नहीं आना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : लेकिन 3 महीने में आपके लोगों ने जहानाबाद अनुमंडलक के एस० डी० ओ० को नहीं रहने दिया। इसलिए नहीं रहने दिया कि वे आपके बीच 20-सूत्री कार्यक्रम को ईमानदारी से लागू करने लगे। आपके विधायक को अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण मुख्य मन्त्री पर दबाव डालकर स्थानांतरण करा दिया **(व्यवधान)**

आपके गया जिले में एक भी सिख नहीं मारा गया, तथा सम्पत्ति बर्बाद हुई जिस अफसर ने उसको बचाया उस अफसर को यह कहा गया कि पटना में घटना हुई, गया में घटना क्यों नहीं हुई इसलिए वह अच्छा अफसर नहीं है। उसका स्थानांतरण कर दिया ** **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। श्रीमती चन्द्रेश कुमारी।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है। वहां 1952 से लगातार भ्रष्ट और

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

राजनीति करने वाले लोगों का बोलबाला है। आप इस बात की जांच करवाइये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको दोगुना समय दिया है। आपको पांच मिनट का समय मिला था परन्तु मैंने आपको दस मिनट का समय दिया। यह काफी है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : इस तरह तो आप भ्रष्ट लोगों को और राजनीति वाले लोगों को तरहीज दे रहे हैं जिससे बिहार की स्थिति भयावह हो रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही में नहीं जायेगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में यह सब कुछ नहीं जायेगा। आप क्यों समय नष्ट कर रहे हैं?

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही में नहीं जायेगा। नहीं, नहीं।

(व्यवधान)**

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी (कांगड़ा) : महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों के समर्थन में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगी।

पिजले दस वर्षों में हमने यह देखा है कि भारत में बार बार स्थिति में परिवर्तन होता रहा है। हमारा देश जो अहिंसा में विश्वास करता है तथा जिसे अहिंसा से ही आजादी मिली है वह अब धीरे-धीरे हिंसा के मार्ग पर बढ़ रहा है। मैं यहां पर कुछ बातें बताना चाहती हूं। ये हिंसात्मक गतिविधियां 1977 मे तब प्रारम्भ हुई जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। **(व्यवधान)** जनता दल **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये ··

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी : मैंने आपको बीच में कभी नहीं टोका कृपया मुझे भी मत टोकिये।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : आप इन्हें बोलने दीजिये, आपको तो हमने बाधा नहीं पहुंचाई, फिर आप क्यों टोक रहे हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी : मैं उनसे पूछना चाहूंगी क्या यह सच नहीं है कि चेन खींचकर भागना, पर्स खींचना, आधी रात को चलती हुई कारों को रास्ते में रुकवाना, बैंकों को लूटना—ये सभी बातें जनता शासन के दौरान आरम्भ हुईं ? उन्होंने इन पर नियंत्रण नहीं किया क्योंकि वे अपनी कुर्सी के लिए ही परस्पर लड़ते रहे।

इस तरह की घटनाएं अब नहीं होती हैं। वर्तमान में हम किसी भी राज्य में स्वतंत्र घूम सकते हैं, इस तरह की घटनाएं होने का डर नहीं है।

अब मैं दुखद आतंकवादी गतिविधियों के बारे में कुछ कहूंगी···

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : 16 साल की लड़कियों के रेप हो रहे हैं और रात में औरतों का 11 बजे से लेकर 1 बजे तक घूमना कैसे सम्भव है। आप बिल्कुल सच्चाई से दूर जाकर अपना भाषण दे रही हैं। सच्ची बात को आप छिपाना चाहती हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : आप दूसरों को बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी : यह बहुत ही खेदजनक है कि देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। कुछ बाहरी ताकतों ने जो भारत को एक मजबूत देश नहीं देखना चाहतीं, तथा कुछ खुदगर्ज एवं समाज विरोधी तत्वों ने इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया है तथा इससे देश के लोगों में जो शांति प्रिय हैं तथा सुख-शांति से जीवन यापन करना चाहते हैं, भय पैदा हो गया है।

पंजाब तथा असम में स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि पूरी दुनिया में यह माना जाने लगा था कि वहां पर चुनाव नहीं होंगे। परन्तु आम चुनाव के दौरान हमारे प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्र से यह वायदा किया था कि वह पंजाब तथा असम में चुनाव करवायेंगे तथा यह कोशिश भी होगी कि वहां चुनाव ईमानदारी एवं शांतिपूर्ण तरीके से हों। ये वायदे पूरे किये गये तथा उन दो राज्यों में सरकारें कार्य कर रही हैं।

यह खेदजनक है कि कुछ राज्य आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करने में असफल रहे। मैं नहीं कहती कि इसमें पूरी तरह से राज्य की गलती थी, हमारे तंत्र में भी कुछ खामियां हैं। जिनकी वजह से आतंकवादी गतिविधियों का सामना नहीं कर सके। मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि आतंकवादियों को व्यावसायिक रूप में लोगों की हत्या में प्रशिक्षित करने के बाद आधुनिक हथियारों से लैस कर दिया जाता है।

तथा उन्हें किसी का डर नहीं होता है। हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तथा हम इसी बात को देखते हुए उनसे लड़ने की कोई योजना बनानी चाहिए। इसलिए हम सरकार को बधाई देंगे कि उसने पुलिस का आधुनिकीकरण करने के लिए काफी धन का प्रावधान किया है। तथा पुलिस वालों के परिवारों के कल्याण कार्यों को भी सुनिश्चित किया गया है। एक पुलिस के व्यक्ति को अगर यह मालूम है कि उसका परिवार सुख-शान्ति से है तो वह देश के प्रति ज्यादा जागरूक रह सकता है, एक पुलिस के व्यक्ति को जिसके पास अच्छा प्रशिक्षण है, सभी तरह के उपकरणों से लैस है तथा अच्छे हथियार हैं वह किसी भी तरह की स्थिति का सामना कर सकता है तथा देश की रक्षा करने में समर्थ होगा।

आतंकवाद न सिर्फ देश में ही अपितु पूरे विश्व में बढ़ा है। इसीलिए मैं गुट-निरपेक्ष सरकारों, राष्ट्राध्यक्षों जो कि आतंकवाद से निपटने एवं आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एक नीति बनाने के लिए यहां आये हैं, उन सबको बधाई देती हूं। अगर उनके विचार समान हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें सफलता मिलेगी तथा हम उपयुक्त तरीके से आतंकवाद का सामना कर सकेंगे।

जब मैं पंजाब में कार्य कर रही थी तो मुझे मालूम है किस तरह से युवा लोग आतंकवादी बने। इसमें उनकी गलती नहीं है। गलती तो लोगों की है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, हो सकता है दो दर्जन व्यक्ति ही हों जो कि इस सम्पूर्ण गतिविधि को पंजाब में चला रहे हैं। स्कूल कालेजों से निकले युवाओं को यह लोग पकडते हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं होता, वे बेरोजगार होते हैं तथा उनकी युवा शक्ति बरकरार होती है। वे इन लड़कों को इस काम में लगाते हैं, उन्हें गलत मार्ग दिखाते हैं तथा आतंकवादी बना देते हैं। अतः मैं चाहती हूं कि गृह मंत्री जी इस बारे में विचार करें तथा इन लोगों को संरक्षण देने के लिये कोई न कोई तरीका निकालें, ये लोग मासूम हैं तथा भविष्य बनाने की कल्पना करते हैं परन्तु नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसीलिए इनके लिये कोई समुचित योजना या कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए तात्कि राष्ट्र की सहायता करने, राष्ट्र को ज्यादा अच्छा एवं शांतिपूर्ण बनाने के लिये ये लोग सही रास्ते पर चल सकें।

सीमावर्ती राज्यों को सुदृढ़ बनाने के लिये मैं सरकार को बधाई देती हूं। यहां जिन राज्यों का नाम लिया गया है वे हैं पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर, गुजरात एवं राजस्थान। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगी कि वे हिमाचल प्रदेश को भूल गये हैं जोकि एक सीमावर्ती राज्य है। हिमाचल प्रदेश शांतिमय राज्य है, तथा आज स्थिति यह है कि जो भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में जाता है वह शांतिमय वातावरण में रहता है तथा उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है। परन्तु हम दो राज्यों जम्मू कश्मीर तथा पंजाब के बीच जहां पर अत्यधिक अशांति है, फंसे हुए हैं। मैं गृह

[श्रीमती चन्द्रेश कुमारी]

मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे इस बात पर ध्यान दें तथा वहां पर तैनात हमारी भारतीय पुलिस बल में वृद्धि करें ताकि वहां शांति बनी रहे। इसके अतिरिक्त मैं महिला होने के नाते मंत्री जी को बधाई दूंगी कि उन्होंने महिला बटालियन बनाने का भी निर्णय किया है। परन्तु मैं यह अनुरोध करूंगी कि वे हिमाचल प्रदेश को ध्यान में रखें तथा इसे अपना पूरा कोटा मिले।

प्रो० मधु दण्डवते : बटालियन के प्रति वह अत्यधिक विशाल हृदय हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : तथा हिमाचल प्रदेश बटालियन के प्रति भी।

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी : वर्तमान में विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों को हमने देखा है। वे अपने राज्यों में समान-विरोधी तत्वों एवं हिंसात्मक कार्यवाही को रोकने में असफल रहे हैं। अधिकांशत: विरोधी पक्ष इसकी अवहेलना कर देते हैं। वे लोग राज्य में अस्थिरता पैदा करने के लिये लोगों को उकसाते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप कर्नाटक की बात कर रही हैं ?

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी : मैंने सभी विरोधी दलों की सरकारों के बारे में कहा है। उदाहरण के लिये आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है। जब एक माननीय सदस्य की पिटाई हुई तो पश्चिम बंगाल सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि वे अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिये, लोगों को उकसाते हैं तथा ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जिससे अस्थिरता व्याप्त हो तथा लोगों को उससे डर पैदा हो, तथा इस समय उन राज्यों के लोग संरक्षण तथा सहायता के लिए केन्द्र सरकार की मदद चाहते हैं।

इसीलिए मैं समझता हूं कि सभी प्रकार की हिंसा और हिंसक कार्यवाहियों को दबाने के लिए तथा प्रमुखत: कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है तथा यह देश के हित में होगा। यह कार्य केन्द्र सरकार को करना चाहिए न कि राज्य सरकारों को।

अन्त में मैं आपके द्वारा सरकार के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगी। महोदय, यह समस्या वास्तव में मेरे चुनाव क्षेत्र से सम्बन्धित है, तथा यह समस्या समस्त देश से इतनी अधिक नहीं जुड़ी है, साथ ही साथ यह एक ऐसी समस्या भी है, जहां केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह कुछ कार्यवाही करे। पोंग बांध के विस्थापितों को जो कि पोंग बांध के निर्माण करने पर वहां से विस्थापित हो गए थे, राजस्थान में बसाया गया है, जब से वे राजस्थान में बसे हैं। तभी से कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों ने बार-बार उनकी फसलें जलाई हैं, बार-बार वहां हत्यायें हुई हैं, बार-बार उन्होंने उनके घर जलाये और लूटे हैं, इत्यादि। उनकी यह स्थिति है, सौभाग्य से मिर्धा जी राजस्थान से हैं इसलिए वे इसे नोट कर सकेंगे। (व्यवधान)

सौभाग्य से, मैं राजस्थान में पैदा हुई हूं यद्यपि हिमाचल प्रदेश में मेरी शादी हुई। इसीलिए मैं हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हूं और मुझे दोनों के बारे में बोलना है। मैं इस सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगी कि ये लोग हमेशा से लगातार दुःखी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बार-बार राजस्थान सरकार को लिखा है ये लोग बार-बार राजस्थान सरकार के पास गये हैं मैंने भी उन्हें लिखा है परन्तु प्रत्येक बात को अनसुना कर दिया जाता है। इसीलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगी कि इन लोगों की दशा को, जो कि दर्दनाक है देखें। उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, आखिर इन लोगों ने देश के हित में अपनी जमीन दी है, उन्होंने अपनी जमीन और लाभ त्याग दिये हैं और राजस्थान में बस गये हैं। इसीलिए, मैं उन सभी लोगों से जो इस पानी से लाभान्वित होने जा रहे हैं, अनुरोध करूंगी कि वे इन लोगों की देखभाल के लिए सहायता करें। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शरद दिघे।

प्रो० मधु दंडवते : यह विपक्ष पर एक मीठा प्रहार है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक सुन्दर हमला है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दिघे।

प्रो० मधु दंडवते : श्री तिवारी के बारे में क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी सबको उत्तर देंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : सभी की मांग पर मुझे बोलने दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : हर कोई उत्सुकता से प्रो० तिवारी के लिए इन्तजार कर रहा है। चिन्तित न हों।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब आपको यह करना पड़ेगा। आप कुदाल आयोग की रिपोर्ट को प्रकाशित करिये और हम इसका ख्याल रखेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शरद दिघे।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ मुद्दे इस सभा के समक्ष रखना चाहूंगा। निसंदेह इस सीमित समय में मैं उन सभी मदों को जिन्हें मैं रखना चाहता हूं नहीं कह पाऊंगा लेकिन मैं उनमें से कुछ का सरसरी तौर पर जिक्र करूंगा। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में यह ठीक ही कहा गया है कि कानून और व्यवस्था मूलतः राज्यों की

[श्री शरद दिघे]

जिम्मेदारी है और केन्द्र इसमें देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाली प्रवृत्ति और घटनाओं पर लगातार निगरानी रखने के कारण ही सामने आता है। अत वास्तव में जिम्मेदारियां मूलत: राज्यों की हैं। परन्तु जब कभी राज्य अपने यहां कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाता है या जब राज्यों और राज्यों में झगड़े होते हैं या केन्द्र और राज्य के बीच झगड़े होते हैं, तब केन्द्रीय सरकार की स्वयं ही अधिक जिम्मेदारियां हो जाती हैं।

अब मैं सामान्य या प्रमुख समस्याओं जैसे वर्तमान पंजाब, असम आदि की समस्या पर नहीं बोलूंगा, पंजाब समस्या पर अच्छी प्रकार से, विस्तार में इस सभा में चर्चा की गयी है और कुछ सदस्यों आज के वाद-विवाद में भी इस समस्या के बारे में अपने विचार जाहिर किये हैं। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री महोदय ने हस्तक्षेप करते हुए सही रूप में कई अच्छे प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, जिन्हें उन्होंने पहले ही लागू करना आरम्भ कर दिया है या जहां तक विशेषत: सीमा से लगे राज्यों का प्रश्न है वहां वे इन्हें शीघ्र ही लागू करना चाहेंगे, क्योंकि सीमा से लगे राज्य कानून और व्यवस्था की समस्या के प्रति संवेदनशील हैं और हमें इस विषय में अधिक रुचि लेनी है या हमें इन राज्यों पर अधिक ध्यान देना है। मैं केवल यही सुझाव दूंगा कि आतंकवादियों या उग्रवादियों या दूसरे उपद्रवियों द्वारा अपनाये गये नये तरीकों को ध्यान में रखते हुए, अब समय आ गया है कि हम अपने पुलिस के संगठन, अर्धसैनिक बल और भारतीय पुलिस सेवा को भी एक नया रूप दें, चूंकि पुराने तरीके अब अधिक उपयोगी नहीं हैं। अब हम देख रहे हैं कि पंजाब में हर रोज निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। परन्तु हम अपराधियों को ढूंढने में सफल नहीं हो पाये हैं। किसी को भी गिरफ्तार या दण्डित नहीं किया गया है। इसलिए पुलिस के गुप्तचर विभाग का, चाहे वह राज्यों का हो या केन्द्र का, इस प्रकार से पुनर्गठन करने की आवश्यकता है जिससे आतंकवाद को रोका जा सके या जब कभी अपराध किया जाता है तो अपराधी व्यक्ति को ही दण्ड दिया जा सके ताकि जनता की अच्छी प्रतिक्रिया हो और भविष्य में लोग आतंकवाद का रास्ता अपनाने की कोशिश न करें।

हमने समय-समय पर विभिन्न बैंक अपराधों के बारे में भी पढ़ा है। हमने यह पढ़ा है कि बम्बई में लगातार चार बैंक डकैतियां हुई हैं। वर्तमान व्यवस्था इतनी पर्याप्त नहीं है कि इन अपराधियों को गिरफ्तार कर सके या उन अपराधियों को दण्डित कर सके। अत:, इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्य दल समस्त भारत में बनाये जाने चाहिए ताकि हम इन नयी चुनौतियों का मुकाबला कर सकें।

मैं नहीं जानता कि क्या जेल प्रशासन गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आयेगा या संघीय सरकार किसी प्रकार से उसके लिए जिम्मेदार होगी। परन्तु हाल ही में तिहाड़ जेल से चार्ल्स शोभराज का भागना, हमारे लिए एक सबक है। यदि जेल प्रशासन इतना गिर सकता है कि उन्हें आसानी से घूस दी जा सकती है उन्हें मिठाई के साथ जहर दी जा सकती है और वहां अपराधी अन्य कैदियों के साथ कारों में भाग सकते हैं तथा कोई उन्हें नहीं रोक सकता तो हमें इसको फिर से एक नया रूप देना होगा। समाचार-पत्रों में शिकायतें और रिपोर्टें छपी हैं कि ये कुख्यात अपराधी और तस्कर जेल में आनन्दमय

जीवन व्यतीत करते हैं। अत: जेल प्रशासन को एक नया रूप दिया जाना चाहिए।

राज्यपालों के बारे में मैं कहूंगा कि यद्यपि राज्यपालों की नियुक्ति और उनको पद से हटाने का काम राष्ट्रपति की संवैधानिक जिम्मेदारी है फिर भी वह गृह मंत्रालय की सलाह पर कार्य करते हैं। इन सभी सालों के दौरान हम राज्यपालों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कतिपय सिद्धांत नहीं बना पाये हैं। पहले हम सेवा निवृत्त हुए राजनीतिज्ञों या बहिष्कृत राजनीतिज्ञों को इस पद पर नियुक्त किया करते थे। हम कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों, एयर मार्शल, सेना के लोगों को भी नियुक्त करते हैं। मेरा सुझाव है कि राज्यपालों की भारी जिम्मेदारियों को देखते हुए, यद्यपि वे राज्य के वैधानिक अध्यक्ष हैं और वे अपने बहुत से कार्यों को मंत्री-परिषद की सलाह पर करते हैं फिर भी वे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं और उन्हें केन्द्र को राज्य की सही स्थिति का बयान करना है। अत: इस बात से, इस भारी जिम्मेदारी की वजह से, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से इसके लिए संघीय सरकार द्वारा इसे एक नया रूप दिया जाना चाहिए और नयी नीति बनानी चाहिए। हमारी कई नयी नीतियां हैं, हमारी लम्बे समय की वित्तीय नीति हैं, हमारी शिक्षा नीति है, हमारी दवा नीति है। इस प्रकार की सभी नीतियां हम निर्धारित कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब इतने वर्षों के पश्चात, इन अनुभवों के आधार पर हमें कोई नीति बनानी चाहिए कतिपय मार्ग निर्देशी सिद्धांत निर्धारित करने चाहिए ताकि वे लोग जो अधिक एकता में विश्वास रखते हैं, लोग जो अधिक विद्वता रखते हैं लोग जो इस भार को अधिक कुशल पूर्वक झेल सकते हैं उन्हें इस पद के लिए आगे लाया जाये और समस्त देश में फिर कोई भी राजनैतिक विवाद इसकी वजह से उत्पन्न न हो। उनका ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि वे सारे भारत में आदर भाव से देखे जाते हों और लोग उनके फैसले का आदर करते हों। कोई भी ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए जहां विश्वविद्यालय की सीनेट राज्यपाल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तक पारित कर दे और फिर उन्हें पद त्याग करना पड़े। यह राज्यपाल जैसे पद के संस्था के लिए कोई अच्छी बात नहीं है यही मेरा निवेदन है। अत: संविधान के अन्तर्गत बनाये गये राज्यपाल के पद को इस दृष्टिकोण से भी उचित परिप्रेक्ष्य में देखना होगा और नया दृष्टिकोण अपनाना होगा ताकि हम अच्छे व्यक्तित्व के ऐसे लोगों को प्राप्त कर सकें जो अपने कार्य को अधिक कुशलता से निभा सकें। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय पर··· (व्यवधान) ·· जब भी बहस होती है तो उसका एक विशेष महत्व होता है और माननीय सदस्य और सदन उसमें बहुत ही दिलचस्पी रखता है। यह स्वाभाविक है कि जो जिम्मेदारी केन्द्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई है, हमारे राष्ट्र की एकता और आंतरिक सुरक्षा से उसका सीधा सम्बन्ध है। यों तो सामान्य रूप से जो कानून और व्यवस्था का विषय है, हमारे संविधान में वह राज्य सरकार के कार्य-क्षेत्र में आता है, लेकिन फिर भी इसमें कई ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो कानून और व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। देश की एकता और संगठन से उसका सम्बन्ध रहता है और इन सब परिस्थितियों पर विचार करना, उनपर ध्यान देना, उनके लिए सचेष्ट रहना गृह मंत्रालय के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से जो भी जिम्मेदारी हमारे मंत्रालय की है वह बहुत ही बड़

[श्री राम निवास मिर्धा]

जाती है।

सदन में जो विचार रखे गए, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि उसमें पुलिस और जो हमारे अर्ध-सैनिक-बल हैं, वे कितनी मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए भी काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और सहृदयता दिखाई। इसके बारे में क्या सुझाव हों, किस तरीके से सुधारा जाये, पुलिस कमीशनों ने क्या विचार रखे हैं, इन सब बातों के बारे में हमारा प्रशासन जागरूक है। चाहे वह जेल प्रशासन हो या पुलिस की कार्य-क्षमता बढ़ाने का प्रश्न हो इन सब पर हम पूरी निगरानी रखते हैं और विचार करते हैं। इनमें कई ऐसे सुझाव हैं जो कमीशनों द्वारा दिए गए हैं। उन पर हमने काम किया है और जो राज्य सरकारों के विचार हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है। हमेशा इन सब बातों को सामने रख कर इन कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इन दैनिक परिस्थितियों, समस्याओं से निपटना भी गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे निभाने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं।

हमारा देश एक बहुत बड़ा महान देश है। इसमें कई तरह के धर्म हैं, जातियां हैं, भाषायें हैं, सांस्कृतिक प्रवृत्तियां हैं, इन सभी को संगठित रखना और राष्ट्रीय एकता का पोषण करना हमारे मंत्रालय का एक मुख्य दृष्टिकोण है। इसके लिए कई संस्थागत कदम उठाए गए हैं। विशेष तौर से राष्ट्रीय एकता परिषद के सम्बन्ध में सदन अच्छी तरह से परिचित है। आरम्भ में 1961 में परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद ने तब से लेकर आज तक काफी रचनात्मक कार्य किए हैं। इसी बात को स्वीकार करते हुए इस परिषद का पुनर्गठन किया गया है। कुछ ही दिन पहले इस पुनर्गठित परिषद की मीटिंग हुई थी। वह मीटिंग तो विशेष रूप से पंजाब समस्या के बारे में थी लेकिन वहां पर निर्णय लिया गया है कि इस परिषद को स्थायी रूप से रखा जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि साल में कम से कम दो दफा परिषद मिले। एक स्थायी समिति का भी निर्माण किया गया, बाबू जगजीवन राम जी की अध्यक्षता में, जो कि समय-समय पर मिलती रहेगी और सरकार तथा राष्ट्र के सामने अपने विचार रखेगी ताकि राष्ट्रीय एकता के विषय में विचार-विनिमय हो सके। कुछ ऐसा विचार आया था, श्री बशीर ने कहा कि कोड आफ कंडक्ट होना चाहिए। पहली वाली जो कौंसिल थी उसने काफी गम्भीरता से इस पर विचार किया था, एक प्रारूप भी तैयार किया था लेकिन कुछ मतभेद होने के कारण वह स्वीकार नहीं किया जा सका। मैं यही आशा करता हूं कि जब पुनर्गठित कौंसिल अपना कार्य प्रारम्भ कर देगी तो इन सब बातों पर विचार हो सकेगा लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इन विचारों को साकार रूप देने के लिए सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं या अन्य व्यक्ति हैं उन सभी का पूर्ण सहयोग होने से ही इसमें हमें कामयाबी मिल सकती है। यह जो स्थायी समिति बनाई गई है उसमें सारे गैर-सरकारी व्यक्ति हैं, सरकार के मंत्री इत्यादि उसमें नहीं रखे गए हैं लेकिन हमारा मन्त्रालय उसमें पूरी मदद देगा। हम चाहते हैं सरकार से हटकर हमारे देश के कुछ प्रतिष्ठित नागरिक इन बुनियादी समस्याओं पर विचार-विमर्श करें और सरकार तथा राष्ट्र को सुझाव दें कि किस प्रकार से राष्ट्रीय एकता मजबूत की जा सकती है और इसके रास्ते में जो अड़चनें आती हैं उनको

हम किस तरह से हटा सकते हैं।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है। यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसकी विशेष समस्यायें भी हैं। सरकार इन विशेष समस्याओं को, इन विशेष परिस्थितियों को ठीक तरह से समझती है और उनके निराकरण के लिए भी हमने कई कदम उठाए हैं। एक नार्थ ईस्टर्न कौंसिल का निर्माण किया गया है जिसके बारे में मैं आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन उत्तर पूर्वी क्षेत्र का आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास तेज गति से हो, इसके बारे में सरकार ने कई कदम उठाए हैं और इसपर विशेष ध्यान रखा गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में सारे भारतवर्ष में फी व्यक्ति योजना का जो खर्च रखा गया था वह 851 रुपए था जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फी व्यक्ति योजना खर्च 1447 रुपए था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फी व्यक्ति खर्चा 2750 रुपए है जबकि सारे देश का औसत 1483 रुपए ही आता है।

इससे पता लग जाएगा कि इस पर हम विशेष तौर से ध्यान दे रहे हैं। छठी योजना में सड़कों के लिए 102 करोड़ रुपये खर्च किए गए और सातवीं योजना में सड़कों के लिए 290 करोड़ रुपये खर्च के लिए रखे गये हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आने-जाने की व्यवस्था ठीक हो। संचार व्यवस्था में सुधार हो। हमारा संचार विभाग भी विशेष तौर से इसके बारे में सतर्क है। कई सैटेलाइट की योजनाएं आज भी चल रही हैं और नई सैटेलाइट योजना बनाकर दूर संचार की व्यवस्था को ठीक किया जाए, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, इसके बराबर प्रयास किए जा रहे हैं।

श्रीमन्, अभी मैंने उत्तर-पूर्वी काउन्सिल का उल्लेख किया। यह काउन्सिल सदन के द्वारा 1971 में बनाए गए कानून के आधार पर बनाई गई है। यह ऐसी योजना है जो कि राज्यों और यूनियन टैरेटरीज से जो इनका संबंध है, उन पर विचार-विमर्श करती है। उनका एक विशेष बजट है। सारे क्षेत्र में किस प्रकार से आवागमन ठीक हो, उनकी शिक्षा का स्तर अच्छा हो, तकनीकी शिक्षा का स्तर अच्छा हो—इन सब बातों पर विचार किया जाता है। छठी योजना में उत्तर-पूर्वी काउन्सिल का बजट 340 करोड़ रुपये था, जो सातवीं योजना मे बढ़ा कर 675 करोड़ रुपये कर दिया गया। नार्थ ईस्ट में एक पुलिस एकादमी कायम की गई है, ताकि वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जा सके। हमारे मंत्री महोदय, श्री अरुण नेहरू, ने बताया कि आजकल प्रशिक्षण पर कितना जोर दिया जा रहा है, क्योंकि उसके बगैर न तो हमारे कर्मचारियों में दक्षता आ सकती है और न उनका कुछ ऐसा विवेक हो सकता है कि वे आज की परिस्थितियों में किस प्रकार काम करें।

पुलिस एकादमी के साथ-साथ नार्थ-ईस्टर्न-रीजनल-इन्स्टीचूट-आफ-साइंस-एंड-टैक्नोलॉजी, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर में प्रारम्भ किए जाने की योजना है। उस पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। उस क्षेत्र में मानव संसाधन किस प्रकार बढ़ सकें, मैनपावर डेवलपमेंट किस प्रकार हो, उसके लिए संस्थान काफी बड़ा काम करेगा। एक मिसाल मैं और देना चाहता हूं। ब्रह्मपुत्र पर एक दूसरा पुल बनने वाला था, तेजपुर के पास, वह करीब-करीब सम्पूर्ण हो गया है। यह भी उत्तर-पूर्वी काउन्सिल की योजना थी। इस काउन्सिल की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और सरकार का यह मत है कि इस काउन्सिल को भी और ज्यादा सक्षम बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा इसको सहायता देकर,

[श्री राम निवास मिर्धा]

मदद देकर, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सामान्य समस्याएं हैं, जो सारे या कुछ क्षेत्रों के लिए मिली-जुली हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

एक विषय और है, जो कई माननीय सदस्यों ने उठाया है, वह है स्वतन्त्रता सैनिकों के बारे में। स्वाभाविक ही है कि इस विषय पर सब माननीय सदस्यों की रुचि होगी। उसमें अगर कोई देरी हो, कमी हो, खामी हो, तो उसको मिटाकर जल्दी से जल्दी काम कर सकें, उसके बारे में बताया गया है। यह योजना 15 अगस्त, 1972 में प्रारम्भ की गई थी। उस समय सौभाग्य से मैं गृह मंत्रालय में था। तब से यह योजना किस प्रकार आगे बढ़ी है, मैं व्यक्तिगत रूप से काफी दिलचस्पी लेता रहा हूं। अगस्त 1980 में इसको एक वृहद रूप दिया गया और बहुत ज्यादा उदार बनाया गया। उसमें जो कई बंदिशें थीं, उनको हटाकर एक बहुत अच्छी योजना बनाई गई। लेकिन श्रीमन्, जैसा माननीय सदस्य जानते हैं, मुख्य रूप से जो भी सबूत यातनाओं के बारे में, जेल इत्यादि के बारे में हैं, वे राज्य सरकारों के पास ही हो सकते हैं। इसलिए उनके सहयोग के बगैर इस मामले को हम बहुत अच्छी तरीके से या जल्दी तरीके से निपटा सकें, यह संभव नहीं होता है। आज तक हमने 1,38,352 व्यक्तियों को पेंशन मंजूर की है। उसके साथ साथ 2,36,134 मामले अस्वीकार किए गए, क्योंकि उसमें जो शर्तें थीं, वे पूरी नहीं पड़ती थी। मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि आप लोगों के पत्र मेरे पास आते हैं, राज्य सरकारों की मार्फत भी आते हैं, उसमें कुछ ऐसी बातें उल्लिखित होती हैं, जो सारी योजना में किसी तरह से फिट नहीं पड़तीं।

इसलिए कई को अस्वीकार करना पड़ता है लेकिन उनके बारे में पुनः प्रार्थना पत्र आते रहते हैं, प्रतिवेदन आते रहते हैं, जिससे काम और बढ़ जाता है। आज स्थिति यह है कि 72067 मामले पेंन्डिंग हैं और विचाराधीन हैं। मुख्य रूप से दो राज्य थे, बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां पर ऐसे केसेज पेंन्डिंग थे। पिछले वर्ष बिहार ने काफी तत्परता दिखाई और 1985-86 में 20 हजार मामलों में बिहार सरकार ने अपनी रिपोर्ट भेजी। उन्होंने अपनी मशीनरी को काफी सतर्क किया लेकिन पश्चिम बंगाल से पिछले वर्ष केवल 2138 मामलों में ही रिपोर्ट आ सकी है। हम उनके सम्पर्क में हैं और यह भी सोच रहे हैं कि एक विशेष समिति केन्द्रीय स्तर पर बनाई जाए गैर-सरकारी प्रतिष्ठित व्यक्तियों की, जो इस समस्या के जानकार हैं ताकि पश्चिम बंगाल के जो भी मामले रुके हुए हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी निपटा सकें। राज्य सरकारों के साथ हमारा सम्पर्क रहता है, हमारे अधिकारी भी जाते रहते हैं और हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी मामले रुके हुए हैं, वे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : अकेले पश्चिम बंगाल में ही ऐसा क्यों है, दूसरे प्रांतों में क्यों नहीं है।

श्री राम निवास मिर्धा : इसके कई वजूहात हैं। पश्चिम बंगाल सरकार से हमने कई बार बात की है और हम उनके सम्पर्क में हैं और जल्दी निर्णय लेने वाले हैं। हम चाहते हैं कि खुद केन्द्रीय स्तर पर एक गैर-सरकारी सदस्यों की समिति बन जाए, जो मामलों को स्क्रीन करके जल्दी निपटा सके

क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल के मामले निपट जाते हैं, तो हमारे पास बहुत कम मामले रह जाते हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि इस वर्ष में करीब-करीब सारे के सारे मामले निपट जाएं और हम इसके लिए एक बड़ा भारी अभियान चलाने वाले हैं।··· (व्यवधान) · पश्चिम बंगाल के कई मामले हैं। जमीन फ्रीहोल्ड हो, उसके बारे में भी उल्लेख किया गया। यह मामला विचाराधीन है लेकिन यह निर्णय देना कि जो शहरी क्षेत्र की जमीन है, उसको लीजहोल्ड पर न देकर फ्रीहोल्ड पर दिया जाए, यह एक राष्ट्रीय नीति से संबंधित है और सारे देश में अभी तक यही नीति रही है कि शहरी क्षेत्र में जो जमीन है उसको फ्रीहोल्ड पर न देकर लीजहोल्ड पर दिया जाए। आपको संभवत: मालूम होगा कि दिल्ली के मामले में कई बार इस प्रकार की मांग की जाती है और माननीय सदस्य यहां पर उसका उल्लेख करते हैं। इसलिए जब तक इसका संबंध उससे है, तब तक इस पर निर्णय लेना मुश्किल होगा। कई कालोनीज रेगुलेराइज की जा चुकी हैं।

प्रो० मधु दंडवते : एक सुझाव यह है कि 1946 में रायल इन्डियन नैवी के रिवोल्ट में जो लोग शामिल हुए थे, जैसे आई० एन० ए० के लोगों को स्वतन्त्रता सेनानी समझा जाता है, उसी तरह से रायल इन्डियन नैवी का जो रिवोल्ट हुआ कलकत्ता, बम्बई और कराची में और उसमें जो लोग शामिल हुए, उनको भी स्वतन्त्रता सेनानी समझा जाना चाहिए। यह अभी तक हुआ नहीं है।

श्री राम निवास मिर्धा : इस प्रकार के और भी सुझाव हमारे पास आते रहते हैं और हम उन पर विचार करके उनको स्वीकार करते रहते हैं जैसे भूतपूर्व निजाम हैदराबाद का जो राज्य था, 1938-39 में वहां पर आर्य समाज का आन्दोलन चला था, पहले उनको स्वतन्त्रता सेनानी स्वीकार नहीं किया गया था इस योजना के लिए लेकिन बाद में उसे स्वीकार कर लिया गया है। इसी प्रकार से पुराने हैदराबाद राज्य में, वहां पर स्वतन्त्रता संग्राम के सिलसिले में कई कैम्प लगे थे और लोग उन कैम्पों में जाकर रहे थे। पूरा विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि जो उन कैम्पों में रहे थे, उन्हें स्वतन्त्रता सेनानी की परिभाषा में लाया जाए। इस तरह से जो भी सुझाव आते हैं, सारी परिस्थितियों को देखते हुए, उनको किस प्रकार से इसमें जोड़ा जा सके, इसकी पूरी कोशिश की जाती है और इसमें काफी उदारता बरती जाती है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह ऐसी समस्या है, जिस पर दो मत नहीं हो सकते और इन स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रति राष्ट्र बहुत ही अनुगृहीत है।

उन्हीं की वजह से हमें स्वतन्त्रता मिली और जो कुछ भी हम उनको दे रहे हैं वह तो केवल सांकेतिक चीज है। जो उन्होंने किया, जो यातनाएं उन्होंने सहीं, जिनकी वजह से हमें स्वतन्त्रता मिली, उनका कोई मोल हो ही नहीं सकता। सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इस योजना के अन्तर्गत जो भी लाभ उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है, जल्दी से जल्दी मिल सकता है उसके बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय लिये जाएं और सबको राहत पहुंचाने की कोशिश की जाए। रेलवे के पास है और भी कई चीज हैं जिनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, माननीय सदस्य उनको जानते हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप भाषा की बात कर रहे हैं। इसलिए आप हिन्दी में बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, आखिर में भाषा के सम्बन्ध में कई बातें कही गई। यह भी कहा गया कि जो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने विश्वास दिलाया था, हिन्दी और अंग्रेजी के सिलसिले में उसको पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया जाता। श्रीमन् यह बात सही नहीं है। पंडित जी के समय जो भी इस सम्बन्ध में नीति थी, उसको एक कानूनी शक्ल दे दी गई है, उसी के आधार पर हम सब चल रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हिन्दी को किसी क्षेत्र पर थोपा जाना सरकार की नीति नहीं है। स्वैच्छा से सब कुछ हो। जैसा कि बताया गया कि हिन्दी अपने आप, स्वयं अपनी योग्यता की वजह से बढ़ रही है, एक सम्पर्क भाषा के रूप में उभर रही है और हमें इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए।

सरकार की नीति द्विभाषी है। सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी, अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाए। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि हिन्दी में अधिकारीगण काम बहुत कम करते हैं। इसलिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको एक तरह से हिन्दी शिक्षण देने की बहुत बड़ी योजना हमारा मंत्रालय चला रहा है। (व्यवधान) मंत्रालय यह देख रहा है कि किस प्रकार से हिन्दी शिक्षण अपने अधिकारियों को दिया जाए। कई अधिकारी दक्षिण क्षेत्र के भी हैं जो हिन्दी का प्रयोग करते हैं और हिन्दी के हामी हैं। किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा हिन्दी का उपयोग किया जाए, सरकारी कामकाज के लिए किया जाए, इसके लिए सरकार ने कई पारितोषिक शुरू किए हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : किन्तु कट्टरवाद, भाषायी कट्टरवाद के आगे समर्पण मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम निवास मिर्धा : और भी कई बातें शुरू की हैं। हम चाहते हैं कि यह जो द्विभाषिक नीति है यह चले। हम इस द्विभाषिक नीति को बहुत अच्छी तरह से चला भी रहे हैं। हमारा एक राजभाषा विभाग है जो इस सारी व्यवस्थाओं को देखता है। केन्द्रीय अनुवाद ब्यौरो है जो दूसरे मंत्रालयों को सहायता देता है, मदद देता है। हम यही चाहते हैं कि हिन्दी और अंग्रेजी हमारे देश में जिस तरह से चलें वह कानूनी स्वरूप लेकर चलें।

श्रीमन् आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियां हैं और जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए, उनके बारे में शायद पूर्ण रूप से उनको जवाब नहीं मिल सका हो लेकिन हम उनको विश्वास दिलाते हैं जो बातें कही गई हैं उन पर हम पूरा विचार करेंगे और उनके सुझावों को कार्य रूप देने की कोशिश करेंगे। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति हम जागरूक हैं। देश में शांति रहे, सद्भावना का वातावरण बने, राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हो और राष्ट्र आगे बढ़ता रहे। (व्यवधान)

इन्हीं बातों के लिए टेलीफोन का उपयोग बहुत जरूरी है।

[अनुवाद]

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको समय दिया जायेगा। आप बोल सकती है।

डा० फूलरेणु गुहा : मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का मौका दंगा। आप उस समय स्पष्टीकरण मांग सकती हैं।

डा० फूलरेणु गुहा : मैं अभी स्पष्टीकरण चाहती हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, प्रो० के० के० तिवारी बोलेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रो० मधु दंडवते का धन्यवाद करता हूं...

(व्यवधान)

मैं आपको उत्तेजना दिलाने के लिए प्रो० मधु दंडवते का आभारी हूं। ..

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उत्तेजित करने के लिए नहीं। मुझे उत्तेजित नहीं किया जा सकता।

प्रो० के० के० तिवारी : वह आपको इसलिए उत्तेजित कर रहे थे ताकि आप मुझे बुलायें।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है। आपके अनुरोध के कारण आपको बुलाया है।

प्रो० मधु दंडवते : यह एक अनुनय था।

प्रो० के० के० तिवारी : जब मैंने सी० पी० आई० के सदस्य को गृह मंत्रालय की अनुदान

[प्रो० के० के तिवारी]

की मांगों पर बोलते हुए सुना तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ।

आज हमारे सामने अत्यन्त गंभीर मुद्दे हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में न टोकें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह उनका अंदरूनी मामला

प्रो० के० के० तिवारी : हम ऐसे में सभा का समय गैर-महत्वपूर्ण बातों के लिए बेकार न करें जबकि हमारे सामने अत्यन्त गम्भीर मामले हैं। किन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा है मुझे सी० पी० आई० के एक माननीय सदस्य द्वारा अभिव्यक्त देश के वामपंथियों की असमंजसता पर कुछ आश्चर्य हुआ है। ये बातें बिल्कुल अनर्गल थी।

जब हम गृह मंत्रालय की मांगों पर विचार करें तो हमें उन मुद्दों तक सीमित रहना चाहिए जो अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं सरकार का आभारी हूं···

प्रो० मधु दंडवते : कर्नाटक सरकार का।

प्रो० के० के० तिवारी : श्री राजीव गांधी का जिन्होंने वास्तव में खतरे को समझा। सरकार द्वारा खतरे को समझा गया और गृह मंत्रालय के अधीन आंतरिक सुरक्षा विभाग बनाया गया और हमें प्रसन्नता है कि इस मंत्रालय का काम एक ऐसे व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है जिसकी क्षमता और कुशलता के सम्बन्ध में कभी संदेह नहीं रहा और जिन्होंने सही समय पर सही प्रतिक्रिया की है···

श्री सोमनाथ चटर्जी : कौन से मंत्री ?

प्रो० के० के० तिवारी : समस्याएं सुलझाने के बारे में। आज हमारे देश के अस्तित्व को खतरा है। हमारा देश अपने इतिहास में सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और हमें उसके अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हमारे देश की स्थिरता को, और वास्तव में हमारी स्वतंत्रता को भी खतरा है और यदि हम इन बातों को अनदेखा करने का प्रयत्न करते हैं तो हम अपने आपको केवल धोखा दे रहे होंगे। आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कुछ विदेशी मुद्रा भारत में आने की बात कही है। जब हम अस्थिरता और पृथकता की बात करते हैं तो देखते हैं कि लगभग 4 वर्षों से अलगाववादी ताकतें काम कर रही हैं, पंजाब में अलगाववादी और उग्रवादी सिर उठा रहे हैं। उत्तर-

पूर्व में कई दशकों से अलगाववादी सक्रिय हैं और दुर्भाग्यवश पिछले कुछ महीनों से देश में साम्प्रदायिकता और जातिवाद भड़काने की स्पष्ट कोशिशें की गई हैं। ये प्रतिक्रियावादी ताकतें मिलकर काम कर रही हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि कोई खुले दिमाग वाला व्यक्ति, जो देश की आंतरिक सुरक्षा और स्थायित्व के खतरे को सही परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयत्न करे वह निश्चय ही सही निष्कर्ष पर पहुंचेगा अर्थात ये कि आंतरिक विद्रोह फैलाने वाली ताकतों का पता लगाया जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर उनका मुकाबला किया जाना चाहिए।

आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने बताया है कि लगभग 2000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भारत में विभिन्न संगठनों में आई है···

श्री सोमनाथ चटर्जी : 200 करोड़ की।

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : केवल एक जीरो और जोड़ी गई है। यह 200 करोड़ रुपये की राशि है।

प्रो० के० के० तिवारी : अब वे इसे कम बता रहे हैं।

3.00 म० प०

प्रो० मधु दंडवते : उनमें से 1800 करोड़ इनके माध्यम से गए हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : ये पैसा आपके तथा आपके मित्रों के संरक्षण में चल रही एजेंसियों के माध्यम से जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पैसा उन संगठनों के माध्यम से आ रहा है जो, विदेशों में रहने वाले ऐसे तत्वों के पिछलग्गू हैं जो इस देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, इसे विभाजित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए इस सम्माननीय सदन में एक निर्णय लिया गया था जिसके अनुसार एक आयोग गठित किया गया था इसका नाम "कुदाल आयोग" है। (व्यवधान)

इस आयोग को कुछ संगठनों के देश में अस्थिरता पैदा करने वाली और विघटनकारी शक्तियों के साथ संबंधों का पता लगाने का काम सौंपा गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण तथा घृणास्पद है कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो ये काम राष्ट्रपिता के नाम पर कर रहे हैं। ऐसी संस्थाएं जो देश में अस्थिरता उत्पन्न कर रही हैं, विघटनकारी गतिविधियों में सक्रिय हैं वे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर काम कर रही हैं। कुदाल आयोग ने इन तथाकथित गांधीवादी संगठनों जैसे 'गांधी शान्ति प्रतिष्ठान' तथा ऐसे अन्य कई संगठनों जिनके संबंध इस देश में तथाकथित असैनिक स्वतन्त्रता के लिए काम कर रहे

[प्रो० के० के० तिवारी]

कुछ स्वयं सेवी संगठनों के साथ हैं। मैं यह जानना चाहता हूं और गृह मंत्री महोदय से सीधा प्रश्न पूछता हूं कि जब कुदाल आयोग ने 3000 पृष्ठों लम्बी चौड़ी रिपोर्ट, साक्ष्यों सहित पेश की तो क्या उन लोगों का पता लगाया गया जो किसी के निदेशानुसार अथवा स्वयं ही विघटनकारी गतिविधियों में लगे हुए हैं। यह रिपोर्ट सभा पटल पर क्यों नहीं रखी गई ? मैं जानना चाहता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है, आप इसकी मांग कीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इसे शीघ्र ही सभा पटल पर रखिए।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : वे कौन लोग हैं जो इस संस्था को बन्द कराने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, न्यायालयों में जा रहे हैं मुकदमें दायर कर रहे हैं, दांव पेंच लगा रहे हैं और प्रचार के माध्यम से राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं ? इसलिए इस सदन तथा माननीय गृह मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि वे कुदाल आयोग की रिपोर्ट को सबके सामने रखें। मुझे जानकारी मिली है कि ये एजेंसियां भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में सक्रिय हैं और ये एजेंसियों के माध्यम से··· **(व्यवधान)**

बाहर सक्रिय एजेंसियों जैसे सी० आई० ए० तथा अन्य घृणास्पद एजेंसियों के माध्यम से जानकारी भेज रही हैं। ये भारत का नक्शा तथा अन्य संवेदनशील सीमा क्षेत्रों के नक्शे भेज रही हैं। लोगों को रिपोर्ट के बारे में पता चलना चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन लोग भारत की अत्यन्त कठिनाइयों से प्राप्त की हुई स्वतंत्रता को खतरा पैदा कर रहे हैं, गांधीवाद की आड़ में छल-कपट कर रहे हैं और बातें गांधीवाद और गांधीवादी दर्शन की करते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कि आपने अंतरिम रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं। अंतरिम रिपोर्ट में उन्होंने 9 मामलों का हवाला दिया है। ये मामले सी० बी० आई० को सौंप दिए जाने चाहिएं तथा उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सी० बी० आई० ने सरकार को बताया था कि जहां तक इन सिफारिशों का सम्बन्ध है, कोई मुकदमा नहीं चलाया जाना है।

श्री अरुण नेहरू : यह सही नहीं है। कुछ लाइनों को पढ़कर ऐसा कहना सही नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय, यह सही है या नहीं ?

श्री अरुण नेहरू : जांच पूरी हो जाने पर हम आपको बता देंगे कि सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

प्रो० मधु दंडवते : आप सीधा जवाब क्यों नहीं देते ? उन्होंने उन मामलों की सिफारिश की है···(व्यवधान)।

श्री अरुण नेहरू : मैं सदस्य महोदय से यह सत्य कह रहा हूं। कुछ विशिष्ट मामले सी० बी० आई० को दे दिए गये हैं। सदस्य महोदय ने कहा है कि सी० बी० आई० ने सभी मामलों में किसी भी मामले का अस्तित्व न होने की बात कही है। यह एक गलत वक्तव्य है। वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (वक्सर) : मैं यह जानकर खुश हूं कि कांटा कहां चुभ रहा है। प्रो० मधु दंडवते, अंतत: अपने को रोक न सके और उत्तर दिया। मैं खुश हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप जय प्रकाश नारायन की अवमानना कर रहे हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है। आप उन्हें उनके जीते जी समाप्त नहीं कर सके। उनकी मृत्यु के पश्चात आप उन्हें जमीन में गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : आप समस्त गांधीवादी दर्शन एवं राष्ट्रीय एकता को समाप्त कर रहे हैं। राष्ट्र जानता है कि भारत के देशभक्त लोगों ने उन महात्मा के नेतृत्व में संघर्ष किया जिन्होंने न केवल राष्ट्र स्वतन्त्र कराया बल्कि शृंखलाओं में जकड़ी मानवता को मुक्त कराने का स्वातन्त्र्य आंदोलन भी शुरू किया। वही नाम आज विदेशी सहायता पर जी रहे जाली गांधीवादियों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप यहां बैठे असली गांधीवादियों को देख रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : ···इस राष्ट्र की सुरक्षा एवं राजनैतिक स्वतन्त्रता को भंग करने, अस्थिर एवं जोखिम में डालने के लिए विदेशी सहायता पर कौन जी रहे हैं। इसके बाद मैं इस तथा-कथित गांधीवादी प्रशासन के एक कुटिल एवं संदिग्ध भूमिका का निर्वाह करते, संबद्ध संगठन पर आता हूं। ये स्वैच्छिक संगठन है, मुझे आश्चर्य होता है कि गृह मंत्रालय अब तक क्या करता रहा है। अंतत:, हम लोग विधि के शासन (नियम) द्वारा शासित है। इस देश ने, इस सदन ने विधि के शासन को अपना मार्ग-निर्देशक सिद्धांत मान लिया है। तब पी० यू० सी० एल० तथा पी० यू० डी० आर० जैसी संस्थाओं पर विधि का नियम क्यों नहीं लागू होता ? पंजाब में क्या हुआ ?

जांच आयोगों का गठन किन नियमों के अन्तरगत किया जा रहा है—केवल उन्हीं क्षेत्रों में जहां साम्प्रदायिक दंगे होते हैं और जहां विध्वंशकारी तत्व सक्रिय हैं। पंजाब सरकार के सांप्रदायिक

[प्रो० के० के० तिवारी]

ऐक्य स्थापित करने के प्रयत्नों के संबंध में पीपुल्स लिबर्टी फार सिविल लिबर्टी एकतरफा और हानिकारक खबरें प्रकाशित करती रही है। पंजाब में बहुत-सी खबरे प्रसारित की गई हैं और अनेकों मुकदमें फाइल किए गये हैं ··**···के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा कायम है और राजद्रोह के कागजात तैयार किये जा रहे हैं। मेरा आरोप यह है मैं भारत सरकार के आंतरिक सुरक्षा मंत्री से आशा करूंगा कि वे इस पर अवलोकन करे और खोजे तथा इस सदन को बतायें कि इन स्वैच्छिक संगठनों के कैसे विदेशी संबंध है और कैसे वे विदेशी सहायता और उकसावे पर खुलेआम तोड़फोड़ की गतिविधियों में संलग्न है। इसलिए जब तक इनको धक्का नहीं पहुंचाया जाता। हमारी एकता और स्वतन्त्रता को सचमुच खतरा बनी रहेगी।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुन्टूर) : पूरे नाम बताइए। पी०यू०सी०एल० तथा पी०यू०डी०आर० क्या है, हम नहीं जानते।

प्रो० के० के० तिवारी : पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज तथा पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स। इन संस्थाओं को सी० आई० ए० द्वारा हमारे शत्रुओं द्वारा धन दिया जा रहा है और वे मनमुटाव, विभाजन और तोड़फोड़ की गुंजाइश उत्पन्न कर रहे हैं। इसकी जांच की जाये। पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य भी मौजूद है यदि सरकार इस विषय पर गहराई में जाने के लिए तैयार हो तथा इन लोगों के संबंध पता लगाने के लिए कोशिश करे···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : ये श्री राम स्वरूप द्वारा लगाये गये आरोपों की तरह ही हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं जानता हूं कि इससे प्रो० मधु दण्डवते को चोट पहुंची है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : अपनी राष्ट्रनिष्ठा तथा अपनी देश भक्ति के सम्बन्ध में मुझे कांग्रेसियों से किसी प्रकार के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है।···

प्रो० के० के० तिवारी : सदन में केवल यह कहकर आप···सिद्ध करने में समर्थ नहीं होंगे···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे उनसे राज्य भक्ति की शिक्षा लेने में मुझे काफी विलम्ब हुआ है।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० के० के० तिवारी : जो भी यह महत्वपूर्ण है वह है आपके द्वारा अपनाया दर्शन—राजनैतिक विचारधारा। यदि आप तोड़फोड़ की विचारधारा का अनुगमन करें···

प्रो० मधु दण्डवते : जब वे जय प्रकाश नारायन के बारे में बात कह सकते हैं, तो वे महात्मा गांधी को···कहते·····**···

प्रो० के० के० तिवारी : गांधी भी अपने नाम पर कार्य कर रहें देशद्रोहियों को नहीं स्वीकार करते।

प्रो० मधु दंडवते : जब वह जयप्रकाश नारायन के बारे में इस तरह की बात कहते हैं, तो वह गांधी के बारे में कर सकते हैं।

श्री अरुण नेहरू : उन्होंने जयप्रकाश नारायन के बारे में इस प्रकार से बात नहीं की है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अभी-अभी उन्होंने यह कहा है।

प्रो० के० के० तिवारी : आप सी०आई०ए० को बचा रहे हैं···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : दरअसल, मैंने प्रो० दंडवते को बचाना चाहता हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने यह नहीं कहा। मैंने प्रो० दंडवते को सी०आई०ए० का अभिकर्ता नहीं कहा।

प्रो० मधु दंडवते : यदि वह हमें सी०आई०ए० के अभिकर्ता ठहराना चाहते हैं, तो वे हमें अदालत में ले जाये हम इसका सामना करेंगे। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप कैसे कह सकते हैं कि प्रो० दंडवते तोड़-फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को मदद देने के अपराधी हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : कार्यवाही वृत्तांत का अध्ययन कीजिए। उन्होंने कहा है कि जूती उनके पैरों में ठीक आती है। उन्होंने यह कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई वैयक्तिक आक्रमण हुआ है मैं इसे निकाल दूंगा।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं कहने में संकोच नहीं करता कि जनता पार्टी में कुछ लोग हैं···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं जनता पार्टी की ओर से आपत्ति प्रकट करता हूं। जनता पार्टी का एक भी ऐसा सदस्य बताओ जो सी०आई०ए० से संबंध रखने का अपराधी है, मैं संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा। मैं इसे ललकारता हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : उन्हें सिद्ध करने दीजिए कि जनता पार्टी के लोग सी० आई० ए० के अपराधी हैं। हर चीज की एक सीमा होती है। हम इसे सहन नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण अय्यर, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : क्रूर प्रकार के आरोप जो कुछ मन्त्रियों के विरुद्ध लगाये गये हैं··· **(व्यवधान)**···तब हम यह कहते हुए मन्त्रियों के साथ हैं कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यहां एक सज्जन हैं जो यह कहने का दुस्साहस रखते हैं कि जनता पार्टी के सदस्य सी०आई०ए० के अभिकर्ता हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं यह कहने का साहस रखता हूं···**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : यदि आप यह कहने का दुस्साहस रखते हैं, मैं आपत्ति करता हूं। यदि आप सिद्ध कर दें कि जनता पार्टी के लोग सी०आई०ए० के एजेंट हैं, मैं संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देने को तैयार हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० तिवारी, कृपया अपनी सीट ग्रहण कर लें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई तर्क नहीं करना चाहता। मन्त्री महोदय स्वयं उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

श्री अरुण नेहरू : श्रीमान जी, इस प्रकार के वैयक्तिक आक्षेपों का कोई सवाल ही नहीं है।

कोई सदस्य महसूस करता है कि इस प्रकार का आक्षेप किया गया है तो उसे वापस ले सकते हैं। (व्यवधान)

श्रीमान, हम विभूतियों की बात नहीं कर रहे हैं; हम नीतियों की बात कर रहे हैं श्री दंडवते को परेशान नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैंने तो सोचा था कि आप परेशान न हो जाएं। जब वह जनता पार्टी का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि जनता पार्टी के सदस्य सी०आई०ए० के एजेंट हैं. क्या यह उसी बात की तरह नहीं थी जिसके बारे मे कुछ सदस्यों, जो मंत्रिमंडल, कांग्रेस पार्टी तथा विपक्षी दलों के सदस्य थे के बारे में प्रेस में जिक्र हुआ था। हमने एक होकर उनका साथ दिया और कहा कि हम इस झूठे आरोप को कभी सहन नहीं करेंगे। किन्तु हमारे दृष्टिकोण के प्रति सहृदयता दिखाने की उनके पास शालीनता नहीं है।

श्री अरुण नेहरू : माननीय सदस्य इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं कि वह वे बातें भी नहीं सुन रहे हैं जो हम कह रहे हैं। अगर वो जो मैंने कहा है वह सुनते तो···(व्यवधान)···श्रीमान, इसमें किसी भी तरह की निन्दा वाली बात नहीं है। मैंने ऐसा पहले भी कहा है। अगर यहां किसी की कोई निन्दा वाली बात का सुझाव है तो···

प्रो० मधु दंडवते : माननीय मन्त्री, कृपया रिकार्ड को अच्छी तरह देखिए। उनके अनुसार मैं यह कहता हूं कि जनता पार्टी के कुछ सदस्य सी०आई०ए० के एजेंट हैं और मेरी चुनौती यह है कि अगर यह सिद्ध करें तो मैं संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बोल रहा हूं, और कोई भी माननीय सदस्य अपने विचार मेरे मुंह से नहीं कहलवा सकता। मैंने यह कहा था कि कुछ माननीय सदस्य गांधीवादी संस्थाओं के नाम पर क्रियाशील हैं। यह अच्छी तरह सिद्ध हो गया है कि विदेशी एजेंसियों के साथ उनके संदेहास्पद सम्बन्ध हैं और इसकी जांच हो रही है। मैंने यह कहा है कि विचारधारा, राजनैतिक पद्धति और सिद्धांत की पसन्द एक व्यक्ति के दृष्टिकोण और कार्यपद्धति को निर्धारित करते हैं। फिर मैंने कहा कि उनकी पार्टी में कुछ ऐसे सदस्य हैं, जो इन गांधीवादी संस्थाओं के नाम पर क्रियाशील लोगों को पूरा समर्थन देते हैं। मैंने यह नहीं कहा कि आप एक सी०आई०ए० के एजेंट हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं नहीं समझता कि आप इससे क्यों परेशान हैं।

प्रो० मधु दंडवते : प्रो० रंगा, यदि आपकी पार्टी के खिलाफ आरोप लगाये जाएं तो आप भी नाराजगी महसूस करेंगे। यह सब इसलिए है कि हम देशभक्त हैं। हम देश की आजादी के लिए लड़े हैं। निश्चित तौर पर हम इस निरर्थक बात को सहन नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही यह कह दिया है कि इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया

है। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं देखूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : उनसे देश भक्ति सीखने का समय चला गया है···**

प्रो० के० के० तिवारी : आप मुझे शोर मचाकर चुप नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाये रखिए।

प्रो० के० के० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं अलगाववादी तथा विनाशकारी ताकतों का जिक्र कर रहा था। इस सम्बन्ध में मैं फिर से माननीय मन्त्री और सरकार को पंजाब तथा असम में सौहार्दता लाने के लिए किये गये समझौतों के लिए मुबारकबाद देता हूं। इस सरकार द्वारा उठाये गये ऐतिहासिक कदमों के महत्व को धीरे-धीरे कम करके आंकने की यहां प्रवृत्ति है। हम राष्ट्र तथा देश में लोगों की एकता की कीमत पर राजनैतिक लाभ उठाने के लिए नहीं है। इसलिए पंजाब और असम समझौते किये गये और देश में एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की गई ताकि साम्प्रदायिक उन्माद समाप्त हो जाये; और इस सदन तथा देश की जनता द्वारा स्वीकृत दूसरी राजनैतिक प्रक्रियाएं शुरू हों और इन दोनों राज्यों में निर्वाचित सरकारें स्थापित हुईं।

श्रीमान, पंजाब के बारे में कुछ समय से मेरे दिमाग में कुछ विचार घूम रहे हैं। पिछले वाद-विवाद के दौरान, मैंने सदन से सहमत होने की कोशिश की थी कि यह सत्य है कि अकाली दल में कुछ लोग— हमने उनकी पूरी मदद की है और कर रहे हैं; और मैं यह भी स्पष्ट कर देता हूं कि हम पंजाब सरकार के साथ नहीं हैं— जो दो नावों पर पैर रखने की कोशिश कर रही है—उन्हें खतरे का अहसास होना चाहिए। मेरी बात यह है कि जिस पवित्र स्थान—स्वर्ण मन्दिर के अहाते से उग्रवादी और अलगाववादी क्रियाशील हैं और वे यहां पर होने वाली एक करोड़ रुपये की आमदनी उनके अधीन है— यह एक आर्थिक मदद है जिसको संगठित करने में वे सक्षम रहे हैं—का सिर्फ यही महत्व नहीं है बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा है, कि लोगों का पंथ में, समुदाय में, जो आध्यात्मिक शक्ति के उच्चतम स्थान पर नियन्त्रण रखते हैं, के बारे में सामान्य दृष्टिकोण भी है। श्रीमान, अब तक श्री रिबैरो ने सात या आठ खतरनाक उग्रवादियों की सूची दी है जिनमें से लगभग आधे उग्रवादी स्वर्ण मंदिर के पवित्र क्षेत्र से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। 13 तारीख बैसाखी के दिन, ये अपराधी, जिनकी पुलिस को बहुत खतरनाक उग्रवादियों के रूप में तलाश है और जो सारे पंजाब में हिंसा और हत्याएं कर रहे थे, को यहां छुपे हुए पाया गया था। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि सबसे पहले सरकार को स्वर्ण मन्दिर पर नियन्त्रण करना चाहिए। सरबत खालसा की पुकार के अनुसार जो देश में सिखों की सबसे अच्छी धार्मिक संस्था है, बरनाला तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा स्वर्ण मन्दिर को अवश्य ही खाली करवाना चाहिए। अगर आप उग्रवादियों तथा खालिस्तानियों की कमर तोड़ना चाहते हैं तो इस कार्य को सर्वप्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। स्वर्ण मन्दिर को हर कीमत पर खाली करवाना है। यह सबसे पहला कार्य होना चाहिए।

**कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

श्रीमान, 13 तारीख को सरबत खालसा के दौरान क्या हो रहा था ? सारा मुद्दा एक खालिस्तान के नारे तक सिमट कर रह गया था। इसलिए इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाये और अगर स्वर्ण मन्दिर को खाली करवा लिया जाता है तो दूसरे मामले अन्ततः अपने आप ठीक हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं अब उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का जिक्र करता हूं जिसमें देश का साम्प्रदायिक दिशाओं में ध्रुविकरण होता जा रहा है। धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाली ताकतें जैसे— राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जमायते-इस्लामी, जमायत तुल्बा और कई संगठन, आजकल देश में उभर रहे हैं। उत्तरी भारत तो एक ज्वालामुखी जैसा चित्र पेश कर रहा है। हमारे लोग साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़े हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पराजित हो गया और उसका राजनैतिक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी भी साफ हो गया था क्योंकि भारतीय जनता साम्प्रदायिकता को नहीं चाहती थी और साम्प्रदायिकता को हमारे देश की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा समझती थी। इसलिए, सरकार को इन समस्याओं की तरफ आवश्यक ध्यान देना चाहिए। अगर वे इस मामले में और देरी लगाएंगे तो मैं नहीं जानता कि राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के तथाकथित झगड़े के कारण आगे क्या होगा। पिछले एक दशक के दौरान इन दो मुद्दों ने भारत की जनता को जितना उत्तेजित और विभाजित किया है उतना और किसी मुद्दे ने नहीं किया। मैं इसको गुप्त नहीं रखना चाहता। मैंने वक्तव्य दिये हैं, सदन में कहा है कि पिछले एक साल से राम जन्म भूमि की मुक्ति के लिए तैयारियां हो रही हैं, हालांकि वहां राम जन्म भूमि है या बाबरी मस्जिद इसका फैसला तो अधिकारियों ने करना है। किंतु साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काई जा रही थीं और पिछले एक वर्ष से तैयारियां जोरों पर हैं। निस्सन्देह, अब इसकी पराकाष्ठा खतरों से भरी हुई है। आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है। वहां पर हिन्दुओं और मुसलमानों में परम्परागत मित्रता रही है। अब भी जम्मू और काश्मीर में 80 प्रतिशत मुसलमानों ने अल्पसंख्यकों के घरों पर हमलों में हिस्सा नहीं लिया। वास्तव में, उनमें से अधिकतर ने संरक्षण प्रदान किया और वे मन्दिरों आदि के पुनर्निर्माण में योगदान दे रहे हैं। किन्तु इन गतिविधियों में भाग लेने वाले लोग कौन हैं ? सैंकड़ों लोग जम्मू और काश्मीर की सीमा पार के स्थानों से आ रहे हैं। हर रोज अखबार यह खबर देते हैं कि पांच-पांच व्यक्ति गुजरात और जम्मू और काश्मीर की सीमा पार करके भारत में घुसते हुए मारे गए। हर तरह के झगड़े और झड़पें भारत तथा पाकिस्तान के मध्य हो रहे हैं। क्या हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सैंकड़ों घुसपैठिए जम्मू और कश्मीर में घुस आते हैं और हिंसा भड़काते हैं ? जितना गम्भीर यह कश्मीर घाटी में था उतना ही यह जम्मू में था। इस प्रकार, सरकार तथा सदन के पास देरी करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हम भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप इस देश की एकता बनाये रखना चाहते हैं तो हमें एक ही स्वर में बोलना चाहिए और अन्ततः हमने देशभक्त, शांतिप्रिय तथा धर्म-निरपेक्षता चाहने वाले लोगों का समाज बनाना है, लगभग सभी लोग धर्मनिरपेक्ष विचारों के हैं। वे प्रतिक्रियावादी तथा साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ हैं। इसलिए विवेक की आवाज इस सदन से प्रारंभ होनी चाहिए और इस सदन में दलगत सम्बन्धों से ऊपर उठते हुए सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक होना चाहिए और अन्तिम संघर्ष के लिए निर्णय लेकर इस देश में साम्प्रदायिकता, विनाश और

[प्रो० के० के० तिवारी]

अराजकता की ताकतों का दमन करें।

श्रीमान, इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण मसला क्या है ? इस सदन के द्वारा उन सभी साम्प्रदायिक संगठनों पर जो विभिन्न राजनैतिक दलों के नाम से चल रहे हैं, प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक कानून पास करने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किया गया ? हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, इस सदन ने यह फैसला करना है, और अगर आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और यह करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्र के लिए चुनौतियों का सामना करने का वक्त आ गया है, और किसी भी साम्प्रदायिक संगठनों को राजनैतिक संगठन के रूप में छल-कपट करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। (व्यवधान) इस देश में साम्प्रदायिकता किसने आरम्भ की ? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने केरल में साम्प्रदायिकता शुरू की। उन्होंने ही इसे देश में शुरू किया। (व्यवधान)

श्रीमान, मैं बिहार में भोजपुर जिले से सम्बन्ध रखता हूं जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। हमारी सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं। 1956 में संसद ने एक अधिनियम पारित किया था और श्री त्रिवेदी की अध्यक्षता में एक आयोग बैठाया गया था। और श्री त्रिवेदी ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच सीमाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करने तथा निर्धारण करने के लिए यह निर्णय दिया। हर वर्ष, बुआई के मौसम के दौरान लगभग 20 या 30 व्यक्ति मारे जाते हैं। पिछले छः साल से इस सदन में मैं यह मांग करता रहा हूं कि इस निर्णय तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के परस्पर विरोधी दावों को देखने के लिए एक सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाना चाहिए। हर साल उत्तर प्रदेश पुलिस बिहार के क्षेत्र में घुस जाती है। (व्यवधान)

श्री जंगुल बशर (गाजीपुर) : और दूसरी तरफ, बिहार के लोग उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में गैर-कानूनी ढंग से घुस जाते हैं··· (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : अन्त में, मैं दोनों राज्यों के गृह मन्त्रियों से अनुरोध करता हूं कि कृपया एक आयोग नियुक्त करें और फिर उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की नियुक्ति करें; और वह उस निर्णय तथा इसके परिणामस्वरूप दोनों राज्यों के बीच उठे झगड़े के मुद्दों को अच्छी तरह देखे। अगर आप उस क्षेत्र में शांति और वहां का विकास चाहते हैं तो झगड़ों का समाधान अवश्य ही होना चाहिए।

श्रीमान, मैं इन शब्दों के साथ भाषण समाप्त करता हूं और बोलने का अवसर दिये जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : महोदय, माननीय सदस्यों ने कोडाल आयोग की बात की है। मैं सदन को यह सूचना देना चाहूंगा कि आंतरिम रिपोर्ट पहले ही

4 दिसम्बर, 1985 को सभा पटल पर रखी गई है। हम इस अधिवेशन के दौरान दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। चौथा प्रतिवेदन भी हमें प्राप्त हुआ है और इसकी जांच हो रही है··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : क्या कोई ऐसा उपबन्ध है जिसमें प्रतिवेदनों को दूसरी बार सभा पटल पर रखा जा सकता है ?

श्री अरुण नेहरू : मैं यह केवल सदन को सूचित करने के लिए कहता हूं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : डीप्टी स्पीकर साहब, मैं पहली बात यह अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त मुल्क के अन्दर हिन्दू और मुसलमानों के बीच में जो फिरकापरस्ती के झगड़े बढ़े हैं और कुछ अर्से से मुल्क में इन झगड़ों का इजाफा हुआ है, वह बहुत ही अफसोसजनक है। माननीय होम मिनिस्टर साहब ने भी अपने पिछली तकरीर में यह कहा कि जिस तरह से लोगों को तकसीम करने की कोशिश हो रही है, इससे मुल्क के मुस्तकबिल को बहुत खतरा है। हमें इसकी रोकथाम के लिए तमाम कोशिशें करनी चाहिएं।

यहां पर अभी तिवारी जी ने कहा कि बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के नाम से पिछले दिनों जो कोर्ट का फैसला सामने आया, जिसके परिणामस्वरूप हिन्दू और मुसलमान बंट गए, मैं समझता हूं कि यह बड़ी खतरनाक शुरूआत हुई है और एक खतरनाक सिलसिला शुरू हुआ है जिसकी कोई रोकथाम करनी चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि अभी वक्त नहीं गुजरा है, सरकार को इसका कोई हल तलाशना होगा।

3.27 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

मौजूदा डिस्ट्रिक्ट जज ने जो फैसला दिया है, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद 1885 में वहां पर मौजूद थी। इसको 1528 में बनाया गया। जिसने तुजक बाबरी का तरजुमा किया है, उसने बाबर की सवाने हयात में लिखा है कि 1885 में यह मस्जिद कायम थी और इसको बनाने वाला बाबर का एक दरबारी बाकी था। मुसलमान इस मस्जिद में 22 दिसम्बर, 1949 तक इबादत करते रहे। 22 और 23 दिसम्बर 1949 को इस मस्जिद पर एक फिरके के कुछ लोगों ने हमला किया और उसके बाद पुलिस का केस बना।

ज्वाला प्रसाद नाम के कांस्टेबल ने 23.12.49 को पहला एफ० आई० आर० दर्ज किया, उस के बाद ही 23 तारीख को डिस्ट्रिक्ट जज ने मस्जिद को अटैच कर दिया, तब से यह सिलसिला शुरू हुआ।

[श्री अब्दुल रशीद काबुली)

मगर मैं बताना चाहता हूं सरकार से कि जब इस बाबरी मस्जिद और राम जन्म-भूमि नाम के स्थान के बारे में जो वहां के जज ने फैसला सादिर कर दिया उस वक्त सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह लिख कर दे दिया कि इसके कुफ्ल खोलने के नतीजे में और इसके मन्दिर बनाए जाने के नतीजे में कोई फसाद नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं सरकार को कि अगर देखा जाय और सरकार का यह फर्ज बनता है कि वह इस बात को देखे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस ने जो उस वक्त इस किस्म का गैर कानूनी स्टेटमेंट दे दिया और जिसकी बिन्हा पर डिस्ट्रिक्ट जज ने अपना फैसला सादिर कर दिया और 1 फरवरी 86 को मन्दिर या उस मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए उसके नतीजे में पूरे यू० पी०, मध्य प्रदेश और पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर एक नया सिलसिला फिरकेवाराना फसाद का शुरू हुआ है।

मैं बताना चाहूंगा कि श्री वीर बहादुर सिंह, चीफ मिनिस्टिर के बारे में बहुत सारे अखबारात ने यह लिखा कि · **···

···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री जैनुल बशर : यह बिलकुल गलत है। उन्हें मुख्य मंत्री का नाम नहीं लेना चाहिए और मुख्य मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। महोदय यह व्यवस्था का प्रश्न है। यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है। जांच के पश्चात, यदि यह आपत्तिजनक पाया गया, तो यह कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में राम जन्म भूमि के नाम से बहुत ही मेरे दिल में उसका आदर हैं और बाबरी मस्जिद के बारे में भी आदर है और मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि वह सामने आए और कोई इसका फैसला कर दे। इस का बेहतरीन फैसला यह हो सकता है कि दोनों चीजें हिस्टारिकल हैं, तवारीख ने दोनों चीजें हमें विरासत के तौर पर दी हैं, इनको अगर आर्किलाजिकल डिपार्टमेंट महफूज करता तो उससे दोनों मजहब के जजबात की तशफ्फी होती है। यह बेहतरीन तरीका होगा।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के बारे में के० के० तिवारी जी ने कहा, और कई

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सदस्यों ने भी कहा है कि वहां पर पिछले दिनों कुछ फसादात हो गए। मैं बिलकुल बाजेह तौर पर कहना चाहता हूं कि इस किस्म के फसादात को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर पेश किया गया है। मुझे तो दुख इस बात का है कि इस आनरेबल हाऊस की एक मेम्बर श्रीमती शीला कौल ने काश्मीरी पंडितों की एक आर्गेनाइजेशन को लेकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और प्राइम मिनिस्टर को बतला दिया कि काश्मीरी पंडित जाति एक्सोडस के लिए तैयार है और उनके ऐन्हिलेशन का खतरा है। टोटल एक्सटिंक्शन का खतरा है। मैंसमझता हूं कि यह कोशिश इस किस्म की हरकत और इस किस्म का प्रोपेगेंडा वहां न सिर्फ जम्मू काश्मीर में बहुत तबाही ला सकता है बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में एक दरार वपा कर सकता है मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं इस हाउस को एतमाद में लेना चाहता हूं कि जम्मू काश्मीर में सिवाय चन्द विलेजेज के जो अनन्तनाग डिस्ट्रिक्ट में हैं और प्राइम मिनिस्टर के पास अब रिपोर्ट आने वाली है, उन चन्द विलेजेज के सिवाय पूरे जम्मू काश्मीर में कोई फसादात नहीं हुए। जम्मू में शिव सेना नामकी एक तंग-नजर और एक क्रीमिनल आर्गेनाइजेशन ने वहां फसाद वपा किया क्योंकि हजारों मुलाजिम जो वहां काम करते हैं काश्मीर के उनकी दफातिर में मारपिटाई हुई और एक हंगामा वपा हुआ कई औरतों की बेहरमती हुई। जब यह खबर काश्मीर में पहुंची तो उसका एक रद्देअमल वहां हुआ। मगर शुकर इस बात का है कि वहां की सेक्युलरिज्म में इस कदर कूवत है कि सिवाय उन चन्द विलेजेज के उसका रद्दे अमल नहीं हुआ। मैं इस हाउस को एतमाद में लेना चाहता हूं कि एक भी आदमी वहां कत्ल नहीं हुआ और एक भी आदमी जख्मी नहीं हुआ। मैं सरकार से यह बताना चाहता हूं कि इस किस्म की बात को रोकना चाहिए। चाहे प्रेस में और चाहे हमारे-मेम्बरान पार्लियामेंट जजबात में बहें तो यह गलत बात होगी। इससे मुल्का का कोई फायदा नहीं होगा बल्कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार के बारे में हमने इस सदन में बार-बार कहा और हमने इस सरकार को कहा कि यह एक दलबदलू सरकार है जिसका एवाम में कोई एतमाद नहीं है, लोगों का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने अपने आदमी देकर उसकी गवर्नमेंट बनाई। मगर अफसोस यह है कि करप्शन के मामले में, धांधली के मामले में और ऐन्टी नेशनल ऐक्टिविटी के मामले में जो उन की गवर्नमेंट में हुई उसको नजर में नहीं लाया गया। नेशनल काम्फरेंस ने इस बात को कहा और पूरे हिन्दुस्तान की प्रेस में यह बात बार बार आई लेकिन इस तरफ कोई तवज्जह नहीं दी गई। जब उनकी सरकार को गिराया गया तो मैं समझता हूं कि उस चीज के उपर कम से कम उसको गिराना नहीं चाहिए था।

गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार पर करप्शन के नाम पर, अनडेमोक्रेटिक रेजीम के नाम पर, जिसके बारे में हमारी हजारों शिकायतें उनके खिलाफ हैं, उस पर उसको गिरना चाहिए था लेकिन अगर क्रिमिनल नाम से ऐसी बात हो तो फिर जो मेरठ में फसादात हुए, बाबरी मस्जिद के नाम से पूरे देश में जो लोग लगी उस पर वीर बहादुर सिंह सरकार को खत्म कर देना चाहिए। हम गुलाम मोहम्मद की जबरदस्त विरोधी हैं, हम उनकी मुखालिफत में हैं, उनकी गवर्नमेंट को अनडेमोक्रेटिक समझते थे लेकिन मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि ये रवायात आप तोड़ दीजिए। इस तरह से गवर्नमेंट तोड़नी हैं तो और स्टेट्स की गवर्नमेंट्स भी तोड़नी चाहिए। वैसे तो मैं इस बात पर खुश हूं कि गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार खत्म हुई और मैं होम मिनिस्ट्री को बताना चाहता हूं कि अगर आप जम्मू

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

कश्मीर में पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है (व्यवधान) मैं खत्म कर रहा हूं। अगर आप जम्मू कश्मीर जो कि एक सेंसिटिव बार्डर स्टेट हैं वहां पर आप चाहते हैं कि अमन कायम रहे, लोगों की जान व माल महफूज रहे, तो वहां के लोग जो वाकई आपके साथ हैं, मेन स्ट्रीम में हैं, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, 1947 से लेकर आज तक वहां की मुस्लिम मेजारिटी ने दिलोजान से देश के मफाद में कुर्बानियां दी हैं और आगे भी बराबर कुर्बानियां देंगे लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि डेमोक्रैटिक प्रोसेस को वहां पर सही तौर पर मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। वहां पर जो गवर्नर का शासन बिठाया गया है उसके लिए हमने खुश-आमदीद कहा है लेकिन 6 महिने के लिए ही गवर्नर रिजीम वहां पर रहना चाहिए, उसके बाद वहां के लोगों को वोट देने का हक मिलना चाहिए, वहां की सरकार बननी चाहिए, लोगों के वोट से, तभी नई पीपुल्स गवर्नमेंट का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जब एक डिमोकेटिव प्रोसेस वहां पर कल्मिनेशन अप्वाइन्ट पर आ जायेगा तब जम्मू कश्मार स्टेट की स्टेबिलिटी एश्योर्ड हो जाएगी।

(श्री अब्दुल रशीद काबली (श्रीनगर) डिप्टी स्पीकर साहब। मैं पहली बात यह अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त मुल्क के अंदर हिन्दू और मुसलमानों के बीच में जो फिरकापरस्ती के झगड़े बढ़े हैं और कुछ अरसे से मुल्क में इन झगड़ों का इजाफा हुआ है वह बहुत ही अफसोसनाक है। माननीय होम मिनिस्टर साहब ने भी अपने पिछली तकरीर में यह कहा कि जिस तरह से लोगों को तकसीम करने की कोशिश हो रही है, इस से मुल्क के मुस्तकबिल को बहुत खतरा है। हमें इस की रोक थाम के लिए तमाम कोशिशें करनी चाहिएं।

यहां पर अभी तिवारी जी ने कहा कि बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के नाम से पिछले दिनों जो कोर्ट का फैसला सामने आया जिस के परिणाम स्वरूप हिन्दू और मुसलमान बंट गए मैं समझता हूं कि यह बड़ी खतरनाक शुरुआत हुई है और एक खतरनाक सिलसिला शुरू हुआ है जिस की कोई रोक थाम करनी चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं। कि अभी वक्त नहीं गुजरा है सरकार को इस का कोई हल तलाशना होगा।

15.27 hr.

[Shri Somnath Rath in the Chair]

मौजूदा डिस्ट्रिक्ट जज ने जो फैसला दिया है उस के बारे में कहना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद १८८६ में वहां पर मौजूद थी। इस को १५२८ में बनाया गया जिस ने तुजक बाबरी का तरजमा किया है उस ने बाबर की "सवानिह हयात" में लिखा है कि १८८६ में यह मस्जिद कायम थी और इस को बनाने वाला बाबर का एक दरबारी बाकी था। मुसलमान इस मस्जिद में २२ दिसम्बर १९४९ तक इबादत करते रहे। २२ और २३ दिसम्बर १९४९ को एक फिरके के कुछ लोगों ने हमला किया और इस के बाद पुलिस का केस बना। माता प्रसाद नाम के कांस्टेबल ने २३-१२-४९ को पहला एफ आई आर दर्ज किया इस के बाद ही २३ तारीख को डिस्ट्रिक्ट जज ने मस्जिद को अटैच कर दिया तब से यह सिलसिला शुरू हुआ। मगर मैं बताना चाहता हूं सरकार से कि जब इस बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि नाम के अस्थान के बारे में जो वहां के जज ने फैसला सादर कर दिया उस वक्त सुपरिंटेंडेंट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह लिख कर दे दिया कि इस के कुफल खोलने के नतीजे में और इस के मंदर बनाए जाने के नतीजे में कोई फसाद नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं सरकार को कि अगर देखा जाए और सरकार का यह फर्ज बनता है कि वह इस बात को देखे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट

سپرنٹنڈنٹ پولیس نے جو اس وقت اس قسم کا غیر قانونی اسٹیٹمینٹ دے دیا اور جس کی بنا پر ڈسٹرکٹ جج نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا اور یکم فروری ۱۹۸۶ء کو مندر یا اس مسجد کے دروازے کھول دیئے گئے اس کے نتیجے میں پورے یوپی، بہار، مدھیہ پردیش اور پورے ہندوستان کے اندر ایک نیا سلسلہ فرقہ وارانہ فساد کا شروع ہوا ہے۔

میں بتانا چاہوں گا کہ شری ویر بہادر سنگھ چیف منسٹر کے بارے میں بہت سارے اخبارات نے یہ لکھا کہ ** **

(انٹرپشنز)

Shri Zahid Beshir : This is entirely wrong. He should not quote the name of the Chief Minister and the Chief Minister has not said anything like that. Sir, this is a point of order. It should not form part of the record.

Mr. Chairman That is right. It shall go out of the record, if found objectionable, after examination.

شری عبدالرشید کابلی:۔ میں آپ کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں رام جنم بھومی کے نام سے بہت ہی میرے دل میں اس کا آدر ہے اور بابری مسجد کے بارے میں آدر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو چاہیئے کہ یہ سامنے آئے اور کوئی اس کا فیصلہ کر دے۔ اس کا بہترین فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہیٹیاریکل ہیں۔ تاریخ نے دونوں چیزیں ہمیں وراثت کے طور پر دی ہیں ان کو اگر آرکالجیکل ڈپارٹمینٹ محفوظ کرتا تو اس سے دونوں مذہب کے جذبات کی تشفی ہوتی ہے یہ بہترین طریقہ ہوتا۔

میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جموں کشمیر کے بارے میں کے کے تیواڑی جی نے کہا اور کئی سدسیوں نے بھی کہا ہے کہ وہاں پر پچھلے دنوں کچھ فسادات ہو گئے۔ میں بالکل واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے فسادات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ مجھے تو دکھ اس بات کا ہے کہ اس آنریبل ہاؤس کی ایک ممبر شرمتی شیلا کول نے کشمیر پنڈتوں کی ایک آرگنائزیشن کو لیکر پرائم منسٹر سے ملاقات کی اور

**Not recorded.

प्राइम मिनिस्टर को बता दिया कि कश्मीर पंडित जाति एक्सटिंक्शन के लिये तैयार है और उन के एनिहिलेशन का खतरा है टोटल एक्सटिंक्शन का खतरा है। मैं समझता हूं कि यह कोशिश इस किस्म की हरकात और इस किस्म का प्रोपेगंडा वहां न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बहुत तबाही ला सकता है बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में एक दरार पैदा कर सकता है मैं आप को बताना चाहता हूं और मैं इस हाउस को विश्वास में लेना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में सिवाए चन्द लीडर्ज के जो आनन्द नाग डिस्ट्रिक्ट में हैं और प्राइम मिनिस्टर के पास अब रिपोर्ट आने वाली है उन चन्द लीडर्ज के सिवाए पूरे जम्मू कश्मीर में कोई फसादात नहीं हुए। जम्मू में शिवसेना नाम की एक तंग नजर और एक कम्यूनल आर्गनाइजेशन ने वहां फसाद बरपा किया क्योंकि हजारों मुलाजिम जो वहां काम करते हैं कश्मीर के उन दफातर में मार पिटाई हुई और एक हंगामा बरपा हुआ कई मोर्चे तोड़ने की बेहरमती हुई। जब यह खबर कश्मीर में पहुंची तो उस का एक रद्दे अमल वहां हुआ। मगर शुक्र है उस बात का है कि वहां की सैकुलर फोर्सेज में इस कदर कूवत है कि सिवाए उन चन्द लीडर्ज के उस का रद्दे अमल नहीं हुआ। मैं इस हाउस को विश्वास में लेना चाहता हूं कि एक भी आदमी वहां कत्ल नहीं हुआ और एक भी आदमी जख्मी नहीं हुआ। मैं सरकार से यह बताना चाहता हूं कि इस किस्म की बात को रोकना चाहिये पब्लिसिटी में और चाहे हमारे पार्लियामेंट के मेम्बरान जज्बात में बहकर यह गलत बात कहेंगे। इस से मुल्क का कोई फायदा नहीं होगा बल्कि मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि गुलाम मुहम्मद शाह की सरकार के बारे में हम ने इस सदन में बार बार कहा और हम ने इस सरकार को कहा कि यह एक दल बदलू सरकार है जिस का अवाम में कोई एतमाद नहीं है लोगों का इस के साथ कोई तअल्लुक नहीं है लेकिन इस के बावजूद कांग्रेस ने अपने आदमी दे कर इस की गवर्नमेंट बनाई। मगर अफसोस यह है कि करप्शन के मामले में धांधली के मामले में और इंटरनेशनल एक्टिविटी के मामले में जो इन की गवर्नमेंट में हुई इस को नजर में नहीं लाया गया। नेशनल कान्फ्रेंस ने इस बात को कहा कि पूरे हिन्दुस्तान की प्रेस में यह बात बार बार आई लेकिन इस तरफ कोई तवज्जह नहीं दी गई। जब इन की सरकार को गिराया गया तो मैं समझता हूं कि इस चीज के अलावा कम से कम इस को गिराना नहीं चाहिये था। गुलाम मुहम्मद शाह की सरकार पर करप्शन के नाम पर इंडिविजुअल क्रिमिनल के नाम पर जिस के बारे में हमारी हजारों शिकायतें इस के खिलाफ हैं इस पर इस को गिरना चाहिये था लेकिन अगर क्रिमिनल नाम से ऐसी बात हो तो फिर जो मेरठ

میں فسادات ہوئے بابری مسجد کے نام سے پورے دیش میں جو آگ لگی اس پر ویر بہادر سنگھ کی سرکار کو ختم کر دینا چاہیئے۔ ہم غلام محمد کی زبردست درود ھی ہیں۔ ہم ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں ان کی گورنمنٹ کو انڈیموکریٹک سمجھتے تھے لیکن میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ روایات آپ توڑ دیجئے۔ اس طرح سے گورنمنٹیں توڑنی ہیں تو اور اسٹیٹس کی گورنمنٹس بھی توڑنی چاہیئے۔ ویسے تو میں اس بات پر خوش ہوں کہ غلام محمد شاہ کی سرکار ختم ہوئی اور میں ہوم منسٹری کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جموں کشمیر میں پیس چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے (انٹرپشنز) میں ختم کر رہا ہوں۔ اگر آپ جموں کشمیر جو کہ ایک سینسیٹیو بارڈر اسٹیٹ ہے وہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ امن قائم رہے لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے تو وہاں کے لوگ جو واقعی آپ کے ساتھ ہیں میں اسٹریم میں ہیں ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں۔ ۱۹۴۷ سے لے کر آج تک وہاں کی مسلم میجارٹی نے دل و جان سے دیش کے لئے قربانیاں دی ہیں اور آگے بھی برابر قربانیاں دیں گے لیکن اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو وہاں پر صحیح طور پر منزل تک پہنچا دیا جائے۔ وہاں پر جو گورنر کا شاسن بٹھایا گیا ہے اس کے لئے ہم نے خوش آمدید کہا ہے لیکن ۶ مہینے کے لئے ہی گورنر ریجیم وہاں پر رہنا چاہیئے اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ملنا چاہیئے وہاں کی سرکار بننی چاہیئے لوگوں کے ووٹ سے تبھی نئی پیپولس گورنمنٹ کا پورا سہیوگ آپ کو ملے گا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب ایک ڈیموکریٹک پروسیس وہاں پر کلمنیشن پوائنٹ پر آجائے گا تب جموں کشمیر اسٹیٹ کی اسٹیبلٹی الیشیورڈ ہو جائے گی۔

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए उठा हूं। वार्षिक प्रतिवेदन में असम समझौते-का उल्लेख है। यह एक ऐसा समझौता है जिस पर आन्दोलनकारियों और भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं। हम इस समझौते का अंग हैं और हम हार्दिक रूप से इस समझौते का समर्थन करेंगे। महोदय, इस समझौते को उन लोगों को सख्ती पहुंचाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए जो भाषा अथवा धर्म में अल्पसंख्यक हैं और जो जनजातीय लोग हैं क्योंकि असम एक बहुभाषी राज्य है।

महोदय, मैं यहां किसी सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, किंतु मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान कुछ तथ्यों की ओर दिलाना चाहता हूं।

कल आन्तरिक सुरक्षा मंत्री श्री अरुण नेहरू ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि यदि भविष्य में कुछ निर्णय लेने हों तो राज्य सरकार पूरी तरह निर्णय लेने में समर्थ है। किंतु यदि कोई ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे साम्प्रदायिक विभाजन अथवा उत्तेजना भड़कती है तो यह बहुत ही कठिन स्थिति होगी। मैं समझता हूं कि सेना की कितनी भी कम्पनियों (टुकड़ियां) अथवा बटालियनों से यह समस्या नहीं सुलझ पाएगी। महोदय, एक प्रौढ़ राजनीतिज्ञ की भांति उन्होंने कुछ कहना चाहा और उन्होंने यह कहा नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि असम में स्थिति बहुत गम्भीर है और यह संवेदनशील राज्य है जिसकी सीमा बहुत विदेशों से मिलती है और भारत सरकार को उस राज्य की वर्तमान स्थिति के प्रति आंख नहीं मूंदनी चाहिए। सर्वप्रथम बात जो वहां हो रही है वह भाषा-संबंधी समस्याएं हैं और भाषा सम्बन्धी मामला है। महोदय, मैं एक ऐसी घाटी से हूं जहां दो जिले—कछार और करीमगंज हैं। इसी सदन में माननीय मंत्री श्री मिर्धा, जो यहां बैठे हैं उन्हें पूरा ज्ञान है। शास्त्री फार्मूला के अनुसार जिस पर 6 जून, 1961 को हस्ताक्षर हुए, और कृष्ण चन्द्र पंत फार्मूले के अनुसार जिस पर 18-4-1973 को हस्ताक्षर हुए, भारत सरकार और असम सरकार ने बंगला को सरकारी कामों और बराक घाटी में शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। दुर्भाग्य से वर्तमान सरकार द्वारा 20 फरवरी 1986 के एक परिपत्र—एस० ई० बी० ए०/ए० बी/एस, वाई० एफ० बी०/11/85-86- के अनुसार उन्होंने असमिया भाषा को उच्च माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य बनाने का प्रयास किया है। असमिया सीखने में कोई बुरी बात नहीं है। असम में रहने वाले लोगों को असमिया सीखनी चाहिए। किंतु मैं यह आशा करता हूं कि इसे इस प्रकार नहीं थोपा जाना चाहिए जिस प्रकार इसे ऐसा किया जा रहा है—इसका मैं विरोध करता हूं। केन्द्रीय सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए। 5 अप्रैल को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भाषा समस्या पर आन्दोलन हुआ था जिसमें अन्त में गोली चलानी पड़ी। छः व्यक्ति पुलिस की गोली से बुरी तरह से घायल हो गये। निर्दोष लोगों की पिटाई हुई। मैं गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस मामले की जांच करें।

हम समझौते का आदर करते हैं। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था करेगी, अर्थात समझौते के खंड 8 (1) (क) के अन्तर्गत ऐसा किया जाएगा।

[श्री संतोष मोहन देव]

वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार ने दिल्ली में एक कार्यालय खोला है। मैं इस पर सरकार को बधाई देता हूं, किंतु मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि इन कार्यालयों को विकेन्द्रित किया जाए, और सभी जिला मुख्यालयों में एक ऐसा कार्यालय होना चाहिए।

धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यक जो असम में कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, और जो वहां 1-1-1966 से पूर्व थे अथवा जिनके नाम 1967 की मतदाता सूची में हैं, वही भारत के नागरिक हैं। आप ऐसे अधिक कार्यालय क्यों नहीं खोलते हैं और ऐसे वर्गों के लोगों को नागरिकता प्रमाण-पत्र देना आरम्भ क्यों नहीं करते हैं? अब जो हो रहा है वह यह कि यदि आप किसी रोजगार केन्द्र पर जाएंगे, आपका नाम पंजीकृत नहीं होगा, क्योंकि आप असम के नहीं हैं। इस बात को जारी नहीं रखना चाहिए। कई पीढ़ियों से रहने वाले लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र अथवा स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिखाने के लिए कहा जाता है। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि यदि समझौते के खंड 8 (1) (क) के अन्तर्गत व्यवस्था है तो केन्द्रीय सरकार को नागरिकता प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह काम स्पष्टत: सभी जिला मुख्यालयों में होना चाहिए। अपितु हमारे बच्चों को स्कूलों और कालिजों में प्रवेश प्राप्त करना और विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी संगठनों में काम प्राप्त करना बहुत कठिन होग

तीन दिन पूर्व मैंने असम के मुख्य मंत्री द्वारा बुलाये गये एक संवाददाता सम्मेलन का समाचार पढ़ा। उन्होंने कहा है कि समझौते में गैर कानूनी प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 (इल्लीगल माइग्रेंट्स डीटरमीनेशन ट्रीब्यूनल्स) एक्ट 1983 में कुछ परिवर्तन करने की व्यवस्था है। यदि ऐसा करना है तो मैं गृह मंत्रालय और भारत सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि सभी राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दलों को जोइस विधेयक में साझीदार है, उन्हें इस अधिनियम में कोई संशोधन करने से पूर्व विश्वास में लिया जाना चाहिए क्योंकि यह अधिनियम संसद में पारित किया गया था। यह सच है कि आप इसे फिर संसद में ला सकते हैं और पारित कर सकते हैं। यद्यपि मैं एक कांग्रेसी हूं, मैं आप से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को लाने तथा पारित करने से पूर्व आप इस पर चर्चा करें, ताकि इस प्रकार के परिवर्तन नहीं हों जिनसे स्थिति और भी बिगड़ जाए।

अपने वार्षिक प्रतिवेदन में गृह मंत्री ने कहा है कि बहुत से आपराधिक मामले अर्थात ऐसे मामले जो जनता तथा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध थे, वापस लिए गये हैं। सरकारी कर्मचारियों को बहाल किया गया है। परन्तु मैं सरकार को सूचित करूंगा कि जिन आई० पी० एम० और आई० ए० एस० अधिकारियों ने पूर्व सरकारों जैसे राष्ट्रपति शासन तथा अनवर तैमूर, केशब गोगाई और हितेश्वर सैकिया के मंत्रिमण्डल के अधीन कार्य किया है जो अधिकारी उन सरकारों के प्रति वफादार थे, उन्हें अब तंग किया जा रहा है। या निलम्बित किया जा रहा है एक आई० पी० एस० अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है, तथा 3 या 4 आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी निलम्बित होने वालेहैं। इन आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों का क्या कसूर है?

श्री अताउरहमान (बारापेट) : ये किस्से का एक पक्ष पेश कर रहे हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव : आपको किस्से का अपना पक्ष पेश करने का अवसर मिलेगा।

इन अधिकारियों ने यह कहते हुए अपील की है : सरकार कार्रवाई करे, परन्तु ऐसा करने से पहले, या तो केन्द्रीय गृह मंत्रालय या यहां के कार्मिक विभाग ऐसी कार्यवाइयों पर अपनी सहमति दें। वे यह भी कहते हैं कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे। परन्तु वर्तमान सरकार की बिना किसी मान्य कारण के अधिकारियों को तंग करने की प्रवृत्ति है। राज्य सरकार को इस प्रकार से इन अधिकारियों को उनकी कोई गलती न होने पर भी तंग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम राज्य सरकार अथवा इसके अधिकारियों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते··· (व्यवधान)

समापति महोदय : ये राज्य सरकार के आचरण की चर्चा नहीं कर रहे हैं ··

श्री एस० जयपाल रेड्डी : देव जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। आपके दल वाली राज्य सरकारें अधिक हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव : अतः, मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस पर गौर किया जाए तथा यह निश्चित किया जाये कि उन अधिकारियों के साथ जिन्होंने पूर्व सरकारों के लिए कार्य किया है न्याय हो। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, परन्तु चूंकि उन्होंने किसी सरकार के अन्तर्गत कार्य किया है और राष्ट्रपति शासन या सैंकिया मंत्रीमंडल के समय में उनकी नीतियों का पालन किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें तंग किया जाये।

बेदखली के बारे में, असम समझौते में एक प्रावधान है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को वहां से बेदखल किया जायेगा। आप लोगों को हटायें परन्तु उन लोगों को उचित नोटिस दिया जाना चाहिए। हो क्या रहा है : रात को, दो बजे, उन नगरीय दुकानों तथा मकानों को जिन्हें नगर निगम की अनुमति से बनाया गया था, गिराया जा रहा है। अब, इस देश का नागरिक होने के नाते, क्या मुझे अदालत में जाने का अधिकार नहीं है ? वे कहते हैं, नहीं, हम शनिवार और रविवार को जब अदालतें बन्द होती हैं तब खाली करायेंगे। सोमवार तक काम खत्म हो जायेगा। अब जब तक आप अदालत पहुंचते हैं आपका मकान गिरा दिया जाता है। अब ये निम्न आय वर्ग के लोग हैं। अगर इस तरह से उनके मकान गिराये जाते हैं तो उनका क्या होगा ? उन्होंने अपने मकान एक दिन में नहीं बनाये बल्कि लगभग 30 वर्षों में उन्हें बनाया है और आप उन्हें 30 मिनट में गिरा देते हैं। उनका जिन्दा रहना कैसे संभव है ? अगर वे विदेशी हैं तो आप उनके नाम काट दीजिए; आप उन्हें देश से निकाल दीजिये। मुझे कोई एतराज नहीं है। परन्तु जो भारत के नागरिक हैं उनके मकानों को इस प्रकार से क्यों ढा दिया जाता है ? क्या उन्हें इस देश के कानून का संरक्षण नहीं मिलेगा ? बम्बई में जब निगम गन्दी बस्तियों को साफ करना चाहता था तो लोग सर्वोच्च न्यायालय चले गये और स्थगन आदेश ले लिया। उन्हें हटने के लिए समय मिल गया।

[श्री संतोष मोहन देव]

गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि असम आम तौर से शांत है। मैं इस बात से सहमत हूं कि वहां की सरकार लोगों के जनमत से आई है; उन्हें इस सरकार को चलाने के लिए पांच वर्ष का समय मिलना चाहिए। उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। परन्तु इन कामों के करने के लिए उन्हें इस समझौते का प्रयोग नहीं करना चाहिये। जब वे इस समझौते को लागू करना चाहते हैं तो वेकेन्द्रीय सरकार का नाम लेकर कहते हैं; वे कहते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यह केन्द्रीय सरकार कर रही है। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस तरह से समझौते को लागू करने के लिये कभी नहीं कहा। उन्हें इसे ठीक प्रकार से लागू करना चाहिए।

समझौते के अनुसार, 1966 से 1971 तक, आपको लोगों का पता लगाकर नाम काटना है और उस तारीख से उनका नाम दस वर्ष के लिए काट दिया जायेगा, उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। अब आपने आठ आई० पी० एस० अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है। आपने इसकी स्वीकृति दी है। यह भी मानने वाली बात है। परन्तु ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप अपने गृह सचिव, श्री प्रधान, द्वारा रेडियो और दूरदर्शन पर दिये गये प्रसारण को मत भूलिये उन्होंने कहा था, केन्द्रीय सरकार के अनुमान के अनुसार, इनकी संख्या लगभग एक लाख 10 हजार व्यक्ति हैं। अगर यह ठीक है, तो मतदाता सूची की तरह, सैकड़ों हजारों नोटिस नहीं दिये जाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भारत में तीन पीढ़ियों से रह रहा है, अगर वह यहीं पैदा और बड़ा हुआ है; अगर आप उसे यह कहते हुए नोटिस देते हैं कि वह एक विदेशी है, तो बुरा लगेगा। अतः आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों का नाम एक जनवरी, 1966 की मतदाता सूची में था उन्हें सीधे ही नागरिकता प्रमाण पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि यह समझौते में शामिल है।

आंतरिक सुरक्षा मंत्री के भाषण में यह कहा गया है कि सीमा सड़कों का निर्माण किया जायेगा। मैं इस विचार का स्वागत करता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में 'बालेश्वर' नाम की एक नदी है जो अब बंगला देश की सीमा पर पड़ती है, परन्तु वहां पर कोई पुल नहीं है। सीमा सुरक्षा बल या सेना के लोग या पुलिस के लोग वहां नहीं जा सकते। मैं सरकार से यह देखने का निवेदन करूंगा कि इस सड़क का निर्माण करने से पहले वहां पर पुल का निर्माण किया जाये; जब तक इस पुल का निर्माण नहीं किया जाता तब तक इस सीमा सड़क का कोई लाभ नहीं है।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मैं फिर सरकार से निवेदन करता हूं कि वह निश्चित करे कि इस समझौते का पालन किया जाये, परन्तु इससे पहले, कृपया इस देश के वास्तविक नागरिकों का ध्यान करें; उन्हें तंग नहीं किया जाना चाहिये। मैं आपसे मेरे चुनाव क्षेत्र में पुलिस के गोली चलाने की घटना के बारे में भी कार्रवाई करने का निवेदन करता हूं। अगर आप इस घटना पर ध्यान नहीं देते हैं जो भाषा के मामले को लेकर हुई है, अगर आप भाषा के मामले को बातचीत से हल नहीं करते जोकि गत समय में के० सी० पंत फार्मूला के द्वारा किया गया था, जो स्थिति नियंत्रण के बाहर हो सकती है। अतः, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि स्थिति को नियंत्रण से बाहर न होने दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : सभापति महोदय, गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का मैं समर्थन करती हूं। साथ ही साथ मैं इन राज्य मंत्रियों को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूं कि इन्होंने देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए अथक प्रयास किया है। देश में एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए इन्होंने जो कार्य किया है वह प्रशंसनीय है। मैं इनको विशेष कर धन्यवाद इसलिए भी देती हूं कि अभी दो-दिन पहले हमारे गृह मन्त्री ने यह ऐलान किया था कि महिलाओं की एक सेप्रेट पुलिस बटालियन तैयार की जा रही है और उनकी नियुक्ति की जा रही है।

सभापति महोदय, कल गंगा की पवित्र नगरी हरिद्वार में एक बड़ी दुर्घटना हो गयी और उस दुर्घटना में काफी लोगों की मृत्यु हो गयी। यह बड़ा करुण दृश्य था जो कि इतने सारे लोगों के शवों ने गंगा के किनारे उत्पन्न किया हुआ था। यह जो इतनी करुण दुर्घटना हुई उसकी जुडीशियल इंक्वायरी के आदेश दे दिये गये हैं और जुडीशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता लगेगा कि कहां त्रुटि रही, किस कारण से यह दुर्घटना हुई।

लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि जब इस प्रकार की असामान्य दुर्घटना घटती है और आम तौर से लोगों की ऐसी मानसिकता बन जाती है, लोग यह सोचते हैं कि पुलिस की गल्ती से ही ऐसी घटनाएं होती हैं वहां दूसरी तरफ जहां मृतकों की लाशें पड़ी हों एक दूसरा तमाशा हो। लोगों का यह कहना है कि पुलिस ने लाशों के कपड़े उतारे, महिलाओं के शरीर से जेवर और रुपये-पैसे की छीना-झपटी मची हुई थी। यह अमानवीय व्यवहार पुलिस ने भी किया। क्यों किया, यह एक बुनियादी बात है। पुलिस को ऐसी दुर्घटना के लिए हम स्केपगोट बना देते हैं लेकिन क्या कभी सदन ने इस बात पर ठंडे दिल से विचार किया कि ऐसी घटनाओं में पुलिस वालों का जो व्यवहार रहता है वह इस कारण से रहता है कि हमारा जो पुलिस विभाग है वह हमें अंग्रेजों की तरफ से धरोहर के रूप में जो मिला था वही हम लेकर चल रहे हैं। हमारी पुलिस विदेशी हुकूमत में जिस तरह से काम करती थी, उसी पद्धति से अभी तक काम करती आ रही है। हमारा वर्तमान पुलिस विभाग भी अंग्रेजी शासन द्वारा गठित पुलिस विभाग की नकल करता आ रहा है। अंग्रेजों के जमाने का अभिशाप अभी भी चला आ रहा है। जब हम गुलाम थे तो उस समय की हुकूमत पुलिस को जनता को प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल करती थी और उस समय पुलिस को आतंक और भय का प्रतीक समझा जाता था। उस समय पुलिस जनता के साथ क्रूरता का व्यवहार करती थी।

आजादी के बाद क्या हुआ ? हमारा देश कल्याणकारी राष्ट्र बना। इस कल्याणकारी देश में हमारी समस्याएं बढ़ती गईं, हमारे उत्तरदायित्व बढ़ते गये। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस के प्रशासन और प्रशिक्षण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, न पुलिस की मनोवृत्ति और न उसके दृष्टिकोण में कोई बदलाव आया। कल्याणकारी राज्य होने के बाद, हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद पुलिस को सर्विस ओरियेन्टेड होना चाहिए था जोकि वह अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस के लोगों में मानवता की भावना, गरीबों के प्रति हमदर्दी की भावना, अनुशासन की भावना, जनता की सेवा करने की भावना,

[श्रीमती कृष्णा साही]

आनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि हमने पुलिस के विशेष प्रशिक्षण पर जोर नहीं दिया।

अब राज्य मंत्री बड़ी दिलचस्पी लेकर पुलिस विभाग के हर पहलू पर सोच रहे हैं और उसमें सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूं कि उन्होंने ऐसे कार्य कि । हमें पुलिस में ऊपर से नीचे तक मानव मूल्यों, सोशल ह्यूमन वेल्यूज को लाना होगा, उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा।

आये दिन लोग कहते हैं कि पुलिस प्रशासन में हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप तो जरूर होगा, क्योंकि उसको निरंकुश नहीं छोड़ा जा सकता, अगर उसको निरंकुश छोड़ दिया जाता है तो वह मन-मानी करेगा। लेकिन हस्तक्षेप एक सीमा तक, एक लिमिट तक होना चाहिए। नहीं तो जनता की आवाज को हम लोग कैसे यहां पर ला सकते हैं। आज वक्त आ गया है जब पुलिस सर्विस में परिवर्तन की जरूरत है। आये दिन पुलिस सर्विस की तुलना अन्य सर्विसेस से की जाती है, लेकिन इसमें मैनेजमेंट की, गाइडेंस की और जो हमारी आगे सर्विस कंडीशंस हैं, उनमें सुधार की बहुत जरूरत है, क्योंकि आए दिन आम जनता के साथ पुलिस का संबंध होता है और जब पुलिस का संबंध जनता से होता है तो वह आलोचना की पात्र बनती है। इसलिए राज्य मंत्री जी अभी कुछ दिन पहले चव्हाण साहब थे और पटना गए थे, उन्होंने ऐलान किया था कि पुलिस बजट नान-प्लान का है, उसको प्लान में रखना चाहिए। मैं नहीं जानती कि अभी आपने इस पर विचार किया या नहीं, आखिर वह जो पुलिस प्रशासन है या पुलिस में जो लोग रहते हैं, वे भी इस संसार के, समाज के अंग हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी पढ़ाई-लिखाई की समस्या है, उनका भी जीवन-मरण का प्रश्न उठता है, तो वे भी एक मनुष्य के स्तर पर आकर सोचते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो भोरे कमेटी की रिपोर्ट बहुत दिनों से पड़ी हुई है, संभवतः अभी तक उसका कार्यान्वयन नहीं किया गया है, उसका कार्यान्वयन किया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे कमीशन बनाए गये, आयोग गठित किये गये, राज्य स्तर पर और अखिल भारतीय स्तर पर, लेकिन मैं समझती हूं कि ब्यूरोक्रेट्स ट्रैक कुछ ऐसा है, जिसके जंजाल में पड़कर पता नहीं अभी तक वे कहां पड़े हुए हैं। इसलिए मेरा सुझाव होगा कि अगर सभी बिन्दुओं पर विचार नहीं किया जाता है, पुलिस आयोग जो गठित किए गये हैं, खासकर के भोरे कमेटी और 1977 में धर्मवीर कमीशन बनाया गया था, उनके कुछ बिन्दुओं पर, जिनसे प्रशासन को बहुत लाभ हो सकता है, उन बिन्दुओं पर जरूर विचार किया जाए और उनका कार्यान्वयन किया जाए।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहती थी वह मानेटरिंग एण्ड इंप्लीमेंटेशन कमेटी जो राज्य एवं भारत सरकार के स्तर पर होनी चाहिए और उनका कार्यान्वयन भी सही ढंग से करना चाहिए। मैं यह कहना चाहती हूं कि 75 साल पहले का कानून, 1861 के तहत हम पुलिस प्रशासन को यहां चला रहे हैं। आज जनसंख्या बढ़ गई है, इतनी आबादी बढ़ने के बाद सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी परिवर्तन हुए और सांस्कृतिक द्वन्द्व चल रहा है। इस सांस्कृतिक द्वंद्व में अगर पुलिस का हम आधुनिकी-करण नहीं करेंगे, उनको सुख-सुविधाएं इस प्रकार से नहीं देंगे तो फिर हमारा प्रशासन कैसे चुस्त-

दुरुस्त हो सकता है।

सभापति महोदय, सरकार और राज्य की छवि में पुलिस की बहुत अहम भूमिका होती है, उस भूमिका को ध्यान में रखते हुए हमें यह सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसका माडर्नाईजेशन किया जाए। अभी जैसा कहा था राज्य मंत्री जी ने 3-4 दिन पहले ऐलान किया था कि महिलाओं की पुलिस में अधिक संख्या में बहाली होगी, लेकिन महिलाओं के प्रति अपराधों जो संख्या बढ़ती जा रही है। चाहे वे महिलाएं थाने में हों, दफ्तर में हों या वे महिलाएं अपने घर के बाहर जब जाती हैं, कहीं भी उसकी सुरक्षा नहीं हो पाती है। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो निरीह हैं, जिनका कोई नहीं है, वे हरिद्वार, अयोध्या, बनारस आदि तीर्थस्थानों में रहती हैं और एकाकी जीवन बिता रही हैं, वहां भी धर्म के कट्टर ठेकेदार उनके ऊपर अन्याय करते हैं। इसलिए आप अगर गृह विभाग में कार्यालय में उनको अधिक से अधिक संख्या में नौकरी देंगे तो उनका आर्थिक उन्नयन होगा और आर्थिक उन्नयन के साथ-साथ अपराधों में कमी आएगी। मैं इस बात की आशा करती हूं अपेक्षा करती हूं कि गृह राज्य मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे कि महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी और इसके बारे में कारगर कदम उठाए जाएंगे और पुलिस में उनको अधिक संख्या में बहाल किया जाएगा। मैं यह भी कहना चाहती थी कि आए दिन दहेज के बारे में चर्चा होती है, हमेशा दहेज को लेकर महिलाएं आत्महत्या नहीं करती हैं, और भी अनेक कारण होते हैं, इस ओर भी ध्यान दिया जाए कि किस प्रकार से इनमें कमी आए और अपराधी ऐसे काम आगे न कर सकें।

अंत में एक सुझाव देना चाहती हूं कि हमारी राजभाषा हिन्दी है और राजभाषा हिन्दी जब है तो हिन्दी का उपयोग सर्वत्र अपने मान और सम्मान के साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी हमारे यहां एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, उसमें विदेशी से भी महिलाएं आई हुई थीं, लेकिन राज्यमंत्री जो, जब मैंने बहुत प्रोटेस्ट किया तब हिन्दी में ट्रांसलेशन का इंतजाम हुआ।

4.00 म० प०

हमारी मातृभाषा है इसलिए हमें हिन्दी में भाषण देना चाहिए ताकि दूसरी जगह की आई हुई महिलाएं भी यह समझें कि इनके यहां भाषा का सम्मान होता है। जब तक भाषा का सम्मान नहीं होगा, तब तक देश में एकता और अखण्डता कैसे बरकरार रह सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं, और आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी) : सभापति जी, गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते हुए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि पिछले साल गृह मंत्रालय ने जो कार्य किया, देश के सम्मुख उपस्थित विभिन्न विकट समस्याओं का समाधान करने के लिए, वह अवश्य ही सराहनीय था। हालांकि यह बात स्पष्ट है कि गृह विभाग का अधिकांश मुख्य कार्य प्रदेश सरकारों के जिम्मे है। राज्यों में व्यवस्था कायम रखना, मुकदमों की निगरानी रखना या उस संबंध में जितने भी पुलिस के कार्य हैं, वे सब राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार के कामों में बहुत दखल नहीं दे सकती। लेकिन जब देश के सम्मुख कोई अहम मसला आता है, कोई मुख्य सवाल पैदा होता है जिसमें कई राज्यों का संबंध हो या राष्ट्र की नीति से संबंध हो तब केन्द्र सरकार का दायित्व

[श्री श्याम लाल यादव]

बढ़ जाता है और उस स्थिति में देश की एकता और अखंडता के लिए, उसकी सीमाओं की सुरक्षा के लिये कार्य करना पड़ता है जैसे पंजाब और असम की समस्याओं का समाधान करना पड़ा। उन दोनों राज्यों की स्थिति को सामान्य बनाने के लिये भारत सरकार ने जो प्रयास किया वह सराहनीय है। उस संबंध में इस सदन में कई बार चर्चा भी हो चुकी है। मैं ऐसा समझता हूं कि जिस दिन बहस हुई थी, उस दिन की बहस के बाद पंजाब में स्थिति काफी आशाजनक बनी है और स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। हमें आशा है कि पंजाब की सरकार और अधिक दृढ़ता के साथ काम करेगी ताकि वहां पर उग्रवाद समाप्त हो सके। कई सदस्यों ने एक बात कही, जिसको मैं भी कहना चाहूंगा और वह यह कि उत्तर भारत में इस समय साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। यह बहुत ही चिन्ताजनक है। मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय को इस संबंध में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। उसी सिलसिले में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक प्रधान मन्त्री ने बुलाई थी जिसमें सभी सदस्य आये और इस पर विचार-विमर्श हुआ। लेकिन यह विषय बहुत ही चिन्ताजनक था। अयोध्या में राम जन्म भूमि या बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया। जैसा तिवारी जी ने अभी कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि जब उत्तर भारत के अनेक गांव और कस्बों में विश्व हिन्दू परिषद के नेतृत्व में लोगों में भावना भरी जा रही थी, उस समय कोई कदम नहीं उठाया गया या उस पर ध्यान नहीं दिया गया, या उसके क्या प्रभाव होंगे, इसका कोई आंकलन नहीं किया गया। लेकिन अब स्थिति ऐसी हुई जब काश्मीर से लेकर और दूर तक के प्रदेशों में अशान्ति का वातावरण पैदा हुआ। अभी जो माननीय सदस्य काश्मीर के बारे में कह रहे थे तो मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां जाने का मुझे भी मौका मिला था। जो हमने वहां देखा, उसकी रिपोर्ट हमने कांग्रेस अध्यक्ष को पेश कर दी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि काश्मीर में सदैव सद्भाव और सौहार्द का वातावरण बना रहा है। इस समय जो कुछ हुआ है वह अत्यन्त ही अशोभनीय और बहुत ही निन्दनीय है। मुझे आशा है कि काश्मीर की जनता पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करेगी। इस प्रकार के प्रयास होंगे कि कोई भी व्यक्ति वहां से छोड़कर दूसरी जगह जाने की कोशिश न करे। सुरक्षा की भावना उसमें पैदा की जाए, उसी प्रकार से दूसरे प्रदेशों में भी होना चाहिए। मेरे शहर वाराणसी में और उसके पास के गांवों में कई विवाद महीनों से चलते रहे। तनाव बना हुआ है भारत सरकार उसे हल करे, लेकिन कभी-कभी उसमें ऐसी बात आ जाती है कि वह नहीं हो पाती। अब एक विंग है जो आर० एस० एस० है गांव-गांव में जाकर, मुहल्लों, घरों मे जाकर लोगों को ओम का झण्डा वितरित करते हैं और केसरिया झण्डा लगाने का आग्रह करते हैं। धार्मिक भावना से कोई भी लगाये उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन इस प्रकार का प्रयास नहीं होना चाहिए कि दूसरों को आपके इस काम से तकलीफ हो या दूसरों के दिल में इस तरह का संदेह पैदा हो।

इसी तरह से मुस्लिम एक्शन कमेटी बनी। उन्होंने भी काले झण्डे का ऐलान किया और उसका प्रदर्शन हुआ जिसका दुष्परिणाम हुआ कई जगह विवाद हुआ। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मसले पर गम्भीरता से विभिन्न दलों से बातचीत करके कोई समाधान निकाला जाये ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे, लोगों में तनाव न हो और हर धर्म की भावनाओं का समुचित आदर हो। जहां तक हो सके उसे प्रोटेक्शन भी दिया जाये।

4.05 म० प०

[श्री शरद विघे पीठासीन हुए]

मान्यवर, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि हत्या या जिस तरह से दुर्घटनायें, लूटपाट की घटनायें होती है इसकी ज्यादातर जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। पुलिस की भूमिका अक्सर ऐसे कार्यों में संदेहजनक होती है। अभी हमारे जिले में कांग्रेस के एक अच्छे वर्कर थे, रामचन्द्र यादव, वह ग्राम प्रधान भी थे। उनके और उनके परिवार के 7 व्यक्तियों की हत्या रात को सोते हुए कुछ अपराधियों ने की, मासूम बच्चों को बोटी-बोटी काट दिया। वह अपराधी थे, एण्टी सोशल एलीमेंट्स थे। ऐसी घटनाओं का विपक्षी दलों के नेता जाकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और यहां पर या विधान सभा में दूसरी बात कहते हैं। यह बड़ी चिन्ता की बात है। एक विपक्षी दल के नेता वहां गये और उन्होंने वहां जाकर एक भाषण दिया कि यह कांग्रेस की अन्दरूनी गुटबन्दी का असर है, जातिवाद का असर है। मैं समझता हूं हमें इस बात का पता नहीं है इस बात को लेकर वहां तनाव रहा। कुछ अपराधिक तत्वों ने मिलकर एक परिवार को साफ कर दिया। यह शुद्ध अपराधी थे, अपराधिक घटना थी अगर गृह मंत्री इसकी जांच करायें और करानी भी चाहिए ताकि जनता के सामने इन लोगों का पर्दाफाश हो सके। इसमें जितने अपराधी शरीक थे पिछले चुनाव में उन्होंने एक पार्टी विशेष का समर्थन किया जो विपक्षी पार्टी थी। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। आप जांच करायें किस पार्टी का उन्होंने साथ दिया···

श्री जैनुल बशर : जनता पार्टी का दिया था।

श्री श्याम लाल यादव : एक तरफ कांग्रेस पार्टी का झण्डा फहराते थे तो दूसरी तरफ अपना झण्डा फहराते थे। विरोधी दल हमारे प्रदेश में अपराधी तत्वों को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी गलतियों को छिपाने के लिये अनावश्यक रूप से आरोप लगाते हैं।

मैं समझता हूं हमारे कुछ मित्र उत्तर प्रदेश के बारे में जिक्र कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री और उनके सहयोगी बड़े ही साहस और सूझबूझ और धैर्य के साथ उत्तर प्रदेश की शान्ति व्यवस्था की स्थितियों से निपट रहे हैं और बड़ी शान्ति व्यवस्था कायम रखने में कामयाब हैं। इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश है वहां पर शान्ति व्यवस्था कायम करना कोई खेल नहीं है। फिर भी उन्होंने प्रयास किया है बावजूद तमाम भावनाओं और तनाव के वहां व्यापक रूप से शान्ति व्यवस्था है। कहीं छुटपुट अपराधिक घटनाएं हो जाती हैं। अपराधिक घटनाएं तो हुआ ही करती हैं, इसलिए कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसके लिए हम उसकी तारीफ नहीं करें।

मान्यवर, अन्तिम बात मैं कहना चाहता हूं पुलिस को और पावर देने की बात है। दिन-ब-दिन पुलिस की पावर बढ़ती जा रही है। किसी भी पक्ष की सरकार हो, चाहे दक्षिण में या उत्तर में किसी भी दल की सरकार हो सब पुलिस को अधिक से अधिक अधिकार देने की बात करते हैं। हमारा जो कानून है, चाहे दण्ड प्रक्रिया का हो, आई० पी० सी० हो, सी० आर० पी० सी० या दूसरे कानून हैं

[श्री श्याम लाल यादव]

उसमें पुलिस को बेहिसाब पावर है, पावर का कोई अन्त नहीं है। केवल पावर देने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अगर यह हुआ होता पावर ही उनको दी जाती तो यहीं पर जब श्री चव्हाण होम मिनिस्टर थे और एण्टी टेरेरिस्ट्स बिल लाये थे उस समय मैंने यही कहा था···जब तक कि उसके पीछे पूरी निष्ठा से, निवृत्ति के साथ, निष्पक्ष होकर पुलिस काम नहीं करती, क्योंकि कहीं भी पुलिस के कार्यों को सराहना देखने में आती नहीं है। वैसे उनके पास पावर बहुत हैं और वह किसी भी व्यक्ति को अपमानित कर सकती है, किसी व्यक्ति को लांछित कर सकती है और और उसको दंड देना आसान नहीं होता, इसीलिए मैंने कहा कि जहां आप पुलिस को पावर देना चाहते हैं, उसको वहीं आप परिभाषित भी कीजिए, उसको सीमित भी कीजिए। हर विभाग में पुलिस को पावर हैं, इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा।

हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस राज की हालत देखने के लिए माननीय गृह मन्त्री जी स्वयं किसी दिन चलें और किसी भी इलाके में देख लें, हर जगह सड़कों पर पुलिस ने बैरियर बना रखे हैं और वहां दो-चार लोग खड़े होते हैं। उनका काम कोई और नहीं, बस ट्रक वालों से पैसा वसूल करना है। अगर आप पुलिस को रोक नहीं सकते, पैसा देना रोक नहीं सकते और चाहें कि ट्रक वालों से एक जगह पैसा लेकर सारे थानों में बांट दिया जाये तो वह भी उचित होगा। लेकिन पुलिस जगह-जगह रोके और बेइज्जत करे तथा शिकायत करने पर उसकी सुनवाई न हो तो इससे बढ़कर चिन्ता की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। सारे प्रदेशों में एक जैसी स्थिति है और इसमें सुधार होना चाहिए। आज गोरखपुर से बनारस की ओर जितने ट्रक आते हैं जहां पहले उनको 100.00 रुपये देने पड़ते थे, आज वहीं उनको 500.00 रुपये देने पड़ते हैं। वे 500.00 रुपये कहां जाएंगे? हमारे मंत्री जी जब जनता के बीच में रहते हैं, और उसके बाद जब शपथ लेकर यहां आते हैं, तो वे दोनों बातों को भूल क्यों जाते हैं कि एक साधारण आदमी के साथ पुलिस किस तरह का व्यवहार करती है। जब आप मंत्री नहीं थे तो पुलिस का आपके साथ व्यवहार कैसा था। सभी जगह एक जैसी हालत है। चाहे बंगाल में सी० पी० एम० की सरकार हो, वह भी हमेशा पुलिस की सफाई देने के लिए तैयार रहती है। वहां हमारी एक महिला संसद-सदस्य के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया और मैं आशा करता था कि हमारे विपक्ष में बैठने वाले संसद-सदस्य जब दिन-रात सरकार की निन्दा करते हैं, बंगाल में जब इनकी सरकार है और वहां एक महिला संसद-सदस्य के साथ दुर्व्यवहार होता है तो ये उसकी आलोचना करके यहां एक आदर्श प्रस्तुत करते, उस पुलिस कर्मचारी की भर्त्सना करते, तब तो माना जा सकता था कि आप आदर्श प्रस्तुत कर रहे है लेकिन आपने तो उस पुलिस कर्मचारी की सफाई में कुछ तथ्य प्रस्तुत करने की कोशिश की, चुने हुए प्रतिनिधियों की आप जब निन्दा करते हैं तो वह उचित बात नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यदि आपके लोग ही दुर्व्यवहार करते हों तो···

श्री श्याम लाल यादव : चूंकि वहां आपकी सरकार है और आप वहां पर शिकायत करते हैं इसीलिए कहते हैं कि दूसरी जगह गलत हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सभी जगह पुलिस का व्यवहार एक जैसा है इसलिए आपको समान रूप से पुलिस के कार्यों की तारीफ करनी चाहिए और

गलत कार्यों की शिकायत करनी चाहिए।

यह बात सही है कि पुलिस के पास मुद्दई सही रूप से अपनी कम्पलेंट लेकर नहीं जाता। लोग सोचते हैं कि पुलिस काम किसी केस को गढ़ना है, शहादत पैदा करना है और इसीलिए कोई गवाही देने को तैयार कहीं होता। इन्वैस्टीगेशन में उम्मीद करते हैं। सोचते हैं पुलिस कैसे ही गवाह बनाकर लाए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भले ही उसके सामने घटना हुई हो फिर भी वह बयान नहीं देना चाहता। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि सारी प्रदेश सरकारों और केन्द्रीय सरकार को चुनौती भरा फैसला लेना होगा, हिम्मत के साथ फैसला लेना होगा कि गवाह जो भी बयान दे, पुलिस उस बयान को रिकार्ड कर ले, टेप-रिकार्ड कर ले। यदि उसके आधार पर केस चलता है तो चले और नहीं चलता है तो न चले। बहुत दिनों तक, कोई केस कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि सही बात कहने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इस तरह बहुत केस छूट जाएंगे। तब आकर के लोग सही बात कहेंगे, सही गवाही देंगे। जब हम अपने यहां स्काटलैंड पुलिस तैयार करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस भी वैसे ही आदर्श प्रस्तुत करे तो यहां के नागरिकों को भी वहां के नागरिकों की तरह ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ बनाना होगा। यदि एक आदमी ने लाठी मारी, किसी को चोट लगी और वह पांच आदमियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाता है ताकि 147 और 149 बन जाए और फिर वह केस छूट जाए। इसलिए जहां हम ऐसा चाहते हैं तो हमें दूसरी चीजों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। पुलिस के सामने जो व्यक्ति गवाही देने के लिए जाए, पुलिस वही लिखे और अपनी तरफ से कोई गवाही न बनाये, कोई गवाही रिकार्ड न करे, यह भी देखना होगा। जो कुछ गवाह कहे, सिर्फ उसी को रिकार्ड किया जाए। हालांकि बहुत दिनों तक केस चलना भी कई मुश्किलें पैदा करता है।

अन्त में, एक बात और कहकर समाप्त करता हूं। हमारे विभिन्न प्रदेशों में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० का जो कोटा निर्धारित है, वह पूरा होना चाहिए। जब हम लोग कश्मीर में गए तो वहां आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के कोटे को प्रदेश सरकार पूरा नहीं करना चाहती और वहां जिन स्टेट एम्पलाईज का प्रोमोशन होना चाहिए, वह भी नहीं किया जाता। वे तो अपने यहां आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों को रखना ही नहीं चाहते, बल्कि अपने स्टेट के प्रोमोटीज को ही सब जगह लगाना चाहते हैं। सभी प्रदेशों में एक जैसी भावना पाई जाती है। मैं चाहता हूं कि आई०ए०एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों का जितना कोटा निर्धारित हो, केन्द्र की ओर से उनका जितना कोटा आबंटित है, उसे पूर्ण रूप से पूरा करना चाहिए ताकि केन्द्र सरकार व्यापक रूप से इन अधिकारियों के जरिए अपना नियंत्रण रख सके और वहां सही काम करने की कोशिश की जाए। इस शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री मानिक रेड्डी (मेडक) : सभापति महोदय, मुझे गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों में

*मूलतः तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री मानिक रेड्डी]

भाग लेते हुए प्रसन्नता है। हम सभी जानते हैं कि आर्थिक तथा सामाजिक हालात दिन-प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं। साम्प्रदायवाद का फिर बोलबाला है। हम नहीं जानते कि कितने मूल्यवान जीवनों का तथा देश की कितनी सम्पत्ति साम्प्रदायिक दंगों में नष्ट हो गई है। हम यह भी नहीं जानते कि कितनी फैक्ट्रियों को इसके कारण काम बन्द कर देना पड़ा। अभी हाल ही में बटाला के 40 उद्योग पूरी तरह विनष्ट हो गये। इन सभी घटनाओं के बावजूद हमारे पास कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं है। अत: महोदय, मेरा आग्रह है कि सरकार देश में साम्प्रदायिक दंगों पर श्वेत-पत्र जारी करे ताकि हमें पता चल सके कि उन संघर्षों में कितनी जानें गईं तथा कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई तथा उन्हें रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है। अत: मैं मन्त्री महोदय से श्वेत-पत्र जारी करने का आग्रह करता हूं।

महोदय, हमारे गुप्तचर विभाग ने हमें बार-बार धोखा दिया है। उसका कार्य संतोषजनक नहीं है। कोई नहीं जानता कि हमारे गुप्तचर विभाग के लोग क्या कर रहे हैं। इसमें सन्देह है कि वे कार्य कर भी रहे हैं। हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री की दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई। तो भी हमारे गुप्तचर विभाग को उसका कुछ पता नहीं था। अभी हाल ही में चार्ल्स शोभराज तथा अन्य घोर अपराधी जेल से भाग निकले जबकि उन पर कड़ी चौकसी रखी जानी चाहिए थी। फिर भी हमारा गुप्तचर विभाग उसका पता नहीं लगा सका। दिल्ली में हमारे राजनयिक पर कई बार हमले हुए फिर भी हमारा गुप्तचर विभाग उनकी पूर्व जानकारी प्राप्त करने में विफल रहा। गुप्तचर विभाग का कार्य इस तरह का है। न केवल वे अग्रिम जानकारी प्राप्त करने में विफल रहे अपितु वे बाद में भी किसी भी घटना की पृष्ठभूमि खोजने में विफल रहे। अमरीकी गुप्तचर विभाग ने अमरीका में श्री राजीव गांधी की यात्रा के दौरान उनकी हत्या के षड़यन्त्र का पता लगा लिया था। उनका गुप्तचर विभाग उस षड़यन्त्र को रोक सकने में सफल रहा। हमारा देश बड़ा देश है। इसका कुशलतापूर्वक प्रशासन चलाने के लिए हमें सतर्क गुप्तचर विभाग की आवश्यकता है। हमें अपनी गुप्तचर सेवा में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। गुप्तचर कर्मचारियों को आधुनिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ताकि वे अपने कर्त्तव्य को प्रभावी ढंग से निभा पाएं। उन्हें ऐसा प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए तथा ऐसे उपकरण भी दिये जाने चाहिएं कि वे पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकें। मुझे उम्मीद है कि सरकार गुप्तचर विभाग को आधुनिक बनाने के लिए कार्यवाही करेगी।

महोदय, देश में छात्र असंतोष बढ़ता जा रहा है। हमारे शिक्षा परिसर अब शान्तिपूर्ण शिक्षा केन्द्र नहीं रहे। 1984 में लगभग 6603 छात्र संघर्ष हुए थे। जबकि 1985 में उनकी संख्या बढ़कर 11937 हो गई है। इससे पता चलता है कि देश में छात्र असंतोष बढ़ता जा रहा है। अत: छात्रों की विचारधारा बदले जाने की आवश्यकता है। इसमें मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होना चाहिए। छात्र असंतोष से निपटने के लिए प्रमुख शिक्षाविदों से परामर्श किया जाना चाहिए। छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, तभी हम अपने छात्र समुदाय में परिवर्तन ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मन्त्री महोदय शिक्षा परिसरों से छात्र संघर्षों का सफाया करेंगे तथा छात्र असंतोष को दूर करेंगे।

महोदय, देश में स्थिति शांतिपूर्ण नहीं है, देश के विभिन्न भागों में दंगे हो रहे हैं। गुजरात, पंजाब, त्रिपुरा और मणिपुर में दंगे हो रहे हैं। इन राज्यों में स्थिति बराबर बिगड़ती जा रही है। साम्प्रदायिक दंगे बढ़ते जा रहे है। दो देशों के बीच सीमा संघर्ष तो मैं समझ सकता हूं परन्तु दो राज्यों, असम एवं नागालैंड के बीच सीमा संघर्ष मेरी समझ में नहीं आता। बेशक इस समय युद्ध विराम हुआ है परन्तु पता नहीं किस समय हिंसा भड़क उठे। केवल मात्र असम में संघर्ष पीड़ितों को 1 करोड़ 62 लाख क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया है। सीमा संघर्षों की स्थिति को सरलता से समझा जा सकता है। मामलों के बारे में पता लगने पर ही क्षति पूर्ति दी गई। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका पता नहीं चलता। इसके कारण हमें अपने पुलिस बल को सुदृढ़ बनाना चाहिए। पुलिस को अधिक जीपें तथा अन्य शीघ्र परिवहन के साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिए ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक क्षमता से कर सकें। अधिक थानों तथा चौकियों का खोला जाना आवश्यक है। मुझे उम्मीद है है कि साम्प्रदायिक तथा अन्य दंगों को रोक कर देश में सामान्य स्थिति लाने का सरकार प्रयास करेगी।

महोदय, देश में तथा विशेष रूप से राजधानी दिल्ली में अपराध दर बढ़ती जा रही है। पिछले एक वर्ष में दिल्ली में 2700 अपराध हुए। कई अपराधों की रिपोर्ट ही नहीं की गई। इस अपराध दर को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता है।

इस समय दिल्ली परिवहन निगम तथा अन्य निकायों की मदद के लिए होम गार्डों का उपयोग किया जाता है। उनके क्रियाकलापों को किसी विशेष संगठन तक सीमित करने के स्थान पर यदि उनकी सेवाओं को अन्य क्षेत्रों में भी उपयोग किया जाये तो बेहतर रहेगा। होम गार्डों तथा अन्य असैनिक सेवाओं का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए ताकि वे समाज की अच्छी तरह सेवा कर सकें।

महोदय, हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस एकादमी के कार्यकरण में जोकि पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रमुख संस्था है सुधार करने की आवश्यकता है।

महोदय, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की बहुत सी सिफारिशें अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई है। पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इससे देश में बिगड़ रही स्थिति में सुधार लाने में सफलता मिल सकेगी।

महोदय, भारतीय प्रशासनिक सेवा को देश की सिविल सेवाओं में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रति अन्य सेवाओं जैसे भारतीय पुलिस सेवा को तुलना में अधिक आकर्षण है। पुलिस सेवा कई योग्य अधिकारियों की सेवाओं से हाथ धोती जा रही है। अतः इस अस्वस्थ प्रवृत्ति को रोकने के लिए भारतीय पुलिस सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा के समान समझा जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए अधिक आकर्षण कम हो जायेगा।

महोदय, यह मन्त्री अन्य बहुत से मन्त्रालयों जैसे स्वास्थ्य, पशु-पालन, कृषि, ग्रामीण विकास,

[श्री मानिक रेड्डी]

आदि के विभिन्न कार्यों की देखभाल करता है। इसलिए गृह मंत्रालय बहुत बड़ा बन गया है। गृह मंत्रालय का अधिक समय उन कार्यों में लग जाता है जोकि प्रत्यक्षतः गृह मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं रखते। परिणामस्वरूप गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाता अतः मेरा सुझाव है कि अन्य विभागों से सम्बद्ध मामले गृह मन्त्रालय को न सौंपे जायें, उन्हें सम्बद्ध मंत्रालय ही देखें। इससे गृह मन्त्रालय आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित कर पाएगा। इससे देश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सुधर सकेगी।

महोदय, मैं कुछ शब्द विचाराधीन बंदियों के बारे में कहना चाहता हूं। न्यायालयों में उनके मामलों में काफी विलम्ब होता है। काफी समय से उनके मामले न्यायालयों में पड़े हुए हैं। ये विचाराधीन बन्दी 5-6 वर्ष से न्यायालयों के फैसले की प्रतीक्षा में जेलों में काट देते हैं। कई मामलों में न्यायालय उन व्यक्तियों को निर्दोष घोषित कर देता है। ऐसे कुछ बन्दियों को कारागार का दंड भोगना पड़ता है। इतने समय में उनकी विचारधारा बदल सकती है, वे लोग घोर अपराधी भी बन सकते हैं। ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए।

घोर अपराधियों को सुधारने के लिए सरकार को मानवीय उपाय बरतने चाहिएं। उसी तरह तरुणों के मामले में हमें आधुनिक प्रणाली अपनानी चाहिए। पथ-भ्रष्ट बालकों के सुधार के लिए पुराने उपाय बरते जा रहे हैं। उनके दृष्टिकोण को बदलने के लिए पुराने उपाय छोड़कर नये तरीके अपनाए जाने चाहिएं।

महोदय, हम अपने देश का औद्योगीकरण करना चाहते हैं। बहुत से देशी-विदेशी यहां पूंजी लगाना नहीं चाहते क्योंकि उनके उद्योगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। देश में बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति उद्यमियों के उत्साह पर पानी फेर रही है। देश की समृद्धि उद्योगीकरण पर निर्भर करती है तथा उद्योगीकरण कानून और व्यवस्था पर निर्भर करती है। अतः सरकार को कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के उपाय करने चाहिएं।

अपने देश में सीमा पार से घुसपैठियों के प्रवेश को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल को मजबूत बनाया जाना चाहिये। घुसपैठियों को रोकने के लिए सीमा की उचित रूप से चौकसी करना जरूरी है।

महोदय, सरकार को घोर अपराधियों के प्रति मनोवैज्ञानिक रुख अपनाना चाहिए। भूतपूर्व अपराधियों का पुनर्वास अच्छी तरह किया जाना चाहिए ताकि वे फिर से अपराधिक कार्यवाहियां न करें।

महोदय, भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं आपको मुझे बोलने का अवसर देने के लिये धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी और अपने गृह मंत्री जी को बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा, जिस ढंग से वर्तमान परिस्थितियों में उन्होंने निर्णय लिया है, वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाये रखने में निश्चित रूप से सक्षम साबित होंगे।

सारे लोग इस बात को जानते हैं कि हिन्दुस्तान एक बड़ा मुल्क है, जिसकी बहुत लम्बी-चौड़ी सीमाएं हैं। उन सीमाओं पर पहले जब खतरा होता था तो हमारी आंतरिक मजबूती होती थी, और हम उस खतरे से आसानी से निपट लेते थे। विदेशी ताकतें इस बात को पहचान गई कि सीमाओं पर अकेले खतरा पैदा करने पर हम इस देश में सफल नहीं हो सकते हैं तो उन्होंने हमारी आन्तरिक सुरक्षा को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया और उसके परिणाम आज हम देख रहे हैं। चाहे जम्मू-काश्मीर हो, पंजाब हो, गुजरात की सीमाएं हों, राजस्थान की सीमाएं हों चाहे नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स हों, जहां कभी भी हमारी बार्डर स्टेट्स हैं, उन सब में एक नियोजित ढंग से असुरक्षा की भावना फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, वहां अशांति की बात फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। वहां पर जो साम्प्रदायिक सद्भाव बना हुआ था, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे ढंग से विदेशी ताकतें इसमें सक्रिय हैं और जाने-अनजाने जो हमारे देश के नागरिक हैं और विरोधी दल के नेता हैं, वह उनका समर्थन करने लगते हैं।

इससे पहले काबुली साहब ने तकरीर की थी। उसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का जिक्र किया था। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे पास इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि मैं जब कश्मीर गया था तो अनन्तनाग में मैंने देखा कि डिग्री कालेज में पाक समर्थक नारे लिखे हुए थे। मैं यह नहीं कहता कि शाह सरकार अच्छी थी या फारूक सरकार अच्छी थी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह सारी चीजें एक दिन में डेवलप नहीं होती हैं।

हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इंदिरा जी जब इस बात को कहती थीं कि हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा है तो हमारे विरोधी दल के नेता कहते थे कि इन्दिरा जी देश की एकता और अखंडता का हौवा दिखाकर इस देश से वोट लेना चाहती है। अब यह बात ठीक साबित हुई है तो यह विरोधी दल वाले इस बारे में चुप्पी साधे बैठे हैं। अब हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव जी इस बात को बोलते हैं तो हमारे विरोधी दल के लोग इसे गम्भीरता से नहीं लेते हैं।

हमारे आन्तरिक सुरक्षा राज्य मंत्री ने पिछले दिनों अपनी तकरीर में बहुत-ही अच्छी-अच्छी बातें कहीं थीं। में उन तमाम बातों का समर्थन करता हूं। उन्होंने जिस तरह नार्थ-ईस्टर्न की समस्या सुलझाने के लिए 2200 किलोमीटर लम्बी सड़क बनाने की बात कही और कहा कि छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके विकास के लिए अधिक धन का प्रावधान किया गया है, इसके लिए भी मैं उनका समर्थन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं।

[श्री रामेश्वर नीखरा]

हमारे विरोधी दल के जितने नेताओं ने यहां पर अपना भाषण दिया, उन्होंने इस बात को कहा है कि आज देश में असुरक्षा का वातावरण है। मैं उनकी जानकारी के लिए उन्हें बताना चाहता हूं कि सारे राज्यों देश से मिलकर बना है और सारे राज्यों में कांगेस की सरकार न होकर दूसरे दलों की भी सरकारें हैं। आन्ध्र प्रदेश की सरकार को ही देखें। वहां के नेता एन०टी०आर०जब भी बात करते हैं तब तेलगू देशम की ही बात करते हैं। उन्होंने कभी राष्ट्रीय एकता की बात नहीं कही, कभी पूरे हिन्दुस्तान की बात नहीं कही।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पहले हम भारतीय हैं। बाद में आन्ध्र प्रदेश के। महोदय, वह सभा को गुमराह कर रहे हैं। इन बातों को कार्यवाही वृतांत से निकाला जाना चाहिए ··(व्यवधान) अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र सुरक्षित है। आप आंध्र में एक और पंजाब पैदा करना चाहते है। आप अनावश्यक रूप से इस मामले को उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा : आज सबसे ज्यादा वायलेंस आंध्र प्रदेश में हुआ है। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसको इम्पलीमेंट करना चाहिए। ((व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अरुण नेहरू : उनके भाषण के समय हमने व्यवधान नहीं डाला।

श्री पी० एम० सईद : यह असंसदीय है तो आप उन्हें वापस लेने को कह सकते हैं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : उन्होंने श्री रामा राव का नाम क्यों लिया ?···(व्यवधान) आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से एक है। हम राष्ट्र विरोधी नहीं हैं। हम आप से अधिक राष्ट्रीय है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया जारी रखें, इसमें कोई बुराई नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा : आप इस बात का जवाब जरूर दीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या आप इसे साबित कर सकते हैं ?

श्री रामेश्वर नीखरा : मैं कर सकता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका : यह तथ्य हैं। इन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बाल कवि बैरागी : सभापति महोदय, आंध्र के सन्दर्भ में एन० टी० आर० का नाम न लें तो किसका नाम लें।··· (व्यवधान)

श्री रामेश्वर नीखरा : सभापति जी, जब सामने की बैंच वाले बिहार और उत्तर प्रदेश आदि की बात कर सकते हैं तो क्या हम इनके राज्य की बात नहीं कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करने से यह इस तरह ढंग से क्यों खड़े हो जाते हैं··· (व्यवधान)···

आंध्र प्रदेश में जिस ढंग से वायलेंस हुआ, जिस तरह से गरीबों की जमीन पर बड़े-बड़े लोगों ने कब्जा किया तो वहां की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब हाईकोर्ट ने गरीबों के पक्ष में जो फैसला दिया, सरकार को उनकी जमीन वापिस करनी चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसके लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।··· (व्यवधान)···

श्री सी० जंगा रेड्डी : जितने भूमि सुधार कानून आए हैं उनका इम्लीमेंटेशन आंध्र प्रदेश के सिवाय और किसी प्रदेश में नहीं हुआ चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो चाहे और कोई सरकार हो।

श्री रामेश्वर नीखरा : इस रिजीम के सरकार में आने के बाद हैदराबाद में सब से ज्यादा कम्यूनल दंगे हुए हैं, यह सारा देश जानता है।··· (व्यवधान)

श्री बालकवि बैरागी : मैं निवेदन करूंगा कि अपने नेता का नाम सुनने में उनको तकलीफ होती है तो आप क्यों उनके नेता का नाम लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : अपने नेता का नाम सुनने के लिए हम तैयार हैं लेकिन निन्दा सुनने के लिए तैयार नहीं हैं··· (व्यवधान)···वह हमारे मुख्य मंत्री हैं··· (व्यवधान)···

श्री रामेश्वर नीखरा : मैं माननीय गृह राज्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि अभी तीन दिन पहले जब उन्होंने इंटरवीन किया तो सारे लोगों ने उनके वक्तव्य की बड़ी सराहना की और वास्तव में उनका वक्तव्य बहुत ही सराहनीय था। सारे राष्ट्रीय दलों से सारे राष्ट्र के लोगों से, इस पार्लियामेंट के लोगों से उन्होंने एक जुट होकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात कही और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की बात कही। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस देश के प्रधान मंत्री देश की समस्याओं को हल करना चाहते हैं। जलते हुए पंजाब में उन्होंने शांति लाने का पूरा प्रयास किया। आसाम की समस्या को सुलझाने की उन्होंने पूरी कोशिश की। पर जिन उद्देश्यों से

[श्री रामेश्वर नीखरा]

उन्होंने पंजाब और आसाम का समझौता लागू किया उन उद्देश्यों की पूर्ति वे सरकारें पूरी तरह से नहीं कर रही हैं। उन्होने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस बात को सोचा कि अगर हमारे इन दोनों प्रान्तों में यह अशांति बनी रहती है तो पूरे देश में गड़बड़ी बनी रह सकती है। परन्तु अकाली सरकार ने वहां पर आकर के उन लोगों को छोड़ दिया जो पुराने बड़े जघन्य अपराधों में शामिल थे···(व्यवधान)··· और उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं कि किस ढंग से आज वहां पर सारा वातावरण बना हुआ है, किस ढंग से हत्या हो रही है···(व्यवधान)···

इनकी पार्टी में तो फ्रीडम आफ स्पीच हैं ही नहीं। वहां पर तो एक तरह से एक राज्य चलता है···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री अरुण नेहरू : हम किसी व्यक्ति के आलोचक नहीं रहे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। अगर माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें कहने का मौका मिलेगा।

हमने आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्य को परेशान नहीं किया, जब वह बोल रहे थे···सभी बातें कार्यवाही वृतांत में शामिल की जा रही है (व्यवधान)

जो कुछ भी हो, आपको मौका दिया जायेगा हम उत्तर देंगे।

सभापति महोदय : सदन में बोलने की स्वतन्त्रता है। वह आलोचना कर सकता है। आप उत्तर दे सकते हैं वास्तव में यह एक वाद-विवाद है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा : इसी तरह से आसाम की बात है···(व्यवधान)···

श्री सी० जंगा रेड्डी : नक्सलवादियों को किसने खत्म किया है ? एन० टी० रामाराव ने खत्म किया है···(व्यवधान)

श्री बालकवि बैरागी : जंगा रेड्डी साहब के नेता दिन में अलग हैं और रात में अलग है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : हमारे नेता दिन और रात दोनों में एक ही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि एन० टी० रामाराव के आने के बाद वहां उन्होंने नक्सलवादियों को खत्म कर दिया ला एंड आर्डर प्राबलम को उन्होंने सुलझा लिया है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप सदस्य को बोलने क्यों नहीं देते ? सदस्य को बोलने दो। मंत्री द्वारा,

सरकार द्वारा उत्तर दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा : जहां तक असम एकार्ड का सम्बन्ध है, जिन भावनाओं के साथ माननीय प्रधान मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने और कांग्रेस पार्टी ने एग्रीमेन्ट किया था उसको सारा देश अच्छी तरह से जानता है । वहां पर कांग्रेस की हुकूमत नहीं रही । हम भी पहले से इस बात को जानते थे कि उनकी बात मानी जाती है तो हमारी हुकूमत वहां पर नहीं रह सकती है । लेकिन इसके बावजूद, वहां पर हमारी हुकूमत रहे या न रहे, इस देश की एकता और अखण्डता कांग्रेस पार्टी के लिए पहली बात है । इसी बात को सिद्ध करने के लिए राजीव गांधी जी ने वहां पर समझौता किया । लेकिन आज वहां के जो मुख्य मन्त्री हैं वे उन भावनाओं के साथ नहीं चल रहे हैं । आज वहां पर जो एक्स मिनिस्टर्स हैं उनपर हमले किए जा रहे हैं । वहां के कांग्रेसमेन पर हमले किए जा रहे हैं । (व्यवधान) सरकार जिस ढंग से वहां पर डिसीजन ले रही है उसके परिणामस्वरूप वहां पर जो बंगाली माइनारिटी है या जो हमारी दूसरी मुस्लिम माइनारिटी है वे अपने आपको वहां पर अकेला महसूस कर रहे हैं । वहां पर जो नार्थ इंडियन्स हैं उनके बीच मैं गया हूं । उन्होंने बताया कि यहां पर हमारी चार-चार पीढ़ियों ने जन्म लिया है, हमारे पूर्वज यहीं पर पैदा हुए हैं, हमारी सारी जमीन जायदाद यहीं पर है, हमारे सारे रिश्तेदार यहीं पर हैं लेकिन हमको यहां से हटाने की बात की जा रही है ।

माननीय सभापति जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करते हुए भी वहां की सरकार को बतायें कि जो असुरक्षा की भावना वहां के लोगों में पैदा हुई है उस असुरक्षा की भावना को समाप्त किया जाए ।

मैं माननीय गृह राज्य मंत्री के वक्तव्य से पूरी तरह से सहमत हूं । उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जिस ढंग से हमारी पुलिस काम कर रही है और इस देश में जिस ढंग से अपराधियों में आधुनिक ढंग से अपराध करने की प्रवृत्ति आई है वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती है । एक तरफ स्टेनगन लेकर आतंकवादी आता है या कोई दूसरा अपराधी आता है वहां दूसरी ओर हमारी होम गार्ड या पुलिस का सिपाही एक डंडा लेकर खड़ा हो जाता है तो कैसे हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं ।

इसी प्रकार से उन्होंने जो पुलिस दल को ट्रेन करने की बात कही है और उसके लिए जो धनराशि रखी है उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोग पुलिस में काम कर रहे हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी ही है । पुलिस के पक्ष में बोलना आज सबसे कठिन काम है । सामयिक दुर्घटनायें और प्राकृतिक आपदायें ऐसी आ जाती है कि कितना ही अच्छा काम प्रशासन और पुलिस क्यों न करे वह निरर्थक हो जाता है । अभी कल का ही हरिद्वार का वाकया है, मैं स्वयं हरिद्वार गया हुआ था वहां पर सारे लोगों ने प्रशासन की तारीफ की, सारे लोगों ने बताया कि पिछले दिनों में बहुत अच्छा काम चल रहा था । जहां सबसे अधिक भीड़

[श्री रामेश्वर नीखरा]

होनी चाहिए थी, हरि की पैड़ी पर—वहां पर लोगों ने बहुत अच्छी तरह से स्नान किया लेकिन जहां पर अधिक भीड़ नहीं थी वहां पर एक एक्सीडेन्ट टाइप की नात हो गई और इतनी दुर्घटनायें हो गई। तो जहां पुलिस की तारीफ होनी चाहिए वह समाप्त होकर उनपर आरोप लगने लगते हैं। खैर, यह बात तो हमेशा चलती ही रहेगी लेकिन मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उनकी सामाजिक सुरक्षा की ओर भी ध्यान दें। वे किस ढंग से और किस वातावरण में रहते हैं इसपर भी ध्यान दें। उनको कितनी तनख्वाह मिलती है उसमें वे कैसे ईमानदारी से रह सकते हैं—इसपर भी आप ध्यान दें। न तो उनको रहने के लिए मकान मिलते हैं न किसी प्रकार की दूसरी चीजें मिलती हैं। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। इसकी पूर्ति करने के लिए उनको अदर मीन्स अपनाने पड़ते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस देश की पुलिस का स्तर सुधरे तो आपको उन की सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने, जो दो सौ करोड़ रुपये 14 संगठनों के आ रहे हैं उनके नाम तो नहीं बतलाए हैं लेकिन उन 14 संगठनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें क्योंकि जहां तक मेरा विचार है हमारे संसदीय क्षेत्र में भी उनमें से एक संगठन काम कर रहा है। यूनियन कारवाइड में जो इतना बड़ा काण्ड भोपाल में हुआ उसके लिए सरकार ने जितनी मदद की उसके लिए सरकार की तारीफ न करते हुए सरकार के खिलाफ वातावरण बनाने का कार्य एक संगठन वहां पर करता रहा।

मैं माननीय गृह राज्य मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो आई० ए० एस०, आई० पी० एस० अधिकारी देहरादून मसूरी से ट्रेनिंग लेकर जाते हैं वे देश का जो भ्रमण करते हैं उसमें एक स्थान वनखेडी, जहां पर वह संगठन काम करता है, वहां पर कुछ सीखने और एक रात बिताने के लिए वे जाते हैं और वहां पर प्रशासनिक पीढ़ी से उनका परिचय होता है। वहां पर अदर ढंग से उनको वे ओबलाइज करते हैं जिससे प्रशासन पर उनकी पकड़ बनी रहती है। ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्यवाही करें और वहां पर आई० ए० एस०, आई० पी० एस० अफसरों के लिए जो एक रात रुकने और सीखने की बात रखी गई है उसको आप समाप्त करने की कृपा करें।

मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जी को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं, हालांकि इस देश के अन्दर जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, वे इस बात के आदी थे कि गृह मंत्रालय जब तक···जंगा रेड्डी जी बैठिए, आप कहां जा रहे हैं।

श्री अरुण नेहरू : वे यहां आ रहे हैं।

श्री रामेश्वर नीखरा : जंगारेड्डी और जंगारेड्डी साहब की पार्टी इस बात की आदी थी कि जो सरकार कमीशन न कायम करे, जो सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तार न करे, वह सरकार और उसका गृह मंत्रालय ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। जनता रीजिम में जिस ढंग से इन्होंने काम किया, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को महिला होने के नाते गिरफ्तार किया गया और अरूणाचल प्रदेश व नागालैंड में छोटे-छोटे मुकद्दमे चलाए, उस तरह से हमारी सरकार काम नहीं करती है। जब हमारी सरकार इस तरह से कमीशन नहीं कायम करती है, तो इनको लगता है कि हमारी सरकार का

गृह मंत्रालय ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है और एक प्रश्न चिह्न खड़ा कर देते हैं। हमारी सरकार कमीशन लागू नहीं करती है, लोगों को इस ढंग से परेशान नहीं करती है, जिस ढंग से पोजिटिव एप्रोच लेकर इस देश के अन्दर पुलिस को सुधारने का काम किया जा रहा है, देश की एकता और अखण्डता को बरकरार रखने का काम किया जा रहा है, देश की आन्तरिक सुरक्षा को बरकरार रखने का काम किया जा रहा है, उसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

अन्त में मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं। सी० आर० पी० सी० में कुछ धारायें ऐसी हैं, जिनके माध्यम से पुलिस अकारण ही लोगों को परेशान करने लगती है। वे धारायें 107, 116, 109, 110 हैं, जिनके द्वारा पुलिस अकारण ही लोगों को परेशान करती है। वे अपने पास बैठाकर रखते हैं, जमानत के नाम पर परेशान करती है। गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को दिया गया है। यदि इन धाराओं को आप ड्रॉप कर सकें, तो निश्चित ही एक बहुत अच्छा कदम सरकार उठाएगी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः···

श्री रणवीर सिंह : वे धारायें तो बहुत जरूरी हैं। और कुछ बात आप करें।

श्री रामेश्वर नीखरा : जहां तक लॉ एंड आर्डर का प्रश्न है। यह चीज जुडिशियरी पर भी निर्भर करती है। देश के अन्दर लाखों मामले पैंडिंग पड़े हुए हैं।

सभापति महोदय : आपने अपनी बात समाप्त कर दी थी।

श्री रामेश्वर नीखरा : मैंने समाप्त नहीं किया था। वे बीच में बोलने लगे। आपने लोक अदालत के माध्यम से मामलों को सुलझाने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में परसों एक दिन में 500 के करीब मामले सुलझाए गए हैं। लोगों को न्याय समय पर नहीं मिल पाता है, तो उससे लॉ एंड आर्डर खराब होता है। लॉ एंड आर्डर में जो लोग गवाही देने के लिए आते हैं, उनको पुलिस परेशान करती है। गवाही देने के बावजूद भी मुजरिम जब छूट पाता है, तो लोगों के अन्दर असुरक्षा की भावना फैलती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करें, जिससे लोगों को जल्दी न्याय मिल सके।

मैं गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वांगफा लोवांग (अरूणाचल पूरब) : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय के अधीन बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्री राजीव गांधी के नेतृत्व के अधीन जाकर अच्छे प्रशासन को लाने के लिए राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को देश से निकालने के सभी सम्भव उपाय कर रही है।

मैं सोचता हूं, हम सबको समर्थन और सहयोग करना चाहिए। हम सब पंजाब में हो रही दुःखद घटनाओं से परिचित और उत्तरी-पूर्वी राज्यों में हुई घटनाओं का हमें पूरा अनुभव है। कुछ

[श्री वांगफा लोवांग]

राज्यों में हिंसा, अभित्रास, मारधाड़ और अस्थायीकरण की धमकी रोज की बात है। हम सबको सावधान रहना चाहिए।

सौभाग्यवश, अरूणाचल जहां से मैं आता हूं अभी तक एक शान्तिपूर्ण क्षेत्र रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि ब्रिटिश काल के दौरान अरूणाचल प्रदेश हमारे देश तथा चीन और बर्मा के बीच का एक अहस्तक्षेपीय क्षेत्र समझा जाता था। जहां उचित प्रशासन और विकासशील गतिविधियां नहीं थीं। जिसके परिणामस्वरूप वहां के लोग राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थे। सौभाग्यवश स्वतंत्रता के पश्चात् हमारी सरकार ने वहां नियमित रूप से प्रशासन को चलाया है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के समय के दौरान 1975 में अरूणाचल प्रदेश को उत्तर-पूर्व 'फ्रन्टियर एजेन्सी' के नाम से जाना जाता था, को केन्द्र प्रशासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। यह अभी भी एक केन्द्र प्रशासित प्रदेश है इसकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था का संबंध वहां के प्रशासन का ही नहीं है बल्कि केन्द्र का भी है।

श्रीमन, अरूणाचल प्रदेश बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, विशेषतया बर्मा सीमा पर तिरप जिला बहुत संवेदनशील होता जा रहा है। सीमा पार गुप्त संगठनों की गतिविधियों के कारण सीमा क्षेत्र में रह रहे लोग बहुत डरे हुए हैं। हाल ही में मैंने तिरप जिले के कई सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया है। लोग अपने भय को व्यक्त कर रहे थे क्योंकि पिछले वर्ष 16 व्यक्ति गुप्त विरोधी तत्वों द्वारा अपहृत कर लिए गए थे। निस्संदेह उनमें से अधिकतर रिहा कर दिये गये थे। लेकिन चार अभी भी बर्मा में हैं। चूंकि पूरी बर्मा सीमा पर बर्मी सरकार द्वारा कोई नियन्त्रण नहीं है, इसलिए यह गुप्त तत्वों का अड्डा बन गया है। सीमा पार से यह सभी तत्व कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। अधिकतर लोग सेना को सीमा पर तैनात कराना पसंद करते हैं। वे अपनी सुरक्षा चाहते हैं लेकिन इसके साथ ही सेना बल विशेष अधिकार अधिनियम के अधीन है। जिसमें सीमा क्षेत्र से 20 कि० मी० तक की दूरी तक के पूरे अरूणाचल प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित करना बहुत ही अन्याय था और जिला उप-विभागीय मुख्य कार्यालय भी उस क्षेत्र में शामिल है। सेना को केवल सीमा तक परिसीमित होना चाहिए और इतने बड़े क्षेत्र को गड़बड़ी वाला इलाका घोषित नहीं करना चाहिए। गड़बड़ी वाला क्षेत्र सीमा से 5 कि० मी० तक ही होना चाहिए। यह लोगों की भावना है।

दूसरा सुझाव एस० एस० बी० इकाई के बारे में देना चाहता हूं जो सीमा क्षेत्र पर चौकसी का कार्य कर रही है। यह प्रभावात्मक ढंग से सेवा कर रही है। इस संगठन को मजबूत बनाना चाहिए। क्योंकि वह चौकसी के कार्य के साथ-साथ प्रदेश में कई सामाजिक और विकासशील गतिविधियों में भी हिस्सा ले रहे हैं। यह संगठन बहुत उपयोगी हैं और इसको मजबूत करना चाहिए। यह सीमा क्षेत्र में सैनिकों तथा असैनिकों दोनों के लिए सहायक है। यह एक प्रकार की गुप्तचर सेवा के रूप में भी कार्य करता है।

दूसरे इस प्रदेश में पुलिस बल जो कुछ दिन हुए बना है, को भी मजबूत करना चाहिए और

स्थानीय युवकों को एस० एस० बी० और ए० पी० पी० में भर्ती किया जाना चाहिए। उन्हें समुचित प्रशिक्षण देने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में नियुक्त किया जाना चाहिए। ताकि कानून एवं व्यवस्था का भली भांति ध्यान रखा जा सके।

दूसरा सुझाव मैं आसाम, अरूणाचल प्रदेश तथा नागालैंड के बीच सीमा विवाद के विषय में देना चाहता हूं। महोदय, अरूणाचल एक नवनिर्मित संघ शासित क्षेत्र है। यहां तक कि यह राज्य भी नहीं है अतः यह स्वाभाविक ही है कि अरूणाचल प्रदेश की ओर ज्यादा दबाव दिया जाता है। हमने अधिकांशतः देखा है कि हिंसात्मक घटनाएं सीमावर्ती क्षेत्र में ही होती हैं। अतः इसका कोई न कोई हल निकालना चाहिए तथा यह निश्चित है कि यह सभी राज्य एक दूसरे से भाई-बहिन की तरह जुड़े हुए हैं तथा इन सभी में आपस में विवाद है। यह देखना सरकार का कर्तव्य है कि यह विवाद शांति से हल हो जाये तथा हम किसी समझौते पर पहुंचें। यह सरकार का ही कर्तव्य है। वह उनकी समस्या को समझे। इसलिये मैं भारत सरकार से यह पहल करने का अनुरोध करूंगा कि इस ससस्या का समाधान हो और न्याय किया जाये। अन्यथा यह समस्या बनी रहेगी तथा जैसा कि मैंने कहा कि अरूणाचल जो चीन तथा बर्मा से जुड़ा हुआ है शीघ्र प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। चीनी आक्रमण के बाद ही देश को अरूणाचल प्रदेश के बारे में पता चला। यह स्वाभाविक ही है कि शरीर के किसी भाग में अगर कुछ तकलीफ होती है तो सारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा ही उस समय हुआ जब चीन ने आक्रमण किया। सारे देश में सीमाओं पर कठिनाई का अनुभव हुआ। अभी तक यह शान्त रहा है। इसलिए महोदय, जब तक हम सावधान नहीं होते तथा समस्या को शुरू होने से पहले ही समाप्त करने की कोशिश नहीं करते तो आने वाले दिनों में और ज्यादा समस्याएं सामने आ सकती हैं इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए तथा यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए उचित प्रशासन व्यवस्था हो तथा उनकी ठीक से देखभाल की जाये। इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : सभापति महोदय, संवैधानिक तन्त्र में गृह मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो आन्तरिक सुरक्षा, राज्यों के विभाग, शासकीय भाषाओं के विभाग, गृह विभाग आदि से मिलकर बना है इसलिए यह देश के सम्पूर्ण प्रशासन में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाता है और निभानी पड़ती है। आज पंजाब की स्थिति से हम सब अवगत हैं स्वाभाविक व स्पष्ट रूप से इस सदन का प्रत्येक सदस्य इस संबंध में अपने विचार प्रकट कर सकता है। यह एक विषय है जहां मैं नहीं सोचता कि किसी व्यक्ति को गृह मंत्रालय पर या इसके किसी भाग पर आरोप लगाना चाहिए। क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जहां प्रत्येक व्यक्ति को विधिवत् और सहयोगी ढंग से स्वयं को शामिल करना चाहिए एवं इस समस्या को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए तो भी विशेष रूप से इस विषय पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

निस्सन्देह अब हमने कई उपाय किये जिसमें श्री रबीरो को भेजना भी शामिल है जो इस देश के उच्चतम अधिकारियों में से है जो कड़े प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है, जो वहां की स्थिति का जायजा लेकर दिन प्रतिदिन आदेश जारी करेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त आज एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा की आवश्यकता है, जिससे उन मामलों को सुलझाया जा सके जो देश के सामने आते हैं।

[श्री शान्ताराम नायक]

इस समय मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले दो वर्षों के दौरान कई आक्रमण, हत्याएं आदि हुई हैं और सामान्यत: यह देखा गया है कि इस समस्या का समाधान करने की चिन्ता में किसी स्थिति पर ख्याति और सम्मान को देखते हुए इन मामलों को वापिस लेने की या समझौता करने की प्रथा बनी हुई है। यहां मैं चेतावनी के साथ-साथ मंत्री जी से अनुरोध भी करता हूं कि जब कभी इन मामलों के समाधान के विषय में सोचा जाये तो हमें उन अपराधों के विषय में बहुत सजग रहना चाहिए और अपराधियों की ओर किसी भी प्रकार की दयालुता नहीं दिखानी चाहिए।

एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर मैं सदन का ध्यान बड़ी विनम्रता से दिलाना चाहता हूं। प्रधान मन्त्री जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, और नियमों का ध्यान न कर इन लोगों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि भविष्य में किसी समुदाय या विशेष वर्ग के लोगों की मांग के लिये सरकार कुछ भी उपाय सोचे लेकिन यह समझौते पर हस्ताक्षर द्वारा नहीं होने चाहिए। अगर कोई समुदाय या वर्ग अपनी मांगें रखता है तो सरकार को जो मांगें स्वीकार हैं उन्हें लिखकर भेज देना चाहिए लेकिन यह किसी समझौते पर हस्ताक्षर द्वारा नहीं होने चाहिए। सरकार स्वयं ही किसी मांग का जिसे वह ठीक समझे अथवा रद्द कर सकती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके दूसरे परिणाम निकल सकते हैं। किसी समय देश के किसी भाग में कोई आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। कोई व्यक्ति प्रधान मन्त्री जी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के स्वप्न देख सकता है और राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से एक विशेष ढंग से व्यवहार कर सकता है। इसलिये मैं तो महसूस करता हूं कि भविष्य में ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर न किये जायें।

पंजाब के विषय में एक दूसरी बात भी है। प्रशासन को वहां जो भी सहायता चाहिए वह वहां दी जानी चाहिए और आप दे भी रहे हैं। लेकिन किसी स्थिति में वह स्थिति भी आ सकती है और नहीं भी —अगर सरकार चाहे तो हस्तक्षेप कर सकती है और प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है इसके बहुत से विकल्प हैं वह स्थिति आ भी सकती है और नहीं भी।

विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प राष्ट्रपति शासन है। किसी ने मार्शल ला का सुझाव दिया है। इससे पहले कि केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करे कुछ उपाय किये जाने चाहिए। यदि जब कभी ऐसा समय आये तो मैं सुझाव दूंगा कि पंजाब विधान सभा उस वक्त भंग की जानी चाहिए और जैसा भी सरकार उस समय उचित समझे इसे पांच से दस वर्षों तक संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। यह मेरा निवेदन है। इससे राज्य केन्द्र सरकार के सीधे नियन्त्रण में आ जायेगी।

ये कुछ सुझाव पंजाब मसले से संबंधित हैं। दूसरे, वहां जो कुछ भी हो रहा है या देश के किसी अन्य भाग में हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार का ही प्रमुखत: हाथ है। जब हम किसी कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटते हैं तो चार अवस्थायें सामने आती हैं। पहली अवस्था जांच की है, दूसरी अभियोग चलाने की है, तीसरी विचारण की और चौथी वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति को जेल में गिरफ्तार करके रखा जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं में हमें यह सुनिश्चित करना है कि भ्रष्टाचार के तत्वों को

पूरी तरह से रोका जाये।

5.00 म० प०

इसकी शुरू से अन्त तक की कार्यवाही समुचित ढंग से की जाये। इसी संदर्भ मे मैं यहां उल्लेख करूंगा कि चार्ल्स शोभराज के मामले में, जब उसे गोवा में गिरफ्तार किया गया तो यह विदित था कि गोवा की पुलिस को उस समय विश्वास में नहीं लिया गया। यह भी कहा गया कि यदि गोवा की पुलिस को विश्वास में लिया जाता तो शायद बम्बई की पुलिस को परेशानी न हुई होती। वास्तव में बम्बई की पुलिस किसी भी प्रकार से बधाई की हकदार नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि हमारा कुछ ऐसा ढांचा है जिसके मुताबिक यदि एक क्षेत्र विशेष या राज्य की पुलिस किसी अन्य राज्य या क्षेत्र में जाती है तो उस क्षेत्र या राज्य की पुलिस को विश्वास में लेना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : चार्ल्स शोभराज ने उन्हें विश्वास में ले लिया होगा।

श्री शान्ताराम नायक : आखिरकार, वे उनके साथी हैं और उन्हें उनको विश्वास में लेना चाहिए। जिस व्यक्ति को आपने अभी पंजाब में भेजा है वे गोवा के श्री रिबेरियो हैं। और तिहाड़ में जब यह सब होहल्ला चल रहा है तो जिस व्यक्ति को आपने वहां भेजा है वह श्री सिनारी भी गोवा के हैं। दो संकटकालीन अवस्थाओं में जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी सौंपी है वे गोवा के रहने वाले हैं। निस्संदेह वे भारतीय पहले हैं। मैं केवल यही बताने के लिए उनका उल्लेख कर रहा हूं कि उन्होंने अपनी कुशलता का परिचय दिया है। और मेरा यही नम्र निवेदन है कि गोवा की पुलिस को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए था।

अन्त में मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि गोवा, दमन और दीव दूसरे संघ राज्य क्षेत्रों से इस प्रकार एक अलग वर्ग की तरह व्यवहार किया जाता है। यदि आप संविधान को देखें, उसमें कहा गया है कि इंडिया जिसे भारत कहते हैं राज्यों का संघ है। इसमें संघ राज्य क्षेत्रों का जिक्र नहीं है और इन संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख केवल बाद में ही किया गया। हम संविधान से भी सीधे ही शासित नहीं होते हैं परन्तु एक छोटा कानून जिसे संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 कहते हैं जो कि संविधान के अन्तर्गत बनाया गया है के द्वारा सीधे शासित होते हैं। जिसके परिणामस्वरूप जब दल-बदल कानून इस देश में लगाया गया तो लगभग 15 से 20 दिनों तक यह कानून गोवा में लागू न हो पाया। जब संविधान में इसलिए संशोधन किया गया कि संविधान का यह भाग हमारे लिए ठीक नहीं है परन्तु यह तब तक नहीं किया जा सका जब तक कि इस अधिनियम को स्वयं ही संशोधित न किया गया। हम इस देश के अभिन्न अंग हैं। अत: मेरा सुझाव है कि संघ राज्य क्षेत्रों के साथ दूसरे राज्यों की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार): महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान एक मुद्दे पर आकर्षित करना चाहूंगा जो कि हमारे देश की अखंडता और एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा नागपुर के संथाल परगने में एक आंदोलन काफी समय से चल रहा है, वे चाहते हैं कि उनका यह क्षेत्र भारत के संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत लाया जाये। यदि किसी समुदाय को या किसी विशिष्ट क्षेत्र

[श्री पीयूष तिरकी]

के कुछ लोगों को जो वे चाहते हैं वह नहीं मिलता है तथा जिसे वे समझते हैं कि यह उनका अधिकार है और जिसे पहले ही संविधान के अन्तर्गत मान्यता दी जा चुकी हो और यदि आप उस मांग का पुलिस शक्ति या राज्य की शक्ति के द्वारा दमन करने की कोशिश करते हैं तब यह सभी प्रकार की शिकायतों को पैदा करता है।

सभी राजनैतिक दलों ने अपनी भिन्न-भिन्न विचारधाराओं के बावजूद भी इस मांग का समर्थन किया है कि इस आदिवासी इलाके को संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत लाना चाहिए। परन्तु महोदय बिहार की सरकार क्या कर रही है। आदिवासी नेताओं को आतंकवादी, नक्सलवादी, अलगाववादी, देशद्रोही, विदेशी एजेंट, साम्प्रदायिकतावादियों की तरह और क्या-क्या नहीं समझा गया है सबसे अधिक दयनीय बात इस आंदोलन के बारे में यह है कि 1980 और 1982 के दौरान 5000 आदिवासियों को झूठे मामलों में फंसाया गया है। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं। आदिवासियों के विरुद्ध 1 250 मामले वहां अभी भी चल रहे हैं। यही उचित समय है कि इन लोगों को पुलिस के उत्पीड़न से मुक्त किया जाये। आखिरकार, आदिवासियों को देशभक्ति को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ये आदिवासी इस देश के पहले निवासी हैं। उनकी देशभक्ति किसी और की देशभक्ति से कम नहीं है। आपको उनकी मांगों पर ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यह क्षेत्र जोकि छोटा नागपुर के आंचल में है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, भाषाधार पर और दूसरे कई रूपों में बिहार के शेष भागों से अलग है। बिहारी लोगों का यह कहना एक सामान्य सी बात है कि भौगोलिक रूप से या भाषा को देखते हुए, रिवाजों और संस्कृति को देखते हुए उनमें और आदिवासियों में कोई समानता नहीं है। वे आगे यह भी कह सकते हैं कि आदिवासी स्वयं शासन करना चाहते हैं और वे अपनी स्वयं की सरकार बनाना चाहते हैं जैसे कि पूर्वी क्षेत्र के आदिवासी राज्यों मेघालय, त्रिपुरा और पूर्वी भारत के दूसरे आदिवासी राज्यों में हैं। इसलिए इस पर शांतिमय तरीके से विचार करना चाहिए। इसमें तरस खाने की क्या बात है? स्वयं कोलान में और सिंघुम जिले में ही सिंघुम जिले की पुलिस को काफी संख्या में 50 के लगभग आदिवासियों की उनके नेता के० सी० हेमरून सहित तलाश है। वे अभी तक झूठे मामलों में फंसाये जाते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस विशिष्ट बात की ओर दिलाना चाहूंगा क्योंकि मेरे लिए इतना समय नहीं बचा है कि मैं यहां उनके आंदोलन के बारे में सारी जानकारी दूं लेकिन मैं यह विनती करना चाहूंगा कि ये आदिवासी नेता जो पुलिस द्वारा झूठे इल्जाम के मामलों में फंसाये गये हैं, उन्हें वापस लिया जाये। और उन्हें स्वतन्त्र रूप से आंदोलन करने दिया जाये। ये नेता यहां पुलिस के डर के कारण नहीं आ रहे हैं। इसलिए छोटा नागपुर और संथाल परगनाओं के आदिवासी लोगों की यह एक व्यावहारिक कठिनाई है। बिहार सरकार ने जिलों को सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए बांटा है कि ये आदिवासी प्रत्येक जिले में अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आ जाएं ताकि इस प्रकार उनका आसानी से शोषण किया जा सके। उनका वन विभाग द्वारा, पुलिस द्वारा और ठेकेदारों द्वारा शोषण किया गया है। आपको उनके यानी आदिवासियों के चरित्र के बारे में पता होगा। वे बहुत ईमानदार होते हैं और वे दूसरों को धोखा देना भी नहीं जानते हैं और इसीलिए अपनी सादगी के कारण वे धोखा खाते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : अतः, आप वहां क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री पीयूष तिरकी : मैंने पहले ही कहा है कि छोटा नागपुर और संथाल परगने को संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत लाना चाहिए, ताकि उनका अपना राज्य हो, अपना शासन हो, आदि। महोदय, इस समय रांची स्थित बिहार राज्य के आदिवासी अनुसंधान विभाग के निदेशक डा० सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा ने अपने अनुसंधान और जांच के पश्चात् 1833 के विलकंसंस शासन का पक्ष लिया है और इसका प्रसार छोटा नागपुर, और संथाल परगनों तक चाहा है ताकि आदिवासियों का शोषण रोका जा सके।

महोदय, ब्रिटिश काल में भी कुछ नियम थे जैसे—छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आदि। परन्तु स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात ये नियम जो कि आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिये बनाये गये थे। अब खत्म कर दिये गये हैं। परन्तु सभी चीजों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इसीलिए उनकी हालत खराब है। मैं प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी का आभारी हूं जिन्होंने आदिवासी इलाकों का दौरा किया और उन्होंने वहां की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। मैं आशा करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि आदिवासी लोगों के दुःखों का अन्त हो, आवश्यक कार्यवाही करेंगे। मैं माननीय गृह मन्त्री को सिर्फ यह याद दिलाऊंगा कि इन लोगों को भी भारत के दूसरे नागरिकों की तरह इन्साफ मिले। मैं समझता हूं कि यह इतना कठिन नहीं है क्योंकि वे भी भारत के अभिन्न अंग हैं और उन्हें अपने अधिकार मिलने चाहिएं। वे स्वयं अपना शासन चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन पर लोकतन्त्रीय तरीके से, जैसे त्रिपुरा, मेघालय और दूसरे राज्यों में भी है, वैसे ही शासन किया जाये। मैं नहीं समझता कि छोटा नागपुर और संथाल परगने के लिए एक अलग राज्य की मांग पर विचार करना कठिन होगा। यही वह बात है जिसका जिक्र मैं यहां करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

चौधरी रामप्रकाश (अम्बाला): सभापति जी, मैं प्रधान मन्त्री जी का धन्यवादी हूं कि उन्होंने गृह मन्त्रालय का भार श्री अरुण नेहरू को सौंपा है, मैं समझता हूं कि जो हालात आज मुल्क में हैं, ये उनके ऊपर काबू पा लेंगे क्योंकि सब की नजरें यहां पर इन्हीं के ऊपर लगी हुई हैं। ये मोटे-ताजे भी हैं, पहलवान भी हैं। इसलिए सब पर काबू पा लेंगे।

सभापति महोदय, हमारे संसद-सदस्यों ने यहां पर कई बातें हमारे सामने रखी हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि पिचहत्तर परसेंट जो गरीब आदमी हैं, वे हमारी इस पार्लियामेंट की ओर देखते हैं कि हमारे साथ इन्साफ होगा या नहीं होगा। अगर इन 75 प्रतिशत लोगों के साथ इन्साफ नहीं होगा, तो ये लोग कहां जाएंगे। इसलिए मैं खास कर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो पिचहत्तर प्रतिशत तादाद इस देश में गरीब आदमियों की है वह इस देश की रीढ़ की हड्डी है। वह अपनी कांग्रेस के लिए वोटों की एक बैंक है। इसलिए उनको अपने हक में रखना चाहिए।

सभापति महोदय, आज हर एक स्टेट में यह हालत है कि गरीब आदमियों को न्याय नहीं मिल

[चौधरी रामप्रकाश]

रहा है। वे न्याय के लिए चिल्ला रहे हैं। जहां तक होम डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, बहुत अच्छा काम आपने इन गरीब लोगों के लिए किया है। बहुत रुपया इनके लिए रखा है, लेकिन निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह रुपया बेकार जाता है, गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए गृह मंत्री महोदय, जहां हम आपको मुबारकबाद देते हैं वहां हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस डिपार्टमेंट में जो खराबी फैली हुई है, उसको दूर करेंगे, तभी हम कामयाब हो सकेंगे।

मान्यवर, आज वर्ल्ड की नजरें प्रधान मन्त्री जी के ऊपर लगी हुई हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वे देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए पूरा-पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ देशद्रोही आज इस देश को तबाह करना चाहते हैं। बहुत से पुलिस कर्मचारी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा तादाद में पुलिस कर्मचारी ऐसे हैं, जो देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। पंजाब की घटनाओं को आप देखें, तो इन तीन-चार सालों मे जितनी हत्याएं हुई हैं, जितनी लूट हुई है, यह सब हमारे और मुल्क के सामने है कि वह सब की सब ज्यादातर पुलिस की वजह से हुई हैं और उनका इल्जाम पुलिस पर आता है। अगर पुलिस चाहती, तो उग्रवादियों को, चोरों को, डकैतों को बड़ी आसानी से खत्म कर सकती थी। लेकिन आज देखने में यह आता है कि इनके अड्डे ही पुलिस कर्मचारियों के घर बने हुए हैं। क्योंकि पुलिस और फौज सब जगह तलाशी करने जा सकती है, लेकिन पुलिस के घर कोई तलाशी करने नहीं आ सकता है। इसलिए इन उग्रवादियों की मिली-भगत पंजाब में पुलिस वालों से है। इसी कारण ये अपराध वहां पर पनप रहे हैं। पंजाब की समस्या के ऊपर कई भाइयों ने यहां पर बहुत कहा, लेकिन गृह मन्त्री जी से मैं एक अनुरोध और निवेदन करना चाहता हूं अगर वे मेरी बात को मानें, तो पंजाब से पंजाब पुलिस को हटाकर हरियाणा की पुलिस को पंजाब में लगा दें, फिर देखिए, पंजाब की स्थिति तुरन्त काबू में आ जाएगी। पंजाब की पुलिस को आप कहीं और भेज दें। देश के हालात तुरन्त दुरुस्त हो जाएंगे।···(व्यवधान)···बरनाला साहब के साथ मेरी भी हमदर्दी है।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस में जो देशद्रोह और गड़बड़ी पैदा करने की भावना उत्पन्न हो रही है, उसका एक कारण यह भी है कि पुलिस में बड़े-बड़े आदमियों के लड़के भर्ती होते हैं और वे देश के साथ गद्दारी और देशद्रोह करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप पुलिस में गरीब और शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को भर्ती करें, जो ईमानदार हैं, जो देशभक्त हैं और मेहनती भी हैं और बहादुरी के साथ देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे।

आपने पंजाब में आई०जी० नये भेजे और पुलिस के एक-दो आदमी और भेजे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत उग्रवादियों को जिनकी काफी तलाश थी, पकड़ा है। लेकिन जनरल के अच्छे होने से क्या हो सकता है, क्योंकि बाकी पुलिस अगर साथ नहीं देगी, तो अकेला जनरल कुछ नहीं कर सकता है। जनरल के साथ और लोग भी जैसे कैप्टेन वगैरह हैं, वे भी साथ दें, तभी जनरल कामयाब हो सकता है। जब फौज ही काम नहीं करेगी, तो जनरल कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए सब को साथ देना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि हरेक मामले में आपको सख्ती से निपटना,

चाहिये, वरना मामला गड़बड़ होगा।

एक बदकिस्मती यह है कि हमारे मुल्क में फिरकापरस्त पार्टियां हैं और उन्होंने अपने मुल्क को 100 साल तक गुलाम रखा है। वही पार्टियां आहिस्ते-आहिस्ते उभर रही हैं अपने मुल्क में। हमारी गवर्नमेंट का फर्ज है कि उन पार्टियों पर वह बैन लगा दे। मैं समझता हूं कि अकाली पार्टी पर भी आप बैन लगायें, आर०एस०एस० पर भी बैन लगायें, मुस्लिम लीग पर भी बैन लगायें। जब तक आप इन पर बैन नहीं लगाएंगे ये पार्टियां हमारे मुल्क में मजहब के नाम पर और धर्म के नाम पर गड़बड़ी फैलाती रहेंगी।

मैं कहना चाहता हूं कि गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हमारे पवित्र स्थान हैं। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि इन पवित्र स्थानों में क्या हम बेईमानों को बदमाशों को बैठकर गड़बड़ी करने की इजाजत देंगे। उनको इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देनी चाहिये।

इन पवित्र स्थानों को आप इन चोरों से बचाओ, इनको वहां पर शैल्टर नहीं मिलना चाहिये। आप एक नोटिफिकेशन जारी करें कि जितनी फिरकापरस्त पार्टियां हैं उन पर बैन लगाते हैं। आज हिन्दू मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान सिख के खिलाफ, सिख हिन्दू के खिलाफ काम करता है। बड़ी गड़बड़ मची हुई है, आप इसको खत्म करो।

एक माननीय सदस्य : किस तरह से ?

चौ० राम प्रकाश : मैं तो कहूंगा कि गोली से उड़ा दो सब को। मैं अगर होऊं तो यही करूंगा।

हमारी माननीया प्रधान मन्त्री स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश में 20-सूत्री कार्यक्रम चलाया, हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री जी भी उसको चला रहे हैं। बदकिस्मती हमारी यह है कि जो इस मुल्क में देवता पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं भले आदमी होते हैं, वे लोग उनको शहीद कर देते हैं। इन्होंने महात्मा गांधी को शहीद किया, इंदिरा गांधी को किया और पता नहीं किस-किस को किया। इनको इस बात की परवाह नहीं है।

लैंड रिफार्म के बारे में मैं निवेदन करूंगा। हमारे हरियाणा और पंजाब में लैंड रिफार्म की बात है। मुजाहरों के लिए यह कानून बनाया गया कि जिस जमींदार के पास 30,30 एकड़ से ज्यादा जमीन है, वह सरप्लस करो और जिनके पास जमीन नहीं है, उनको यह एलाट कर दो। हमारी स्टेट में 20,20 और 30,30 साल के मुजाहरे हैं जिन्होंने जमीन की किश्तें भी दे दी हैं, उसके बावजूद भी पटवारियों, तहसीलदारों और एस० डी० एम्ज० ने उन मुजाहरों को बिल्कुल साफ कर दिया है और उनको जमीन नहीं मिली है।

न खुदा रहा, न विसाले सनम,
न इधर के रहे, न उधर के रहे।

करप्शन की बात भी मैं कहना चाहता हूं। आज करप्शन हर जगह है, यह आप भी मानते हैं।

[चौ० राम प्रकाश]

मेरा सुझाव है कि जितने हमारे यहां संसद सदस्य बैठे हैं उनकी हरेक की कांस्टीटुएन्सी में उनकी अध्यक्षता में आप एक-एक कमेटी बना दें। उस कमेटी का चेयरमैन मेम्बर पार्लियामेंट हो और 2,3 आदमी उनके साथ आप और मिला दें। ये मेम्बर ही लोगों की हर तरह की शिकायतों को उस कमेटी में बैठकर दूर कर सकते हैं। आज अफसरों को पैसा चाहिये। इन्साफ पैसे से बिकता है, गरीब के पास पैसा नहीं है। इस वास्ते उसे इन्साफ नहीं मिलता। मेरा कहना यह है कि जो आदमी बेईमान है, करप्ट है, चोर है, उसको एकदम आप साफ कर दो।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, मैं गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और माननीय गृह मन्त्री, और आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री जी को इस बात की बहुत बधाई देता हूं कि उनके जमाने में इण्डस्ट्रियल अन-रैस्ट, लेबर प्राबलम, आये दिन एजीटेशन भी हुए लेकिन वायोलैंस एक्टिविटीज पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम रहीं है।

साम्प्रदायिकता, जिसकी बड़ी चर्चा की जाती है, जो एक ऐसा जहर है जिससे देश की एकता को खतरा उत्पन्न हो गया है, मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि आपके जमाने में यह आपकी कुशलता का परिचायक है कि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मामूली-सी साम्प्रदायिक घटनाएं छोड़कर सारे देश में शांति व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है।

अभी हमारे माननीय सदस्य काबुली जी ने हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री पर छींटाकशी की और उन्होंने यह आरोप लगाया कि राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के मामले में मुख्य मन्त्री जी ने हस्तक्षेप किया है। यह सर्वथा निराधार और असत्य बात है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वर्तमान मुख्य मन्त्री के जमाने में उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष न्यायपालिका की गरिमा को बल मिला है और कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

आज पंजाब में अशांति का वातावरण है और जिस प्रकार निर्दोष व्यक्तियों की बड़े पैमाने पर हत्याएं होती रही हैं यह सारे देश के लिये और सरकार के लिये चुनौती है, लेकिन जिस दिन से हमारे आंतरिक सुरक्षा राज्य मन्त्री श्री अरुण नेहरू और कांग्रेस के उपाध्यक्ष माननीय अर्जुन सिंह जी ने पंजाब का दौरा किया उन्होंने बरनाला जी की सरकार को भरोसा दिलाया कि केन्द्र सरकार उन्हें हर सम्भव सहायता देगी। आज कानून और व्यवस्था में सुधार आया है और ऐसा लगता है कि जो भी अशांति का वातावरण रहा है वह भी दूर हो जायेगा।

जहां तक पंजाब के एकार्ड का प्रश्न है लोग हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि एकार्ड इम्पलीमेंट न होने के कारण अशांति का वातावरण बना हुआ है। जिन नेताओं ने आतंक का वातावरण पंजाब में बना रखा है और जिस वक्त पंजाब का एकार्ड साइन हुआ उन्हीं दिनों संत लोंगोवाल जी की हत्या की गई। यह भी साबित किया गया था कि आतंकवादियों का एकार्ड से कोई समझौता नहीं है, आतंकवादी आतंकवादी हैं, वह न हिन्दू हैं, न सिख हैं, न मुसलमान हैं, वह देशद्रोही और गद्दार हैं और देश की एकता के लिए खतरा बने हुए हैं। उनका निर्मूल सफाया करने में शासन को कोई कोताही नहीं

करनी चाहिए। इसके लिए सारे सदन को एक स्वर से उनके सफाये के लिये सहयोग करना चाहिए।

पुलिस देश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए बनाई गई है। हर राज्य में पुलिस का अपना एक ढांचा है, लेकिन जैसे-जैसे समाज तरक्की करता गया, शिक्षा का प्रतिशत बढ़ता गया, यह देखा गया कि जो पुलिस कानून और व्यवस्था के लिये बनाई गई थी, उस पुलिस से अब मोटर व्हिकल्स से सम्बन्धित काम, पेड़ काटने का काम, जंगल कटने से रोकने का काम, अफीम गांजा आदि पकड़ने का काम और चावल सीमेंट पकड़ने का काम लिया जाता है। यह सारे काम पुलिस की क्षमता से बाहर हो गये हैं। क्या पुलिस इतनी समर्थ नहीं है कि वह सारे कामों को कर सके? अगर ऐसा ही है तो फिर सरकार को हर विभाग बनाने की क्या आवश्यकता है। यह बात उचित प्रतीत नहीं होती है।

आज पुलिस के जो काम करने के तरीके हैं, उन्हें भी बदलना होगा, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। इसके लिये केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है क्योंकि—

[अनुवाद]

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के स्वरूप की हर दस वर्ष पश्चात समीक्षा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

इसके तहत केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को 50 परसेंट ग्रांट देती है और 50 परसेंट लोन देती है ताकि आज पुलिस के बदलते हुए माहौल के अनुसार अपने आपको बदल ले। आज पुलिस में जो एफ०आई०आर० का जो तरीका प्रचलित है उसमें करप्शन बहुत अधिक होता है। पुलिस के अधिकारी किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी विषय में काग्निजेबल रिपोर्ट लिख लेते हैं और 10 दिन के बाद फिर इनवैस्टीगेशन में रुपया लेकर फाइनल रिपोर्ट लिखा देते हैं। इस करप्शन को दूर करने के लिए कोई ऐसा तरीका निकाला जाये जिससे पुलिस अपने पद का, अपने अधिकार का दुरुपयोग न कर सके।

आज स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिए पेंशन की व्यवस्था राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार की ओर से भी है। पहले लिमिट लगा रखी थी कि जिनकी वार्षिक आमदनी 4 या 5 हजार रुपए से अधिक है, उन्हें केन्द्र सरकार की ओर से पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन अब इस लिमिटेशन को केन्द्र सरकार ने गत वर्षों से समाप्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जनपद में सैंकड़ों लोगों ने हमारे डी० डी०पी० प्रेसीडेंट को शिकायत की कि उस लिमिट को हटाने के बाद उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन नहीं मिल पा रही है। भारत के उन वीर सपूतों ने जिन्होंने अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराया, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों की परतन्त्रता की बेड़ियों से मुक्त कराया वह आज आर्थिक विपन्नता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन न मिलने में जो ढिलाई बरती जा रही है, उसको दूर किया जाना चाहिए और कानून को ऐसा सरल बनाना चाहिए जिससे इन्हें अविलम्ब पेंशन का भुगतान हो सके। इसमें जो भ्रष्टाचार

[डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी]

व्याप्त है, उसे अवश्य दूर किया जाना चाहिए।

आज असम में एक नई सरकार बनी है। असम की तरक्की के लिए केन्द्र सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में 2100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो कि अपने आप में इस बात का द्योतक है कि केन्द्र सरकार असम में कांग्रेस की सरकार न होने के बाद भी उनकी प्रगति से कितना अधिक सम्बन्ध रखती है और वह कितनी सजग और प्रयत्नशील है। स्टेट के डेवलपमेंट के लिए 2100 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया गया है उसमें से 2065 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार का अंश-दान होगा। इस प्रकार दूसरी ओर राज्य सरकार का अंशदान न के बराबर है। अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई सीमा जोनाई, धेमाजी, सिलापाथर जो लखीमपुर जिले के उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से के अन्तर्गत पड़ती है उन्हें ट्राइबल बैल्ट के नाम से जाना जाता है। उस बैल्ट में तमाम ऐसे लोग 20-30 साल से बसे हैं जिनके पास उस स्थान के अतिरिक्त कोई जगह नहीं है, जिनकी रोजी-रोटी का एकमात्र सहारा लखीमपुर का हिस्सा है। जहां वह कितने ही साल से बसे हुए हैं। पता चला है कि असम की नई सरकार उन्हें वहां से इवेकुएट कर रही है, हटा रही है। चाहे वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों, चाहे बिहार के रहने वाले हों या नेपाली ओरिजिन के सिटिजन हों, मैं निवेदन करूंगा माननीय गृह मन्त्री से कि भारत के नागरिक को सम्पूर्ण सुरक्षा देना सरकार का कर्त्तव्य है और उनके हितों की, उनके इन्टरेस्ट की सुरक्षा सरकार द्वारा की जानी चाहिए। उन्हें हटाया नहीं जाना चाहिए।

मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। इन्डो नैपाल बोर्डर जैसे और बोर्डर हमारे खुले हुए हैं वैसा ही खुला हुआ बोर्डर है और नैपाल जाने के लिए भारत सरकार की ओर से न तो किसी पासपोर्ट की आवश्यकता होती है न किसी विसा की आवश्यकता होती है। परिणाम यह होता है कि हिन्दुस्तान के गम्भीर अपराध करने वाले अपराधी बड़ी आसानी से नेपाल की सीमा में चले जाते हैं और नेपाल से चाइना और जापान का बना हुआ माल जो हमारे देश में बने हुए माल की तुलना में काफी सस्ता होता है उसको लाकर हमारी आर्थिक व्यवस्था को लड़खड़ा दे रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इन्डो नेपाल बोर्डर पर बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सी०आर०पी०एफ० या और कोई ऐसी व्यवस्था माननीय गृह मन्त्री करें जिससे देश की अर्थ-व्यवस्था से, देश की कानून व्यवस्था से और देश की सामाजिक व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों पर नियन्त्रण पाया जा सके और देश तरक्की की ओर चले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस मांग का समर्थन करता हूं।

चौधरी सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : चेयरमैन साहब, यह जो पुलिस का महकमा है इसको मैं 1947 से लेकर आज तक अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए कि मुझे इससे नुकसान भी हुआ है और इससे मैं लड़ाई भी करता रहा हूं। इस महकमे की वजह से ही तीस, तीस साल के जो मुजारे हैं उनको पटवारी बदलता रहा है। "नीचे पटवार, ऊपर कोतवाल, या करतार"— ये शब्द चौधरी छोटूराम के थे। बीस-बीस साल के जो मुजारे थे उनको पटवारी बदलकर मालिक के नाम कर देता है। जब हम पुलिस के पास जाते थे तो वह हमारी कोई भी मदद नहीं करती थी। हम हमेशा से इस बात की

कोशिश करते रहे हैं कि पुलिस में ज्यादा से ज्यादा हरिजनों की भर्ती की जाए। हिन्दू तो वहां जाते थे जहां पर उनको ज्यादा पैसा मिले। पुलिस की वजह से ही सरकार खराब बन जाती है। मैं होम मिनिस्टर से कहूंगा कि इस देश का अगर कोई लायल है तो वह हरिजन हैं क्योंकि वही इस मुल्क के मालिक हैं, बाकी सभी लोग तो बाहर से आए हुए हैं। वे देश में आपस में लड़ते रहते हैं। अगर आप ल्वायल्टी चाहते हैं तो वह हरिजनों में मिलेगी, किसी और में नहीं। इनके लिए मैं हमेशा लड़ाई लड़ता रहा हूं। मैं 1947 से गरीबों की मदद करता आ रहा हूं। (व्यवधान)

मैं आपको बताऊं कि मेरे इलाके में एक सुच्चा सिंह छोटेपुर हैं उनसे मेरे एक दोस्त ने कहा कि अब तो सुलह हो गई है, आप जाकर लोगों को समझाओ तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे जाकर समझाऊं, पहले तो उकसाते रहे हैं, अब वहां जाकर क्या मार खाएं ? अब वहां हम जाएंगे तो जूते खायेंगे इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जिस तरह से भी हो सके आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में हरिजनों की भर्ती पुलिस में कीजिए तभी लोग बच सकेंगे। आप किसी भी दूसरे पर एतबार न कीजिए क्योंकि असल में यही लोग इस देश के रहने वाले हैं, बाकी लोग तो बाहर से आए हुए हैं। हरिजनों की जो ल्वायल्टी है वह किसी और में हो नहीं सकती है। यह जो पुलिस है यही सब से ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। हमारे यहां पंजाब में जो पुलिस है उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। आप पुलिस में हरिजनों की भर्ती शुरू कर दें तो सब कुछ ठीक हो सकता है।

5.31 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

मैं आपको बताऊं, जब तक कब्जा नहीं देंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। महात्मा-परमात्मा और गुरुदेव का नाम लेते हैं, लेकिन उस पर चलना बड़ा मुश्किल होता है।

[अनुवाद]

सारा विस्तार ही जीवन है, सारा संकुंचन मौत है। सारा प्यार विस्तार है। सभी प्रकार का स्वार्थ संकुंचन है। अत: जीवन का नियम प्यार ही है। जो प्यार करता है, वह जीवित रहता है। जो स्वार्थी है वह समाप्त हो जाता है। अत: प्यार की खातिर प्यार कीजिए। क्योंकि जीवन का यही एकमात्र नियम है।

—विवेकानन्द—

[हिन्दी]

जिस आदमी का कब्जा हो, वह चीज उसकी है। महात्मा गांधी कहते थे—

[चौधरी सुन्दर सिंह]

[अनुवाद]

कटु अनुभवों से मैंने पाया है कि सभी मन्दिर भगवान के घर नहीं हैं। वे शैतान का निवास स्थान भी हो सकते हैं।

[हिन्दी]

जो कल मंत्री थे, वे भी ऐसे ही थे, उन्होंने लोगों को मजबूर किया।

[अनुवाद]

आप भगवान की खोज कहां करें ? क्या गरीब, दुःखी, दलित भगवान नहीं है ? पहले उनकी पूजा करें। मैं उस भगवान या धर्म में विश्वास नहीं करता, वो किसी विधवा के आंसू नहीं पूछ सकता और किसी अनाथ के मुंह में रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकता ?

—विवेकानन्द—

[हिन्दी]

परमात्मा किधर है। मन्दिर में कोई परमात्मा नहीं है। मन्दिर में जैसे लोग पहले थे, वैसे आज भी हैं। जो आदमी सुबह से शाम तक अच्छे कपड़े पहनता है और ये जो मन्दिर-मस्जिद हैं, इन्होंने सारा सियापा पाया हुआ है। सारे हिन्दुस्तान की बात है।

[अनुवाद]

धर्म से संबंधित सभी झगड़ों और विवादों से पता चलता है कि आध्यात्मिकता विद्यमान नहीं है। धार्मिक झगड़े हमेशा ही तुच्छ बातों पर होते हैं। जब आध्यात्मिकता और पवित्रता समाप्त हो जाती है तो आत्मा नीरस हो जाती है, और तभी झगड़े आरम्भ होते हैं, पहले नहीं।

—विवेकानन्द—

[हिन्दी]

जहां तक टैरेरिस्ट की बात है, उसको दूर करने की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि आप मस्जिद और मंदिर में महात्मा गांधी ने जो कहा है, उस पर चलिए, लेकिन चल नहीं सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि भरती शैड्यूल्ड कास्ट, हरिजनों को भरती करें, क्योंकि वे ही लॉयल हैं हिन्दुस्तान के। मेरे हल्के में एक मिनिस्टर गया था, उसने वहां काम किया। मैं जाटों के खिलाफ नहीं हूं। जाट तो अपने पिता को भी मारे देते हैं। इनसे बचकर रहना चाहिए। इनसे सलाह नहीं करनी चाहिए। गुरुद्वारों में ये लोग छाए हुए हैं, इनको बाहर

निकालना चाहिए। ये लोग पैसे को ही पहचानते हैं। इन्होंने वहां कब्जा कर लिया है। जहां तक पंजाब की समस्या का सवाल है, मुझे पता है, वह कैसे ठीक हो सकती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त में जमीनें ली गई। जमीन कोई नहीं देता है। जो सरपंच बन जाता है, चीफ मिनिस्टर जाट बनता है, तो वह जमीन नहीं देता है। मुझे इस बात का तजुर्बा है। मैंने श्री जवाहरलाल नेहरू से मिल कर हरिजनों को पंजाब में जमीन दिलवाई और हरएकगांव में 50 फीसदी से ज्यादा हरिजनों को बसाया ताकि कोई झगड़ा हो, तो हम बराबर के रहें। नतीजा यह है कि हम तकड़े हैं और हम से कोई लड़ नहीं सकता।

पंजाब में हिन्दू भी हैं और सिख भी हैं मगर हिन्दू, हिन्दू लीडर की बात नहीं मानता और सिख, सिख लीडर की बात नहीं मानता। जब ऐसी बात है, तो वे लीडर किस बात के लिए हैं। मैं हरिजन लीडर हूं और मेरी बात सब लोग मानते हैं और मुझे कभी टोपिल डाऊन नहीं किया। मैंने श्री राजीव गांधी से कहा था कि पंजाब में टिकट किसी एन्टी हरिजन और एन्टी कांग्रेस वाले को न देना, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चाहे कांग्रेस के हों या किसी पार्टी के हों, जो एन्टी हरिजन था, उसको मैं हरा देता था। अभी राम प्रकाश जी ने कहा कि पंजाब की पुलिस बदल दो। मैं यह कहता हूं कि वहां पुलिस को क्या बदलना है। वहां पर हरिजनों को पुलिस में भर्ती करो क्योंकि वे बहुत लायल हैं। जब हमारी जारिटी वहां पर रहेगी, तो सब ठीक रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं होम मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि अगर पुलिस को ठीक करना चाहते हो, तो उस में हरिजनों को भर्ती करो क्योंकि वे हिन्दुस्तान के लायल हैं। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में असम, पंजाब और पूरे भारत की कानून व व्यवस्था के बारे में बातचीत करते समय, केवल राज्यों पर उत्तरदायित्व डालकर केन्द्र कानून और व्यवस्था के उत्तरदायित्व से दूर नहीं हो सकता। मैं यही पूछना चाहता हूं कि पंजाब में जो फोरेनर्स आए हैं और पाकिस्तान से या अन्य देश से जो आधुनिक हथियार आए हैं, वे कहां से आए हैं। केन्द्रीय सरकार की बोर्डर फोर्स और पुलिस सीमाओं पर है। तो क्या इसके लिए उस को उत्तरदायी नहीं बना सकते। केवल बरनाला सरकार पर ही इसका उत्तरदायित्व नहीं है बल्कि केन्द्रीय सरकार को भी इसके लिए उत्तरदायी मानना पड़ेगा। मेरे मित्र कभी-कभी बी० जे० पी० और आर० एस० एस० की बात करते हैं और यह कहते हैं कि ये फिरकापरस्त हैं ...(व्यवधान)... आर० एस० एस० से इसका कोई संबंध नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि भिंडरावाला को बढ़ावा कौन दे रहा था। भिंडरावाला को पहले आप ने स्प्रिचुअल लीडर माना, मजहबी लीडर माना और वह बाद में राजनीति में आया। तो इसको बढ़ावा किस ने दिया। कांग्रेस सरकार ने क्या उसको बढ़ावा नहीं दिया अपने राजनीतिक लाभ के लिए। फिरकापरस्ती को बढ़ाने वाली कोई पार्टी है, तो वह कांग्रेस है। मैं यह बताना चाहता हूं कि केरल में 2500 पाकिस्तानी नेशनल कई दिनों से आकर पड़े हैं। केरल में कांग्रेस की सरकार है। उस सरकार की मदद के लिए कौन लोग हैं। किन का सहारा लेकर आप अपनी सरकार वहां पर चला रहे हैं। आप मुस्लिम लीग के साथ मिल-जुल कर सरकार चला रहे हैं। मैं इस बात के लिए अरुण नेहरू साहब को बधाई देना चाहता हूं कि चार-पांच दिन पहले

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

केरल के होम मिनिस्टर को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा कि उन 2500 लोगों को वापस भेजा जाए। आपके द्वारा कई आर्डर दिए जाने के बाद भी, आपके द्वारा कई डी० ओ० लिखे जाने के बाद भी आपकी केरल की सरकार अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उन 25 सौ लोगों को बाहर निकालने में असमर्थ है, वहां का मंत्रिमंडल असमर्थ है। इसलिए आपने केरल के होम मिनिस्टर को कहा। मैं आपको बधाई देता हूं। उन पाकिस्तानी लोगों को बाहर निकालने के लिए आप कितनी भी कोशिश करें मगर केरल के मुख्य मंत्री उनको निकालने में असमर्थ हैं। वे इसलिए असमर्थ हैं कि आपकी मिनिस्ट्री में जो वहां आपके कुछ भागीदार हैं वे उनको निकालने के खिलाफ हैं।

इसके साथ साथ मैं आपको और भी फिरकापरस्ती के उदाहरण दे सकता हूं। आपने आंध्र प्रदेश में एन० टी० रामाराव की सरकार को गिराया और वहां नन्देला भास्कर राव की सरकार को लाये। उनकी सरकार के समय में जब गणेश उत्सव के पर्व पर जुलूस निकल रहा था तो वहां पर जो कुछ हुआ उसकी न्यायिक जांच हुई थी। जिसकी रिपोर्ट आप बाहर लाइये। उससे मालूम होगा कि फिरकापरस्ती कौन लोग करते हैं। फिरकापरस्ती आप लोग करते हैं और दोष दूसरों को देते हैं।

मैं ला एण्ड आर्डर के सिलसिले में आपको बताना चाहता हूं। जब आंध्र प्रदेश में वेंगल राव की सरकार थी तो उन्होंने 1975 में श्रीकाकुलम जिले में और विशाखापत्तनम जिले में ला एण्ड आर्डर की अच्छी व्यवस्था की थी। उसके बाद अगर ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था किसी ने अच्छे ढंग से आंध्र प्रदेश में की है तो वह एन० टी० रामाराव ने की है। चाहे नक्सलवादी हों, चाहे टेररिस्ट्स हों, उनसे निबटने के लिए एन० टी० रामाराव की सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। केन्द्र की सरकार से भी उनको बहुत मदद मिल रही है। इन जिलों में जो आन्दोलन चल रहा था उससे वेंगल राव के बाद एन० टी० रामाराव निबटाने में समर्थ हुए हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि करीमनगर, नालगोण्डा, वारंगल, मेंढक, श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम जिलों में एक परसेंट या दो परसेंट भी ट्राइबल नहीं हैं, जहां पर रेलवे लाइन नहीं है, वहां पर रेडीकल और नक्सलवादी लोग अपना आन्दोलन चला रहे हैं। वे लोग सी०पी०आई० वालों को मारते हैं, सी०पी०एम० वालों को मारते हैं, बी०जे०पी० वालों को मारते हैं, कांग्रेस वालों को मारते हैं। इन लोगों को क्यों मारते हैं ? क्या ये लोग रेडीकल नहीं हैं ? अगर इस आन्दोलन के लिए यह कहा जाए कि यह लेण्ड रिफार्म्स के लिए है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आंध्र प्रदेश में 1952 में लेण्ड रिफार्म्स हुआ, 1954 में और 1961 में हुआ। आंध्र प्रदेश में जितने लेण्ड रिफार्म्स एक्ट आये उतने सारे भारत देश में कहीं नहीं आये। तेलंगाना टेनेंसी एक्ट जैसा कानून कहीं लागू नहीं हुआ। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, पी०वी० नरसिंह राव, उन्होंने 1961 में लेण्ड सीलिंग एक्ट लागू किया। बाद में वेंगल राव ने 1973 में लागू किया। वी०वी० राजू ने 1968 में लागू किया। इतने लेण्ड सीलिंग एक्ट लागू होने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि वहां ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम लेण्ड रिफार्म्स के कारण से है। वहां जो ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम है वह राजनीतिक जोरजबर्दस्ती के लिए है। वरना वे लोग सी०पी०आई० वालों को या सी०पी०एम० वालों को क्यों मारते ? सी०पी०आई० वाले भी प्रगतिशील हैं, हम भी प्रगतिशील हैं। वे लोग हम सबको इसलिए मारते हैं कि अपना राजनीतिक रूप

से जोर कायम करना चाहते हैं। वे दूसरों को बहका कर, दूसरों को मारकर, अपनी राजनीतिक ठेकेदारी स्थापित करना चाहते हैं।

मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि तेलंगाना के आन्दोलन के बाद, फजल अली कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भाषा के आधार पर 1956 में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश बनने के बाद ब्रह्मानन्द रेड्डी साहब एक बार मुख्य मंत्री बने, उनको निकालने के लिए हमारे चेन्नारेड्डी ने तेलंगाना प्रजा समिति के नाम पर पृथक आंदोलन तेलंगाना एजीटेशन चलाया। उसके फलस्वरूप 14 सीटों में से 12 सीटें उन्होंने जीतीं और एम० एल० ए० की सारी सीटें जीतीं और बाद में आकर वे कांग्रेस में विलीन हो गये। ब्रह्मानन्द रेड्डी हट गए और वह मूवमेंट खत्म हो गया। इसी प्रकार पी० वी० नरसिंह राव जो अब होम मिनिस्टर हैं, ह्यूमन रेसोर्सेस मिनिस्टर हैं, लैंड सीलिंग एक्ट लाए, 1971 में लाए और जो लैंड लार्ड्स हैं वे सब कांग्रेस में हैं और तेलगूदेशम में हैं, उन लोगों ने 1971 में पृथक आंध्र, अलग आंध्र मूमेंट चलाया, आंध्र एजीटेशन बी० वी० सुब्बारेड्डी, आपके पिड़तल रंगारेड्डी, आपके चोक्का रेड्डी, इन सबने मिलकर पी० वी० नरसिंहराव को हटाने के लिए चलाया, वे उनको हटाने में असमर्थ थे, लैंड सीलिंग एक्ट के खिलाफ होते हुए, आंदोलन के रहते हुए आंध्र का एजीटेशन उन्होंने चलाया, एक दूसरे को निकालने के लिए चलाया। इलेक्शन में लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये सब आंदोलन चलाए जा रहे हैं, आंदोलन की उत्पत्ति करते जा रहे हैं। दूसरा आंदोलन एन० टी० रामाराव साहब को निकालने के लिए कांग्रेस वाले, पृथक तेलंगाना की मांग करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं अरुण नेहरू साहब से चाहता हूं कि जो प्रेसीडेंशल आर्डर 1971 में निकला है, उसमें काफी सुधार लाना चाहिए। तेलंगाना में एन० टी० रामाराव सरकार द्वारा जो नीति अपनाई जा रही है, वहां के कर्मचारी एन० टी० रामाराव की पालिसी से, उसके दबाव से बेचैन हैं और इस बेचैनी का लाभ उठाकर पृथक तेलंगाना की मांग करने के लिए कुछ लोगों को तैयार किया जा रहा है और दोबारा पृथक तेलंगाना की मांग के लिए काफी जोरों से आंदोलन चलाने के लिए योजना चल रही है, कांसपीरेसी चल रही है। इसको रोकने के लिए और कर्मचारियों में जो बेचैनी है, उसको दूर करने के लिए केन्द्र सरकार का जो 1971-72 का, पिड़तल रंगारेड्डी के साथ उस वक्त जो प्रेसीडेंशल आर्डर निकाला गया, उसमें सुधार लाना चाहिए। उस समय तीन रीजन माने गये एक रायल सीमा, एक तेलंगाना और एक आंध्र। आंध्र रीजन पैसे वाला है, पानी है, हर चीज मिलती है, पैसा मिलता है, पानी मिलता है, हर चीज मिलती है और रायलसीमा ऐसा प्रांत है जहां पीने के लिए पानी नहीं है, तेलंगाना ऐसा प्रांत है जहां कुछ स्थानों पर पानी मिलता है और कुछ स्थानों पर नहीं मिलता। तीनों भागों को लेकर तीनों को रीजन के रूप में लिया गया है। उस वक्त आंध्र प्रदेश के 8 जोनल बनाए गए। कर्मचारियों के लिए कुछ जोनल पोस्ट थीं, कुछ स्टेट लेवल और कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल, लेकिन एन० टी० रामाराव साहब के आने के बाद अपने लोगों को लाने के लिए, अपने कर्मचारियों को रखने के लिए तेलंगाना में आंध्र से लोगों को लाकर डाला जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पोस्ट हैं वे रीजनल पोस्ट बननी चाहिए। जो स्टेटवाइज पोस्ट हैं या जो की पोस्ट हैं, सब जगह आंध्र के लोगों को लाकर तेलंगाना के लोगों को दबाया जा रहा है। इसलिए तेलंगाना के लोगों के मन में बेचैनी पैदा होने के इमकानात हैं। इसलिए प्रेसीडेंशल आर्डर में आपको संशोधन लाना चाहिए। यह किस रूप में लाना चाहिए, यह सोचना है।

[श्री सी० अंगा रेड्डी]

जिला स्तर के जो कर्मचारी हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं या और कर्मचारी हैं, उनका पूरा एक रीजन होना चाहिए, उनका तेलंगाना के अन्दर ही ट्रांस्फर कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो जोनल पोस्ट हैं, जोनल असिस्टेंट डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर हैं, स्टेट लेवल की होने से वहां पर आंध्र वालों को डालना चाहते हैं और तेलंगाना या रायलसीमा के पिछड़े हुए लोगों को लूपलाइन में लाकर दबाया जा रहा है। इस दबाव के कारण वहां के कर्मचारी परेशान हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और जितने भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें प्रेसीडेंशल आर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। वे बताते हैं कि यह प्रेसीडेंशल आर्डर उनके माफिक नहीं है। इसलिए मैं होम मिनिस्टर साहब से चाहता हूं कि प्रेसीडेंशल आर्डर में संशोधन करके जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट के कारपोरेशंस हैं, उनमें भी प्रेसीडेंशल आर्डर्स के नियमों को लागू किया जाना चाहिए। (व्यवधान) एजूकेशनल इंस्टीच्युशंस के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसमें प्रोफेशनल कालेज भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में आठ जोन हैं और तीन रीजन हैं। हैदराबाद में आंध्रा और तेलंगाना के लोग रहते हैं। जिस प्रकार एम्पलायमेंट के लिए जोनल सिस्टम लागू है उसी प्रकार प्रोफेशनल कालेजेस के लिए भी जोनल सिस्टम लागू होना चाहिए। वहां पर दो मेडिकल कालेज हैं जिनमें पूरे प्रान्त के लोगों की भर्ती की जा रही है। तेलंगाना और वारांगल के कालेज में 80 परसेंट लोग आंध्रा वाले हैं जबकि बीस परसेंट उस जिले के भी नहीं हैं। जिनके पास पैसा है और आर्थिक स्थिति अच्छी है, वे लोग वहां पर भर्ती हो जाते हैं।

वहां के विद्यार्थी नाराज हैं। अगर प्रेजीडेंशियल आर्डर में संशोधन नहीं किया गया तो वे आंदोलन छेड़ेंगे। इसके लिए मैंने प्रेजीडेंट आफ इण्डिया और होम मिनिस्ट्री को पत्र लिखे हैं कि एग्रीकल्चरल, मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में जोनल सिस्टम के आधार पर प्रवेश होना चाहिए।

मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। काकीनाडा में पाण्डिचेरी से शराब आती है। काकीनाडा के पास यानम एक गांव है। वह पांडिचेरी में आता है। कुछ लोग शराब व अन्य चीजें मद्रास, विजयवाड़ा, से बिना एक्साइज ड्यूटी के ले जाते हैं और कहते हैं कि यानम ले जा रहे हैं। यानम आंध्र प्रदेश से 3? किलोमीटर दूर है जबकि पांडिचेरी से पांच सौ किलोमीटर दूरी पर है। मैं यह चाहता हूं कि यानम को आंध्र प्रदेश में मिलाना चाहिए क्योंकि तेलुगू बोलने वाले भी वहां पर ज्यादा है।

एक बात और आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। नॉन ट्राइबल अपनी जमीन नान ट्राइबल को शेड्यूल्ड एरिया में नहीं बेच सकता।

ट्राइबल्स के जो रेग्युलेशंस हैं, उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए। जिनके दादा-परदादा की सौ-डेढ़ सौ सालों से जमीन वहां पर है, उसको अगर वे बेचना चाहते हैं तो नहीं बेच सकते। मैं चाहता हूं कि उस हिसाब से प्रेजीडेन्शियल आर्डर में संशोधन होना चाहिए। इसी बात को लेकर ट्राइबल और नॉन-ट्राइबल में वहां पर झगड़ा हो रहा है। उनको बैंक लोन भी नहीं मिलता इसलिए उस एक्ट में संशोधन करना होगा।

फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। आज तेरह साल हो गए जबसे आपने एक लाख सैंतीस हजार दो सौ उन्नचास केसेज मंजूर किए हैं लेकिन 82,360 केसेज ऐसे हैं जो मंजूर नहीं हुए हैं। जो लोग बूढ़े हो गए हैं उनको क्या मरने के बाद पेंशन मिलेगी। इसलिए आप स्टाफ बढ़ाइए और जल्दी से जल्दी इन बयासी हजार केसेज का निपटारा कीजिए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके।

6.00 म० प०

वीडो के वीडो हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनको नहीं दे पा रहे हैं आप लोग जब 13 साल, 14 साल तक केस पेंडिंग रहेगा तो किस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। आप देखिए कितने बूढ़े लोग आकर मर रहे हैं, दिल्ली आने के लिए कितनी तकलीफ होती है, आप जानते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं अधिक से अधिक स्टाफ देकर जल्दी उसको डिस्पोज कीजिए और जो बोर्डर कमेटी है उसमें जो घपला हो रहा है आपके वेंगल राव साहब जो पी० सी० सी० के प्रजिडेंट और लोक सभा के सदस्य...*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब और कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री उमाकांत मिश्र।

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : श्रीमन, कई सदस्यों को अभी बोलना है। अत: मैं सुझाव देता हूं कि सभा की बैठक 20 मिनट और देर तक चलेगी। लगभग 20 माननीय सदस्यों को अभी बोलना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि सभा माननीय मंत्री के सुझाव से सहमत होगी।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : कल सभा का अधिवेशन प्रात: 9 बजे आरम्भ हो सकता है।

[हिन्दी]

श्री एच० के० एल० भगत : जब मैं वहां जाता हूं तो आप कहते है हम बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उमाकांत मिश्र।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : श्रीमन, मैं आंतरिक सुरक्षा समेत गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में तेजी आने के समय से ही कुछ साम्प्रदायिकतावादी और रूढ़िवादी ताकतें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिवादी नीतियों का लगातार विरोध करती रही हैं। उन्होंने महात्मा गांधी का विरोध किया और ऐसा वातावरण पैदा किया कि देश दो भागों में विभाजित हो गया और उसी प्रकार की शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई।

जब पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो कुछ नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर उन्होंने देश का निर्माण करना आरम्भ किया। उसी प्रकार की ताकतों ने पुन: धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, नियोजित विकास और गुट निरपेक्षता की नीतियों का विरोध करना आरम्भ किया। कुछ ने हिन्दू राष्ट्रवाद और कुछ ने इस्लाम खतरे में है के नारे लगाने आरम्भ कर दिये। कुछ ने सिख कौम कहना आरम्भ कर दिया तो कुछ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रगतिवादी कदमों का विरोध किया। लेकिन पंडित नेहरू इन सबको दबाते हुए आगे बढ़ते गए। वह इन ताकतों के सामने कभी भी झुके नहीं। देश विकास की ओर अग्रसर होता गया और ताकतवर होता गया।

जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीच के समय में 19 माह तक श्री लालबहादुर शास्त्री देश के नेता थे। उन्होंने पंडित नेहरू की नीतियों का अनुसरण किया और लड़ाई में पाकिस्तान को परास्त किया और साम्प्रदायिक और रूढ़िवादी शक्तियों के हौसले कम किये।

उनके बाद, दल के भीतर ही प्रतिक्रियावादी ताकतों को हराकर श्रीमती इन्दिरा गांधी सत्ता में आईं, और उन्होंने मजबूत, आत्म सम्मान पूर्ण, आत्म निर्भर, तटस्थ, गुट निरपेक्ष भारत बनाने में तेजी से प्रयास किये। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एशिया और विश्व में भारत को एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थान दिलाया। कुछ बड़े देशों और देश में प्रतिक्रियावादी शक्तियां इसे पसन्द नहीं करती थी। उन्होंने देश में देशद्रोही, साम्प्रदायिक और रूढ़िवादी शक्तियों को उकसाना आरम्भ कर दिया। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उनकी कभी भी परवाह नहीं की और उनसे समझौता नहीं किया। उन्होंने देश में और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के विरोध का बहादुरी से मुकाबला किया।

उन्होंने चुनावों या सत्ता के लिए कभी भी धर्मनिरपेक्षता, प्रभुसत्ता देश की एकता और अखण्डता के साथ समझौता नहीं किया और सारे विश्व ने देखा कि देश की अखण्डता और धर्मनिरपेक्षता के लिए उन्होंने अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया। उनकी हत्या के पश्चात्, भगवान ने हमारे युवा नेता श्री राजीव गांधी को देश की एकता और अखण्डता बनाये रखने की शक्ति दी और उन्होंने देश को 21वीं सदी में ले जाने का फैसला किया है।

पुन: उन्हीं राष्ट्र विरोधी, साम्प्रदायिक और रूढ़िवादी शक्तियों को भारत और भारतीय लोकतंत्र को कमजोर बनाने के लिए उकसाया जा रहा है और उनकी सहायता की जा रही है ताकि

भारत के टुकड़े-टुकड़े किये जा सकें और भारत की तेजी से हो रही प्रगति पर रोक लगाई जा सके, आज देश के कई भागों में ये तत्व सक्रिय हैं। देश के कई भागों से 'खालिस्तान जिन्दाबाद' और 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' के नारे सुनाई देते हैं। हिन्दू राष्ट्रवाद भी सिर उठा रहा है। समाज के किसी भी वर्ग में रूढ़िवाद लोकतंत्र के लिए तथा राष्ट्र और राष्ट्र की प्रगति के लिए एक बड़ा शत्रु है। रूढ़िवाद एक 'कोबरा' सांप की तरह है, अगर इसे आप दूध पिलायेंगे, तो यह जहर उगलेगा। अतः इसे दूर रखिए और मौका मिले तो इसे समाप्त कर दीजिए, अन्यथा यह तुम्हें समाप्त कर देगा, यह राष्ट्र को समाप्त कर देगा, यह धर्मनिरपेक्षता को समाप्त कर देगा, यह लोकतंत्र को समाप्त कर देगा। अतः, इस खतरनाक प्रवृत्ति को हर तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री इन शक्तियों को समाप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे।

भारत एक विविध रंगों का देश है। यह बहु भाषाओं, बहु जातियों, बहु संस्कृतियों, बहु धर्मों वाला और बहु क्षेत्र देश है। इस देश को मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत नींव की आवश्यकता है ताकि देश की एकता और अखण्डता बनी रहे। देश की एकता और समानरूपता के तीन आधार हैं— (1) भारतीय संविधान (2) महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और अब श्री राजीव गांधी जैसी महान् विभूतियां (3) न्याय व्यवस्था। अब राष्ट्र-विरोधी शक्तियां संविधान और विभूतियों और न्याय व्यवस्था पर हमला करने लगी हैं। ये वही शक्तियां हैं, जिनकी ऊपर चर्चा की जा चुकी है।

इस देश की स्थायी एकता और अखण्डता के लिए केन्द्र का मजबूत होना आवश्यक है। इसके लिए एक समान सिविल संहिता का होना आवश्यक है और इसे विकसित किया जाना चाहिए। एक समुदाय को दूसरे से और एक वर्ग को दूसरे वर्ग से जोड़ने वाली कोई-न-कोई इकाई होनी चाहिए। समाज के सभी समुदाओं और जीवन के सभी अंगों के विशिष्ट लोगों, पत्रकारों, अध्यापकों, लेखकों, बुद्धिमान लोगों, राजनीतिक नेताओं धार्मिक नेताओं और न्यायाधीशों, आदि को मिलजुलकर देश के लिए एक समान जीवन पद्धति और समान सिविल संहिता को बनाने के लिए इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

व्यक्तिगत धार्मिकता, कर्मकाण्ड, नियम और पूजा की किस्म के अलावा भारत के लोगों के लिए एक समान जीवन-पद्धति आवश्यक है। इस प्रकार की एक समान जीवन-पद्धति की जिम्मेदारी, देश के लोगों, धर्मों, प्रभुद्ध वर्गों और सरकार—सब पर समान रूप से है।

सभी समुदायों की सम्मति से, धार्मिक पुस्तकों से कुछ आदर्श चुनकर एक समान सिविल संहिता बनाई जानी चाहिए।

हम सभी को परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए और इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। खुद प्रकृति, जातियों, धार्मिक, राष्ट्र में, मानव में और अन्य सभी में भी परिवर्तन होता रहता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि

[श्री उमाकान्त मिश्र]

परिवर्तन को ही इतिहास कहते हैं। देश की एकता और अखण्डता के लिए हम सबको योगदान देना होगा और रहन-सहन की एक नई प्रणाली को स्वीकार करना होगा। जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, वे जिन्दा नहीं रह सकते, वे मर जायेंगे और जड़वत होंगे।

मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, सरकार इस सम्मानित सभा के सदस्य और इस देश के विद्वान लोग समाज के सभी वर्गों के लिए रहन-सहन की एक समान भारतीय संहिता विकसित करने की भरसक प्रयास करेंगे। यही देश की अखण्डता को बचाए रखने का एकमात्र साधन है, हमारे पूर्वज नेता महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और महान् इंदिरा गांधी की यही चाह थी।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : उपाध्यक्ष महोदय, सभा के समक्ष चर्चा के लिये रखी गई गृह मंत्रालय की मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

महोदय, विशेषकर गत दो वर्षों से गृह मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अनेक कारणवश इस मंत्रालय की कटु आलोचना की जाती रही है। गृह मंत्री यदि कोई कठोर कदम उठाता है तो उसे तानाशाह कहा जाता है और यदि वह थोड़ी सी भी उदारता दिखाता है तो उसे निष्क्रिय कहा जाता है। यदि पूरे देश पर दृष्टिपात किया जाये तो पता चलेगा कि देश कठिनाई के दौर से गुजर रहा है —चाहे पंजाब हो, या कश्मीर हो अथवा असम, हम हर जगह अलगाववादी प्रकृति को पनपता हुआ देखते हैं। विघटनकारी तत्वों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। महोदय, मैं सारी चीजों को एक पृथक नजरिये से देखता हूं।

विदेशी शासन से मुक्त होने के बाद से ही निहित स्वार्थ वाले लोग नहीं चाहते थे कि हमारा देश आर्थिक रूप से तरक्की करे किन्तु उन्हें इस बात का आश्चर्य है कि आर्थिक रूप से हमारा देश एक विकसित देश के रूप में उभर कर आया है। उसका कारण यह है कि हमारे देश का नेतृत्व निरन्तर शक्तिशाली हाथ में रहा है।

वह ताकत इस बात की प्रतीक्षा में थी कि हमारा नेतृत्व समाप्त हो जाये। पंडित जी के युग के बाद स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन के आरम्भ से ही वे इस प्रकार की समस्या खड़ी करने की चेष्टा करते रहे है। बाद में वे इस बात पर दृढ़ थे कि उनकी हत्या के बाद वे यह समस्या पुनः खड़ी कर देंगे। महोदय, यही कारण है कि केवल पंजाब में ही आतंकवादी और विनाशकारी गतिविधियों का एक भारी खेल बड़ी ताकतों द्वारा खेला जा रहा है जिससे कि हमारा देश आर्थिक रूप से और हर प्रकार से पिछड़ जाये।

इसलिये गृह मंत्रालय को शक्तिशाली बनाने अथवा सरकार द्वारा आतंकवाद और जासूसी से निपटने के लिये उसे और अधिक शक्तियां देने के संबंध में सारी सभा की एक आवाज में स्वीकृति दे देनी चाहिये क्योंकि देश की एकता और अखंडता सर्वोच्च है और हमें यह देखना है कि हम हर कीमत

पर उसकी रक्षा करें तथा उसके लिये गृह मंत्रालय को जितना भी धन चाहिए वह उसको दिया जाये।

महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र और पंजाब के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। माननीय सदस्यों की चिन्ता के साथ-साथ मुझे भी चिन्ता है किन्तु, इसके साथ ही, मेरे विचार से अनेक वक्ताओं ने डियागो गार्सिया अथवा हिन्द महासागर के बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला है। मैं उसी क्षेत्र का हूं। 1967 में जब मैं निर्वाचित हुआ था तब सभा में मुझे अनुभवहीन माना जाता था और उस समय जब मैंने यह कहा था कि लक्षद्वीप पर हमारे कुछ अड्डे होने चाहिए तब मेरे सुझाव को व्यर्थ का सुझाव समझा गया था। लेकिन अब 15 वर्षों के बाद भारत सरकार ने यह महसूस किया है कि वहां अपने अड्डे बनाना जरूरी है। भाग्यवश इस समय मिनीकाय और कावरत्ती दोनों ही स्थानों पर अड्डे बनाये गये हैं। किन्तु उन्हें सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। वे केवल नाम मात्र के लिए हैं। इन संघ राज्य क्षेत्रों से आने वाले सदस्यों को यह एक ऐसा अवसर मिला है कि वे इस क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डाल सके। महोदय, आपको यह जानकर निश्चित रूप से आश्चर्य होगा कि संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली में अभी तक चुनी गई सरकार नहीं है।

महोदय, प्रधान मंत्री बधाई के पात्र हैं। उनके दौरे के बाद से लक्षद्वीप एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है और महत्वपूर्ण लोग वहां की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। इन दौरे से बड़ी-बड़ी आशायें हैं। अब मैं गृह मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इस संघ राज्य क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया गया। दूसरी योजना में 73 लाख रुपये आवंटित किये गये थे किन्तु उसमें से अधिकांश राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। तीसरी और चौथी योजनाओं में मामूली सा प्रावधान किया गया था। छठी योजना में थोड़ी सी राशि व्यय की गई। वर्तमान वार्षिक योजना में 8.4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आपने जो भी धन आवंटित किया है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आप एक हाथ देते हैं और दूसरे हाथ से ले लेते हैं। सातवीं योजना के लिए जब राशि निर्धारित की जाना थीं, तब मैंने माननीय प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसे उन्होंने कृपा कर योजना आयोग को उसके सहानुभूतिपूर्वक विचारार्थ भेज दिया था और इस प्रकार राशि बढ़ा दी गई थी। अब हुआ क्या ? कागजातों में मैंने देखा है कि 7.65 करोड़ रुपये की राशि के संशोधित प्राक्कलन में 15 प्रतिशत राशि वापिस कर दी गई है। मत्स्य पालन के लिए जो 60 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी उसमें से 22 लाख रुपये की राशि वापिस कर दी गई है। मलजल और जल आपूर्ति के लिए जो 60 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए थे उसमें से केवल 30 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

1982-83 में पहली बार और उसके बाद दो वर्षों तक जितने भी रुपयों का प्रावधान किया गया था, उतने ही रुपये खर्च किए गए किन्तु अब पुनः व्यय में कटौती की जा रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमारे अनुरोध पर जब प्रधान मंत्री महोदय ने अधिक धन की व्यवस्था कर दी है और जब वार्षिक योजना में भी उसका प्रावधान कर दिया गया है तब अफसरशाही ने 15 प्रतिशत राशि वापस क्यों कर दी है। मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उस व्यक्ति का पता लगाया जाए कि इस राशि की वापिसी के लिए कौन उत्तरदायी है और पूरे मामले की जांच करके अपराधी को दंड दिया जाय। अब, हमें पूरी तरह से इन द्वीपों के लोगों की मदद करनी है। इन छोटे-छोटे द्वीपों के लड़के

[श्री पी० एम० सईद]

और लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए सरकार को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कदम उठाना चाहिए तथा और आधारभूत संरचना करनी चाहिए जिससे कि इन शिक्षित युवक-युवतियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सकें। महोदय, यद्यपि आप एक करोड़ रुपया दे रहे हैं, किन्तु आप इस राशि को व्यय नहीं कर रहे हैं। इसका क्या असर होगा ? संघ राज्य क्षेत्र का सर्वेक्षण या अध्ययन करने के लिए यदि योजना आयोग से कोई अधिकारी आते हैं तो वे लोग यही कहेंगे कि लक्षद्वीप के प्रशासन के पास नियतित धन को व्यय करने की क्षमता ही नहीं है। आप नियत की गई राशि को व्यय क्यों नहीं करते ? इस प्रक्रिया से हम बहुत दुःखी है। नियत धनराशि को व्यय न करने के कारण अगली बार हमें और अधिक धन का नियतन नही किया जायगा। इसके लिए केवल संघ प्रशासन को ही नहीं अपितु केन्द्रीय गृह मंत्रालय को भी उतना ही दोषी ठहराया जायेगा ? यदि कोई प्रावधान किया जाता है और यदि कोई राशि स्वीकृत की जाती है; तो उन्हें उसके लिए कार्यवाही तो करनी ही पड़ेगी। अनेक अभ्यावेदन भेजे गये हैं और अनेक सिफारिशें की गई हैं किन्तु केन्द्रीय गृह मंत्रालय उनकी ओर का न भी नहीं देता। इसका नतीजा यह है कि स्थिति को सुगम बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। महोदय, आपने एक परामर्शदात्री समिति स्वीकृत की थी किन्तु अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है और समय बीत गया है। इन कठोर शब्दों का प्रयोग करने का मुझे बहुत दुःख है। वास्तव में लक्षद्वीप एक निर्वाचित प्रदेश परिषद का दर्जा प्राप्त करने की मांग करता आ रहा है जिसका कारण यही है; जिसका का मैं अभी उल्लेख कर चुका हूं। तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री संगमा ने, हाल ही में, जब वह कोचीन गये थे, यह बात स्वीकार की थी कि इस संघ राज्य क्षेत्र को एक प्रदेश परिषद का दर्जा दिया जा सकता है। महोदय, आप लक्षद्वीप के साथ सौतेला व्यवहार करते रहे हैं। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि जो राशि वापिस कर दी गई है उसे पुनः स्वीकृत करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही की जाये और इसके साथ ही माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि और अधिक समय न लेते हुए प्रदेश परिषद के गठन की घोषणा कर दी जाये क्योंकि लक्षद्वीप के मामलों में जनता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस प्रकार का कुप्रबंध केवल परिषद द्वारा ही दूर किया जा सकता है। योजना आयोग से राशि की स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद भी अफसरशाही उसे व्यय नहीं करती है और उनकी गतिविधियों का कोई लेखा-जोखा भी नहीं रखा जाता है। इसलिए गृह मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाये जिससे कि लक्षद्वीप हर क्षेत्र में प्रगति कर सके। इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1986-87 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। समय बहुत कम है और मैं सरकार के विचार के लिये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करूंगा। हम सभी जानते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति राज्य का विषय है और उससे निपटना राज्य सरकार का काम है। यह प्राकृतिक बात हो गई है कि लगभग सभी राज्य—मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूंगा—केन्द्र सरकार से अर्ध-सैनिक बल, सीमा सुरक्षा बल अथवा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की मांग करते हैं। इससे यह साबित होता है कि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। हम इसके लिए सदा केन्द्र को ही दोषी मानते हैं किन्तु हम भूल जाते हैं कि कानून और व्यवस्था की इस स्थिति से निपटना मूलतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी

है। कुछ माननीय संसद सदस्य अपने राज्यों का नाम अथवा अपने मुख्य मंत्रियों का नाम लेने पर उछल पड़ते हैं और क्षुब्ध होते हैं। मैं नम्रतापूर्वक यह कहूंगा कि उन्हें इस बात से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि यह राज्यों और केन्द्रों की संयुक्त जिम्मेदारी है।

विभिन्न प्रकार के बढ़ते हुए अपराधों से जिनमें अत्यन्त आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा तरीकों का प्रयोग होता है, निपटने के लिये पुलिस बल का पूर्णरूप से आधुनिकीकरण अत्यन्त आवश्यक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केन्द्र सरकार राज्यों को अपने पुलिस बल को उच्च स्तर का बनाने के लिए केन्द्रीय राजकोष से 50:50 आधार पर भारी रकम आबंटित कर रही है अर्थात 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण के रूप में धन दे रही है। अनुदान को अनावर्ती प्रकार के खर्च, अर्थात, जांच आदि के लिए वाहन, बेतार उपकरण, कम्प्यूटर, वैज्ञानिक साधन आदि जुटाने पर खर्च किया जायेगा। इस मामले में मैं यह सुझाव देता हूं कि सीमावर्ती राज्यों और ऐसे राज्यों में जहां साम्प्रदायिक दंगे और आतंकवादी गतिविधियां होती हैं वहां इस संबंध में अधिक राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसी प्रकार ऐसे राज्यों में जहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की अधिक प्रतिशतता है उनके पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने उच्च स्तर का बनाने के लिए अधिक राशि दी जानी चाहिए।

यह दुर्भाग्य की बात है कि वर्ष 1985-86 में देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक तनाव रहा। मैं माननीय गृह मंत्री तथा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राज्य सरकारों को साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए बहुत सख्ती से काम लेने का निदेश दे, ताकि कोई भी दंड दिये बिना नहीं छोड़ा जाये। साम्प्रदायिक भावनाएं पैदा करने वालों को यह लिहाज किए बिना कि वह किस दल का है, सत्तारूढ़ दल अथवा विपक्ष का, अथवा किसी अन्य संगठन का, सख्ती से सजा मिलनी चाहिए।

मैं श्रीलंका से आये हुए 25 हजार शरणार्थियों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय को उनकी विशेष भूमिका के लिये बधाई देता हूं।

असम तथा पंजाब के ऐतिहासिक समझौतों के बाद पंजाब तथा असम में शांतिपूर्वक चुनाव पूरे कराने का श्रेय गृह मंत्रालय और विशेषकर माननीय प्रधान मंत्री को जाता है। पंजाब तथा असम समझौते को शब्द तथा भावना के अनुसार लागू करने के लिये केन्द्र सरकार तथा माननीय प्रधान मंत्री ने जो केन्द्र सरकार तथा प्रधान मंत्री जी ने अगले कदम उठाये हैं वे अच्छे सूचक हैं।

यद्यपि इन दोनों चुनावों में हमारा दल हार गया और सत्ता में आ न सका परन्तु हमने जनता का निर्णय नम्रतापूर्वक स्वीकार किया है। इस प्रकार की चुनाव पराजय के बावजूद हमारे माननीय प्रधान मंत्री दूसरे आयोग की नियुक्ति से पंजाब समझौते को गम्भीरतापूर्वक लागू करना चाहते हैं यद्यपि मैथ्यू आयोग ने हिन्दी-भाषी क्षेत्र हरियाणा को हस्तांतरित करने के लिये अपना निर्णय नहीं दिया।

असम में विदेशियों की पहचान का आवश्यक कार्य पूरे जोरों से चल रहा है और मुझे पूरा

[श्री चिन्तामणि जेना]

विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दोनों राज्यों के लिये हस्ताक्षरित समझौते को राज्यों तथा जनता दोनों के सहयोग से लागू किया जायेगा।

परन्तु इस बात का बहुत खेद है कि कुछ उग्रवादी और अलगाववादी, कुछ विदेशों की सहायता से कुछ सीमावर्ती राज्यों, विशेषकर पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर में अपनी आतंकवादी गतिविधियों द्वारा इस देश में अस्थिरता लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह बहुत समय से चला आ रहा है। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस स्थिति से निपटने के लिये हर सम्भव कार्य करें। इसके अतिरिक्त मैं पंजाब के शान्ति प्रेमी तथा कानून का पालन करने वाले नागरिकों से निवेदन करता हूं कि इन आतंकवादियों तथा अलगाववादी लोगों से सभी संबंध तोड़ डालें और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाये। यह आतंकवादियों से निपटने के लिये एकमात्र तथा अत्यन्त प्रभावशाली रास्ता है।

दिल्ली की कानून तथा व्यवस्था की स्थिति हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है यद्यपि होम गार्ड तथा नागरिक बचाव स्वयंसेवकों की संख्या क्रमशः 80,869 और 29,551 बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस बल में 3000 व्यक्तियों तथा 12 पुलिस स्टेशनों को विभिन्न प्रकार के 400 अधिक वाहन मंजूर किये गये हैं। गृह मंत्रालय को इस केन्द्र की राजधानी में जो एक नगर है। सभी प्रकार की समाज-विरोधी तथा गैर-कानूनी गतिविधियों तथा आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहिए।

यह बहुत ही चिन्ताजनक बात है कि दिन-प्रति-दिन एक नये प्रकार का अपराध बढ़ रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि इसकी ओर ध्यान दें। शिक्षित व्यक्ति जो रेलों अथवा यातायात के अन्य माध्यम से यात्रा करते हैं उनका कुछ लोगों द्वारा अपहरण किया जाता है। उन्हें अपने संरक्षकों को पैसे भेजने के किए पत्र लिखने पर मजबूर किया जाता है ताकि वह इन अपराधियों से बचाये जा सकें। यह अपराधी धन की भारी राशि की मांग करते हैं और इन युवा लड़कों की जान लेने की धमकी देते हैं। मैं विस्तार से सब कुछ कहना नहीं चाहता हूं।

मैंने यह मामला माननीय गृह मंत्री, माननीय रेल मंत्री, सम्बद्ध मुख्य मन्त्रियों जैसे, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के डी० जी० का भी ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। यद्यपि उन्होंने मेरा पत्र प्राप्त होने की सूचना दी है लेकिन अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकला है जबकि तथ्य यह है कि कुछ लड़कों ने अपने आपको अनजाने स्थानों से छुड़ाने के लिए अपने संरक्षकों को पत्र भी लिखे थे।

मैं अभी एक और बात का उल्लेख करूंगा। निस्संदेह राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति बहुत ही प्रभावशाली है। किन्तु मैंने देखा है कि राजभाषा समिति का सचिवालय पूरी तरह साधन सम्पन्न नहीं है। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि उप सचिव, संयुक्त सचिव आदि जैसे अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करें। इसी प्रकार ऐसे कस्बों तथा नगरों में जहां की

जनसंख्या दो लाख से अधिक है वहां एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति होनी चाहिए, ताकि केन्द्रीय सरकार और सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने का लाभ हो। "ख" (बी) और "ग" (सी) क्षेत्र के राज्यों में हिन्दी अधिकारियों, हिन्दी अनुवादकों के वेतनमान तथा अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे लोग ऐसे पदों की ओर आकर्षित हों। जब तक हम इस प्रकार का प्रोत्साहन तथा इनाम नहीं देंगे तब तक लोग "बी" और "सी" क्षेत्र के राज्यों में काम करने आगे नहीं आएंगे। अत: "बी" और "सी" क्षेत्रों में कर्मचारियों को कुछ अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। महोदय, मैं प्रधान मन्त्री का आभारी हूं कि वह पूरे देश में राजभाषा को कार्यान्वित करने की ओर ध्यान दे रहे हैं जो राष्ट्रीय अखंडता के लिये एक मुख्य तत्व है।

भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों के मामले, जिनके आवेदन पत्र अभी विचाराधीन पड़े हुए हैं। उन्हें जल्दी से निपटाया जाना चाहिए। माननीय श्री जंगा रेड्डी ने कहा कि गत 13-14 वर्षों से अभी भी आवेदनपत्र पड़े हुए हैं किन्तु यह सही नहीं है। मैं जानता हूं कि केन्द्र के नोटिस में कुछ मामले 6 महीने या दो महीने पूर्व भी लाये जाते हैं। माननीय मन्त्री ने कहा है कि राज्य सरकारें अपने विचार व्यक्त नहीं करतीं इसीलिए यह मन्त्रालय कठिनाई में पड़ गया है। इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष कर रहे थे वे बहुत बूढ़े हैं अर्थात 80 या 85 वर्ष की आयु के हैं। उनमें से अधिकतर अनपढ़ है। अत: देखा गया है कि उनके आवेदन पत्रों में दिये गये तथ्य तथा आंकड़े गलत है। अत: राज्य सरकार इनके पेंशन की सिफारिश तथा केन्द्र सरकार इसकी मंजूरी नहीं दे रही है। इस संदर्भ में माननीय मंत्री ने पहले ही कहा है कि केन्द्रीय स्तर पर एक गैर-सरकारी समिति स्थापित होना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि यह समिति इस प्रकार की सभी छोटी-छोटी गलतियों अथवा गलत सूचना की ओर ध्यान न देकर जितनी जल्दी हो सके उनके पेंशन की मंजूरी दे दें। हम सदा चार्ल्स शोभराज तथा अन्य लोगों के बारे में बात करते हैं। अत: जेल सुधारों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि सदस्य इस प्रकार बातों को दोहराते रहें।

श्री चिन्तामणि जेना : अत: मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि जेल सुधार को प्राथमिकता दें।

मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका बेहद मगनून हूं कि बजारते दाखिला के मुतालबात जर पर आपने मुझे चन्द अलफाज़ पेश करने की इजाजत अता फरमाई। वक्त कम है, लिहाजा मैं सिर्फ चन्द नकात पेश करने पर इकतिफा करूंगा।

[श्री जी० एम० बनातवाला]

सबसे पहले मसला हमारे सामने आता है, लॉ एंड आर्डर और अमन की बरकरारी का। इस सिलसिले में हमें हजारहः शिकायात हैं और वजा हैं, लेकिन साथ ही साथ कम से कम इतना क्रेडिट तो हम मर्कजी हुकूमत को जरूर देंगे कि जब भी किसी जगह बदअमनी हुई, फसाद फैला और अगर मर्कजी फोर्स वहां पहुंची, चाहे वह सी०आर०पी०एफ० हो, चाहे बी०एस०एफ० हो, तो हालात में कुछ बेहतरी हुई और लोगों ने इतमिनान की सांस ली। यह बात अपनी जगह दुरुस्त है और यह बात एक और अहम नुकते की निशानदेही करती है कि जहां तक रियासतों का ताल्लुक है, वहां सबसे पहले अहम मसला यह है कि उधर की पुलिस पर आवाम का एतमाद को बहाल किया जाए। वहां की रियासतों की पुलिस और खास तौर से रियासतों की जो मुसल्ला पुलिस है, उनकी कारकदंगी और उनकी कार्रवाइयों पर वहां की अकलियतों को इत्मीनान नहीं रहा है। यही वजह है कि बारहा फसाद और ऐसे मौके पर हम मरकजी हुकूमत की तरफ दौड़े आते हैं और इस बात का मतालबा करते हैं कि वहां पर कोई मरकजी फोर्स को पोस्ट करो। तो जहां यह क्रेडिट मरकजी हुकूमत, सेन्ट्रल हुकूमत को मिलती है, वहां मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख, रंज और अफसोस हो रहा है कि आज हमारे मुल्क के अन्दर अकलियत दुश्मन, अकलियत मुखालिफ, फिरकेवाराना जजबात हैं और रुजहानात हैं, जो शिद्दत बदकिस्मती से अख्तियार करते चले जाते हैं। इसमें शक नहीं कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल फिरकावाराना इत्तिहाद के अन्दर पाया जाता है और मैंने सैंकड़ों बार अपनी अवामी तकरीर में लोगों से कहा है कि 'हम' से हिन्दुस्तान है और जब मैं कहता हूं 'हम' से हिन्दुस्तान है, तो इस लफ्ज पर हमें गौर करना चाहिए। 'है' और 'मीम', 'ह' और 'म' से 'हम' हुआ। 'ह' से हिन्दू और 'म' से मुसलमान। जब ये दो मिलते हैं, तो 'हम' होते हैं और 'हम' से हिन्दुस्तान होता है। इन्हीं जजबात को लेकर आगे बढ़ना है। इसी में मुल्क का मुस्तकबिल है लेकिन यह बदकिसमती की बात है, निहायत ही दुःख और रंज की बात है कि आज फिरकावाराना और अकलियत मुखाफिल एजहानात के अन्दर एक किस्म की शिद्दत पाई जाती है। फसादात, जिनका जिक्र मैं पिछले मौके पर कर चुका हूं, लिहाजा उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता खास तौर से सदरे जम्हूरियत के खुत्बे पर जो तहरीजे-शुक्रिया पेश हुई थी, उस वक्त मैंने इन फसादात का जिक्र किया था। अब मैं उन नकात को दोहराना नहीं चाहता लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, आपके तवस्सुत से होमा मिनिस्ट्री की तवज्जह इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि आज जब मैं ऐवान के सामने खड़े हो के चन्द बातें पेश कर रहा हूं, मुल्क के कितने ही हिस्सों में कसीदगी पाई जाती है। यू० पी० के कितने ही मकामात हैं चाहे वह मेरठ हो, चाहे वह सम्भल हो, चाहे पीलीभीत हो, वहां पर किस कदर ज्यादती की गई है, उनका जिक्र कहां तक करता चला जाऊं। मेरठ एक अजीब सिचुएशन पेश करता है। मेरठ के मोजिज लोग एन्टी गंग्सटर्स एक्ट में गिरफ्तार किये गये हैं। यू० पी० के चीफ मिनिस्टर ने यू० पी० के दजीरे-आला ने जब यह कानून यू० पी० की विधान सभा में मंजूर हो रहा था, उस वक्त उन्होंने विधान सभा के अंदर इस बात का यकीन दिलाया था कि यह एन्टी-गैंग्सटर्स एक्ट मुजरिमों के खिलाफ, डाकुओं और इस किस्म के जो लोग हैं जो बड़े-बड़े गैंग को लीड करते हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जायेगा लेकिन दुःख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मेरठ के अन्दर बेगुनाह मौजिज लोगों को उसमें गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे ठोंस दिया गया है। वे एडवोकेट्स गिरफ्तार हैं, जिनका

इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी खुद की यूनिट मुस्लिम लीग के सदर, जो एक एडवोकेट हैं, श्री इकबाल अहमद, उनको गिरफ्तार करके इसके अन्दर रखा गया है और जिस वक्त पुलिस अफसरान से और दीगर अफसरान से बातचीत की, तो उन्होंने इन्ताही आजजी के साथ कहा कि बनातवाला साहब, हमसे गलती हुई है इन अफसरान ने मेरे सामने इस बात का इकरार किया है कि हमसे गलती हुई है और हम आपसे माफी चाहते हैं और जब मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसी बात है, तो कम से कम अपनी गलती को दूर करो, जब आप जानते हैं कि एक शख्स को गलत तौर पर बन्द कर रखा है। वायदा किया गया। लेकिन सरकार का वह वायदा ही क्या जो वफा हो जाए। अपनी गल्तियों के इकरार के बावजूद उन बाइज्जत शहरियों को एन्टी गैंगस्टर एक्ट में पकड़ा गया और जो गैंगस्टर हैं, डकैती करने वाले हैं, बड़ी-बड़ी गैगों को लीड कर रहे हैं, उनकी कयादत करते हैं, वे खुल्लम खुल्लाह आजादाना तौर पर घूमते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, आज हालात कैसे कसीदगी के होते जा रहे हैं। परसों की बात है। मैं दिल्ली की एक गली से गुजर रहा था। इन आंखों ने देखा कि कई टोले लोगों के जा रहे हैं। बेल्ट पहने हुए हैं, त्रिशूल लगाये हुए हैं। मुझे बताया गया कि त्रिशूल के आखिरी हिस्से ऐसे होते हैं जो मोहलिक घाव लगा सकते हैं। मुझे यह भी बतलाया गया कि इस किस्म के बेल्ट और त्रिशूल जो किसी मकसद के लिये इस्तेमाल हों, खुल्लम खुल्लाह जत्थेदारों की तरफ से तकसीम किये जाते हैं। आखिर यह पुलिस क्या करती है? जिसकी वजह से डर और खौफ का माहौल पैदा होता है, कसीदगी पैदा होती है, उस कसीदगी को आप कब तक बढ़ने दोगे? खुदा न करे किसी किस्म की कोई हरकत हो जाये और हालात खराब हो जाएं, उससे पेशतर उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए।

मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, बदकिस्मती से अगर फिरकेवाराना फसाद या कोई और फसाद हो जाते हैं जिनमें लोग लुटते हैं, कटते हैं, पिटते हैं तो कम से कम आंसू पोंछने के लिए, नुकसान की कुछ तलाफी तो हुकूमत की तरफ से की जाती है। लेकिन आज कितने मुकामात ऐसे हैं जहां किसी किस्म के नुकसान की कोई तलाफी नहीं की गई। यहां दिल्ली के अन्दर भी इस तरह की सिचुएशन मौजूद है। मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा के कत्ल के बाद जो फसाद बदकिस्मती से यहां हुए, उनके बाद यह ऐलान किया गया कि हर वह शख्स जो इनके अन्दर हलाक हुआ है, उसको बीस हजार रुपये की रकम दी जायेगी। मैं इस ऐलान का खैरमकदम करता हूं। लेकिन हाल ही में जामा मस्जिद के इलाके में जो हालात पैदा हुए और पुलिस की गोलियों से जो बेगुनाह नौजवान मारे गये, उनके लिए सरकार खामोश है। महाराष्ट्र के मुकामात के लिए सरकार खामोश है। मैं चाहूंगा कि हुकूमत इस पर तवज्जो दे। होना तो यह चाहिए कि कम्पेनसेशन की एक ऐसी स्कीम बन जाए जो कि हर जगह

[श्री जी० एम० बनातवाला]

पर यकसां तौर पर ऐसे मामलात के लिए चल सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, चूंकि आप घन्टी बजाने पर लगे हुए हैं, मैं जल्दी में कुछ बातें कहूंगा। असम के सिलसिले में आप इस रिपोर्ट के अन्दर कहते हैं। मैं कोट करता हूं :—

[अनुवाद]

"असम में घुसपैठ की समस्या को ध्यान मे रखते हुए स्वच्छ निर्वाचन सूची तैयार करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष प्रबन्ध किये गये थे।"

[हिन्दी]

कहा जा रहा है कि असम के अन्दर फेअर इलेक्टोरल रोल तैयार किये गये। मुझे अफसोस है, कि मैं इसके साथ इत्तिफाक नहीं कर सकता। जिस अन्दाज के अन्दर इलेक्टोरल रोल तैयार किये गये उसमें लाखों अफराद को वोट के हक से महरूम कर दिया गया, वोट देने से महरूम करके रख दिया, इसकी दास्तान मैं कहां तक आपके सामने बयान करता चलूं। यह एक हकीकत है कि जब किसी शख्स का नाम इलेक्टोरल रोल के ऊपर आता है तो यह समझा जाता है कि वह वोट देने का मुस्तहक है और वोट देने के सिलसिले में, वोटर बनने के सिलसिले में जितनी शर्तें हैं, क्या उन शर्तों को पूरा करता है। खुद इलेक्शन कमीशन ने, 1983 में जो असम लेजिस्लेटिव असेम्बली का इलेक्शन हुआ था, एक रिपोर्ट हमारे ऐवान के अन्दर पेश की थी, एक रिपोर्ट ऐवान की मेज पर रखी गई थी। उस रिपोर्ट के अन्दर इलेक्शन कमीशन कहता है—

[अनुवाद]

मैं चुनाव आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ 4 से उद्धरण देता हूं :—

"यदि इनमें से किसी व्यक्ति का नाम अब इस आधार पर निकाल दिया जाए कि वह गैर-भारतीय नागरिक हैं, तो विशेषकर इन मामलों से निपटने के लिए कानूनी उपबन्ध होने चाहिएं। ऐसे नामों की पहचान का कार्य करने वाली एजेंसी, किसी भी तरह से, चुनाव प्रणाली नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रणाली चुनाव कानून के अन्तर्गत लोगों की इतनी भारी संख्या की नागरिकता के प्रश्न को नहीं सुलझा सकती है, विशेषकर जब वह नाम भारी संख्या में निरन्तर सूचियों में देखे जाएं।"

[हिन्दी]

आगे चलकर सफा 5 पर इस रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन कहता है, जिसे मैं कोट करता हूं :—

[अनुवाद]

"....अभी तक चुनाव सूचियों में पहले से ही शामिल किये हुए व्यक्तियों के नाम तथा चुनाव के समय जिनके लिए मतदान किया गया उन्हें निर्वाचन सूचियों के तैयार करने तथा संशोधित करने के सम्बन्ध में मनमानी तथा संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा नहीं निकाल दिया जा सकता है।"

[हिन्दी]

ये खुद इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा और उसका प्रोसीजर रहा, इसके बावजूद जो कई नाम रोल के अन्दर मौजूद थे, उन्हें निकाल दिया गया। दो लिस्ट बनाई गई, एक ए लिस्ट, एक बी लिस्ट और कितने नामों को बी लिस्ट के अन्दर डाला गया, ये बिल्कुल आर्बीट्रेरी तरीका था और इस आर्बीट्रेरी तरीके से इलेक्शन कमीशन अपने पिछले तमाम दस्तूर के खिलाफ बैठकर फैसला करने लगा और लोगों के, वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में से निकाल दिए गए।

वक्त इजाजत नहीं देता कि और तफसील ऐवान के सामने पेश करूं, आपकी बार-बार घंटी बजाने के ताजीम के अन्दर मिस्टर डीप्टी स्पीकर साहब, मैं अपनी आखरी बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूं और वह यह है कि आज कई रिपोर्टें हैं, जो मंजूर आम पर तक आई ही नहीं। जैसे मुरादाबाद में फसाद होता है, जस्टिस सक्सेना वहां पर जांच के लिए, अदालती जांच के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, आज तक उसकी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं आई। यहां दिल्ली के अन्दर जब जामा मस्जिद के पास फसाद हुए, वहां पर आपने एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को मुकर्रर किया, कुछ थोड़ी बहुत जांच हुई। कब तक कहते रहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट की रिपोर्ट एक महज डिपार्टमेंटल रिपोर्ट है, उसे मंजर पर लाया जाए, ताकि लोगों को पता चलें कि आखिर क्या हो रहा है और किस किस्म की बातें चल रही हैं और कौन-कौन है। डा०गोपाल सिंह थे, जिन्होंने एक रिपोर्ट पेश की अक्लियतों की भलाई के सिलसिले में उन्हें मुकर्रर किया गया था कि वे अपनी सिफारिशें दें, आज तक उनकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है। मैं इस बात का मुतालबा करूंगा कि ये रिपोर्ट ऐवान के सामने आनी चाहिए।

[श्री जी० एम० बनातवाला]

डिप्टी स्पीकर साहब, लक्ष द्वीप के सिलसिले में एक लफ्ज कहूं, वहां किस किस्म की ज्यादती हो रही है। लक्षद्वीप यूनियन टेरीटरी है। हमारी पार्टी मुस्लिम लीग का झंडा पुलिस वहां पर जबरदस्ती उतार देती है।

श्री पी० एम० सईद : यह बिल्कुल सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : उसके खिलाफ काम किया जा रहा है। वहां पर यह हरकत हुई है और इस हरकत के खिलाफ आपके पास तार वगैरह भी भेजे गए हैं। आप इन्क्वारी करें। आखिर ये ज्यादती और ये जबरदस्ती एक सियासी पार्टी के साथ क्यों होती है। अगर वक्त इजाजत देता तो मैं इस ज्यादती और जबरदस्ती के और भी सुबूत आपके सामने पेश करता चला जाता, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, ऐवान जल्दी में हैं, मैं चाहूंगा कि मरकजी वजारत दाखला कामयाब रहे, आपकी कामकामयाबी पर हिन्दुस्तान की कामयाबी का राज है। जहां तक यहां अमन नहीं, जब तक इत्तेहाद नहीं, जब तक यहां पर एक ऐसी फिजा नहीं, जिस फिजा में तरक्की कर सकें, तब तक हमारे लिए खतरे हैं जो मंडराते रहते हैं।

इन अल्फाज के साथ में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

(श्री जी۔ ایم بنات والا (پونانی)

ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ وزارت داخلہ کے مطالبات زر پر آپ نے مجھے چند الفاظ پیش کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ وقت کم ہے لہٰذا میں صرف چند نکات پیش کرنے پر اکتفا کروں گا۔

سب سے پہلے مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے لا اینڈ آرڈر اور امن کی برقراری کا۔ اس سلسلے میں ہمیں ہزار ہا شکایات ہیں اور وجہ لیکن ساتھ ہی ساتھ کم سے کم اتنا کریڈٹ تو ہم مرکزی سرکار کو ضرور دیں گے جب بھی کسی جگہ بدامنی ہوئی فساد پھیلا اور اگر مرکزی فورس وہاں پہنچی چاہے وہ سی آر پی ایف ہو چاہے بی ایس ایف ہو تو حالات میں کچھ بہتری ہوئی اور لوگوں نے اطمینان کی سانس لی۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے اور یہ بات ایک اور اہم نکتے کی نشان دہی کرتی ہے کہ جہاں تک ریاستوں کا تعلق ہے وہاں سب سے پہلے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ادھر کی پولیس پر عوام کے اعتماد کو بحال کیا جائے۔ وہاں کی ریاستوں کی پولیس اور خاص طور سے ریاستوں کی جو مسلح پولیس ہے ان کی کارکردگی اور ان کی کارروائیوں پر وہاں کی اقلیتوں کو اطمینان نہیں رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بارہا فساد اور ایسے موقع پر ہم مرکزی حکومت کی طرف دوڑے آتے ہیں اور اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی مرکزی فورس کو پوسٹ کرو۔ تو جہاں یہ کریڈٹ مرکزی حکومت سینٹرل حکومت کو ملتی ہے وہاں مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ رنج اور افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر اقلیت دشمن اقلیت مخالف فرقہ وارانہ جذبات ہیں اور رجحانات ہیں جو شدت بدقسمتی سے اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے ملک کا مستقبل

فرقہ وارانہ اتحاد کے اندر پایا جاتا ہے اور میں نے سیکڑوں بار اپنی عوامی تقریر میں لوگوں سے کہا ہے کہ "ہم" سے ہندوستان ہے اور جب میں کہتا ہوں کہ "ہم" سے ہندوستان ہے تو اس لفظ پر ہمیں غور کرنا چاہیئے۔ ھے اور میم "ھ" اور "م" سے ہم ہوا۔ ھ سے ہندو اور م سے مسلمان۔ جب یہ دو ملتے ہیں تو "ہم" ہوتے ہیں اور ہم سے ہندوستان ہوتا ہے۔ انہیں جذبات کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اس میں ملک کا مستقبل ہے لیکن بدقسمتی کی بات ہے نہایت ہی دکھ اور رنج کی بات ہے کہ آج فرقہ وارانہ اور اقلیت مخالف رجحانات کے اندر ایک قسم کی شدت پائی جاتی ہے۔ فسادات جن کا ذکر میں پچھلے موقع پر کر چکا ہوں۔ لہٰذا اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا خاص طور سے صدر جمہوریہ کے خطبے پر جو تحریک شکریہ پیش ہوئی تھی اس وقت میں نے ان فسادات کا ذکر کیا تھا۔ اب میں ان نکات کو دوہرانا نہیں چاہتا لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کے توسط سے ہوم منسٹری کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ آج جب میں ایوان کے سامنے کھڑے ہو کر چند باتیں پیش کر رہا ہوں ملک کے کتنے ہی حصوں میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ یوپی کے کتنے ہی مقامات ہیں چاہے وہ میرٹھ ہو چاہے وہ سنبھل ہو چاہے بیلی بھیت ہو وہاں پر کس قدر زیادتی کی گئی ہے ان کا ذکر کہاں تک کرتا چلا جاؤں۔ میرٹھ ایک عجیب سچوئشن پیش کرتا ہے۔ میرٹھ کے معزز لوگ اینٹی کنگسٹرس ایکٹ میں گرفتار کئے گئے ہیں۔ یوپی کے چیف منسٹر نے یوپی کے وزیر اعلیٰ نے جب یہ قانون یوپی کی ودھان سبھا میں منظور ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے ودھان سبھا کے اندر اس بات کا

یقین دلایا تھا کہ یہ اینٹی گینگسٹرس ایکٹ مجرموں کے خلاف ڈاکوؤں اور اس قسم کے جو لوگ ہیں جو بڑے بڑے گینگ کو لیڈ کرتے ہیں ان کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ لیکن دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج میرٹھ کے اندر بے گناہ معزز لوگوں کو اس میں گرفتار کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ٹھونس دیا گیا ہے۔ وہ ایڈووکیٹس گرفتار ہیں جن کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری خود کی یونٹ مسلم لیگ کے صدر جو ایک ایڈوکیٹ ہیں شری اقبال احمد ان کو گرفتار کر کے اس کے اندر رکھا گیا ہے اور جس وقت پولیس افسران سے اور دیگر افسران سے بات چیت کی تو انہوں نے انتہائی عاجزی کے ساتھ کہا کہ بنات والا صاحب ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ ان افسران نے میرے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اور جب میں نے ان سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو کم سے کم اپنی غلطی کو دور کرو۔ جب آج جانتے ہیں کہ ایک شخص کو غلط طور پر بند کر رکھا ہے۔ وعدہ کیا گیا۔ لیکن سرکار کا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ اپنی غلطیوں کے اقرار کے باوجود ان باعزت شہریوں کو اینٹی گینگسٹر ایکٹ میں پکڑا گیا اور جو گینگسٹر ہیں ڈکیتی کرنے والے ہیں بڑی بڑی گینگوں کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی قیادت کرتے ہیں۔ وہ کھلم کھلا آزادانہ طور پر گھومتے ہیں۔

ڈپٹی اسپیکر صاحب آج حالات کیسے کشیدگی کے ہوتے جا رہے ہیں برسوں کی بات ہے۔ میں دلی کی ایک گلی سے گذر رہا تھا۔ ان آنکھوں نے دیکھا کہ کئی ٹولے لوگوں کے جا رہے ہیں بیلٹ پہنے ہوئے ہیں۔ ترشول لگائے ہوئے ہیں

مجھے بتایا گیا کہ ترشول کے آخری حصے ایسے ہوتے ہیں جو مہلک گھاؤ لگا سکتے ہیں مجھے یہ بھی بتلایا گیا کہ اس قسم کے بیلٹ اور ترشول جو کسی مقصد کے لئے استعمال ہوں کھلم کھلا جھتیداروں کی طرف سے تقسیم کئے جاتے ہیں۔ آخر یہ پولیس کیا کرتی ہے جس کی وجہ سے ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہوتا ہے کشیدگی پیدا ہوتی ہے اس کشیدگی کو آپ کب تک بڑھنے دو گے۔ خدانہ کرے کسی قسم کی کوئی حرکت ہو جائے اور حالات خراب ہو جائیں اس سے پیشتر ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔

محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب بدقسمتی سے اگر فرقہ وارانہ فساد یا کوئی اور فساد ہو جاتے ہیں جن میں لوگ کٹتے ہیں لٹتے ہیں پٹتے ہیں تو کم سے کم آنسو پونچھنے کے لئے نقصان کی کچھ تلافی تو حکومت کی طرف سے کی جاتی ہے۔ لیکن آج کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں کسی قسم کے نقصان کی کوئی تلافی نہیں کی گئی۔ یہاں دلی کے اندر بھی اس طرح کی سچویشن موجود ہے۔ محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ کے قتل کے بعد جو فساد بدقسمتی سے یہاں ہوئے ان کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ ہر وہ شخص جو ان کے اندر ہلاک ہوا ہے اس کو بیس ہزار روپیہ کی رقم دی جائے گی۔ میں اس اعلان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ لیکن حال ہی میں جامع مسجد کے علاقے میں جو حالات پیدا ہوئے اور پولیس کی گولیوں سے جو بے گناہ نوجوان مارے گئے ان کے لئے سرکار خاموش ہے۔ مہاراشٹر کے مقامات کے لئے سرکار خاموش ہے۔ میں چاہوں گا کہ حکومت اس پر توجہ دے۔ ہونا تو یہ چاہیئے کہ کمپنسیشن کی ایک ایسی اسکیم بن جائے جو کہ ہر جگہ پر یکساں طور پر ایسے معاملات کے لئے

چل سکے۔

ڈپٹی اسپیکر صاحب چوں کہ آپ گھنٹی بجانے پر لگے ہوئے ہیں میں جلدی میں کچھ باتیں کہوں گا۔ آسام کے سلسلے میں آپ اس رپورٹ کے اندر کہتے ہیں۔ میں کوٹ کرتا ہوں۔

"Special arrangements were made by the Election Commission to prepare fair electoral rolls in the context of the problem of infiltration in Assam."

کہا جارہا ہے کہ آسام کے اندر فیئر الیکٹورل رول تیار کئے گئے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرسکتا۔ جس انداز کے اندر الیکٹورل رول تیار کئے گئے اس میں لاکھوں افراد کو ووٹ کے حق سے محروم کردیا گیا ووٹ دینے سے محروم کرکے دکھ دیا اس کی داستان میں کہاں تک آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کسی شخص کا نام الیکٹورل رول کے اوپر آتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ووٹ دینے کا مستحق ہے اور ووٹ دینے کے سلسلے میں ووٹر بننے کے سلسلے میں جتنی شرطیں ہیں وہ ان شرطوں کو پورا کرتا ہے۔ خود الیکشن کمیشن نے ۱۹۸۳ء میں جو آسام لیجسلیٹو اسمبلی کا الیکشن ہوا تھا ایک رپورٹ ہمارے ایوان کے اندر پیش کی تھی ایک رپورٹ ایوان کی میز پر رکھی گئی تھی اس رپورٹ کے اندر الیکشن کمیشن کہتا ہے۔

I quote from Page 4 of the Election Commission's report :

"If the names of any of these persons were to be removed now on the

ground that they were found to be non-Indian citizens, there should be legal provisions specifically dealing with those cases. The agency for undertaking the task of identifying such names is not, in any case, the electoral machinery as that machinery cannot decide the question of citizenship of such a large number of persons under the election law especially when those names in large numbers have been continuing, and are found, in successive rolls."

آگے چل کر صفحہ ۵ پر اس رپورٹ میں الیکشن کمیشن کہتا ہے جسے میں کوٹ کرتا ہوں —

"—the names of persons already included in the electoral rolls and voted at the elections so far held cannot be removed from the rolls arbitrarily and under summary proceedings connected with the preparation or revision of electoral rolls."

یہ خود الیکشن کمیشن کا رویہ رہا اور اس کا پریکٹس رہا اس کے باوجود جو کئی نام رول کے اندر موجود تھے انہیں نکال دیا گیا۔ دو لسٹ بنائی گئیں ایک اے لسٹ ایک بی لسٹ اور کتنے ناموں کو بی لسٹ کے اندر ڈالا گیا۔ یہ بالکل آربیٹریری طریقہ تھا اور اس آربیٹریری طریقے سے الیکشن کمیشن اپنے پچھلے تمام دستور کے خلاف بیٹھ کر فیصلہ کرنے لگا اور لوگوں کے ووٹرس کا نام ووٹر لسٹ میں سے نکال دیئے گئے۔

وقت اجازت نہیں دیتا کہ اور تفصیل ایوان کے سامنے پیش کروں۔ آپ کی بار بار گھنٹی بجانے کے تعظیم کے اندر مسٹر ڈپٹی اسپیکر صاحب میں اپنی آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کروں اور وہ یہ ہے کہ آج کئی رپورٹ ہیں جو منظر عام پر آئی ہی نہیں۔ جیسے مراد آباد میں فساد ہوتا ہے جسٹس سکسینہ

वहां पर जांच के लिये अदालती जांच के लिये मुकर्रर किये जाते हैं। आज तक इस की रिपोर्ट मंजरे आम पर नहीं आई। यहां दिल्ली के अंदर जब जामा मस्जिद के पास फसाद हुये वहां पर आप ने मैजिस्टीरियल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मुकर्रर किया कुछ थोड़ी बहुत जांच हुई। कब तक कहते रहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट महज डिपार्टमेंटल रिपोर्ट है। इसे मंजर पर लाया जाये ताकि लोगों को पता चले कि आखिर क्या हो रहा है और किस किस की बातें चल रही हैं और कौन कौन है। डाक्टर गोपाल सिंह थे जिनको एक रिपोर्ट पेश की अकलियतों की भलाई के सिलसिले में उनको मुकर्रर किया गया था कि वह अपनी सिफारिशें दें। आज तक उन की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है। मैं इस बात का मतालबा करूंगा कि यह रिपोर्ट ऐवान के सामने आनी चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहब। लक्षद्वीप के सिलसिले में एक लफ्ज कहूं वहां किस किस्म की जबादती हो रही है। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है। हमारी पार्टी मुस्लिम लीग का झंडा पुलिस वहां पर बेदर्दी उतार देती है।

श्री पी. एम. सईद:

यह बिल्कुल सही नहीं है। (इन्टरप्शन)

श्री जी. एम. बनातवाला:

इस के खिलाफ काम किया जा रहा है, वहां पर यह हरकत हुई है और इस हरकत के खिलाफ आप के पास तार वगैरह भी भेजे गये हैं। आप इन्क्वायरी करें। आखिर यह जबादती और यह जबर्दस्ती एक सियासी पार्टी के साथ क्यों होती है। अगर वक्त इजाजत देता। तो मैं इस जबादती और जबर्दस्ती के और भी सुबूत आप के सामने पेश

کرتا چلا جاتا۔ لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب ایوان جلدی میں ہے۔ میں چاہوں گا کہ مرکزی وزارت داخلہ کامیاب رہے۔ آپ کی کامیابی پر ہندوستان کی کامیابی کا راز ہے۔ جب تک یہاں امن نہیں جب تک اتحاد نہیں جب تک یہاں پر ایک ایسی فضا نہیں جس فضا میں ترقی کر سکیں تب تک ہمارے لئے خطرے ہیں جو منڈلاتے رہتے ہیں۔

ان الفاظ کے ساتھ میں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سمے دیا)

[अनुवाद]

श्री बीरेन सिंह एंगती (स्वायत्तशासी जिला) : मैं गृह मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मांगों का समर्थन करते हुए मैं अपने राज्य असम के संबंध में कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं श्रीमान, वास्तव में, मेरे कुछ मित्रों ने असम समझौते के बारे में ध्यान दिलाया है। हम असम समझौते को कार्यान्वयन स्थिति में देखने के बड़े इच्छुक हैं क्योंकि यह असम तथा देश के लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यद्यपि अब यह कहा जा रहा है कि असम शांतिपूर्ण हैं, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने पिछला चुनाव खो दिया और वहां पर एक नई सरकार सत्ता में आ गई है। और इस सरकार ने ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया है जो हम सबके लिए एक बड़ी चिन्ता का विषय है।

सबसे पहले मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि नई असम गण परिषद सरकार ने समस्त राज्य में असमी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अनिवार्य तौर पर लागू करना आरम्भ कर दिया है। परिणामस्वरूप, इसने सिर्फ ब्रह्मपुत्र घाटी को ही नहीं बल्कि बैरक घाटी तथा असम के दो पर्वतीय जिलों को भी प्रभावित किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान राज्य में तीन-भाषा फार्मूले की नीति थी। जहां तक ब्रह्मपुत्र घाटी का सम्बन्ध हैं, असमी शिक्षण के माध्यम तथा सरकारी भाषा के रूप में अपनाई गई है। कचार जिले के लिए बंगाली स्वीकृत है और पर्वतीय जिलों के लिए अंग्रेजी शिक्षण का माध्यम व राजकीय भाषा है। किन्तु अब असमी समस्त राज्य में अनिवार्य विषय के रूप में थोप दी गई है। इसलिए मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह राज्य सरकार को एकता और अखंडता के लिए यह नीति छोड़ने तथा पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को पुनः आरम्भ करने के लिए मनायें।

जहां तक भूमि पर से निष्कासन का सम्बन्ध है, यह बड़ी अजीब बात है कि सभी समुदायों के काफी लोगों को वैकल्पिक प्लाट दिए बगैर निष्कासित कर दिया गया। उन लोगों के निष्कासन पर हमें कोई आपत्ति नहीं है जो अनधिकार ढंग से सरकारी भूमि पर जमे हुए थे, किन्तु, इसके साथ-साथ जहां तक हमें पता है, स्थानीय, गरीब तथा भूमिरहित लोग इससे पीड़ित हुए हैं। इसलिए मेरा विचार यह हैं कि जिन लोगों को बेदखल किया गया है उनके पुनर्वास तथा जीवन निर्वाह के साधनों के लिए कुछ वैकल्पिक प्रबन्ध किये जाने चाहिएं, अन्यथा, इन लोगों को बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे।

असम राज्य की सरकार आरक्षण नीति को हटाने के बारे में सोच रही है। असम राज्य विधान सभा ने 1978 में राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार इस प्रस्ताव को लागू न करने के लिए निर्णय ले रही है। यह सरकार आरक्षण नीति को समाप्त करना चाहती है। अगर ऐसा है तो यह कदम राज्य के सभी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को प्रभावित करेगा। मैं माननीय गृह मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि वह राज्य सरकार को यह नीति न अपनाने के लिए मनायें क्योंकि जनजातीय लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

[श्री बीरेन्द्र सिंह एंगती]

7.00 म० प०

मेरा अगला विषय उत्तरी कचार जिला परिषद् से संबंधित है। वहां पर दो जिला परिषदें हैं जो निर्वाचित समितियां हैं। जिला परिषद का कार्यकाल पांच वर्ष है। उत्तरी कचार एक स्वायत्त-शासी जिला है और जिला परिषद् का कार्यकाल पहले से ही पूरा हो गया था और पिछले मार्च मास में चुनाव होने थे, किन्तु चुनाव करवाने की बजाय असम सरकार ने इस परिषद को अपने हाथ में ले लिया क्योंकि कांग्रेस वहां बहुमत में थी और जिला परिषद को चला रही थी। असम सरकार ने इसका कार्यकाल और छः मास के लिए बढ़ाया है और चुनाव नहीं करवा रही है। इसने जिला आयुक्त को इसका प्रशासक नियुक्त कर दिया है। इस जिले के लोगों को बहुत मुश्किलें सहन करनी पड़ रही हैं। इसलिए, हम चाहते हैं कि भारत सरकार राज्य सरकार को कानून के अनुसार नये चुनाव करवाने के लिए कहे।

असम के दो पर्वतीय जिलों की यह मांग है कि उनको अधिक शक्तियां मिलनी चाहिएं जैसाकि मेघालय राज्य का निर्माण करते हुए उनसे वादा किया गया था। जब मेघालय राज्य को तत्कालीन असम राज्य के तीन पर्वतीय जिलों, खासी, जयन्तिया और गारो पहाड़ियों से बनाया गया था तो कासली आंगलोंग और उत्तरी परिषद् पर्वतीय जिले इसमें शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि तत्कालीन असम सरकार ने इन दो जिला परिषदों को नवनिर्मित मेघालय राज्य के बराबर अधिक स्वायत्त शक्तियां देने का आश्वासन दिया था। इसको ध्यान में रखते हुए, 1 जून 1971 को जिला परिषदों को कुछ योजनाएं कार्यान्वयन करने के लिए सौंपी गई थीं। ऐसी योजनाओं को "शक्तियों का हस्तांतरण" कह कर जिला परिषदों को सौंपा जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। इन दो पर्वतीय जिलों ने असम सरकार और भारत सरकार को यह कहते हुए एक प्रतिवेदन दिया था कि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। और जनजातीय लोगों की आर्थिक तथा सामाजिक हालत को सुधारने के लिए उपबन्ध के तहत अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए। क्योंकि ये जिला परिषदें जनजातीय लोगों की भाषाओं को सांस्कृतिक विरासत के रूप में रखने के सिवाय उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा व उनके आर्थिक और सामाजिक हालत को सुधारने के लिए बनायी गयी थीं।

असम के इन दो पर्वतीय जिलों के लिए आठवें वित्त आयोग ने प्रति वर्ष एक करोड़ की मंजूरी दी है। वास्तव में, दोनों जिला परिषदों ने उनके पर्वतीय जिलों के लोगों के कल्याण कार्य के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी की मांग की थी। यद्यपि एक करोड़ रुपये की राशि मंजूर हो चुकी है, किन्तु यह धन आज तक जिला परिषदों तक नहीं पहुंचा है। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री से असम सरकार को यह कहने के लिए निवेदन करता हूं कि वह तुरन्त ही इस धन का आबंटन करे जिससे कि ये जिला परिषदें उनकी परियोजनाओं पर पैसा लगा सकें।

असम के इन दो जिलों की मांग है इनमें रहने वाले लोगों के जीवन, संपत्ति और हितों की सुरक्षा के लिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244ए के तहत इन दो पर्वतीय जिलों का एक स्वायत्त

राज्य बनाना चाहिए। यह एक नई मांग नहीं है। इसकी मांग, उस क्षेत्र के जनजातीय लोगों के हितों की सुरक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काफी अरसे से रही है। इसलिए, मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि कृपया इस पर ध्यान दें और असम राज्य के अन्दर ही इस उद्देश्य के लिए सदन में एक उपयुक्त विधेयक पेश करते हुए एक स्वायत्त राज्य का निर्माण करें जैसाकि अनुच्छेद 244ए के तहत है। इसके साथ-साथ वहां पर संविधान संशोधन के लिए भी मांग थी।

श्रीमान, कारबी-आंगलोंग जिले को मीकीर पर्वतीय जिले के नाम से पुकारा जा रहा है। असम सरकार ने केन्द्र से संविधान में इसका नाम बदलने के लिए कहा था क्योंकि राज्य सरकार तो ऐसा पहले ही कर चुकी है। यह मांग संविधान में संशोधन करने के लिए भारत सरकार के पास भेज दी गई है। वे चाहते हैं कि मीकीर पहाड़ी जिला की बजाय इसे कारबी-आंगलोंग जिला कहा जाना चाहिए। समुदाय को 'मीकीर' की बजाय 'कारबी' कहा जाना चाहिए। जब तक ये दो कार्य नहीं किए जाते हैं तो समुदाय को बहुत तंग होता रहना पड़ेगा। वे अपने आपको 'कारबी' कहलवाना चाहते हैं किन्तु संविधान और सरकारी दस्तावेजों में उनको 'मीकीर' कहा जाता है। इसलिए, यह नाम बदला जाना चाहिए। जब तक इसे तुरन्त नहीं किया जाता तो विद्यार्थी और जनता सभी कानूनी तथा दूसरे दृष्टिकोणों से तंग होती रहेगी।

श्रीमान, उस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए लोग पर्वतीय जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मांग कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय को या तो ब्रह्मपुत्र घाटी या फिर बैरक घाटी में स्थापित करने की मांग है। पर्वतीय जिला एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सरकार की पिछड़े तथा जनजातीय लोगों के क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करने की नीति है। इसीलिए हम यह मांग करते हैं कि यह विश्वविद्यालय असम के पर्वतीय जिले में स्थापित किया जाना चाहिए।

जिले में बाहरी और अवांछित लोगों को बसने से रोकने के लिए और जनजातीय लोगों की भूमि तथा संपत्ति को छिनने से रोकने के लिए और उस क्षेत्र में शांति बनाये रखने के लिए, असम के सभी पर्वतीय जिलो में ईनर लाईन परमिट नीति लागू की जानी चाहिए। इसलिए यह ईनर लाईन परमिट व्यवस्था भारत सरकार द्वारा तुरन्त शुरू की जानी चाहिए।

मेरा अंतिम विषय सीमा विवादों से संबंधित है। हमारे मेघालय के साथ कुछ सीमा संबंधी विवाद हैं। ये असम के कारबी आंगलोंग जिले के खण्ड एक और खण्ड दो से संबंधित हैं। हमारी तरफ से तो कोई झगड़ा नहीं है। ये विवाद सिर्फ मेघालय द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। हम इन विचारों के हैं कि कारबी आंगलोंग जिले के ये खण्ड एक और दो असम राज्य के क्षेत्र में हैं। और इसके साथ-साथ हम ऐसा कह भी रहे हैं, और इस प्रकार कोई विवाद है ही नहीं। क्योंकि असम और मेघालय दोनों राज्यों की सरकारों ने इस विवाद को सुलझाने का फैसला कर लिया है, इसलिए मैं भारत सरकार तथा माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हस्तक्षेप करें और दोनों राज्यों की सरकारों को इस मामले को सदा के लिए खत्म करने के लिए राजी करें। इन शब्दों के साथ गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, गृह मंत्रालय की मांगों पर पिछले दो दिन से चर्चा हो रही है। मैं पंजाब की स्थिति पर चर्चा करना आवश्यक नहीं समझता था किन्तु कुछ विरोधी सदस्यों द्वारा इस विषय को आरम्भ किये जाने पर मैं ऐसा कर रहा हूं। ऐसा महसूस किया गया है कि समझौते को लागू न करना पंजाब राज्य में उग्रवादी गतिविधियों का मुख्य कारण है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और हमने पंजाब पर अलग से भी चर्चा की है। सच्चाई सच्चाई ही होती है और इसका हमें मुनासिब ढंग से सामना करना चाहिए। सच्चाई यह है कि समझौते के 11 में से 9 मुद्दों को (जो स्वर्गीय संत लौंगोवाल और हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के बीच हुआ था) पहले से ही लागू किया जा चुका है। अगर ऐसा है तो, यह कैसे कहा गया है कि समझौते को लागू नहीं किया गया है ? दो मुद्दे ही बचते हैं, जो दो राज्यों के बीच झगड़े की जड़ बने हुए हैं। पहला, चंडीगढ़ के हस्तांतरण का है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा अपने दृष्टिकोण में बड़ा रचनात्मक रहा है। चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाये, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु हमारी बात यह रही है कि इसके साथ-साथ, उसी समय चंडीगढ़ के बदले में हरियाणा को पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्र हस्तांतरित किये जाने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए मैथ्यू आयोग की नियुक्ति की गई थी; और मैथ्यू आयोग ने यह स्पष्ट और सकारात्मक निष्कर्ष दिया कि 83 गांव और अबोहर तथा फाजिल्का के दो कस्बे हिन्दी भाषी हैं। अब, श्रीमान, मैं नहीं समझता कि नये आयोग के सन्दर्भ में इन गांवों और अबोहर तथा फाजिल्का को शामिल क्यों नहीं किया गया। इस प्रकार इससे सारे हरियाणा राज्य में रोष, कुण्ठा और निराशा उभरी है।

7.11 म० प०

(श्री एम० वेंकट रत्नम पीठासीन हुए)

श्रीमान, लगभग एक मास या 25 दिन पहले, 23 मार्च को समस्त हरियाणा के नाम से इतने अधिक लोग एकत्रित हुए थे कि हमारे राज्य के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। वह क्या बात थी ? क्या उससे चौधरी देवीलाल की लोकप्रियता प्रदर्शित हुई ? नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे हरियाणा के लोगों का क्रोध, शंकाएं तथा रोष प्रकट हुआ है। उस जनसमूह ने हरियाणा के लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित किया। उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ अन्याय होने जा रहा है। और इस दूसरे आयोग की नियुक्ति ने हरियाणा के लोगों की शंकाओं की पुष्टि कर दी है।

यह समझ में नहीं आता कि अबोहर और फाजिल्का क्षेत्रों को समझौते की शर्तों से क्यों निकाल दिया गया है और श्रीमन्, आयोग किसलिए नियुक्त किया गया है ? क्या हरियाणा चण्डीगढ़ के आसपास कुछ गांव चाह रहा है ? नहीं, हमें पिछला इतिहास उठाना पड़ेगा। शाह-आयोग ने निर्णय दिया था। शाह-आयोग के निर्णय के अनुसार तत्कालीन खरार तहसील तथा अम्बाला जिला, चंडीगढ़ सहित, हरियाणा को दिया जाना था। लेकिन, बाद में जब सन्त फतेह सिंह ने आत्म-दाह की धमकी दी, तो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने फैसले का संशोधन किया कि चण्डीगढ़ पंजाब को दिया जायेगा तथा अबोहर एवं फाजिल्का के 114 गांव हरियाणा को दिए जायेंगे। इसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा

है। इसका मतलब यह नहीं कि इस कारण से पंजाब में आतंकवादी कार्यवाहियां हों। विपक्ष के मेरे मित्रों ने, वास्तव में, स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं किया है। वे नहीं जानते कि हरियाणा के साथ गम्भीर अन्याय किया जा रहा है।

श्रीमान्, जहां तक एस० वाई० एल० नहर लिंक का संबंध है सन्त लोंगोवाल तथा राजीव गांधी के बीच हुए समझौते में यह प्रावधान है कि पंजाब एस० वाई० एल० नहर 15 अगस्त, 1986 तक पूरा कर देगा। क्या मैं उनसे एक सीधा-सा सवाल पूछने का दुस्साहस कर सकता हूं कि उन्होंने समझौते के क्रियान्वयन की बात कब की? वे वहां जायें और देखें। क्या इसे 15 अगस्त तक पूरा करना संभव है? इसका उत्तर निश्चित रूप से नकारात्मक है। कारण है कि वे इसे अच्छी तरह नहीं समझते। पंजाब के मुख्य मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने पंजाब विधान सभा में एक वक्तव्य दिया था कि एस० वाई० एल० नहर के निर्माण का कार्य कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को सौंपा जाएगा। ये सार्वजनिक उपक्रम केन्द्र के नहीं, राज्य के होंगे। ये तो कुएं से निकालकर गड्ढे में डालने वाली बात हुई। महीनों गुजर गए हैं और अब वे कोई न कोई बहाने बनाकर इसे लटकाना चाहते हैं। और वे भारत सरकार को समझौते को क्रियान्वित न करने के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। यह बड़ी गम्भीर बात है।

मैं यहां उपस्थित गृह मंत्री महोदय तथा उनके द्वारा प्रधान मंत्री जी से हरियाणा के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखने के लिए अनुरोध करूंगा। हमारी समस्त आशाएं प्रधानमंत्री जी पर टिकी हैं। हमें सरकार की गम्भीरता पर कोई शक नहीं है। हम केन्द्र सरकार के हाथों न्याय की आशा करते हैं। लेकिन कुछ आशंकायें हैं। यह नहीं समझ लिया जाना चाहिए कि हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे। वास्तव में हम अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। एस० वाई० एल० नहर के सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है।

महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यगण जानते हैं कि शरबत खालसा का आयोजन संभवत: 16 मार्च को आनंदपुर साहिब में किया गया था। शरबत खालसा द्वारा क्या निर्णय लिया गया था? लाखों लोग वहां एकत्र हुए थे। क्या पंजाब सरकार या मुख्य मंत्री जो कि राज्य के प्रारब्ध का दिशा-निर्देश कर रहे हैं तथा अकाली दल और पंजाब राज्य के कर्णधार हैं, द्वारा इन निर्णयों का क्रियान्वयन किया गया है? उन्होंने निर्णय लिया कि स्वर्ण मंदिर आतंकवादियों से मुक्त कराया जायेगा। क्या उनके ऊपर हाथ रखने का साहस उनमें है? पंजाब के लाखों लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि वे इसे कार्यान्वित करेंगे पर उन्होंने अभी तक नहीं किया। अब वे समझौते के क्रियान्वयन की बात करते हैं। शरबत खालसा के निर्णयों को कार्यान्वित करने और आतंकवादियों को स्वर्ण मन्दिर से निष्कासित करने का साहस पंजाब सरकार में नहीं है।

वस्तुस्थिति यह है कि आतंकवादी नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। उनका आक्रमण इतना प्रबल प्रहार इतना भयंकर तथा बल प्रयोग इतना खूनी है कि उनके फौलादी पंजों के तले सारा पंजाब थर्रा गया है। भारत सरकार सभी प्रकार का सहयोग प्रदान कर रही है। भारत की एकता एवं अखण्डता के हित में हम मुख्य मंत्री और पंजाब सरकार के हाथ मजबूत कर रहे हैं जिससे कानून और व्यवस्था

[श्री खिरंजी लाल शर्मा]

स्थापित हो सके। परन्तु रिबेरियो महोदय कब तक सफल होंगे जबकि उनके सहयोगियों एवं अधीनस्थ पुलिस कर्मियों में सहयोग का अभाव है ? फिर भी हमें बेहतर स्थिति की आशा करनी चाहिए।

प्रो० तिवारी द्वारा कुदाल आयोग का हवाला दिया गया था। मुझे याद है कि 1981 में श्री तैयब हुसेन ने जो कि इस सदन में गुड़गांव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, गांधीवादी संस्थाओं के बारे में एक प्रश्न उठाया था। तब अगस्त, 1981 में इस सदन ने प्रस्तावित किया था कि एक जांच-आयोग का गठन किया जायेगा। इस प्रकार गांधीवादी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कदाचारों, अनियमितताओं एवं अवैधानिक कार्यों की जांच करने के लिए कुदाल-आयोग नियुक्त किया गया था। महोदय, जब प्रो० तिवारी बोल रहे थे तो प्रो० दण्डवते बहुत भावुक हो गये थे। उन्होंने कहा, आप कितना समय लेंगे—4 वर्ष ? श्रीमान सदन को इस बात की सराहना करनी चाहिये कि केवल एक ही प्रतिवेदन पेश नहीं किया गया है अपितु आयोग चार अंतरिम प्रतिवेदन दे चुका है। अब पांचवां भी तैयार है। वे चार प्रतिवेदन 3000 या 2700 पृष्ठों में हैं। इसके लिए एक नियमित प्रक्रिया अपनानी है। आयोग के निष्कर्षों को हिन्दी में अनुदित करवाना है क्योंकि सदन में प्रतिवेदन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रस्तुत किया जाना है।

इस सम्बन्ध में, मैं कुछ प्रश्न करना चाहूंगा क्योंकि इस पर प्रो० मधु दंडवते द्वारा नाराजगी व्यक्त की जा रही है। कुछ लोग मुझसे मिले और मुझसे कहा कि आयोग को और जारी रखना ठीक नहीं है तथा कुदाल जांच आयोग को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इस विषय में उन्होंने मुझे सलाह किस कारण दी उन्होंने सरलतापूर्वक कहा "शर्मा जी आयोग कब तक कार्य करेगा ?" तब मैंने सम्पूर्ण विषय का अध्ययन करने का प्रयास किया और मैंने प्रधान मन्त्री जी को भी लिखा।

ये गांधीवादी, एक बार पहले 1974-75 में, सड़कों पर उतर आये थे। ऐसा श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को उखाड़ फैंकने के लिए किया गया था। सरकार के आदेश पर नहीं अपितु भारतीय संसद के आदेश पर उनके द्वारा किये गये कुकृत्यों की जांच का विरोध करने के लिए इस समय वे वही करिश्मा दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे कुछ प्रश्न पूछना लोकहित में होगा। माननीय मन्त्री श्री अरुण नेहरू ने अभी हाल में संसद में कहा था कि भारत में इन स्वैच्छिक संगठनों ने पश्चिमी राष्ट्रों से 200 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। क्या यह सच नहीं है कि इस विदेशी सहायता का एक बड़ा भाग तथाकथित गांधीवादी संगठनों और उनसे सम्बद्ध संस्थाओं की तिजोरियों में चला गया है।

क्या यह सच नहीं है कि कुछ गांधीवादी उच्च पदस्थ लोग, जैसा कि आयोग द्वारा प्रकाश में लाया गया है, आदिवासियों/जनजातियों के सम्बन्ध में व्यापक जानकारी एवं आंकड़े प्रदान करके या विदेशी अभिकरणों को गुप्त एवं संवेदनशील सीमा-नक्शे प्रदान करके कुछ लाख जर्मन मार्क या अमेरिकी डालर के लिए राष्ट्रीय हितों और यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सौदा कर रहे हैं ? उनकी

राष्ट्रीयता, जो विदेशों द्वारा प्राप्त धन के आकार पर आश्रित-प्रतीत होती है कितनी लचीली है ? क्या कुछ पाश्चात्य देशों जैसे पश्चिमी जर्मनी में भारत में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के विरुद्ध सार्वजनिक अभियान आयोजित करना देश भक्ति या राष्ट्रीय हित में है। इसके पीछे कौन गांधीवादी है ? वे क्यों झांसा दे रहे हैं कि पिछले चार वर्षों के दौरान ग्यारह नगण्य आरोपों के सम्बन्ध में केवल एक प्रतिवेदन दिया गया है जैसा कि सदन में आज प्रो० मधु दंडवते द्वारा कहा गया जबकि आयोग 76 आरोपों के बारे में 2700 पृष्ठों से अधिक के चार अंतरिम प्रतिवेदन दे चुका है तथा 30 से अधिक मामलों के बारे में पांचवां अंतरिम प्रतिवेदन इसी माह प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ? उनका कहना है कि उन्होंने जांच का स्वागत किया था। यदि ऐसा था तो कुदाल आयोग द्वारा जांच शुरू करने से पहले ही उसके गठन को चुनौती देने के लिये उन्होंने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के दरवाजे क्यों खटखटाये थे ?

क्या यह सत्य नहीं है कि उन्होंने इस जांच को रोकने एवं इसमें देरी कराने के लिए 45 लेख याचिकाएं एवं विशेष अनुमति याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर की हैं। यह सब करने के पश्चात् अपने वकीलों द्वारा विलम्ब कराने के लिए चलवाई गई चालों एवं युक्तियों को जानते हुए वे विलम्ब के लिए आयोग को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं ?

क्या यह सच नहीं है कि उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत 22 मामलों में से वे 21 मामले हार चुके हैं और शेष विचाराधीन हैं? और बाकी विचाराधीन हैं क्या यह वास्तविकता है कि कुदाल आयोग के नाम पर उन्होंने लगभग 10 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं ? क्या यह भी सच नहीं है कि इसका एक भाग निजी व्यक्तियों की जेबों में गया है ? गांधी संस्थाओं का धन जनता का धन है। वे इसका लेखा-जोखा जनता के सामने क्यों नहीं रख सकते ? वे साफ झूठ क्यों बोलते हैं और गुमराह क्यों करते हैं कि सरकार ने आयोग पर 8 करोड़ से भी अधिक रुपया खर्च कर दिया है। एक सफेद झूठ और जान-बूझकर वास्तविकताओं का मिथ्या विवरण। क्या यह सच नहीं है कि तथाकथित गांधीवादी प्रत्येक विपदा, तूफान, बाढ़, गैस-रिसाव, साम्प्रदायिक झगड़ों को बहाना बनाकर संदिग्धदाता एजेन्सियों से विदेशी धन ऐंठते हैं ? जब लेखा-जोखा के बारे में पूछा जाता है तो वे परेशान हो जाते हैं। क्या ये गांधीवादी नेता सोचते हैं कि वे सरकार और भारतीय संसद को दबाव डालकर भूत लेखकों के सजीव प्रचार से भयभीत कर सकते हैं।

अन्त में आते हुए मैं एक बात और कहता हूं। क्या यह मालूम करने का समय नहीं आया है कि इन गांधीवादी संस्थाओं की ऐसी भयानक हालत किसने बना दी है ? क्या यह अन्तर्दर्शन व आत्म-निरीक्षण के लिए उचित समय नहीं है ? अन्त में हम गांधीवादी नेताओं को यह कह सकते हैं कि वे पहले अपने गरेबान में झांक कर देखें।

महोदय, न्याय में विलम्ब करना न्याय न करना है। मैं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में कुछ बातें कहूंगा क्योंकि माननीय गृह मन्त्री यहां उपस्थित हैं। उनकी सूचना के लिए हाई कोर्ट में जजों की संख्या को हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद सरकार द्वारा बढ़ाकर 23 से 26 किया गया था। वर्तमान समय में केवल 16 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। अब भी 10 स्थान

[श्री चिरंजी लाल शर्मा]

खाली हैं। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि भारत सरकार, कानून मन्त्रालय या गृह मन्त्रालय इन रिक्त स्थानों की पूर्ति क्यों नहीं कर रहा है। मुकदमों का ढेर पड़ा हुआ है। और जब भी मैं हाई कोर्ट में जाता हूं, व्यवसाय से मैं अधिवक्ता हूं, तो उच्च न्यायालय के वकील मुझे अपशब्द कहते हैं और पूछते हैं कि शर्मा जी आप क्या कर रहे हैं ? आप भारत सरकार, कानून मन्त्री, गृह मन्त्री और प्रधान मन्त्री के पास इन स्थानों को भरवाने के लिए क्यों नहीं जाते ? मैं समझता हूं हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों ने नामों की सिफारिश कर दी है। वास्तव में राज्यपालों द्वारा उच्च न्यायालय ने सिफारिश कर दी है और उन्हें भारत सरकार के पास पेश कर दिया गया है। यहां न्याय में विलम्ब करने का मतलब है न्याय करने से इन्कार करना। यह अनावश्यक देरी मुकदमों को निपटाने में विलम्ब उत्पन्न करती है। मैं गृह मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की; और समय बर्बाद किए बगैर जांच करें।

हथियार अधिनियम के बारे में भी मैं कुछ शब्द कहूंगा। कृपया गृह मन्त्री इस पर ध्यान देंगे। जब पंजाब क्षेत्र को अशान्त क्षेत्र घोषित किया गया तो भारतीय हथियार अधिनियम में संशोधन किया गया था। यदि 4 इंच लम्बे चाकू लिए हुए एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो मुकदमा मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और इसे सत्र-न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। उप-मण्डलीय मुख्यालयों में क्या होगा ? जांच-पड़ताल करने वाले अधिकारी एस०एस०ओ० और पुलिस अधिकारी भी ऐसी परिस्थितियों में गरीब और निर्दोष लोगों से रुपया ऐंठते हैं जिसके न देने पर उन्हें हथकड़ी लगा दी जाती है और हवालात में रखा जाता है। यहां तक कि 4 इंच का चाकू बरामद होने पर भी उन्हें जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खट-खटाना पड़ता है। जहां तक अशांत क्षेत्र का सम्बन्ध है इसे लागू किया जा सकता है। वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। परन्तु हरियाणा जैसे राज्य में नहीं जहां पूर्ण शान्ति है और कानून व व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। पुलिस एजेन्सियों के इस प्रकार के शोषण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। मैं न्यायालयों में भी बातचीत करूंगा। कुछ न्यायधीशों ने निरीक्षण किया और कहा "शर्मा जी यह संसद द्वारा पारित केन्द्रीय विधेयक हैं और आपको एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहिए था।" इसीलिए मैं गृह मन्त्री से हथियार अधिनियम में इस संशोधन की आवश्यकता के लिए अनुरोध करूंगा कि छोटे-छोटे मुकदमों को भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी और तत्पश्चात उनके उत्तराधिकारी के 20-सूत्री कार्यक्रम में सरकार की सद्भावना में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों, पददलितों, विशेष-कर हरिजन, गिरिजन व पिछड़े वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए, बहुत बड़ी धनराशि ऋण के रूप में दी जा रही हैं। बेरोजगार युवकों को अग्रिम ऋण दिया जा रहा है।

सभापति महोदय गृह मंत्री मुझे स्पष्ट बोलने के लिए माफ करेंगे। यदि एक व्यक्ति को 5,000 रुपये का ऋण दिया जाता है तो उसे बैंक वालों को 800 रु०, 1,000 रुपए तक देना पड़ता है जबकि उनके मामलों की समाज सुधार विभाग या जिला अधिकारियों, जोकि उद्योग अधिकारी हैं, द्वारा

भली प्रकार सिफारिश की जाती है। यदि ऋण 16,000 रुपए का है तब भ्रष्टाचार की राशि 3,000 रुपए तक बढ़ जाती है। वास्तव में यह हो रहा है। यह बहुत ज्यादा हैं। लोग लिखित रूप में शिकायत करते हैं मैं वित्त राज्य मन्त्री को एक नहीं अनेक डी०ओ० पत्र लिख चुका हूं। राजीव गांधी की सरकार गरीबों को साधन जुटाना चाहती है ताकि वे अपनी रोजी-रोटी के लिए अल्पराशि कमा सकें। परन्तु सरकार की नीतियों को लागू करने में प्रशासनिक एजेन्सियां ईमानदार नहीं है। जब भी मैं पत्र लिखता हूं तो घिसा-पिटा उत्तर मिलता है "प्रिय शर्मा जी, मुझे अमुक तिथि का आपका पत्र मिला और मैं मामले की जांच-पड़ताल करवा रहा हूं।" और मन्त्री जी मुझे सूचना भेजते हैं कि मामले की छानबीन की गई और आरोप निराधार पाया गया। नीचे से ऊपर तक बैंक अधिकारी एक हैं। अधीनस्थों के विरुद्ध कोई व्यक्ति कार्यवाही नहीं कर रहा। मैं हरियाणा सरकार में कई वर्षों तक मंत्री रह चुका हूं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि चाहे वित्त विभाग हो या कोई अन्य कोई व्यक्ति अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को छूना नहीं चाहता। यह बहुत गम्भीर बात है। सरकार को इस समस्या को गम्भीरता से लेना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मन्त्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : सभापति महोदय, मैं वर्ष 1986-87 के लिए गृह मन्त्रालय की अनुदान की मांगों के समर्थन में कुछ शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं पहले पुलिस सेवा में काम कर चुका हूं- इसलिये मैं सारे देश में पुलिस के लोगों की अनन्त समस्याओं से भली प्रकार अवगत हूं। मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि कैसे पुलिस के लोगों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा जाता है। ये लोग जो कानून और व्यवस्था के संरक्षक हैं अपने परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं। उनकी आर्थिक स्थिति सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले चपरासियों से भी काफी नीचे होती है। पुलिस बलों के वेतनमान बहुत कम हैं। उन्हें सरकारी आवास नहीं मिलता। राज्य सरकारों के पास उनके निवास-स्थान बनाने के लिए धन नहीं है। निजी मकानों के मालिक पुलिस वालों को अपने मकान किराये पर देने में हिचकिचाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से यह जानता हूं कि कुछ कस्बों में पुलिस के लोग झोंपड़ियों में रह रहे हैं। यदि वे कस्बे से बाहर छप्पर की झोंपड़ियों में रहते हैं तो उन्हें जनता का आदर कैसे मिल सकता है? सरकार को उनकी स्थिति में सुधार करना पड़ेगा।

आठवें वित्त आयोग की सिफारिश पर वित्त मन्त्रालय ने 15 राज्यों की राज्य पुलिस बलों की आवश्यकताओं के लिए, 1985 से 1989 तक के काल के लिए 259 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है। आप कृपया यह देखिये कि राज्यों ने इस पैसे से क्या-क्या कार्य किया है।

जेल-प्रशासन के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए वित्तीय सहायता पाने वाले 16 राज्यों में तमिलनाडु स्थान नहीं पा सका। मैं यह जानना चाहता हूं कि तमिलनाडु को इस मामले में शामिल क्यों नहीं किया गया? मैं माननीय गृह मन्त्री से अपील करता हूं कि वे यह आश्वासन दें कि जेल

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री सी० के० कुप्पुस्वामी]

प्रशासन में सुधार व आधुनिकीकरण के लिए तमिलनाडु को भी वित्तीय सहायता मिलेगी।

सम्पूर्ण देश में पुलिस कर्मियों के जीवन-स्तर में सुधार के मामले में कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। राज्यों में पुलिस बलों के वेतनमान बढ़ाने के लिए, केन्द्र सरकार को राज्यों को सभी आवश्यक वित्तीय सहायता देने की स्थिति में होना चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे बताया गया है कि इस समय 84,000 स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन से महरूम हैं। मैं माननीय गृह मन्त्री से इसकी जांच करने एवं जल्दी से जल्दी इन स्वतन्त्रता सेनानियों को केन्द्रीय पेंशन मंजूर करने का अनुरोध करता हूं।

इन कुछ शब्दों को कहने का अवसर देने के लिए मैं सभापति महोदय का धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, अब मेरा नाम पुकारने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं लगभग आठ घन्टों से इन्तजार कर रहा था। मैं समझता हूं कि अगली चर्चा सूची के दूसरे सिरे से आरम्भ करनी चाहिए ताकि हमें अपने अवसर जल्दी मिले वरना हर समय हमें इसी प्रकार सात या आठ घन्टे इन्तजार करना पड़ेगा।

बहुत से मुद्दों पर बातचीत की गई है। पहले उठाये गये मुद्दों को दोहराकर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं।

मैंने सदन में हमेशा तर्क दिया है कि हमारा देश गरीब है। हम नई तकनीकी और आधुनिकीकरण की बातचीत कर रहे हैं परन्तु बेरोजगारी और गरीबी जैसी आर्थिक समस्याएं इस देश में बढ़ रही हैं। यदि हमारे प्रधान मन्त्री यह सोचते हैं कि आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी से गरीबी दूर हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है। इसीलिए यही समय है जब हमें आर्थिक अपराधों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। उन्हें दण्डनीय अपराध बनाना चाहिए। यहां 40000 करोड़ रुपए का काला धन है। मालिकों ने बैंकों को 4,000 करोड़ रुपए तक का धोखा दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसे आर्थिक अपराधों के लिए क्या कर रही है। मैं समझता हूं कि धन को अन्य कार्यों में लगाना खातों में हेर-फेर, कर्मचारियों को भविष्य निधि से वंचित करना, करों से बचना, जमाखोरी व कालाबाजारी मुख्य अपराध है। यह नहीं होना चाहिए कि कोई तो गरीब आदमियों की गर्दन पर सवार है और कोई भीख मांग रहा है। हमारा इतना बड़ा देश है परन्तु 40 वर्षों के बाद भी हम केवल इस पर विवाद कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि हम इन आर्थिक अपराधों को दंडनीय अपराध कब बनायेंगे और गम्भीर पुलिस केस बनाकर इन लोगों को हवालात में बन्द क्यों नहीं कर दिया जाता।

इस सम्बन्ध में एक बहुत रोचक बात यह है कि यह पुलिस के क्षेत्राधिकार में नहीं आता यह

सीमा-शुल्क के अन्तर्गत आता है। मुझे बताया गया है कि पिछले कुछ महीनों में 1800 छापे पड़े थे। इन छापों का बम्बई में बहुत प्रचार किया गया, आमतौर पर ये आर०के० मिल्स, वोल्टास और किर्लोस्कर हैं। समाचार पत्रों, टी०वी०; प्रैस इत्यादि में इनके नाम सुर्खियों में आ रहे हैं। परन्तु छापे पड़ने के बाद इन मामलों का भविष्य क्या है? आर० के० मिल्स के मामले में जून में मालिक को गिरफ्तार किया गया था, जुलाई में इसे उच्च न्यायालय में भेज दिया गया और उस व्यक्ति को जो निदेशालय में प्रवर्तन अधिकारी था, सेवानिवृत्ति से पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था।

उच्च न्यायालय में भी अभी मामले का फैसला नहीं हुआ है और इस व्यक्ति ने हलफनामा दायर नहीं किया है। बम्बई उच्च न्यायालय में चार बार इस मामले को पुकारा गया था परन्तु हर समय यह कहा गया कि वह विदेश ड्यूटी पर गया हुआ है। फिर यह बताया गया कि वह समय से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है। दोबारा फिर फरवरी में उच्च न्यायालय ने पूछा "इसका क्या हुआ? आपने शपथपत्र दाखिल क्यों नहीं किया? हम मामले की छानबीन कर रहे हैं।" उस प्राधिकारी ने जिसने आर० के० मिल्स के मालिकों से बयान लिया था बम्बई उच्च न्यायालय में 4-6 महीनों से शपथपत्र दाखिल नहीं किया है। अत:, मैं जोरदार शब्दों में सरकार पर आरोप लगाऊंगा कि वे लोगों को गिरफ्तार कर रही है, वायदे कर रही है; लेकिन बाद में इन सभी लोगों को छोड़ देती है, यह दोहरी भूमिका निभा रही है।

किर्लोस्कर के मामले में, जांच चल रही है; लेकिन सरकार आगे कार्यवाही करने में समर्थ नहीं है। वह यह स्वीकार भी कर रही है। इसी प्रकार वोल्टास के मामले को स्थगित कर दिया गया। अत:, मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक अपराधों को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।

इस अन्य महत्वपूर्ण बात, जिस पर चर्चा नहीं हुई। वह है श्रम विवाद और पुलिस की भूमिका। देश की समस्त जनसंख्या का 30% श्रमिक हैं; लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके अन्तर्गत नियोजक की पूंजी और सम्पत्ति से इनको हिस्सा मिल सके। इस बारे में आपको नियम बनाने होंगे। देश के 50% कर्मकार आकस्मिक और ठेका श्रमिक हैं। उनके पास एकमात्र हथियार हड़ताल, तालाबन्दी और कुछ नारे हैं। ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार के क्या निदेश हैं? सरकार ऐसे महत्व-पूर्ण मामलों के प्रति कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

अकबर होटल के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कल पुलिस ने उन पर हमला किया और उन्हें गिरफ्तार किया। उन्हें डर हैं कि इसे (होटल) बन्द कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में ऐसी हजारों समस्यायें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 26 जनवरी को एक मंत्री का एन०आई०सी० में हाथ होने की वजह से, बैठक पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। लेकिन हमने सभा बुलाई और उन्होंने गोली चलाई, जिसके फलस्वरूप चार लोगों की मृत्यु हो गई। मैं ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूं, जहां पुलिस नियोजकों से मिलकर हस्तक्षेप कर रही है। अत: पुलिस के आचरण संबंधी ठोस नियम बनाये जाने चाहिए।

मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लोगों को क्यों गिरफ्तार किया

[डा० दत्ता सामन्त]

जा रहा है, कपड़ा मिल हड़ताल में, मेरे 40 सक्रिय लोगों को बिना वजह जेल में डाला गया है, उनका कसूर यही था कि उन्होंने भाषण दिए। मैंने आयुक्त से पूछा तो उन्होंने कहा 'आपके भाइयों ने लोगों को उकसाया है, जब वे हड़ताल करते हैं तो, उनको गिरफ्तार किया जाता है। आज या कभी-भी आप वहां जाकर देख सकते हैं कि मेरे 10 - 15 सक्रिय कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेलों में बन्द किया गया है। यह सत्ता का दुरुपयोग है जो श्रम आन्दोलन को कुचलने के लिए किया जा रहा है। जब हमारे राष्ट्रपति श्री जैल सिंह ने यह नियम पारित किया था तो गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसे श्रमिकों के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि श्रमिक आन्दोलन को दबाने के लिए इसका बुरी तरह से और अभेदभावपूर्ण इस्तेमाल किया जा रहा है।

मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त समय है जब सरकार को नियम बनाते समय पुलिस को स्पष्ट निदेश देने चाहिए। जब शांतिपूर्ण हड़ताल हो या शांतिपूर्ण तालाबंदी हो या जब श्रमिक मिल द्वार पर धरना दें तो पुलिस बल को इसमें दखतअंदाजी नहीं करनी चाहिए।

जब 500 या 1,000 श्रमिक चार-पांच से भूखे मरते हुए, मिल द्वार पर धरना दे रहे हों, तो पुलिस को मिल से समान को निकलवाने या नई भर्ती करने में नियोजकों का साथ नहीं देना चाहिए। पुलिस को हड़ताल समाप्त करवाने में मदद नहीं देनी चाहिए। अतः मैं सभा में मांग करता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इस बारे में स्पष्ट निदेश जारी करने चाहिए कि जब कभी शांतिपूर्ण हड़ताल या तालाबन्दी हो तो पुलिस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर हिंसा होती भी है तो, उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन जब तक शांति है, पुलिस को श्रम-विवादों से दूर रहना चाहिए।

कल कुम्भ मेले में, भगदड़ से 50 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस की लापरवाही थी। किसी ने भी चिन्ता नहीं की। आयुक्त और उपायुक्त वहां मौजूद थे। रेडियो और दूरदर्शन से हमने देखा कि कैसे 30 से 40 लाख लोगों एकत्र थे। सुबह छह बजे द्वार खुलने थे, लेकिन दो द्वार बन्द थे। मैं नहीं जानता इसका क्या कारण था। प्रथम अवलोकन से ऐसा लगता है कि कहीं अनदेखी, लापरवाही हुई है। तीन मुख्य मंत्रियों ने वहां स्नान किया। जब यह दुर्घटना हो रही थी उस समय प्रातः छह बजे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री वहां स्नान कर रहे थे। हरियाणा और बिहार के मुख्य मंत्री भी वहां मौजूद थे। मैं समझता हूं पुलिस इन मुख्य मंत्रियों का ध्यान रख रही होगी। लापरवाही की हद यह है कि घायल लोगों को अस्पताल भेजने में 45 मिनट से पांच घंटे का समय लग गया।

अब मैं एक बात जेल विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। जेल विभाग ऐसा विभाग, जिसकी कोई परवाह नहीं करता। मैंने अपने राज्य में ऐसा देखा है। मैं भी जेल में रहा हूं। अतः मैं जो बातें यहां कह रहा हूं, वे पुस्तकों से नहीं हैं, बल्कि खुद मुझे तीन वर्ष तक जेल में रहने का तथाकथित सोभाग्य प्राप्त है क्योंकि मात्र गोदरेज के नियोजकों को खुश करने के लिए, मुझ पर पुलिस द्वारा चार लोगों की हत्या का आरोप लगाया गया था। जेल के अन्दर की स्थिति बड़ी भयानक है। चार्ल्स शोभ-

राज मूर्ख है कि वह जेल में प्राप्त इतनी सुविधाओं के बावजूद, जेल से भाग गया। उसे जीवन पर्यन्त ये सारी सुविधाएं मिलती रहती। जेल में वे क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। मैं आप को एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब मैं जेल में था, तो वहां एक मंत्री ने दौरा करना था। द्वितीय श्रेणी के वार्ड में एक तस्कर बन्द था। उन्हें चारपाई पर सोने की अनुमति नहीं है। क्योंकि मंत्री दौरा करने वाले थे अत: उनकी चारपाईयां बाहर निकलवा दी गई। शाम को मैंने देखा एक तस्कर चार डनलप गद्दे ला रहा था।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डा० दत्ता सामन्त : मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। एक दोषी पाये गए अपराधी को बाहर से खाद्य पदार्थ मंगाने की अनुमति नहीं है। अत: जेल प्राधिकारी किसी ऐसे अपराधी का पता लगाते हैं जिस पर मुकदमा चलाया जाना होता है, और उसके नाम से इन तस्करों के लिए पांच सितारा होटलों से खाना मंगवाया जाता है। समय कम है, अन्यथा मैं बहुत सी बातें बताता जो कि मैंने खुद देखी हैं।

जेल सुधार के सम्बन्ध में सरकार चुप्पी साधे हुए है। जेल कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता है। जेलें काफी पुरानी हैं और ब्रिटिश काल की बनी हुई हैं। कैदियों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पुलिस विभाग की मैंने जो भी निन्दा की है, उसके बावजूद मैं महसूस करता हूं कि हमें उनकी मुश्किलों की तरफ ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र में सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलता है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इसके अलावा अन्धाधुन्ध तबादले होते रहते हैं, जिसके कारण उनके हौसले पस्त हो जाते है। इसे समाप्त करना चाहिए। इसके अलावा 25 प्रतिशत लोगों को आवास-सुविधा सुलभ नहीं है। इस विभाग का यही भाग्य है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

डा० दत्ता सामन्त : समय नहीं है, अन्यथा मैं और काफी बातें बताता।

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : श्रीमन, गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए, मैं माननीय मंत्री के सामने विचारार्थ कुछ बातें रखना चाहता हूं। श्रीमन, आरम्भ में मैं कहना चाहता हूं कि देश की कानून और व्यवस्था स्थिति के सुधार में पंजाब और असम समझौता का महत्वपूर्ण स्थान है। पंजाब और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों को छोड़कर, देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। मैं गृह मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था सारे देश का विषय है और इसे अखिल भारतीय मामला समझना चाहिए। देश के एक भाग में कानून और व्यवस्था खराब होने का असर देश के अन्य भागों पर भी पड़ता है। अत: इस विषय को केन्द्रीय सूची या समवर्ती सूची में लाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं सरकार इस सुझाव पर विचार करे। देश को एक होकर आतंकवाद, राष्ट्र-विरोधी समाज-विरोधी तत्वों और धार्मिक और साम्प्रदायिक तत्वों का मुकाबला करना होगा और इसे एक राष्ट्रीय समस्या मानकर मुकाबला करना होगा। देश की एकता और अखंडता का भविष्य गृह मंत्रालय के सफल कार्यान्वयन पर निर्भर करती है और देश को एकजुट

[श्री एन० डेनिस]

बनाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है।

श्रीमन, जहां तक पुलिस ढ़ांचे का संबंध है, मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान पुलिस ढ़ांचा काफी पुराना है। स्वतन्त्रता पूर्व की प्रणाली अब भी विद्यमान है। पुलिस ढ़ांचा पुलिस अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आपराधिक प्रकिया संहिता और ऐसे ही अन्य अधिनियमों द्वारा नियंत्रित है। मैं कहना चाहता हूं कि सफल पुलिस प्रशासन के लिए, एक नया पुलिस अधिनियम बनाया जाना चाहिए, जिससे कि पुलिस ढ़ांचे को नया रूप दिया जा सके। गोरे समिति ने कई सिफारिशें की हैं। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इन सिफारिशों और रिपोर्ट को शीघ्रता से अमल में लाया जाना चाहिए ताकि पुलिस प्रशासन बेहतर और अधिक सफल हो सके।

तीसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस को अब नए प्रकार के अपराधों का सामना करना पड़ता है—ये अपराध शहरों में किये जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए अपराधों से भिन्न होते हैं। उन्हें साम्प्रदायिक दंगों, राष्ट्र-विरोधी और उग्रवादी तत्वों से निपटना होता है। ये समाज विरोधी तत्व कानून को अपने हाथ में लेकर बिना हथियार के और बेकसूर लोगों की हत्या कर रहे हैं। ये अपराधी अत्याधुनिक हथियारों से लेश हैं।

श्रीमन, एक अन्य सनसनीखेज बात, समाज-विरोधी तत्वों द्वारा दिन दहाड़े बैंक-डकैती किया जाना है। सरकार को इन सामाजिक और आर्थिक बराइयों को दूर करने के लिए सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। एक अन्य प्रकार की समाज-विरोधी गतिविधि है—दवाइयों में मिलावट और देश में नकली दवाइयों की तस्करी होना। इस प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों मे आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न लोग भी सम्मिलित हैं। अतः पुलिस को भ्रष्टाचार और काले धंधों वालों से सख्ती से निपटना चाहिए। इस प्रकार के अपराधों से देश की आर्थिक प्रगति पर बुरा असर पड़ता है।

श्रीमन, इन अपराधियों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। उनको नई प्रकार की धूर्त तरीकों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। पुलिस की छान-बीन की प्रणाली परम्परागत है। अतः ज्यादातर मामलों में, पर्याप्त साक्ष्यों का अभाव, जांच तंत्र की असफलता, और इन अपराधियों का मुकाबला करने के लिए हाथयारों, उपकरणो आदि की कमी के कारण, अपराधी छूट जाते हैं। अतः पुलिस को नये प्रकार के उपकरणों से लैस किया जाना चाहिए और उन्हें इस प्रकार की गतिविधियों के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए नये किस्म के हथियार तथा उपकरण दिये जाने चाहिए और उन्हें इनके इस्तेमाल में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पुलिसकर्मी भी देश के आम लोगों में से ही भर्ती किये जाते हैं और उन्हें पुलिस में विश्वास रखना चाहिए।

कुछ पुलिस कर्मी नशीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं और समाज-विरोधी तत्वों से मेल-जोल रखते हैं। जब कभी एक अमीर और गरीब के बीच झगड़ा हो तो न्याय की अनदेखी करते हुए, वे हमेशा अमीर पक्ष का ही साथ देते हैं। उन्हें हमेशा गरीबों का साथ देना चाहिए। उन्हें इस

बात का अहसास रखना चाहिए कि वे जनता के नौकर हैं न कि उन पर (जनता) हुक्म चलाने के लिए हैं।

अन्त में, मैं कुछ शब्द स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले कई वर्षों से, बिना निपटारे के, कई स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हुए हैं। इन आवेदनपत्रों की राज्य और केन्द्र स्तर पर जांच की जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि निम्नलिखित दो श्रेणियों के आवेदन पत्रों का जल्द और स्वतन्त्रता सेनानियों के पक्ष में, बिना छानबीन निपटारा किया जाना चाहिए। एक श्रेणी वह है, जिनके आवेदनपत्र राज्य सरकार ने अनुसंशित किए हैं और दूसरे वे जिन्होंने केन्द्रीय पेंशन के लिए आवेदन किया है। इन लोगों को पहले ही राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त हो रही है। इन लोगों के आवेदनपत्रों को बिना और छानबीन के उनके पक्ष में निपटा दिया जाना चाहिए।

इसके पश्चात एक खास व्यक्ति ने कई सह-कैदियों (जेल साथियों) को प्रमाण-पत्र दिए, परन्तु कुछ प्रमाण-पत्रों को स्वीकार किया गया तथा कुछ को प्रमाण-पत्र जारी करने वाले व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता के आधार पर रद्द कर दिया गया। इस विरोधाभास की जांच की जानी चाहिए तथा इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मेरा सीमावर्ती क्षेत्र है और समस्याएं अधिक हैं, फिर भी मैं अपनी बात जल्दी पूरी करने की कोशिश करूंगा। हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद और उग्रवाद की है और उसका हमें मुकाबला करना है। इसमें केन्द्र सरकार की विशेष जिम्मेदारी हो जाती है जबकि उग्रवाद सीमावर्ती क्षेत्रों में हो। नागालैंड में जो उग्रवाद की रूप-रेखा है और त्रिपुरा में जो उग्रवाद का भयंकर रूप है, उसका सामना करना है। पंजाब का मसला भी देश के सीमावर्ती क्षेत्र में आता है। वह मसला भी उग्रवाद का है। उस मसले को हल करने के लिए हमें पूरी शक्ति और मन-स्थिति के साथ कार्य करना होगा। केन्द्र सरकार पंजाब की बरनाला सरकार को पूर्ण सहयोग दे रही है। परन्तु, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार उग्रवाद का मुकाबला किया जा रहा है, उन उग्रवादियों के साथ जो मुकाबला होता है, पुलिस के पास उस प्रकार के सोफेस्टीकेटेड वैपन्स नहीं है और न ही वे उतने ट्रेंड हैं जितने कि उग्रवादी ट्रेंड हैं इसलिए यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि उनका मुकाबला करने के लिए पुलिस को भी आधुनिक शस्त्र दिए जाने चाहिएं। अभी पिछले पन्द्रह दिनों से जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार उग्रवादियों को अरेस्ट किया जा रहा है, उनका मुकाबला किया जा रहा है और उनको गोली का शिकार किया जा रहा है, इस कार्य को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन हमारे सामने चुनौती यह है कि उग्रवादी स्वर्ण मंदिर में घुसे हुए हैं। उन उग्रवादियों को किस प्रकार केन्द्र सरकार और बरनाला सरकार निकालेगी। सरबत खालसा में भी उन्होंने फैसला किया है कि वे किस प्रकार से उस निर्णय का क्रियान्वयन करेंगे।

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

8.00 म०प०

हम यह नहीं चाहते कि शक्ति के साथ उग्रवादियों को निकाला जाए, हम यह नहीं चाहते कि सेना का प्रयोग किया जाए। परन्तु कोई न कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हम यह भी नहीं चाहते कि उग्रवादी स्वर्ण मंदिर में जमे रहें।

इसके साथ-साथ मैं कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में जो उनकी समस्याएं हैं मैं वह रखना चाहता हूं। अभी केन्द्र सरकार ने 200 करोड़ रुपये सीमावर्ती क्षेत्रों की प्रगति और विकास के लिए तय किए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह 200 करोड़ रुपयों का आप किस प्रकार प्रयोग करेंगे। राजस्थान की सीमा के लिए 200 करोड़ रुपयों में कितनी राशि आप व्यय करेंगे। क्या 200 करोड़ रुपये उसके आर्थिक विकास के लिए प्रयोग करेंगे। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो सीमा पर गरीब लोग हैं उनके लिए खर्च करेंगे या सोफिस्टिकेटेड व्हीपन्स खरीदकर बी०एस०एफ० को देंगे, पुलिस को देंगे, इस दृष्टिकोण से भी आप···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जैन आप कृपया अपना भाषण समाप्त करिये।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं दो मिनट में समाप्त करूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। महत्वपूर्ण पाइंट्स पुट अप कर रहा हूं। अभी हमारे बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में दो स्मगलिंग आपरेशन हुए हैं। उस स्मगलिंग आपरेशन के लिए अभी दो दिन पहले हमारे बाड़मेर जिले में जिसमें जैसलमेर जिले की पुलिस भी शामिल थी उनके सहयोग से 12 करोड़ 64 लाख रुपये की हेरोइन और चरस पकड़ी है। उसके पहले बी०एस०एफ० ने 16 करोड़ की हेरोइन पकड़ी। लगातार हेरोइन और चरस पकड़ी जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह हेरोइन और चरस आ रही है वह···

एक माननीय सदस्य : पाइंट आफ आर्डर।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सदन का कार्य एक घन्टा और बढ़ा दिया जाये। परन्तु मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि सभापति जी के अनुरोधानुसार पांच मिनट से ज्यादा का समय न लें क्योंकि काफी सदस्यों को बोलना है।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : यह महत्वपूर्ण मामला इसलिए उठा रहा हूं, कोई भाषण नहीं दे रहा हूं।

आप तीन मिनट का समय मुझे और दीजिए मैं समाप्त कर दूंगा।

श्री एच० के० एल० भगत : समय बढ़ाने का निर्णय लेने दो।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : समय अवधि एक घन्टा और बढ़ा दी है। आप अपने हित को देखते हुए कम से कम में बोलने की कोशिश कीजिए।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं शार्ट करूंगा, मैं खुद चाहता हूं संक्षेप में कहूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जैन, आप अपना भाषण समाप्त करिये।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : यह जो हेरोइन और चरस आ रही है, मैं जानना चाहता हूं कि जो तस्कर हैं वह इतने करोड़ों रुपये की व्यवस्था किस प्रकार से करते हैं या जिस देश से आ रही है वह ही व्यवस्था करते हैं और पैसे की व्यवस्था करके भेज रहे हैं। वह कहां भेज रहे हैं, क्या बम्बई भेज रहे हैं। इस प्रकार की जो चरस और हेरोइन पकड़ी जाती है और जो अधिकारी पकड़ते हैं उनको किस प्रकार आप प्रमोशन देंगे या किस प्रकार का उपहार देंगे। क्योंकि वह जो कदम उठाते हैं वह बहुत ही खतरनाक स्थितियों में कार्य करते हैं। इसलिए उनको उपहार दिया जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उनको प्रमोशन दिया जाना चाहिए ताकि वह शक्ति के साथ काम कर सकें।

इस विषय पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बी०एस०एफ० का कार्य विस्तार किया, मैं अभी-अभी मौके पर जाकर देखकर आया हूं। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में अभी भी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के बीच का फासला 25, 30 किलोमीटर है। इस प्रकार के फासले से बी०एस०एफ०, कोई भी जो पाकिस्तान से क्रिमिनल आये, कोई भी अवैध रूप से आये, उनको रोकने में सक्षम नहीं हो सकती और स्मगलिंग आपरेशन को रोकने में सक्षम नहीं हो सकती। क्योंकि यह क्षेत्र बहुत दुर्गम, रेगिस्तानी इलाका है। इसलिए इस क्षेत्र में कार्य अधिक करने की आवश्यकता है और उनके पास जो हथियार हैं, वे भी सोफेस्टिकेटिड वैपन्स नहीं हैं। उनको जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, वे भी बहुत अपर्याप्त हैं। यहां तक मैंने देखा है कि उन इलाकों में जो रोड्स बनी हैं, उनकी हालत भी दयनीय है, और कहीं तो ग्रेवल रोड्स भी नहीं हैं ताकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आ-जा सकें या दूसरी व्यवस्था कर सकें। इसलिए हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने की ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में ईमानदार अधिकारियों को भेजा जाए, ईमानदार थानेदारों को भेजा जाए और उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जैसे जीप

[श्री बुद्धि चन्द्र जैन]

है, वायरलैस की सुविधा है और इन सबसे बढ़कर आधुनिक हथियारों से उन्हें लैस करने की आवश्यकता है ताकि वे पूरी शक्ति के साथ स्मगलरों और दूसरे आपरेशन्स का मुकाबला कर सके। कभी वहां बीड़ी पकड़ी जाती है, कभी कपड़ा पकड़ा जाता है, कभी गायें, जो वहां होकर भेजी जाती हैं, उनको पकड़ लिया जाता है और वह सब कस्टम्स के सुपुर्द कर दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस औफैंस को काग्नीजेबल औफैंस और नॉन-बेलेबल औफैंस की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं गृह मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, गृह मन्त्रालय के लिये अनुदानों का मैं समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : आपको सिर्फ पांच मिनट का समय मिलेगा।

श्री पी० नामग्याल : महोदय जैसा कि आप जानते हैं कश्मीर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण राज्य है। तथा अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। इसलिये मुझे कुछ ज्यादा समय मिलना चाहिए।

महोदय मैं सिर्फ जम्मू एवं कश्मीर को पेश आने वाली कठिनाइयों के बारे में ही कहूंगा क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है।

हाल ही में जम्मू तथा कश्मीर में बहुत ही भद्दी बात देखने को मिली, एक ऐसा दृश्य जो अभी तक उस क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया था। पिछले कुछ वर्षों से, राज्यपाल शासन से पूर्व कश्मीर घाटी में साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियां, मुस्लिम रूढ़िवादियों, सिख रूढ़िवादियों तथा अलगाववादी तत्त्वों की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। जिसके परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक हिन्दू रूढ़िवादियों जैसे कि शिव सेना एवं आर०एस०एस० की गतिविधियां हिन्दू बाहुल्य क्षेत्र जम्मू में बढ़ी हैं।

सच तो यह है कि फूट के बीज बहुत पहले ही बो दिये गये थे। 1978 में जब जम्मू और कश्मीर विधान सभा के पहले आम चुनावों के लिए स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला खड़े हुए थे, उस समय केन्द्र में जनता शासन था। उस समय पहली बार रावलपिंडी मार्ग को खोलने, पाकिस्तानी नमक रॉक साल्ट का मसला, कश्मीर के फलों को लाहौर एवं कराची में बेचने, 'इस्लाम को खतरा' की आवाज आदि के मसले उठाये गये। उसके बाद फिर 1983 में वही मसले अधिक जोर-शोर से उठाये गये जैसे कि इस्लाम बनाम काफिर, हिन्दू बनाम मुस्लिम तथा हिन्दुस्तान बनाम पाकिस्तान। अल्पसंख्यकों को परेशान किया गया तथा कई जगहों पर उन्हें मत देने की भी इजाजत नहीं थी। वर्ष 1980 और 1985 के बीच आगजनी अल्पसंख्यकों के साथ लूट-पाट की बहुत-सी छुटपुट घटनाएं

हुई। अल्पसंख्यकों की सम्पत्ति को जला दिया गया। पूजा स्थलों को गन्दा किया गया। और समय रहते हमने जो चेतावनी दी थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया।

उसके बाद जी० एम० शाह की सरकार आई। उस शासनकाल के दौरान क्या हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं।

आप जानते हैं कि गत फरवरी में साम्प्रदायिक दंगों में क्या हुआ था। अधिकांशत: कश्मीरी पंडितों के घर जला दिये गये तथा उनकी सम्पत्ति लूट ली गई सैंकड़ों घर जला दिये गये एवं उनकी सम्पत्ति लूट ली गई। आम धारणा यह है कि सीमा पार के कुछ गैर-सामाजिक तत्त्वों तथा साथ ही हमारे देश के कुछ भारत विरोधी इलाकों में कुछ अन्य गैर-सामाजिक तत्त्वों तथा गैर-भारतीय तत्त्वों की सहायता से यह सब किया; जो कुछ भी कश्मीर घाटी में हुआ उसके लिए यही लोग उत्तर-दायी थे।

इस समय राज्य के प्रशासन को राज्यपाल ने हाथ में ले लिया है। मैं जम्मू तथा कश्मीर राज्य में राज्यपाल के शासन का स्वागत करता हूं। भ्रष्ट प्रशासन को सुधारने तथा विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्यपाल ने स्वागत योग्य कदम उठाये हैं। हाल ही में 11 प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को समय से पूर्व सेवा निवृत्त होने के लिए कहा गया है तथा शायद कुछ और लोगों को भी ऐसा ही करने को कहा जायेगा। कुछ और अधिक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के मामले में भी ऐसी ही कार्य-वाही की जा सकती है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। परन्तु सिर्फ कुछ प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को हटा देने से ही काम नहीं चलेगा। इससे गन्दगी समाप्त नहीं होगी, जब तक कि बड़े-बड़े भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती। कुछ मनोनीत आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अधि-कारियों—मेरा अभिप्राय है कि मनोनीत स्थानीय (जम्मू एवं कश्मीर राज्य) आई० ए० एस० एवं आई० पी० एस० अधिकारियों का तबादला राज्य से बाहर कर देना चाहिये ताकि वे देख सकें कि भारत कितना विशाल है। मेरे विचार से इससे राष्ट्रीय अखण्डता का विकास होगा; तथा ऐसी ही कार्यवाही जम्मू तथा कश्मीर में नियुक्त केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध की जाये तो राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। मेरा अभिप्राय है स्थानीय कर्मचारियों को दो या तीन वर्ष के लिए दिल्ली या अन्य स्थान पर चरणबद्ध रूप में स्थानान्तरित कर दें। इससे साम्प्रदायिक सौहार्द तथा राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी।

इसके अतिरिक्त राज्य की भलाई के लिए मैं कुछ सुझाव दूंगा। गृह मंत्रालय में कश्मीर संबंधी एक अनुभाग है। यह अनुभाग बहुत ही प्रभावी सिद्ध हुआ करता था। परन्तु इस समय सिर्फ वीसा देने संबंधी एवं कुछ अन्य कार्य ही करता है। यह प्रशासनिक एवं विकासात्मक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप किया करता था। वे इन गतिविधियों पर ठीक से निगरानी रखते थे। महोदय, मेरा सुझाव है कि कश्मीर अनुभाग को फिर से पुन: चालू करना चाहिये ताकि वह राज्य में हो रही विकासात्मक गतिविधियों को देख सके।

तत्कालीन उप मुख्य मंत्री मिर्जा अफजल बेग ने स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला के समय में साम्प्र-दायिकता के आधार पर तत्कालीन सत्ताधारी नेशनल कांफ्रेंस के अनुकूल वर्तमान विधान सभा के

[श्री पी० नामग्याल]

निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा में परिवर्तन कर दिया था। इससे राज्य में बहुत ही गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। निर्वाचन क्षेत्र की पुरानी परिसीमा को फिर से निर्धारित करना चाहिये ताकि लोगों के दिमागों में जो असंतोष है वह दूर हो जाये।

महोदय, मंत्रालय के प्रतिवेदन में लद्दाख के व्यक्तियों को जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात कही गई है, मैं उसके लिए गृह मंत्री जी का अत्यन्त आभारी हूं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 342 जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर भी लागू किया गया है। तथा इससे हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी मिल सकेगा। परन्तु ऐसा करने के लिए अगला कदम होगा 'रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया' के द्वारा एक सर्वेक्षण कराना ताकि लद्दाख के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल सके।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे रजिस्ट्रार जनरल को अपना दल सर्वेक्षण कराये जाने के लिए जल्दी से जल्दी भेजने का निर्देश दें। सर्वेक्षण कराये जाने का यही सही समय है तथा मौसम भी अच्छा है। इस समय लोग मैदानों में हैं अपनी-अपनी जगहों पर कार्य कर रहे हैं परन्तु कुछ ही दिनों में वे अपने पशुओं, जानवरों, भेड़ों, बकरियों के साथ ऊंचाई पर चले जायेंगे—उस समय दल के लिए सर्वेक्षण कराना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे सर्वेक्षण दल को तुरन्त भेजें।

इन शब्दों के साथ, मैं समाप्त करता हूं तथा मुझे बोलने के लिए समय दिये जाने के लिए मैं सभापति महोदय का धन्यवाद करता हूं।

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : सभापति महोदय, शरणार्थी पुनर्वास से संबंधित मसलों, राष्ट्रीय तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं तथा शरणार्थी पुनर्वास समिति के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

महोदय यह कटु सच्चाई है कि पश्चिम बंगाल राज्य के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसका कारण है भारत का विभाजन एवं पश्चिम बंगाल में 80 लाख शरणार्थियों का आना तथा वामपंथी सरकार केन्द्र सरकार से आग्रह कर रही है कि सार्थक हल निकालने के लिए पुनर्वास की समस्या पर सक्रिय रूप से विचार किया जाना चाहिए। परन्तु इसमें अत्यन्त विलम्ब हुआ है तथा इसमें और भी देरी की जा रही है।

समस्या की गम्भीरता एवं उसके आयाम को देखते हुये सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह राष्ट्रीय समस्या है। अतः केन्द्र सरकार को लम्बे समय से चली आ रही शरणार्थी पुनर्वास की गम्भीर समस्या को सुलझाना है और इसके लिए उसे कटिबद्ध होना चाहिए।

यह स्पष्ट होना चाहिए कि केन्द्र सरकार पुनर्वास मंत्रालय को समाप्त नहीं करेगा तथा पुनर्वास

संबंधी कार्य गृह मंत्रालय को दे दिये जाते तथा डी० डी० ए० को समाप्त करने का तथा इसके कार्यों को संबंधित राज्यों को देने का निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। परन्तु ऐसा किया गया। पुनर्वास के महत्वपूर्ण मसले को सही ढंग से सुलझाया नहीं गया है तथा मैं समझता हूं कि बात इससे विपरीत है। अतः पुनर्वास कार्यों के लिए एक पृथक एवं स्वतंत्र मंत्रालय बनाना चाहिए। हम देखते हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए दो भिन्न-भिन्न तरीके हैं एक तो पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिए तथा दूसरा है पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के बारे में जिससे राज्यों के लिये अत्यधिक समस्यायें पैदा होती हैं।

महोदय, मैं इसे साबित करने के लिये कुछ उदाहरण पेश कर सकता हूं।

1. पश्चिमी पाकिस्तान से आए 47 लाख शरणार्थियों को 119.16 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया और जम्मू-कश्मीर के जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा है वहां के शरणार्थियों को अनुग्रह पूर्वक अदायगी की गई लेकिन तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से आये और प० बंगाल में रह रहे शरणार्थियों को ऐसा कोई भुगतान नहीं किया गया।

2. दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने कालोनियों के विकास, अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने तथा इन विस्थापितों के आर्थिक पुनर्वास के प्रश्न पर सही ढंग और गंभीरता से विचार नहीं किया है।

3. पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास का काम देश के विभाजन के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था लेकिन तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के काम में देरी और उपेक्षा की गई। पुनर्वास मंत्रालय ने प्राक्कलन समिति को इसकी सूचना दी थी। 1959 में केन्द्र सरकार ने प० बंगाल में शरणार्थियों की पुनर्वास समस्या को हल करना शुरू किया और 1960 में उसने घोषणा की कि पुनर्वास कार्य काफी पूरा कर लिया गया है और जो कुछ काम बचा है वह छुटपुट किस्म का है। लेकिन यह सच नहीं था। पश्चिमी पाकिस्तान से आये 47 लाख शरणार्थियों के प्रत्यक्ष पुनर्वास पर 456 करोड़ रुपये खर्च किये गये जबकि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से आये 52 लाख शरणार्थियों के प्रत्यक्ष पुनर्वास पर केवल 85 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

यह कहना कि छुटपुट काम बचा है, इस सिद्धांत के भी हम विरोधी हैं। 1977 में वामपंथी सरकार ने प० बंगाल में शरणार्थियों के पुनर्वास कार्य को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये की मांग की थी और साथ ही साथ मंत्रियों और शरणार्थियों के नेताओं का एक प्रतिनिधि मण्डल तत्कालीन प्रधान मंत्री से मिला था और समस्या के सार्थक हल के लिए सक्रिय कदम उठाने और उस पर पुनर्विचार करने की सख्त जरूरत से सरकार को अवगत कराया था। शरणार्थी पुनर्वास समिति ने सुझाव दिया कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए कुल 750 करोड़ रुपये व्यय करने होंगे। इसके तत्काल बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने छठे और आठवें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये ज्ञापन के माध्यम से भी शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए धनराशि आबंटित करने के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा। लेकिन केन्द्र सरकार पर इस मांग की सक्रिय प्रतिक्रिया नहीं हुई।

[श्री गदाधर साहा]

जहां तक अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का संबंध है वहां रह रहे शरणार्थी परिवारों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 807 में से केवल 175 कालोनियों को नियमित करने के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी मिली है। परिणामस्वरूप उनके पास कोई अधिकार नहीं है। इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को भूमि अर्जित करनी होगी इसीलिए इस पुनर्वास समिति ने सुझाव दिया है कि भूमि अर्जन के लिए 93.96 करोड़ रुपये की जरूरत है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन कालोनियों को नियमित करने और भूमि अर्जन का निर्णय लेकर सूचित किया जाये।

शरणार्थी कालोनियों का विकास करना भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। शरणार्थी पुनर्वास समिति ने सुझाव दिया है कि ऐसी कालोनियों के विकास के लिये कुल 119.46 करोड़ रुपये चाहिए। सरकार से अनुरोध है कि वह धनराशि जारी करे ताकि उनके साथ न्याय किया जा सके।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। शरणार्थी पुनर्वास समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश विस्थापितों के आर्थिक पुनर्वास से संबंधित हैं। इस समिति ने राज्य में विस्थापितों के आर्थिक पुनर्वास के लिए कुल 450 करोड़ रुपये के व्यय का उल्लेख किया है क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से आए 80 लाख विस्थापितों में से 70% गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। इसलिये इन लोगों के लिये रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए आर्थिक पुनर्वास की तत्काल जरूरत है। इसलिए केन्द्र सरकार को शरणार्थी पुनर्वास समिति की सिफारिश इस आधार पर स्वीकार करनी चाहिये कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसका हल राष्ट्रीय आधार पर करने की जरूरत है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभापति महोदय, मैं गृह विभाग की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। केवल एक दो बातें ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। 38 साल की आजादी के बाद, हमारा जो पुलिस विभाग है उसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि लोगों को न्याय मिले तथा शोषण व अन्यांय से उनको बचाया जाये। परन्तु धीरे धीरे हमारी पुलिस का जो करैक्टर है वह डाउन होता गया है। बी० आई० पी० सिक्योरिटी के रहते हुए भी इन्दिरा जी की हत्या कर दी गई लेकिन किसी अन्य सुरक्षा कर्मचारी को चोट भी नहीं लगी। इसी प्रकार से संत लोंगोवाल की हत्या कर दी गई। यह पुलिस फोर्स में काम करने वालों पर एक कलंक है और बहुत बड़ी आशंका का संकेत है। आज कोई भी अपने आपको सुरक्षित नहीं समझता है। एक किसान अपने खेत को बचाने के लिए आस-पास बाड़ लगाता है। वही बाड़ खेत को खाने लगे, वही हालत पुलिस की है। यह जो हमारा नेशनल करैक्टर गिरता जा रहा है इस पर देश और इस हाउस को विचार करना पड़ेगा। आज किसी जेलर को पैसा देकर कोई स्मगलर जेल के बाहर जा सकता है। इस तरह की जो बहुत सी बातें देश मे चल रही हैं उसका एक कारण यह है कि शिक्षा के माध्यम से जो राष्ट्रीय भावना जनता में डेवलप करनी चाहिए थी वह हम नहीं कर सके। आज किसी को भी हम स्कूल चलाने की इजाजत दे देते हैं, वह कैसी शिक्षा देता है, यह कोई

नहीं सोचता है। जब तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, सरकार इसको नहीं चलाएगी, तब तक सब लोग अपने विचारों की शिक्षा देंगे और ऐसे ही लोग तैयार होकर आयेंगे। यह अलगाववादी बात है। सरकार को इस संबंध में विचार करना चाहिए। सबसे पहले हमें भारतीय होने की शिक्षा देनी चाहिये, तब जाकर लोग अपने को पहचानेंगे कि वे भारतीय हैं।

आज पंजाब में क्या हो रहा है। जितने उग्रवादी लोग हैं, वे सब बड़े-बड़े आफिसरों के लड़के हैं, बड़े-बड़े नेताओं के लड़के हैं। वे वहां गोल्डन टैम्पल में छिपे हुए हैं। यदि गरीब आदमी कोई गुनाह करता है, तो हवालात में ही मार-मार उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कोई बड़ा आदमी कोई गुनाह करता है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। इसलिए आप इस बारे में कोई कानून बनायें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। यदि किसी आफिसर का लड़का यह काम करता है, तो उसके पिता के खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

बोर्डर सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। बोर्डर्स पर आपने चैकपोस्ट बनाई हुई है और जो टावर बनाए हुए हैं, वे दूर-दूर बनाए हुए हैं। इनको नजदीक बनाना चाहिए। हमारी बोर्डर सिक्योरिटी क्या कर रही है। आज पंजाब के अन्दर मशीनगन जैसे आधुनिक हथियार कहां से आ रहे हैं। इसको रोकने के लिए हम दुश्मन से लड़ लेंगे, लेकिन अपने घर में नेशनल करैक्टर डाउन होता जा रहा है। इस स्थिति में जो हमारी पुलिस फोर्स है, उसको हम किस तरह से ट्रेनिंग दें। उसको किस तरह से शिक्षा दें, कैसे नेशनेलिटी की भावना जगायें, इस बारे में विचार करना चाहिए। जब तक इस तरह की भावना नहीं जगेगी, तब तक हम कभी सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले इस मॉडल एजूकेशन के बारे में पता लगाया जाए, इसकी मंजूरी सदन को करनी चाहिए।

इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने महिलाओं के लिए भी एक फोर्स बनाई है। पुरुष तो कहीं-कहीं पर करप्ट केसेस में इन्वाल्व हो जाता है, लेकिन महिला नहीं होती है। उन्होंने पुलिस में महिलाओं की भरती की सुविधा दी है, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। अधिक से अधिक महिला पुलिस की भरती करनी चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनायें हैं, उनमें कमजोर वर्ग के लोगों, हरिजनों और आदिवासियों का अधिकारियों द्वारा शोषण किया जाता है। उनको उन योजनाओं का कोई बैनिफिट नहीं मिलता है। मैं आदिवासी क्षेत्र से आता हूं। जब इंदिरा जी की मृत्यु हुई, तो मेरे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि यदि हमें पुलिस में भरती किया जाता, तो हम इंदिरा जी की सुरक्षा करते। वे कहते हैं कि इंदिरा जी हमारी मां हैं, हम उन की मृत्यु नहीं होने देते। गरीब लोगों का इस तरह का विश्वास है, वे पुलिस फोर्स में आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस के लिए कानून बनायें और प्रेजेंट कानून में बदलाव करें।

एक बात मैं चम्बल के बारे में कहना चाहता हूं मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। वहां का विकास करने के लिए सरकार ने योजना बनाई थी, लेकिन वह योजना अभी तक लागू नहीं हो पाई है। सरकार को योजना बनाकर पुलिस को मकान की सुविधा देनी चाहिये और दूसरी सुख-सुविधाओं को पूरा करना चाहिये।

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डा० गुलाम याजदानी (रायगंज) : सभापति महोदय, आप मुझे अधिक समय नहीं देंगे इसलिए मैं मुद्दों का संक्षेप में उल्लेख करके समाप्त करूंगा।

जो कुछ मैं कहूंगा उसकी जांच करना सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि देश के पूर्वोत्तर भाग में बहुत गंभीर घटना घटने वाली है। वहां उत्तर खंड नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए आन्दोलन चलाया जा रहा है। मेरे पास सारे तथ्य हैं जिनका उल्लेख करने में कुछ समय लगेगा। अगर आप इन पर विचार करें तो पाएंगे कि वहां प्रचार और बैठकों के माध्यम से विघटनकारी ताकतें सक्रिय हैं और वे देश के पूर्वोत्तर भाग में उत्तर खंड नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए सक्रिय हैं। तो वहां कुछ ताकतें सक्रिय हैं और वे उत्तर खंड नामक एक स्वतंत्र राज्य, जिसमें राजबंगशीश और आदिवासी आदि होंगे, की स्थापना करना चाहते हैं। वे बैठकों का आयोजन कर रहे हैं और धनराशि एकत्रित कर रहे हैं। हाल ही में उनकी एक बैठक हुई है। इस बैठक में लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया और अनेकों लोग "कोर्ट राजबंगशीश इन्टरनेशनल" नामक समिति के सदस्य बन रहे हैं। उन्होंने इस समिति का गठन किया है और बहुत सी जगहों के लोग अर्थात् प० बंगाल, सिक्किम और असम के लोग इस अन्तर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य बन रहे हैं। बंगलादेश, नेपाल और भूटान के लोग भी इस समिति की बैठकों में भाग लेते हैं और उनका कहना है कि "हम एक करोड़ के लगभग हैं इसलिए हम एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना क्यों नहीं कर सकते।" उनका कहना है कि उनकी उपेक्षा की गई है, देश के उस भाग की उपेक्षा की गई है, वहां विकास नहीं हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति बदतर हो रही है। इसलिए वे एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि "हम एक करोड़ हैं तो हम स्वतंत्र राज्य की स्थापना क्यों नहीं कर सकते"?

कलकत्ता के एक दैनिक "जुगांतर" में इस महीने की सात तारीख को एक खबर छपी थी। मैं उस खबर की कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : परेशान मत होइए। जारी रखिए।

डा० गुलाम याजदानी : उस खबर में से मैं आपको कुछ बता रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अपने सभी मुद्दों को पांच मिनट में कहने की कोशिश कीजिए।

डा० गुलाम याजदानी : मैं केवल मुद्दों का उल्लेख कर रहा हूं पता लगाना सरकार का काम है।

सभापति महोदय : दूसरों से परेशान मत होइए।

डा० गुलाम याजदानी : हाल ही में उन्होंने एक विशाल बैठक का आयोजन किया था और इस तरह का निर्णय लिया है। 15 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए हैं और कूंच बिहार के राज परिवार के एक व्यक्ति को इस धनराशि का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वे लोग चन्दे द्वारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और रात के अंधेरे में धार्मिक सभाओं के नाम पर निजी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। घंटों-घंटों वे लोग चर्चा करते हैं और बैठक के अंत में लोगों के हाथों में गीता रखकर उनसे यह वचन लेते हैं कि उत्तर खंड के इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए वे अपने प्राणों का बलिदान करने से नहीं हिचकिचाएंगे। यह सब वहां हो रहा है। वहां क्या हो रहा है इसका पता लगाना सरकार का काम है। अनेकों लोग मिलकर विघटनकारी आन्दोलन शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सरकार से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि वह इस ओर पूरी तरह ध्यान दे क्योंकि भारत के इस उत्तरी हिस्से में उत्तरी बंगाल, कूचबिहार आदि में यह सब होता रहा तो अगर वे केवल ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि आसूचना ब्यूरो की मदद से बारीकी से जांच करने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि अलीपुर द्वार, कूच बिहार आदि में गतिविधियां जारी हैं। वे लोग दिनहाटे, बक्शीदुआर अलीपुर दुआर के पारो वन्य ग्राम में विशाल बैठकों का आयोजन कर रहे हैं और उनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए माननीय गृह मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस ओर पर्याप्त ध्यान दें और देखें कि देश का एक और हिस्सा हमसे टूट कर अलग न हो जाए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र रायगज में गोलपुकु से रायगंज और शेष पश्चिम दिनाजपुर तक बंगलादेश की विशाल सीमा है। यह बंगलादेश की सीमा के साथ-साथ है। वहां सीमा सुरक्षा बल है पर घुसपैठ होती है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल सीमा से 8-9 मील दूर है। वे ठीक से गश्त नहीं लगाते। बंगलावासी भारतीय प्रदेश में आ जाते हैं, वे तीन चार मील अन्दर तक आ जाते हैं। जानवरों को चुरा लेते हैं, डकैतियां डालते हैं और हत्याएं आदि करते हैं। मैं बहुत बार गृह विभाग का ध्यान दिला चुका हूं। मालूम नहीं उन्हें कैसे सूचना मिलती है। वे हमेशा कहते हैं कि वहां सब ठीक-ठाक है। मेरा सुझाव है कि सीमा सुरक्षा बल के अलावा केन्द्रीय आरक्षी बल भी होना चाहिए जो देखे कि सीमा सुरक्षा बल ठीक से काम कर रहा है या नहीं। उन पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। मालूम नहीं सरकार कैसे पता लगाती है। मुझे हमेशा बताया गया है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर वे लोगों से जाकर पूछें तो वें कहेंगे कि सब कुछ ठीक नहीं है। वे बंगलादेश वासियों के दमन तले कराह रहे हैं। लोगों के जान-माल की रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है। दुर्भाग्य से हमारी गलती यह है कि हम बंगलादेश की सीमा पर रह रहे हैं। हम बहुत बार सरकार का ध्यान दिला चुके हैं पर सरकार इस ओर ठीक से ध्यान नहीं दे रही है। वहां से बहुत से तस्कर आ रहे हैं। मेरे अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से कहा था कि वह पता लगाए कि क्या बंगलादेश की सीमा पर तस्करी हो रही है। प० बंगाल सरकार ने इसका पता लगाने के लिए एक पुलिस उप-अधीक्षक की नियुक्ति की। पुलिस उप-अधीक्षक बंगला देश की सीमा से लगभग 15 मील दूर रायगंज में रहा और उसने सूचना दी कि वहां स्थिति सामान्य है। और मुझे भी यही जवाब दिया गया। यह सब हो रहा है। मैं नहीं जानता कि क्या करना चाहिए। मेरा सरकार से यही कहना है कि कृपया इन बातों की ओर ध्यान दीजिए। अन्यथा उत्तरी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लोग सरकार के काम से संतुष्ट नहीं होंगे।

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मेरा सुझाव है कि आप गृह

[श्री एच० के० एल० भगत]

मंत्री से मिलें और उन्हें सारी जानकारी दे दें।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : सभापति जी, मैं होम मिनिस्ट्री की मांगों का समर्थन करते हुए अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं।

हमारा जो देश है वह गणतांत्रिक समाजवादी देश है। इसका हमने ऐलान किया है। हमारा जो गृह मंत्रालय है यह एक विशेष मंत्रालय है। सारे देश में कैसी स्थिति है, देश का इन्टरनल सिक्योरिटी कैसा है, कैसे उस पर नियन्त्रण रखा जाए, यह इस सबका ध्यान रखता है।

हमारी जो यूनियन टेरीटरी दिल्ली है, इसमें मैं देखता हूं कि यहां ला एण्ड आर्डर की घटनाएं कम होती जाती हैं। यह आनन्द की बात है। लेकिन स्टेट्स में ये घटनाएं बढ़ती जाती हैं। ये क्यों बढ़ती हैं, इन पर हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए। इसकी कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

इन घटनाओं के लिए हमारे समाजवादी देश में हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी जिम्मेदार है। अगर हम इस पर जोर नहीं देंगे तो ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी। दो तरह के चोर होते हैं। एक रात का चोर होता है, वह रात में चोरी करता है। दूसरा डे-डकैत है जो दिल्ली के अन्दर या बड़े-बड़े शहरों के अन्दर देखे जा सकते हैं। जो बड़े बड़े मकान वाले हैं ये डे-डकैत होते हैं। जैसा कहा कहा गया कि ब्लैक का धन्धा इन्टरनल अफेंस के अन्दर आना चाहिए, और इसे आई० पी० सी० में शामिल करना चाहिए, इससे मैं सहमत हूं। अगर हम इन बड़े डकैतों को खत्म नहीं करेंगे तो हमारी तरक्की आगे नहीं बढ़ेगी और ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम्स भी बढ़ती जाएंगी।

हमारे नेता की जो इच्छा है कि यह जो पब्लिक लाईफ है इसमें थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। हम 21वीं शताब्दी में कैसे जाएंगे इसके लिए हमें अभी से कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। लोग यह न सोचें कि वे अभी भी वैसे ही हैं जैसे कई साल पहले थे, इसलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वक्त बहुत कम है, मेरा कहना यह है कि जिन लोगों के पास देश के अन्दर बंदूकें हैं, वे उनसे ले लेनी चाहिए और लोगों पर यह पाबन्दी लगा देनी चाहिए कि वे अपना पैसा और गोल्ड बैंकों में रखें। बंदूक किसी को नहीं दी जानी चाहिए, यह मेरा सुझाव है। इस बात की ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से अभी लैंड सीलिंग एक्ट है, उसी तरह से प्रापर्टी सीलिंग एक्ट भी बनाना चाहिए, ताकि लोग वस्तुवादी न बनें। इससे लोग शोषण कम करेंगे, इसलिए इस रास्ते को रोकना चाहिए। इसकी वजह से ही शोषण बढ़ता जा रहा है। कुदाल आयोग के बारे में बहुत चर्चा हुई है, मेरे दोस्त कह रहे थे, अगर इस केस को सी० बी० आई० को दे दिया जाता तो अभी तक कुछ न कुछ तथ्य सामने आ गये होते। फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत जो पैसा आता है, उसमें हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के काम के लिए पैसा आता है, एजूकेशन के लिए कोई पैसा बाहर से नहीं लेते। एक ब्लाक में कितना पैसा खर्च होता है, एक ब्लाक में 18 लाख रुपया हर साल खर्च होता

है, उससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता। डेवलपमेंट के नाम पर उनको पैसा नहीं देना चाहिए, इसमें हमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। हमें बाहरी देशों से एजूकेशन के लिए पैसा लेना चाहिए।

रीहेब्लीटेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत दण्डकारण्य में जो बंगलादेश से लोग आये हैं, वे रिफ्यूजीज का बेनीफिट भी ले रहे हैं और शेड्यूल्ड कास्ट का बेनीफिट भी ले रहे हैं। इससे हमें मिलने वाले लाभ में कमी हो जाती है और इस तरह से हमारा शोषण हो रहा है। हमने दण्डकारण्य में देखा है कि रिफ्यूजी लोग आदिवासियों का और हरिजनों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए जो उनको दो तरह के बेनीफिट्स मिल रहे हैं, वे उनको नहीं मिलने चाहिए। रिफ्यूजीज अपने और आदमियों को ला रहे हैं, इसलिए उनको आइडिएंटिटी कार्ड भी दिया जाना चाहिए। इनकी संख्या बढ़ती जा रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आप गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों तक अपना भाषण सीमित रखें।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : हां, री-हेब्लीटेशन प्रोग्राम होम मिनिस्ट्री के अन्तर्गत आता है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से अगर रिफ्यूजी लोगों को आइडिएंटिटी कार्ड दिये जाते तो लोगों का बढ़ना कम हो जाता। इस बात पर सरकार गौर करे और उसके लिये कुछ खास कदम उठये। इन चन्द शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : सभापति महोदय, गृह मंत्रालय के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए मुझे जो अवसर दिया गया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

पहली बात यह है कि स्वतंत्रता सेनानियों के मामले लाखों की संख्या में लम्बित पड़े हुए हैं हालांकि स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के सम्मान के लिए उन्हें मान्यता दी है।

शुरू में, ये नियम बनाये गये थे कि पेंशन के मामलों को सह-बन्दी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए जो विधान सभा, विधान परिषद के सदस्य या संसद सदस्य हों। 1980-81 में मैंने नियमों में परिवर्तन करने के लिए सदन में कहा था क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के अधिकांश विधान सभा सदस्यों और संसद सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। नियमों में उस आशय के संशोधन किये गये थे कि उन्हें सह-बन्दी का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि वह इसके साथ—एक वर्ष या इससे अधिक समय तक जेल में रहा था। कई स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों पर किसी न किसी जानकारी के अभाव में कार्यवाही नहीं की गई और उन पर कार्यवाही करने के लिए पुनः कभी भी विचार नहीं किया गया हालांकि वे वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के मामले

[श्री एस० बी० सिदनाल]

में कई प्रकार से परेशान किया जा रहा है जिनमें से एक बात तो यह है कि यद्यपि राज्य सरकार उसके रिकार्ड से संतुष्ट होने के बाद उन्हें पेंशन को मंजूरी देती है और केन्द्र से पेंशन देने की सिफारिश करती है परन्तु केन्द्र सरकार फिर भी राज्य सरकार को पुनः छानबीन करने के लिये मामले वापिस भेज देती है जो स्पष्ट रूप से केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों पर विश्वास न करने के बराबर है।

जब सरकार ने उनके द्वारा की गई सेवा के लिए उन्हें सम्मान देने का निर्णय लिया है तो हमें इस प्रकार के उपायों को स्वीकार करना चाहिए जिससे उन्हें जल्दी पेंशन मिले। लोगों को अन्यथा विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के लिये एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय जाना होगा और वास्तव में उन्हें मारा मारा फिरना होगा। उन्हें पेंशन की तुरन्त आवश्यकता है। इसके बाद वहां बहुत भ्रष्टाचार है। विलम्ब होता है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये सब बातें बहुत अपमानजनक हैं। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र और पौत्र हूं। उनके प्रति मेरे मन में आदर है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसे 6 महीने के भीतर उनके लम्बित पेंशन प्रार्थनापत्रों को निपटाना चाहिए।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे अपने जिले में ऐसे चार विधान सभा सदस्य थे जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उनमें से एक श्री एम० बी० पादकी थे जो बहुत धनी थे तथा जिन्हें अन्नाधानी भी कहा जाता था। दूसरे थे चेन्नापावाली एक क्रान्तिकारी थे जिनको पकड़ने के लिये ब्रिटिश सरकार ने 10,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की थी। और इसी तरह चार अन्य लोग थे। उन्हें काली सूची में रखा गया था। मैं नहीं जानता क्यों। क्या वास्तविक रूप से यह उनका अपमान नहीं है ? इसको सुधारना चाहिए। यदि हम उनको कुछ देना चाहते हैं तो हमें सम्मानपूर्वक देना चाहिए। उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं दीजिये। 15 वर्षों में हमने मामलों को नहीं निपटाया है और इनमें से बहुतों की मृत्यु हो चुकी है। यदि अगले 2 से 3 वर्षों के भीतर हम मामलों को नहीं निपटाते हैं तो उनमें से कई लोगों की वृद्ध अवस्था के कारण मृत्यु हो सकती है। 1980 में मैंने इस पर बात की थी जब श्री लास्कर गृह मन्त्री थे। उन्होंने कहा था कि ऐसे झूठे मामले थे जिनमें लोगों ने पेंशन ली थी। हो सकता है कि वहां कुछ जाली लोग हों परन्तु वहां एक मजबूत सरकार है। यह उन मामलों की छानबीन कर सकती है और कार्रवाई कर सकती है। साक्ष्य और नियम के अन्तर्गत यह कथन है कि एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देने की बजाय 9 बदमाशों को मुक्त करना अच्छा है। इस मामले में वह सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। अन्यथा वास्तव में यह असहनीय है जब हम यह देखते हैं कि थोड़ी पेंशन लेने के लिये इन लोगों को मारा-मारा फिरना होता है।

समापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें। किसी भी तरह से इसे 9 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए।

श्री एस० बी० सिदनाल : इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि हमें इन मामलों पर बहुत शीघ्र ही निर्णय करना होगा। कृपया इस बात का ध्यान रखिए कि बिना पेंशन लिये उनकी मृत्यु न हो। पहले से ही 4 से 5 वर्ष के लिये जा चुके हैं। मैं रिकार्ड नहीं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि सभापति जी घंटी

बजा रहे हैं। गृह मन्त्री जी यहां हैं। उन्हें इसको ध्यान में रखना चाहिए और विशेष दिलचस्पी लेनी चाहिए। जब हम स्वयं जाते हैं तो वे कहते हैं कि स्टाफ नहीं है। उन्होंने कई मामलों को लटकाया है और उन्हें प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये मारा-मारा फिरना पड़ता है। वास्तव में यह उचित है कि हमें उन्हें बुलाना चाहिए और उन्हें पेंशन देनी चाहिए।

इसके बाद महोदय, कानून और व्यवस्था बनाये रखना बहुत कठिन होता जा रहा है। गरीबी, आय में असमानता, निरक्षरता, ग्रामीण और शहरी सम्भ्रान्त व्यक्ति के बीच अन्तर। क्षेत्रवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता जैसी कई बातें इसके लिए जिम्मेदार हैं— ये वे सब चीजें हैं जो हमारे देश के ढांचे का निर्माण करती हैं। हमारे लिए साम्प्रदायिक होना आवश्यक है और इसके साथ ही हमें धर्मनिरपेक्ष होना भी आवश्यक है। हम साबित कर सकते हैं कि कोई भी साम्प्रदायिक है और वह उसी समय इसी तरह से धर्मनिरपेक्ष भी है। यह हमारे राष्ट्र की बनावट है। हमें उपलब्ध आर्थिक स्थितियों और साधनों के भीतर रास्ता ढूंढना होगा। उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार को ही ले लीजिये। क्या हम लोकतन्त्रीय व्यवस्था में इसको मिटा सकते हैं या इसे कम कर सकते हैं? मेरे विचार में यह लोकतंत्र का दोष है और विभिन्न कानूनों को लागू करके तथा सरकार की दृढ़ इच्छा और इसके बाद शिक्षा द्वारा लोगों के चरित्र का विकास करके इसे कम किया जा सकता है। दूसरी बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और कई कानून पुराने हो गये हैं। साक्ष्य अधिनियम भी इसी प्रकार का है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति खून करता है। वह केवल एक व्यक्ति को अपना दुश्मन बताता है और पूरी शेष दुनिया के लिये वह पक्का संत है परन्तु उसको फांसी पर लटकाया जाता है। अब आप उस व्यक्ति को देखें जो खाद्य पदार्थों, औषधियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं में मिलावट करने के काम में लगे हुए हैं। उन्हें फांसी पर नहीं लटकाया जाता है। वह समान रूप से धोखा भी देता है उसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। ठग हरेक को व्यक्ति अथवा स्थान का विचार करते हुए ठगी करता है। हमें भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम आदि जैसे कुछ कानूनों को बदलना होगा। यह हमारे लिये उचित समय है कि हमें आज अपराधियों को पकड़ने के लिये प्रभावी ढंग से बहुत से पुराने कानूनों को बदलना होगा। हाल ही में हमने चार्ल्स शोभराज के मामले की जानकारी दी है। वह ठीक दूल्हे की तरह जेल से औपचारिक रूप से चला गया। वास्तव में, यह हमारे लिये शर्म की बात है। भगवान को धन्यवाद है कि उसी पुलिस बल ने उन सबको गोवा में पकड़ा है। पुलिस को प्रोत्साहन देने और उसका मनोबल बढ़ाने के लिये पर्याप्त पुरस्कार दिया जाना चाहिए। पुलिस देवदूत नहीं है न ही उनका आयात किया जाता है। वे सब हमारे भाई और उसी समाज के अंग हैं। हमें पूरे समाज के चरित्र का निर्माण करना होगा। और उनको समुचित भुगतान नहीं किया जाता है। मौजूदा वेतनमान के अलावा उनके वेतनमान में संशोधन करना होगा। मेरा सुझाव है कि जांच प्रयोजनार्थ के लिये अलग से एक स्वतंत्र बल बनाना होगा। महोदय, मैं समझता हूं गांवों में—मैं समझता हूं आप गांव से आये हैं—कई अपराधों का या तो जान-बूझकर या कर्तव्य में अवहेलना या लापरवाही से पता नहीं लगाया जाता। जब तक कोई शिकायत पर जोरदार ढंग से कार्यवाही नहीं की जाती तब तक कोई जांच पूरी नहीं होती है। जांच-पड़ताल कौन करता है? हवलदार जाता है और लिखता है तथा उप निरीक्षक केवल हस्ताक्षर करता है। यह पद्धति है। हम सभी साक्ष्य के साथ न्यायालय जाते हैं और उन्हें संदेह का लाभ दिया जाता है। गुण्डा लोगों के डर से कोई निर्णय नहीं दिया जायेगा

[श्री एस० बी० सिदनाल]

और कोई भी व्यक्ति न्यायालय के सामने गवाही नहीं देगा। मैंने उसे देखा है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति खून होते हुए देखता है तो वह भी शपथ लेकर कहेगा कि "मैंने खून होते नहीं देखा है – यह स्थिति है क्योंकि निर्धन लोगों के लिये कोई सुरक्षा नहीं होती है। और आर्थिक क्षेत्र में हमेशा असमानता रहती है। गरीब लोग गुण्डों से डरे रहते हैं। इसलिये श्रीमती इंदिरा गांधी गरीबों को आर्थिक दृष्टि से आगे लाना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने इन लोगों को जानकारी दी है। उन्होंने आपात स्थिति भी लागू की थी। मैं नहीं चाहता हूं कि इसे आना चाहिए। वह अनुशासन लाना चाहती थीं परन्तु तानाशाही के रूप में इसे पूर्णरूप से गलत समझा गया। इस देश के लिये वह बहुत दुर्भाग्य की बात थी।

मेरा यह भी सुझाव है कि आर्थिक अपराधों का पता लगाना चाहिए। समाज को एक व्यवस्था में होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति परिश्रमी है वह गरीब बन जाता है और जो व्यक्ति परिश्रमी नहीं है वह अमीर बन जाता है। मैं तस्करी के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास आयातित सामान है चाहे वह राजनीतिज्ञ हो या एक अधिकारी हो। गांधी जी का स्वदेशी आन्दोलन क्या है? उस आन्दोलन की क्या स्थिति है? हमें अपने चरित्र को स्वयं क्यों नहीं सुधारना चाहिए। हम सभी आयातित टेप रिकार्डर, सभी आयातित घड़ियां चाहते हैं। हम में से प्रत्येक को अपने बारे में सजग हो जाना चाहिए। केवल तभी देश जीवित रह सकता है। अन्यथा तस्करी को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तस्करी सामान की मांग है। जब मांग नहीं है तब यह नहीं हो सकेगी। हम कानून द्वारा इसे रोक नहीं सकते। जब तक सामाजिक तिरस्कार नहीं होगा तब तक कोई कानून किसी अपराध को रोक नहीं सकता। ये दो तरीके हैं कि किस प्रकार से इनको निपटाया जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक समता लाकर हम व्यवस्था ला सकते हैं। हम देश में न्यायसंगत समाज की स्थापना कर सकते हैं। किस प्रकार से महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे सभी महान लोगों ने इस देश के भविष्य की कल्पना की थी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

इस अवसर को देने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : श्री पुरोहित आखिरी वक्ता हैं। बढ़ाया गया समय समाप्त हो गया है।

श्री एच० के० एल० भगत : समय 10 मिनट और बढ़ाया जा सकता है।

सभापति महोदय : श्री पुरोहित आखिरी वक्ता है। मंत्री जी को उत्तर देना है। वह कल दिया जाएगा। श्री पुरोहित हम आपके आभारी होंगे यदि आप 5 मिनट के भीतर समाप्त करेंगे।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : जी हां, महोदय, मैं कोशिश करूंगा।

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं गृह मन्त्रालय की मांग का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज पूरे देश की ही नहीं, बल्कि विश्व की नजरें भी पंजाब के ऊपर लगी हुई हैं कि हमारी केन्द्रीय सरकार पंजाब की समस्या को किस तरह से हल करती है।

एक बात मैं इतनी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो प्रधान मन्त्री जी और लोंगोवाल के बीच एकोर्ड हुआ पूरे देश ने उसका समर्थन किया···

9.00 म०प०

और आज भी पूरे देश के नागरिकों में यह आम धारणा बन गई है कि प्रधान मन्त्री जी उस समझौते पर पूरी तरह अमल करके रहेंगे। ऐसा सब को विश्वास है और किसी को कोई शंका नहीं है। यहां पर अभी कुछ वक्ताओं ने जो कुछ कहा कि इस तरह के एकोर्ड नहीं होने चाहिए, मैं उसका स्पष्ट शब्दों में विरोध करता हूं क्योंकि देश के लिए यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक एचीवमेंट है और इस रूप में, मैं इस एकोर्ड को मानकर चलता हूं। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि कड़ाई के साथ आतंकवादियों का दमन किया जाए। गुरुद्वारों में वहां जितने आतंकवादी छिपे हैं उनको बाहर निकालने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है और यदि वे उनको निकाल नहीं सकते तो उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए। यदि वहां की सरकार आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकती, उग्रवादियों या अपराधी लोगों को संरक्षण देगी तो केन्द्रीय सरकार उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और हमें स्पष्ट शब्दों में पंजाब सरकार को आगाह कर देना चाहिए। उसका कारण यह है कि पंजाब से आने वाले लोगों से हमें यह जानकारी मिली है कि वहां की पुलिस जानबूझ कर इस तरह की हरकत कर रही है जिससे जनता नाराज हो। इसका मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। वहां स्वर्ण मन्दिर में जाने वाले सभी आदमियों और औरतों की तलाशी ली जाती है, और किसी को बख्शा नहीं जाता। आप समझ सकते हैं कि जब किसी महिला की तलाशी कोई पुरुष लेगा तो उससे निश्चय ही लोगों में आक्रोश पैदा होगा, नाराजगी पैदा होगी। यदि महिलाओं की तलाशी लेने के लिए महिला कांस्टेबल्स लगाई जाएं, सफीशिएंट फोर्स लगाई जाए तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह वहां बिना वजह लोगों में नाराजगी पैदा की जा रही है और पुलिस जिस तरीके से व्यवहार कर रही है, वह पुलिस की बदमाशी है। पिछले तीन-चार दिनों में जो एक्शन वहां हुए हैं, कड़ी कार्यवाही हुई है, पुलिस की तरफ से जो एक्शन हुआ, उसका सर्वत्र स्वागत हुआ है और लोगों में आत्म-विश्वास की भावना पैदा हुई है, जनता में विश्वास जागा है कि अब कड़ाई के साथ सरकार आतंकवादियों से निपट लेगी। परन्तु पंजाब सरकार की क्या मंशा है, स्पष्ट रूप से यह उन्हें भी देख लेना चाहिए। आतंकवादियों में चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, उससे निपटने के लिए पंजाब सरकार तैयार है और केन्द्रीय सरकार उनके साथ है।

[श्री बनवारी लाल पुरोहित]

अब मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र में बहुत से इलाके काफी पिछड़े हैं, जैसे विदर्भ का क्षेत्र है। भारत के संविधान की धारा 371(2) के अंतर्गत जब स्टेट रि-आर्गेनाइजेशन हुआ था, उस समय विदर्भ की जनता को आश्वासन दिया गया था कि उसका पिछड़ापन दूर करने के लिए शीघ्र ही स्टेट्यूटरी डैवलपमैंट बोर्ड बनाए जाएंगे। यह आश्वासन 1953 में दिया गया था और भारत के संविधान की धारा 371(2) के माध्यम से वहां की जनता को दिया गया था, जिसे हम गीता मानते हैं लेकिन वह आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ।

महाराष्ट्र असैम्बली ने एकमत से प्रस्ताव पास करके केन्द्र में भेजा है परन्तु मैं समझ नहीं सका कि हमारा गृह मन्त्रालय उस विषय में चुप क्यों है, उसमें अड़चन क्या है जिससे वहां की जनता में भारी असंतोष व्याप्त है। यदि हम संविधान में कोई आश्वासन देते हैं, तो जनता उस पर अवश्य विश्वास करेगी। मैं समझता हूं कि अब और ज्यादा जनता के साथ, हमारे साथ अन्याय नहीं होगा क्योंकि इसी आधार पर विदर्भ की जनता महाराष्ट्र के साथ मिल गई परन्तु अभी तक स्टेट्यूटरी बोर्डों का गठन नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि आप महाराष्ट्र असैम्बली के एकमत से पारित प्रस्ताव पर तुरन्त कार्यवाही करेंगे, प्रधान मन्त्री जी से मैं यही विनती करना चाहता हूं।

दूसरे, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा-विवाद कभी-कभी बहुत तूल पकड़ लेता है, मैं समझता हूं कि उसको भी प्रधान मन्त्री जी अपने हाथ में लेंगे, तभी वह सीमा-विवाद सुलझेगा।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं, वह यह है कि अर्बन एरियाज में क्राइम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हमारे यहां मर्डर होना कोई नई बात नहीं है। जुए और सट्टे का धंधा भी तेजी पकड़ता जा रहा है। सट्टे वाले मजे कर रहे हैं। थाने नीलाम होते हैं। कौन से इंस्पैक्टर को किस थाने में नियुक्त किया जाए, उसकी नीलामी होती है और जो ज्यादा पैसा दे देता है, उसको इच्छानुसार थाने में पोस्ट किया जाता है। अर्बन एरियाज में सब जगह एक जैसी हालत है। यह मैं खाली नागपुर की बात नहीं कर रहा हूं, बम्बई, पुणे, नागपुर सब जगह यही स्थिति है। सट्टा धड़ल्ले से चल रहा है, सरेआम मर्डर होते हैं लेकिन गिरफ्तारियां नहीं होतीं। यदि कभी कहीं पुलिस एक्शन भी लेती है तो सरकारी वकील, यंत्रणा के. अपनी जेबें गर्म करके केस को इस तरह कमजोर बना देते हैं कि अपराधी को सजा मिल ही नहीं सकती। यह वहां की स्थिति है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरे, ऐसे केस वर्षों तक चलते रहते हैं और इतने समय में गवाह कहीं का कहीं चला जाता है, गवाह बैठ जाते हैं। अपराधियों को जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक गुनाहों में कमी नहीं आ सकती। गुनाह को, भ्रष्टाचार को खत्म होना चाहिए। इस दिशा में कार्यवाही करिये। उसके साथ एकतरफा बात करने से काम नहीं चलेगा। सभापति जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने रियायतें बड़े-बड़े कैपीटलिस्ट लोगों को दी हैं उनका जो 90 परसेंट टैक्स था उसको घटाकर आपने 50 परसेंट किया है और उनको वार्निंग दी है कि अगर आप अभी भी अपनी इन्कम की सही स्टेटमेंट और सही इन्कम टैक्स नहीं देंगे, तो हम आपके साथ कड़ी कार्यवाही करेंगे। वैसे ही आप पुलिस के सिपाहियों को सुविधाएं पहले दीजिए उसके बाद उनको वार्निंग दीजिए। आप पुलिस वालों

को रहने के लिए मकान की अच्छी व्यवस्था कीजिए, उनको अच्छी तनख्वाह दीजिए। उसके बाद में उनको वार्निंग दीजिए कि अगर अब भ्रष्टाचार और क्राइम नहीं घटे, तो आपके साथ सख्ती के साथ बर्ताव किया जाएगा। तभी यह परिस्थिति सुधर सकती हैं।

तीसरी एक चीज मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि हम पूरे हिन्दुस्तान में घूमते हैं, तो देखते हैं कि हर स्टेट में अलग-अलग यूनिफार्म पुलिस की रहती है। कई जगह तो इतने हल्के दर्जे की यूनिफार्म रहती है कि उसका दबाव ही नहीं पड़ता है। इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें कि हमारे राष्ट्र में जितनी भी पुलिस है, उसको एक ऐसी इम्प्रेसिव यूनिफार्म, अच्छी किस्म की तय करें और वह यूनिफार्म उनको मिले। अभी हम देखते हैं रूरल एरियाज में इतनी रद्दी यूनिफार्म मिलती है कि उससे काम नहीं हो सकता है। इसलिए सारे देश के पुलिस वालों को एक सी और अच्छी किस्म की यूनिफार्म मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, एक चीज मैं यह कहना चाहूंगा कि बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों के अन्दर कई एण्टी-सोशयल एलीमेंट घुस गए हैं, उनको निकालने की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। उनको यदि चुनाव में टिकिट नहीं मिला, तो ऐसे लोग निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ लेते हैं। उनको वोट पांच सौ-सात सौ मिल जाते हैं क्योंकि उनको वहां की जनता जानती है। इसका कारण यह है कि वहां वे सट्टे की दुकानें बीस-बीस चलाते हैं और इस काम के लिए चार-पांच सौ लोग उनके यहां नौकर रहते हैं। उनको जमा करके वे लोग वहां बखेड़ा और गड़बड़ करते हैं। ऐसे लोगों के साथ कड़ी कार्यवाही करके उनको बेनकाब करना चाहिए, ऐसी मेरी सरकार से मांग है।

काश्मीर में जो कम्युनल राइट्स हुए हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो विदेशी ताकतें हैं, वे जानबूझकर हमारे देश को अलग करना चाहती हैं और देश में गड़बड़ी करना चाहती हैं। जो कम्युनल राइट्स कराते हैं, उनको विदेशों से पैसा आता है। उस पैसे को हमें रोकना चाहिए। ये कम्युनल राइट्स करने वाले मंदिरों और मस्जिदों को तोड़ने की साजिश करते हैं। अगर कहीं रिमोट जंगल में मंदिर है, तो उसको रातों-रात तोड़ दिया जाता है, वहां की मूर्तियों को बिगाड़ दिया जाता है। इस तरह की बदमाशी ये लोग करते हैं। इसके लिए सजग रहकर उनको सजा देनी चाहिए।

सभापति महोदय, आखिर में, मैं बॉर्डर के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां बार्डर पर स्मगलिंग बहुत होती है। रशिया के अन्दर स्मगलिंग नहीं होती। आप रशिया को ले लीजिए वहां पर देश के अन्दर एक सुई भी फारेन की नहीं मिलेगी। अगर वहां के लोग फारेन सूटकेस देख लेते हैं, तो एनवॉय करते हैं। वहां पर कोई घड़ी फारेन की नहीं मिल सकती है। वहां पर स्वदेश में बनी हुई चीजें ही मिलेंगी। वहां के बार्डर इतने मजबूत हैं कि उनकी बिना इजाजत के देश के अन्दर एक सुई भी विदेशी नहीं मिल सकती है। जबकि आप हमारे यहां बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के बाजारों को ले लीजिए यहां धड़ल्ले से विदेशी चीजें मिल जाएंगी और बिक रही हैं क्योंकि हमारी पुलिस का इस बात पर ध्यान नहीं है। हमारी पुलिस को स्मगलिंग करने वाले लोगों से फायदा मिलता

[श्री बनवारी लाल पुरोहित]

है। पुलिस उनके साथ मिली हुई है। इसलिए हमारी इकनौमी के ऊपर बहुत बड़ा धक्का इस स्मगलिंग से हो रहा है। इसलिए स्मगलिंग को रोकना बहुत आवश्यक है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। सभापति महोदय आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

9.09 म०प०

समापति महोदय : माननीय मंत्री कल जवाब देंगे। सभा अब कल 11 बजे पुनःसमवेत तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 16 अप्रैल, 1986/26 चैत्र, 1908 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, सीलमपुर, दिल्ली-110053